इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
IOB
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19
(संक्षिप्त)
ANNUAL REPORT
2018-19
(Abridged)

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केन्द्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

वार्षिक रिपोर्ट - 2018-19 (संक्षिप्त)
निदेशक मंडल

श्री टी सी ए रंगनाथन
गैर-कार्यकारी अध्यक्ष

श्री आर. सुब्रमण्यकुमार
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री कर्नम शेखर
विशेष कार्याधिकारी एवं पूर्णकालिक निर्देशक

श्री के स्वामिनाथन
कार्यपालक निदेशक

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

सुश्री ऐनी जार्ज मैथ्यू
सरकारी नामिती निदेशक

श्री निर्मल चंद
भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक

श्री के रघु
सनदी लेखाकार प्रवर्ग के तहत अंश कालिक गैर आधिकारी निदेशक

श्री संजय रुंगटा
शेयरधारक निदेशक

श्री नवीन प्रकाश सिन्हा
शेयरधारक निदेशक

सुश्री राधा वेंकटकृष्णन
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

Indian Overseas Bank

Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600002

ANNUAL REPORT 2018-19 (ABRIDGED)
BOARD OF DIRECTORS

Shri T C A Ranganathan
Non-Executive Chairman

Shri R Subramaniakumar
Managing Director & CEO

Shri Karnam Sekar
Officer on Special Duty and Whole Time Director

Shri K Swaminathan
Executive Director

Shri Ajay Kumar Srivastava
Executive Director

Ms. Annie George Mathew
Government Nominee Director

Shri Nirmal Chand
RBI Nominee Director

Shri K Raghu
Part time Non Official Director under Chartered Accountant Category

Shri Sanjay Rungta
Shareholder Director

Shri Navin Prakash Sinha
Shareholder Director

Ms Radha Venkatakrishnan
General Manager & CFO

लेखाकार

1. मेसर्स आर सुब्रमनियन एंड कं. एलएलपी, चेन्नै
2. मेसर्स एस ए आर सी एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली
3. मेसर्स पात्रो एंड कंपनी भुवनेश्वर
4. मेसर्स एम श्रीनिवासन एंड एसोसिएट्स, चेन्नै

AUDITORS

1. M/s. R Subramanian and Co. LLP, Chennai
2. M/s. S A R C & Associates, New Delhi
3. M/s. Patro & Co. Bhubaneswar
4. M/s. M. Srinivasan & Associates Chennai

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट

मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लि.

(यूनिट - इण्डियन ओवरसीज़ बैंक)
सुब्रमणियन बिल्डिंग
पांचवां तल, नं.1 - क्लब हाउस, रोड
चेन्नै - 600 002
टेलि.: 044 / 28460390 (Six Lines)
044 - 28460395
फैक्स.: 044 / 28460129
ई-मेलः cameo@cameoindia.com

Registrar & Share Transfer Agent

M/s Cameo Corporate Services Ltd

(Unit – IOB)
Subramanian Building,
V Floor, No.1 Club House Road,
Chennai 600 002
Tel: 044 / 28460390 (Six Lines)
044 – 28460395
Fax : 044 / 28460129
e-mail: cameo@cameoindia.com

नोट : शेयरधारकों से अनुरोध है कि वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट के सम्पूर्ण वर्ज़न को प्राप्त करने के लिए बैंक की वेबसाइट www.iob.in का अवलोकन करें।

Note : Shareholders are requested to visit Bank's website www.iob.in to get the full version of Annual Report 2018-19

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केन्द्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

वार्षिक रिपोर्ट - 2018-19 (संक्षिप्त)

Indian Overseas Bank

Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600002

ANNUAL REPORT 2018-19 (ABRIDGED)

विषय वस्तू	पृष्ठ सं.	Contents	Page No.
एक झलक में	3	At a Glance	3
प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ की डेस्क से	4	From the Managing Director & CEO's Desk	5
शेयरधारकों को सूचना	16	Notice to the Shareholder	16
निदेशकों की रिपोर्ट	30	Directors' Report	31
प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण	32	Management Discussion and Analysis	33
वर्ष 2018-19 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	64	Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the year 2018-19	65
कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र	105	Auditors' Certificate on Corporate Governance	105
साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	106	Secretarial Audit Report	106
वार्षिक लेखा	108	Annual Accounts	108
नकदी प्रवाह विवरण	162	Cash Flow Statement	162
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	164	Independent Auditors' Report	165
व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2018-19	172	Business Responsibility Report 2018-19	173
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक लाभांश वितरण नीति	194	IOB Dividend Distribution Policy	195
प्रॉक्सी फॉर्म	199	Proxy Form	200

(यदि इस वार्षिक रिपोर्ट के हिन्दी रुपांतरण में कोई विसंगित पाई जाती है तो अंग्रेजी वर्जन सही माना जाएगा)

(In this Annual Report, in case of any discrepancy found in Hindi Version, English Version will prevail)

वित्तीय कैलेंडर / **Financial Calendar**

1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक के वित्तीय वर्ष के लिए		**For the Financial Year 1st April 2018 to 31st March 2019**	
बही खाता बंदी तिथि	04.07.2019 (गुरुवार) से 10.07.2019 (बुधवार) तक	Book Closure Date	04.07.2019 (Thursday) to 10.07.2019 (Wednesday)
वार्षिक रिपोर्ट की पोस्टिंग	12.06.2019 (बुधवार) से 15.06.2019 (शनिवार) तक	Posting of Annual Report	12.06.2019 (Wednesday) to 15.06.2019 (Saturday)
परोक्षी फार्म की प्राप्ति की अंतिम तिथि	05.07.2019 (शुक्रवार) अपराह्न 5.00	Last Date of receipt of Proxy Form	05.07.2019 (Friday) 5.00 p.m.
वार्षिक आम बैठक का दिनांक	10.07.2019 (बुधवार) पूर्वाहन 10.00 a.m.	Date of AGM	10.07.2019 (Wednesday) 10.00 a.m.
लाभांश की घोषणा	शून्य	Declaration of Dividend:	Nil

एक नज़र में

(रु. करोड़ में)

	मार्च-19	मार्च-18	मार्च-17	मार्च-16	मार्च-15
कुल व्यापार	374530	3,67,831	3,68,119	3,97,241	4,25,090
वैश्विक जमाएँ	222534	2,16,832	2,11,343	2,24,514	2,46,049
घरेलू जमाएँ	217963	2,10,388	2,05,154	2,18,556	2,39,819
घरेलू सकल अग्रिम	146001	1,38,516	1,42,651	1,55,429	1,62,838
वैश्विक निवल अग्रिम	151996	1,32,489	1,40,459	1,60,861	1,71,756
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	75393**	70040**	63984**	67615*	63635*
कृषि उधार	31048**	29851**	28865**	30237*	29236*
निवल निवेश	66932	68,646	71,654	79,189	79,298
ब्याज आय	17631	17,915	19,719	23,517	23,938
गैर-ब्याज आय	4206	3,746	3,373	2,528	2,139
परिचालनगत खर्च	4452	5,585	4,912	5,025	4,200
सकल लाभ	5034	3,629	3,650	2,885	3,322
निवल लाभ / निवल हानि	-3738	-6,299	-3,417	-2,897	-454
इक्विटी शेयर पूँजी	9141.65	4890.77	2,454.73	1,807.27	1,235.35
सकल एनपीए (%)	21.97	25.28	22.39	17.40	8.33
निवल एनपीए (%)	10.81	15.33	13.99	11.89	5.68
पूँजी पर्याप्तता अनुपात	10.21	9.25	10.50	9.66	10.11

* 31 मार्च तक बकाया

प्राथमिकता क्षेत्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2016-17 से प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्य एवं अन्य उप लक्ष्य के तहत चार तिमाहियों का औसत निष्पादन दिया जा रहा है।

जहां कहीं भी अपेक्षित है पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुर्नसमूहित किया गया है।

At a Glance

(Rs. In Crore)

	Mar-19	Mar-18	Mar-17	Mar-16	Mar-15
Total Business	374530	3,67,831	3,68,119	3,97,241	4,25,090
Global Deposits	222534	2,16,832	2,11,343	2,24,514	2,46,049
Domestic Deposits	217963	2,10,388	2,05,154	2,18,556	2,39,819
Domestic Gross Advances	146001	1,38,516	1,42,651	1,55,429	1,62,838
Global Net Advances	151996	1,32,489	1,40,459	1,60,861	1,71,756
Priority Sector Advances	75393**	70040**	63984**	67615*	63635*
Agricultural Credit	31048**	29851**	28865**	30237*	29236*
Net Investments	66932	68,646	71,654	79,189	79,298
Interest Income	17631	17,915	19,719	23,517	23,938
Non Interest Income	4206	3,746	3,373	2,528	2,139
Operating Expenses	4452	5,585	4,912	5,025	4,200
Gross Profit	5034	3,629	3,650	2,885	3,322
Net Profit/Net Loss	-3738	-6,299	-3,417	-2,897	-454
Equity Share Capital	9141.65	4890.77	2,454.73	1,807.27	1,235.35
Gross NPA (%)	21.97	25.28	22.39	17.40	8.33
Net NPA (%)	10.81	15.33	13.99	11.89	5.68
Capital Adequacy Ratio (%)	10.21	9.25	10.50	9.66	10.11

* Outstanding as on 31st March

** Average of 4 quarters performance as per revised Priority Sector guidelines of RBI from FY 2016-17 onward for achievement of Priority Sector Target & Sub target for the financial year.

Previous years figures are regrouped wherever necessary

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक - केन्द्रीय कार्यालय चेन्नै

प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी से पत्र

श्री आर सुब्रमण्यकुमार, प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रिय शेयरधारकों,

वर्ष 2018-19 के लिए मुझे आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है। मैं वर्ष के दौरान बैंक के निष्पादन संबंधी मुख्य पहलुओं के साथ-साथ आगे बढ़ते बैंक के लिए आउटलुक को भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ।

आर्थिक परिवेश : -

- मुद्रास्फीतिः खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण सीपीआई वित्त वर्ष 19 में 3.5% तक कम हो गया , इसके बढ़ने की उम्मीद है।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एवं आगे दर में कमीं की उम्मीदों पर लिक्विडिटी सपोर्ट से इनफ्लो के कारण 10 वर्षों का जी-सेक के प्रति लाभ समान स्तर पर रहा।
- अपेक्षाकृत कम तेल की कीमतों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में डोविश मौद्रिक नीति के साथ रुपया मामूली रूप से कमजोर हो सकता है।
- निर्यात वृद्धि पिछले वर्ष की 10% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019 में 8.6% रही। इंजीनियरिंग वस्तुएं, रसायन और रेडीमेड कपड़ों के निर्यात में तेजी रही।
- वित्त वर्ष 2019 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 5.9 - 6.1% रहने की संभावना है।

बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन

- वित्त वर्ष 19 में क्रेडिट वृद्धि ने 12% के दोहरे अंकों को प्राप्त किया है।
- पूँजी के भाव के कारण पीएसबी बड़े कॉर्पोरेट्स को उधार देने के प्रति मौन रहे।
- उद्योग के लिए ऋण में 7% की वृद्धि हुई, जिनमें से बड़े उद्योग में 8.2% की मध्यम उद्योगों में 2.6% और सूक्ष्म और 0.7% की तथा सेवाओं में 18% तथा एनबीएफसी में 29% की अधिकतम वृद्धि देखी गई है। पर्सनल लोन सेगमेंट ने 16% का योगदान दिया है जिसमें से क्रेडिट कार्ड 28.6%, हाउसिंग 19% और वाहन ऋण में 6% है।
- बॉन्ड के प्रति लाभ में कमी का मुख्य कारण केंद्रीय बैंक द्वारा बॉन्ड की खरीद है। वर्तमान में G-sec की लाभदार वर्ष 18-19 की प्रथम तिमाही के 7.90% की तुलना में कम होकर 7.36% है, इसीलिए परिचालनगत लाभ में वृद्धि के लिए ट्रेजरी के लाभ के बढ़ाए जाने की उम्मीद है।

चुनौतियां और भविष्य की राह

- खराब आस्तियों के त्वरित निदान सहित निवेश एवं सशक्त घरेलू मांग के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक सुर्खियों का लाभ उठाने से सामान्य और बैंकिंग क्षेत्र में आर्थिक विकास हो सकेगा। वित्तीय वर्ष 2019 में आइबीसी के माध्यम 94 मामलों की वसूली की गई जो की अन्य माध्यमों से की गई वसूली 26.5% की तुलना में 43% है। आइबीसी के माध्यम से एनपीए वसूली ब्याज आय के लिए नए रास्तों को उत्पन्न करेगा।
- ईरानी तेल के आयात पर भारत को प्रदान की गई राहतों को समाप्त कर देने संबंधी अमेरिकी निर्णय के परिणामस्वरूप रूपए के दबाब में आने से तेल की कीमतें बढ़ने तथा डॉलर के आउटफ्लो में वृद्धि अनुमान है क्योंकि ईरान कच्चे तेल के भारत के शीर्ष आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। 2018-19 में, भारत की क्रूड आयल की मांग का 10.9% ईरान से आयात द्वारा पूरी की गई। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का 84% आयात करता है और इसलिए घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर हैं।
- अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी विवाद एक महत्वपूर्ण निगरानी है।

बैंकिंग क्षेत्र के लिए आउटलुक

बैंकिंग क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि इस क्षेत्र द्वारा झेली जा रही दो प्रमुख चुनौतियों आस्ति गुणवत्ता एवं क्रेडिट ऑफटेक में परिवर्तन से ही संभव है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बैंकिंग सेक्टर के लिए गेम चेंजर रहा है क्योंकि इसने कर्जदार की बजाय ऋणप्रदाता अधिक शक्ति प्रदान की हैं एवं ऋण गुणवत्ता में सुधार किया है। बैंकिंग क्षेत्र के लिए, अनुमानित सकल एनपीए में 2018 के 11.5% की तुलना में 100 बीपीएस घटकर मार्च 2019 में लगभग 10 % हो गया है। खुदरा बैंकिंग और सेवाओं में सकारात्मक वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष 2019 के बैंक क्रेडिट 13% की तुलना में बढ़कर वित्त वर्ष 2020 में 14% रहने की उम्मीद है जबकि कॉर्पोरेट क्रेडिट में क्रमिक वृद्धि देखी जा सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से कुछ बैंकों के पीसीए से बाहर आने से भी इस क्षेत्र को लाभ होने की उम्मीद है।

➢ **कारोबारी एवं वित्तीय प्रदर्शन विशेषताएं - 2018-19**

- 31 मार्च 2018 तक के कुल कारोबार रू 3,67,831 था जिसकी तुलना में 31 मार्च 2019 को कुल कारोबार रू 3,74,530 करोड़ रहा ।
- निधियों की लागत में कमीं करके एवं स्थिर जमा प्रोफाइल खुदरा सावधिक जमाओं में वृद्धि एवं बड़े मूल्य की जमाओं तथा उच्च लागत में कमीं करके कुल जमाएं 31 मार्च 2018 की रू 2,16,832 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2019 को रू 2,22,534 करोड़ हैं।
- दिनांक 31 मार्च 2018 को रु. 1,50,999 करोड़ के मुकाबले सकल अग्रिम दिनांक 31 मार्च 2019 रु. 1,51,996 करोड़ रहा। बैंक ने अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो को जागरुकता के साथ दिनांक 31.03.201-8 को 66.14% के मुकाबले दिनांक 31.03.2019 को 67.20% सुधार करते हुए घरेलू अग्रिमों के रैम (रिटेल, कृषि और एमएसएमई) शेयर के साथ पुनर्संयोजित किया है।
- बैंक का परिचालन लाभ 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 3629.08 करोड़ के मुकाबले 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए 38.71% बढ़कर रु. 5033.87 करोड़ हो गया। आइओबी का परिचालन लाभ रु. 5033.87 करोड़ है जो अपने इतिहास में सबसे अधिक है।
- वर्ष के दौरान मुख्य रुप से 8772 करोड़- रु. के प्रावधान के कारण 31.03.2018 को समाप्त वर्ष वर्ष के लिए रु. 6299.49 करोड़ के मुकाबले 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध घाटा 40.66% घटकर रु. 3737.88 हो गया।
- जबकि 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए 21662 करोड़ रुपये के मुकाबले 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए कुल आय रु. 21838 करोड़ रहा, इसी अवधि के लिए ब्याज आय 17915 करोड़ रुपये के मुकाबले 17631 करोड़ रुपये रु. रहा, पिछले वर्ष के लिए 3746 करोड़ रु के मुकाबले 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए

INDIAN OVERSEAS BANK - CENTRAL OFFICE CHENNAI

Letter from Managing Director & Chief Executive Officer

Shri.R. Subramaniakumar, Managing Director & Chief Executive Officer

Dear Shareholders,

I have pleasure in presenting your Bank's Annual Report and financial statements for the year 2018-19. I would like to share with you the performance highlights of the Bank during the year as well as the outlook for the Bank going forward.

Economic Environment

- Inflation: While CPI eased to 3.5% in fiscal 19 due to decline in food inflation, it is expected to increase.
- 10 year G-sec yields to stay at similar levels due to inflows by foreign portfolio investors and liquidity support on expectations of further rate cut.
- Rupee may weaken modestly with relatively low oil prices and dovish monetary policy in advanced economies.
- Exports growth at 8.6% in fiscal 2019 slowed compared with 10% in last year. Uptick in exports of engineering goods and chemicals and readymade garments.
- GDP growth likely to moderate to 5.9 – 6.1% in the fourth quarter of fiscal 2019.

Banking Sector Performance

- FY 19 credit growth touches double digits at 12%.
- PSBs lending to large corporates is muted due to capital constraints.
- Credit to industry grew by 7%, of which large industry grew by 8.2%, followed by medium industries 2.6% and micro and small by 0.7%. Under services growth of 18%, maximum growth was observed under NBFC with 29%. Personal loan segment contributed 16% growth, of which credit card 28.6%, housing 19% followed by 6% on vehicle loan.
- Bond yields have eased mainly because of the central bank's bond purchases. Presently G-sec yield stands at 7.36% less than the 7.90% of Q1 18-19. Hence going forward, treasury earnings is slated to support operating profit growth to the PSBs.

Challenges & Way Forward

- Leveraging the global economic headwinds along with strong domestic demand and investment coupled with speedy resolution for bad assets will enable economic growth in general and banking sector in particular. The recovery rate for the 94 cases resolved through IBC by fiscal 2019 is 43% compare with 26.5% through other mechanisms. Recovery from NPA through IBC will enhance avenues for interest income.
- The implications of the US decision to end sanctions waiver to India on import of Iranian oil is expected to result in higher oil prices with the Rupee estimated to be under pressure and dollar outflows to increase as Iran has been one of India's top suppliers of crude oil over the years. In 2018-19, 10.9% of India's crude demands were met by imports from Iran. India imports 84% of its oil requirements and hence domestic prices are dependent on international market.
- Trade frictions between US and China remain a key monitorable.

Outlook for Banking Sector

The projected upward trajectory of the Banking sector is predicated on the reversal of two of the biggest challenges faced by the sector viz. asset quality and credit offtake. The Insolvency and Bankruptcy Code has been a game changer for the sector as it has shifted the balance of power from the borrower to the creditor and instilled credit discipline. For the banking sector, Gross NPAs are estimated to have declined 100 bps to around 10% by March 2019 from 11.5% at the end of fiscal 2018. Bank credit is expected to grow 14% in fiscal 2020 compared with 13% in Fiscal 2019 driven by strong growth in retail banking and services while corporate credit is expected to see a gradual pick-up. Recapitalisation of Public Sector Banks with some of them coming out of PCA is also expected to benefit the sector, as per CRISIL outlook.

➢ **Business and Financial Performance Highlights of your Bank – 2018-19**

- Total business stood at Rs. 3,74,530 crore as on 31st March 2019 as against Rs. 3,67,831 crore as on 31st March 2018
- Total deposits stood at Rs. 2,22,534 crore as on 31st March 2019 as against Rs. 2,16,832 crore as on 31st March 2018, by reducing high cost deposits and bulk deposits and increasing retail term deposits with a view to reduce the cost of funds and have a stable broad based deposit profile.
- Gross Advances stood at Rs.1,51,996 crore as on 31st March 2019, as against Rs. 1,50,999 crore as on 31st March 2018. The Bank has consciously rebalanced its credit portfolio with RAM's (Retail, Agri and MSME) share of total domestic advances improving from 66.14% as on 31.03.2018 to 67.20% as on 31.03.2019.
- Operating Profit of the Bank increased by 38.71% to Rs. 5033.87 crore for the year ended 31.03.2019 as against Rs. 3629.08 crore for the year ended 31.03.2018. **IOB's operating profit of Rs.5033.87 cr is the highest in its history.**
- Net Loss for the year ended 31.03.2019 decreased by 40.66% to Rs. 3737.88 crore as against Rs. 6299.49 crore for the year ended 31.03.2018 mainly due to provisions of Rs. 8772 crore made during the year.
- While Total Income for the year ended 31.03.2019 is Rs. 21838 crore as against Rs. 21662 crore for the year ended 31.03.2018, Interest Income stood at Rs. 17631 crore as against Rs. 17915 crore for the corresponding periods. Non Interest Income registered a growth of 12.28% and improved

4206 करोड़ रुपये गैर-ब्याज आय में सुधार हुआ एवं इसकमें 12.28% की वृद्धि दर्ज़ की गई ।

- कुल व्यय में 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए 6.82 % की कमीं हुई जो कि रु. 18033 करोड़ से घटकर 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 16804 करोड़ रहा।
- सकल एनपीए 31 मार्च 2018 को 25.28% के साथ रु. 38180 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2019 को 21.97% के साथ रु. 33398 करोड़ रहा सकल एनपीए मार्च 2018 के 25.28% से 331 बीपीएस से घटकर मार्च 2019 में 21.97 प्रतिशत हो गया।
- निवल एनपीए दिनांक 31.03.2018 को 15.33% अनुपात के साथ रु. 20,400 करोड़ के मुकाबले दिनांक 31.03.2019 को 10.81% के साथ रु. 14368 करोड़ है। निवल एनपीए मार्च 2018 के 13.56 % से 275 बीपीएस घटकर मार्च 2019 के लिए 10.81 % रह गया।
- वसूली के क्षेत्र में बैंक ने चहुंतरफा वसूली कर बेहतर किया है और वर्ष 2017-18 रू 15496 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018-19 में वसूली रू 14669 करोड़ रूपए रही।
- बैंक का कासा अनुपात 31.03.2018 को 36.75% (घरेलू 37.43%) के मुकाबले दिनांक 31.03.2019 को 38.30% (घरेलु 38.72%)के साथ सुधार करने में सक्षम रहा।
- एक वर्ष पूर्व 59.45% की तुलना में प्रावधान कवरेज अनुपात में दिनांक 31.03.2019 को 71.39% सुधार हुआ है।
- 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए लागत आय अनुपात 60.61% के मुकाबले 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए लागत आय अनुपात 46.93% है जो कि क्षमता को दर्शाता है।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए गैर ब्याज आय 17.30 % में 196 बीपीएस का सुधार हुआ एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए यह 19.26 % हो गई।
- 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए एनआइएम 2.08% रहा।
- 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए 5.49% के मुकाबले 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए जमा लागत अनुपात 5.39% है।

➢ **उच्चतम परिचालन क्षमता**

''उत्पादकता हमेशा उकृष्टता, बुद्धिमान योजना और केन्द्रित प्रयास के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम हैं''

बैंक के पास 9,435 संपर्क केन्द्र हैं (जिसमें 3280 शाखाएं, 3450 एटीएम और 2705 आईओबी मित्र) बैंक परिचालनात्मक क्षमता को परिचालन लाभ से मापा जाता है। अपने बैंकिंग परिचालन के 82 वर्षों के दौरान, बैंक ने वित्त वर्ष 18-19 के लिए बैंक ने रू 3,74,530 करोड़ के कारोबारी मिश्रण के साथ रु. 5034 करोड़ का उच्चतम परिचालन लाभ अर्जित किया। हानि वाली शाखाओं की संख्या वित्त वर्ष 2015 की 21.95% से घटकर वित्तीय वर्ष 2019 में 4.79% रह गई हैं।

शीर्ष पंक्ति परिसंपत्ति विविधीकरण और देयता प्रबंधन पर बैंक द्वारा किए गए टर्नअराउंड पहलों का परिणाम बैंक के पी & एल में परिलक्षित होता है।

खुदरा , कृषि तथा एमएसएमई पोर्टफोलियो पर जोर देने के साथ परिसंपत्तियों में विविधता लाने संबंधित दृष्टिकोण ने बैंक को घरेलू अग्रिम में रैम शेयर में मार्च 2017 के 58.74% से मार्च 2019 में 67.20% का सुधार करने में सक्षम किया । पूंजी संरक्षण और जोखिम कम करने के उपायों के साथ-साथ सीमा के भीतर तनावग्रस्त क्षेत्र के संपर्क को सीमित करने संबंधी उपाय जैसे एएए रेटिंग वाले उधारकर्ताओं और सरकार के गारंटी वाले खातों को उधार देने, ज्वैलरी और हाउसिंग लोन सेगमेंट जैसे कम जोखिम वाले वेट एसेट्स पोर्टफोलियो पर ध्यान देने से पुनर्संतुलन के प्रयासों ने बैंक की जोखिम भारित आस्तियां वित्तीय वर्ष 2017 की रू 1,69,148 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019 में घटकर रू 1,22,585 करोड़ रह गईं जबकि औसत उधार रू 1,63,451 रहा। अग्रिमों के प्रति जाखिम भारित आस्तियों का अनुपात 107.89 % से घटकर 80.65% रह गया एवं अग्रिमों के प्रति जाखिम भारित आस्तियों का अनुपात वित्तीय वर्ष 2017 के 88.44% से कम होकर 62.41 % हो गया ।

49762 चालू खाता ग्राहकों और 19,05,816 बचत खाता ग्राहकों को जोड़ते हुए बैंक ने उच्चतर कासा सहित अपने ग्राहक आधार में वृद्धि की है जहां मार्च 16 में कासा का प्रतिशत 28.72 % था वहीं मार्च 19 में यह बढ़कर 38.30 प्रतिशत हो गया।
इससे जमाओं की लागत संबंधित अवधि के दौरान 7.11 % से घटकर 5.39 % हो गई।

आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन के तहत बैंक ने सकल एवं निवल एनपीए को कम करने में तिमाहीवार सतत वृद्धि दिखाई है एवं प्रावधान कवरेज अनुपात वित्तीय वर्ष 2017 के 53.63 % से बढ़कर 71.39 % हो गए हैं। गैर भेदभाव पूर्ण एवं गैर विवेकाधिकार पूर्ण ओटीएस निपटानों, एसएमए खातों के सूक्ष्म प्रबोधन और खातों में समय पूर्व सावधानी सूचकोंकी पहचान जैसे एनपीए प्रशासन के स्वचालन में नए स्लिपेजों को रोकने और एनपीए की वसूली में वृद्धि करने में बैंक की मदद की है।

बैंक के प्रशासनिक खर्च शाखाओं और एटीएम, किराया लेखा परीक्षा की अवधारणा, स्पेस ऑडिट और स्वच्छ लेखा परीक्षा ने किराए की कमीं करने में और परिवेश में सुधार लाने में मदद की। बैंक ने शुल्क आधारित आय और खाता निपटान से वसूली के माध्यम से लगातार अन्य आय के अवसरों को बढ़ाया है। जैसे कि कुल आय में गैर ‑ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2017 में 14% थी जो विव 2019 में बढ़कर 19% हो गई।

चालू बैंकिंग परिवेश में शुल्क आधारित आय राजस्व का प्रमुख स्रोत है। हमारे बैंक ने एक केंद्रीकृत रवैये के जरिए शुल्क आधारित आय को बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रयास किए और यहां यह व्यक्त करना उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2018 ‑19 के लिए हमारे बैंक ने रू 1426.00 करोड़ की शुल्क आधारित आय अर्जित की है जो गैर ब्याज आय का 33.92 % है।

इन बदलावों की पहल से बैंक को वित्त वर्ष 2017 में 57.37% से वित्त वर्ष 2019 में 46.93% आय अनुपात में सुधार को दर्शाते हुए उच्चतम परिचालन दक्षता प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया है। यह बेंचमार्क परिचालन लाभ और एनसीएलटी रिज़ॉल्यूशन खातों से तेजी से रिकवरी, बैंक सकारात्मक आरओए प्राप्त करने के लिए लक्ष्य पर है।

पिछले 3 वर्षों से सतत बाधाओं के बावजूद सभी व्यावसायिक मानकों में निरंतर सुधार से बैंक इस कीर्तिमान को हासिल कर सका। वित्त वर्ष 2020 में सभी हित धारकों का महत्व बढ़ाने के लिए बैंक अपने प्रदर्शन को बनाए रखने और यहां तक कि अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए तैयार है।

टर्नअराउंड पहल

जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक पिछले दो वर्षों में विभिन्न संरचनात्मक मुों को हल करने और वित्तीय सुधार के लिए रणनीतियों को विकसित करने के लक्ष्य के प्रति काम कर रहा है। इस दिशा में बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के परिणाम नीचे दिए गए हैंः

जारी	टर्नअराउण्ड पहल	परिणाम
उच्च थोक जमा और जमा की उच्च लागत	रिटेल आवधि जमा और कासा के साथ रीबैलेंसिंग करके बल्क जमाओं में कमी। कुल जमा राशि बनाए रखना	वित्तीय वर्ष 2019 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015 में थोक जमा में 68% की कमी आई है। 31.03.2019 को कासा में 38.30% सुधार हुआ और रिटेल टर्म डिपॉजिट 18% बढ़ा
कॉरपोरेट बुक में उच्च सांद्रता के कारण उच्च जोखिम वाली परिसंपत्तियों का जन्म हुआ।	पूंजी को संरक्षित करने और रैम में वृद्धि करने के लिए आरडब्ल्यूए को कम करके पोर्टफोलियो को पुनः व्यवस्थित करना। ऋण वितरण के मानकीकरण और टीएटी में सुधार के लिए ऋण प्रसंस्करण का स्वचालन	31.03.2019 तक आरडब्ल्यूए घटकर रु. 1,22,585 करोड़ हो गया। मार्च '15 में आरडब्लूए कुल अग्रिम 108.56% से घटकर मार्च '19 तक 80.65% हो गया। मार्च '15 में कुल अग्रिम के लिए क्रेडिट रिस्क 94.57% से घटकर मार्च 19 तक 62.41% हो गया। रैम पोर्टफोलियो मार्च के '15 में 48.83% से बढ़कर मार्च '19 तक 67.20% हो गया

to Rs. 4206 crore for the year ended 31.03.2019 as against Rs. 3746 crore for the previous year.

- Total Expenditure declined by 6.82% from Rs. 18033 crore for the year ended 31.03.2018 to Rs. 16804 crore for the year ended 31.03.2019.
- Gross NPA as at 31st March 2019 is at Rs. 33398 crore with ratio of 21.97% as against Rs. 38180 crore with ratio of 25.28% as on 31st March 2018. GNPA reduced by 331 bps from 25.28% as at March '18 to 21.97% as at March '19.
- Net NPA is Rs. 14368 crore with ratio of 10.81% on 31.03.2019 as against Rs. 20,400 crore with ratio at 15.33% as on 31.03.2018. NNPA reduced by 275 bps from 13.56% as at March '18 to 10.81% as at March '19.
- On the Recovery front, the Bank has performed well by clocking recovery of around Rs. 14669 crore for FY 2018-19 as against Rs. 15496 crore for FY 2017-18.
- The Bank was able to improve CASA ratio to 38.30% (Domestic 38.72%) as on 31.03.2019 as against 36.75%(Domestic 37.43%) as on 31.03.2018.
- Provision Coverage Ratio has improved to 71.39% as on 31.03.2019 from 59.45% a year back.
- Cost to Income Ratio is 46.93% for the year ended 31.03.2019 as against 60.61% for the year ended 31.03.2018, which is the measure of efficiency.
- Non Interest Income to Total Income improved by 196 bps from 17.30% for FY 2017-18 to 19.26% for FY 2018-19
- NIM stood at 2.08% for the year ended 31.03.2019.
- Average Cost of Deposit is 5.39% for the year ended 31.03.2019 as against 5.49% for the year ended 31.03.2018.

➢ **Highest operational efficiency**

"Productivity is always the result of a commitment to excellence, intelligent planning and focused effort"

The Bank with 9,435 touch points (3280 branches, 3450 ATM & 2705 IOB Mitras) showcased better operational efficiency measured in terms of operating profit. During the 82 years of its banking operations, the Bank benchmarked **highest operating profit to the tune of Rs.5034 crores for FY 18-19**, with business mix of Rs.3,74,530 crores. The number of loss incurring branches has reduced from 21.95% in FY15 to 4.79% in FY19.

The outcome of the turnaround initiatives taken by the Bank on top line asset diversification and liability management is reflected in the P&L of the Bank.

Focused approach on diversifying the assets with thrust on Retail, Agri & MSME portfolio enabled the Bank to improve the RAM share in domestic advances from 58.74% in March'17 to 67.20% in March'19. This rebalancing effort along with capital conservation and risk mitigant measures like limiting the exposure to stressed sector within the threshold, lending to AAA rated borrowers and government guaranteed accounts, concentration of low risk weight assets portfolio like jewel and housing loan segments helped the Bank to substantially reduce the risk weight assets from Rs. 1,69,148 crore in FY 17 to Rs. 1,22,585 crore in FY 19, while the average credit moved around Rs.1,63,451 crores. The RWA to Advances ratio declined from 107.89% to 80.65% and credit risk weight assets to advance ratio from 88.44% to 62.41% for FY 19 over FY 17.

Bank increased the customer base by adding 49762 Current A/c customers and 19,05,816 Savings A/c customers with higher CASA, from 28.72% in Mar'16 to 38.30% in Mar'19 thereby reducing the cost of deposits from 7.11% to 5.39% during the corresponding period.

Under Asset Quality management, the Bank showed quarter wise consistent improvement in reducing the GNPA & NNPA and upgraded the provision coverage ratio from 53.63% in FY 17 to 71. 39% in FY19. Automation of NPA administration like non discriminatory and non discretionary OTS settlement, close monitoring of SMA accounts and identifying the early warning signal accounts helped the Bank to contain fresh slippages and improved the NPA recovery.

The Bank's administrative expenses are well contained through rationalization of branches & ATMs, concept of rent audit, space audit and cleanliness audit enabled reduction of rent and improved the ambience. Bank consistently augmented the avenues of other income through fee based income and recovery from written off accounts.

Fee Based Income is one of the major revenue drivers in the current banking environment. Our Bank has made various efforts to improve the fee income by a focused approach and it is noteworthy to mention that for the FY 2018-19 our Bank earned a Fee Based income of Rs.1426 crores which is 33.92% of Non-interest Income.

These turnaround initiatives have enabled the Bank to attain highest operational efficiency reflecting the improvement in cost to income ratio from 57.37% in FY 17 to 46.93% in FY 19. With this benchmark operating profit and speedy recovery from NCLT resolution accounts, the Bank is on target to achieve positive ROA.

Continuous improvement in all business parameters constantly despite constraints for the last 3 years enabled the Bank to achieve this milestone. The Bank is on course to sustain and even improve its performance to bring value to all stake holders in FY 20.

Turnaround Initiatives

As you are aware the Bank has been working towards the goal of turnaround in the last two years by addressing various structural issues and evolving strategies to improve the financials. The outcomes of the steps taken by the Bank towards this end are detailed below :

Issues	Turnaround Initiatives	Outcome
High Bulk Deposits and High Cost of Deposits	Reduction of Bulk Deposits by rebalancing with Retail Term Deposits and CASA. Maintaining the Total Deposits	Bulk Deposits reduced by 68% in FY 19 over FY 15. CASA improved to 38.30% as on 31.03.2019 and Retail Term Deposit grew by 18%
High Concentration on Corporate Book led to higher risk weight assets.	Rebalancing the portfolio by reducing the RWA to conserve capital and increasing RAM. Automation of loan processing to achieve standardisation of loan delivery and improving TAT	RWA reduced to Rs. 1,22,585 crore as on 31.03.2019 RWA to Total Advances declined from 108.56% in March '15 to 80.65 % as of March '19. Credit Risk to Total Advances reduced from 94.57% in March '15 to 62.41% as of March '19. RAM portfolio increased from 48.83% in March '15 to 67.20% as of March '19

जारी	टर्नअराउण्ड पहल	परिणाम
तनावग्रस्त क्षेत्र पर संकेन्द्रण	बैंक ने स्ट्रेस्ड सेक्टर न्यूनतम खाते के नीचे और बीबी और नीचे रेट किए गए खातों में नए एक्सपोज़र नहीं लेने की नीति विकसित की है। जहाँ भी संभव हो, बैंक तनावग्रस्त क्षेत्रों में खातों से बाहर निकल गया है।	तनावग्रस्त क्षेत्र के लिए एक्सपोजर अच्छी तरह से नियंत्रण में है।
पीसीए दिशानिर्देशों के अनुसार शाखा विस्तार पर अंकुश लगाया गया था। मार्च 2015 तक बैंक की 3381 घरेलू शाखाएँ और 171 प्रशासनिक कार्यालय थे।	खर्चों को नियंत्रित करने और दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों का विलय / बंद किया जाता है।	मार्च 2019 तक शाखाओं और प्रशासनिक क्षेत्र कार्यालयों की संख्या क्रमशः 3280 और 64 थी। मार्च 18 में 13.10 करोड़ रुपये के मुकाबले मार्च 19 में 14.21 करोड़ रुपए तक व्यवसाय प्रति कर्मचारी में सुधार हुआ।
एटीएम युक्तिकरण, परिचालन व्यय की उच्च लागत, निम्नतम उपलब्धता सहित एटीएम की आउटसोर्सिंग	विक्रेता आधारित एटीएम सेवाओं को बैंक परिचालित एटीएम सेवाओं में परिवर्तित किया गया जिससे समय और उपलब्धता क्रमबद्ध हुई।	बैंक ने परिचालन व्यय को कम किया और एडीसी निष्पादन में सुधार लाया।
पीसीए दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारी भर्ती शुरू नहीं की गई थी। 31 मार्च 2015 को कर्मचारियों की संख्या 32118 थी	टैलेंट पूल एक्ज़िट को पाटने के लिए विभिन्न स्तरों पर उत्तराधिकार योजना और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए।	कर्मचारियों को गहन क्रेडिट प्रशिक्षण दिया गया। 31.03.2019 तक कर्मचारियों की संख्या 26349 है। वित्तीय वर्ष 19 के दौरान 81 महा प्रबंधकों और उप महा प्रबंधकों को मुम्बई स्थित टीआइएसएस में लीडरशिप प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आय अनुपात की लागत 55.84% अधिक रही	ब्याज व्यय में कमी, गैर-ब्याज आय में वृद्धि, कर्मचारियों के खर्च में कमी और अन्य व्यय का नियंत्रण	मार्च '18 तक बैंक के लिए आय अनुपात में 60.61% से 1368 बीपीएस की कमी आई और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए यह 46.93% रहा।
मार्च 2015 तक परिचालन लाभ रु. 3,322 करोड़ था	शाखाओं और एटीएम का युक्तिकरण, थोक में कटौती और सीएएसए में वृद्धि, भर्ती का पालन, राजस्व इकाइयों का स्वचालन आदि।	31.03.2019 तक परिचालन लाभ बढ़कर रु.5034 करोड़ हो गया। एनआईआई और एनआईएम में सुधार हुआ।
वित्तीय वर्ष 2014-15 में एनपीए प्रावधान रु.3529 करोड़ तक रहा	बैंक ने 100% प्रावधान किए गए खातों से वसूली पर ध्यान केंद्रित किया। स्लिपेज की सतत निगरानी, प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के माध्यम से ओटीएस का निपटान, कंसोर्टियम / सोल बैंकिंग खातों के एआरसी को बिक्री शुरू करना जैसे कुछ उपाय लिए गए थे ।	प्रावधान, 2018-19 के लिए बढ़कर 9881 करोड़ हो गए। एनपीए की जल्द पहचान के चलते प्रावधान में वृद्धि, अन्य डेबिट, एक्यूआर जैसे विनियामक परिवर्तन और पुनर्गठन योजनाओं की शीघ्र मान्यता के कारण थी। क्रेडिट लागत (फ्रेश स्लीप्पेजेस) 1.12% से 0.53% तक नियंत्रित की गई।
वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान निवल घाटा रु.454 करोड़ था जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए रु.6299 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2017 और वित्तीय वर्ष 2018 में अधिक नुकसान एक्यूआर और फरवरी '12 परिपत्र के कारण हुआ।	परिचालन मुनाफे में वृद्धि की दिशा में किए गए प्रयासों से बैंक का नुकसान कम करने और उच्च ऋण हानि कम करने में मदद मिली।	पिछले वर्ष की तुलना में 40.66% की कमी के साथ 2018-19 के लिए निवल घाटा रु. 3738 करोड़ तक नियंत्रित रहा।
वित्तीय वर्ष 2015 में सकल एनपीए रु.14922 करोड़ पर था जो कि वित्तीय वर्ष 2018 में बढ़कर रु.38,180 करोड़ हो गया। इसी अवधि के लिए स्लीपेज रु12,016. करोड़ से बढ़ कर रु.16,379 करोड़ हो गया। वृद्धि संशोधित नियामक दिशानिर्देशों और एनपीए की प्रारंभिक मान्यता के कारण हुई थी।	ऑटोमेशन के माध्यम से स्लिपेज और मजबूत रिकवरी चैनलों की व्यवस्था शुरू की गई है। बैंक की गैर-विवेकाधीन और गैर-भेदभावपूर्ण ओटीएस नीति के मानकीकृत अनुपालन के लिए संपूर्ण ओटीएस प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया गया है। एनपीए डेटा प्रबंधन सीबीएस एकीकरण के साथ स्वचालित, मासिक एनपीए मान्यता और वसूली के लिए ध्यान केंद्रित किया गया।	प्रावधान कवरेज अनुपात मार्च '18 में 59.45% से बढ़कर मार्च '19 में 71.39% हो गया। मार्च '18 के अंत तक जीएनपीए 25.28% से 331 बीपीएस घटकर मार्च '19 तक 21.97% हो गया। मार्च '18 तक एनएनपीए 13.56% से 275 बीपीएस घटकर मार्च के '19 तक 10.81% हो गया।

आगे , बैंक ने टर्नअराउंड रणनीति को लागू करने के लिए कई अन्य सकारात्मक कदम उठाए हैंजो निम्नलिखितहै

प्रौद्योगिकी स्थिरीकरण

- टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म को सक्रिय आंतरिक हेल्प डेस्क टीम द्वारा स्थिर किया जाता है और महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों को वेंडर से कराने के बजाय सक्रिय आंतरिक हेल्प डेस्क टीम द्वारा किया जाता है।
- सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एसटीपी स्थापित किया गया है तथा सभी घरेलू कार्यों के लिए एकीकृत जी. एल.।
- विदेशी केन्द्रों सहित पूरे बैंक को फिनेकल सोफ़्टवेयर के तहत लाया गया है।
- विश्लेषणात्मक टूल के साथ सुरक्षित एमआईएस की स्थापना की गयी है।
- डिजिटलाइजेशन की दिशा में बैंक के निरंतर प्रयासों की प्रशंसा की गयी है।
- ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र को सम्पूर्ण स्वचालन के लिए पीएसबी के बीच सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में स्वीकार किया गया है।

अभिशासन

- सभी क्षेत्रों में नीतियों को लागू किया गया और उन नीतियों का समय पर नवीनीकरण सुनिश्चित किया गया।
- बोर्ड स्तर पर नियमित समीक्षा द्वारा संस्थागत सुधार किया गया।
- विभिन्न कार्यकारी स्तर और बोर्ड समितियों के साथ-साथ बोर्ड द्वारा निरीक्षण के माध्यम से निरंतर समीक्षा करते हुए जोखिम प्रबंधन को मजबूत किया गया है।
- वैश्विक अनुपालन, वैश्विक ऋण निगरानी समीक्षा और वैश्विक आंतरिक नियंत्रण समीक्षा के लिए वैश्विक आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ALCO) को स्थापित किया गया है।

Issues	Turnaround Initiatives	Outcome
Concentration on stressed sector	Bank has evolved a policy of not taking fresh exposures in stressed sectors, below hurdle rate accounts and BB and below rated accounts. Bank has also exited from accounts in the stressed sectors, wherever feasible.	Exposure to stressed sector is well contained.
Branch Expansion was curtailed as per PCA guidelines. The Bank had 3381 domestic branches and 171 Administrative Offices as of March 2015.	Branches & Admin Offices are merged/ closed with a view to control the expenses and improve efficiency.	The number of branches and admin offices stood at 3280 & 64 respectively as of March 2019. The Business per employee improved to Rs. 14.21 crores as of March '19 as against Rs. 13.10 crores as of March '18.
ATM Rationalisation High cost of operational expenses, ATM outsourced with low availability.	Shifting of ATM services from vendor based to Bank operated ATMs, improving uptime / availability	Bank has contained operational expenditure and improved ADC performance.
Staff Recruitment was not initiated as per PCA guidelines. Staff strength as on 31st March 2015 stood at 32118	Succession Plans and Training Programs were initiated at various levels to bridge the gap of talent pool exit.	Intensive Credit training was given to employees. Staff strength stands at 26349 as on 31.03.2019. Leadership Training was imparted to 81 GMs and DGMs at TISS, Mumbai in FY '19.
Cost to Income Ratio stood higher at 55.84% for FY 2014-15	Decline in Interest Expenditure, Increase in Non Interest Income, reduction in Staff expenses and containment of Other Expenses	Cost to Income Ratio for the Bank reduced by 1368 bps from 60.61% as at March '18 and stood at 46.93% for FY 2018-19.
Operating Profit as on March 2015 stood at Rs. 3,322 crores	Rationalisation of Branches & ATMs, Reduction in Bulk and Increase in CASA, Curtailing of Recruitment, Automation of Revenue Channels etc.	Operating Profit increased to Rs.5034 crores as of 31.03.2019. Improved NII & NIM.
NPA provisions stood at Rs. 3529 crores in FY 2014-15	Bank focused on recovery from 100% provided accounts. Continuous monitoring of Slippages, OTS settlements through technology platforms, initiating Sale to ARC of Consortium/Sole Banking accounts were some of the measures taken.	Provisions increased to Rs.9881 crores for 2018-19. The increase in provision was due to early recognition of NPA, Other Debits, Regulatory Changes like AQR & Withdrawal of Restructuring schemes. Credit cost (fresh slippages) well contained from 1.12% to 0.53%.
Net Loss during FY 2014-15 stood at Rs.454 crores peaked to Rs. 6299 crores for FY 2017-18. The higher loss in FY 2017 & FY2018 could be attributed to AQR and Feb'12 circular.	The efforts taken towards increase in operating profits helped the Bank to reduce the losses and provide for higher loan loss.	Net Loss was contained to Rs. 3738 crore for 2018-19 with reduction by 40.66% over the previous year
Gross NPA stood at Rs. 14922 crores for FY 2015 which increased to Rs. 38,180 crores in FY 2018. Slippages for the same period increased from Rs. 12,016 crores to Rs. 16,379 crores. The increase was due to revised regulatory guidelines and early recognition of NPA	Arresting of slippages and robust recovery channels are initiated through automation. Entire OTS process has been automated for standardized compliance of non-discretionary and non-discriminatory OTS policy of the bank. NPA data management automated with CBS integration, leading to monthly NPA recognition & brought focus to recovery.	Provision Coverage Ratio increased from 59.45% as at March '18 to 71.39% as at March '19. GNPA reduced by 331 bps from 25.28% as at March '18 to 21.97% as at March '19. NNPA reduced by 275 bps from 13.56% as at March '18 to 10.81% as at March '19.

Further, the Bank has taken several other positive steps in the course of implementing its Turnaround Strategy including the following :

Stabilisation of Technology

- Technology platform is stabilized by active in house help desk team and taking over of critical functional areas from vendors.
- STP established with all critical areas, unified GL for all domestic operations.
- Entire bank brought under Finacle including overseas centres.
- Strong MIS with analytical tool established.
- Bank's sustained efforts towards digitalization have earned it laurels
- Customer grievance redressal mechanism introduced with total automation has been acknowledged as best practice among the PSBs.

Governance

- Introduced policies in all areas and ensured timely renewal of those policies.
- Institutionalized reforms by regular review at board level.
- Risk Management has been strengthened with constant and continuous review through various Executive level and Board Committees as well as oversight by Board.
- Established Global ALCO, Global Compliance, Global credit monitoring review and Global internal control review.

अनुपालन कार्य

- अनुपालन कार्य को स्वचालित टूल के माध्यम से मॉनिटर किया जाता है ।
- मुख्य अनुपालन अधिकारी, कार्यकारी निदेशक को रिपोर्ट करते हैं और त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) सहित नीति मंजूरी और शासन की बैठकों में प्रभावी रूप से भाग लेते हैं ।
- अनुपालन कार्य की बोर्ड द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ।

आतंरिक नियंत्रण

- जोखिम आधारित ऑडिट / समवर्ती लेखा परीक्षा मानकीकृत सॉफ्टवेयर के माध्यम से आयोजित की जाती है ।प्रबंधन ऑडिट को फिर से मजबूत बनाया गया है और जोखिम आधारित टेम्पलेट के साथ केंद्रीय कार्यालय में प्रत्येक विभाग के लिए विशिष्ट समय रेखा के साथ आयोजित किया जाता है ।
- ऑफ-साइट सर्विलांस यूनिट की स्थापना की गयी है ।
- समवर्ती कार्यात्मक लेखा परीक्षा और सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा, डेटा सेंटर में आरम्भ की गई है ।
- संपूर्ण फॉरेक्स ऑपरेशन को केंद्रीयकृत किया गया है और समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली के माध्यम निगरानी से किया जाता है ।
- ओ सी ए एस (ऑफसाइट नियंत्रण और निगरानी) को स्थापित किया गया जो अलर्ट जनरेट करता है ।लेखापरीक्षा के लिए मैन्युअल बनाया गया है ।

ऋण निगरानी

- अंचल कार्यालयों में क्रेडिट मॉनिटरिंग विभाग की स्थापना की गयी है जो क्रेडिटनिरीक्षण के लिए विभिन्न निरीक्षण रिपोर्ट जैसे : - के.का. निरीक्षण रिपोर्ट, कानूनी ऑडिट, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, स्टॉक ऑडिट आदि को भी संबद्ध करती है ।
- प्रारंभिक चेतावनी संकेत की निगरानी एक स्ट्रांग टेम्प्लेट आधारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है, जिसमें लेन-देन संबंधी संकेतों को स्वचालित रूप से कैप्चर कर लिया जाता है ।
- एसएमए खाते को शाखा के प्रत्येक कर्मचारी को अनुवर्ती कार्य और वसूली के लिए आवंटित किए जाते हैं और एक विशेष ऑनलाइन कलर कोडेड पोर्टल को शुरु किया गया है जो दैनिक आधार पर उक्त कार्य को अद्यतन कर देता है ।
- ईडब्ल्यूएस (अर्ली वार्निंग सिग्नल) और रेड फ्लैगिंग अलर्ट की समीक्षा के लिए अभिशासन और निगरानी प्रणाली शुरू की गयी है ।

जोखिम प्रबंधन

- बैंक में पहले से चल रहे 4 मॉड्ल के मुकाबले 11 जोखिम रेटिंग मॉडल शुरु किए गए हैं ।
- सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (MSME) और एग्रीकल्चर के तहत 10 लाख रुपये के ऋण के लिए एंड-टू-एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑटोमेशन द्वारा क्रेडिट और ऑपरेशनल रिस्क को कम किया गया है और रिटेल ऋण के रिस्क को कम करने के लिए स्कोरिंग मॉडल तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा कृषि के लिए रिस्क रेटिंग मॉडल अपनाया गया है ।
- भारत सरकार द्वारा पूंजी लगाने के बाद बैंक न्यूनतम विनियामक पूंजी आवश्यकता और लीवरेज अनुपात का अनुपालन करता है ।

आईटी सुरक्षा

- अत्याधुनिक सुरक्षा ऑपरेशन केंद्र (एसओसी) की स्थापना की गयी है और सहसंबंध नियमों को लगातार परिभाषित और अद्यतन किया गया है ।
- सिक्योरिटी इंटीग्रेटर नियुक्त किया गया है तथा और सी आई एस ओ (CISO) की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गयी है ।
- सूचना सुरक्षा और सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा के लिए विशेष अधिकारियों की भर्ती की गयी है ।

टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ देयता प्रबंधन के लिए पहल

- बैंक कासा (CASA) और रिटेल टर्म डिपॉज़िट पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए और थोक और उच्च लागत जमा को कम करके देयता पक्ष को पुनः संतुलित कर रहा है । अतः जमा लागत में गिरावट आई है ।
- 85% शाखाओं में 10 करोड़ रुपये से अधिक का बिज़नेस मिक्स (कारोबार मिश्रण) है । नए जमा उत्पादों जैसे आइओबी सरल, आइओबी सुविधा, आइओबी अस्सी प्लस आदि ने खुदरा अवधि जमा (रेटेल टर्म डिपोजिट) में वृद्धि किया है ।

आस्ति का विविधीकरण

- रैम की वृद्धि और उच्च जोखिम वाले कॉर्पोरेट ऋण में कमी के साथ बेहतर शुद्ध ब्याज आय ।
- कुल आय में गैर-ब्याज आय का बेहतर प्रतिशत हिस्सा, शुल्क आधारित आय के तहत प्रदर्शन और तकनीकी रूप से एनपीए खाते को बट्टे खाते मे डालकर ।
- उच्च जोखिम वाले कॉर्पोरेट्स से बाहर निकलकर समग्र क्रेडिट पोर्टफोलियो में रैम की हिस्सेदारी को बढ़ाना ।
- तनावग्रस्त सेक्टर के एक्सपोज़र को लगातार नियंत्रणॅ में रखना ।
- क्रेडिट और विदेशी मुद्रा में प्रशिक्षित श्रमशक्ती का एक बड़ा पूल बनाना ।
- टॉपलाइन ग्रोथ में ज्यादा विस्तार के बिना ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार हुआ है ।
- लागत - आय अनुपात की दक्षता मीट्रिक काफी कम हुई है ।

परिचालन दक्षता :

- मार्च 2014 में बैंक के पास 772 घाटे वाली शाखाएं थी जो कि शाखा विस्तार के तात्कालिक प्रभावों में से एक थी । प्रशासनिक स्तर पर निरंतर किए गए अनुवर्तन और शाखा स्तर पर किए गए प्रयासों के फलस्वरुप जहाँ मार्च 2014 में 772 शाखाएं घाटे में थी उसकी संख्या कम होकर मार्च 2019 में 157 रह गयी । जोखिम के विविधता के वनस्पति उपज स्तर में सुधार के लिए खुदरा और एमएसएमई उधार पर अधिक जोर दिया गया है । घाटे वाली शाखाओं को लाभप्रद शाखाओं में बदलने के लिए, बैंक लगातार ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा ।
- बैंक ने आर ए एम पर ध्यान केंद्रित करके अग्रिम पोर्टफोलियो के पुनर्संतुलन द्वारा आर डब्लू ए को कम किया, आई बी पी सी के माध्यम से उच्च जोखिम भारित वाले अग्रिमों को बेचकर , सभी खातों के लिए उपलब्ध (वित्तीय संपार्श्विक, मार्जिन आदि) को खाता के मास्टर में प्रविष्ट किया गया और समाप्त साख पत्र / एलजी का उन्मूलन किया गया ।
- बैंक ने परिचालन दक्षता में सुधार, परिचालन व्यय को कम करने और मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 248 शाखाओं / कार्यालयों को बंद / विलय कर दिया है ।
- एटीएम युक्तिकरण योजना के तहत प्रबंधित सेवा (MS) मॉडल (31.03.2018 को) के तहत 903 ओपैक्स मॉडल के एटीएम को कम हिट के कारण कैपेक्स CAPEX में बदल दिया गया / बंद कर दिया गया । इसके कारण विक्रेताओं पर निर्भरता कम से कम हो गई है।
- व्यय नियंत्रण में किराए के लिए पुनः बातचीत और शाखाओं में अतिरिक्त स्थान को वापस करना शामिल है, कम किराए वाले परिसर में शाखाओं का स्थानांतरण, सौर ऊर्जा जैसे गैर-पारंपरिक स्रोतों से बिजली के स्रोत और ऊर्जा के लिए कुशल बिजली उत्पादों के उपयोग से प्रकाश व्यवस्था के खर्चों में कमी ,वाहन का खर्च कम हुआ, जारीकर्ता शुल्क में कमी (अन्य बैंक एटीएम में हमारे डेबिट कार्ड का उपयोग करके हमारे ग्राहकों के लिए आइओबी द्वारा अन्य बैंकों को देय शुल्क), ग्रीन पिन की शुरूआत, वीज़ा स्विचिंग शुल्क में कमी ।

एनपीए प्रबंधन :

- सीबीएस के साथ एकीकृत उचित विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ मजबूत एनपीए डेटा बेस ।
- बैंक की गैर-विवेकाधीन और गैर-भेदभावपूर्ण ओटीएस नीति के मानकीकृत अनुपालन के लिए संपूर्ण ओटीएस प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया गया है। इससे पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में ओटीएस निपटान की संख्या दोगुनी हो गई।
- एनपीए की गिरावट में लगातार कमी हुई है और वर्तमान में प्राप्त की गई वसूली गिरावट से काफी अधिक है ।
- जीएनपीए और एनएनपीए द्वितीय तिमाही 18 के बाद से लगातार कम हो रहा है (पुनर्गठन खातों पर आरबीआई संशोधित दिशानिर्देशों के कारण Q4-18 को छोड़कर)।

Compliance Function

- Compliance function is monitored through automated tool.
- Chief Compliance officers report to Executive Director and effectively participate in policy clearance and governance meetings including PCA.
- The compliance function is reviewed regularly by the Board

Internal Controls

- Risk Based Audit/concurrent audit is conducted through standardized software. Management audit has been revamped and is conducted for each department at central office with specific time line along with risk based template.
- Off-site surveillance unit established
- Concurrent functional audit and information security audit introduced at data center
- Entire FOREX operation centralized and monitored through concurrent audit system.
- OCAS (Offsite Control And Surveillance) established which generates alerts. Manuals introduced for audit.

Credit Monitoring

- Credit Monitoring Department established at Zonal Offices. The team also correlates various audit reports like CO Inspection Report, Legal Audit, Long Form Audit Report, Stock Audit etc for credit related observations.
- Early warning signal is monitored through a strong template based online portal wherein the transaction related signals are captured automatically.
- SMA accounts are allotted to every employee at branch for follow up and recovery and a special online color coded portal introduced, which is updated on a daily basis.
- Governance and monitoring system introduced for review of EWS (Early Warning Signal) and red flagging alert.

Risk Management

- Introduced 11 risk rating models as against the earlier 4 models operating in the Bank.
- Reduced the credit and operational risk by automating end-to-end digitalisation of loans under MSME and Agriculture up to Rs.10 lakhs and retail with risk scoring model for retail and risk rating model for MSME and agriculture
- Bank complied with minimum regulatory capital requirement and leverage ratio after the capital infusion by the Government of India.

IT Security

- State of art Security Operation Centre (SOC) established and correlation rules are continuously defined and updated.
- Appointed Security Integrator and ensured independence of CISO
- Specialist officers are recruited for Information Security and Information System audit.

Initiatives on Top Line & Bottom Line Growth

Liability Management

- Bank is rebalancing the liability side by focusing more on CASA and Retail Term Deposits and reducing the bulk and high cost deposits. As such Cost of Deposits declined.
- 85% of the branches are having more than Rs.10 crore business mix. Introduction of new deposit products like IOB Saral, IOB Suvidha, IOB Eighty Plus etc. has enabled Retail Term Deposit growth.

Asset Diversification

- Improved Net Interest Income with increase of RAM and reduction of high risk corporate loan.
- Improved the percentage share of non-interest income to total income, with consistent performance under fee based income and realization from technically written off NPA account.
- Increased the share of RAM in the overall credit portfolio by exiting high risk corporates.
- Contained exposure to stressed sector continuously.
- Created large pool of credit and forex trained manpower.
- Operating profit has improved without much expansion in topline growth.
- The efficiency metric of cost to income ratio has reduced considerably.

Operational Efficiency

- The Bank had 772 loss incurring branches in March 2014 which was one of the immediate effects of rapid branch expansion. The continuous follow up from the administrative layers and efforts taken at the branch level has helped to reduce the number of loss incurring branches from 772 branches in March 2014 to 157 branches in March 2019. Higher thrust on Retail and MSME lending is laid down to improve the yield level apart from diversification of the risk. The Bank would continue to focus closely on the loss incurring branches towards reporting a profitable trend.
- Bank reduced RWA by Rebalancing of advances portfolio by focusing on RAM, offloaded advances by way of selling higher risk weighted advances through IBPC, capturing available mitigants (financial collateral, margin etc.) for all accounts in the account master and elimination of the expired LCs/LGs.
- Bank had closed/merged 248 Branches/offices with a view to improve efficiency in operations, reduce the operational expenditure and ensure optimum utilization of human resources.
- Under ATMs rationalization plan 903 Opex Model ATMs under the Managed Service (MS) model (as on 31.03.2018) were converted to CAPEX /closed due to low hits. Due to this, dependency on vendors has been minimized
- Expenditure Control includes renegotiation of Rent and surrender of excess space in Branches, Shifting of Branches to premises with lesser rent, reduction in lighting expenses by sourcing of electricity from non-conventional sources like Solar power & usage of energy efficient electricity products, Vehicle expenses were reduced, reduction in issuer charges (Charges payable by IOB to other Banks for our customers using our debit cards in other Bank ATMs), introduction of green pin, reduction in Visa switching fee.

NPA Management

- Strong NPA data base with appropriate analytical tools integrated with CBS.
- Entire OTS process has been automated for standardized compliance of non-discretionary and non-discriminatory OTS policy of the bank. This doubled the number of OTS settlements in the current year over the previous year.
- NPA slippage has been continuously reduced and at present recovery achieved is substantially higher than slippages
- GNPA and NNPA is consistently reducing since Q2 of ‘18 (except Q4 ‘18 due to RBI revised guidelines on restructured accounts).

- पीएसबी के मध्य में आइओबी का खुदरा जीएनपीए कम है

	आवास ऋण	वैयक्तिक ऋण	शिक्षा ऋण
पीएसबी का औसत	1.9	2.6	8.6
आइओबी	1.9	1.3	7.4

पूँजी की स्थिति

- 18.24 करोड़ रुपये के मूल्य का 11.90 रुपये के रियायती दर पर बैंक ने ईएसपीएस इक्विटी शेयर जारी किए हैं, जो पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया और एक शानदार सफलता मिली , जो अपने कर्मचारियों द्वारा बैंक के प्रति प्रतिबद्धता और विश्वास का सूचक है। इस प्रक्रिया में बैंक ने अपने पूंजी कोष को 260.47 करोड़ रुपये तक बढ़ाया है । आइओबी ने ईएसपीएस में 100% अंशदान दर्ज करके सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक बनकर इतिहास रचा है।
- बैंक ने अपनी टियर II पूंजी को बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 300 करोड़ रुपये के बेसल III टियर II बॉन्ड्स जारी किए है ।
- नॉन-कोर आस्ति की बिक्री से प्राप्त होने वाली 76.87 करोड़ रुपये हैं जिससे सीआरएआर में 6 बीपीएस सुधार होगा ।
- भारत सरकार ने 5963 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध कराई है । (जुलाई '18 में 2157 करोड़ रुपये और फरवरी '19 में Rs.3806 करोड़)।

डिजिटल पहलें

- बैंक ने तमिलनाडु, केरल और विजयवाड़ा क्षेत्र में फैले 14 जिलों में "बैंक ऑन व्हील्स" का शुरुआत किया है । यह सुविधा जनता को विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को बैंक की प्रक्रियाओं के लिए अग्रणी जिला में चिन्हित स्थानों पर आसानी से घर बैठे बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराएगी। खाता हेतु सेवा जैसे खाता खोलना, सामाजिक सुरक्षा योजना में ग्राहकों का नामांकन, पासबुक प्रिंटिंग और अन्य वित्तीय समावेशन गतिविधियों की पेशकश की जा रही है।
- एमएसएमई मुद्रा में 10 लाख रुपये तक के ऋण हेतु एकीकृत ऑनलाइन द्वारा प्रसंस्करण के लिए टर्न अराउंड समय को कम करने के लिए हाथों - हाथ आवेदन से प्रलेखन चरण तक ।
- इन-हाउस में विकसित सीटीएस का हाथों - हाथ समाधान जिसके परिणामस्वरूप बैंक को पर्याप्त बचत होगी।
- इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग में ईज़ प्राचलों को अमल में लाया गया ताकि ग्राहक सेवा और डिलीवरी में संवर्धन हो सके।
- यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करते हुए बैंक ने भीम आइओबी यूपीआइ एप्लीकेशन प्रारंभ किया। इस एप के अंतर्गत पंजीकरण 8.11 लाख से बढ़कर 28.50 लाख हो गए और लेन-देन मार्च 2019 के दौरान 110.56 लाख की पराकाष्ठा को पहुंच गए।
- बैंक ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) की शुरूआत की जो कि एक समेकित बिल भुगतान प्रणाली है और जो ऑनलाइन के जरिए ग्राहकों को अंतर परिचालनीय बिल भुगतान सेवा प्रदान करता है। बैंक ने नेट बैंकिंग के जरिए कॉरपोरेट प्रयोक्ताओं को बीबीपीएस की सुविधा विस्तारित की है।
- ईज़ : ग्राहकों को विभिन्न सेवाओं के लिए अपना अनुरोध भेजने के लिए इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में सुविधाएँ शामिल हैं । मोबाइल बैंकिंग में अंग्रेजी और हिंदी के अलावा चार क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ा गया है।
- आइओबी पे - आंतरिक रूप से सृजित यह समेकित ऑनलाइन भुगतान गेटवे प्लेटफार्म शुल्क भुगतान, व्यापार भुगतान, दान देने वाली संस्थाओं के लिए चंदा आदि से संबंधित भुगतान प्रदान करता है। इस एप्लीकेशन में 100 से ज्यादा संस्थाओं ने अपने को पंजीकृत किया है। आइओबी ने तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ व्यवस्था विभाग (https://tnhrce.gov.in) में दान, अन्नदानम आदि जैसे मंदिरों की विभिन्न प्राप्तियों के संग्रह के लिए अपनी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली आइओबी पे को कार्यान्वित किया है। डिजिटल मोड के माध्यम से विभिन्न प्रकार के संग्रह के लिए चिकित्सा सेवा निदेशालय के साथ भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है
- बैंक ने एक जारीकर्ता के रूप में एनसीएमसी (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) के लिए आवश्यक प्रमाणन पूरा कर लिया है और आइओबी पहला बैंक है जिसे कई सीवीएन कार्यक्षमता (एनएफसी) के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रमाणित किया गया है।.
- नए तकनीकी प्लेटफार्म psbloansin59minutes.com को प्रतिष्ठापित करने में एनेलिटिक्स का प्रयोग किया गया है जिसे एमएसएमई ग्राहकों को भारत सरकार की पहलों से तारतम्य रखने में मदद मिली है।
- इंटरनेट बैंकिंग पंजीकरणों की संख्या 15.52 लाख से बढ़कर 19.25 लाख हो गई है और मोबाइल बैंकिंग पंजीकरणों की संख्या 241% से बढ़ती हुई 6.62 से बढ़कर 16 लाख हो गई है। मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का नया यूजर इंटरफेस 4 अतिरिक्त भाषाओं को समाहित किए हुए है और ग्राहकों द्वारा इसे व्यापक रूप से स्वीकृत किया गया है।
- इंटरनेट बैंकिंग में 9 अतिरिक्त फीचर्स जोड़े गए। मोबइल बैंकिंग प्लेटफार्म ऊ आइओबी मोबाइल ऊ का अद्यतन किया गया जिससे उसका एक नया रूप और अनुभव संवर्धित फीचरों के साथ महसूस होता है।
- आइओबी ननबन एप्लीकेशन में ग्राहकों के लिए खासे फीचर्स हैं जिसमें ब्याजगत प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की सुविधा भी शामिल है। सहायक एप्लीकेशन स्टॉफ के लिए लांच किया गया ताकि वे एनपीए उधारकर्ताओं के साथ अनुवर्तन कर सकें और ऐसे अनुवर्तन के दौरान स्टॉफ के कार्य निष्पादन को ट्रैक किया जा सके।
- आइओबी द्वारा प्राप्त पुरस्कार और सम्मान :

  बैंक ने अपने बेहतर प्रदर्शन के सत्यापन में जो कुछ पुरस्कार हासिल किए हैं, वे इस प्रकार हैं:

  ❖ **सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार 2018**

  केंद्रीय सतर्कता आयोग ने हमारे बैंक को बैंक में की गई विभिन्न पहलों के लिए एक उत्कृष्ट ग्रेड के साथ "सतर्कता नवाचार पुरस्कार" से सम्मानित किया है। जैसे :

- खुदरा ऋण के स्वचालित प्रसंस्करण के लिए आरईएपी प्रणाली।
- IOB सहायक ऐप
- व्हिसल ब्लोअर के लिए एक आंतरिक पोर्टल
- शिकायतों की ऑनलाइन ट्रैकिंग
- आरवीओ की शाखा निरीक्षण और अनुपालन रिपोर्ट की वास्तविक समय में रिपोर्टिंग

31.10.2018 को विज्ञान भवन नई दिल्ली के में सीवीसी और वीसी की उपस्थिति में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा हमारे एमडी और सीईओ और सीवीओ को यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

❖ **बेहतर पहुंच और सेवा उत्कृष्टता पुरुस्कार**

जनवरी 2018 में, सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने संयुक्त रूप से " बेहतर पहुंच और सेवा उत्कृष्टता पुरुस्कार (EASE)" के लिए एक सामान्य पीएसबी सुधार एजेंडा शुरू किया और निम्नलिखित छह विषयों में 30 क्रिया बिंदु शामिल किए:

1. ग्राहक की प्रतिक्रिया
2. जिम्मेदार बैंकिंग
3. क्रेडिट ऑफ - टेक
4. एमएसएमई के लिए उद्यमी मित्र के रूप में पीएसबी
5. वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण को मजबूत करना
6. ब्रांड पीएसबी के लिए विकासशील कार्मिक

ईएएसई के सुधार कार्यसूची पर पीएसबी की प्रगति को डीएफएस / आईबीए के साथ परामर्श पर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) द्वारा अपनी तरह की पहली ईएएसई सुधार सूचकांक के माध्यम से सख्ती से ट्रैक किया गया है ।ईएएसई सुधार सूचकांक पीएसबी प्रदर्शन को संबंधित मानकों के विरुद्ध 140 मैट्रिक्स पर मापता है और पीएसबी में सुधार की प्राथमिकताओं पर पारदर्शी रिपोर्टिंग के माध्यम से निरंतर सुधार के लिए एक तंत्र प्रदान करता है ।

- Retail GNPA of IOB is one of the least among PSBs

	Housing loan	Personal loan	Education loan
PSB Average	1.9	2.6	8.6
IOB	1.9	1.3	7.4

Capital Position

- The Bank's ESPS issue of upto 18.24 crore equity shares at a discounted price of Rs. 11.90 was fully subscribed and a grand success, which is an indicator of the commitment and confidence in the Bank by its employees. In this process the Bank augmented its capital funds to the extent of Rs. 260.47 crores. IOB has scripted history by becoming **the first Public Sector Bank to record 100% subscription to ESPS.**
- Bank had issued Basel III Tier II Bonds aggregating Rs. 300 crore to shore up its Tier II capital.
- The realization from Sale of Non-Core Assets is Rs. 76.87 crores which improved the CRAR by 6 bps
- Government of India infused capital to the extent of Rs. 5963 crore (Rs. 2157 crore in July '18 and Rs.3806 crore in February '19).

Digital Initiatives

- The Bank has launched "Bank on Wheels" in 14 districts spread across Tamilnadu, Kerala and Vijayawada Region. This facility will enable the public especially Senior Citizens to conveniently avail of doorstep banking facility available at identified locations of the Bank's lead districts. Account services such as account opening, enrolment of customers in social security scheme, passbook printing and other financial inclusion activities is being offered.
- Integrated Online processing of MSME Mudra Loans upto Rs.10 lakhs end-to-end from application to documentation stage reducing the Turn Around Time for processing.
- End to end CTS Solution developed in-house which will result in substantial savings to the Bank.
- Implementation of EASE parameters in Internet and Mobile Banking for enhancing customer service and delivery.
- BHIM IOBUPI is the application launched by the Bank using Unified Payment Interface. Registration grew from 8.11 lakh to 28.50 lakh, transactions have surged to new heights touching 110.56 lakh in March 2019.
- Bank has launched Bharat Bill Payment System (**BBPS**), an integrated bill payment system, which offers interoperable bill payment service to customers online. Bank has extended BBPS facility for Corporate Users through Net Banking.
- **EASE :** Features added to Internet Banking and Mobile Banking to facilitate customers to send their request for various services. Four Regional languages, in addition to English and Hindi have been added in Mobile Banking.
- **IOB-Pay:** The in-house developed integrated online payment gateway platform offers fee payments, merchant payments, donations for charitable institutions etc. More than 100 Institutions have been registered in this application. IOB has implemented its online payment system IOBPAY in the website of Tamil Nadu Hindu Religious & Charitable Endowments Department (https://tnhrce.gov.in) for collection of various receipts of temples such as Online Donations, Annadhanam etc. Similar arrangement has also been entered into with **Directorate of Medical Services** for various types of collection through digital mode.
- Bank has completed necessary certification for NCMC (National Common Mobility Card) as an Issuer and IOB is the first Bank which has been certified on International platform with multiple CVN functionality (NFC).
- On boarding of the new technology platform **psbloansin59minutes.com** implemented in the Bank using Analytics facilitating MSME customers in line with Government of India Initiatives
- The internet banking registrations grew from 15.52 lakh to 19.25 lakh while mobile banking registrations grew by 241% from 6.62 lakh customer to 16 lakh customers. New user interface of mobile banking application with flavour of four additional languages was accepted well by the customers.
- Nine additional features were added in Internet Banking. The mobile banking platform, "IOB-Mobile", has been upgraded to have a youthful look and feel with enhanced features.
- The "IOB-Nanban" application has rich features for customers including downloading of Interest Certificates.
- "IOB Sahayak" was launched for staff to follow up with NPA borrowers and for tracking the performance of the staff in such follow up.
- **Awards and Accolades won by IOB:**

  Some of the awards that the Bank has achieved in validation of its improved performance are as follows :

  - **Vigilance Excellence Award 2018**

  The Central Vigilance Commission has awarded our Bank with **"Vigilance Innovation Award"** with an Excellent Grade for various initiatives taken in the Bank such as

  - REAP System for automated retail loan processing.
  - IOB Sahayak app
  - An internal portal for whistle blower
  - Online tracking of complaints
  - Real time reporting of RVO's branch visit and compliance reports

The award was presented to our MD & CEO and CVO by our Hon'ble President of India in the presence of CVC and VCs at Vigyan Bhavan, New Delhi on 31.10.2018.

- **Enhanced Access & Service Excellence (EASE) Awards**

In January 2018, Government and Public Sector Banks(PSBs) jointly committed to and launched a common PSB Reforms Agenda for "Enhanced Access & Service Excellence (EASE) ", comprising 30 Action Points across the following six themes:

1. Customer Responsiveness
2. Responsible Banking
3. Credit Off-take
4. PSBs as Udyami Mitras for MSMEs
5. Deepening Financial Inclusion & Digitalization
6. Developing Personnel for Brand PSB

Progress of PSBs on the Reforms EASE Agenda has been rigorously tracked through a first of its kind EASE Reforms Index by Boston Consulting Group (BCG) in consultancy with DFS/ IBA. The EASE Reforms Index measures PSB performance on 140 metrics against respective benchmarks and offers a mechanism for continuous improvement through transparent reporting on forward-looking PSB reform priorities.

हम बहुत हर्ष के साथ सूचित करते है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक को पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

1) सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों में से ''रिफोर्मस एक्सिलेंस'' विजेता

2) आईबीए द्वारा दिल्ली में दिनांक 28.02.2019 को आयोजित समारोह में हमारे माननीय वित्त एवं कार्पोरेट कार्यकलाप के केंद्रीय मंत्री श्री अरूण जेटली जी द्वारा ''डीपेनिंग फिनांसियल इंक्लुजन और डिजिटलायजेशन'' थीम पर पुरस्कार प्रदान किया गया व एमडी व सीईओ श्री आर सुब्रमण्यकुमार एवं कार्यपालक निदेशक श्री अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा ग्रहण किया गया।

मैं यह भी वर्णन करना चाहुंगा कि हमारे केंद्रीयकृत मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) इवेंट की प्रस्तुति में से सभी पीएसबी के 8 में से एक हमारे बैंक को उत्कृष्ट कार्य निष्पादन में से एक के रूप में चिन्हित हुआ है।

कुल मिलाकर, आइओबी ने 21 पीएसबी के बीच मार्च 2018 को दिसंबर 2018 तक 66.7 स्कोर के साथ 7 वें स्थान पर रखा।

हमारे बैंक ने मार्च 2019 तक 75 के स्कोर के साथ रैंक को 5 वें स्थान पर सुधार दिया है।

➢ बिजनेस आउटकम अवार्ड के लिए डेटा और एनालिटिक्स का सर्वश्रेष्ठ उपयोग

हमारे बैंक को 20 मार्च 2019 को मुंबई में आयोजित आईबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो एंड अवार्डस 2019 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा मध्यम बैंकों के बीच व्यापार के लिए डेटा और एनालिटिक्स के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी मे विजेता घोषित किया गया है।

भविष्य की योजनाएं

बैंक का ध्यान निम्नलिखित पर बना रहेगाः

- एक स्थिर परिचालन वातावरण सुनिश्चित करना।
- एनपीए को कम करने और क्रेडिट की रैम हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक मजबूत नीतिगत ढांचे को बनाए रखना और विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों की स्थापना करना।
- ब्याज आय की रक्षा और प्रावधान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूंजी का संरक्षण और जोखिम भार को कम करना।
- ब्रांड छवि बनाएं रखना और बेहतर ग्राहक सेवा और उन्नत डिजिटल आधारित वितरण के साथ ब्रांड आइओबी रिकॉल वैल्यू में सुधार करना।
- मजबूत आंतरिक नियंत्रण और मजबूत प्रक्रिया एवं पद्धतियों के साथ प्रौद्योगिकी द्वारा निरंतर व्यावसायिक विकास के साथ एक संगठन की स्थापना करना ।
- बोर्ड की निगरानी के साथ कॉर्पोरेट रणनीति का संस्थागतकरण और उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा समर्थित मजबूत अनुपालन संस्कृति का निर्माण करना।
- निष्पक्ष और पारदर्शी नीतियों के साथ अच्छी मानव संसाधन प्रथाओं को लागू करना और मानव संसाधन प्रबंधन कार्यों को स्वचालित करना। उचित सतत प्रशिक्षण और स्पष्ट करियर पथ और उत्तराधिकार नियोजन के साथ जानकार कार्यबल का निर्माण करना।
- लाभदायक व्यावसायिक संवर्द्धन के लिए बैंक की ताकत का लाभ उठाते हुए विभेदित व्यापार रणनीति का परिचय देना और वितरण, प्रलेखन और निगरानी के प्रसंस्करण के माध्यम से सीधे अंत तक स्वचालन को लागू करना।
- उपयुक्त साधनों, जनशक्ति आदि द्वारा समर्थित एक स्वतंत्र मजबूत जोखिम प्रबंधन की स्थापना करना और बैंक में जोखिम मूल्यांकन संस्कृति बनाना।
- सेवा के कुशल और सुसंगत वितरण के लिए और प्रत्येक इकाई को लाभकारी इकाई बनाने के लिए स्पर्श बिंदु (दोनों शाखा और वैकल्पिक वितरण चैनल) को अपग्रेड करना।

स्वीकृतियाँ :

यह उपलब्धि और गर्व की भावना है कि मैं अपने कार्यकाल के दौरान बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अपने कार्यकाल को वापस देखता हूं क्योंकि बैटन को दूसरे के हाथ में सौपनें का समय आ गया है। मैं इस अवसर पर बोर्ड के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने समय और विशेषज्ञता, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को उनके बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उदारतापूर्वक योगदान दिया है। मैं अपने सभी मूल्यवान ग्राहकों को उनके निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं अपने स्टाफ के सदस्यों के समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए मेरी प्रशंसा को भी दर्ज करता हूं, जिसने बैंक को मजबूत में सक्षम किया है, विशेषकर कठिन दौर में । हम सभी के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। "भविष्य उन लोगों का है जो आज इसकी तैयारी करते हैं।"

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

सादर,

आर सुब्रमण्यकुमार

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

I am pleased to inform you that Indian Overseas Bank (IOB) has been awarded

1. Winner for "Reforms Excellence" among all Public Sector Banks
2. Winner for theme "Deepening Financial Inclusion and Digitalization"

   Honorable Union Minister for Finance & Corporate Affairs Shri. Arun Jaitley gave away the awards at the event organized by IBA at Delhi on 28.02.2019 and the awards were received by MD & CEO Shri R Subramaniakumar and ED Shri. Ajay Kumar Srivastava.

I would also like to make a mention that our **Centralized Standardized Public Grievance Redressal System (SPGRS)** has been identified as one out of 8 Best Practices among PSBs at the Event's presentation.

Overall, IOB ranked at 7th Place with 66.7 score as on December 2018 over March '18 amongst 21 PSBs.

Our Bank has further improved the rank to 5th place with a score of 75 as on March 2019.

❖ **Best Use of Data and Analytics for Business Outcome Award**

Our Bank has been adjudged the **'WINNER'** in the category of the **Best Use of Data and Analytics for Business Outcome amongst Medium Banks** by Indian Banks' Association in the IBA Banking Technology Conference, Expo & Awards 2019 held in Mumbai on 20th February 2019.

Going Forward

The Bank's focus will continue to be on the following :

- Ensuring a stable operating environment.
- Maintaining a robust policy framework & establishing various business verticals to reduce NPA and increase the RAM share of credit.
- Conserve capital & reduce risk weight to protect interest income and to meet the provision requirement.
- Build brand image and improve brand IOB recall value with improved customer service and enhanced digital based dispensation.
- Establishing an organisation with consistent business growth, with strong internal controls coupled with robust systems & procedure powered by technology.
- Institutionalise the corporate strategy with Board oversight and build strong compliance culture, supported by appropriate policies and procedures.
- Implement good HR practices with fair & transparent policies and automate the HR management functions. Build knowledgeable work force with appropriate continuous training and clear career path & succession planning.
- Introduce differentiated business strategy leveraging the Bank's strength for profitable business enhancements and implement end to end automation including Straight Through Processing of delivery, documentation and monitoring
- Establishing an independent robust risk management set up supported by appropriate tools, manpower etc and to create risk assessment culture in the Bank.
- Upgrade the touch points (both branch and alternative delivery channels) for efficient & consistent delivery of service and to make every unit as a profitable unit.

Acknowledgements:

It is with a sense of accomplishment and pride that I look back on my tenure as MD & CEO of the Bank as the time to hand over the baton draws near. I take this opportunity to thank the members of the Board who have given generously of their time and expertise, the Government of India and the Reserve Bank of India for their valuable support and guidance. I thank all our valued shareholders and customers for their continued support and trust. I also place on record my appreciation for the dedication and commitment of our staff members which has enabled the Bank to go from strength to strength especially when the going was tough. It has been a significant learning curve for us all. ***"The future belongs to those who prepare for it today."***

With warm regards,

Yours sincerely,

R Subramaniakumar

Managing Director & Chief Executive Officer

शेयरधारकों को सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की 19 वीं वार्षिक सामान्य बैठक गुरूवार, दिनांक 10 जुलाई 2019 को सुबह 10.00 बजे सद्गुरु ज्ञानानंदा हॉल, नारद गण सभा, 314, टीटीके रोड, अलवरपेट, चेन्नै - 600 018 में निम्नलिखित कार्यों हेतु आयोजित की जाएगी :

1. 31 मार्च 2019 तक बैंक के लेखा परीक्षित तुलनपत्र, 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ एवं हानि लेखे, लेखा द्वारा कवर की गई बैंक की अवधि के दौरान बैंक की गतिविधि और कार्यों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और के लेखे व तुलनपत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, मंजूरी एवं उन्हें अपनाने के लिए।

2. आगे और शेयरों को ज़ारी करना।

निम्नलिखित संकल्पों पर **विशेष संकल्प** के रूप में विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर पारित करनाः

''संकल्प किया गया है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 **(अधिनियम)**, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 **(विनियम)** 2018 तक यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुक्रम में और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक **(आरबीआइ)**, भारत सरकार **(जीओआइ)**, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(सेबी)** और / या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो वांछित हों, के अनुमोदनों, सहमतियों और मंजूरियों की शर्त पर और उन अनुमोदनों को मंजूरी प्रदान करने में उनके द्वारा यथा निर्धारित निबंधनों, शर्तों और संशोधनों की शर्त पर जिसपर बैंक का निदेशक मंडल सहमत है और जो विनियमों के अनुपालन में है - यथा सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन 2009 **(आइसीडीआर विनियम)** जैसा कि आज की तिथि तक संशोधित है/ दिशानिर्देशों, यदि कोई है, के अनुपालन में है तथा यह कि ये दिशार्निदेश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 **(बीआर अधिनियम)**, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों व अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों, जो समय समय पर जारी होते हैं, के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी की अधिसूचनाओं / परिपत्रों और स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारित हैं, और जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर निर्धारित हैं, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार की शर्त पर वे आधारित हैं, बैंक के शेयरधारकों की एतदर्थ व एतद्द्वारा सहमति बोर्ड के निदेशक मंडल (आगे से जिसे **''बोर्ड''** कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का उपयोग करने हेतु बाद में गठित करता हो) को इस आशय से दी जाती है कि वे उस संख्या में इक्विटी/वरीयता शेयरों (संचित/गैर संचित) / प्रतिभूतियों (वरीयता शेयरों की श्रेणी, ऐसे वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, क्या वे निरंतर हैं या मोचनीय हैं या अमोचनीय है, उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके आधार पर वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी का निर्गमण किया जाएगा - से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) को सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित व आबंटित (निश्चित आबंटन पर आरक्षण के लिए प्रावधान और / या उस समय लागू कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों के प्रवर्गों और निर्गम के किसी हिस्से के प्रतिस्पर्धात्मक आधार सहित) कर सके और यह कार्य किसी प्रस्ताव दस्तावेज /या विवरणिका के ज़रिए या फिर भारत अथवा विदेश में इस प्रकार के अन्य दस्तावेज़ के ज़रिए होगा तथा प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रु.10 /- प्रति शेयर होगा और किसी भी हालत में कुल शेयर 300,00,00,000 की संख्या का अधिगमन नहीं होगा व यह राशि विद्यमान प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी के साथ रु बैंक की कुल प्राधिकृत पूँजी में **अधिनियम** की धारा 3 (2ए) के अनुसार या फिर उस संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार, जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, बढ़ाई गई प्राधिकृत पूँजी

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting of the shareholders of INDIAN OVERSEAS BANK will be held on Wednesday, 10th July 2019 at 10.00 a.m. at Sathguru Gnanananda Hall, Narada Gana Sabha, 314 TTK Road, Alwarpet, Chennai 600 018, to transact the following businesses:

1. To discuss, approve and adopt the audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2019, Profit and Loss account of the Bank for the year ended 31st March 2019, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To issue further shares:

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (**Act**), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (**Scheme**) and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended upto 2008 (**Regulations**) and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (**"RBI"**), the Government of India (**"GOI"**), the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (**ICDR Regulations**) as amended up to date/ guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949 (B R Act), Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (**SEBI Act**) and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **"the Board"** which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity/ preference shares (cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such redeemable preference shares and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of Rs.10 each and in any case not exceeding 300,00,00,000 equity shares as on date which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the Bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the **Act** or to the extent of enhanced Authorised

की हद तक, निर्धारित सीलिंग है, वह भी इस तरह कि केन्द्रीय सरकार का बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी में धारण सभी समय 52% से कम नहीं रहेगा, चाहे वह एक या अधिक भागों में हो और चाहे बट्टे पर हो या प्रीमियम दर पर या फिर बाजार दर पर, जहाँ आबंटन एक या उससे अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (**''एनआरआइ''**), निजी व सार्वजनिक कंपनियों, निवेशक संस्थाओं, संघों, न्यासों, शोध संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों (**''क्यूआइबी''**) जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक (**''एफआइआइ''**), बैंक, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल निधियों, उद्यमी पूँजीगत निधियों, विदेशी उद्यम पूँजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या निवेशकों के किसी ऐसे प्रवर्ग को किया जा सकता है, जिन्हें बैंक द्वारा जैसे वह उचित समझे उस रूप में उक्त में से किसी को या संयुक्त रूप में विद्यमान विनियमों /दिशानिर्देशों के अनुसार या आइसीडीआर विनियमों के अध्याय VI ए के अनुसार संस्थागत स्थानन कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थागत निवेशकों को बैंक के इक्विटी/वरीयता शेयरों / प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।''

'' यह भी संकल्प किया गया कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन सार्वजनिक निर्गम, राइट निर्गम, सेबी के विनियम (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ), 2014 (**''एसबीईबी विनियम''**) के जरिए कर्मचारियों को इक्विटी शेयर या ऐसा अन्य निर्गम जो कि लागू विधि द्वारा उपलब्ध किया जा सके, अधिमान निर्गम के ज़रिए और / या निजी स्थानन के आधार पर अति आबंटन विकल्प सहित या विकल्प रहित किया जाएगा और इस तरह का प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन और आबंटन अधिनियम, **आइसीडीआर विनियमन** और भा.रि.बैं, सेबी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों तथा लागू अनुसार किसी अन्य प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों और ऐसी पद्धति में, ऐसे समय या समयों पर और ऐसे निबंधनों व शर्तों पर किया जाएगा, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझता हो ।''

''यह भी संकल्प किया गया कि अग्रणी प्रबंधकों और/या अधोलेखकों और/या अन्य सलाहकारों अथवा अन्यथा के साथ जहाँ आवश्यक हो वहाँ परामर्श करके ऐसे किसी रूप में जिसे वह उचित समझे, ऐसे मूल्य या मूल्यों को निश्चित करने का प्राधिकार बोर्ड को होगा, और उन निबंधनों और शर्तों पर होगा, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आइसीडीआर विनियमनों, अन्य विनियमनों अथवा अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित करता है चाहे ऐसे निवेशक बैंक के वर्तमान सदस्य हों कि नहीं और मूल्य का नियतन आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं होगा ।''

''आगे यह भी संकल्प किया गया कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार के प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रावधानों (लिस्टिंग बाध्यताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015, (**''एलओडीआर''**), अधिनियम के प्रावधानों, विनियम के प्रावधानों, आइसीडीआर विनियमन के प्रावधानों, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों और विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर रहनेवाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) विनियमन 2000 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआइपीबी), औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग, (डीआइपीपी) वाणिज्य मंत्रालय और यथा वांछित अनुसार अन्य सभी प्राधिकारियों (आगे जिनका ''समुचित प्राधिकारीगण'' के रूप में संदर्भ लिया जाएगा) दिये जाने वाले आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और / या मंजूरियों, की शर्त पर और उन शर्तों पर जोकि ऐसे अनुमोदन, ऐसी सहमति, अनुमति और/या मंजूरी (आगे से जिसे ''अपेक्षित अनुमोदन'' कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत निश्चित करता है, ईक्विटी शेयरों या किन्ही भी प्रतिभूतियों को एक या

Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (**"NRIs"**), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers (**"QIBs"**) like Foreign Institutional Investors (**"FIIs"**), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, issue of equity shares to employees through SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (**"SEBI Regulations"**), preferential issue and/or private placement, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, **ICDR Regulations** and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,(**"LODR"**) the provisions of the Act, the provisions of Regulations, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities

अधिक किस्तों में समय समय पर निर्गमित प्रस्तावित तथा आबंटित किया जा सकता है केवल उन वारंटों को छोड़कर जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों के साथ विनिमयित किये जा सकते है या परिवर्तित किये जा सकते हैं, वह भी इस तरह कि किसी भी समय केन्द्रीय सरकार का धारण बैंक की ईक्विटी पूंजी में 52% से कम न हो और यह स्थानन या आबंटन क्यूआइबियों (आइसीडीआर विनियमन के अध्याय 2(एसएस) में परिभाषित अनुसार) को, योग्यताप्राप्त संस्थात्मक स्थानन (क्यूआइबी) होने के अनुक्रम में जैसा कि आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VI के तहत प्रावधानित किया गया है, किसी स्थानन दस्तावेज़ और/या ऐसे अन्य दस्तावेज़ों / लेखनों / परिपत्रों / ज्ञापनों के द्वारा तथा ऐसे रूप में और ऐसे मूल्य पर, निबंधनों और शर्तों पर , जो कि आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार या कानून के उन अन्य प्रावधानों के अनुसार जो कि उस समय विद्यमान है, बोर्ड द्वारा निश्चित किये गये हैं, बशर्ते इस प्रकार निर्गमित इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो ।''

''यह भी संकल्प किया गया कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूची करार के प्रावधानों के अनुसार आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VI के क्रम में योग्यता प्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में प्रतिभूतियों का आबंटन आइसीडीआर विनियमनों के अध्याय VI की परिभाषा के भीतर ही योग्यता प्राप्त संस्थागत खरीददारों को किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियाँ पूर्णतः प्रदत्त होंगी और इन प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तिथि से 12 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा ।''

''यह भी संकल्प किया गया कि क्यूआइपी निर्गम के मामले में प्रतिभूतियों के शुरुआती मूल्य पर पाँच प्रतिशत से अनधिक की छूट पर आइसीडीआर विनियमन के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक शेयर देने को प्राधिकृत है तथा प्रतिभूतियो के शुरुआती मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि को आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार रखा जाएगा । ''

''यह भी संकल्प किया गया कि बोर्ड के पास भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ बैंक के शेयर लिस्ट किये गये हैं या ऐसे अन्य किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और निर्गमों से संबंधित मंजूरियों, आबंटन और उनकी लिस्टिंग, जैसा कि बोर्ड द्वारा सहमत हो, वांछित अथवा निर्देशित अनुसार प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार व अधिकार होगा तथा इस संबंध में बैंक के शेयरधारकों से कोई अन्य अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा।''

''यह भी संकल्प किया गया कि और अनिवासी भारतीय/एफआआइ तथा/ या अन्य पात्र विदेशी निवेश को ऐसे आबंटन और निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत किया जाएगा परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर लागू अनुसार ही किया जाएगा ।''

''यह भी संकल्प किया गया कि अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और /या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नये इक्विटी शेयर/प्रतिभूतियां का आबंटन समय - समय पर संशोधित विनियम की शर्त पर होगा एवं ऐसी घोषणाओं के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार यथासंशोधित तथा घोषित लाभांश,यदि कोई है तो, समेत बैंक के मौज़ूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होगा।

''यह भी संकल्प किया गया कि इक्विटी/अधिमान्य शेयरों / प्रतिभूतियों के ऐसे निर्गम से संबंधित किसी बुक रनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(कों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), डिपाज़िटरी(स), रजिस्ट्रार(रों), लेखापरीक्षक(कों) और ऐसे सभी अभिकरणों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाएं निष्पादित करने और ऐसी सभी संस्थाओं और अभिकरणों को कमीशन, दलाली, शुल्क के संबंध में तथा उनके परामर्श से निर्गम(ों) के निबंधनों व प्रकार निर्धारित करने, निवेशकों के संवर्ग सहित जिन्हें शेयर/प्रतिभूति आबंटित किए जानेवाले हैं, उनमें से प्रत्येक वर्ग को आबंटित किए जानेवाले शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (यदि प्रीमियम हो तो वह भी शामिल है), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि / प्रतिभूतियों का परिवर्तन / वारंट

other than warrants, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Regulation 2(ss) of the ICDR Regulations) such as Public Financial Institution, foreign portfolio investor, mutual fund, venture capital fund etc. pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP) as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, and through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a QIP made pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations, the allotment of Securities shall only be to QIBs within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue, the Bank in pursuance to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount as prescribed by ICDR Regulations from time to time and relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board and no further approvals in this regard would be required from the shareholders of the Bank".

RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities, shall be subject to the Regulations as amended from time to time and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank including dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration ".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies, to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like in consultation with them to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/ securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any),

बदलना / प्रतिभूतियों की परिपक्वता राशि लेना, ब्याज दर, परिपक्वता अवधि, प्रतिभूतियों का परिवर्तन या परिपक्वता या निरसन पर ईक्विटी शेयरों / अधिमान्य शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य,प्रतिभूतियों का निर्गम/परिवर्तन पर प्रीमियम / बट्टा, ब्याज दर,परिवर्तन की अवधि, लेखा बंदी और संबंधित या विविध मामलों हेतु रिकार्ड तारीख का नियतन करने, भारत में और /या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज मे सूचीबद्ध करने,जैसे मंडल उचित समझे,के लिए मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और करारों को निष्पादित करने जिन्हें वे आवश्यक,उचित या वांछनीय समझें और सार्वजनिक प्रस्ताव,निर्गम, आबंटन और निर्गम राशि की उपयोगिता के संबंध में कोई संदेह या प्रश्न हो तो उन्हें सुलझाने या अनुदेश देने या निदेश देने हेतु तथा निबंधनों व शर्तों के संबंध में किए जानेवाले ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, बदलावों, जोड, विलोपनों आदि पर बैंक के हित हेतु अपने विवेकाधिकार में कार्रवाई करने, जिसके लिए बैंक और मंडल को दिए गए सभी या किसी अधिकारों के अनुसार सदस्यों से और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और इस संकल्प पर मंडल द्वारा कार्य करने हेतु मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए ।''

''यह भी संकल्प किया गया कि ऐसे शेयरों / प्रतिभूतियों जो अभिदानित नहीं हैं, का निपटान बोर्ड द्वारा उसके परम विवेकाधिकार के तहत इस प्रकार किया जाए जैसा बोर्ड उचित समझे और जैसा कानून द्वारा अनुमत हो और यह कि बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए कि वह प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक/(कों) या बनी हुई/ अब से बनाई जाने वाली निदेशकों की समिति को प्रदत्त सभी या कोई एक अधिकार प्रत्यायोजित कर सके कि उपर्युक्त संकल्प प्रभावी हो सके । ''

3. आगे, **कर्मचारियों** को शेयर जारी करने पर विचार करना ः

निम्नलिखित संकल्पों पर **विशेष संकल्प** के रूप में विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर पारित करनाः

''संकल्प किया जाता है कि बैंकिग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970 **(अधिनियम)**, राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 **(योजना)**, सेबी (सूचीबद्ध बाध्यता व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (एलओडीआर), 2008 तक संशोधित इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठक) विनियम 2003 **(विनियम)** और एलओडीआर के अनुसार बीएसई लिमिटेड व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए यूनिफॉर्म लिस्टिंग समझौते के प्रावधानों की शर्त पर (तत्संबंधी किसी संशोधन या उसके अधिनियमन) तथा **विनियमों** के विनियम 4ए तथा भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2014 (समय समय पर किसी भी सांविधिक संशोधन (ओं), संशोधन (ओं), अधिनियमन समेत) के प्रावधानों के अनुसार है। **(सेबी शेयर आधारित विनियम)** और **भा.रि.बैं, भारत सरकार, सेबी,** स्टॉक एक्सचेंज के अनुमोदन, सहमति व मंजूरी के अधीन जिनमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं जहाँ कहीं लागू हों और किसी भी प्राधिकारी के किसी भी लागू अनुमोदन (नों), अनुमति (यों) तथा मंज़ूरी (यों), किसी भी स्तर पर और किसी भी शर्तो व संशोधनों जैसा कि एसे प्राधिकारियों द्वारा ऐसे अनुमोदन (नों), अनुमति (यों) तथा मंज़ूरी (यों) को देते हुए निर्दिष्ट या लगाया गया हो और जो कि बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाए, बोर्ड को ऐसे कर्मचारियों, बेशक वे भारत या विदेश में कार्यरत हों, को एक या अधिक बार में देने, ऑफर करने, निगमन, आबंटन करने के लिए, जो कि बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों **(कर्मचारियों)**, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित हो, रु. 10 प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य के 45,70,00,000 तक इक्विटी शेयरों, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना के तहत बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार लाभांश के भुगतान समेत सभी संदर्भो में बैंक के मौज़ूदा इक्विटी शेयरों के साथ-साथ ऐसे मूल्य या मूल्यों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार ऐसे निबंधन व शर्तों पर सहमति को दर्ज़ किया जाता है।''

face value, premium amount on issue and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board as the Board in its absolute discretion deems fit".

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law and that the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director and Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors constituted/ hereafter constituted to give effect to the aforesaid Resolutions."

3. To consider further issue of shares to **Employees:**

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as a **Special Resolution:**

“RESOLVED THAT subject to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (**Act**), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (**Scheme**), Regulation 41 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended upto 2008 (**Regulations**) and the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited (**Stock Exchanges**) as per LODR (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the **Regulations** and the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment from time to time) (**“SEBI Regulations”**), and subject to the approval, consent and sanction of **RBI, GOI, SEBI, Stock Exchange**(s) in which Bank’s equity shares are listed, wherever applicable, and subject to any applicable approval(s), permission(s) and sanction(s), at any stage, of any authority and subject to any condition(s) and modification(s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission(s) and sanction(s) and which may be agreed to and accepted by the Board, consent be and is hereby accorded to the Board to grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such permanent employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank (**“The Employees”**), as may be decided by the Board, up to 45,70,00,000 equity shares of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each, ranking pari-passu with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, as may be decided by the Board under an Employee Stock Purchase Scheme), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion.”

''इसके अतिरिक्त संकल्प लिया जाता है कि बैंक भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2014 के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों या किसी सांविधिक आशोधन(नों), संशोधन (नों) या उसके अधिनियमन का पालन करेगा।''

''इसके अतिरिक्त बोर्ड को स्टॉक एक्सचेंज के साथ शामिल एकरूप सूचीबद्ध करार के निबंधन व शर्तों व अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं **''इण्डियन ओवरसीज़ बैंक - कर्मचारी शेयर खरीद योजना, आइओबी - ईएसपीएस 2019-20''** के तहत आबंटित इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग के लिए आवश्यक कदम उठाने को प्राधिकृत करने का संकल्प लिया जाता है।''

''इसके अतिरिक्त बोर्ड को ऐसे निबंधन व शर्तो, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित हो, पर **''आइओबी - ईएसपीएस 2019-20''** के कार्यान्वयन, गठन, प्रभाव में लाने तथा समय-समय पर **''आइओबी - ईएसपीएस 2019-20''** के निबंधन व शर्तो में संशोधन, परिवर्तन करने के लिए, जिसमें कीमत, अवधि, पात्रता मानदंड या **''आइओबी - ईएसपीएस 2019-20''** को इस तरीके से जैसे कि बोर्ड अपने विवेकाधिकार में निर्णय करे, सस्पेंड, आहरण, निरस्त या संशोधित करना शामिल है , और साथ ही **''आइओबी - ईएसपीएस 2019-20''** के कार्यान्वियन तथा प्रस्तावित **''आइओबी - ईएसपीएस 2019-20''** के अनुपालन में ज़ारी शेयरों के संबध में उठे प्रश्नों, कठिनाइयों या संदेहों के निपटान हेतु, जिसमें शेयरधारकों की अन्य सहमति या अनुमोदन अपेक्षित नहीं है या शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकारी द्वारा अपना अनुमोदन दे दिया है, प्राधिकृत करने का संकल्प लिया जाता है।''

''इसके अतिरिक्त यह सकंल्प किया गया कि निदेशकों की समिति (यों), प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (को) या बैंक के कुछ अन्य अधिकारी (यों) को इसमें प्रदत्त सभी या कुछ अधिकारों को प्रत्यायोजित करने के लिए बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए जोकि भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 व अन्य लागू विधि के अनुपालन में उक्त संकल्प को प्रभावित करने के लिए उपयुक्त माने जाए।''

निदेशक मंडल के आदेश से

चेन्नै
27.05.2019

(आर सुब्रमण्यकुमार)
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

"RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 or any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment thereof."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares allotted under the **"Indian Overseas Bank – Employee Stock Purchase Scheme 2019-20 (IOB-ESPS 2019-20)"**, on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the **"IOB-ESPS 2019-20"** on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the **"IOB-ESPS 2019-20"**, from time to time, including but not limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the **"IOB-ESPS 2019-20"** in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the **"IOB-ESPS 2019-20"** and to the shares to be issued pursuant to the proposed **"IOB-ESPS 2019-20"** without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee(s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution in compliance to Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and other applicable laws.

By order of the Board of Directors

Chennai
27.05.2019

(R Subramaniakumar)
Managing Director & CEO

नोट्स

1. बैठक के कारोबार के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक वक्तव्य यहां संलग्न है।

2. **प्रॉक्सी की नियुक्ति :**

बैठक में उपस्थित होने और वोट करने के लिए पात्र शेयरधारक स्वयं अपने स्थान पर उपस्थित होने और वोट करने के लिए किसी प्राक्सी को नियुक्त करने के लिए पात्र है और प्राक्सी बैंक का शेयरधारक हो, यह ज़रूरी नहीं है।

बहरहाल प्रतिनिधि की नियुक्ति के संबंध में पत्र, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में बैठक प्रारंभ होने के चार दिन पहले अर्थात् **दिनांक 5 जुलाई 2019 को अपराह्न 5.00 बजे तक या पहले जमा कर देना चाहिए।**

3. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :**

कोई भी व्यिक्त कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता जब तक कि उसे किसी कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की सत्यापित प्रति, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित् की हो,जिसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारित है, बैंक के केंद्रीय कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से चार दिन पहले अर्थात **दिनांक 5 जुलाई 2019 को अपराह्न 5.00 बजे तक या पहले जमा नहीं की जाती है।**

4. **बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।**

5. **उपस्थिति पर्ची**

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, उपस्थिति पर्ची इस नोटिस से जुड़ी हुई है। शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उस स्थान पर उनके हस्ताक्षर करें और स्थल पर इसे जमा करें करें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी / अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची पर "प्रॉक्सी" या "अधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में मामले के रूप में होना चाहिए

6. **शेयर धारकों का रजिस्टर को बंद करना :**

शेयरधारकों के रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ 04.07.2019 (वृहस्पतिवार) से 10.07.2019 (बुधवार) (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेंगी ।

7. **अदावी लाभांश, यदि कोई हो**

2011-12 के बाद से जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वॉरण्ट को नहीं भुनाया/ लाभांश नहीं प्राप्त किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अनुलिपि वारंट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेण्ट से संपर्क करें।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी में हुए संशोधन के अनुसार अदावी लाभांश खाते में अन्तरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए भुगतान न किए गए या अदावी शेष लाभांश की रकम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आई ई पी एफ) में अन्तरित करनी है।

8. **पते में परिवर्तन :**

जिन शेयरधारकों के शेयर भौतिक रूप में हैं, उन मामलों में, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पते में परिवर्तन को निम्नलिखित पते पर, रजिस्ट्रार-व शेयर-अंतरण एजेंट को भेज दें:

मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड (आइओबी-यूनिट)
5वां तल, सुब्रमणियन बिल्डिंग,
नं.1 - क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002

NOTES

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. **APPOINTMENT OF PROXY:**

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Central Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting **i.e. on or before 5th July, 2019, 5.00 p.m.**

3. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:**

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Central Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting **i.e. on or before 05th July, 2019, 5.00 p.m.**

4. **No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.**

5. **ATTENDANCE SLIP**

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

6. **CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:**

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **04.07.2019 (Thursday) to 10.07.2019 (Wednesday)** (both days inclusive).

7. **UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY**

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend from 2011-12 onwards are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate.

Pursuant to the amendment of the Act, Section 10B provides that the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013 (Section 205C of The Companies Act, 1956).

8. **CHANGE OF ADDRESS:**

In case of shareholders holding shares in physical form, they are requested to intimate to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank any change in their address to

M/s. Cameo Corporate Services Ltd. (Unit - IOB)
V floor, Subramanian Building,
No. 1, Club House Road, Chennai 600 002

शेयर इलेक्ट्रानिक फार्म अर्थात डीमैट खाते के माध्यम से रखने वाले जो शेयरधारक, अपने लाभांश वारंट इत्यादि पर अपने पते में हुए परिवर्तन की सूचना अपने डिपाज़िटरी प्रतिभागी को दे दें।

9. फोलियो का समेकन :

यह पाया गया है कि कई शेयरधारक एक से अधिक फोलियो यानि विविध फोलियो रखते हैं । कुशल सेवा प्रदान करने के लिए हम शेयरधारकों स अनुरोध करते हैं कि वे अपने शेयर प्रमाणपत्रों को हमारे रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट को उनके रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार हेतु भेजते हुए फोलियो का समेकन करें।

10. वोटिंग अधिकार

अधिनियम की धारा 3 के उप-खंड (2ई) के प्रावधानों के अनुसार समवर्ती नए बैंक के किसी भी शेयरधारक को केंद्र सरकार के अलावा, अपने द्वारा धारित किसी भी शेयर के सम्बन्ध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। अधिनियम, विनियम अधिनियम, योजना एवं विनियमों में किसी प्रकार के संशोधन के मामले में जिसकी वजह से सूचना में दी गई वर्तमान प्रक्रिया में किसी या हिस्से में बदलाव होता है तो संशोधन ही मान्य होगा।

11. रिमोट ई-वोटिंग

एलओडीआर विनियम एवं स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग करार के अनुसरण में बैंक को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में खुशी हो रही है जिससे शेयरधारक अपना वोट सूचना में वर्णित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट दे पाएंगे, इसके लिए बैंक ने ई-प्लेटफॉर्म सुविधा प्रदान करने के लिए **सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)** को ई-वोटिंग एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों / लाभकर्ताओं द्वारा बुधवार तक धारित इक्विटी शेयरों के सम्बन्ध में ही उनके वोटिंग अधिकारों को गणना में लिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए **बुधवार, 03.07.2019** अंतिम तिथि है। बैंक के शेयरधारक जिनके पास अंतिम तिथि तक बैंक के शेयर भौतिक या अमूर्त रूप में हैं, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाल सकते हैं।

12. 10 जुलाई 2019 को वोटिंग प्रक्रिया

कार्यवृत्त मदों पर चर्चा के पश्चात, कार्यवृत्त मदों के सम्बन्ध में बैंक वोटिंग आयोजित करेगा। वोटिंग का आयोजन और उसका पर्यवेक्षण इस उ`श्य के लिए नियुक्त जांचकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। सामान्य बैठक के स्थान पर मौजूद शेयरधारकों / प्रॉक्सी(यों)/ प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) द्वारा वोटिंग प्रक्रिया के अंतर्गत वोट डाला जा सकता है। हालांकि, शेयरधारक जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट पहले ही डाल दिया है वे बैठक के स्थान पर वोटिंग प्रक्रिया में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। वोटिंग की समाप्ति के बाद, अध्यक्ष इस बैठक को समाप्त घोषित करेंगे।

13. वोटिंग परिणाम

बैंक ने रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया आयोजित करने और बैठक में भौतिक मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए मेसर्स आर श्रीधरन एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

संवीक्षक एजीएम के समापन पश्चात, एजीएम मतदान के खत्म होने पर 48 घंटों के अंदर, बैठक के अध्यक्ष को विशेष प्रस्ताव के पक्ष में या उसके पक्ष में कुल वोटों की एक समेकित रिपोर्ट जारी करेगा।

वोटिंग परिणाम बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों में घोषित किए जाएंगे, बैंक की वेबसाइटों और सीडीएसएल, ई-वोटिंग एजेंसी में होस्ट किए जाएंगे।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए अनुदेश निम्न प्रकार से हैं :

सदस्यों से आग्रह है कि वे ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डालने के लिए निम्न अनुदेशों का पालन करें :

i) वोटिंग की अवधि 07.07.2019 को सुबह 9.00 बजे (आइएसटी) शुरू होगी और

In case of shareholders holding shares in Electronic form i.e. through Demat account, they are requested to intimate to their depository participant any change in their address.

9. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

It has been found that many shareholders maintain more than one folio (i.e.) multiple folios. In order to provide efficient service, we request the shareholders to consolidate the folios by forwarding their share certificates to Registrar and Share Transfer Agents for necessary corrections in their records.

10. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. In case of any amendments to the Act, Regulation Act, Scheme and Regulations which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

11. REMOTE E-VOTING

Pursuant to LODR Regulations and the Uniform Listing Agreements with stock exchanges, your Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice for which Bank has appointed **Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)** as e-voting agency to provide the remote e-voting platform. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **Wednesday, 03.07.2019** being the Cut-off Date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically.

12. VOTING PROCESS on 10th July 2019

After the agenda item has been discussed, the Bank will conduct voting in respect of the agenda item. Voting will be conducted and supervised by the Scrutinizer appointed for the purpose The shareholders / Proxy(ies) / Authorised Representative(s) present at the venue of the general meeting can exercise their votes through voting process. However, the shareholders who have already cast their votes through remote e-voting will not be entitled to participate in the voting process at the venue of the meeting. After conclusion of the voting, the Chairman will declare the meeting as closed.

13. VOTING RESULT

The Bank has appointed M/s R Sridharan & Associates, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process and the physical voting process at the meeting in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM, within forty eight hours of the conclusion of the AGM, issue a consolidated Report of the total votes cast in favour of or against the Special Resolution to the Chairman of the meeting.

The Voting Results will be announced by the Bank to the stock exchanges, hosted in the websites of the Bank and CDSL, the e-voting agency.

The instructions for Remote E-Voting are as under:

Members are requested to follow the instruction below to cast their vote through e-voting:

(i) The voting period begins on 07.07.2019, at 9.00 a.m.

09.07.2019 को शाम 5.00 बजे (आइएसटी) को समाप्त हो रही है। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारकों को जो उन्हें भौतिक रूप में या बेकागज़ीकृत रूप में कटऑफ की तिथि 03.07.2019 धारित किए हुए हैं वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। इसके बाद सीएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को असमर्थ कर दिया जाएगा।

ii) ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों को वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना चाहिए।

(iii) शेयरहोल्डर्स पर क्लिक करें।

(iv) अब अपनी यूज़र आइडी प्रविष्ट करें

  क. सीएसडीएल के लिए : 16 अंकों का लाभकर्ता आइडी

  ख. एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर की डीपी आइडी के बाद 8 अंकों की क्लाएंट आइडी

  ग. भौतिक रूप में शेयरधारित करने वाले सदस्यों को कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या प्रविष्ट करनी चाहिए।

(v) इसके बाद प्रदर्शित अनुसार इमेज वेरिफिकेशन प्रविष्ट कीजिए और लॉग इन पर क्लिक करें।

(vi) यदि आपके पास शेयर डीमैट रूप में हैं और आप www.evotingindia.com पर लॉग आन कर पहले किसी अन्य कंपनी की वोटिंग में वोट डाल चुके हैं तब आपको मौजूदा पासवर्ड इस्तेमाल करना है।

(vii) यदि आप प्रथम बार उपयोग कर रहे हैं तो नीचे दिए कदमों का पालन करें :

	डीमैट और भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक पैन प्रविष्ट करें (दोनों डीमैट और भौतिक रूप से शेयर धारित करने वालों पर लागू) • सदस्य जिन्होंने अपना पैन कंपनी / डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के पास अद्यतन नहीं कराया है उनसे अनुरोध है कि वे अपने नाम के पहले दो अक्षरों और पैन फील्ड में सिक्वेंस संख्याओं के 8 अंक का प्रयोग करें।
	• यदि सिक्वेंस संख्या 8 अंकों से कम है तो संख्या से पहले और अपने नाम के दो अक्षरों को कैपिटल लेटर में लिखने के बाद जितनी संख्याओं की आवश्यकता हो उतने '0' (शून्य) प्रविष्ट करें यानि यदि आपका नाम रमेश कुमार है और सिक्वेंस संख्या 1 है तब पैन फील्ड में आरए00000001 प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक विवरण **या** जन्म तिथि(डीओबी)	लॉग इन करने के लिए लाभांश बैंक या जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई प्रारूप में) प्रविष्ट करें जैसा कि आपके डीमैट खाते में या कंपनी में दर्ज़ है। • यदि दोनों विवरण डिपॉज़िटरी या कंपनी के पास दर्ज नहीं हैं तब कृपया लाभांश बैंक विवरण खाली स्थान में (iv) में दिए अनुदेशों के अनुसार सदस्य आइडी / फोलियो संख्या प्रविष्ट करें।

(VIII) इन विवरणों को सही प्रकार से भरने के बाद ''सबमिट'' टैब पर क्लिक करें।

(ix) भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य इसके बाद सीधे कंपनी चयन की स्क्रिन पर पहुंच जाएंगे। हालांकि, डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य 'पासवर्ड क्रिएशन' मेन्यू पर पहुंचेंगे यहां उन्हें अपना लॉग इन और पासवर्ड, नए पासवर्ड फील्ड में, अनिवार्य रूप से प्रविष्ट करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड को डीमैट शेयरधारकों द्वारा अन्य कंपनियों के संकल्पों की वोटिंग के लिए, जिनके लिए वे वोट करने के लिए पात्र हैं, वहां भी इस्तेमाल किया जाएगा बशर्ते कि कंपनी ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल

(IST), and ends on 09.07.2019 at 5.00 p.m. (IST). During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 03.07.2019 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(iii) Click on Shareholders.

(iv) Now Enter your User ID

  a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

  b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

  c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field.
	• In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other

के प्लेटफॉर्म का विकल्प चुनती है। यह ज़ोर देकर बताया जा रहा है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य के साथ साझा नहीं करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

(x) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों का विवरण सिर्फ इस नोटिस में मौजूद संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

(xi) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के ईवीएसएन पर क्लिक करें।

(xii) वोटिंग पेज पर आपको ''रिजॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन'' दिखाई देगा और उसी विकल्प में वोटिंग के लिए ''यस/ नो'' का विकल्प मिलेगा। अपनी इच्छा अनुसार यस या नो विकल्प का चयन करें। विकल्प यस का मतलब होगा कि आप संकल्प के पक्ष में हैं और विकल्प नो का अर्थ है कि आप संकल्प से सहमत नहीं है।

(xiii) यदि आपको पूरा संकल्प विवरण देखना है तो ''रिजॉल्यूशन फाइल लिंक'' पर क्लिक करें।

(xiv) वोट के लिए संकल्प का चयन करने के बाद ''सबमिट'' पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट को पुष्ट करना चाहते हैं तो ''ओके'' को क्लिक करें अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए ''कैंसिल'' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।

(xv) संकल्प पर एक बार अपने वोट की ''पुष्टि'' करने के बाद आपको अपने वोट में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xvi) आप वोटिंग पेज पर ''क्लिक हियर टू प्रिंट'' विकल्प से डाले गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।

(xvii) यदि कोई डीमैट खाता धारक अपना लॉग इन पासवर्ड भूल गया है तो उसे यूज़र आइडी और इमेज वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करना होगा और फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा।

(xviii) शेयरधारक अपना वोट सीडीएसएल के मोबाइल एप एम-वोटिंग के जरिए भी डाल सकते हैं जो एंड्रॉएड आधारित मोबाइल पर उपलब्ध है। एम वोटिंग एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एपल और विंडोज़ फोन इस्तेमाल करने वाले उपयोगकर्ता एप स्टोर या विंडोज़ फोन स्टोर से क्रमशः एप को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल पर वोट करते हुए कृपया अपने मोबाइल पर आ रहे अनुदेशों का पालन करें।

(xix) **गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों एवं अभिरक्षकों के लिए नोट**

- गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (यानि वैयक्तिक,एचयूएफ, एनआरआइ इत्यादि के अलावा) और संरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग इन करना होता है और खुद को कॉरपोरेट के तौर पर पंजीकृत कराना होता है।
- पंजीकरण फॉर्म की स्कैन्ड प्रति जिस पर ईकाई का स्टैंप और हस्ताक्षर अंकित होता है उसे helpdesk.evoting@cdslindia.com को ईमेल किया जाएगा।
- लॉग इन विवरण प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉग इन और पासवर्ड की मदद से एक अनुपालन उपयोगकर्ता सृजित करना होगा। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक कर सकेगा जिनके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
- लॉग इन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए और खातों की मंजूरी मिलने के बाद वे अपना वोट डाल सकेंगे।
- बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) जिसे उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई है तो, उसे पीडीएफ प्रारूप में संवीक्षक द्वारा जांच के लिए प्रणाली में अपलोड किया जाएगा।

company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xi) Click on the EVSN of Indian Overseas Bank.

(xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/ NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvii) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

(xix) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

- यदि ई-वोटिंग के सम्बन्ध में आपके प्रश्न हैं या मामले हैं तो आप अक्सर पूछे गए प्रश्नों (''एफएक्यू'') और www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल कर सकते हैं।
- जो लोग रीमोट ई-वोटिंग का विकल्प नहीं चुनते हैं वे इस नोटिस के व्याख्यात्मक विवरण अनुभाग में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार 10 जुलाई 2019 को होने वाली बैठक में मतदान के दौरान अपना वोट डाल सकते हैं।
- बैंक की असाधारण सामान्य बैठक के दिन या उसके बाद ई-वोटिंग के परिणाम घोषित किए जाएंगे। घोषित परिणाम को संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ बैंक के ईजीएम के दो दिनों के बाद बैंक की वेबसाइट यानि www.iob.in और सीडीएसएल की वेबसाइट यानि https://www.evotingindia.com पर डाला जाना चाहिए और एनएसई / बीएसई को भी सूचित किया जाना चाहिए।

निदेशक मंडल के आदेश से

चेन्नै
27.05.2019

(आर सुब्रमण्यकुमार)
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

- In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com
- Those who do not opt for remote e-voting can cast their votes at the Poll to be conducted at the meeting on 10th July 2019 as per the procedure stated in the Explanatory Statement section of this Notice.
- The Results of the e-voting shall be declared on or after the AGM of the Bank. The Results declared along with Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website i.e. www.iob.in and on the website of CDSL i.e. https://www.evotingindia.com within two days of the AGM of the Bank and also communicated to NSE/BSE.

By order of the Board of Directors

Chennai
27.05.2019

(R Subramaniakumar)
Managing Director & CEO

नोटिस की कार्यसूची

मद सं.2 के व्याख्यात्मक विवरणः

1. 31 मार्च 2019 को बेसल III के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.21% है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9.00% (सीसीबी रहित) से ज़्यादा है । फिर भी, बैंक की कुछ विस्तार योजनाओं के कारण, बेसल III मानदंड के कार्यान्वयन व तत्पश्चात पूंजी प्रभार के कारण पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और सुदृढ़ करने हेतु पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता है।

2. प्रदत्त पूंजी बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 3(2बी)(सी) के निबंधनों के अनुसार बैंक भारत सरकार का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा। तथापि, केन्द्रीय सरकार का धारणा, बैंक की प्रदत्त पूंजी में किसी भी समय में 52 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

3. एलओडीआर विनियम 2015 का विनियम 41 प्रावधान करता है कि बैंक द्वारा निर्गम या कोई नया निर्गम जारी किया जाता है और शेयरधारकों द्वारा सामान्य बैठक में कोई दूसरा निर्णय नहीं लिया गया है तो वर्तमान शेयरधारकों को भी समानुपातिक रूप से दिया जाना चाहिए। यह संकल्प यदि पारित हो तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक रूप से करने के अलावा, प्रतिभूति आबंटित व जारी करने हेतु बैंक की ओर से मंडल को अनुमति है

4. संकल्प बैंक को समर्थ करता है कि वह सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमानी निर्गम और/या निजी स्थानन के आधार पर आबंटन के ज़रिए ईक्विटी शेयरों /अधिमानी शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन कर सके । निर्गम राशि के कारण बैंक यह सुनिश्चित कर सकेगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएं सुदृढ़ हो जाए ।

5. संकल्प से यह भी अपेक्षित है कि आइसीडीआर विनियमन में उल्लिखितानुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ योग्य संस्थागत स्थानन करने हेतु निदेशक मंडल को अधिकार दिया जाए । शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त किए बिना, निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार में आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VI के तहत उल्लिखित इस प्रणाली को बैंक के लिए निधि जुटाने के लिए अपनाएं।

   आइसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के संदर्भ में क्यूआइपी इश्यू के मामले में, क्यूआइपी के आधार पर, प्रतिभूतियों के इश्यू , केवल एक मूल्य पर बनाया जा सकता है, जो "प्रासंगिक तिथि" से पहले दो सप्ताह के दौरान साप्ताहिक स्टाक एक्सचेंज में उद्धृत किए गए शेयरों के उच्च और निम्न औसत से कम नहीं होगा । बशर्ते कि जारीकर्ता गणना की गई कीमत पर पांच प्रतिशत से अधिक की छूट की पेशकश नहीं कर सकता है, जो विनियमों के विनियमन 172 के खंड (क) में निर्दिष्ट शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है । "प्रासंगिक तिथि" का अर्थ उस बैठक की तिथि से होगा जिसमें बैंक या समिति की समिति क्यूआइपी इश्यू को खोलने का निर्णय लेती है।

6. 31.03.2019 को बैंक की प्रदत्त पूँजी का 95.52% भारत सरकार व 7.48% पब्लिक धारण करती है। संकल्प के मद संख्या 2 के अनुसार एक या अधिक चरणों में ईक्विटी शेयर सृजित,ऑफर , प्रस्तावित, निर्गम और आबंटित करने के लिए बैंक शेयरधारकों के समक्ष समर्थ बनाने वाले संकल्प का प्रस्ताव रख रहा है।

7. प्रस्ताव के विस्तृत निबंधन व शर्तें वर्तमान बाज़ार स्थितियों व अन्य नियंत्रक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबन्धकों और हामीदारों और ऐसे अन्य प्राधिकार या प्राधिकारों जैसे आवश्यक है, के साथ परामर्श करके निर्धारित किए जाएंगे ।

8. चूंकि प्रस्ताव के मूल्यांकन का निर्णय बाद की तारीखों के अलावा नहीं लिया जा सकता, अतः जारी किए जानेवाले शेयरों का मूल्य बताना नामुमकिन है। तथापि यह आइसीडीआर विनियमन, अधिनियम और विनियमनों के प्रावधानों, जो समय

Explanatory Statement

Agenda item No. 2

1. The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2019, as per Basel III is 10.21% and above the 9.00% (excluding CCB) stipulated by the Reserve Bank of India. However, with a view to comply with Basel III requirements relating to capital adequacy, there is an increasing need to raise capital to shore up the capital adequacy of the Bank and fund the general business needs of the Bank.

2. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Act will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-two per cent of the paid – up equity capital of the Bank.

3. Regulation 41 of the LODR Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

4. The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares/preference shares/ securities by way of public issue, rights issue, preferential issue and/or on a private placement basis. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

5. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutions Placement with Qualified Institutional Buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VI of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

   In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made only at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". Provided that the issuer may offer a discount of not more than five per cent on the price so calculated, subject to approval of shareholders as specified in clause (a) of regulation 172 of the regulations. "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

6. As on 31.03.2019, the GOI holds 92.52% and the public holds 7.48% of the paid up capital of the Bank. Bank is proposing an enabling resolution before the shareholders to create, offer, issue and allot equity shares in one or more tranches as setout in the Item No.2 of the Resolution.

7. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

8. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance

समय पर संशोधित हैं या अन्य दिशानिर्देशों/ विनियमनों / सहमतियों जो लागू या आवश्यक हो, के अनुसार होगा ।

9. उक्त कारणों के कारण, और एक संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है जिससे मंडल को निर्गम के निबंधन निर्धारित करने हेतु पर्याप्त अधिकार दिया जा सकेगा ।

10. आंबटित इक्विटी शेयर सभी संदर्भों में लाभांश समेत बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे।

उपरोक्त कारणों के मेनज़र जैसा कि उपरोक्त वर्णित है कि बैंक को विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। तदनुसार, नोटिस के मद संख्या 2 में रखे गए प्रस्ताव हेतु विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति माँगी जा रही है।

निदेशक मंडल नोटिस में वर्णित संकल्पों को पास करने की संस्तुति देते हैं। बैंक के किसी भी निदेशक की, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा की हद के अलावा, पूर्वकथित संकल्प(पों) में कोई दिलचस्पी नहीं है न ही वे चिंतित हैं।

एजेंडा मद 3

दीर्घ अवधि के संसाधनों द्वारा कारोबार के विस्तार हेतु निधियों की बढ़ती आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया, साथ ही पूँजी पर्याप्तता से संबंधित बेसल III की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए व पूँजी जुटाने की योजना के अनुसार, बैंक अपने कर्मचारियों को **''आइओबी - ईएसपीएस 2019-20''** के अंतर्गत शेयर जारी करने के लिए प्रस्तावित करता है। उक्त प्रस्ताव, यदि आवश्यक हो तो भारत सरकार/ भा.रि.बैं./ स्टॉक विनिमयों व अन्य नियामक निकायों से अनुमोदनों के अधीन होता है।

अब, बैंक ने उन शर्तों व निबंधन पर जैसा कि ''आइओबी - ईएसपीएस 2019-20 '' के तहत वर्णित हैं अथवा बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार या ''इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए निदेशकों की समिति'' (समिति) के अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों सहित सभी स्थाई कर्मचारियों (''पात्र कर्मचारियों'') को इक्विटी शेयर प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है जो कि निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ-साथ लागू विधि, नियमों, विनियमों व दिशानिर्देशों के अधीन होगी।

i. बैंक की वृद्धि व लाभप्रदता में सहयोग देने के लिए पात्र कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना, बेहतर निष्पादन के लिए उनके प्रयत्नों को बढ़ावा देना;

ii. बैंक की वृद्धि के लिए पात्र कर्मचारियों को उनके लगातार समर्थन व सहयोग हेतु पुरस्कार देना;

iii. बैंक में स्वामित्व हित को प्राप्त करने के लिए पात्र कर्मचारियों द्वारा इक्विटी स्वामित्व को बढ़ावा देना।

आंबटित इक्विटी शेयर सभी संदर्भों में लाभांश समेत बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे।

एलओडीआर विनियमों का विनियम 41 बताता है कि जब कभी भी बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त इश्यू या ऑफर किया जा रहा है तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर वही प्रदान किया जाना चाहिए जबतक कि सामान्य बैठक में शेयरधारक निर्णय अन्यथा नहीं ले लेते। उक्त संकल्प, यदि पास हो जाता है तो वह बैंक की ओर से बोर्ड को वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर प्रतिभूतियाँ प्रदान करने के बजाए प्रतिभूतियाँ जारी व आबंटित करने के लिए अनुमति देगा।

इसके अतिरिक्त, सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (सेबी विनियम) के विनियम 6 व 14 के अनुसार, बैंक की प्रतिभूतियों को शामिल करते हुए सभी कर्मचारियों की लाभ योजना सेबी विनियमों व इस संबंध में सेबी द्वारा तैयार किए गए अन्य दिशानिर्देशों, विनियमों आदि के अनुपालन में होंगी।

सेबी द्वारा परिपत्र सं. सीआइआर/सीएफडी/पॉलिसी सेल/2/2015 दिनांकित 16 जून, 2015 में वर्णितानुसार, निम्नलिखित **''आइओबी - ईएसपीएस 2019-20 ''** के व्यापक निबंधन व शर्तों के साथ होगा :

with the provisions of the ICDR Regulations, the Act and the Regulations as amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

9. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

10. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

In the light of the reason as stated above, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a Special Resolution. Accordingly, the consent of the shareholders through a Special Resolution is being sought for the proposal as contained in item no. 2 of the Notice.

The Board of Directors recommends passing of the Resolution as mentioned in the notice. None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Agenda No. 3

In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources as may be decided by the Board, as also to comply with BASEL III requirements relating to capital adequacy, the Bank proposes to issue shares under **"IOB-ESPS 2019-20"** to its employees. The said proposal is subject to approvals from GOI/RBI/Stock Exchanges and other regulatory bodies, if required.

Now, the Bank proposes to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under "IOB-ESPS 2019-20" or as may be decided by the Board or Committee of Directors for Issue of Equity Shares (Committee) subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, with the following objectives:

i) Providing incentive to eligible employees, to stimulate their efforts towards better performance to contributing to the growth and profitability of the Bank;

ii) Rewarding eligible employees for their continued support and contribution towards the Bank's growth;

iii) Encouraging equity ownership by eligible employees by providing them with the means to acquire a proprietary interest in the Bank.

The equity shares issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

Regulation 41 of the LODR Regulations provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

Further as per Regulations 6 & 14 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (SEBI Regulations) all employees' benefit schemes involving the securities of the Bank shall be in compliance with SEBI Regulations and any other guidelines, regulations etc., framed by SEBI in this regard.

As per the requirements enumerated by SEBI through Circular No. CIR/CFD/POLICY CELL/2/2015 dated 16th June, 2015 the following would inter-alia be the broad terms and conditions of the **"IOB-ESPS 2019-20"**

1. **योजना का संक्षिप्त विवरण :**

बैंक, उन निबंधन व शर्तों पर जैसा **कि ''आइओबी - ईएसपीएस 2019-20 ''** के तहत वर्णित हैं अथवा बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार या ''इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए निदेशकों की समिति'' (समिति) के अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों सहित सभी स्थाई कर्मचारियों (''पात्र कर्मचारियों'') को इक्विटी शेयर प्रदान करने की इच्छा रखता है , इसके साथ ऑफर के समय, उपयुक्त प्रीमियम के साथ रु.10 के अंकित मूल्य पर 45.70 करोड़ के इक्विटी शेयरों से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. **प्रदान किए जाने वाले शेयरों की कुल संख्या**

45,70,00,000 इक्विटी शेयरों को **आइओबी - ईएसपीएस 2019-20** के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। हालांकि, **आइओबी - ईएसपीएस 2019-20** के अनुसार, किसी पात्र कर्मचारी को प्रदान किए गए शेयर, यदि वे गैर-सब्सक्राइब रहते हैं तो वे इच्छुक पात्र कर्मचारियों को उसी कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा कि बोर्ड या समिति द्वारा निर्णय लिया जाए।

3. **आइओबी - ईएसपीएस - 2019-20 में भाग लेने व लाभार्थी बनने के हक़दार कर्मचारियों के वर्ग की पहचान**

बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक समेत बैंक के सभी स्थाई कर्मचारी

4. **वेस्टिंग की आवश्यकता व वेस्टिंग की अवधि**

लागू नहीं

5. **अधिकतम अवधि (विनियमों के विनियम 18(1) व 24(1),जैसा भी मामला हो, के अधीन) जिसके भीतर विकल्प/एसएआरएस/ लाभ प्रदान किया जाएगा**

लागू नहीं

6. **विकल्प प्रयोग मूल्य ,एसएआर मूल्य, क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्मूला**

इक्विटी शेयरों के निर्गमन हेतु क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्मुला का निर्धारण ऑफर के समय सेबी (एस.बी.ई.बी) विनियम के अनुसार निदेशकों की समिति द्वारा किया जाएगा।

7. **विकल्प प्रयोग अवधि तथा विकल्प प्रयोग की प्रक्रिया**

निर्गमन / ऑफर की तारीख से एक माह

8. **आइओबी - ईएसपीएस - 2019-20 के लिए कर्मचारियों की पात्रता के निर्धारण हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया**

शेयरों की ऑफरिंग / निर्गमन की तारीख तक बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक समेत बैंक के सभी स्थाई कर्मचारी लागू विनियामक अपेक्षाओं व दिशानिर्देशों के अधीन भाग लेने के हक़दार होंगे।

9. **प्रति कर्मचारी व समग्रता में ज़ारी विकल्प, एसएआर, शेयर, जैसा भी मामला हो, की अधिकतम संख्या**

बैंक समग्रता में अधिकतम 45,70,00,000 इक्विटी शेयरों को ज़ारी करने का प्रस्ताव रखता है और प्रति कर्मचारी ज़ारी किए जाने वाले शेयर ज़ारी पूँजी के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

10. **योजना के तहत प्रति कर्मचारी को प्रदान किए जाने वाले लाभ की अधिकतम प्रमात्रा**

चूँकि नए शेयरों का ''**आइओबी - ईएसपीएस - 2019-20**'' के तहत निर्गमन प्रस्तावित है, पात्र कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।

11. **क्या योजना(ओं) को सीधे कंपनी द्वारा कार्यान्वित तथा एडमिनिस्टर किया जाना है या न्यास के ज़रिए**

''आईओबी-ई.एस.पी.एस 2019'' सीधे बैंक द्वारा कार्यान्वित तथा एडमिनिस्टर किया जाएगा।

1. **BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:**

The Bank desirous to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under **"IOB-ESPS 2019-20"** or as may be decided by the Board or Committee of Directors for Issue of Equity Shares (Committee) subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, not exceeding 45.70 crore equity shares at a face value of Rs 10 each with appropriate premium, at the time of offer.

2. **TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED**

Up to 45,70,00,000 equity shares are proposed to be offered to the eligible employees under the **"IOB-ESPS 2019-20"**. However, the portion of shares offered, pursuant to the **"IOB-ESPS 2019-20"**, to any eligible employees, if remains unsubscribed, shall be made available to interested eligible employees at such price, as may be decided by the Board or Committee.

3. **IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE "IOB-ESPS 2019-20"**

All permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank

4. **REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING**

Not Applicable.

5. **MAXIMUM PERIOD (SUBJECT TO REGULATION 18(1) AND 24(1) OF THE SEBI REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE) WITHIN WHICH THE OPTIONS / SARs / BENEFIT SHALL BE VESTED**

Not Applicable

6. **EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA**

Purchase price or pricing formula will be determined by the Committee of Directors for Issue of Equity Shares as per SEBI Regulations at the time of offer.

7. **EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE**

One month from the date of issue / offer.

8. **THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE "IOB-ESPS 2019-20"**

All permanent employees including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank as on the date of offering/ issue of shares will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

9. **MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE**

The Bank proposes to issue maximum of 45,70,00,000 equity shares in aggregate and shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1% of the issued capital.

10. **MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME**

As the new shares are proposed to be issued under **"IOB-ESPS 2019-20"**, no other benefits will be provided to eligible employees.

11. **WHETHER THE SCHEME(S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE COMPANY OR THROUGH A TRUST**

"IOB-ESPS 2019-20" will be implemented and administered directly by the Bank.

12. **क्या योजना(ओं) में कंपनी द्वारा नए शेयरों का निर्गमन न्यास द्वारा द्वितीयक अधिग्रहण या दोनों शामिल है**

''आइओबी - ईएसपीएस - 2019-20'' के तहत बैंक नए इक्विटी शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को ज़ारी करेगा।

13. **कंपनी द्वारा न्यास को योजना(ओं) के कार्यान्वयन हेतु प्रदान की जाने वाली ऋण की राशि, उसकी अवधि, उपयोग, चुकतान निबंधन आदिः**

चूँकि बैंक द्वारा ''**आइओबी - ईएसपीएस - 2019-20**'' के तहत शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को जारी किया जाता है, न्यास के गठन या न्यास को ऋण प्रदान किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

14. **सेकंडरी अधिग्रहण की प्रतिशतता (विनियमों के तहत निर्दिष्ट सीमा के अधीन) जिसे योजना(ओं) के लिए न्यास द्वारा किया जा सकता है**

चूँकि बैंक द्वारा ''**आइओबी - ईएसपीएस - 2019-20**'' के तहत शेयरो को सीधे पात्र कर्मचारियों को ज़ारी किया जाता है, न्यास के गन्यास द्वारा सेकंडरी अधिग्रहण का प्रश्न नहीं उठता।

15. **कंपनी विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगी, इस अर्थ की विवरणी**

बैंक विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगी।

16. **प्रक्रिया जिसे कंपनी अपने विकल्पों या एसएआर के मूल्य निर्धारण के लिए प्रयोग करेगी।**

चूँकि ''**आइओबी - ईएसपीएस - 2019-20**'' के तहत सिर्फ शेयर ज़ारी किए जाते हैं, एसएआर के मूल्य निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

17. **निम्नलिखित विवरणी, यदि लागू होः**

यदि कंपनी यथार्थ मूल्य के आधार पर शेयर आधारित कर्मचारी लाभ के विकल्प को नहीं चुनती है तो परिकलित कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत व उचित मूल्य के उपयोग पर आने वाले कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत के अंतर को निदेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा और इस अंतर की वजह से कंपनी के लाभ व प्रति शेयर अर्जन (''ईपीएस'') पर पड़ने वाले प्रभाव को भी निदेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।

बैंक उक्त अपेक्षाओं का आवश्यकता पड़ने पर पालन करेगा।

लॉक-इन अवधिः

आइओबी - ईएसपीएस 2019-20 के तहत ज़ारी इक्विटी शेयरों को सेबी विनियमों के अनुसार आबंटन की तारीख से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक किया जाएगा।

इस लिए बैंक को विशेष संकल्प के ज़रिए शेयरधारकों से सहमति प्राप्त करनी होगी। अतः उक्त प्रस्ताव हेतु आपकी सहमति का अनुरोध है।

निदेशक मंडल प्रस्तावित विशेष संकल्प के पारित होने को संस्तुत करता है। बैंक का कोई भी निदेशक उक्त संकल्प (पों) के प्रति इच्छुक नहीं है, बिना बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा के।

निदेशक मंडल के आदेश से

(आर सुब्रमण्यकुमार)
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

चेन्नै
27.05.2019

12. **WHETHER THE SCHEME(S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH**

Under the **"IOB-ESPS 2019-20"**, the Bank will issue new equity shares directly to the eligible employees.

13. **THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME(S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS, ETC.;**

As the shares are directly issued to the eligible employees under the **"IOB-ESPS 2019-20"** by the Bank, formation of the trust or providing loan to the trust does not arise.

14. **MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME(S)**

As the shares are directly issued to the eligible employees under the **"IOB-ESPS 2019-20"** by the Bank, secondary acquisition by the trust does not arise.

15. **A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE COMPANY SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15**

Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15

16. **THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs**

As only the shares are issued under the **"IOB-ESPS 2019-20"**, the valuation of options or SARs does not arise.

17. **THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE:**

'In case the company opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' Report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the company shall also be disclosed in the Directors' Report.

The Bank will comply with the above requirements as and when applicable.

Lock in period:

The equity shares issued under **"IOB-ESPS 2019-20"** shall be locked in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI Regulations. For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution. None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank.

By order of the Board of Directors

(R Subramaniakumar)
Managing Director & CEO

Chennai
27.05.2019

निदेशक रिपोर्ट - 2018-19

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र एवं लाभ व हानि खाते के साथ-साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए निदेशक मण्डल को हर्ष का अनुभव हो रहा है ।

वैश्विक कारोबार निष्पादन

2019 में वैश्विक विकास दर 3.3% तथा 2020 में 3.4% रहना अनुमानित है, जिसमें निरंतर नकारात्मक जोखिम बना हुआ है । नीतियों में उच्च अनिश्चितता, चल रहे व्यवसाय में तनाव, व्यवसाय में कमी के साथ ही उपभोक्ता के विश्वास में क्षरण मंदी में योगदान कर रहे हैं । वैश्विक व्यापार विकास दर में भारी गिरावट आई है तथा कई देशों में नए ऑर्डर नकारे जा रहे हैं । विगत वर्ष लागू की गई व्यापार बाध्यताओं ने निवेश तथा जीवन स्तर विशेष रूप से न्यूनआय के परिवारों के विकास को बाधित किया है ।

भारत की जीडीपी की विकास दर में गिरावट आई है, लेकिन इसका वित्तीय वर्ष 2019 तथा 2020 में लगभग 71/4 प्रतिशत रहना अनुमानित है । व्यापारिक आत्मविश्वास तथा निवेश मजबूत बना हुआ है तथा गतिविधियों को वित्तीय स्थितियों से समायोजनकारी राजकोषीय नीति तथा हाल ही के संरचनात्मक सुधारों का लाभ पहुंचना चाहिए ।

बैंक वर्तमान वर्ष में अपने तुलनपत्र को पुनः संतुलित करने के लिए प्रयासरत है । बैंक का ध्यान जोखिम को घटाते हुए आरएएम पोर्टफोलियो को सुधारने तथा पूंजी पर्याप्तता को बने रखने की ओर केन्द्रित था । इसके अलावा बैंक ने अपना ध्यान थोक जमाओं से हटाकर अपने न्यूनमूल्य जमाओं की अंश धारिता को बढ़ाया है । 31 मार्च 2018 को रूपये **3,67,831** करोड़ के मुक़ाबले 31 मार्च 2019 को बैंक वैश्विक व्यापार स्तर रूपये **3,74,530** करोड़ पर बना हुआ है । बैंक का वैश्विक जमा तथा सकल अग्रिम 31 मार्च 2018 के रूपये **2,16,832** करोड़ तथा रूपये **1,50,999** करोड़ के मुक़ाबले 31 मार्च 2019 को क्रमशः रूपये **2,22,534** करोड़ तथा **1,51,996** करोड़ के स्तर पर बना हुआ है ।

वित्तीय कार्य निष्पादन

क्योंकि परिचालन वातावरण स्थिर रहा इसलिए चालू वर्ष के दौरान परिचालन दक्षता में सुधार करने का प्रयास किया गया । तुलन पत्र का सही आकार दिए जाने का प्रभाव काफी हद तक राजस्व प्रवाह पर पड़ा जिसे व्यय के साथ अनुकूलित कर सावधानीपूर्वक संतुलित किया गया । तुलन पत्र के गैर-बैंकिंग संचालन से आय पर ध्यान केन्द्रित किया गया जिससे बैंक को अपनी परिचालन दक्षता को बनाए रखने में मदद मिली । नतीजतन, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में अपने परिचालन लाभ को बढ़ा कर 5,034 करोड़ रुपये कर लिया जोकि पिछले वर्ष में रु.**3,629** करोड़ दर्ज किया गया था ।

बैंक ने अपना ध्यान सकल एनपीए को कम करने की ओर केन्द्रित किया जिसके चलते वित्तीय वर्ष 2017-18 सकल एनपीए 38,180 करोड़ के मुक़ाबले वित्तीय वर्ष 2018-19 में घटकर रूपये 33,398 करोड़ रहा गया । वर्ष के दौरान रुपये 8,772 करोड़ की उच्च प्रावधान आवश्यकताओं ने बैंक को सालाना रुपये **3,738** करोड़ के शुद्ध हानि को रिपोर्ट करने के लिए विवश कर दिया । बैंक ने वर्ष 2017-18 के दौरान रूपये 6,299 करोड़ की हानि रिपोर्ट की थी ।

आय एवं व्यय विश्लेषण

तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष के पुनर्वितरण का बैंक के राजस्व पर बड़ा असर पड़ा। यद्यपि, बैंक को जमा लागत के अनुकूल लागत के साथ कम लागत वाली जमा पर ध्यान केंद्रित करने से लाभ प्राप्त हुआ किन्तु एनपीए स्तर और पूंजीगत बाधाओं ने आय में सुधार के विकास के अवसरों को प्रतिबंधित कर दिया । प्रभारों के स्वचालितकरण के साथ ही गैर ब्याज आय में सुधार के लिए अधिकतम प्रयास किए गए जिसके अच्छे परिणाम मिले । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस वित्तीय वर्ष में गैर ब्याज आय रुपये 4,206 करोड़ में पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3,746 करोड़ की अपेक्षा 12.28% की वृद्धि दर्ज की गई है ।

घरेलू कासा जमा 31 मार्च 2019 को रूपये **84,394** करोड़ पर बरकरार रहा जो गत वर्ष 31 मार्च 2018 को रूपये 78,739 करोड़ था । कासा का प्रतिशत 31 मार्च 2018 को **37.43%** के मुक़ाबले 31 मार्च 2019 को **38.72%** अधिक रहा ।

उच्च स्तर के कसा और थोक जमा में कमी ने बैंक को घरेलू जमा की लागत को कम करने में मदद की जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के के अंत में **5.49%** थी जबकि ये वित्त वर्ष 2017-18 में **5.62%** थी । वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए घरेलू अग्रिम घट कर **7.41%** रह गए जो पिछले वर्ष **7.91%** था ।

2017-18 में **7.77%** की तुलना में पूरे वर्ष 2018-19 के लिए निवेश पर घरेलू उपज **6.97%** तक घट गई । बैंक **2.19%** के मुकाबले 2018-19 में वैश्विक शुद्ध ब्याज मार्जिन **2.08%** पर बनाए रखने में सक्षम था । बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 70.19% का प्रावधान कवरेज अनुपात बनाए रखा जबकि यह वित्त वर्ष 2017-18 में 59.45% था ।

2018-19 के दौरान जुटाई गई पूंजी

भारत सरकार के द्वारा पूंजी निवेश

बैंक ने नकदी के बदले भारत सरकार को प्राथमिक आधार पर 12 नवंबर 2018 को 137,30,10,821 शेयर रूपये 10/- प्रति इक्विटी शेयर के रूप में रूपये 15.71 प्रति इक्विटी शेयर की इश्यू कीमत पर (रूपये 5.71 प्रति इक्विटी शेयर प्रीमियम सहित)जारी किए थे जिसके लिए 23 जुलाई 2018 को रूपये 2,157/- करोड़ रूपये भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुए थे तथा 21 फरवरी 2019 को 269,54,67,422 शेयर रूपये 10/- प्रति इक्विटी शेयर के रूप में रूपये 14.12 प्रति इक्विटी शेयर की इश्यू कीमत पर (रूपये 4.12 प्रति इक्विटी शेयर प्रीमियम सहित) जारी किए थे जिसके लिए भारत सरकार द्वारा 28 मार्च 2019 को रूपये 3,806/- करोड़ रूपये प्राप्त हुए थे ।

कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना

बैंक के ईएसपीएस 31 दिसंबर 2018 को खरीद के लिए जारी किए गए थे तथा पूर्वनिर्धारित तिथि 21 जनवरी 2019 तक खरीद के लिए उपलब्ध थे । बैंक ने अपने कर्मचारियों को रियायत दर पर रूपये 11.90 प्रति शेयर के आधार पर 18,24,00,000 एक्विटी शेयर खरीद के लिए जारी तथा आबंटित किए थे । इस प्रक्रिया में बैंक ने अपनी पूंजी निधि को रूपये 261 करोड़ तक संवर्धित किया । आईओबी ने **ईएसपीएस की शतप्रतिशत खरीद के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऐसे पहले बैंक होने का** कीर्तिमान सृजित किया । सेबी के तहत आवश्यक खुलासा (शेयर आधारआईटी कर्मचारी लाभ) विनिमय, 2014 जोकि बैंक की वैबसाइट https://www.iob.in/Investor-cell पर उपलब्ध हैं, पर जा कर सेबी की परिपत्र संख्या सीआईआर/ सीएफ़डी/ पॉलिसीसेल/ 2/ 2015 दिनांकित 16 जून 2015 पढ़ा जा सकता है । आईओबी ईएसपीएस 2018 सेबी के विनियमन 2014 (शेयर आधारित कर्मचारियों को लाभ) का अनुपालन करती है ।

वर्ष की समीक्षा करने पर भरत सरकार की शेयरधारिता रूपये 4,389.08 करोड़ (89.74%) से बढ़ कर रूपये 8,457.56 करोड़ (92.52%) हो गई तथा सार्वजनिक शेयर धारिता रूपये 684.09 करोड़ (वर्तमान में 7.48 प्रतिशत) पर स्थिर है बैंक की प्रदत्त पूंजी रूपये 4890.77 करोड़ से बढ़ कर रूपये 9141.65% हो गई है ।

टियर II बॉन्ड की स्थापना

दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंक ने आबंटन के दिनांक से 10 वर्ष के कार्यकाल के साथ 11.70% की कूपन दर पर निजीप्लेसमेंट के आधार पर बेसल III शिकायतकर्ता टियर II बॉन्ड को 5वें वर्ष अथवा उसके बाद की किसी भी कूपन भुगतान की तारीख के आधार पर 300 करोड़ रूपये जुटाए । क्रिसिल एवं इकरा की रेटिंग के अनुसार क्रिसिल की रेटिंग A+/ स्टेबल तथा {इकरा} A + (एचवाईबी)/ बैंक के द्वारा जारी टायर II बॉन्ड के लिए नकारात्मक ।

प्राधिकृत पूंजी

31 मार्च 2019 तक बैंक की प्राधिकृत पूंजी रूपये 10,000 करोड़ है ।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

31 मार्च 2019 तक बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात बेसल III मानदंडों के अनुसार 10.21% था ।

शाखा नेटवर्क

31 मार्च 2018 को बैंक की 3,332 घरेलू शाखाओं के मुकाबले 31 मार्च 2019 को बैंक की 3,280 शाखाएँ थीं । जिसमें 914 ग्रामीण शाखाएं (27.87%), 965 अर्ध शहरी शाखाएं (29.42%), 669 शहरी शाखाएं (20.40%) और 732 मेट्रोपॉलिटन शाखाएँ (22.32%) शामिल थीं । इसके अलावा, बैंक के पास 7 अंचल कार्यालय, 48 क्षेत्रीय कार्यालय, 3 विस्तार काउंटर, 2 सैटेलाइट कार्यालय, 3 सिटी बैंक ऑफिस और 6 अंचल लेखापरीक्षा कार्यालय हैं । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने प्रशासनिक लागत को तर्कसंगत बनाने के लिए एक शाखा खोली और 53 शाखाएं बंद कर दी हैं ।

DIRECTORS' REPORT 2018-19

The Board of Directors have pleasure in presenting the Annual Report together with Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2019.

Global Business Performance

Global growth is projected at 3.3% in 2019 and 3.4% in 2020, with downside risks continuing to build. High policy uncertainty, ongoing trade tensions, and a further erosion of business and consumer confidence are all contributing to the slowdown. Global trade growth has slowed sharply and new orders continue to decline in many countries. The trade restrictions introduced last year are a drag on growth, investment and living standards, particularly for low-income households.

GDP growth in India has eased, but is projected to be around 7¼ per cent in FY 2019 and FY 2020. Business confidence and investment remain strong, and activity should benefit from easing financial conditions, accommodative fiscal policy and recent structural reforms.

The Bank continued its efforts towards rebalancing its Balance Sheet under the current year. The focus was laid on to improve the RAM portfolio with a view to mitigate the risk and improve capital efficiency. The Bank further reduced the concentration of Bulk deposits and improved the share of low cost deposits. The Global Business level stood at **Rs. 3,74,530** crores as on 31st March 2019 against **Rs. 3,67,831** crores as on 31st March 2018. The global deposits and gross advances stood at Rs. 2,22,534 crores and **Rs. 1,51,996** crores respectively as on 31st March 2019 against **Rs. 2,16,832** crores and **Rs. 1,50,999** crores respectively as on 31st March 2018.

Financial Performance

The efforts during the current year were aimed at sustaining the higher operational efficiency levels as the operating environment remained firm. The right sizing of balance sheet had its impact felt on the revenue streams substantially which was cautiously balanced with optimising the expenses. Focused attention was laid to improve the other income sources which helped the Bank to report substantial improvement in its operational efficiency. As a result, the Bank improved its operating profit which ended at Rs.5,034 crores in FY 2018-19 compared to Rs. 3,629 crores recorded in previous year.

Focused attention was laid on Gross NPA reduction which decreased and ended at Rs. 33,398 crores for FY 2018-19 as against Rs. 38,180 crores in FY 2017-18. The higher provision requirements of Rs.8772 crores during the year forced the Bank to report a Net Loss of Rs.3738 crores for the year. The Bank had reported Rs. 6,299 crores of loss during 2017-18.

Income and Expenditure Analysis

The rebalancing of asset side of the Balance sheet had major impact on the revenues of the Bank. Even though, the Bank got benefit from its focused attention on low cost deposit with a favorable Cost of Deposits, the marginal easing under NPA levels & Capital constraints restricted the growth opportunities to improve the income level. Maximum effort was laid on towards improving the Non interest income with higher thrust given on automating charges which has yielded results. It is noteworthy to mention that the Non Interest Income recorded a growth of 12.28% to end at Rs. 4,206 crores as against Rs. 3,746 crores recorded in FY 2017-18.

The domestic CASA deposits stood at **Rs. 84,394** crores as on 31st March 2019 as against Rs. 78,739 crores as on 31st March 2018. The CASA% stood higher at **38.72%** as on 31st March 2019 as against **37.43%** as on 31st Mar 2018.

The higher level of CASA and reduction of the bulk deposits helped the Bank to reduce the domestic Cost of deposits which ended at **5.49%** for FY 2018-19 as against **5.62%** in FY 2017-18. The yield on domestic advances came down to **7.41%** for FY 2018-19 as against **7.91%** in the previous year.

The domestic yield on investments stood at **6.97%** for the whole year 2018-19 compared to **7.77%** in FY 2017-18. The Bank was able to maintain the global Net interest margin at **2.08%** in 2018-19 as against **2.19%.** The Bank maintained a Provision Coverage Ratio of 70.19% for FY 2018-19 as against 59.45% for FY 2017-18.

Capital Raised during 2018-19

Capital Infusion by Government of India

The Bank issued 137,30,10,821 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of Rs. 15.71 per equity share (including premium of Rs.5.71 per equity share) aggregating to Rs. 2,157 crores to Government of India on Preferential Basis on 12th November 2018 for the capital infusion received from Government of India on 23rd July 2018 and 269,54,67,422 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of 14.12 per equity share (including premium of Rs.4.12 per equity share) aggregating to Rs.3,806 crores to Government of India on Preferential Basis on 28th March 2019 for the capital infusion received from Government of India on 21st February 2019.

Employee Stock Purchase Scheme

The Bank's ESPS was launched for subscription on 31st December 2018 and the Issue was closed on 21st January 2019 as scheduled. The Bank issued and allotted 18,24,00,000 equity shares to its employees at a discounted price of Rs. 11.90 per share. In this process the Bank augmented its capital funds to the extent of Rs. 261 crores. IOB has scripted history by becoming **the first Public Sector Bank to record 100% subscription to ESPS.** Disclosures required under SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 read with SEBI circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/2/2015 dated June 16, 2015 are available on the Bank's website https://www.iob.in/Investor-cell. The IOB ESPS 2018 Scheme is in compliance with the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014.

During the year under review, the shareholding of Government of India, has increased from Rs. 4,389.08 crores (89.74%) to Rs. 8,457.56 crores (92.52%) and the Public shareholding stands at Rs.684.09 crores (presently 7.48%). The paid-up capital of the Bank has increased from Rs. 4890.77 crores to Rs. 9141.65 crores.

Raising of Tier II Bonds

During the quarter ended December 2018, the Bank had raised Basel III Compliant Tier II bonds aggregating Rs. 300 crore on private placement basis at a coupon rate of 11.70% with tenor of 10 years from the date of allotment and with call option at the end of the 5th year or on any coupon payment date thereafter. M/s. CRISIL and M/s. ICRA have assigned ratings of CRISIL A+/Stable and [ICRA] A+(hyb)/ Negative for the Tier II Bonds Issue of the Bank.

Authorized Capital

As on 31st March 2019, the Authorized Capital of the Bank is Rs. 10,000 crores.

Capital Adequacy Ratio

The Bank's capital adequacy ratio as on 31st March 2019 stood at 10.21 % as per Basel III norms.

Branch Network

The Bank has 3,280 domestic branches as on 31st March 2019 as against 3,332 branches as on 31st March 2018, comprising of 914 rural branches (27.87%), 965 Semi Urban branches (29.42%), 669 Urban branches (20.40%) and 732 Metropolitan branches (22.32%). The Bank also has 7 Zonal Offices, 48 Regional Offices, 3 Extension Counters, 2 Satellite Offices, 3 City Back Offices and 6 Zonal Audit Offices. During the year under review, the Bank has closed 53 branches and opened one branch.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

कॉरपोरेट गवर्नेंस अपने दिन-प्रतिदिन के मामलों के संचालन में बैंक की अंतर्निहित मूल्य प्रणाली को दर्शाता है। बैंक प्रभावी कॉर्पोरेट प्रशासन के महत्व की महत्वपूर्णता को बैंक की सुरक्षित और सुदृढ़ कार्यप्रणाली के लिए मान्यता देता है और बैंक और उसके हितधारकों के हितों की सेवा के लिए रणनीतिक उद्देश्यों को स्थापित करने के लिए संरचनाओं, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को स्थापित करने पर जोर देता है और जो प्रभावी निगरानी की सुविधा भी प्रदान करता है।

आईओबी - अंदरूनी व्यापार, 2019 के निषेध के लिए आचार संहिता

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियमन, 2015 के विनियमन 9 के प्रावधानों के विनियमन तथा अनुपालन के लिए बैंक ने **अंदरूनी व्यापार, 2015 के निषेध के लिए आईओबी आचार संहिता तैयार की है** ताकि निदेशक, कर्मचारियों तथा बैंक से संबन्धित अन्य व्यक्तियों के द्वारा व्यापार की रिपोर्ट तथा निगरानी की जा सके।

सेबी के (अंदरूनी व्यापार निषेध)(संशोधित) विनियम 2018 के संशोधन के मेनजर, बैंक ने अब 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी **अंदरूनी व्यापार के निषेध के लिए आईओबी कोड ऑफ कंडक्ट**, 2019 तैयार किया है। नया कोड विनियमित करने के लिए निर्धारित है। 'अंदरूनी सूत्रों' द्वारा निगरानी और ट्रेडिंग की रिपोर्टिंग ''केवल नामित व्यक्तियों'' तक ही सीमित है।

सेबी (कर्तव्यों की सूची और आवश्यक विनियमन का खुलासा) -2015 (एलओडीआर)

- बैंक को अपने शेयरधारकों को वार्षिक आम सभा / अतिविशिष्ट आम सभा में ई - मतदान हेतु रिमोट प्रदान करना चाहिए।
- बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन (जैसे बैंक के महा प्रबन्धक) पर भी आचारसंहिता लागू होगी।
- बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट लेखा परीक्षा समिति और बीएसई तथा एनएसई जहां पर बैंक के शेअर लिस्ट किए गए हैं, जमा करती है।
- बैंक बीएसई तथा एनएसई को तिमाही निवेशक शिकायत रिपोर्ट भी जमा करती है।

निवेशक शिक्षण और सुरक्षा फंड (आईईपीएफ़)

कॉर्पोरेट संबंध मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने वर्ष 2010-11 से संबंधित आदत्त लाभांश दिनांक 07 सितंबर 2018 को आईईपीएफ़ के खाते में हस्तांतरित करवा दी है। वर्ष 2011-12 से 2013-14 का आदत्त लाभांश एमसीए की वेबसाइट पर पोर्ट करावा दी गई है तथा यह www.iob.in. पर भी उपलब्ध है। तदनुसार आईईपीएफ़ को आदत्त लाभांश हस्तांतरित करने के मामले में बैंक ने भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

बैंक नियामक प्राधिकारियों / भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों/ विनियमों का अनुपालन करता है। बैंक शेयरधारकों की शिकायतों का निपटान बिना किसी विलंब के करता है।

निदेशक बोर्ड

श्री विष्णुकुमार बंसल, अतिरिक्त निदेशक, का दो वर्ष का कार्यकाल समाप्त हुआ एवं 7 अगस्त 2018 श्री शिवरमण अनंत नारायण, गैर अधिकारी निदेशक ने बोर्ड से 15 नवंबर 2018 को त्यागपत्र दे दिया।

आभार

निदेशक बोर्ड भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय सुरक्षा और विनियमयन बोर्ड, स्टॉक एक्सेंज, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और सभी विदेशी नियामकों का उनके अमूल्य सलाह और सहायता के लिए आभारी है। निदेशक बोर्ड अपने अमूल्य ग्राहकों, कर्मचारी यूनियन ,अधिकारी संघ, घरेलू और विदेशी बैंकिंग समूह , शेयरधारकों तथा सभी हितधारकों के उनके समर्थन के लिए आभारी है तथा यह आशा करते हैं कि वे बैंक को इसी प्रकार सहयोग देंगे।

इसके साथ बोर्ड बैंक के सभी स्तरों के स्टाफ सदस्यों की गहन प्रशंसा को भी दर्ज करता है और भविष्य में उनसे यह आशा करता है कि वे लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना संपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे।

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

चेन्नै
9 मई 2019

श्री आर सुब्रमण्यकुमार
प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण

आर्थिक और बैंकिंग वातावरण

केन्द्रीय संख्यकी कार्यालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7% की विकास दर दर्ज की थी। हालांकि वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की विकास दर 6.6% की अपेक्षा 2019 की चौथी तिमाही में 6.5% तक सुधर सकती है। मंदी की वजह निजी खपत में गिरावट, फिक्स्ड् निवेश में कुछ कमी तथा निर्यात का रुकना था। अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ठोस औद्योगिक विकास अंकित किया तथा आधार वर्ष 2011-12 के साथ संबन्धित पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 अप्रैल से जनवरी के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूची (आईआईपी) में 4.4% की बढ़त दर्ज की। उद्योग यथा उत्पादन तथा विनिर्माण/ निर्माण में प्रमुख रूप से विस्तार हुआ है।

बैंकिंग क्षेत्र में ऋण देने की क्षमता में सुधार तथा फिसलनों में कमी विकास के सकारात्मक चिन्ह हैं। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में उनकी पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ बैंकों की ऋण देने की क्षमता में बढ़ोत्तरी के लिए निवेश किया था। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों का सीडी अनुपात 78% के आसपास बना हुआ है। एनसीएलटी खातों से त्वरित वसूली ने बैंकिंग व्यवस्था के विकास को और अधिक गति प्रदान की है।

बैंक की पृष्ठभूमि

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 को श्री एम सीटी एम चिदंबरम चेट्टीयार जो कि कई क्षेत्रों के अग्रणी थे, द्वारा की गई। 1969 में राष्ट्रीयकृत 14 बैंकों में से आईओबी एक प्रमुख बैंक था। 1969 में राष्ट्रीयकरण की पूर्व संध्या पर, आईओबी की भारत में 195 शाखाएँ थीं जिसमें कुल जमाएँ 67.70 करोड़ रूपए और 44.90 करोड़ रूपए थी।

बैंक की विदेश में 5 देशों में उपस्थिती है, जो हैं सिंगापुर ,हाँग काँग ,थाईलैंड ,श्रीलंका और दक्षिण कोरिया में हैं। वित्तवर्ष के दौरान आईओबी के द्वारा दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यथा तमिलनाडु में पांडियन ग्रामीण बैंक तथा ओडिशा में ओड़ीशा ग्रामीण बैंक प्रायोजित हैं।

मुख्य विशेषताएँ

- बैंकिंग क्षेत्र में 82 वर्षों से सेवारत
- भारत में 3280 शाखाओं और 3450 एटीएम के साथ मजबूत उपस्थिती
- वित्तीय समावेशन की पहुँच अधिक लोगों तक पहुंचाने और उनकी सहायता करने हेतु 57% शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
- अधिक लोगों तक पहुँचने हेतु 2705 कारोबार संवाहक
- दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु राज्य में एक मजबूत ब्रांड
- 36 मिलियन सक्रिय ग्राहकों का विश्वास
- 6 शाखाओं और 1 प्रतिनिधि कार्यालय के साथ विदेशों में उपस्थिति
- कम लागत वाले कासा जमा में स्थिर वृद्धि
- घरेलू अग्रिमों में 67.20% का योगदान देते हुए खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन

बैंक का परिचालन

घरेलू जमाएँ

31 मार्च 2018 के रु. 2,10,388 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2019 को बैंक की कुल घरेलू जमाएँ रु. 2,17,963 करोड़ रहीं। कासा में सुधार हेतु मुख्य रुप से बैंक द्वारा उठाए गए

Corporate Governance

Corporate Governance reflects the built in value system of the Bank in conducting its day to day affairs. The Bank recognizes the critical importance of effective Corporate Governance for the safe and sound functioning of the Bank and lays emphasis on ensuring that structures, processes and systems are put in place to establish strategic objectives to serve the interest of the Bank and its stakeholders with a view to facilitate effective monitoring.

IOB – Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, 2019

Pursuant to Regulation 9 of Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Bank had formulated IOB Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, 2015, to regulate, monitor and report trading by the Directors, employees and other connected persons of the Bank with a view to comply with the provisions of the Regulations.

In view of the amendments vide SEBI (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018, the Bank has now formulated IOB Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, 2019 effective from 1st April 2019. The new Code is prescribed to regulate, monitor and report trading by 'Insiders' limited to only 'Designated Persons'.

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations), 2015 (LODR)

As per SEBI (LODR),

- The Bank is providing remote e-voting facility to its shareholders, in all Annual General Meetings/ Extraordinary General Meetings.
- The Code of Conduct is applicable to all members of the Board and the Senior Management (i.e., General Managers of the Bank).
- The Bank is submitting a quarterly compliance report on Corporate Governance to the Audit Committee of the Board and to BSE & NSE, where the shares of the Bank are listed.
- The Bank is also submitting Quarterly Investor Grievance Report to BSE & NSE.

Investor Education & Protection Fund (IEPF)

As per the guidelines of Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India, the Bank transferred Unpaid Dividend amount pertaining to the year 2010-11 to IEPF on 7th September 2018. The unpaid dividend data pertaining to the years 2011-12 to 2013-14 is ported in MCA website and is also available at www.iob.in. Accordingly, the Bank has complied with the guidelines of Government of India in respect of transfer of unpaid dividend to IEPF.

Bank is complying with all guidelines/regulations laid down by the Regulatory Authorities and Government of India from time to time. The Bank redresses the shareholders grievances without any delay.

Board of Directors

Shri Vishnukumar Bansal, Additional Director, two years' term ended on 7th August 2018 and Shri Sivaraman Anant Narayan, Non-Official Director, resigned from the Board on 15th November 2018.

Acknowledgement

The Board of Directors are grateful for the valuable guidance and support received from the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, State Governments, Financial Institutions and all Overseas Regulators. The Board of Directors acknowledge with thanks the valued Customers, Employees Union, Officers Association, domestic and international banking group, the shareholders & other stake holders for their valued support and continued patronage with the Bank.

The Board also wishes to place on record its profound appreciation for the valuable contribution of the Bank's Staff at all levels and looks forward to their continued involvement with commitment towards achieving the future goals.

For and on behalf of the Board of Directors

Chennai **R Subramaniakumar**

9th May, 2019 Managing Director & Chief Executive Officer

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Economic and Banking Environment

Indian economy registered a growth rate of 7% during the FY2018-19 period as per advance estimates of the Central Statistical Office. However, the growth may ease to 6.5% in Q4 FY19, against 6.6% in the previous quarter as per the finance ministry report. The slowdown was due to declining growth of private consumption, tepid increase in fixed investment and muted exports. The economy witnessed robust industrial growth during FY 2018-19 and the Index of Industrial Production (IIP) with base 2011-12 for the April-January period for 2018-19 registered a 4.4% increase over the corresponding period for the previous year. Industries such as capital goods and infrastructure/construction goods expanded significantly.

In Banking Sector, improvement in credit off take and reduction in slippages are positive signals for the growth. Government of India infused capital to the PSBs to meet the regulatory requirements as well to improve the credit off take. The CD ratio of PSBs are hovering around 78%. The speedy recovery from the NCLT accounts is expected to fuel the growth of the banking system.

Background of the Bank

Indian Overseas Bank (IOB) was founded on 10th February 1937 by Shri. M. Ct. M. Chidambaram Chettyar, a pioneer in many fields. IOB was one of the 14 major banks that were nationalized in 1969. On the eve of Nationalization in 1969, IOB had 195 branches in India with aggregate deposits of Rs.67.70 crores. and Advances of Rs.44.90 crores.

Bank has its overseas presence in 5 countries Singapore, Hongkong, Thailand, Srilanka and South Korea. IOB sponsored two Regional Rural Bank namely Pandiyan Grama Bank in Tamil Nadu and Odisha Gramya Bank in Odisha during the financial year.

Key Highlights

- 82 years in the service of Banking.
- Strong Domestic presence of 3280 Branches & 3450 ATMs.
- 57% of Branches catering to the needs of Rural and Semi Urban centres enhancing deeper Financial Inclusion.
- 2705 Business Correspondents provide extended reach.
- A strong Brand name in South India especially in the State of Tamil Nadu.
- Trust of 36 million active customers.
- Overseas Presence with 6 branches and 1 Representative Office.
- Sustained Growth in Low cost CASA deposits.
- Improved performance in Retail, Agri and MSME Segments contributing to 67.20% of Domestic Advances.

Bank's Operations

Domestic Deposits

The Bank's total domestic deposits stood at Rs.2,17,963 crores as on 31st March 2019 as against Rs. 2,10,388 crores as on 31st March 2018.

कदमों की वजह से खातों पर जमाओं में वृद्धि दर्ज हुई। घरेलू कासा 31 मार्च 2018 के रु. 78,739 करोड से बढ़कर 31 मार्च 2019 को रु. 84,394 करोड़ हो गया। उल्लेखनीय है कि 31 मार्च 2018 की तुलना में बचत बैंक जमाएँ 6.08% बढ़कर रु. 70,493 करोड़ रहीं। मार्च 2019 में कासा भी सुधरकर 38.72% हो गया है।

घरेलू अग्रिम

वृद्धिशील एनपीए एवं धीमी उधार संवृद्धि ने बैंक को बड़े पैमाने पर उधार देने में अधिक सावधान होने पर मजबूर कर दिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जोखिम को कम करने और मार्जिंस में सुधार के लिए बैंक ने खुदरा और एमएसएमइ क्षेत्र पर जोर दिया। घरेलू सकल अग्रिम 31 मार्च 2018 के रु. 1,38,516 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2019 को रु. 1,46,001 करोड़ रहा।

ओवरसीज़ परिचालन

31 मार्च 2019 के अंत में, बैंक के 9 प्रतिष्ठान विदेश में थे, जिनमें 6 ओवरसीज़ शाखाएं, 1 प्रतिनिधि कार्यालय, 1 विप्रेषण केन्द्र और 1 संयुक्त उपक्रम अनुषंगी शामिल है। बैंगकॉक में दो शाखाएं हैं एवं सिंगापुर, हाँगकाँग, कोलंबो तथा दक्षिण कोरिया में एक-एक शाखा है। प्रतिनिधि कार्यालय दुबई में स्थित है।

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने टीएसटी- हाँगकाँग शाखा को बंद कर इसके परिचालन को हाँगकाँग मुख्य शाखा में मिला दिया। कोलंबो में बंबलपीटिया शाखा को बंद कर दिया तथा इसके परिचालन को कोलंबो मुख्य शाखा के साथ मिला दिया। साथ ही बैंक ने सिंगापुर के बूनले विप्रेषण केंद्र को भी बंद कर दिया तथा इसके परिचालन को सेरंगून विप्रेशण केंद्र से जोड़ दिया गया।

संयुक्त उपक्रम अनुषंगी इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहाद, मलेशिया में कार्यरत है।

ओवरसीज़ कारोबार 31 मार्च 2018 के रु. 18,927 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2019 को रु.10,567 करोड़ रहा।

फॉरेक्स परिचालन

श्रेणी अंतरण घाटे को गणना में लिए जाने से पहले 2018-19 (2017-18 के दौरान रु. 636 करोड़) के दौरान निवेश की बिक्री पर लाभ रु. 732 करोड़ ज्यादा रहा जबकि अंतरण हानि रूपये 0.30 करोड़ रही जोकि पिछले वर्ष में रूपये 186 करोड़ थी। फॉरेक्स कारोबार से लाभ विनिमय पर पूर्व वर्ष के रु. 553 करोड़ के मुकाबले रुपए 493 करोड़ रहा।

निवेश

31 मार्च 2018 के रु. 68,913 करोड़ के मुकाबले निवल निवेश 31 मार्च 2019 को घटकर रु. 66,932 करोड़ रहा। 2017-18 के रु. 1,208 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिभूतियों की बिक्री और विनिमय पर लाभ को मिलाकर कुल लाभ की राशि रु. 1,225 करोड़ रही। 10 वर्ष की बेंचमार्क प्राप्ति वर्ष के दौरान 7.42% से घटकर 7.34% पर चली गई।

एमएसएमई

31 मार्च 2019 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में क्रेडिट का हिस्सा **रु 33,936** करोड़ रहा। बैंक के एमएसएमई पोर्टफोलियो ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान रु. **1,033** करोड़ की वृद्धि दर्ज की और 31 मार्च 2018 को रु **32,903** करोड़ से बढ़ गया।

माइक्रो श्रेणी अग्रिमों की प्रगति में ठोस वृद्धि दर्ज की गई और 31 मार्च 2018 को एएनबीसी के 8.76% रहा, इस तरह 7.50% के अनिवार्य लक्ष्य को पार कर गया। 31 मार्च 2019 को बैंक के कुल प्राथमिक क्षेत्र यथा रूपये **76,824** करोड़ के अग्रिम के अग्रिमों में एमएसएमई अंश **(रूपये 33,936 करोड़) 44.17%** के स्तर पर बना हुआ है।

बैंक ने रु. 2,288 करोड़ (97.37%) के, 1,76,475 ऋणों की मंजूरी दी है और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाइ) के अंतर्गत रु. 2350.00 करोड़ लक्ष्य के मुकाबले 31 मार्च 2019 को रु. 2,228 करोड़ (94.80%) वितरित किया गया। सभी शाखाओं में नोडल अधिकारी के साथ मुद्रा सुविधा डेस्क बनाया गया है।

बैंक ने वित्तवर्ष 2018-19 के दौरान स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत मूल्य 261 करोड़ के 1,209 ऋणों को आबंटित किया।

31 मार्च, 2019 तक, सीजीटीएमएसई योजना से गारंटी कवर के तहत 2,732 करोड़ रुपये बकाया के साथ बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र में 77,477 संपार्श्विक मुक्त ऋण स्वीकृत किए हैं।

सीजीएफएमयू योजना से गारंटी कवर के लिए बैंक ने मुद्रा योजना (10.00 लाख रुपये तक की ऋण राशि) के तहत स्वीकृत सभी खुदरा व्यापार अग्रिमों को सुरक्षित करने के लिए एनसीजीटीसी के साथ सदस्य ऋण संस्थान के रूप में नामांकन किया है। 31 मार्च 2019 तक, हमने सीजीएफएमयू योजना के तहत 719 करोड़ रुपये के एक्सपोजर के साथ 52925 खातों को कवर किया है।

बैंक माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 नवंबर 2018 को घोषित किए गए आउटरीच कार्यक्रम में पूर्ण रूप से सम्मिलित है तथा सहभागिता कर रही है। बैंक ने विभिन्न हितधारकों के साथ चेन्नै में साथ 23 जनवरी 2019 को एक विशेष एसएलबीसी बैठक का आयोजन किया तथा तमिलनाडु राज्य में आउटरीच कार्यक्रम लागू करने की प्रक्रिया का रणनीतिकरण किया। बैंक ने आउटरीच कार्यक्रम के लिए अपनी उपस्थिततति वाले 84 ज़िला की पहचान की है, जहां अभियान अवधि के दौरान विभिन्न कैंप/ कार्यक्रमों का आयोजन/ सहभागिता की तथा भारत सरकार के द्वारा की गई पहलों के बारे में जनता का बीच जागरूकता फैलाई।

बैंक ने आरबीआई के परिपत्र डीबीआर.एनओ.बीपी.बीसी.18/ 21.04.048 /2018-19 दिनांकित 1 जनवरी 2019 के निर्देशानुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ जारी की हैं, जहां आरबीआई ने बैंकों परिसंपत्ति की कीमत को कम किए बिना वर्तमान एमएसएमई ऋणों की एक बार रीस्ट्रचरिंग कर स्टैण्डर्ड में वर्गीकृत की अनुमति दी है। जैसा कि दिशानिर्देशों में बताया गया है कि खाता 01 जनवरी 2019 को स्टैंडर्ड होगा तथा खाते की सीमा बैंकिंग उद्योग से रूपये 25 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैंक ने एक मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की है, तथा क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों को जागरूक किया है, तनावग्रस्त सभी एमएसएमई एककों की पहचान की है तथा दिशानिर्देशों को लागू किया है।

बैंक ने आरबीआई के नए फ्रेमवर्क के तहत 'एमएसएमइर के पुनर्वास एवं पुनरुज्जीवन पर नीति' भी क्रियान्वित की और तनावग्रस्त एमएसएमई इकाइयों को राहत प्रदान करने पर विचार करने हेतु सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में समितियों का गठन सुनिश्चित किया।

ऑनलाइन ऋण प्रसंस्करण प्रणाली

बैंक ने रूपये 10 लाख तक के ऋणों को ऑनलाइन पंजीकृत करने के लिए स्वचालित कर दिया है तथा व्यक्तिक से व्यक्तिक समाधान के साथ इसे सीबीएस प्रणाली(फिनेकल) से जोड़ दिया है। ये मंच उपयोगकर्ता से एक शीट में साधारण डाटा को प्रविष्ट करवाके रेटिंग करने, निरीक्षण रिपोर्ट, प्रक्रिया नोट, अनुमोदन, दस्तावेजीकरण, ऋण मास्टर को तैयार करना आदि की सुविधा प्रदान करता है। यह सुविधा ऋण देने की सुविधा को आकार देगी तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन, टर्न अराउंड समय को कम करने के साथ प्रस्तावों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करेगी। बैंक चरणबद्ध तरीके से आवश्यक जाँचों तथा बकायाओं की शुरूआत के साथ ऋण सीमा को रूपये 200 लाख तक बढ़ाने के लिए प्रक्रियाधीन है।

ई ट्रैकिंग के साथ आवेदन का पंजीकरण

बैंक ने ऋण आवेदन की ई ट्रैकिंग सुविधा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा की शुरुआत की है। सभी ऋण आवेदनों को इसमें भरना बाध्यकर है। प्रणाली एक अद्वितीय पहचान क्रमांक को तैयार करता है जिसे सभी प्रस्तावों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि प्रस्ताव की अवस्था को जाना जा सके। सतत अस्वीकृति के अलावा गहन अनुवर्तन/ निगरानी के लिए सभी प्राधिकारी स्तरों पर सिस्टम जनित एसएमएस संदेश, ईमेल अनुस्मारक भेजे जाएंगे ताकि टीएटी को कम किया जा सके।

www.psbloansin59minutes.com

बैंक www.psbloansin59minutes.com पोर्टल पर एक पर वित्तपोषक के रूप में उपलब्ध है। पोर्टल रूपये 100 लाख तक के प्रस्तावों को देखता है। बैंक वर्तमान तथा सभी नए ग्राहकों को जीएसटी के तहत पंजीकृत ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

क्लस्टर वित्तीयन

बैंक ने एमएसएमई क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की हैं और ऐसे क्लस्टर की पहचान करने की प्रक्रिया में पूरे भारत में नौ संभावित समूहों की पहचान की है।

The increase in deposits was mainly on account of steps taken by the Bank towards improving the CASA. The domestic CASA has increased from Rs. 78,739 crores as on 31st March 2018 to Rs. 84,394 crores as on 31st March 2019. It is noteworthy to mention that the savings bank deposits have grown by 6.08% over 31st March 2018 to end at Rs. 70,493 crores. The CASA% also improved to 38.72 % as of March 2019.

Domestic Advances

The incremental NPAs and capital constraints have forced the Bank to be more cautious on large scale lending. With a view to diversify the risk and to improve the margins, the Bank focused more on Retail and MSME sectors during the fiscal year. The Domestic Gross Advances stood at Rs.1,46,001 crores as on 31st March 2019 as against Rs. 1,38,516 crores as on 31st March 2018.

Overseas Operations

The Bank had 9 establishments abroad, including 6 Overseas Branches, 1 Representative office, 1 Remittance Center and 1 Joint Venture Subsidiary as on 31st March 2019. There are two Branches at Bangkok and one each at Singapore, Hong Kong, Colombo and South Korea. Representative office is located at Dubai.

During the year 2018-19, Bank closed its Branch at TST-Hong Kong and merged its operation with Hong Kong Main Branch. In Colombo, Bank closed Bambalapitiya Branch and merged its operation with Colombo Main Branch. Bank also closed Boon Lay Remittance Centre at Singapore and merged its operation with Serangoon Remittance Centre.

The Joint Venture subsidiary India International Bank (Malaysia) Berhad is functioning at Malaysia.

The overseas business stood at **Rs.10,567 Crs** as of 31st March 2019 as compared to Rs.18,927 Crs as of 31st March 2018.

Forex Operations

The profit on sale of investments was higher at Rs.732 crores during 2018-19 (Rs.636 crores during 2017-18) before accounting category transfer loss at Rs.0.30 crores as against Rs. 186 crores in the previous year. The profit on exchange from Forex business stood at Rs.493 crores as against Rs.553 crores in the previous year.

Investments

Net investments of the Bank decreased to Rs. 66,932 crores as of 31st March 2019 from Rs. 68,913 crores as on 31st March 2018. Total Profit including sale of securities & profit on exchange amounted to Rs. 1,225 crores during the year 2018-19 as against Rs. 1208 crores during the year 2017-18. 10-year base yield has moved down from 7.42% to 7.34% during the year.

MSME

The share of credit to Micro, Small and Medium Enterprises stood at **Rs. 33,936** crores as on 31st March 2019. MSME portfolio of the Bank registered a growth of **Rs.1,033** crores during the FY 2018-19 and increased from **Rs.32,903** crores as on 31st March 2018.

Micro Category advances registered substantial growth and stood at 8.76% of ANBC as on 31st March 2018, thereby surpassed the mandatory target of 7.50%. The Share of MSME Portfolio **(Rs. 33,936 crores)** stood at **44.17 %** of total priority sector advances of the Bank i.e., **Rs. 76,824** crores as on March, 31st 2019.

Bank has sanctioned 1,76,475 loans amounting to Rs. 2,288 crores (97.37 %) and disbursed Rs. 2,228 crores (94.80 %) as on 31st March 2019 vis-à-vis target of Rs. 2,350 crores under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) during the Financial Year 2018-19. MUDRA facilitation desk is created and Mudra Nodal Officer is designated at all Branches.

Bank has sanctioned 1,209 loans amounting to Rs.261 crores under Stand Up India Scheme during the FY 2018-19.

As on March 31st, 2019, collateral free loans to Micro and Small Sector sanctioned by the Bank increased to 77,477 loans with outstanding amount of Rs.2,732 crores under the guarantee cover from CGTMSE scheme.

Bank has enrolled as Member Lending Institution with NCGTC to secure all Retail Trade advances sanctioned under MUDRA Scheme (Loan amount upto Rs.10.00 lakhs) under the guarantee cover from CGFMU Scheme. As on March 31st, 2019, Bank has covered 52,925 accounts with an exposure of Rs.719 crores under CGFMU Scheme.

Bank has been fully involved and participated in the outreach program announced by the Hon'ble Prime Minister on 2nd November 2018. Bank has organized a Special SLBC meeting on 23rd January 2019 at Chennai, with various stake holders and strategized the process of implementation of outreach program in the State of Tamilnadu. The Bank has presence in 84 Districts identified for Outreach, wherein it has conducted/participated in various special camps/programs during the campaign period and created awareness among the public on the various initiatives taken by the Govt. of India.

Bank has put in place Board approved policy as per the direction from RBI, vide Circular DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 1, 2019, wherein RBI has permitted Banks' a one-time restructuring of existing loans to MSMEs classified as 'standard' without downgrade in the asset classification. As per the laid down guidelines the accounts shall be standard as on 1st January 2019 and the exposure of the account from the banking industry shall not exceed Rs.25 crores. Bank introduced Standard Operating Procedure (SOP) and sensitized the field functionaries, identifying all the stressed MSME units and implementing the guidelines.

Bank has also implemented the "Policy on Revival and Rehabilitation of MSMEs" under the New Frame work of RBI and ensured formation of committees at all Regional Offices to consider extending Relief to MSME units under stress.

Online MSME Loan Processing System

Bank has automated the MSME loan processing for loan amount up to Rs.10 lakhs and integrated it with the CBS system (Finacle) with end to end solution. The platform supports the user for generating Rating, Inspection Reports, Process Note, Sanction, Documentation, Loan Master creation etc, simply by keying in the required basic information in the data sheet. This facilitates structured way of lending and ensures compliance of the policy guidelines, quick disposal of proposals with reduced Turnaround Time (TAT). The Bank is also in the process of revising the loan limit up to Rs.200 lakhs in a phased manner, by introducing the necessary checks and balances.

Loan Application Register with E-Tracking

Bank has introduced Online registration of loan applications with e-tracking facility. It is mandatory to enter all loan applications through the system. The system generates a Unique ID number, which is to be incorporated in all proposals to track the status of the proposals. The system generates SMS alerts, e-mails reminders to all layers of authority for close follow up /monitoring and facilitates to improve the TAT besides containing the rejections.

www.psbloansin59minutes.com

Bank has on boarded as financier in the www.psbloansin59minutes .com portal. The platform handles loan proposals up to Rs.100 lakhs. Bank is encouraging all the existing as well as new customers for registration under GST and also for on boarding the platform to support their credit needs.

Cluster Finance

Bank has identified nine potential clusters across Pan India, formulated special schemes to promote MSME credit and also is in the process of identifying more such Clusters.

सिरेमिक उद्योग	मोर्वी, गुजरात राज्य
वस्त्र उद्योग	कोयंबत्तूर, तमिलनाडु राज्य
इंजीनियरिंग सामग्री	कोयंबत्तूर, तमिलनाडु राज्य
ऑटो पुर्जे	चेन्नई /कांचीपुरम, तमिलनाडु राज्य
ऑटो पुर्जे	एनसीआर दिल्ली
इंजीनियरिंग और पैकेजिंग	एनसीआर दिल्ली
प्लाईवुड उद्योग	पेरुमबवूर, केरल राज्य
होजरी / टैक्सटाइल	लुधियाना, पंजाब राज्य
ऑटो / साइकिल घटक	लुधियाना, पंजाब राज्य

विशेषीकृत एसएमई/ एमएसएमई केन्द्रित शाखाएँ

नियामकों के दिशा निर्देशों के अनुसार, बैंक ने सम्पूर्ण भारत में 28 विशेषीकृत शाखाएँ खोली हैं, साथ ही बैंक ने एमएसएमई विकास के लिए 273 शाखाओं की पहचान की है तथा उन शाखाओं को एमएसएमई केन्द्रित शाखा के रूप में पदस्थ किया है ।

- ये शाखाएँ अवाश्यक पूर्वावश्यकता तथा समुचित स्टाफ से सुसज्जित हैं ।
- बैंक ने शाखा प्रमुखों/ ऋण अधिकारियों को एमएसएमई ऋण देने संबंधी प्रशिक्षण दिया है ।
- बैंक ने सबन्ही शाखाओं में एमएसएमई संबंध अधिकारी नामांकित किया है तथा विशेष लक्ष्यों तथा प्रगति की निगरानी करें का कार्य सौंपा गया है ।

लीड जनरेट करना

शाखाओं को लीड जैसे स्टैंड-अप-मित्र/ उद्यमी-मित्र के द्वारा बैंक को मार्क किए गए आवेदन देखने तथा www.psbloansin59minutes.com पोर्टल पर आवेदनों के त्वरित प्रसंस्करण तथा निपटान के लिए तथा उसका सदुपयोग करने के लिए लॉगिन उपलब्ध करवाया गया है । बैंक वर्तमान ग्राहक आधार के आधार पर उनके आपूर्तिकर्ता / संबंधियों/ मित्रों आदि से व्यापार की अपेक्षा कर रहा है तथा अपनी सेवाएँ देने का प्रस्ताव दे रहा है ।

बैंक ने एम/एस भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट, एम/एस अशोक लीलैंड, एम/एस टीवीएस मोटर्स, एम/एस अतुल ऑटो लिमिटेड आदि के साथ एमओयू/ व्यवस्था अनुबंध किया है तथा मुद्रा/ स्टैंड अप इंडिया योजनाओं के तहत आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है ।

बैंक ने तमिलनाडु तथा केरल राज्यों में आरईएसटीआई पर 13 विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यावस्था की है जो आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करवा रहे हैं तथा एससी/ एसटी तथा महिला उधारकर्ताओं को मुद्रा/ स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत उनके उद्यमशील कौशल को बढ़ा कर लाभकारी रोजगार उपलब्ध करने हेतु ऋण संबद्धिकरण कर रहे हैं तथा उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं ।

बैंक ने आरएक्सआईएल के साथ टाई अप व्यवस्था में प्रवेश कर प्लेटफॉर्म में एमएसएमई की प्राप्ति के खिलाफ वित्त पोषण के लिए TReDS मंच में भाग लिया है एवं किया और सदस्य के रूप में नामांकन किया है ।

बैंक पर सभी नवीनतम अपडेट सहित नवीनतम जानकारी के साथ शाखाओं / क्षेत्रों की सुविधा के लिए एमएसएमई से संबंधित विनियामक दिशानिर्देश आईओबी ऑनलाइन में विशिष्ट एमएसएमई पोर्टल बनाया गया है ।

बैंक ने विभिन्न कदम उठाए हैं और सभी स्तरों पर एमएसएमई क्रेडिट प्रस्तावों को संसाधित करने के लिए टर्नअराउंड समय को कम किया है । बैंक ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एमएसएमई नोडल अधिकारियों को नामित किया है ताकि एमएसएमई ऋणों की त्वरित मंजूरी और एमएसएमई खातों का पालन किया जा सके ।

बैंक ने प्रतिष्ठित संगठनों अर्थात एनआईबीएम / बी क्यू ग्लोबल के साथ टाई-अप व्यवस्था में प्रवेश किया है ताकि नियमित रूप से स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। बैंक एमएसएमई विनियामक दिशानिर्देशों, योजनाओं और सरकार पर कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र पूरे भारत में कार्यशालाएं भी आयोजित कर रहा है। प्रायोजित योजनाएँ मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, पीएमईजीपी आदि के साथ-साथ आरबीआई द्वारा आयोजित एनएएमसीएबीएस कार्यशालाओं में कर्मचारियों को नामित किया जा रहा है ।

खुदरा बैंकिंग

कोर खुदरा क्रेडिट योजनाओं के तहत कुल बकाया राशि मार्च 2018 तक रु. 28,183 करोड़ से बढ़कर मार्च 2019 तक रु. 31,588 करोड़ होते हुए 12.08% की वृद्धि दर्शाते हैं । अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान कुल संवितरण 8,706 करोड़ रुपये था। घरेलू अग्रिमों में समग्र खुदरा शेयर 20.34% से बढ़कर 21.63% हो गया है।

गृह ऋण पोर्टफोलियो ने मार्च 2018(पूल बाईआउट खातों के अलावा) की स्थिति के अनुसार 12% की वृद्धि की है, जबकि इस अवधि के दौरान नए ऋण वितरण रु.2,235 करोड़ है । वाहन ऋण योजना के तहत, वर्ष के दौरान रु.1226 करोड़ के नए वितरण के साथ मार्च 2019 तक रु.2972करोड़ का बकाया है । क्लीन लोन खंड के तहत रु.911 करोड़ बकाया हैं ।

बंधक ऋण में 52.79 %की वृद्धि दर्ज हुई और अन्य खुदरा ऋण में 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई ।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान प्रस्तुत किए गए नए खुदरा उत्पाद

- आईओबी स्कॉलर योजना को कुछ संशोधनों के साथ संशोधित किया गया है जैसे कि ऋण की मात्रा में अधिकतम 60.00 लाख रुपये की वृद्धि, 15 वर्षों के लिए चुकौती अवधि का विस्तार और अवकाश अवधि, सुरक्षा कवरेज, ब्याज दर और विवेकाधीन शक्तियों जैसे अन्य कारक जोड़े गए हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना एमआईजी I और II के लिए कालीन क्षेत्र में विस्तार के साथ एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है ।
- **आईओबी विद्या श्रेष्ठ :** सार्वजनिक निजी भागीदारी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान - IIT (PPP) को इस योजना के तहत शैक्षिक ऋणों पर विचार करने के लिए सूची B के तहत शामिल किया गया है। उपरोक्त समावेशन के बाद, विद्या श्रेष्ठ शिक्षा योजना के तहत कवर किए जाने वाले संस्थानों की संख्या सूची ए के तहत 46 और सूची बी के तहत 57 है ।

लीड प्रबंधन प्रणाली

रिटेल ऋणों के लिए लीड को **कैप्चर और पोषण** प्रणाली को सफलतापूर्वक शुरू किया गया है । लीड को विभिन्न चैनल मोबाइल ऐप / वेब साइट / इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से उत्पन्न किया जा रहा है । व्यवहार्य लीड कॉल सेंटर टीम द्वारा तुरंत कैप्चर की जाती हैं और शाखाओं को हस्तांतरित कर दी जाती हैं।

कैप्चर किए गए लीड का पोषण और अधिकतम सीमा तक व्यवसाय में परिवर्तित किया जाता है। **लीड के उत्पन्न होने से लेकर व्यावसायिक रूपांतरण तक प्रत्येक चरण में स्वचालित एसएमएस और ईमेल ग्राहक को भेजे जा रहे हैं ।** गैर रूपांतरित लीड की **ऑटो ट्रैकर और एस्केलेशन** मेल द्वारा निगरानी की जाती है।

आरईएपी (खुदरा स्वचलन प्रक्रिया प्रणाली) :

- **आरईएपी** में ऑटोमेशन और लीवरेजिंग तकनीकों ने बैंक को **प्रेस्टीजियस विजिलेंस इनोवेशन अवार्ड जीतने** में मदद की।
- व्यक्तिक से व्यक्तिक रिटेल लोन के डिजिटलीकरण ने "**द ईज़ स्कोरिंग**" में साथ के बैंकों से श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया तथा और **ईज़ बैंकिंग रीफ़ोर्म्स अवार्ड - 2019 के प्राप्त हुआ ।**
- आवास / वाहन / स्वच्छ ऋण क्षेत्र के तहत लगभग 48000 खुदरा ऋणों को ऋण स्वचालन के माध्यम से संसाधित किया गया था जो इन क्षेत्रों में संसाधित ऋणों के 75% तक योगदान करते हैं ।

पीएमएवाई(शहरी) दावों का ऑनलाइन जमा किए जाने की शुरुआत 28 दिसंबर 2018 से की गई जहां शाखाएँ आईओबी ऑनलाइन में शाखा उत्पाद में लॉगिन करके पीएमएवाई दावों का भुगतान कर सकती हैं ।

तमिलनाडु में गाजा चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में खुदरा ऋण उधारकर्ताओं को राहत के उपाय प्रदान किए गए हैं जैसे कि शिक्षा ऋणों का पुनः निर्धारण (एक वर्ष तक) और गृह मरम्मत, जीर्णोद्धार आदि के लिए नए ऋणों की आबंटित किए गए ।

पैरा बैंकिंग उत्पादों पर बैंक का प्रदर्शन

बैंकएश्योरेंस तथा म्यूचुअल फ़ंड व्यापार के तहत, बैंक ने वर्ष 2018-19 के दौरान वर्ष 2017-18 की अपेक्षा 12.28% की वृद्धि है जो क्रमशः रूपये 23.86 करोड़ तथा रूपये 21.25 करोड़ है ।

Ceramic Industry	Morvi, Gujarat State
Textiles Industry	Coimbatore, Tamil Nadu State
Engineering goods	Coimbatore, Tamil Nadu State
Auto components	Chennai / Kancheepuram, Tamil Nadu State
Auto components	NCR Delhi
Engineering & Packaging	NCR Delhi.
Plywood Industry	Perumbavoor, Kerala State
Hosiery / Textiles	Ludhiana, Punjab State
Auto / Bicycle components	Ludhiana, Punjab State

Specialised SME/MSME Focused Branches

As per the Regulatory guidelines, Bank has opened 28 Specialized SME branches across Pan India. In addition, Bank identified 273 Branches with MSME growth potential and designated them as MSME Focused Branches.

- These branches are equipped with necessary infrastructure and proper manning of staff.
- Bank has imparted training to the Branch Heads / Credit Officers on MSME lending.
- Bank has nominated one MSME Relationship Officer in all the Branches and assigned special targets and monitoring the progress regularly.

Lead Generation

Branches have been provided login access to view and capture the leads i.e., applications marked to the Bank in Standupmitra/ Udyamimitra/ GST leads in psbloansin59minutes.com portals to ensure quick processing and disposal of the applications. Bank solicits business through the existing client base by approaching their Suppliers/Relatives/Friends etc., and offer its services.

Bank has entered MoU / Tie-Up arrangements with M/s Bharatiya Yuva Shakti Trust (BYST), M/s Ashok Leyland, M/s TVS Motors Ltd., M/s Atul Auto Ltd., etc., and provides necessary financial assistance to identified beneficiaries under Mudra / Stand Up India Schemes.

Bank has been organizing Special Training Camps at 13 RSETIs spread across Tamilnadu and Kerala states, providing necessary training and support to SC, ST, Women beneficiaries for their financial needs through credit linkage under Mudra / Stand Up India Schemes to take up gainful employment by exhibiting their entrepreneurial skills.

Bank has entered into a Tie up arrangement with RXIL and enrolled as member, participating in the TReDS platform for financing against receivables of MSMEs in the online platform.

Exclusive MSME portal created in IOB ONLINE with all latest updates on Bank, Regulatory guidelines related to MSME, to facilitate Branches / Regions with the latest information.

Bank has taken various steps and reduced the Turnaround time for processing the MSME credit proposals at all layers. Bank has designated MSME Nodal Officers at all Regional Offices to facilitate quick sanction of MSME loans and follow up of NPA accounts.

Bank has entered into Tie-Up arrangement with reputed organizations viz., NIBM / B Q Global to provide training to the staff members on regular basis. Bank is also conducting workshops at Staff Training Centres Pan India to create awareness among the Staff on MSME Regulatory guidelines, Schemes and Govt. sponsored Schemes viz., Mudra, Stand Up India, PMEGP etc., along with nominating the Staff to the NAMCABS workshops organized by RBI.

Retail Banking

The total outstanding amount under the Retail credit schemes increased from Rs. 28,183 crores as of March 2018 to Rs. 31,588 crores as of March 2019 showing a growth of 12.08%. The total disbursement made during the period April 2018 to March 2019 was Rs 8,706 crores. The overall Retail share to domestic advances has increased from 20.34% to 21.63%.

Housing Loan portfolio has shown a growth of 12% over March 2018 position (Excluding pool buyout accounts) while the fresh disbursement during the period is Rs. 2,235 crores. Under the Vehicle loan scheme, the outstanding stood at Rs. 2,972 crores as of March 2019 with fresh disbursements made to the tune of Rs. 1226 crores during the year. The outstanding under clean loan segment is Rs. 911 crores.

Mortgage loan has shown a growth percentage of 52.79% and other Retail loans has shown a growth of 30%

New Retail Products introduced during the FY 2018-19:

- IOB Scholar scheme has been revamped with certain modifications such as increase in loan quantum to a maximum of Rs 60.00 lacs, Extension of Repayment period to 15 years and other factors such as holiday period, security coverage, interest rate and discretionary powers.
- Pradhan Mantri Awas Yojana has further been extended for a period of one year with extension in carpet area for MIG I & II
- **IOB Vidya Shrest:** Indian Institute of Technology in Public Private Partnership basis – IIT (PPP) has been included under List B for considering educational loans under this scheme. After the above inclusion, the number of institutions eligible to be covered under Vidya Shrest education scheme is 46 under List A and 57 under List B.

Lead Management System:

Lead Capture and Nurture System has been successfully launched for Retail loans with end to end digitalisation. Lead is being sourced through multi channels - mobile app/ web site/ internet banking/ mobile Banking. The viable leads are instantly captured by the call centre team and parked to the branches.

The captured leads are nurtured and converted to business to the maximum extent. **Automated SMS and email is being sent to the customer at each stage from the lead origination to business conversion.** Non conversion of leads is monitored by **auto tracker and escalation mails.**

REAP (Retail Automation Process System) :

- Automation and leveraging technologies in **REAP** helped the Bank **to win the Prestigious Vigilance innovation Award.**
- End to end digitalization of Retail loan made us to stand above the Peer Banks in **"The EASE Scoring"** and laid the footsteps to **EASE Banking Reforms Awards – 2019**
- About 48000 retail loans under Housing/Vehicle/ Clean loan sector were processed through Loan Automation which contributed to 75% of the loans processed under these sectors.

Online Submission of PMAY (Urban) claims has been introduced from 28th December 2018 where branch can log in to Branch products in IOB Online and submit the PMAY claims.

Relief measures have been provided to Retail loan borrowers in areas affected by Gaja Cyclone in TAMILNADU such as re-scheduling of Education loans (upto one year) and need based fresh loans for Home repairs, renovation etc.

Performance on Para Banking Products

Under Bancassurance and Mutual Fund Business, the Bank has earned income of Rs.23.86 crores during the year 2018-19 which is 12.28% growth over 2017-18 where in the income was Rs.21.25 crores. Various

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पैरा बैंकिंग उत्पाद और म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए कई अभियान चलाए गए, जिससे हमारी पैरा बैंकिंग आय में वृद्धि हुई है ।

आईओबी सुरक्षा

हमारे बैंक ने हमारे सभी ग्राहकों के लिए रु.100+सेवाकर के मामूली वार्षिक प्रीमियम के साथ रु.10 लाख के कवरेज के लिए 14 अप्रैल 2017 को आईओबी सुरक्षा - व्यक्तिगत दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु बीमा योजना की शुरूआत की है। 31.03.2019 को हमारे बैंक ने इस योजना के तहत 15.68 लाख खाताधारकों को कवर किया है।आईओबी सुरक्षा के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने रू- 11.30 करोड़ रुपये के 113 दावों को निपटाया है।

नई जमा योजनाएं

एनआरओ टैक्स सेवर (08 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया): योजना घरेलू जमाकर्ताओं के लिए मौजूदा टैक्स सेवर योजना के अनुरूप शुरू की गई है। आयकर अधिनियम की धारा 115 डी के अनुसार, धारा 80 सी के तहत लाभ एक एनआरआई को भी उपलब्ध है, यदि उसने निवेश आय (ब्याज) और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के अलावा अन्य आय अर्जित की है।

आईओबी 80 प्लस (27 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया): लंबे समय तक वरिष्ठ नागरिकों के प्रति वफादारी के पारस्परिकता के रूप में, एक अद्वितीय उत्पाद विशेष रूप से 80 वर्ष या उसके उपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एसबी और मियादी जमा में लॉन्च किया गया।

बचत बैंक खाता- आईओबी 80 प्लस -एसबी कई लाभ से युक्त हैं जबकि सावधि जमा योजना में वरिष्ठ नागरिक को लागू दर पर 0.25% का अतिरिक्त ब्याज मिलता है।

मोटर दुर्घटना दावा-एसबी और सावधि जमा: बैंक ने आईबीए की सिफारिशों के साथ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में चरणबद्ध तरीके से सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा राशि का वितरण करने के लिए वार्षिकी जमा उत्पाद लॉन्च किया है।

मिड कारपोरेट

मिड कारपोरेट विभाग उधारकर्ताओं की 40 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये तक की उधार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मौजूदा बाजार स्थितियों में, संपत्ति की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, बैंक नई/उन्नत क्रेडिट सीमाओं को विस्तारित करने में वरणात्मक रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने 623 करोड़ रुपये की कुल क्रेडिट सीमा मंजूर की है (नए : रु.186 करोड़ और वृद्धि : रु.436 करोड़)। 31 मार्च 2019 तक मध्य कॉरपोरेट सेगमेंट के तहत कुल एक्सपोजर 7,116 करोड़ रुपये (4,897 करोड़ रुपये के फंड आधारित एक्सपोजर और 2,219 करोड़ रुपये के गैर फंड आधारित एक्सपोजर सहित) है।

लार्ज कारपोरेट

बड़े कॉर्पोरेट कृषि, खुदरा और एमएसएमई के अलावा अन्य उधारकर्ताओं की आवश्यकता को पूरा करते हैं, जहां एक व्यक्तिगत उधारकर्ता और उसके समूह खातों के लिए क्रेडिट की आवश्यकता रु .100 करोड़ से ऊपर है। इस वर्टिकल के तहत, बैंक के पास रु- 38,625 करोड़ और नॉन फंड आधारित 31 मार्च 2019 तक रु- 12,376 करोड़ रुपये विभिन्न कोर उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में विस्तारित हैं। वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो को पुनः प्राप्त कर लिया है और सभी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (बकाया के साथ रू. 3,085 करोड़) को स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट विभाग को स्ट्रेस्ड एसेट्स के समर्पित समाधान के लिए स्थानांतरित कर दिया है। वर्ष के दौरान, बैंक ने कॉरपोरेट क्रेडिट पोर्टफोलियो को प्रतिबंधित करने के लिए एक सचेत निर्णय लिया है और इसलिए चयनित खातों और ज्यादातर निवेश ग्रेड खातों और / या राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत खातों के लिए नई सीमा या संवर्द्धन पर विचार किया गया है। बैंक ने वित्त वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित ताजा / वृद्धि मंजूरियों पर विचार किया है।

	निधि आधारित	गैर निधि आधारित	कुल	जिनमें से ग्रेड
नवीन	3920.00	116.00	4036.00	4036.00
वृद्धि	391.54	651.99	1043.53	1021.76
कुल	**4311.54**	**767.99**	**5079.53**	**5057.76 (99.57%)**

बैंक अन्य बैंकों के साथ इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट (IBPC) के तहत कॉर्पोरेट एसेट्स के पोर्टफोलियो की भागीदारी और बिक्री का कार्य भी कर रहा है। वित्त वर्ष 18-19 के दौरान, बैंक ने रुपये के लिए IBPC लेनदेन में भाग लिया है। आईबीपीसी के तहत 3000 करोड़ रुपये और डाउन-बेच पोर्टफोलियो रुपये के लिए समय-समय पर 1000 करोड़ रुपये बेचा। इसने बैंक को क्रेडिट लाइन के पुर्वनियोजिकरण और सीआरएआर को बेहतर बनाने के साथ-साथ शीर्ष पंक्ति में स्थापित करने में मदद की है।

प्राथमिकता क्षेत्र क्रेडिट

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि रु 58,751 रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 75,393 करोड़ और बैंक ने कुल प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के तहत 51.33% हासिल करके एएनबीसी के 40% के अनिवार्य मानक को पार कर लिया है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 51.33% की यह अभूतपूर्व उपलब्धि है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 47.47% की उपलब्धि के मुकाबले मुख्य रूप से ग्रामीण / अर्ध शहरी शाखाओं और ग्रामीण विकास अधिकारियों का लाभ उठाने में बैंक के रणनीतिक दृष्टिकोण के कारण रहा है।

ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाएं मुख्य रूप से प्राथमिकता वाले सेक्टर क्रेडिट में शामिल हैं, कुल शाखाओं का 57.31% हिस्सा है और इस क्षेत्र में 412 विशेष ग्रामीण विकास अधिकारियों के मजबूत कार्यबल के साथ, इन केंद्रों में अपनी सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए पुनर्जीवित होने के तहत वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र की प्रगति के तहत एक अच्छी वृद्धि हुई है। ।

बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र की प्रगति के तहत आरामदायक मार्जिन के साथ 40% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है, हमारे बैंक ने रुपये का प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्रमाण पत्र बेचा है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 3,736 करोड़, जिसमें से रू 1,500 करोड़ रुपये पीएसएलसी-एसएफ / एमएफ और रुपये के तहत हैं। पीएसएलसी-जनरल श्रेणी के तहत 2,236 करोड़ रुपये और 34.34 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। वर्ष के दौरान प्राथमिकता के क्षेत्र में अग्रिम के तहत एएनबीसी की 51.33% की औसत उपलब्धि उपरोक्त पीएसएलसी बिक्री में कमी के बाद है।

कृषि

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि रू 31,048 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 26,438 करोड़ और बैंक ने कृषि अग्रिमों के तहत 21.14% हासिल करके एएनबीसी के 18% के अनिवार्य मानदंड को पार कर दिया है। एसएफ/ एमएफ प्रवर्ग में पीएसएलसी के रू 1500 करोड की बिक्री के बावजूद वित्तीय वर्ष 2017-18 की 20.23 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कृषि अग्रिमों में 21.14 प्रतिशत की औसत उपलब्धि रही। बैंक ने रू 29,328 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में विशेष कृषि क्रेडिट प्लान (एसएसीपी) के तहत बैंक ने कुल रू. 31,605 करोड़ वितरित किए।

लघु और सीमांत किसानों को ऋण

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि रू 15,530 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले रू11,750 करोड़ और बैंक ने लघु / मझौले किसानों को ऋण के तहत 10.57% प्राप्त करके एएनबीसी के 8% के अनिवार्य मानक को पार कर लिया है।वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 1,500 करोड़ यह उपलब्धि पीएसएलसी एसएफ / एमएफ की बिक्री को कम करने के बाद आई है।

गैर-कॉर्पोरेट किसानों को ऋण

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि रु 22,532 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले । 17,611 करोड़ रही और बैंक ने गैर-कॉर्पोरेट किसानों को ऋण के तहत 15.34% प्राप्त करके एएनबीसी के 11.99% के अनिवार्य मानदंडों को पार कर लिया है।

कमजोर वर्ग को ऋण

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि रू 14688 करोड़ रूपए के लक्ष्य के विरूद्ध 20,054 करोड़ रू 14,688 करोड़ रही और बैंक ने कमजोर वर्ग को ऋण के तहत 13.65% प्राप्त करके एएनबीसी के 10% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है।

माइक्रोफाइनेंस

वर्ष के दौरान, बैंक क्रेडिट-लिंक्ड 41,117 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) रुपये के क्रेडिट ऑउटले के साथ रू 91,234 करोड़ के वितरण के साथ रू 1,315 करोड़ है। मार्च 2019 तक बैंक द्वारा जुड़े एसएचजी क्रेडिट की संचयी संख्या 7,41,182 है।

campaigns were floated for Para banking Products and Mutual Fund Schemes during the financial year 2018-19, which increased our Para banking income.

IOB Suraksha

Bank has launched IOB Suraksha - Personal Accidental Death Insurance Scheme on 14th April 2017 for coverage of Rs.10 Lacs with a nominal annual Premium of Rs.100 + Service Tax for all our Customers. The Bank has covered 15.68 Lacs account holders under this scheme as on 31st March 2019. During the financial year 2018-19 under IOB Suraksha, a total of 113 claims amounting to Rs.11.30 crores were settled.

New Deposits Schemes

NRO Tax Saver (launched on 08th February 2019): Scheme is launched in line with the existing Tax Saver scheme for domestic depositors. As per Section 115 D of Income Tax Act, the benefit under Section 80C is available to an NRI also, only if he has earned income other than investment income (Interest) and long term capital gain.

IOB-Eighty plus (launched on 27th September 2018): As a reciprocation of loyalty to long standing senior citizens, a unique product is launched exclusively for senior citizen of 80 years and above in SB and Term deposit.

Savings Bank account-IOB-Eighty plus-SB loaded with several benefits while Term Deposit schemes offer Additional Interest of 0.25% over the applicable rate to Senior citizen.

Motor Accident claim-SB and Term Deposit: Bank has launched an annuity deposit product for disbursing the compensation amount to the victims of Road accident in a phased manner in compliance to the orders of the Honorable Delhi High Court with recommendations from IBA.

Mid Corporate

Mid Corporate caters to the lending requirements of borrowers in the range of Rs.40 crores and upto Rs.100 crores. In the prevailing market conditions, to maintain the asset quality, the Bank has been selective in extending new/ enhanced credit limits. During the year 2018-19, Bank has sanctioned total credit limits of Rs. 623 crores (Fresh: Rs. 186 crores and Enhancement: Rs.436 crores). Aggregate exposure under Mid Corporate segment as on 31st March 2019 is Rs. 7,116 crores (including Fund Based exposure of Rs. 4,897 crores and Non fund based exposure of Rs. 2,219 crores).

Large Corporate

Large Corporate caters to the requirement of borrowers other than agriculture, retail and MSME, where credit requirement is above Rs.100 crores for an individual borrower and its group accounts. Under this vertical, Bank has Fund based exposure of Rs. 38,625 crores and Non Fund based exposure of Rs. 12,376 crores as on 31st March 2019 spread over various core industries and other segments. During the Year, Bank has realigned its Credit portfolio and transferred all Non-Performing Assets (with O/s of Rs.3,085 crores) to Stressed Asset Management Department for dedicated resolution of Stressed Assets. During the year, the Bank has taken a conscious decision to restrict the Corporate Credit portfolio and hence Fresh limits or enhancements have been considered for selected accounts and mostly in Investment grade accounts and/or accounts guaranteed by State Government. The Bank has considered the following Fresh/Enhancement Sanctions in FY 2018-19

	FB	NFB	Total	Of which investment grade
Fresh	3920.00	116.00	4036.00	4036.00
Enhancement	391.54	651.99	1043.53	1021.76
Total	**4311.54**	**767.99**	**5079.53**	**5057.76 (99.57%)**

The Bank is also undertaking the Participating and Down selling of portfolio of Corporate Assets under Inter Bank Participation Certificate (IBPC) with other Banks. During the FY 18-19, Bank has participated in IBPC transaction for Rs. 3000 Crores and Down-sold portfolio under IBPC for Rs. 1000 Crores rolled over from time to time. This has helped the Bank in Augmenting the Top line, along with the realigning of the Credit portfolio and improve the CRAR.

Priority Sector Credit

The average achievement of four quarters for the FY 2018-19 stood at Rs. 75,393 crores against the target of Rs. 58,751 crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 40% of ANBC by achieving 51.33% under Total Priority sector advances. This unprecedented achievement of 51.33% during FY 2018-19 as against the achievement of 47.47% during the previous FY 2017-18 is mainly due to the strategic approach of the Bank in leveraging the Rural / Semi Urban branches and Rural Development Officers.

Rural and Semi urban branches mainly engaged in priority sector credit, constitute 57.31% of the total branches and with the strong workforce of 412 specialized Rural Development Officers at field, being reoriented to render their services effectively in these centers, have yielded a good growth under Priority sector advances during the FY 2018-19.

The Bank has surpassed the mandatory norm of 40% with comfortable margin under Priority sector advances, our Bank has sold Priority Sector Lending Certificate of Rs. 3,736 crores during the FY 2018-19, out of which Rs. 1,500 crores are under PSLC-SF/MF and Rs. 2,236 crores under PSLC-General category and earned a profit of Rs.34.34 crores. The average achievement of 51.33% of ANBC under priority sector advances during the year is after reduction of the above PSLC sale.

Agriculture

The average achievement of four quarters for the FY 2018-19 stood at Rs. 31,048 crores against the target of Rs. 26,438 crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 18% of ANBC by achieving 21.14% under Agriculture advances. There is substantial growth in Agriculture advances with average achievement of 21.14% of the ANBC during the FY 2018-19 from 20.23% during FY 2017-18, even after sale of Rs. 1,500 crores of PSLC under SF/MF category. The Bank disbursed Rs. 31,605 crores under Special Agriculture Credit plan (SACP) as against the target of Rs. 29,328 crores during the year.

Loans to Small and Marginal farmers

The average achievement of four quarters for the FY 2018-19 stood at Rs. 15,530 crores against the target of Rs. 11,750 crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 8% of ANBC by achieving 10.57% under loans to Small/ Marginal farmers. This achievement is arrived at after reducing the sale of PSLC – SF/MF of Rs. 1,500 crores during FY 2018-19.

Loans to Non-Corporate farmers

The average achievement of four quarters for the FY 2018-19 stood at Rs. 22,532 crores against the target of Rs. 17,611 crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 11.99% of ANBC by achieving 15.34% under loans to Non- Corporate farmers.

Loans to Weaker Section

The average achievement of four quarters for the FY 2018-19 stood at Rs. 20,054 crores against the target of Rs. 14,688 crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 10% of ANBC by achieving 13.65% under loans to Weaker Section.

Microfinance

During the year, the Bank credit-linked 41,117 Self Help Groups (SHGs) with a credit outlay of Rs. 1,315 crores. The cumulative number of SHGs credit linked by the Bank is 7,41,182 and with a total disbursement of Rs.91,234 crores as of March 2019.

नाबार्ड से वर्ष 2017-18 के दौरान तमिलनाडु राज्य में एसएचजी - बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन के लिए बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों के बीच द्वितीय पुरस्कार दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए तमिलनाडु राज्य में एसएचजी-बैंक लिंकेज के कार्यान्वयन के लिए बैंक को तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री से विशेष पुरस्कार भी मिला है।

महिलाओं को ऋण प्रवाह

महिलाओं के लिए बैंकों का क्रेडिट रू 31 मार्च 2019 तक रू 17,290 करोड़ रुपये रहा है जो बैंक के समायोजित नेट बैंक क्रेडिट का 11.68% है।

बैंक के साथ उपलब्ध महिला लाभार्थियों के वित्त पोषण के लिए विशेष रूप से तीन विशेष योजनाएं हैं **आइओबी सागर लक्ष्मीः मछुआरिनों महिलाओं** को ऋण, **आइओबी भूमि शक्तिः** कृषि और **आईओबी एसएमई महिला प्लस** के तहत सभी गतिविधियों के लिए **महिलाओं को ऋणः** विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के तहत महिला उद्यमियों को ऋण।

रुपये 50,000 तक की सीमा के लिए बैंक 0.50% की दर से ब्याज रियायत प्रदान करता है।**आइओबी भूमि शक्ति योजना** के तहत रू 50,000 के लिए लाभार्थियों को 0.25% और विद्या ज्योति **शैक्षिक ऋण योजना के** तहत छात्राओं को 0.50% की ब्याज रियायत।

वित्तीय समावेशन

बैंक ने आवंटित उप-सेवा क्षेत्र (एसएसए) और 113 बीसी में गैर आवंटित एसएसए सहित 41 शहरी बीसी सहित बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2,577 कारोबारी संवादाता (बीसी) लगे हैं। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, बीसी हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से बीसी आउटलेट्स पर किए जाने वाले लेनदेन की संख्या 2,05,90,380 है। यह उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु सरकार के समन्वय में, आइओबी स्मार्ट कार्ड बैंकिंग अपने मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए लगभग 3.30 लाख वृद्धावस्था पेंशनभोगियों और लगभग 0.25 लाख श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को 61 शिविरों में मासिक पेंशन प्राप्त कर रहा है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैंड हेल्ड डिवाइसों के माध्यम से आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) आन - यूएस और ऑफ - यूएस लेन-देन को लागू किया है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाइ)

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक पीएमजेडीवाई लागू कर रहा है। यह योजना 15 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। बैंक ने 48,49,392 बीएसबीडी खातों को खोला और इस योजना के तहत 31 मार्च 2019 तक 44,46,716 रूपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं, जिनमें से ग्राहकों द्वारा 46% कार्ड सक्रिय किए गए हैं।

आधार विनियम 2016 के अनुसार आधार पंजीकरण और अद्यतन केन्द्र -

आधार विनियम, 2016 के अनुसार, यूआईडीएआई ने बैंकों को शाखा परिसर में आधार पंजीकरण / अद्यतन केंद्र स्थापित करने हेतू सूचित किया। एईसी शाखाओं से स्टाफ सदस्य को आधार पंजीकरण / अद्यतन हेतु सुपरवाइजर के रूप् में यूआइडीएआइ द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है एवं सर्टिफाइड किया गया है। 31 मार्च 2019 तक बैंक ने 316 शाखाओं के परिसर में आधार पंजीकरण / अद्यतन केंद्र परिचालित हैं।

जन सुरक्षा योजनाएं

01 जून 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा जनसुरक्षा योजनाओं की शुरुआत की गई। बैंक पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और अटल पेंशन योजना जैसी पेंशन योजनाओं जैसे जनसुरक्षा योजनाओं के तहत ग्राहकों को नामांकित कर रहा है। 31.03.2019 तक, जन सुरक्षा और अटल पेंशन योजना योजनाओं के तहत नामांकन संख्या नीचे दी गई हैः

योजनाएँ	31.03.2019 को नामांकन की स्थिति (संचयी)	वर्ष 2018-19 के दौरान नामांकन की स्थिति
पीएमजेजेबीवाई	6,79,773	1,30,977
पीएमएसबीवाई	25,32,670	2,75,013
कुल	**32,12,443**	**4,05,990**

''उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता'' (ईएएसई) के संबंध में - पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत उधार लेने वाले व्यक्तियों और उधारी संस्थाओं के कर्मचारियों को कवर करने के लिए एमएसएमई, कृषि और अन्य खुदरा वितरण के साथ टैगिंग द्वारा सूक्ष्म बीमा कवरेज में भारी विस्तार मिलता है। बैंक एमएसएमई / कृषि / खुदरा के तहत ऋण स्वीकृति के साथ नामांकन के स्वचालन की प्रक्रिया हो चुकी है। बैंक नेट बैंकिंग के माध्यम से पीएमजेजेबीवाई / पीएमएसबीवाई नामांकन के लिए प्रावधान भी सक्षम कर रहा है। बैंक पीएमएसबीवाई का नामांकन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जल्द ही करना प्रारंभ करेगा (एमएमएस/ मिस काल आधार पर नामांकन)।

अटल पेंशन योजना

वित्तीय वर्ष	नामांकन
2015-16	18,540
2016-17	60,084
2017-18	1,11,959
2018-19	1,03,711
कुल एपीवाई नामांकन (संचयी)	**2,94,294**

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआइ)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने सभी लीड जिलों में कुल 12 आरएसईटीआइ स्थापित किए हैं, जो किसानों, एसएचजी के सदस्यों, एसजीएसवाई के तहत लाभार्थियों, शिक्षित बेरोजगार युवाओं, कारीगरों और लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। कमजोर वर्गों से संबंधित है।आरएसईटीआइ को बैंक द्वारा स्थापित स्नेहा ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आरएसईटीआइ ने 9,635 बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित करते हुए 370 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। बैंक ने 70% का संचयी निपटान और 50% का संचयी ऋण निपटान प्राप्त किया है जो क्रमशः 66% और 42% के राष्ट्रीय औसत से ऊपर है।

वित्तीय साक्षरता

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत 23 स्थानों पर स्थापित वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एसएनईएचए) के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रदान की जाती है। इन केंद्रों के परामर्शदाता औपचारिक वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, आमने-सामने वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं और ऋणग्रस्त व्यक्तियों को ऋण परामर्श प्रदान करते हैं। वे विभिन्न स्थानों पर समय-समय पर शिविर भी आयोजित कर रहे हैं। 31 मार्च 2019 को, स्थापना के समय से 70,956 क्रेडिट परामर्श एफएलसी द्वारा आयोजित किए गए हैं। स्थापना के बाद से बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं पर 9,001 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए। 92,011 SB खातों को शुरू से ही खट्टा और खोला गया है। वित्तीय प्रणाली में नए शामिल लोगों के लिए 962 विशेष शिविर 1,14,702 लाभार्थियों को कवर करके संचालित किए गए थे। लक्ष्य समूह के लिए आयोजित 1,377 शिविर में 1,79,505 लाभार्थी शामिल किए गये। जैसे एसएचजी, छात्र, वरिष्ठ नागरिक, किसान और सूक्ष्म और लघु उद्यमी।

यूआईडीएआई सेल

यूआईडीएआई सेल भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त डीबीटी और डीबीटीएल फाइलों के प्रसंस्करण में शामिल है, एनपासीआई के माध्यम से आधार मैप की गई पीढ़ी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाईजी) योजना के लिए प्रायोजक बैंक के रूप में कार्य करना। 2018-19 के दौरान 9,393 करोड़ रुपये की राशि के डीबीटी / डीबीटीएल योजनाओं के तहत कुल 4.07 करोड़ लेनदेन किए गए।

लीड बैंक की पहल

बैंक की लीड बैंक की जिम्मेदारी तमिलनाडु के 13 जिलों और केरल में 1 जिले की है। बैंक तमिलनाडु की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजक भी है। वर्ष के दौरान, एसएलबीसी , तमिलनाडु के संयोजक के रूप में, बैंक ने एसएलबीसी की चार मुख्य बैठकें आयोजित की हैं।

इसके अलावा, बैंक ने एसएलबीसी , तमिलनाडु के संयोजक के रूप में वर्ष के दौरान 14 विशेष बैठकें / कोर समिति / उप-समिति की बैठकें बुलाई।

Bank is awarded 2nd prize among Public Sector Commercial Banks for Excellence in Performance under SHG- BANK Linkage Program in the State of Tamil Nadu during the year 2017-18 from NABARD.

Bank has also received a Special award from the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu for Implementation of SHG-Bank Linkage in the State of Tamil Nadu for the FY 2016-17 and 2017-18.

Credit flow to women

Bank's credit to women stood at Rs. 17,290 crores as of 31st March 2019 which constitutes 11.68% of the Bank's Adjusted Net Bank Credit.

There are three Special schemes exclusively for financing women beneficiaries available with the Bank namely IOB Sagar Lakshmi: Loans to Fisher women, IOB Bhoomi Shakti: Loans to women for all activities under Agriculture and IOB SME Mahila Plus: Loan to women entrepreneurs under manufacturing and service sectors.

The Bank provides Interest concession at the rate of 0.50% for limits up to Rs. 50,000 and 0.25% for limits above Rs. 50,000 to women beneficiaries under **IOB Bhoomi Shakti scheme** and interest concession of 0.50% to the girl student under **Vidhya Jyothi Educational Loan scheme.**

Financial Inclusion

Bank has engaged 2,577 Business Correspondents (BCs) in allotted Sub-Service Area (SSA) & 113 BCs in un-allotted SSA including 41 Urban BCs for providing Banking facilities in un-banked areas. During the FY 2018-19, the number of transactions undertaken at BC Outlets through the BC Hand Held Device is 2,05,90,380. It is noteworthy to state that in coordination with Government of Tamil Nadu, IOB Smart Card Banking has been enabling about 3.30 lakh old age pensioners to get their monthly pension and about 0.25 lakh Sri Lankan Tamil Refugees in 61 camps to obtain their monthly dole.

As per the guidelines from MoF, GoI, the Bank has implemented Aadhar Enabled Payment System (AEPS) ON-US and OFF-US transactions through Business Correspondent Hand Held devices.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY):

The Bank has implemented PMJDY as per the directives of Ministry of Finance, Govt. of India. The Scheme was launched by the Prime Minister of India on 15th August 2014. The Bank has opened 48,49,392 BSBD Accounts and issued 44,46,716 RuPay Debit Cards till 31st March 2019 under this scheme out of which 46 % of RuPay cards have been activated by the customers.

Aadhaar enrolment and update centres as per Aadhaar Regulations, 2016.

As per Aadhaar Regulations, 2016, UIDAI has advised Banks to establish Aadhaar enrolment/update Centres in Branch premises. Staff members from the AEC Branches have been trained and certified by UIDAI as Supervisors for Aadhaar Enrolment/Updation. As on 31st March 2019, Bank has operationalized Aadhaar Enrolment/Update centres in the premises of 316 Branches.

Jansuraksha Schemes

The Jansuraksha Schemes were launched by the Prime Minister of India on 1st June 2015. The Bank is enrolling customers under Jansuraksha schemes like PMJJBY and PMSBY, and Pension schemes like Atal Pension Yojana. As on 31st March 2019, the enrollment count under Jan Suraksha schemes is as below:

Schemes	Status of enrolment as on 31st March 2019 (Cumulative)	Status of Enrolment during the year 2018-19
PMJJBY	6,79,773	1,30,977
PMSBY	25,32,670	2,75,013
Total	**32,12,443**	**4,05,990**

With respect to "Enhanced Access & Service Excellence" (EASE) - Mandates Massive expansion in Micro Insurance Coverage by tagging with MSME, Agricultural and other Retail disbursements has taken place to cover borrowing individuals and employees of borrowing entities under PMJJBY & PMSBY. Bank has automated enrolments along with loan sanction under MSME /Agri/Retail. Bank has also enabled provision for enrolling PMJJBY/PMSBY through net banking. Bank shall be shortly enrolling PMSBY through electronic mode also (enrolling by SMS/missed call based)

Atal Pension Yojana

Financial Year	Enrolments
2015-16	18,540
2016-17	60,084
2017-18	1,11,959
2018-19	1,03,711
Total APY Enrolments (Cumulative)	**2,94,294**

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

In line with the guidelines issued by Ministry of Rural development, Govt of India, the Bank had set up total 12 RSETIs in all Lead Districts, to provide training to farmers, members of SHGs, beneficiaries under SGSY, educated unemployed youths, artisans and beneficiaries belonging to weaker sections. The RSETIs are managed by SNEHA trust established by the Bank. During the year under review, the RSETIs have conducted 370 training programs benefiting 9,635 unemployed youths. Bank has achieved cumulative settlement of 70% and cumulative credit settlement of 50% which are well above the national average of 66% and 42% respectively.

Financial Literacy

Financial Literacy is imparted through Financial Literacy Centers (SNEHA) established at 23 locations under Corporate Social Responsibility. The counselors of these centers are educating the people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from formal financial institutions, provide face-to-face financial counseling services and offer debt counseling to indebted individuals. They are also conducting periodical camps at various places. As on 31st March 2019, 70,956 credit counselling have been conducted by the FLCs since inception. 9,001 Financial Literacy camps were conducted on various aspects of Banking since inception. 92,011 SB accounts have been sourced and opened since inception. 962 Special camps for newly included people in the financial system were conducted by covering 1,14,702 beneficiaries. 1,377 camps were conducted for the target group viz. SHGs, Students, Senior Citizens, Farmers and Micro & small entrepreneurs by covering 1,79,505 beneficiaries.

UIDAI Cell

UIDAI Cell is involved in processing of DBT & DBTL files received from Ministry of Rural Development, GOI through NPCI, generation of Aadhaar Mapped file and acting as Sponsor Bank for Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin (PMAYG) Scheme of Government of India. A total of 4.07 crores transaction were processed under DBT/DBTL schemes amounting to Rs 9,393 crores during 2018-19.

Lead Bank Initiatives

The Bank has Lead Bank responsibility in 13 districts in Tamil Nadu and 1 district in Kerala. The Bank is also the Convenor of State Level Bankers' Committee of Tamil Nadu (SLBC). During the year, as Convenor of SLBC, Tamil Nadu, the Bank has conducted four main meetings of SLBC.

In addition, the Bank as convenor of SLBC, Tamil Nadu convened 14 special meetings / core committee / sub-committee meetings during the year.

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

- एसएलबीसी , तमिलनाडु ने पीएमजेडीवाई और पीएमएमवाइ योजनाओं के लिए शिकायत निवारण के लिए टोल फ्री नंबरों को बनाए रखने वाली एजेंसी को प्रशिक्षण दिया था।
- भारत सरकार ने देश के 115 पिछड़े जिलों की आकांक्षी जिलों के रूप में पहचान की है, जिनमें से दो जिलों की पहचान तमिलनाडु रामनाथपुरम और विरुदुनगर में की गई जो है।
- एसएलबीसी , तमिलनाडु ने विशेष अभियान "ग्राम स्वराज अभियान" चलाया है जो कि भारत सरकार की ओर से तमिलनाडु के 30 जिलों के 1477 गाँवों में विशेष पहल है और योजनाओं अर्थात पीएमजेडीवाई, पीएमजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत 100% संतृप्ति हासिल की है ।
- एसएलबीसी, तमिलनाडु ने तमिलनाडु के दो आकांझा वाले जिलों में "विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान" का आयोजन किया है।

वित्तीय समावेशन के लिए एसएलबीसी पहलः

- एसएलबीसी ने तमिलनाडु में 451 बैंकिंग रहित गांवों की पहचान की और बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए विभिन्न बैंकों को आवंटित किया। अब तक 138 केंद्रों में बैंकिंग आउटलेट खोले गए हैं।
- तमिलनाडु राज्य में, 9,323 उप सेवा क्षेत्र हैं जिनमें से 489 एसएसए शाखाओं के माध्यम से और 8,834 एसएसए बैंक मित्र (बीसी) द्वारा कवर किए जाते हैं। राज्य में कोई भी एसएसए अनावरित नहीं है।
- तमिलनाडु राज्य में, जनसुरक्षा योजनाओं के तहत नामांकन 31.01.2019 तक 105.18 लाख तक पहुँच गया है, जिसमें PMJJBY के तहत 26.41 लाख नामांकन और PMSBY के तहत 78.77 लाख नामांकन शामिल हैं।
- तमिलनाडु राज्य के लिए आधार संतृप्ति 102.27% है।

तमिलनाडु में ऋण प्रवाह पर एसएलबीसी की पहलः

तमिलनाडु में बैंकों ने दिसंबर 2018 तक निम्नलिखित हासिल कर लिए हैंः

- सीडी का अनुपात 115.93% है। तमिलनाडु उन बहुत कम राज्यों में से एक है जिसने यह उपलब्धि हासिल की है।
- वार्षिक क्रेडिट योजना 2018-19 के तहत 103%।
- प्राथमिकता क्षेत्र के तहत राष्ट्रीय मानदंड के 40% के प्रति 48.51% है।
- 18% के राष्ट्रीय मानदंड के मुकाबले कृषि अग्रिम का 21.55 % है ।
- 10% के राष्ट्रीय मानदंड के प्रति कमजोर वर्गों के लिए अग्रिम 14.92% है ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक ने दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित किया, तमिलनाडु में पांडियन ग्राम बैंक और ओडिशा में ओडिशा ग्राम्य बैंक है। पांडियन ग्राम बैंक तमिलनाडु के 16 जिलों में 339 के शाखा नेटवर्क और 1394 के कर्मचारियों के साथ काम करता है। 31 मार्च 2019 को आरआरबी के पास 97.71% के सीडी अनुपात के साथ 12,169 करोड़ का व्यापार मिश्रण है। बैंक द्वारा प्रायोजित पांडियन ग्राम बैंक और इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित पल्लवन ग्राम बैंक 1 अप्रैल 2019 से तमिलनाडु ग्राम बैंक के रूप में समामेलित हो गया है ।

ओडिशा ग्राम्या बैंक की 549 शाखाओं और 2365 कर्मचारियों की संख्या वाले नेटवर्क के साथ ओडिशा के 13 जिलों में उपस्थिति है। 31 मार्च 2019 तक, आरआरबी ने 43.22% के सीडी अनुपात के साथ रू-16,179.12 करोड़ का व्यापार मिश्रण है ।बैंक की जमा और अग्रिम क्रमशः रु 11,296 और रू 4,883 करोड़ है।

कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

छवि निर्माण के एक भाग के रूप में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वच्छ भारत अभियान, सजावटी वृक्ष की आपूर्ति जैसे विभिन्न गतिविधियों को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए संपन्न किया गया, जिसने बैंक की ब्रांड दृश्यता को काफी हद तक पूरे भारत के लिए एक बना दिया।

व्यापारी बैंकिंग गतिविधियाँ

एसबीए (बैंकर से निर्गम गतिविधि)ः भारत में सभी सामान्य बैंकिंग शाखाओं को एसबीए सक्षम शाखाएँ बना दिया गया है जो आईपीओ, एफपीओ और राइट समस्या के लिए एसबीए आवेदनों को स्वीकार करती हैं। ई-एएसबीए ग्राहकों द्वारा प्रभावी रूप से उपयोग में रहा है। बैंक दलालों से आईपीओ / एफपीओ / अधिकार अनुप्रयोगों को स्वीकार करने के लिए सिंडिकेट एएसबीए बैंक के रूप में भी काम कर रहा है और चुनिंदा शाखाओं को सिंडिकेट एएसबीए शाखाओं के रूप में नामित किया गया है। एएसबीए अनुप्रयोगों को 159 इश्यू के लिए नियंत्रित किया गया था और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रु. 275 करोड़ की राशि को अवरुद्ध किया गया था।

मर्चेंट बैंकिंग के तहत अन्य गतिविधियांः बैंक इश्यू के लिए मर्चेंट बैंकर डिबेंचर ट्रस्टी, डिविडेंड / ब्याज वारंट के लिए भुगतान बैंकर आदि के रूप में कार्य करना जारी रखाहै, । बैंक पीएसयू बैंकों में से एक है जो अंडरराइटिंग द्वारा आईपीओ सेगमेंट, विशेष रूप से ईई सेगमेंट और सह-नेतृत्व प्रबंधन में सक्रिय है ।बैंक ने अंडरराइटिंग प्रतिबद्धता के साथ 1 एसएमई आईपीओ के लिए सह-लीड मैनेजर के रूप में काम किया है ।

डिपाजिटरी परिचालन बैंक एनएसडीएल और सीडीएसएल के लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) के रूप में कार्य करना जारी रखा है और सेवा केंद्र शाखाओं के माध्यम से डिपॉजिटरी संबंधित सेवाओं का विस्तार कर रहा है। 27,414 खाते एनएसडीएल सेटअप के तहत और 67 खाते सीडीएसएल सेटअप के तहत हैं। बैंक के ESPS के दौरान, डिपॉजिटरी सर्विसेज ने ESPS में भाग लेने के लिए कर्मचारियों के लिए लगभग 16500 डीमैट खाते खोले हैं।

इंस्टा डीमैट अकाउंटः बैंक नेट बैंकिंग के माध्यम से ग्राहकों को डीमैट खाते खोलने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित करने की प्रक्रिया में है।

3 में 1 ई ट्रेडिंग सुविधा एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ टाई-अप कर, शुल्क आधारित आय में सुधार के लिए डीमैट ग्राहकों के लिए ई-ट्रेडिंग सुविधा लागू की गई है। अब तक लगभग 1000 ई-ट्रेडिंग खाते खोले जा चुके हैं।

कैपिटल मार्केट सर्विसेज ब्रांच, मुंबईः सीएमएस ब्रांच, मुंबई आईपीओ के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। एसएमई आईपीओ में कई असाइनमेंट लेने से, स्टॉक एक्सचेंज / कैपिटल मार्केट बिचौलियों में बैंक की छवि को बढ़ाया गया है।

ग्राहक सेवा

बैंक बैंकिंग कोड और भारतीय मानक बोर्ड (बीसीबीआइ) का सदस्य है। बीएसबीआइ ने विभिन्न फेयर प्रैक्टिस कोड्स को संशोधित किया है जो बैंकिंग के सभी क्षेत्रों को विस्तृत रूप से शामिल करता है।

एक वेब-आधारित ऑनलाइन प्रणाली जिसे मानकीकृत लोक शिकायत निवारण तंत्र (SPGRS) कहा जाता है, ग्राहकों को स्थिति ट्रैकिंग सुविधा के साथ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। जहां तक आंतरिक तंत्र के रूप में, SPGRS को बैंक के लिए उपयोगिताओं / एमआईएस की संख्या मिली है, जैसे कि मैट्रिक्स, शिकायतों के बारीक विवरणों को कैप्चर किया गया है, जिससे बैंक सुधारात्मक कार्रवाई कर सके, ताकि ग्राहकों को सेवाओं में सुधार किया जा सके और उनका विश्लेषण किया जा सके और शिकायतों के निवारण पर क्रियाओं और नीतियों के भविष्य के पाठ्यक्रम को विकसित किया जा सके ।शिकायत के विवरण वास्तविक समय के आधार पर उपलब्ध हैं और कार्यालयों की विभिन्न परतों तक पहुंच प्रभावी निवारण तंत्र की ओर ले जाती है।

शिकायतों को दर्ज करने के लिए टोल फ्री टेलीसर्विसेज चौबीस घंटे 24X7X365 उपलब्ध है। सेवा प्रदाता बैंकों के लिए सेवाओं और अनुरोधों को रिकॉर्ड करता है और उन्हें आगे बढ़ाता है, जिससे ग्राहकों के लिए कुशल सेवाएं उपलब्ध होती हैं।

SPGRS और टोल फ्री टेली सर्विसेज के अलावा, बैंक बैंकिंग लोकपाल, भारतीय रिज़र्व बैंक (वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधन और बैंकिंग सेवा विभाग), वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों और उपभोक्ताओं की शिक्षा और RBI के संरक्षण विभाग आदि से प्राप्त शिकायतों को भी संभालता है।

भारतीय बैंकों के संघ और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा EASE (संवर्धित पहुंच और सेवा उत्कृष्टता) के तहत 2019 में "शिकायत निवारण तंत्र" के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच बैंक को सर्वश्रेष्ठ व्यवसायी के रूप में घोषित किया गया था।

Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY)

- SLBC, Tamil Nadu had given training to the Agency maintaining Toll Free numbers for grievance redressal for PMJDY and PMMY Schemes.
- Government of India has identified 115 backward districts in the country as Aspirational Districts of which two districts were identified in Tamil Nadu, namely Ramanathapuram and Virudhunagar.
- SLBC, Tamil Nadu has conducted the special campaign "Gram Swaraj Abhiyan", a Government of India's special initiative in 1477 villages of 30 districts of Tamil Nadu and achieved 100% saturation under the schemes viz., PMJDY,PMJBY &PMSBY .
- SLBC, Tamil Nadu has conducted the "Extended Gram Swaraj Abhiyan", in the two Aspirational districts of Tamil Nadu.

SLBC Initiatives for Financial Inclusion:

- SLBC identified 451 unbanked villages in Tamil Nadu and allotted to various banks for opening of Banking Outlets. So far Banking Outlets are opened in 138 centres.
- In the state of Tamil Nadu, there are 9,323 Sub Service Areas of which 489 SSAs are covered through branches and 8,834 SSAs are covered by Bank Mitras (BCs). There is no SSA uncovered in the state.
- In the state of Tamil Nadu, the enrolments under Jansuraksha Schemes have reached 105.18 lakhs as on 31.01.2019 which includes 26.41 lakhs enrolments under PMJJBY and 78.77 lakhs enrolments under PMSBY.
- The Aadhaar saturation for the State of Tamil Nadu is 102.27%.

SLBC initiatives on Credit Flow in Tamil Nadu:

Banks in Tamil Nadu have achieved the following as of December 2018:

- CD ratio of 115.93%. Tamil Nadu stands one among the very few states which achieved this feat.
- 103% under Annual Credit Plan 2018-19.
- 48.51% under Priority Sector against the national norm of 40%.
- 21.55% of Agricultural Advances against the national norm of 18%.
- 14.92% of advances to weaker sections against the national norm of 10%.

Regional Rural Banks

Bank sponsored two Regional Rural Banks viz., Pandyan Grama Bank in Tamil Nadu and Odisha Gramya Bank in Odisha. Pandyan Grama Bank operates in 16 districts of Tamil Nadu with a branch network of 339 and staff strength of 1394. As on 31st March 2019 the RRB had a business mix of Rs. 12,169 crores with a CD ratio of 97.71%. Pandyan Grama Bank sponsored by the Bank and Pallavan Grama Bank sponsored by Indian Bank was amalgamated to form Tamil Nadu Grama Bank w.e.f. 1st April 2019.

Odisha Gramya Bank has presence in 13 districts of Odisha with a network of 549 branches and staff strength of 2365. As on 31st March 2019, the RRB had a business mix of Rs. 16,179.12 crores with a CD ratio of 43.22%. Deposit and Advances of the Bank stood at Rs. 11,296 and Rs. 4,883 crores respectively.

Corporate Social Responsibility

As a part of image building exercise various activities like Blood Donation Camp, Health check-up camps, Swachh Bharat Abhiyan, Supply of ornamental tree sapling were carried out for the financial year 2018-19 which created brand visibility of the bank pan India to a great extent.

Merchant Banking Activities

ASBA (Banker to Issue activity): All general banking branches in India have been made ASBA enabled branches to accept ASBA applications for IPO, FPO and Rights Issues. E-ASBA continued to be in usage effectively by the customers. Bank is also acting as a Syndicate ASBA bank to accept IPO/FPO/Rights applications from Brokers and select branches are nominated as Syndicate ASBA Branches. ASBA applications were handled for 159 issues and an amount of Rs.275 crores were blocked during the reporting period.

Other activities under Merchant Banking: The Bank continues to act as Merchant Banker for issues, Debenture Trustee, Paying Banker for Dividend / Interest Warrants etc. Bank is one of the PSU Banks who is active in IPO segment, especially SME segment, by Underwriting and Co-Lead Managing. Bank acted as Co-Lead Manager for 1 SME IPO along with underwriting commitment.

Depository Operations: The Bank continues to act as Depository Participant (DP) of NSDL and CDSL and is extending depository related services through service centre branches. 27,414 accounts are under NSDL setup and 67 accounts are under CDSL setup. During Bank's ESPS, Depository Services has opened around 16500 Demat accounts for staff members in order to make them to participate in ESPS.

Insta Demat Account: Bank is in the process of developing a software to open demat accounts to customers through net banking.

3 in 1 E Trading facility in tie up with Emkay Global Financial Services Limited & SMC Global Securities Ltd., e-trading facility for demat clients has been implemented to improve the fee based income. Around 1000 e-trading accounts have been opened so far.

Capital Market Services Branch, Mumbai: CMS Branch, Mumbai is actively mobilizing assignments for IPOs. By taking up several assignments in SME IPOs, the image of the Bank has been enhanced in stock exchanges / capital market intermediaries.

Customer Service

Bank is a member of the Banking Codes and Standard Board of India (BCSBI). BCSBI has revised various Fair Practice Codes which covers elaborately all the areas of Banking.

A web-based online system called Standardised Public Grievances Redressal Mechanism (SPGRS) is in place, enabling customers to lodge complaint online with status tracking facility. As far as the internal mechanism, SPGRS has got number of utilities / MIS to the Bank, like escalation Matrix, granular details of the complaints are captured, enabling the Bank to take corrective action, to improve the services to the customers, and to analyse and evolve future course of actions and policies on grievances redressal. Complaint details are available on real time basis and access by various layer of offices leads to effective redressal mechanism.

Toll free Teleservices for lodging the complaints is available round the clock – 24x7x365. Service provider also record and push the services and requests to the Banks, leading to efficient services to the customers.

Apart from SPGRS and Toll Free Tele Services, Bank also handles complaints received from Banking Ombudsman, Reserve Bank of India (Senior Supervisory Management and Department of Banking Services), Ministry of Finance and other Ministries and Consumers' Education and Protection Department of RBI, etc.

Bank was adjudged as the Best Practitioner among the Public Sector Banks for "Grievances Redressal Mechanism" in 2019 under EASE (Enhanced Access and Service Excellence) by the Indian Banks' Association and Boston Consulting Group.

वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त और प्राप्त की गई ग्राहक शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया हैः

वर्ष के प्रारंभ में प्राप्त शिकायतों की संख्या	192
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	5,441
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	5,512
वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	121
प्रभावी निपटान दर	97.85 %

शिकायतों की प्रकृति	**शिकायतों की संख्या**	**% कुलशिकायतों का**
शिकायतें		
अग्रिम	1,174	21.58
ग्राहक सेवा	509	9.35
डीमेट सेवा	8	0.15
जमाएँ	487	8.95
सामान्य बैंकिंग	1,342	24.66
सरकारी व्यापार	39	0.72
बीमा	128	2.35
एनआरआई सेवा	15	0.27
पेंशन	309	5.68
धन प्रेषण	401	7.37
अन्य	1,025	18.84
कुल जमा	**5,441**	**100.00**

तनाव ग्रस्त आस्ति प्रबंधन विभाग -

12 फरवरी, 2018 को आरबीआई द्वारा तनाव ग्रस्त परिसंपति के संकल्प के लिए संशोधित रूपरेखा की शुरुआत के परिणामस्वरूप 2017-18 के चौथी तिमाही में जीएनपीए के रु 3,629 करोड़ की सीमा तक पहुंच के कारण, जीएनपीए जोकि 31 दिसंबर 2017 को रु 33,267 करोड़ में लाया गया था, 31 मार्च 18 तक के हिसाब से रू 38,180 करोड़ तक पहुंच गया। इसलिए, पहला उद्देश्य 31 मार्च 18 तक कि कुल अनर्जक अस्तियॉ को कम से कम दिसम्बर 2017 के स्तर पर लाना था। इसलिए, सभी रणनीतियों को मुख्य रूप से नकद वसूली और उन्नयन पर विशेष रूप से एकमात्र बैंकिंग खातों और संघ खातों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जहां बैंक वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकतम वसूली करने के लिए एक अग्रणी है।

इसलिए, वित्तीय वर्ष 2018-19 की शुरुआत से, वसूली के मोर्चे के तहत विकास में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों को रखा गयाः -

- अधिक मजबूत क्षेत्रीय वसूली टीम जो पहले ही गठित क्लस्टर्स में शाखा प्रबंधकों के साथ मिलकर काम करने के लिए बनाई गई हैं
- रिपोर्टिंग घटनाक्रम में फील्ड कार्यकताओं की सहायता के लिए आईओबी सहायक मोबाइल ऐप
- सरफाशी एक्शन स्तरवार अनुवर्तन
- स्वेछाचारी चूककर्ता और असहयोग कर रहे लेनदारों की पहचान और घोषणा
- सभी स्तरों पर स्वीकृत ओटीएस में पूर्ण वसूली को प्रभावित करने के लिए आक्रामक अनुवर्ती कारवाई
- सभी निर्णित / लोक अदालत निपटाए गए खातों के लिए CGTMSE के दूसरे / अंतिम दावे को प्रस्तुत करना
- वसूली बढ़ाने के लिए डीआरटी द्वारा जारी आरसी का निष्पादन
- अन्य व्यक्तिगत खातों के एआरसी को बिक्री जारी है
- अनर्जक अस्तियॉ वसूली के लिए ग्रामीण विकास पदाधिकारियों का आक्रामक तरीके से पीछा करना
- सीओसी में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके त्वरित समाधान के लिए एनसीएलटी मामलों को जल्द से जल्द निर्णय लिया जाता है
- एनसीएलटी में उन मामलों में जहां समाधान संभव नहीं है, परिसमापन के लिए जल्दी से आगे बढ़ें ताकि हम गारंटरों के मुकाबले कानूनी कार्यवाही कर सकें
- सुनिश्चित करें कि अंतरिम आवेदन मौजूदा मुकदमों में डीआरटी से निर्देश मांगे गए हैं
    - o गारंटरों को अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करने के लिए
    - o आयकर कार्यालय द्वारा उधारकर्ताओं और गारंटर द्वारा दायर आईटी और डब्ल्यूटी रिटर्न की अग्रेषित प्रतियों को
    - o उधारकर्ता / गारंटर डीआरटी से पूर्व मंजूरी के बिना देश नहीं छोड़ना है जिसके आधार पर
    - o शाखाएं देश से बाहर जाने से चूककर्ताओं को मना करने के लिए डीआरटी के आदेश को संलग्न करते हुए पासपोर्ट और आव्रजन कार्यालयों को लिखेंगी
- उधारकर्ताओं के ऋणदाताओं को कंपनी के निदेशकों के साथ लेने के लिए उन्हें उधारकर्ता / गारंटर को भुगतान करने के लिए अनुरोध करना चाहिए
- सभी बकाएदारों के लिए 100% CIBIL प्रविष्टि सुनिश्चित करें
- वीडियो कॉन्फ्रेंस और टास्क फोर्स मीटिंग के माध्यम से क्षेत्र के कार्यों का प्रेरणा, समर्थन और निगरानी
- दैनिक वसूली रिपोर्ट तंत्र
- वर्टिकल वाइज यानि रिटेल, कृषि और एमएसएमई (RAM) को अलग-अलग करके ध्यान केंद्रित करना, शेष खातों को केवल बैंकिंग, कंसोर्टियम खातों में वर्गीकृत किया जाता है, जहां हम अग्रणी है और वैसे कंसोर्टियम खाते हैं, जहां हम सदस्य हैं और इन खातों के लिए विभिन्न रणनीतियों का पालन कर रहे हैं।
- मुकदमा दायर खातों के संबंध में, बैंक ने उधारकर्ताओं / गारंटरों पर दबाव बनाने के लिए विभिन्न अंतरिम आवेदन दायर किए हैं
- 100% प्रावधान वाले खातों में वसूली पर विशेष जोर
- निपटान के उद्देश्य से एनपीए उधारकर्ताओं के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में सभी केंद्रों पर टास्क फोर्स की बैठकों का आयोजन
- निपटान के उद्देश्य से लोक अदालतों का पूर्ण उपयोग
- वसूली के लिए ऋण वसूली एजेंटों का इष्टतम उपयोग और साथ ही सरफेसी कार्यों में सहायता
- एनपीए वार रूम के कामकाज में लगातार सुधार के लिए विभिन्न उपयोगिताओं के विकास के साथ रिकवरी में क्षेत्र के अधिकारियों के साथ-साथ डेटा एनालिटिक्स को विकसित करने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए शीर्ष प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के लिए सभी कर्मचारियों के लिए आईओबी सहायक मोबाइल ऐप में एनपीए रिकवरी टूल सक्षम किया गया है।
- विशेष ओटीएस योजना के तहत आंचलिक कार्यालय स्तर की मंजूरी तक प्रसंस्करण ओटीएस प्रस्ताव त्वरित निपटान और खाता बंद करने के लिए ऑनलाइन किया गया था। इसके अलावा एक आगे एकीकरण उपाय सुविधा के रूप में ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया गया है
- वाद दाखिल खातों के तहत वसूली में सुधार के लिए 16 विशेष एसेट रिकवरी प्रबंधन शाखाओं (एआरएमबी) पर गहन ध्यान केंद्रित किया गया है
- विभिन्न अभियान जैसे विशेष ओटीएस अभियान, 82 वें स्थापना दिवस ओटीएस अभियान, आरसी निष्पादन अभियान, 100 ओटीएस अभियान प्राप्त करें आदि, छोटे मूल्य खातों में वसूली को बढ़ावा देने के लिए
- रैम में अधिक आवेग वाले सभी वर्गों के तहत खातों के उन्नयन के लिए 10% बकाया श्रेणी के तहत वसूली
- अनुवर्ती के लिए शाखा प्रबंधकों, आरओ / जेडओ अधिकारियों और सीओ कार्यपालकों को खातों का आवंटन

Details of Customer Complaints received and redressed during the year 2018-19 is enumerated below:

Number of complaints at the beginning of the year	192
Number of complaints received during the year	5,441
Number of complaints resolved during the year	5,512
Number of complaints pending at the end of the year	121
Effective Resolution Rate	97.85%

Analysis of Complaints for the year ended 31st March 2019 is as follows:

Nature of Complaints	No. of Complaints	% of Total Complaints
Advances	1,174	21.58
Customer Service	509	9.35
Demat Services	8	0.15
Deposits	487	8.95
General Banking	1,342	24.66
Government Business	39	0.72
Insurance	128	2.35
NRI Services	15	0.27
Pension	309	5.68
Remittances	401	7.37
Others	1,025	18.84
Grand Total	**5,441**	**100.00**

Stressed Asset Management Department

Due to accretion of GNPA to an extent of Rs.3,629 crores in Q4 of 2017-18 as a result of introduction of Revised Framework for Resolution of Stressed Assets by RBI on 12th February 2018, the GNPA which was brought down to Rs.33,267crores as on 31st December 2017 reached Rs.38,180 crores as on 31st March 18. Hence, the first objective was to bring down the GNPA as on 31st March 18 to at least Dec 2017 level. Hence, all the strategies were focussed mainly on Cash recovery and Upgradation especially in Sole Banking Accounts and Consortium accounts where the Bank is a leader to make maximum Recovery to achieve the desired goal.

Hence, from the beginning of the FY 2018-19, the following strategies were put forth to accelerate the growth under Recovery front: -

- Revitalizing Regional Recovery Teams that have already been formed to work in tandem with Branch Managers in the Clusters formed
- The IOB Sahayak mobile app for assisting Field functionaries in reporting developments
- Follow-up of SARFAESI action stage-wise
- Identification and declaration of willful defaulters and Non Co-operative borrowers
- Aggressive follow-up to ensure that full recovery is effected in OTS sanctioned at all levels
- Submission of Second/Final claim to CGTMSE for All decreed/Lok Adalat settled accounts
- Execution of RCs issued by DRTs in order to increase recovery
- Sale to ARCs of other individual accounts on an ongoing basis
- RDOs to pursue aggressively for NPA Recovery
- Pursue NCLT cases for quicker resolution by ensuring active participation in CoC that decisions are taken at the earliest
- Move early for Liquidation in NCLT in cases where resolution is not possible so that we can pursue legal proceedings against the guarantors
- Ensure Interim applications are filed in existing suits seeking directions from DRT
  - to the guarantors to declare their assets & liabilities
  - to Income Tax Office to forward copies of IT & WT returns filed by the borrowers and guarantor
  - to the borrower/guarantors not to leave the country without prior clearance from DRT based on which branches shall write to Passport & Immigration Offices enclosing DRT order forbidding the defaulters from leaving the country
  - to the Debtors of the borrower/s
- Taking up with the Directors of the company requesting them to prevail upon the borrower/guarantors to pay-up
- Ensure 100% CIBIL entry for all defaulters
- Motivation, Support and Monitoring of field functions through Video Conference and Task Force Meetings
- Daily Recovery Report mechanism
- Focused follow up by segregating accounts vertical wise i.e., Retail, Agri and MSME (RAM). Remaining accounts are classified into sole banking, consortium accounts where we are leader and consortium accounts where we are member and following different strategies for these accounts.
- In respect of suit filed accounts, Bank has filed various interim applications to build pressure on the borrowers/ guarantors
- Special emphasis on recovery in accounts with 100 % provision
- Conduct of Task force meetings at all centres headed by senior executives with NPA borrowers to arrive at settlements
- Full utilization of Lok Adalats to arrive at settlements.
- Optimal utilization of Debt Recovery Agents for recovery as well as assistance in SARFAESI actions
- Constant improvisation in functioning of NPA War Room with development of various utilities to assist field functionaries in recovery as well as data analytics for providing vital inputs to Top Management for developing strategies. NPA recovery tools enabled in IOB Sahayak Mobile app for all employees
- OTS proposals processing upto Zonal office level sanction under Special OTS Scheme was made online for speedy disposal and closure of account. Also as a forward integration measure facility made available to borrowers for submission through online
- Intensive focus on 16 specialized Asset Recovery Management Branches (ARMB) to improve the recovery under suit filed accounts
- Various campaigns like Spl. OTS campaign, 82nd Foundation day OTS campaign, RC execution campaign, Get 100 OTS campaign etc., to propel the recovery in small value accounts
- Recovery under 10% Overdue category for upgradation of accounts under all the segments with more impetus in RAM
- Allotment of accounts to Branch Managers, RO/ZO functionaries and CO executives for follow-up.

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सभी ठोस प्रयासों के साथ, बैंक ने विभिन्न घटकों के तहत निम्नलिखित वसूली कीः -

नकद वसूली : 4715 करोड़ रुपये

उन्नयन : 1452 करोड़ रुपये

एआरसी बिक्री : 708 करोड़ रुपये

तकनीकी रूप से अपलिखित खातों में वसूलीः 1323 करोड़ रुपये

आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त याचिकाओं का निपटान

अएआआईटीआई एप्लिकेशन और निवेदन, बैंक में RTI सेल नामक एक अलग और विशेष सेल द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। RTI सेल उप महाप्रबंधक के नियंत्रण और देखरेख में काम कर रहा है, जिसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) नामित किया गया है। बैंक ने क्षेत्रीय प्रबंधकों को केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (CAPIOs) के रूप में निर्धारित समय सीमा के भीतर आरटीआई आवेदन (यानी आरटीआई आवेदन की प्राप्ति से 30 दिन) के भीतर सीपीआईओ के निपटान में सहायता करने के लिए नामित किया है। हमारे बैंक में 48 CAPIO हैं।

बैंक ने महाप्रबंधक, विधि विभाग को प्रथम अपील प्राधिकारी (FAA) के रूप में नामित किया है, जो अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील का निस्तारण करने के लिए CPIO और CAPIOs के जवाब से व्यथित थे।

बैंक को वर्ष 2018-19 में सूचना मांगने के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत 1,965 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदनों को सीपीआईओ और सीएपीआईओ द्वारा क्रमशः आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधान के अनुसार और निर्धारित समय-सीमा के भीतर (यानी आरटीआई आवेदनों की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर) विधिवत निपटाया गया।

बैंक को उन लोगों से 386 प्रथम अपील प्राप्त हुई है जो सीपीआईओ और सीएपीआईओ के जवाब से संतुष्ट नहीं थे और उन्हें आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधान के साथ योग्यता और अनुरूपता पर उचित आदेश पारित करके एफएए द्वारा विधिवत निर्धारित समय-सीमा में निपटाया गया।

अपीलकर्ता जो सीपीआईओ और एफएए दोनों के जवाब से दुखी थे, उन्होंने माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, दिल्ली (सीआईसी के बाद यहां) के समक्ष दूसरी अपील को प्राथमिकता दी है। बैंक ने सूचना आयुक्त के समक्ष CIC सुनवाई के लिए 35 सम्मन प्राप्त किए हैं। सूचना आयुक्त द्वारा बैंक के मुकाबले किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी के बिना उचित आदेश पारित करके सभी दूसरी अपील का विधिवत निपटान किया गया, जो क्रमशः सीपीआईओ और सीएपीआईओ द्वारा विधिवत अनुपालन किया गया था।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम लेना बैंकिंग व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है। बैंक अपने जोखिम के दायरे के आधार पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हुए अपनी गतिविधियों में विभिन्न प्रकार के जोखिमों को मानते हैं। प्रत्येक लेनदेन जो बैंक करता है, वह बैंक के जोखिम प्रोफाइल को बदल देता है। व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में, एक बैंक क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम सहित विभिन्न जोखिमों से अवगत कराया जाता है। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम लेने की गतिविधि को रोकना या रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जोखिमों को सचेत रूप से पूर्ण ज्ञान, स्पष्ट उद्देश्य और समझ के साथ लिया जाए ताकि इसे मापा और कम किया जा सके। एक व्यावसायिक सुरक्षा तंत्र के रूप में जोखिम प्रबंधन को एकीकृत करके, इसे बैंकों के व्यापार मॉडल के साथ एकीकृत किया गया है। इस तरह के जोखिमों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और अपने जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से, बैंक ने विभिन्न जोखिम प्रबंधन उपायों और प्रथाओं को रखा है, जिसमें नीतियां, उपकरण, तकनीक, निगरानी तंत्र और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) शामिल हैं।

बैंक ने बैंक में उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन संरचना स्थापित की है। बोर्ड की एक उप-समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (RMCB) का गठन किया जाता है, जो बैंक में सभी जोखिमों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। बैंक ने आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों का गठन भी किया है, जो क्रेडिट जोखिम प्रबंधन के लिए क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी (CRMC), बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी (ALCO) और ऑपरेशनल रिस्क के प्रबंधन के लिए ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी (ORMC) के अलावा अन्य समितियों जैसे सूचना सुरक्षा, उत्पाद / प्रक्रिया जोखिम न्यूनीकरण समिति (PRMC) आदि के प्रबंधन के लिए सूचना सुरक्षा समिति बैंक ने वैश्विक ALCO के अभ्यास की शुरुआत की है जहाँ सभी विदेशी केंद्र भाग लेते हैं। बैंकों के केंद्रीय कार्यालय में एक पूर्ण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्य कर रहा है, बैंक के महाप्रबंधक के रैंक में एक मुख्य जोखिम अधिकारी उस विभाग का प्रभारी होता है जो बैंक में जोखिम प्रबंधन के समग्र पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। प्रत्येक क्षेत्रीय / क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत क्षेत्रीय / क्षेत्रीय जोखिम प्रबंधक को अपने क्षेत्र / क्षेत्र के विभिन्न जोखिम मुों की पहचान, विश्लेषण, व्याख्या और न्यूनीकरण करने के लिए RMD और विभागों / व्यापार समूहों के साथ काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बैंक ने प्रमुख जोखिमों को कवर करने के लिए एक जोखिम एपेटाइट स्टेटमेंट तैयार किया है जिसे बैंक ने उजागर किया है। उच्च प्रबंधन को मासिक आधार पर जोखिम एपेटाइट मेट्रिक रिपोर्टिंग की जा रही है।

उधार जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उपाय के रुप में, बैंक ने उधार जोखिम प्रबंधन नीति और संपार्श्विक प्रबंधन व उधार जोखिम शमन नीति तैयार की है। बैंक ने विभिन्न खंडों के तहत खातों के लिए एक जोखिम मूल्यांकन मॉडल (आरएएम) रखा है। सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को शामिल करने के लिए जून -18 में रैम मॉडल को अपडेट किया गया था। इसके अलावा, बैंक ने उधारकर्ता जोखिम के उचित मूल्यांकन के लिए 7 और मॉडल खरीदे। उधारकर्ता की लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर रेटिंग अनिवार्य कर दी गई है। बैंक ने ''डायनोमिक रेटिंग'' की अवधारणा भी पेश की है, जो कुछ ट्रिगर्स पर आधारित है। प्रत्यक्षीकरण के रूप में खुदरा, कृषि और एमएसएमई (रैम) विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बैंक ने 1 जनवरी 2017 को खुदरा स्कोरिंग मॉडल पेश किया और ऑन-लाइन ऋण प्रसंस्करण के साथ एकीकृत किया गया। रेटिंग सत्यापन क्रेडिट विभागों से स्वतंत्र है।

जोखिम का प्रबंधन करने के लिए मूल दृष्टिकोण अधिक प्रभावी रूप से अपनी उत्पत्ति के बिंदु पर जोखिम को नियंत्रित करने के साथ है। इसलिए, केंद्रीय कार्यालय स्तर पर स्वीकृत सभी क्रेडिट प्रस्ताव, उसी के जोखिम मूल्यांकन के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग के माध्यम से पारित किए जाते हैं। बैंक का जोखिम प्रबंधन विभाग 100 करोड़ रुपये से ऊपर के कार्यशील पूंजी सीमाओं (एफ़बी + एनएफ़बी) का लाभ उठा रहे सभी उधारकर्ताओं के लिए साप्ताहिक आधार पर कार्यशील पूंजी सीमाओं की निगरानी कर रहा है। विभाग लगातार दो सप्ताह के बीच एफबी और एनएफबी में भिन्नता के साथ साप्ताहिक आधार पर लिमिट के उपयोग की निगरानी कर रहा है।

आर बी आई की आवश्यकता के अनुसार, बैंक ने पिलर II आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) पर एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू की है। इस नीति का उद्देश्य उन सभी भौतिक जोखिमों का आकलन करना है जिनके लिए बैंक पहले स्तंभ जोखिमों के तहत निर्धारित नुस्खे के ऊपर और ऊपर उजागर होता है, और निरंतर आधार पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी संरचना सुनिश्चित करता है।

बैंक ने बाज़ार जोखिम, तरलता जोखिम और ब्याज दर जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन नीति बनाई है। तरलता जोखिम का प्रबंधन अंतर विश्लेषण के जरिए किया जाता है जो दैनिक आस्ति व देयता के अवशेष परिपक्वता/व्यावहारिकता पैटर्न पर आधारित होता है। बाज़ार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु नीतियाँ बहुत से जोखिम तय करती है व सुनिश्चित करती हैं कि परिचालन उचित आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) द्वारा बाज़ार जोखिम में बैंक की लाभ की प्रत्याशा के अनुरुप हैं।

बैंक ने 2 दिसंबर 2013 को आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप संगठन की संभावित कमजोरियों का पता लगाने के लिए एक "तनाव परीक्षण रूपरेखा" तैयार की है। विशेष रूप से बैंक के सामग्री जोखिम के संबंध में तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण एक्सपोज़र, आर्थिक मंदी के समय एक पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिमों की पहचान करने में सक्षम बनाता है और उसी के अनुसार उपयुक्त सक्रिय कदम उठाता है। पॉलिसी निर्धारण के अनुसार, बैंक समय-समय पर और विशिष्ट विभागों पर बैंक के तुलन-पत्र पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और एएलसीओ/आरएमसीबी/ बोर्ड को रिपोर्ट करता है।

बोर्ड ने व्यापार निरंतरता योजना और दुर्घटना वसूली योजना को मंजूरी दे दी है। सभी 3 डेटा केंद्रों पर शून्य डेटा हानि, मल्टीपल एमपीएलएस-वीपीएन उच्च बैंडविड्थ कनेक्शन की सुविधा के लिए 3 डेटा केंद्र लागू किए गए हैं। सेंट्रल, विभिन्न वैकल्पिक सेवा / वैकल्पिक

With all the concerted efforts, during the FY 2018-19 Bank made the following Recovery under various components: -

Cash recovery	: Rs. 4715 crores
Upgradation	: Rs. 1452 crores
ARC Sale	: Rs. 708 crores

Recovery in Technical written off accounts : Rs 1323 crores

Disposal of petitions received under RTI Act

RTI applications & appeals are handled by a separate and specialized cell called RTI Cell in the Bank. The RTI Cell is working under the control and supervision of Deputy General Manager, who is designated Central Public Information Officer (CPIO). Bank has also designated Regional Managers as Central Assistant Public Information Officers (CAPIOs) to assist CPIO in disposing RTI application within the prescribed time-frame (i.e. 30 days from the receipt of RTI application). There are 48 CAPIOs in our Bank.

Bank has designated General Manager, Law Department as First Appellate Authority (FAA) for disposing appeal filed by the appellants who were aggrieved with the reply of CPIO and CAPIOs.

Bank has received 1,965 applications filed under RTI Act, 2005 for seeking information in the year 2018-19. All applications were duly disposed in-conformity with the provision of RTI Act, 2005 and also within the prescribed time-frame (i.e. 30 days from the receipt of RTI applications) by CPIO and CAPIOs respectively.

Bank has received 386 First Appeals from those who were not satisfied with the reply of CPIO and CAPIO and the same have been duly disposed by FAA by passing appropriate order on merit and in-conformity with the provision of RTI Act, 2005. All the appeals were disposed within the prescribed time-frame.

The appellant who were aggrieved with the reply of both CPIO and FAA has preferred second appeal before Honorable Central Information Commission, Delhi (herein after CIC). Bank has received 35 summons for CIC hearing before Information Commissioner. All the second appeal were duly disposed by Information Commissioner by passing appropriate order on merit, without any adverse remarks against the Bank, which were duly complied by CPIO and CAPIOs respectively.

Risk Management

Risk taking is an integral part of the banking business. Banks assume various types of risks in its activities while providing different kinds of services based on its risk appetite. Each transaction that the Bank undertakes changes the risk profile of the Bank. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. The objective of risk management is not to prohibit or prevent risk taking activity, but to ensure that the risks are consciously taken with full knowledge, clear purpose and understanding so that it can be measured and mitigated. By integrating Risk Management as a business protection mechanism, it has been integrated with Banks business model. With a view to managing such risks efficiently and strengthening its risk management systems, the bank has put in place various risk management measures and practices which include policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of all the risks in the Bank. The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Risk Management Committee (CRMC) for managing credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO) for managing Market Risk and Operational Risk Management Committee (ORMC) for managing operational risk, besides other committees' like Information Security Committee for managing Information security, Product/Process Risk Mitigation Committee (PRMC) etc. Bank has commenced the practice of Global ALCO where all the overseas centers participate. A full-fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, A Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the bank is in charge of the department who is responsible for overall supervision of risk management in the bank. Regional/Zonal Risk Managers functioning at each Regional/Zonal Office have been assigned the responsibility to work with RMD and the departments/business groups to identify, analyse, explain and mitigate various risk issues within their Region/Zone.

Bank has framed a Risk Appetite Statement covering the major risks which the bank is exposed to. The Risk Appetite metrics reporting is being done on a monthly basis to the Top Management.

As a measure of robust Credit Risk Management process, Bank has formulated Credit Risk Management Policy & Collateral Management and Credit Risk Mitigation Policy. Bank has put in place a Risk Assessment Model (RAM) to rate accounts under various segments. The RAM model was updated in June-18 to incorporate the best risk management practices. Further, Bank procured 7 more models for appropriate assessment of borrower risk. Rating has been made compulsory based on the Audited Balance sheet of the Borrower. Bank has also introduced the concept of "Dynamic Rating, which is based on certain triggers. Realizing the focus on Retail, Agriculture and MSME (RAM) growth as strategy, Bank introduced Retail Scoring Model on 1st January 2017 and integrated with on-line loan processing. The rating validation is independent of credit departments.

The basic approach to manage risk more effectively lies with controlling the risk at the point of its origination. Hence, all credit proposal sanctioned at CO level are routed through Risk Management Department for risk evaluation of the same. The Risk Management Department of the Bank is monitoring the working capital limits on a weekly basis for all borrowers enjoying WC Limits (FB+NFB) above Rs 100 crores. The department is monitoring the utilization of limit on a weekly basis along with the variation in FB & NFB outstanding between the two consecutive weeks.

As per RBI's requirement, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address Pillar II requirements. This policy aims at assessing all material risks to which the bank is exposed to over and above the regulatory prescriptions under the first pillar risks, and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The Bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset Liability Management Policy for effective management of Market Risk, Liquidity Risk and Interest Rate Risk. The Liquidity Risk is managed through gap analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on a daily basis. The policies set various risk limits for effective management of market risk and to ensure that the operations are in line with the Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management (ALM).

The Bank has formulated a "Stress Testing framework" to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events in line with the guidelines issued by RBI on 2nd December 2013. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession and accordingly take suitable proactive steps to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests on bank's balance sheet periodically and on specific portfolios and places the reports to ALCO / RMCB / Board.

Board approved Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan is in place. The 3-way data centers have been implemented to facilitate Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections at all 3 data Centres. Central, Dual connectivity from different alternate

प्रदाताओं से दोहरी कनेक्टिविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया भी स्थापित किए गए हैं। फ़ायरवॉल और घुसपैठ का पता लगाने वाले सिस्टम लागू किए गए हैं। सूचना प्रणाली सुरक्षा विभाग द्वारा सुधारात्मक कदम उठाने के लिए निगरानी और विश्लेषण करने के लिए एक सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना की गई है, जबकि आईएस ऑडिट अनुभाग बैंक के विभागों और शाखाओं की आवधिक सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा का ध्यान रखता है। बैंक ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रणालियों को ठीक किया है। हर तिमाही में नियमित डीआर अभ्यास किए जा रहे हैं। नेटवर्क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, बाह्य विशेषज्ञों द्वारा आवधिक भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।

बेहतर परिचालन जोखिम वाले कार्यकलापों के लिए, बैंक ने एक सिस्टम संचालित रिपोर्ट के माध्यम से, जो प्रत्येक व्यापार पैरामीटर पर विचरण के लिए एक अलर्ट स्तर तय करके दैनिक आधार पर पिछले दिन के कारोबार की तुलना में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / अंचल कार्यालयों को अपने नियंत्रण में शाखाओं की निगरानी करने के लिए सुविधा प्रदान की है। बैंक विभिन्न धोखाधड़ियों का विश्लेषण भी करते हैं और अंतराल की पहचान करते हैं और विभिन्न न्यूनीकरण उपायों की शुरुआत की जाती है, इसके अलावा यदि आवश्यक हो तो शाखाओं को उनके पुनरावृत्ति को रोकने और प्रणालीगत परिवर्तन करने के लिए सुधारात्मक उपायों पर प्रकाश डाला जाता है।

बैंक ने नए उत्पादों/ नए उत्पादों में संशोधन/ सेवाओं आदि को पेश करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की है । बाजार में उत्पादों को जारी करने से पहले, प्रत्येक नए उत्पाद के लिए जोखिम मूल्यांकन आरएमडी द्वारा किया जा रहा है । प्रत्येक नया उत्पाद / नई प्रक्रिया, उत्पाद का संशोधन / प्रक्रिया उत्पाद / प्रक्रिया जोखिम शमन समिति (पीआरएमसी) के माध्यम से कराई जाती है, जिसमें विभिन्न विभागों जैसे आरएमडी, आइटीडी, अनुपालन, निरीक्षण, आइएसएसडी, आदि के अधिकारी शामिल होते हैं। समिति सभी जोखिम पहलूओं जैसे प्रस्तावित नए उत्पाद / नई प्रक्रिया में परिचालन जोखिम, ऋण जोखिम और ब्याज दर जोखिम का मूल्यांकन करती है।

बैंक अपने जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने और बेसेल II ढांचे के तहत परिकल्पित उन्नत दृष्टिकोणों के लिए प्रक्रिया करने में भी है।

बैंक में संगठन के भीतर जोखिम कार्यकलापों की सामान्य जागरूकता को शामिल करने के लिए मजबूत जोखिम प्रबंधन संरचना है। बैंक में जोखिम शिकायत करने के लिए संगठनात्मक ढांचे के सभी लेयर्स की अलग-अलग भूमिकाएँ हैं। बैंक एक मजबूत "जोखिम कार्यकलाप" और जोखिम को बैंक द्वारा सक्रिय रूप से प्रबंधित किया गया है ।

ऋण प्रबोधन

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बैंक का टर्नअराउंड केवल स्लिपेज को नियंत्रित करने से संभव है, बैंक ने एसएमए खातों के अनुवर्ती कार्रवाई और वसूली के लिए और क्रेडिट की निकट निगरानी के लिए कई रणनीतियों को लागू किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्लिपेज को न्यूनतम संभव स्तरों पर रखा जाए।

खातों की प्रभावी निगरानी के लिए वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पेश किए गए और जारी रखने के उपाय नीचे दिए गए हैं:

- एसएमए खातों की ऑन-लाइन निगरानी के एक हिस्से के रूप में, शाखाएं **लाल से हरे** ड्राइव के तहत एसएमए खातों की निगरानी करना जारी रखती हैं, जिसमें किसी भी शाखा के लिए लाल में दर्शाए गए एसएमए 2 खातों को वसूली के समय हरे रंग में बदल जाता है।
- **एसएमए और सिस्टम आइडेंटिफ़ाइड प्रॉजेक्टेड स्लिपेज (सिनपा) हर महीने के पहले दिन जेनरेट किया जाता है और फॉलो-अप के लिए** सभी स्टाफ को उपलब्ध कराया जाता है।
- **संरक्षक जीएम की अवधारणा के तहत कॉर्पोरेट जीएम को दैनिक** आधार पर अनुवर्ती के लिए 50 लाख रुपये और उससे अधिक के **अंचल-वार सिस्टम आइडेंटिफाइड** अनुमानित **स्लिपेज** खाते **आवंटित किए** जाते हैं।
- **उपलब्ध विशेष उल्लेख लेखा (एसएमए) पोर्टल** सभी एसएमए खातों, आयु प्रोफ़ाइल और दैनिक वसूली की स्थिति का विवरण प्रदान करता है। शाखाओं के सभी स्टाफ सदस्यों को आवंटित सभी एसएमए खातों की दैनिक आधार पर शाखाओं / क्षे. का. / अं. का. और के. का. द्वारा निगरानी की जा रही है।
- **एसएमए 0 और एसएमए 1 खाते जीरो स्तर के अभियान के लिए सितंबर 2018** से आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें एसएमए 0 और एसएमए 1 खातों को एसएमए स्थिति से बाहर लाने वाली शाखाओं को हर महीने की 10 तारीख को मान्यता दी जा रही है और महाप्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित प्रशंसा प्रमाण पत्र द्वारा ऐसी शाखाओं के प्रत्येक कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है।
- एसएमए उधारकर्ताओं को **एसएमएस अलर्ट** नियमित आवृत्तियों पर भेजे जाते हैं। एसएमएस अलर्ट के अलावा, अनुवर्ती कार्रवाई के लिए शाखाओं के सभी कर्मचारियों को भी भेजा जाता है।
- एसएमए उधारकर्ता 15 दिनों के भीतर टेलीफोनिक अनुवर्ती कार्रवाई का जवाब नहीं देते हैं तो **व्यक्तिगत संपर्क** के माध्यम से उनकी अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।
- **एसएमए** खातों में रु. 50 लाख और उससे अधिक की बकाया राशि की **समीक्षा हर महीने** केंद्रीय कार्यालय में महा प्रबंधकों की समिति द्वारा की जाती है ।
- मासिक आधार पर महा प्रबंधकों की समिति द्वारा **विदेशी शाखाओं के एसएमए खातों की समीक्षा** भी की जाती है।
- अतिदेय का उल्लेख करते हुए और नियमितीकरण का अनुरोध करते हुए **सिस्टम से उत्पन्न पत्र** एसएमए उधारकर्ताओं को हर महीने भेजे जाते हैं।
- **एसएमए/सिनपा खातों में वसूली** के लिए पूरी **तरह से दृष्टिबाधित कर्मचारी द्वारा संचालित कॉल सेंटर, जो कि जेएडबल्यूएस (जॉब एक्सेस विद स्पीच) प्रोग्राम** की मदद से कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों और रिटेल खातों (चयनात्मक योजनाएं) के लिए केंद्र स्थित कॉल सेंटर **(आउटसोर्स)** से रू.1 करोड़ से कम के बकाया के साथ उपलब्ध है ।
- सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए शाखाओं / क्षे.का. / अं. का. के लिए, **सिस्टम ने कुछ प्रारंभिक चेतावनी संकेतों** की रिपोर्ट, जैसे कि निरंतर अतिरिक्त, बार-बार चेक रिटर्न, बार-बार आने वाले अढोक, नकद सीमा 15% से अधिक निकासी आदि उपलब्ध हैं।
- **कुछ प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस)** की ऑन-लाइन कैप्चरिंग और गैर-वित्तीय मुद्दों पर रिपोर्ट जिसमें स्लिपेज / खातों की रेड फ्लैगिंग को केंद्रीय कार्यालय से किया जाता है। ईडब्ल्यूएस ऑन-लाइन रिपोर्टिंग में 41 पैरामीटर शामिल हैं जिनमें से 12 पैरामीटर सीबीएस से सिस्टम द्वारा ऑटो-कैप्चर किए जाते हैं। ईडब्ल्यूएस प्रणाली एक निर्माता चेकर नियम और वृद्धि प्रक्रियाओं के साथ अच्छी तरह से स्थापित है।
- **क्रेडिट अनुपालन ऑडिट** 50 लाख रुपये और उससे अधिक के घरेलू खातों के लिए और विदेशी खातों के लिए 1 करोड़ रुपये से अधिक के खातों के लिए हर साल ऑडिट किया जाता है। ऑडिट रिपोर्ट प्रारूप को हाल ही में खाते को निम्न / मध्यम / उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित किया गया है।
- **महा प्रबंधक के नेतृत्व वाले अंचल ऋण निगरानी विभाग ने** मई 2018 से अच्छी तरह से सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण की निगरानी संवितरण के बिंदु से शुरू हो।
- कार्यशील पूंजी सुविधाओं के साथ सभी खातों के लिए **स्टॉक ऑडिट की प्रक्रियाओं** को मजबूत किया गया है। 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक, स्टॉक ऑडिट पर नियमित समीक्षा नोट्स को केंद्रीय कार्यालय में महा प्रबंधकों की समिति के पास रखा जा रहा है और समिति की टिप्पणियों को क्षे.का. / अं. का. / शाखाओं को सलाह दी जा रही है।
- **बेहतर क्रेडिट प्रशासन के लिए दिशानिर्देशों के रूप में** क्रेडिट पर निगरानी रखने में क्षेत्र के अधिकारियों का समर्थन करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी सिग्नल और खातों के रेड फ्लैगिंग पर कई परिपत्र जारी किए गए हैं ।
- क्रेडिट प्रस्तावों को अधिक विवेकपूर्ण ढंग से संभालने के लिए उन्हें सुसज्जित करने के लिए अधिक संख्या में **अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।**

service/alternate providers and alternate media for branches have also been established. Firewall and Intrusion detection systems have been implemented. A Security Operating Centre (SOC) has been established by the Information System Security Department to monitor and analyse the information security incidents to take corrective steps while IS Audit section takes care of the periodical Information Systems Audit of the Bank's departments and branches. The bank has fine-tuned the information security systems in accordance with RBI guidelines. Regular DR drills are being conducted every quarter. To ensure Network security, periodical Vulnerability assessment and Penetration testing exercise are conducted by external experts.

To have a better operational risk culture, Bank facilitated all Regional Offices / Zonal Offices to monitor the branches under their control, through a system driven report which is generated and provided on a daily basis by fixing an alert level for variance on each business parameter when compared to the previous day business. Bank also analyses various frauds occurred and identify the gaps and various mitigation measures are initiated, besides the branches are sensitized by highlighting corrective measures to prevent their recurrence and making systemic changes, if required.

Bank has framed a detailed framework for introduction of new products, modification of new products/services etc. Risk Assessment is being done by RMD, for each new product before products are released in the market. Each new product/new process, modification of product/ process is routed through Product/Process Risk Mitigation Committee (PRMC) which comprises of officials of various departments like RMD, ITD, Compliance, Inspection, ISSD, etc. The Committee evaluates all the risk aspects viz operational risk, credit risk and interest rate risk in the proposed new product/new process.

The Bank is also in the process of upgrading its risk management systems and procedure for migrating to the advanced approaches envisaged under Basel II framework.

Bank is having robust Risk Management Structure to encompass the general awareness of Risk Culture within the Organisation. All the layers of Organisation Structure are having different role functions to make the Bank as a Risk compliant one. Bank is having a strong "risk culture" and risk has been actively managed by the Bank.

Credit Monitoring

Considering the fact that turnaround of the bank is possible only by controlling slippages, Bank has implemented several strategies for follow-up and recovery of SMA accounts and for closer monitoring of credit to ensure that slippages are kept at the minimum possible levels.

The measures introduced and continuing during FY 2018-19 for effective monitoring of accounts are highlighted below:

- As a part of On-line monitoring of SMA accounts Branches are continuing to monitor SMA accounts under the **Red to Green Drive**, wherein the SMA 2 accounts depicted in RED for any branch turns GREEN in colour when recovery is made.
- **SMA and System Identified Projected Slippage(SINPA) for the month is generated on the first day of every month** and made available to all the Staff for follow-up.
- **Corporate GMs under the concept of Guardian GMs** are allocated Zone-wise **System Identified Projected Slippage accounts** of outstanding Rs.50 lakhs and above for **follow-up on a daily basis.**
- The **Special Mention Accounts (SMA) portal** available provides data on all SMA Accounts, details of age profile and daily recovery status. All SMA accounts allotted to all Staff members of the branches are being monitored by Branches/RO/ZO and CO on a daily basis.
- **SMA 0 and SMA 1 accounts to Zero Level Campaign is being held from September 2018** wherein branches that bring the SMA 0 and SMA 1 accounts out of SMA status as on the 10th of every month are being recognized and certificate of appreciation signed by General Manager is being awarded to each staff of such branches.
- **SMS Alerts** to SMA borrowers are sent at regular frequencies. Besides SMS Alerts are also sent to all the staff of Branches for follow-up.
- SMA Borrowers not responding to telephonic follow-up within 15 days are followed up through **personal visits**.
- **SMA accounts** with the outstanding of Rs.50 lakhs and above are being **reviewed every month** by GMs committee at C.O.
- **SMA accounts of overseas Branches** are also reviewed by GMs Committee on a monthly basis.
- **System generated Letters** to SMA borrowers are sent every month, mentioning overdues and requesting early regularization.
- **Follow up for recovery in** SMA/SINPA accounts also done by **Visually impaired Staff operated Call Centres with the help of JAWS(Job Access With Speech) programme** from some of the Regional Offices and **Centrally located Call Centre(Outsourced)** for Retail accounts (selective schemes) with outstanding of less than Rs.1.crore.
- **System generated Reports** of certain Early Warning Signals, like Continuous Excess, Frequent Cheque returns, Frequent Adhocs, Cash Withdrawal of more than 15% of the Limit etc are available for Branches/ROs/ZOs to take corrective action.
- **On-line capturing of certain Early Warning Signals (EWS)** and Report on Non-Financial Issues prompting slippages/Red Flagging of Accounts are done from Central office. The EWS on-line Reporting covers 41 parameters of which 12 parameters are auto-captured by the system from CBS. The EWS system is well established with a maker checker rule and escalation procedures.
- **Credit Compliance Audit** is done for accounts with an exposure of Rs.50 lakhs and above for domestic accounts and for accounts with exposure Rs.1 crore and above for overseas accounts. Audit is done every year. The Audit report format is recently revised to classify the Account as Low/Moderate/High Risk.
- **Zonal Credit Monitoring Department headed by AGMs** have started functioning since May 2018 with well -defined role functions to ensure that monitoring of credit begins from the point of disbursement.
- **Stock Audit procedures** have been strengthened for all accounts with working capital facilities Rs.5 crores and above, Regular Review Notes on Stock audit is being placed to the GMs Committee at Central Office and observations of the Committee are being advised to RO/ ZO/Branches.
- **Several circulars have been issued** as guidelines for better Credit administration and on Early Warning Signals and Red Flagging of accounts to support the field functionaries in monitoring Credit.
- **Training is being imparted** to increased number of officers to equip them to handle Credit proposals more prudently.

उपरोक्त उपायों को अपनाने से बैंक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपने स्लिपेज पर बेहतर नियंत्रण करने में सक्षम हो गया है और वसूली और स्पेशल मेंशन अकाउंट्स को नियमित किया जा सका है।

ऋण समीक्षा प्रणाली

क्रेडिट जोखिम पर आरबीआई के मार्गदर्शन नोट के अनुरूप, मौजूदा अनुपालन लेखा परीक्षा के स्थान पर क्रेडिट अनुपालन लेखा परीक्षा नामक एक अधिक मजबूत और संपूर्ण **क्रेडिट ऑडिट तंत्र** पेश किया गया है। यह सीसीए संबंधित समवर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा आयोजित साइट ऑडिट पर है। लेखा परीक्षकों को पूर्व स्वीकृति, प्रसंस्करण, दस्तावेजीकरण, वितरण और अनुवर्ती से सही सत्यापित करना होगा। लेखा परीक्षकों को सीसीए जोखिम स्कोरिंग के साथ एक विस्तृत प्रारूप भरना होगा। इस प्रारूप में 115 प्रश्नों के साथ 10 पैरामीटर हैं जिनमें अधिकतम 1,134 स्कोर हैं। खातों को कम, मध्यम और उच्च जोखिम खाते के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। उपयुक्त समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई भी प्रस्तावित हैं। रुपये 50 लाख के घरेलू और 1 करोड़ के विदेशी खातों को इस सीसीए के तहत कवर किए गए थे। 25 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच खातों के 2% के अलावा भी कवरकिया जा रहा है। बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का मूल्यांकन 25 करोड़ रुपये और उससे अधिक के खातों की स्थिति के बारे में अर्ध वार्षिक रूप से किया जाएगा।

अनुपालन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अनुपालन नीति को अच्छी तरह से परिभाषित किया है और अनुपालन कार्यों के प्रबंधन के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं में स्थान है। नियामक दिशानिर्देशों पर आवश्यक परिपत्र / निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

बैंक ने एक वेब पोर्टल प्रदान किया है, जैसे बैंक के इंट्रानेट में ज्ञान प्रबंधन उपकरण जिसमें सभी अधिनियम, विभिन्न नियामकों के दिशानिर्देशों को एक ही बिंदु पर प्राप्त किया सकता है।

बैंक ने नियामक दिशानिर्देशों और TasC + का पालन करने के लिए विभागों के लिए Cermo + को विनियमावली से पत्राचार के लिए रिटर्न और उत्तरों को प्रस्तुत करने के लिए लागू किया है।

बैंक के पास शाखा स्तर पर अनुपालन कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एसएसीसी (शाखा द्वारा स्व मूल्यांकन अनुपालन प्रमाण-पत्र) के लिए इन-हाउस डेवलपमेंट मॉड्यूल है और पीवीआरओ (क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुपालन का भौतिक सत्यापन) की देखरेख में कि सभी अनुपालन बिंदुओं के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय के पर्यवेक्षण में शाखाएँ लागू की गई हैं ।

प्रत्येक शाखा / क्षेत्रीय कार्यालय / अंचल कार्यालय / केंद्रीय कार्यालय विभाग में एक अनुपालन अधिकारी होता है जो अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है। समग्र अनुपालन स्तर त्रैमासिक आधार पर बोर्ड / लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

अनुशासनिक कार्यवाही

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, अनुशासनिक मामलों के निपटान हेतु प्रभावी कदम उठाये गये 362 मामलों का निपटारा किया है जिसमें 193 सतर्कता और 169 गैर-सतर्कता के मामले शामिल हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने 416 चार्ज शीट जारी की हैं।

31 मार्च 2019 तक 179 मामलों के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। कार्यपालकों द्वारा निरंतर समीक्षा के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया को पूरा करने के प्रयास किए जाते हैं।

सभी लंबे समय तक सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों, जहां 30 सितंबर 2018 को घरेलू जांच प्रगति पर थी को 31 मार्च 2019 से पहले पूरा कर लिया गया था (न्यायालयों के साथ लंबित 2 मामलों को छोड़कर)।

मार्च 2019 तक, 275 सतर्कता मामले लंबित हैं, जिनमें से 20 मामले 18 महीने से अधिक लंबित हैं और केवल 6 सीवीसी मामले, 31 मार्च 2019 को 18 महीने से परे लंबित हैं।

एक नया पैकेज यानी आईओबी विजिल अनंतिम आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के कम्प्यूटरीकरण के लिए विकसित किया गया है।

निरीक्षण

वर्ष के दौरान, जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आंतरिक निरीक्षण) की समीक्षा की गई और वर्तमान परिपत्रों और दिशानिर्देशों को प्रतिबिंबित करने के लिए लेखापरीक्षा अंक संशोधित किए गए। ऑडिट टिप्पणियों पर अनुपालन स्तर में सुधार करने के लिए, ऑडिट पैकेज को संशोधित किया गया था और शून्य टॉलरेंस क्षेत्रों के गैर-अनुपालन के लिए, नकारात्मक अंक प्रदान किए गए थे, जो इकाई के अंतिम जोखिम रेटिंग को प्रभावित करता है। नियंत्रण तंत्र के अधिक क्षेत्रों को कवर करने के लिए ऑफसाइट नियंत्रण और निगरानी (ओसीएएस) अलर्ट बढ़ाए गए थे।

प्रत्येक गतिविधि में दृष्टिकोण के संरचित तरीके के साथ बैंक के कामकाज की दक्षता बढ़ाने के लिए, मानक संचालन प्रक्रिया को नियमित रूप से विभिन्न गतिविधियों अर्थात स्टॉक ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, आय रिसाव, लेखा परीक्षा कार्यालयों / विभागों के कामकाज पर संशोधित किया जाता है । संशोधित दृष्टिकोण शाखा स्तर पर आय रिसाव के लंबित होने में पर्याप्त कमी जैसे विभिन्न कार्यों में सुधार हुआ है, अंतिम समापन के लिए आरबीआईए की रिपोर्ट चार महीने से कम है, जवाब के लिए लंबित ओसीएएस अलर्ट को काफी कम कर दिया गया था।

वर्ष के दौरान, आइटीडी में कार्यात्मक ऑडिट यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था कि फिनेकल में निर्धारित पैरामीटर परिपत्र / दिशानिर्देशों के साथ मेल खाता है और निष्पादन पर आउटपुट भी वांछित परिणाम प्रदान करता है। निष्कर्षों के परिणामस्वरूप परिचालन स्तर पर विसंगतियों / त्रुटियों का उन्मूलन और केंद्रीय कार्यालय / नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन की उपलब्धि हुई है।

बैंक ने जमा राशि में 50.13% और कुल अग्रिम पर 66.61% कवरेज करती 397 शाखाओं को समवर्ती लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए चुना है। समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली के ऑनलाइन रिपोर्ट जमा करने के लिए बैंक ने 'ईथिक पैकेज' खरीदा है। बैंक ने उन्मुखीकरण प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में समवर्ती लेखा परीक्षकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया। बैंक ने शाखा लेखा परीक्षा करते समय समवर्ती लेखा परीक्षकों का मार्गदर्शन करने के लिए 'समवर्ती लेखा परीक्षा मैनुअल' जारी किया है। ऑनलाइन पैकेज रिपोर्टिंग पहलुओं के दोहराव से बचने और जोखिम मूल्यांकन में सुधार के साथ आरबीआईए (आंतरिक निरीक्षण) और समवर्ती लेखा परीक्षा के तहत रिपोर्टिंग के भावी एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति की। ऑडिट के संचालन के लिए विभिन्न केंद्रों पर 73 सूची में सम्मिलित सेवानिवृत्त अधिकारी (ईआरओ) तैनात हैं। ये ईआरओ, कमियों की पहचान करने के अलावा, मार्गदर्शन करते हैं और सुधार के लिए स्टाफ के सदस्यों को सहायता प्रदान करते हैं।

बैंक ने सभी इकाइयों के जोखिम आधारित प्रबंधन लेखा परीक्षा को फिर से शुरू और कार्यान्वित किया था। लेखापरीक्षा सभी इकाइयों में प्रबंधन कार्यों की प्रभावकारिता का आकलन करेगी और पहचानी गई किसी भी कमी / अंतराल को दूर करने के लिए कार्य योजना का सुझाव देगी।

कार्यपालकों के लिए लेखापरीक्षा (एसीई) की बैठक लेखा परीक्षा और नियंत्रण कार्यों की समीक्षा करने और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्यसूची के साथ जून 2017 से मासिक आधार पर आयोजित की जा रही है। चालू वर्ष के लिए 10 ऐसी बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष के दौरान, बैंक के सभी नियंत्रण क्षेत्रों को कवर करने के लिए मानकीकृत कार्यसूची पेश की गई थी । बोर्ड की ऑडिट कमेटी को एसीई मीटिंग के कार्यवृतों की जानकारी दी गई।

वर्ष के दौरान, ऑफ़साइट निगरानी यूनिट की स्थापना की गई थी और अपवाद रिपोर्ट जेनरेशन की शुरुआत की गयी। अनुपालन के लिए रिपोर्टों को शाखाओं / क्षेत्रों / अंचलों के साथ साझा किया गया था। प्री-ऑडिट की जानकारी देने के लिए रिपोर्ट के परिणामों को अंचल ऑडिट कार्यालयों के साथ साझा किया जाता है और ऑनसाइट ऑडिट के संसाधनों को कम करने और ऑडिट की गुणवत्ता को बढ़ाने की उम्मीद की जाती है।

सीबीएस संचालन को बाहरी सूचना प्रणाली ऑडिट फर्म द्वारा लगातार ऑडिट किया जाता है। सूचना प्रणाली (आईएस) ऑडिट को मजबूत करने के लिए, बैंक ने 8 आईएस ऑडिटर नियुक्त किए हैं। उन्हें जनरल बैंकिंग और आईएस ऑडिट वातावरण का प्रशिक्षण दिया गया। इन आईएस लेखा परीक्षकों ने ऑडिट योजना के अनुसार महत्वपूर्ण केंद्रीय कार्यालय अनुप्रयोगों के संचालन की शुरुआत की है।

सतर्कता

वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित समय अनुसूची के साथ लंबित सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों के निपटान के लिए प्रभावी कदम उठाया है।

By adopting the above measures the Bank has been able to administer better control on its slippages for FY 2018-19 and maximize recovery and regularization of Special Mention Accounts.

Loan Review Mechanism

In line with RBI's guidance note on Credit Risk, a more robust and exhaustive Credit Audit Mechanism called **Credit Compliance Audit** has been introduced in place of existing CALRM Audit. This Credit Compliance Audit is on site audit conducted by the respective concurrent auditors. The auditors have to verify right from pre sanction, processing, documentation, disbursement and follow up. The auditors have to fill up a detailed format with CCA risk scoring. This format has 10 parameters with 115 questions with a maximum of score of 1,134. The accounts will be graded as low; moderate and high risk accounts according to its scores. Appropriate review and follow up actions are also proposed. The threshold limit of Rs. 50 lakh for Domestic and Rs.1 crore for Overseas accounts are covered under CCA. Besides 2% of the accounts between Rs.25 lakh to Rs.50 lakh are also being covered. The Audit Committee of the Board will be apprised half yearly about the position of the accounts of Rs.25 crores and above.

Compliance

The Bank has well defined Compliance Policy as per Reserve Bank of India guidelines and has in place systems and procedures for effectively managing compliance functions. Necessary circulars/instructions on the regulatory guidelines are being issued.

The Bank has provided a Web Portal viz., Knowledge Management Tool in Bank's intranet wherein all the regulations, guidelines of the various regulators can be accessed at a single point.

The Bank has implemented the Cermo+ for departments to certify regarding adherence to regulatory guidelines and TasC+ for follow-up with submission of returns and replies to correspondence from regulators.

The Bank has in-house developed module for SACC (Self Assessment Compliance Certificate by Branches) to oversee the Compliance implementation at Branch level and PVRO (Physical Verification of Compliance by Regional Offices) to oversee that all the Compliance points are implemented in the Branches under the supervision of Regional Office.

Each Branch/Regional Office/Zonal Office/Central Office department has one Compliance Officer who submits compliance certificates. The overall compliance level is submitted to Board/Audit Committee of the Board on quarterly basis.

Disciplinary Proceedings

During the Financial Year 2018-19 due to effective steps taken for disposal of disciplinary cases, 362 cases have been disposed off, comprising of 193 Vigilance and 169 Non-Vigilance cases. During the year under review, the Bank issued 416 charge sheets.

The disciplinary proceedings are in various stages of progress in respect of 179 cases as on 31st March 2019. Efforts are made to complete the disciplinary proceedings within the stipulated time frame, by continuous review by Executives.

All long outstanding vigilance disciplinary cases, where domestic enquiry was in progress as on 30th September 2018 were completed before 31st March 2019 (Except 2 cases which are pending with Courts)

As on March 2019, there are 275 Vigilance cases pending, of which 20 cases are pending beyond 18 months and there are only 6 CVC cases pending beyond 18 months as on 31st March 2019.

The New Package- IOB VIGIL, which was developed for computerization of all disciplinary proceedings on end to end basis is made online.

Inspection

During the year, audit points in the Risk Based Internal Audit (Internal Inspection) were revisited and revised to reflect the present circulars and guidelines in force. To improve the compliance level on audit observations, the audit package was modified and for non-compliance of Zero Tolerance areas, negative marks were awarded, which affects final risk rating of the unit. Offsite Control and Surveillance (OCAS) alerts were increased to cover more areas of control mechanism.

To enhance efficiency of the functioning of the Bank with structured way of approach in each activity, Standard Operating Procedure is revisited regularly on various activities viz., Stock Audit, Forensic Audit, Income Leakage, functioning of audit offices/departments etc. The revised approach had resulted in improvement on various functions like substantial reduction in pending of Income Leakage at Branch level, RBIA reports for pending final closure is less than four months, OCAS alerts pending for reply were reduced substantially.

During the year, functional audit at ITD was commenced with the objective of ensuring that the parameter set in FINACLE matches with circular/guidelines and also the output on execution provides desired results. The findings have resulted in elimination of anomalies/errors at operational level and achievement of compliance to Central Office/ regulatory guidelines.

The Bank has selected 397 branches for conducting concurrent audit having coverage of 50.13% in deposits and 66.61% on total advances. The software procured ('eTHIC package') for online report submission of concurrent audit system was implemented during the year. The Bank conducted workshops to concurrent auditors at various zones in order to provide orientation. The Bank has issued 'Concurrent Audit Manual' to guide Concurrent Auditors while conducting Branch Audits. The online package facilitates future integration of reporting under RBIA (Internal Inspection) and Concurrent audit with avoidance of duplication of reporting aspects and improving the risk assessment.

The Bank appointed Retired Officers for conducting Internal Audit, in line with guidelines issued by Reserve Bank of India. There are 73 Empaneled Retired Officers (ERO) deployed at various centres for conducting audit. These EROs, apart from identifying deficiencies, guide and provide support to the staff members for rectification.

The Bank had redesigned and implemented the conduct of Risk Based Management Audit of all units. The audit shall assess efficacy of management functions at all units and suggest action plans to overcome any shortcomings/gaps identified.

Audit Committee of Executives (ACE) meeting is being held on monthly basis since June' 2017 and 10 meetings were held during the year. During the year, standardized agenda was introduced in order to cover all control areas of the Bank. The minutes of ACE meetings were appraised to Audit Committee of the Board.

During the year, Offsite Monitoring Unit was established and commenced generation of exception reports. The reports were shared with Branches/ Regions/Zones for compliance. The results of the reports is shared with Zonal Audit Offices in order to provide pre-audit information and resources of onsite audit are expected to reduce and the quality of audit enhances.

CBS operations are continuously audited by external Information Systems Audit firm. In order to strengthen Information System (IS) Audit, the Bank has appointed 8 IS Auditors. They were given training on General Banking and IS Audit environments. These IS Auditors have commenced conducting of critical Central Office applications as per the Audit Plan.

Vigilance

During the Year 2018-19, the Bank continued to take effective steps for disposal of pending Vigilance Disciplinary cases with in the time schedule prescribed by Central Vigilance Commission.

दंडात्मक सतर्कताः सतर्कता मामलों में बदलाव का समय 211 से घटकर 72 दिन हो गया है। 193 सतर्कता मामलों का निपटान किया गया और वर्ष के दौरान दंडित किया गया। सभी स्टाफ की जवाबदेही रिपोर्ट जिसमें 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि शामिल है, यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जाती है कि स्टाफ जवाबदेही की परीक्षा की प्रक्रिया निर्धारित दिशानिर्देशों के किसी भी कमजोर पड़ने के मानदंडों के अनुसार है या नहीं।

पूर्वानुमानात्मक सतर्कताः के.का. निरीक्षण रिपोर्ट, वर्ष 2018-19 के लिए सभी उच्च और मध्यम जोखिम शाखाओं की ऑडिट रिपोर्ट की वास्तविक समय के आधार पर जांच की जाती है और बैंक द्वारा उचित कार्रवाई के लिए सतर्कता कोण की घटनाओं का संज्ञान रिकॉर्ड में लाया जाता है ।

वर्ष 2018-19 के दौरान की गई महत्वपूर्ण सतर्कता निवारक पहल इस प्रकार हैं:

- **जागृति**, बैंक में प्रत्येक कंप्यूटर मॉनीटर के डेस्क टॉप पर प्रदर्शित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में कर्मचारियों के जागरूकता स्तर को बनाने और ताज़ा करने की एक पहल है।
- ई - इंटीग्रिटी प्लेज - ई की एक नई पहल के माध्यम से - इंटीग्रिटी प्लेज प्राप्त करने की इंटीग्रिटी प्लेज प्रक्रिया को बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के साथ एकीकृत किया गया था, जो ग्राहक के आवश्यक डेटा को इकट्ठा करने की सुविधा प्रदान करता है तथा सीधे सीबीएस से अखंड प्रतिज्ञा ले रहा है। 31 मार्च 2019 तक 4.85 लाख ग्राहकों / नागरिकों ने ईमानदारी का संकल्प लिया ।
- एनपीए की एक बारगी निपटान में आस्तियों के पारदर्शिता में सुधार के लिए बैंक ने एक ऑनलाइन उपयोगिता शुरू है।
- वर्ष 2018 में, बैंक द्वारा कंसोर्टियम लेंडिंग, CASA (करंट डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट्स) में बढ़ोतरी , लीगल ओपिनियन्स एंड मॉर्गेज्स की जांच, शाखाओं को राइट ऑफ अमाउंट की प्रतिपूर्ति करने के लिए **छह** SOPs (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) आदि विभिन्न प्रक्रिया जारी हैं।
- शाखाओं में औचक निरीक्षण के लिए वास्तविक समय की शाखाओं में औचक निरीक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई।
- बैंक में एसएमई और केसीसी के ऑनलाइन प्रसंस्करण की सुविधा शुरू की गई।
- सतर्कता विभाग उन स्टाफ सदस्यों को सतर्कता पुरस्कार दे रहा है जो अपनी अनुकरणीय सतर्कता और सतर्कता से बैंक पर धोखाधड़ी के अपराध को रोकते हैं

सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार -2018ः

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, और मुख्य सतर्कता अधिकारी को सतर्कता नवाचार की श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 के लिए सीवीसी सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार मिला ।

सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक ने प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है और बैंकिंग की आसानी के लिए कई डिजिटल उत्पादों को तैयार किया है। यह भी शामिल हैः

ग्राहक सेवा के लिए प्रौद्योगिकीः

खुदरा और एमएसएमई प्रस्तावों को एप्लिकेशन के सोर्सिंग से लेकर प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन और डिस्बर्सल तक डिजीटाइज किया जाता है। ग्राहकों को उनके घर / कार्यालय से ट्रैक करने के लिए आवेदन पर नज़र रखने की सुविधा भी सक्षम है।

ग्राहक सेवा बैंक के लिए एक सर्वोच्च प्राथमिकता है और ग्राहक की शिकायतों को दूर करने के लिए इसे आसान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त है। मानकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (SPGRS), एक केंद्रीकृत समाधान है जो ग्राहकों और बैंक कर्मचारियों को सभी शिकायतों को लॉज और ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। यह एक मंच में इंटरनेट, शाखा, केंद्रीय कार्यालय, कॉल सेंटर और फोन के माध्यम से प्राप्त ग्राहकों की शिकायत को एकीकृत करता है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई शिकायत अनसुलझे नहीं है। इसे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के लिए "बेस्ट प्रैक्टिस" के रूप में स्वीकार किया गया है ताकि PSBs के लिए EASE रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत किया जा सके।

इंटरनेट / मोबाइल प्लेटफ़ॉर्मः

इंटरनेट बैंकिंग में नौ अतिरिक्त सुविधाएँ जोड़ी गईं। मोबाइल बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म, "IOB-Mobile" को उन्नत सुविधाओं के साथ एक नवेषित रूप को उन्नत किया गया है।

"IOB-Nanban" एप्लिकेशन में ग्राहकों और गैर-ग्राहकों दोनों के लिए समृद्ध विशेषताएं हैं। यह ब्याज प्रमाणपत्र डाउनलोड करने में भी सक्षम बनाता है।

आंतरिक कर्मचारियों के लिए तैयार एक एप्लिकेशन, "सहायक " को एनपीए उधारकर्ताओं के साथ पालन करने और कर्मचारियों के प्रदर्शन को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान की गई। एप्लिकेशन यूनिट विज़िट / सुरक्षा निरीक्षणों की रिकॉर्डिंग की सुविधा देता है और भू-स्थान निर्देशांक भी कैप्चर करता है।

एक बारगी निपटानः

पारदर्शी तरीके से एनपीए उधार खातें के वन-टाइम सेटलमेंट की ऑनलाइन प्रोसेसिंग को इन-हाउस में विकसित किया गया था। आवेदन में विभिन्न मापदंडों के आधार पर निपटान राशि को संसाधित करने के लिए तर्क शामिल हैं।

विशेषज्ञों की सेवा लेना ः

बैंक ने प्रौद्योगिकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए विभिन्न उद्योग से विशेषज्ञों नें भाग लिया है। बैंक के लिए आईटी कंसल्टेंट्स के रूप में मैसर्स IDRBT वर्ष के दौरान लगे हुए थे। बैंक ने सूचना प्रणाली लेखा परीक्षकों और सूचना सुरक्षा पेशेवरों की भर्ती के लिए साक्षात्कार पैनल का हिस्सा बनने के लिए आईआईटी, मद्रास को भी शामिल किया गया ।

अनुपालन प्रबंधनः

बैंक ने सभी विनियामक अनुपालन के लिए एक ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की है, इस प्रकार सुशासन सुनिश्चित किया गया है।

कोर बैंकिंग समाधान

सभी विदेशी शाखाओं को फिनेकल कोर बैंकिंग सिस्टम में माइग्रेट किया गया था, जिससे बैंक अपने सभी कोर बैंकिंग सिस्टम को एक केंद्रीकृत स्थान पर रख सकेगा। यह भी तेजी से डेटा संग्रह / विश्लेषण सक्षम बनाता है।

सीबीएस एप्लिकेशन को विभिन्न शुल्कों के संग्रह को स्वचालित करके राजस्व रिसाव को रोकने के लिए अनुकूलित किया गया था।

विदेशी शाखाओं के लिए ट्रेजरी एप्लिकेशनः

चार विदेशी केंद्रों के खजाने के संचालन के लिए एक इन-हाउस एप्लिकेशन विकसित किया गया था।

नेटवर्क उपलब्धताः

बैंक ने निरंतर आधार पर नेटवर्क को अपग्रेड किया है। सभी शाखाओं को लिंक की अतिरेक प्रदान किया जाता है। नेटवर्क की उपलब्धता लगातार 99.80% से अधिक बनी हुई है।

सूचना प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी (आईटीआईएल) कार्यान्वयन

बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना पुस्तकालय (आईटीआईएल) के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सर्वोत्तम प्रथाओं के पालन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी जीवन चक्र के चरणों में स्थिरता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आला क्षेत्रों, विकसित प्रक्रियाओं और टेम्पलेट्स के लिए कई नीतियां बनाई हैं।

डिजिटल बैंकिंग

एटीएम/ कैश रिसाइकलर (सीडी)ः

बैंक के कुल एटीएम / कैश रिसाइक्लर्स 31 मार्च 2019 को 3,552 और 31 मार्च 2018 की तुलना में 3,450 पर थे। वर्ष के दौरान 1,404 शाखा प्रबंधित एटीएम / कैश रिसाइक्लर को विक्रेता साइटों और कम हिट साइटों को बंद कर दिया गया। एटीएम अपटाइम मॉनिटरिंग में सुधार के कारण एटीएम लेनदेन में 20% की वृद्धि 6.98 करोड़ से 8.42 करोड़ हो गई है। सभी नई मशीनों में नेत्रहीनों के लिए आवाज मार्गदर्शन शुरू किया गया।

डेबिट कार्ड्सः

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक कार्ड आधार 149 लाख से 165 लाख हो गया। 58.08 लाख ईएमवी चिप कार्ड जारी किए गए या माइग्रेट किए गए, जिनका मासिक औसत 4.84 लाख कार्ड था। सभी सक्रिय कार्ड मैगस्ट्रिप से EMV में माइग्रेट कर दिए गए हैं।

Punitive Vigilance: Turnaround Time for Vigilance cases has reduced from 211 to 72 days. 193 Vigilance Disciplinary cases were disposed and penalties awarded during the year. All staff accountability reports involving Rs.1 crore and above are scrutinised to ensure that the process of examination of Staff Accountability is conducted as per norms without any dilution of laid down guidelines.

Predictive Vigilance: CO inspection reports, Audit reports of all the high and medium risk branches for the years 2018-19 are scrutinized on a real time basis and cognizance of incidents of Vigilance angle were brought on record for appropriate action by bank.

The important Preventive Vigilance initiatives taken during the year 2018-19 are as under:

- **Jagrithi**, an initiative to create and refresh the awareness levels of the staff in various sensitive areas through objective type questions displayed on the desk top of every computer monitor in the bank.
- E – Integrity Pledge – Through a new initiative of E – Integrity Pledge process of obtaining Integrity Pledge was integrated with Core Banking Solutions of the Bank facilitating collecting the required data of the customer who is taking integrity pledge directly from the CBS. As many as 4.85 lakhs customers/ citizens had taken integrity pledge as on 31st March 2019.
- An online utility has been introduced in the Bank to improve transparency in One Time Settlements of NPAs.
- In the year 2018, **six** SOPs (Standard Operating Procedures) have been issued by the Bank in the area of consortium lending, mobilizing CASA (Current Deposit and Savings Accounts), Scrutiny of Legal Opinions and mortgages, Reimbursement of write off amount to Branches etc.
- Provision for real time reporting of surprise visits to branches was made available for Vigilance functionaries in branches.
- Facility for Online processing of SME & KCC was introduced in the bank.
- Vigilance Department is giving **Alertness Award to** the staff members who by their exemplary alertness and vigil averted perpetration of frauds on the bank.

Vigilance Excellence Award -2018:

MD & CEO, & CVO had received CVCs Vigilance Excellence award for the year 2018 for Excellent contribution in the category of Vigilance innovation.

Information Technology

Bank has leveraged technology and has rolled out several digital products for ease of banking. This includes:

Technology for Customer Service:

Retails and MSME proposals are digitised end-to-end from sourcing of application to processing, documenting and disbursal. Facility for tracking of application is also enabled for customers to track from the comfort of their home/office.

Customer Service is a top priority for the Bank and it has leveraged technology to make it easier for the customer to have the grievances addressed. Standardised Grievance Redressal System (SPGRS), a centralised solution which enables customers and Bank staff to lodge and track all complaints is made operational. It integrates complaint of customers received through Internet, Branch, Central Office, Call Centres and Phone in a single platform, ensuring no complaint is left unresolved. This has been acknowledged as "Best Practise" for all Public Sector Banks (PSBs) to follow, under EASE Reform Program for PSBs.

Internet / Mobile Platform:

Nine additional features were added in Internet Banking. The mobile banking platform, "IOB-Mobile", has been upgraded to have a youthful look and feel with enhanced features.

The "IOB-Nanban" application has rich features for both customers and non-customers. This enables downloading of Interest Certificates

An application devised for internal staff, "Sahayak" was launched facilitating following up with NPA borrowers and tracking the performance of the staff in such follow up. The application facilitates recording of unit visit / security inspections and also captures the geo-location coordinates.

One-Time Settlement:

An online processing of One-Time Settlement of NPA borrowal accounts in a transparent manner was developed in-house. The application includes the logic for processing the settlement amount based on various parameters.

Engagement of Experts:

Bank has roped in experts from the industry to strengthen the technology decision making process. M/s IDRBT was engaged during the year as IT Consultants for the Bank. The Bank had also engaged IIT, Madras to be part of the interview panel for recruiting Information System Auditors and Information Security professionals.

Compliance Management:

Bank has introduced a tracking system for all regulatory compliance, thus ensuring good governance.

Core Banking Solution

All the overseas branches were migrated to Finacle Core Baking System, enabling Bank to have all its Core Banking System in a centralised location. This also enables faster data collection / analysis.

The CBS application was customised to prevent revenue leakage by automating collection of various charges.

Treasury Application for Overseas Branches:

An in-house application was developed for the treasury operations of the four overseas centres.

Network Availability:

Bank has upgraded the network on a continuous basis. Redundancy of links is provided to all branches. The network availability has been continuously maintained at over 99.80%.

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) Implementation

Bank has framed several Policies for niche areas, developed processes and templates to ensure sustainability and quality across the phases of Information Technology Life Cycle by adapting to the internationally recognized best practices of Information Technology Infrastructure Library (ITIL).

Digital Banking

ATM & Cash Recyclers:

The total number of ATMs/Cash Recyclers of the Bank stood at 3,450 on 31st March 2019 as against 3,552 on 31st March 2018. During the year 1,404 Branch managed ATMs/ Cash recycler were added by replacing vendor managed sites and closure of low hit sites. ATM transactions have improved by 20% from 6.98 crore to 8.42 crore due to improved ATM uptime monitoring. Voice guidance for visually challenged introduced in all new machines.

Debit Cards:

Bank card base improved to 165 lakhs from 149 lakhs during the Financial Year. 58.08 lakh EMV chip cards were issued or migrated, with a monthly average of 4.84 lakh cards. All active cards have been migrated from Magstrip to EMV.

बैंक ने वर्ष के दौरान 42.15 लाख रूपए डेबिट कार्ड या तो ताजा कार्ड के रूप में या मैगस्ट्रिप से ईएमवी कार्ड में माइग्रेशन के रूप में जारी किए हैं। एनपीसीआई द्वारा जारी रुपे कार्ड जारी करने के लिए बैंक अधिक जोर दे रहा है।

एक राष्ट्र एक कार्ड को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उपयोग दोनों के लिए एनपीसीआई के साथ **राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी** कार्ड का प्रमाणीकरण पूरा किया है। बैंक NCMC कार्ड के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म पर प्रमाणित होने वाला उद्योग का पहला बैंक था। NCMC कार्ड का व्यावसायिक रोलआउट और अधिग्रहण अधिग्रहण खंड इस वर्ष की योजना बनाई गई है।

भुगतान गेटवे संचालनः

बैंक के पास 11 एग्रीगेटर हैं जिनके बैनर के नीचे लगभग 12,000 उप-व्यापारी हैं जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन जैसे बीएसएनएल, एलआईसी ऑफ इंडिया आदि शामिल हैं। बैंक के प्रत्यक्ष ग्राहकों में राज्य सरकार के उद्यम और शैक्षिक संस्थान शामिल हैं।

आरटीजीएस / एनईएफटीः

ग्राहकों और शाखाओं के फीडबैक के आधार पर, IOB RTGS / NEFT मॉड्यूल में विभिन्न अपडेट उनकी जरूरतों / आवश्यकता को पूरा करने के लिए किए गए थे। ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एनईएफटी के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया संदेश प्रणाली शुरू की गई।

इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंगः

इंटरनेट बैंकिंग पंजीकरण 15.52 लाख से बढ़कर 19.25 लाख हो गए, जबकि मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण 6.62 लाख ग्राहक से 241% बढ़कर 16 लाख ग्राहक हो गए। चार अतिरिक्त भाषाओं के साथ मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के नए उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस को ग्राहकों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया गया था।

BHIM और BHIM IOBUPIः

भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) एप्लिकेशन, जिसे 2016-17 के दौरान लॉन्च किया गया था, सीधे ग्राहकों के लिए 'ग्राहक को ग्राहक' बनाने के लिए और केवल मोबाइल नंबर या भुगतान पते का उपयोग करके पैसे एकत्र करने के लिए, तुरंत अपनाया गया है। BHIM IOBUPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके बैंक द्वारा शुरू किया गया एप्लिकेशन है। मार्च 2019 में पंजीकरण 8.11 लाख से बढ़कर 28.50 लाख हो गया, लेनदेन नई ऊ ंचाइयों को छू गया और 110.56 लाख हो गया।

आइओबी - पे :

इन-हाउस विकसित एकीकृत ऑनलाइन भुगतान गेटवे प्लेटफॉर्म शुल्क भुगतान, व्यापारी भुगतान, धर्मार्थ संस्थानों के लिए दान आदि प्रदान करता है। इस आवेदन में 100 से अधिक संस्थानों को पंजीकृत किया गया है और इसमें TNHRCE, IENS शामिल हैं।

बीबीपीएसः

बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS), एक एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली शुरू की है, जो ऑनलाइन ग्राहकों को अंतर-बिल भुगतान सेवा प्रदान करती है। भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) के लिए, आईओबी ने मार्च 2017 में ग्राहक परिचालन इकाई (COU) के रूप में एकीकृत किया है और बिलर ऑपरेटिंग यूनिट (BOU) के रूप में, हम पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं जो TNEB के साथ बिलर के रूप में बिजली की उपयोगिता को ऑनबोर्ड करते हैं।

क्रेडिट कार्डः

2006 में बैंक ने क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करने के लिए VISA इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के साथ भागीदारी की। कार्ड आवेदन प्रक्रिया के स्वचालन में TAT और कार्ड आधार में 30% की वृद्धि हुई है।

पुरस्कारः

- बैंक ने रूपे, एनएफएस एटीएम नेटवर्क, सीटीएस और एनएसीएच में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एनपीसीआई से विशेष पुरस्कार प्राप्त किया।
- बैंक को EASE बैंकिंग सुधार पुरस्कार 2019 में वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण श्रेणी के तहत विजेता घोषित किया गया।

प्रबंधन सूचना प्रणाली

बैंक ने विभिन्न वैधानिक और तदर्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उपयोगकर्ता विभागों को डेटा का प्रवाह सुनिश्चित करने के अलावा बैंक की रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं को संभालने के लिए एक मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और निर्णय समर्थन प्रणाली लागू की है।

ओरेकल बिजनेस इंटेलिजेंस (बीआई), बैंक द्वारा तैनात एक विश्लेषणात्मक उपकरण हमारे इंट्रानेट आईओबी ऑनलाइन के माध्यम से शीर्ष प्रबंधन, नियंत्रण कार्यालयों और शाखाओं द्वारा एक्सेस की गई लगभग 500 रिपोर्ट, डेटा माइनिंग और एनालिटिक्स प्रदान करता है। उपकरण का उपयोग एमआईएस के इन-हाउस टीम द्वारा रिपोर्ट, ग्राफ़, व्हाट-इफ विश्लेषण, डेटा माइनिंग, उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के आधार पर तदर्थ रिपोर्ट के विकास और तैनाती के लिए किया गया है। टूल का उपयोग प्रभावी रूप से विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है जैसे कि प्रदर्शन निगरानी, नियामक रिपोर्टिंग, पूर्ववर्ती डेटा का विश्लेषण, अभियानों का पालन आदि। एमआईएस की कुछ प्रमुख गतिविधियाँ नीचे दी गई हैं:

- **विश्लेषिकी क्रॉस सेल और अपसेल, ग्राहक अधिग्रहण और अभियान प्रबंधन-वॉलेट शेयर के लिए विकसित की गईः** बैंक ने वॉलेट शेयर कॉन्सेप्ट पेश किया और यह उत्पाद आधार वृद्धि, ग्राहक अधिग्रहण और क्रॉस सेलिंग चला रहा था। इस उत्पाद को बीआई के साथ विकसित किया गया है, जिसे केंद्रीय / आंचलिक / क्षेत्रीय / शाखा कार्यालयों द्वारा सुलभ बैंक में तैनात किया गया है और बड़े पैमाने पर पिछले टेंड का विश्लेषण करने और व्यापार में सुधार के लिए उपाय शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है। वित्त वर्ष 2018-19 में 15 नए वॉलेट शेयर थीम पेश किए गए और 21.76 लाख लीड में से 1.65 लाख लीड के संबंध में व्यापार रूपांतरण हुआ।
- **एसएमए प्रीडिक्टिव एनालिसिसः** एसएमए खातों के ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर, रिपोर्ट्स को एसएमए की प्रत्येक श्रेणी की घटना की आवृत्ति में पैटर्न का खुलासा करते हुए विकसित किया गया था। इस प्रकार उच्च जोखिम वाले ग्राहकों को शाखा / आरओ स्तर पर पहचाना जाता है और इन ग्राहकों के निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है।
- **एटीएम डाउनटाइम और हिट्स की निगरानी के लिए एटीएम हीट मैपः** अंचलों / क्षेत्रों में एटीएम के प्रदर्शन का विश्लेषण करने और प्रभावी रूप से एटीएम उपलब्धता / अपटाइम के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए, एटीएम हीट मैप को विकसित किया गया था और शाखाओं के लिए दैनिक आधार पर उपलब्ध कराया गया था। प्रत्येक एटीएम के लेन-देन और उसके Uptime डेटा का विश्लेषण दैनिक / पाक्षिक / मासिक आधार पर किया जाता है। हिट्स को बेहतर बनाने और डाउनटाइम को कम करने के लिए सभी एटीएम को हिट और उसके अपटाइम और कम हिट वाले एटीएम के आधार पर वर्गीकृत किया गया था।
- एमआईएसडी द्वारा की जाने वाली अन्य नियमित गतिविधियों में दैनिक व्यवसाय के आंकड़े, खोले गए और बंद किए गए खातों की सूची, दैनिक प्रतिबंध और प्रत्येक क्षेत्र के तहत किए गए प्रतिबंध, केवाईसी संबंधित रिपोर्ट, अतिरिक्त नकदी रिपोर्ट, डेटा गुणवत्ता निगरानी रिपोर्ट, आभूषण ऋण प्रदर्शन रिपोर्ट, व्यापक शाखा प्रोफ़ाइल शामिल हैं। एसएमए की निगरानी के लिए रिपोर्ट, अग्रिमों पर एमआईएस रिपोर्ट, वित्तीय समावेशन रिपोर्ट, डिजिटल पंजीकरण और लेन-देन की निगरानी रिपोर्ट, अनुमानित फिसलन पर रिपोर्ट, शाखाओं की मासिक प्रदर्शन रैंकिंग, साप्ताहिक और मासिक सिबिल डेटा जनन , सिबिल की अस्वीकार्य सूची, एनईएसएल को रिपोर्ट प्रदान करना। कॉरपोरेट उधारकर्ताओं के संबंध में, सीओ विभागों को डेटा डंप प्रदान करना, आरबीआई को डेटा डंप, संसदीय प्रश्नों के संबंध में डेटा प्रदान करना, डेटा बिंदु आदि।

20 फरवरी 2019 को मुंबई में आयोजित IBA बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, **एक्सपो एंड अवार्ड्स 2019 में भारतीय बैंकों के एसोसिएशन द्वारा मध्यम बैंकों के बीच व्यापार के लिए डेटा और विश्लेषिकी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी** में बैंक को **'विजेता'** घोषित किया गया है। व्यवसाय के परिणामों के लिए बैंक द्वारा विकसित एनालिटिक्स उत्पादों के डेटा और उपयोग के सर्वोत्तम उपयोग की मान्यता प्रदान की गई है। पुरस्कार के लिए निम्नलिखित उत्पादों का अनुमान लगाया गया था

- क्रॉस सेल और अपसेल के लिए एनालिटिक्स का उपयोग, ग्राहक अधिग्रहण और अभियान प्रबंधन
- SMA भविष्य कहने वाला विश्लेषण।
- **एटीएम** डाउनटाइम और हिट्स की निगरानी के लिए एटीएम हीट मैप।

Bank has issued 42.15 lakh Rupay Debit Cards either as fresh card or as migration from Magstrip to EMV card during the year. Bank is giving more thrust for issuance of Rupay cards issued by NPCI.

To promote the one nation one card Bank has completed certification of **National Common Mobility Card** with NPCI for both domestic and international usage. Bank was the first Bank in the industry to be certified on International Platform for NCMC qSparc card. Commercial rollout of NCMC card and upgrading acquiring segment is planned this year.

Payment Gateway Operations:

Bank has 11 aggregators who have nearly 12,000 sub-merchants under their banner including public sector organizations like BSNL, LIC of India etc. The Bank's direct clients include State Government Enterprises & Educational Institutions.

RTGS/NEFT:

Based on feedback from Customers and Branches, various updates were done in IOB RTGS/NEFT module to meet their needs/requirement. Positive response message system for inward NEFT introduced to improve customer experience.

Internet Banking/Mobile Banking:

The internet banking registrations grew from 15.52 lakh to 19.25 lakh while mobile banking registrations grew by 241% from 6.62 lakh customer to 16 lakh customers. New user interface of mobile banking application with flavour of four additional languages was accepted well by the customers.

BHIM & BHIM IOBUPI:

Bharat Interface for Money (BHIM) application, which has been launched during 2016-17 to make direct 'customer to customer' and merchant payments across the Banks instantly and to collect money using just Mobile number or Payment address, has been instantly adopted. BHIM IOBUPI is the application launched by the Bank using Unified Payment Interface. Registration grew from 8.11 lakh to 28.50 lakh, transactions have surged to new heights touching 110.56 lakh in March 2019.

IOB-Pay:

The in-house developed integrated online payment gateway platform offers fee payments, merchant payments, donations for charitable institutions etc. More than 100 Institutions have been registered in this application and this include TNHRCE, IENS.

BBPS:

Bank has launched Bharat Bill Payment System (BBPS), an integrated bill payment system, which offers interoperable bill payment service to customers online. For BBPS, IOB has integrated as Customer Operating Unit (COU) in March 2017 and as Biller Operating Unit (BOU), we were first Public Sector Bank to onboard electricity utility with TNEB as biller.

Credit Cards:

Bank has partnered with VISA International Credit Card to introduce credit card way back in 2006. Automation of card application process has improved TAT and card base has grown by 30%.

Accolades:

- Bank received special award from NPCI in recognition of excellent performance in Rupay, NFS ATM network, CTS and NACH.
- Bank was adjudged winner under Deepening Financial Inclusion and Digitalization category in EASE Banking Reforms Awards 2019.

Management Information System

Bank has implemented a robust Management Information System (MIS) and Decision Support System to handle Reporting and analytical requirements of the Bank apart from ensuring flow of data to User Departments for submission of various statutory and ad-hoc reports.

Oracle Business Intelligence (BI), an analytical tool deployed by the bank provides around 500 reports, Data Mining and analytics accessed by Top Management, Controlling Offices and Branches through our intranet IOB Online. The tool has been utilized by the In-house team of MIS for development and deployment of Reports, Graphs, What-if analysis, Data Mining, Ad-hoc Reports based on user requirements. The tool is effectively used for various purposes such as Performance Monitoring, Regulatory Reporting, Analysis of historical data, Follow up of campaigns etc. Some of the major activities of MIS are furnished below:

- **Analytics developed for Cross Sell and Upsell, Customer Acquisition and Campaign Management-Wallet Share:** Bank introduced Wallet Share Concept and this was driving product base enhancement, customer acquisition and Cross selling. This product, developed in-house with BI has been deployed across the Bank accessible by Central/Zonal/Regional/Branch Offices and extensively put to use for analyzing past tends and to initiate measures for improving business. 15 new Wallet Share themes were introduced in the FY 2018-19 and out of the 21.76 lacs leads generated, business conversion happened in respect of 1.65 lacs leads.
- **SMA Predictive Analysis:** Based on the historical data of SMA accounts, Reports were developed revealing the pattern in frequency of occurrence of each category of SMA. Thus high risk customers are identified at Branch/ RO level and Monitoring mechanism of these customers has been strengthened.
- **ATM Heat Map for monitoring ATM downtime and Hits:** To analyze the ATM performance across Zones/ Regions and to effectively maintain a high level of ATM availability/uptime, ATM Heat Map was developed and made available on a daily basis to branches. Each ATM's transaction and its Uptime data are analyzed on a daily / Fortnightly /Monthly basis. All ATMs were categorized based on the hits and its uptime and low hit ATMs were followed up to improve the Hits and reduce downtime.
- Other routine activities performed by MISD include providing Daily business figures, List of Accounts opened and closed, daily sanctions and disbursements made under each sector, KYC Related Reports, Excess cash Reports, Data Quality Monitoring Reports, Jewel Loan Performance Report, Comprehensive Branch profile, Report for SMA monitoring, MIS Reports on Advances, Financial Inclusion Reports, Digital registrations and transaction monitoring reports, Reports on projected slippages, Monthly performance ranking of Branches, Weekly and Monthly Cibil data generation, Providing reports on Cibil rejected list, Data to NESL in respect of Corporate borrowers, providing Data dumps to CO Departments, Data Dumps to RBI, providing Data in respect of Parliamentary Questions, EASE Data points etc.

Bank has been adjudged the **'WINNER'** in the category of the **Best Use of Data and Analytics for Business Outcome amongst Medium Banks by Indian Banks' Association in the IBA Banking Technology Conference, Expo & Awards 2019** held in Mumbai on 20th February 2019. Bank has been awarded in recognition of the best use of data and usage of Analytics products developed by the Bank for Business outcome. The following products were projected for the award:

- Use of Analytics for Cross Sell and Upsell, Customer Acquisition and Campaign Management
- SMA predictive Analysis.
- ATM Heat Map for monitoring ATM downtime and Hits

- नए **MSME** ग्राहकों को **Analytics** का उपयोग करके प्राप्त करना।
- डिजिटल भुगतान और सेवाओं में विश्लेषिकी का प्रभावी उपयोग

सरकारी लेखा

प्रत्यक्ष कर संग्रहः बैंक पूरे भारत में 354 शाखाओं द्वारा आयकर और अन्य प्रत्यक्ष करों को फिजीकल माध्यम में और ऑन लाइन टैक्स लेखा प्रणाली (OLTAS) के माध्यम से एकत्र करने के लिए अधिकृत है। बैंक प्रत्यक्ष करों का ई-भुगतान प्राप्त करने के लिए भी अधिकृत है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने **रु. 9244** करोड़ का लेन-देन और अर्जित कमीशन रु.**1.84** करोड़ प्राप्त किया है ।

अप्रत्यक्ष कर संग्रहः बैंक उत्पाद शुल्क और ई-भुगतान, सीमा शुल्क की ई-भुगतान और ड्यूटी ड्राबैक के ई-रिफंड प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। जीएसटी के आगमन के बाद, हमारी सभी शाखाएं जीएसटी के संग्रह के लिए सक्षम हो गई हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने लेन-देन में **रु.14,186** करोड़ और अर्जित कमीशन **रु.1.26** करोड़ प्राप्त किया ।

केंद्रीयकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र

पेंशन का भुगतानः ECS के माध्यम से क्रेडिट के अलावा बैंक सेंट्रल सिविल, डिफेंस, रेलवे, टेलीकॉम, स्टेट सिविल, ईपीएफओ, सीएमपीएफओ, टीएनईबी, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई डॉक लेबर बोर्ड, तमिलनाडु के लोकल फंड ऑडिट और मलेशियाई सरकार पेंशन से संबंधित 2.25 लाख पेंशनरों की सेवा कर रहा है। ।

केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग केंद्र 65,212 खातों के लिए केंद्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे और दूरसंचार पेंशनभोगियों को केंद्रीयकृत आधार पर पेंशन वितरित करता है । बैंक ने वर्ष के दौरान लगभग 1,620 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं और संवितरण की तारीख से 2-3 दिनों के भीतर केन्द्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे और दूरसंचार पेंशन के लिए स्कीम के अंतर्गत संवितरण प्राप्त किया है । वर्ष के दौरान बैंक ने 5.23 करोड़ रुपए का कमीशन अर्जित किया है।

बैंक 17 शाखाओं में तमिलनाडु सरकार के ट्रेजरी कारोबार को भी संभालता है, जिसमें प्राप्तियों और भुगतानों का 2,356.72 करोड़ रुपये का कारोबार होता है । बैंक सेवा योजना आयोग और दूरसंचार विभाग के खाते में क्रमशः 151.01 करोड़ रुपये और 458.65 करोड़ रुपये की रसीदें और भुगतान का प्रबंध किया गया है । 196.56 करोड़ रुपए की प्राप्तियों और भुगतानों को संभालते हुए तमिलनाडु की 70 शाखाओं में डाकघर संग्रहण (आहरण और जमा) खाता रखा जाता है । बैंक भारत सरकार की बचत योजनाओं जैसे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004, सार्वजनिक भविष्य निधि और सुकन्या समृद्धि योजना, योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और लगभग 793.20 करोड़ रुपये का अंशदान दे चुका है ।

सॉवरेन गोल्ड बॉड योजना : वर्ष के दौरान बैंक ने 16.70 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं और 0.17 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है ।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस की सदस्यता के लिए 3,270 शाखाएं सक्षम की गई हैं । वर्ष के दौरान शाखाएं 1400 एनपीएस खोल चुकी हैं ।

निर्यात क्रेडिट - इइसीजीसी कवरेज

डब्लूटी-पीसी/डब्लूटी-पीसी-वर्ष 2018-19 के लिए ईसीजीसी को अग्रिम प्रीमियम के एवज में कॉर्पोरेट बैंक गारंटीः

विगत में, हमारे सभी पूर्व लदान/पोस्ट शिपमेंट निर्यात अग्रिमों (नियंत्रण रेखा के बिलों को छोड़कर) एक महीने के अग्रिम प्रीमियम भुगतान के साथ कवर कर रहे हैं ।

अब, हमारे बैंक ने बैंक गारंटी को चुना है जिससे निम्नलिखित लाभ मिला है ।

- बैंकों को निधि देकर ईसीजीसी के साथ जमा के रूप में रखने की जरूरत है।
- बैंक शाखा को अग्रिम प्रीमियम की आवश्यकता की आवधिक रूप से निगरानी करने की आवश्यकता नहीं है ।
- अग्रिम प्रीमियम के अभाव में दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है ।
- भुगतान किए गए अग्रिम प्रीमियम का परिव्यय निर्धारित नहीं किया जा सकता है और इसे किसी भी समय विनियोजित नहीं किया जा सकता है ।
- अस्पष्टता की संभावना से बचने के लिए नए कनेक्शन के लिए एक महीने के अग्रिम प्रीमियम परिहार।

मानव संसाधन विकास

भर्ती और कर्मचारियों की संख्या

31 मार्च, 2019 तक बैंक के कर्मचारियों की संख्या **26,354** थी, जिसमें **14,186** अधिकारी, **9521** लिपिक और **2647** अधीनस्थ कर्मचारी थे ।

- वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने सूचना सुरक्षा और सूचना प्रणाली ऑडिट (स्केल II और III) के लिए 20 विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती के लिए पहल की है । चिन्हित किए गए 20 पदों के लिए 20 उम्मीदवारों का चयन किया गया जिनमें से 13 उम्मीदवार बैंक की सेवाओं में शामिल हुए ।
- इसके अलावा, स्टॉफ कॉलेज, चेन्नै (02) के लिए संकाय के पद के लिए संविदा भर्ती की गई है और 31 मार्च 2019 तक छः (06) संकाय (संविदा पर) बैंक के स्टाफ कॉलेज में हैं ।

कुल कर्मचारियों की संख्या में से 5,224 सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग के, 1,866 अनुसूचित जनजाति वर्ग के और 7,255 ओबीसी वर्ग के थे । कर्मचारियों की संख्या में 8,983 महिला कर्मचारी, 1,036 भूतपूर्व सैनिक और 499 शारीरिक रूप से विकलांग सदस्य शामिल हैं ।

उत्तराधिकार योजना :

नेतृत्व निरंतरता सुनिश्चित करने और संभावित उत्तराधिकारियों को विकसित करने के लिए, उत्तराधिकार योजना प्रक्रिया शुरू की गई थी । पहला चरण बैंक में महत्वपूर्ण पदों की पहचान और संभावित उत्तराधिकारियों की पहचान के साथ शुरू हुआ । प्रत्येक विभाग में जोखिम बोध के आधार पर महत्वपूर्ण पदों की पहचान की गई है और अपेक्षित प्रतिस्थापन को ध्यान में रखा गया है । प्रत्येक स्थिति के लिए, तीन उत्तराधिकारियों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें अभिनिर्धारित महत्वपूर्ण पदों/विभागों में रखने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उत्तराधिकार योजना के अनुरूप होना चाहिए ।

क्षमता का विकास करना -

उत्तरवर्तन की योजना के लिए और चिन्हित अधिकारियों को चिन्हित महत्वपूर्ण स्थानों पर तैयार करने के लिए बैंक ने क्षमता के विकास पर रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार ही कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की है। इस संबंध में, बैंक ने तीन मान्यता प्राप्त संस्थानों को चिन्हित किया है जिनके नाम है - इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंक एंड फ़ानेशेंस (आईआईबीएफ) मुम्बई, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनैजमेंट NIBM, पुणे, मूडी एनालाईटिक, एनआइएसएम, एनएसईआइटी-यूआइडीएआइ प्रमाणन, आइएसएसीए - सीआइएसए प्रमाणन जो कि चिन्हित क्षेत्रों जैसे कि राजकोष परिचालन, विदेशी विनिमय, साख प्रबंधन जोखिम प्रबंधन लेखांकन और लेखा परीक्षा प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, केवाईसी/एएमएल, कानूनी पहलुओं, साइबर सुरक्षा, संपदा प्रबंधन और अन्य पक्ष खुदरा उत्पादों के विपणन सहित अनुपालन, इन क्षेत्रों में प्रमाणीकरण बैंक के क्षमता विकास में बढ़ानें के उद्देश्य से चिन्हित किया है ।

स्टाफ सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे बैंक में क्षमता निर्माण के लिए उन क्षेत्रों में प्रमाणपत्र प्राप्त करें। प्रेरक उपाय के एक भाग के रूप में, बैंक क्षमता निर्माण के तहत सभी चिन्हित प्रमाणपत्रों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति कर रहा है और पदोन्नति प्रक्रिया में समान होने के लिए उचित भार भी दे रहा है।

मेंटरशिप कार्यक्रम :

ज्ञान के अंतर को पाटने के लिए, कर्मचारियों को बनाए रखने, नेतृत्व और उत्तराधिकार की योजना विकसित करने के लिए, बैंक ने "मेंटरशिप प्रोग्राम" शुरू किया है ।

मेंटरशिप एक पेशेवर संबंध है जिसमें एक अनुभवी व्यक्ति विशिष्ट कौशल प्राप्त करने और ज्ञान का विस्तार करने के लिए एक कम अनुभवी व्यक्ति के विकास में मदद करता है । यह एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक मेंटर एड्स, अपने पेशेवर और व्यक्तिगत विकास के लिए अपने मेन्टीज़ को निर्देश और मार्गदर्शन देता है ।

मेंटर मौजूदा नौकरी के संबंध में मेनटी का मूल्यांकन नहीं करता है और न ही वह मेनटी का परफॉर्मेंस रिव्यू करता है । इसके बजाय मेंटर प्रोत्साहित, रचनात्मक, सहनशीलता और उंमुख लक्ष्य के लिए प्रेरित करता है ।

सलाह देने की प्रक्रिया से मेन्टीज़ अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं, काम-जीवन में संतुलन बढ़ाते हैं और तनाव के स्तर को कम करते हैं । संगठन को

- Acquiring new MSME customers using Analytics
- Effective Use of Analytics in Digital Payments and Services

Government Accounts

Direct Tax Collections: The Bank is authorized to collect Income Tax and other Direct taxes in physical mode and through On Line Tax Accounting System (OLTAS) by 354 branches all over India. The Bank is also authorized to receive e-payment of Direct Taxes. During the year under review, the bank has handled transactions amounting to **Rs. 9244 crores** and earned commission of **Rs.1.84 Crores.**

Indirect Tax Collections: The Bank is authorized to receive e-payment of Excise and Service Tax, E-payment of Customs Duty and e-refunds of Duty Drawback. After the advent of GST, all our branches have been enabled for collection of GST. During the year the Bank has handled transactions amounting to **Rs. 14,186 crores** and earned commission of **Rs.1.26 crores.**

Centralised Pension Processing Centre

Payment of Pension: The bank is servicing 2.25 lacs pensioners belonging to Central Civil, Defence, Railways, Telecom, State Civil, EPFO, CMPFO, TNEB, Chennai Port Trust, Chennai Dock Labour Board, Local Fund Audit of Tamil Nadu and Malaysian Government Pension apart from credit through ECS.

Centralised Pension Processing Centre disburses pension on a centralised basis to Central Civil, Defence, Railway and Telecom Pensioners for 65,212 accounts. The Bank has disbursed about Rs. 1,620 crores during the year and received reimbursement under scheme for Central Civil, Defence, Railway and Telecom Pensions within 2-3 days from the date of disbursement. During the year bank has earned commission of Rs. 5.23 crores.

Bank also handles Treasury Business of the Government of Tamil Nadu at 17 branches with the turnover of Rs. 2,356.72 crores of receipts and payments. Bank services the account of Planning Commission and Department of Telecommunications and handled receipts and payments of Rs.151.01 crores and Rs.458.65 crores respectively. Post Office Collection (Drawing and Deposit) Account is maintained at 70 branches in Tamil Nadu handling receipts and payments of Rs.196.56 crores. Bank has been actively participating in the Government of India Savings Schemes like Senior Citizens Savings Scheme 2004, Public Provident Fund and Sukanya Samriddhi Yojana schemes and have contributed subscriptions of about Rs. 793.20 crores.

Sovereign Gold Bond Scheme: During the year Bank has collected Rs.16.70 crores and earned an income of Rs.0.17 crores.

National Pension System: 3,270 branches have been enabled for subscription of NPS. During the year branches have opened 1400 NPS.

Export Credit-ECGC coverage

WT-PC/ WT-PS – Corporate Bank Guarantee in lieu of Advance Premium to ECGC for the year 2018-19:

Yesteryears, all our Pre-shipment/Post shipment Export Advances (excluding LC Bills) are covered with one month advance premium payment.

Now, our Bank has chosen Bank Guarantee which promoted following advantages.

- Banks need not part with funds and keep as deposit with ECGC.
- Bank Branch need not have to monitor the requirement of Advance Premium, periodically.
- Claim may not be repudiated for want of Advance Premium.
- Outlay of advance premium paid cannot be determined and also cannot be appropriated at any point of time.
- Avoid the possibility of obscurity to remit one month advance premium for new connections.

Human Resources Development

Recruitment & Staff strength

The Bank's staff strength stood at **26,354** Comprising **14,186** Officers, **9521** Clerks and **2647** Sub-staff as of 31st March, 2019.

- During the year 2018 – 2019, the Bank has initiated for recruitment of 20 Specialist Officers for the post Information Security and Information System Audit (in Scale II & III). 20 candidates were selected for the identified 20 posts out of which 13 candidates joined in Bank's services.
- Further, Contract Recruitment has been done for the post of Faculty for Staff College, Chennai (02) and as of 31st March 2019 six (06) Faculty (on contract) are there in Bank's Staff College.

Of the total staff strength, 5,224 members belonged to SC category, 1,866 to ST Category, and 7,255 to OBC Category. Staff Strength includes 8,983 Women employees, 1,036 Ex-servicemen and 499 physically challenged members.

Succession Planning:

To ensure leadership continuity and develop potential successors, succession planning process was initiated. The First phase started with the identification of critical positions in the bank and identifying potential successors. The Critical positions have been identified on the basis of the risk perceptions at each department as well as taking into account the replacement required. For every position, three successors to be identified and trained for placing them at identified critical positions/ departments and to be in line with succession planning.

Capacity Building:

In order to plan the succession and equip the identified officers for identified critical positions, Bank has drawn a Policy on "Capacity Building" in tune with RBI guidelines to build up the capacity of the staff members. In this regard, bank has identified the following accredited institutes namely Indian Institute of Banking & Finance (IIBF), Mumbai, National Institute of Banking Management (NIBM), Pune, Moody's Analytics, NISM, NSEIT – UIDAI Certification, ISACA - CISA Certification who are providing certifications for the identified areas of Treasury Operations, Foreign Exchange, Credit Management, Risk Management, Accounting & Audit Management, Financial Inclusion, KYC/ AML, Compliance including Legal aspects, Cyber Security, Wealth Management and Marketing of third party Retail products.

Staff members have been advised to obtain the certifications in those areas in order to build up the capacity in the Bank. As a part of motivational measure, Bank is reimbursing the course fees for all the identified certifications under capacity building and also giving due weightage for the same in the Promotion process.

Mentorship Program:

In order to bridge the knowledge gap, retain employees, develop leadership and succession planning, Bank has introduced "Mentorship Program".

Mentoring is a professional relationship in which an experienced person assists in the development of a less experienced person towards acquiring specific skills and broadening knowledge base. It is an ongoing process through which a mentor aids, instructs and guides his mentees for their professional and personal growth.

The mentor does not evaluate the mentee with respect to his or her current job, nor does he conduct performance reviews of the mentee. Instead the mentor motivates, encourages by being enthusiastic, creative, patient and goal oriented.

The process of mentoring enables the mentees to increase their self confidence and self-esteem, enhancing the work- life balance and reducing the stress levels. It will also help the organization in improving

उत्पादकता में सुधार, काम की गुणवत्ता और बेहतर ग्राहक सेवा में वृद्धि हुई कर्मचारी प्रतिबद्धता से मदद मिलेगी।

बैंक में, एक ऑनलाइन पोर्टल/प्रश्नावली बनाई जाती है जिसके माध्यम से मेंटर-मेन्टी इंटरैक्शन के फीडबैक को मेंटर द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा और एचआर विभाग द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी। एकत्र किए गए फीडबैक के विश्लेषण के आधार पर, मेन्टी के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, संसाधन आदि जैसे अपेक्षित सहायता प्रदान की जाएगी।

मेंटर और मेन्टी के संदर्भ में पूछे जाने वाले प्रश्न और प्रश्नावली भी पोर्टल में उपलब्ध कराई जाती है।

नैतिकशास्त्र योजना -

बैंक ने नैतिकशास्त्र योजना की शुरूआत की है जिसमें बैंक के सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया है ताकि कर्मचारियों के बीच सदस्यता की संस्कृति सार्वजनिक आचरण के संबंध में , बैंक के साथ संचार . बाहरी इकाइयों के साथ परस्पर संवाद, जिसमें मीडिया और सहयोगीयों के साथ बर्ताव करना शामिल है, बनायी जा सके। यह नीति व्यवहार के मानक को परिभाषित करती है जिसकी अपेक्षा सभी कर्मचारियों से है ताकि अपने काम को करने में और बैंक की विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारियों को निभाने में सही निर्णय लिया जा सके।

कथित नीति के कार्यांवयन के लिए एक मानक परिचालित प्रक्रिया (एसओपी) को अपनाया गया है जहाँ सभी कर्मचारियों से ऑनलाइन अभिपुष्टि, आचार संहिता (जैसा कि नैतिकशास्त्र नीति में दिया गया है) के अनुपालन को लेकर पुष्टि प्राप्त की जाती है।

सभी सुझाव महत्वपूर्ण हैं (एआइएम) - अपने विचार दें - स्टाफ सुझाव योजना

1 जनवरी 2018 से उपर्युक्त स्टाफ सुझाव योजना को संशोधित और पुनर्जीवित किया गया है।

ग्राहक सेवा में सुधार, लाभ में वृद्धि, ब्रांड छवि में सुधार, आय में वृद्धि, रिटेल, कृषि और एमएसएमई पोर्टफोलियो में सुधार, मौजूदा डिजिटल बैंकिंग उत्पादों में सुधार, वसूली में सुधार, स्लीपेजों को कम करना, परिचालन कुशलता बढ़ाना, कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादों में नवाचार और धोखाधड़ी को रोकना जैसे 13 व्यापक क्षेत्रों से संबंधित सभी स्टाफ सदस्यों से विचार/सुझाव आमंत्रित है।

इस योजना से कर्मचारियों के मनोबल में सुधार, बेहतर कार्य संतुष्टि, स्वामित्व की भावना पैदा करना, टीम भावना निर्माण, लागत में कमी और लाभप्रदता में सुधार, राजस्व में वृद्धि और बेहतर ग्राहक संतुष्टि जैसा लाभ होगा।

सर्वोत्तम सुझावों की जांच और चयन के लिए महाप्रबंधकों की समिति को प्रस्तुत किया जाता है। इन सर्वोत्तम सुझावों को संबंधित महाप्रबंधकों को अग्रेषित किया जाएगा, जिन्हें कार्यान्वित करने पर विचार किया जाएगा।

बैंक शीर्ष 2 सर्वश्रेष्ठ सुझावों के लिए ईडी द्वारा हस्ताक्षरित ''प्रशस्ति प्रमाण पत्र'' और शेष सर्वश्रेष्ठ सुझावों के लिए मप्र (एचआर) जारी करेगा। सभी कार्यान्वित सुझावों के लिए, स्टाफ सदस्यों को एमडी व सीईओ द्वारा हस्ताक्षरित ''प्रशस्ति प्रमाण पत्र'' प्राप्त होगा।

कार्यांवित सुझाव के साथ - साथ सबसे अच्छे सुझाव को ''आइओबी ऑनलाइन'' के अंतर्गत ''स्टाफ अचीवमेंट'' में प्रदर्शित किया जाएगा और ''ऑल आइडीआज़ मैटर्स'' मॉड्युल में यह स्थाई रूप से उपलब्ध रहेगा।

पदोन्नतियां

स्टाफ सदस्यों को एक कैडर से अगले कैडर में पदोन्नति दी गई। विवरण नीचे दिए गए हैं

ग्रेड	**वित्त 2018 - 19**
पदोन्नति प्रक्रिया का समापन - समय सीमा	मई 2018
उप्र VI से उप्र VII	7
वप्र V से उप्र VI	24
वप्र IV से वप्र V	63
मप्र III से वप्र IV	90
मप्र II से मप्र III	136
कप्र I से मप्र II	248
लिपिकिय से कप्र I	287
अधिनस्थ से लिपिकिय	68
कुल	**923**

अन्य पहल

विभाग ने बाहरी एजेंसी सहयोग से ,चिकित्सा पेशेवर के द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता जैसे सत्र - कैंप आदि पर आयोजन किया गया था।

प्रशिक्षण -

कोरपोरेट लक्ष्य जैसे बैंक को एक ग्राहक केन्द्रित बनाने के कॉरपोरेट लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आधारभूत क्षेत्रों को छोड़कर बैंक के तत्कालिन समस्याओं पर आंतरिक और बाहरी मोड एक द्वारा दिया गया था।

उक्त के अलावा , बैंकिंग विषयों जैसे साख मूल्यांकन / साख निगरानी , छोटे और मध्यम उद्यम वित्त , सतर्कता के क्षेत्र में लिपिक और अधिकारियों को निरंतर प्रशिक्षण दिया गया है। इसके साथ ही प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति प्रबंधकों के लिए भी कार्यक्रम सभी स्टाफ कर्मचारी के लिए स्टाफ कॉलेज और स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र पर आयोजित किए गए।

वित्तीय समावेशन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और बहु यात्रा प्रीपेड कार्ड का जारी करना, का भी आयोजन इसी साल भी किया गया था।

परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए पूर्व पुष्टि कार्यक्रम, अनुसूचित जाति और जनजाति सदस्यों के लिए पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण जो कि अधीनस्थ कर्मचारी से लिपिक कैडर, लिपिक से जेएमजीएस 1 , जेएमजीएस 1 से एमएमजीएस 2 एमएमजीएस 2 से एमएमजीएस 3 के लिए पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण का आयोजन विभिन्न स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों पर किया गया था। अधिकारियों और पंचाट स्टाफ जो कि उसी साल के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे के लिए पूर्व सेवानिवृत्त सलाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

आंतरिक प्रशिक्षण -

आंतरिक प्रशिक्षण जिसमें एक स्टाफ कॉलेज, ग्यारह स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र और एक ग्रामीण बैंकिंग प्रशिक्षण केन्द्र शामिल है। वित्त वर्ष 2018 - 19 के लिए प्रदान की गई आंतरिक प्रशिक्षणों का विवरण यहां प्रस्तुत हैः

विशेष	**अधिकारी**	**लिपिक**	**अधिनस्थ**	**कुल**	**एससी (कुल में से)**	**एसटी (कुल में से)**
व्यक्तिगत स्टाफ सदस्य को प्रशिक्षण दिया गया (प्रशिक्षण में भाग लेने का लिहाज किए बिना)	9738	5964	745	**16447**	1686	1046
वित्त वर्ष 2018 -19 के दौरान (सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण में सहभागिता)	12419	6664	791	**19874**	3769	1885

बाहरी प्रशिक्षण -

हमने 995 कार्यपालक / अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त किया जिनका आयोजन प्रतिष्ठित संस्थान जैसे टीआइएसएस, मुम्बई बी, क्यू ग्लोबल, मुम्बई एएससीआई, हैदराबाद, कैफरैल, मुम्बई, आईआईबीएफ मुम्बई, एनआईबीएम पुणे, नेशनल अकादमी ऑफ आरयुडीएसईटीआई बैंगलूरू, सीएबी पुणे, आईडीआरबीटी हैदराबाद आदि के द्वारा किया गया था।

औद्योगिक संबंध -

बैंक में वर्षभर संगठन के उेशयों को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक संबंध का वातावरण सौहार्दपूर्ण और अनुकूल हो।

वित्त मंत्रालय और इण्डियन बैंक एशोसियन के द्वारा स्टाफ मामलों में जारी दिशानिर्देशों पर परिपत्र जारी कर तेजी से कार्यान्वयन किया गया ताकि स्टाफ सदस्यों को लाभ हो सके।

productivity, quality of work and better customer service by increased employee commitment.

In the Bank, an online Portal/Questionnaire is created through which the feedback of mentor- mentee interactions would be recorded by the mentor and would be reviewed by HR department. Based on the analysis of the feedback collected, required support such as training, resources etc. would be provided to groom/enhance the performance of the mentee.

The FAQs for the reference of mentor and mentee and the questionnaire are also made available in the portal.

Ethics Policy:

Bank has introduced "Ethics policy" covering all the employees of the Bank, to create a culture of cooperation among the employees in respect of public conduct, communications with the Bank, interactions with external entities including the media and dealing with colleagues. The policy defines the standards of the conduct that is expected of all employees in order that the right decisions are taken in performing roles and responsibilities across various functions in the Bank.

For implementation of the said policy, a Standard Operating Procedure (SOP) has been adopted wherein online affirmation from all the employees confirming adherence to the code of conduct (as detailed in the Ethics policy) is obtained on annual basis.

All Ideas Matter (AIM) – Unleash your Ideas – Staff Suggestion Scheme

The captioned staff suggestion scheme has been modified and revived with effect from 1st January 2018.

Ideas / suggestions pertaining 13 broad areas like Improving Customer Service, Increasing Profit, Improving Brand Image, Increasing Income, Improving Retail, Agriculture & MSME Portfolio, Improving existing Digital Banking products, Improving Recovery, Arresting Slippages, Increasing operational efficiency, Increasing Staff Productivity, Innovation in Products & Preventing frauds have been invited from all staff members.

The most common benefits accrue from the scheme would be on account of improvement in staff morale, better job satisfaction, creating a feeling of ownership, building team spirit, reduction of cost and improvement in profitability, increase in revenue and improved customer satisfaction.

The suggestions are placed to a Committee of GMs, for scrutiny and selection of best suggestions. These best suggestions will be forwarded to respective General Managers, to be considered for implementation.

Bank will issue a "Certificate of Appreciation" signed by ED for the top 2 best suggestions and by GM (HR) for the remaining best suggestions. For all the implemented suggestions, staff members will receive a "Certificate of Appreciation" signed by MD & CEO.

Also, the best suggestions as well as the implemented suggestions will be displayed in "IOB ONLINE" – under "Staff Achievement" and will also be available permanently in the "All Ideas Matter" Module.

Promotions:

Promotions were given to staff members from one cadre to next cadre. The details are tabled as under:

Grade	**FY 2018 - 19**
Completion of Promotion process – Time line	May 2018
TM VI TO TM VII	7
SM V TO TM VI	24
SM IV TO SM V	63
MM III TO SM IV	90
MM II TO MM III	136
JM I TO MM II	248
CLERICAL TO JM I	287
SUBSTAFF TO CLERICAL	68
Total	**923**

Other initiatives:

Bank, in coordination with external agency conducted health awareness sessions by medical professionals on issues such as Eye care, etc.

Training:

Keeping in view the corporate goal of making the bank a customer centric, training has been imparted on contemporary issues of banking apart from basic areas of banking through the internal and external mode.

Apart from the above, regular training on Banking topics have been imparted to officers and clerks in the field of Credit Appraisal/ Credit Monitoring, Small & Medium Enterprises Financing, Vigilance. Also Programmes for First Line and Second line managers were conducted for all staff members at Staff College and various Staff Training Centers.

Special Training Programmes on Financial Inclusion and issuance of multi travel prepaid card were conducted during the year.

Pre confirmation programme for Probationary Officers, Pre Promotion Training for SC/ST members who are eligible for promotion from Sub Staff to Clerical cadre, Clerk to JMGS I, JMGS I to MMGS II and MMGS II to MMGS III was conducted at various Staff Training Centers. The Pre-Retirement counseling programme was conducted for Officers and Award Staff Members who retired during the year.

Internal Training

Bank's internal training system comprises of 1 Staff College, 11 Staff Training Centers and 1 Rural Banking Training Centre. The details of Internal Trainings imparted for the FY 2018 – 19 is furnished hereunder:

Particulars	**Officers**	**Clerical**	**Substaff**	**Total**	**SC (Out of Total)**	**ST (Out of Total)**
Training imparted to Individual Staff member (irrespective of no. of trainings attended)	9738	5964	745	**16447**	1686	1046
Training imparted during FY 2018 - 19 (based on total no. of trainings attended by members)	12419	6664	791	**19874**	3769	1885

External Training

Bank deputed 995 Executives/ Officers for training programs conducted by reputed external institutes like TISS, Mumbai , BQ Global , Mumbai ASCI, Hyderabad, CAFRAL, Mumbai; IIB&F, Mumbai; NIBM, Pune; National Academy of RUDSETI, Bangalore; CAB, Pune; IDRBT, Hyderabad etc.

Industrial Relations

The Industrial relations environment in the Bank remained cordial and conducive throughout the year for achieving organization's objectives.

The guidelines issued by the Ministry of Finance and Indian Banks Association with regard to staff matters are implemented expeditiously by issuing circulars for the benefit of our employees.

बैंक के सभी कार्यालयों / शाखाओं में अच्छी औद्योगिक संबंध वातावरण को बनाए रखने, नियंत्रण रखने के क्रम में, समय-समय पर नीतियों के अनुपालन, अनुशासन को लागू करने आदि के संबंध में परिपत्र जारी किए जाते हैं।

एचआरएमडी - आईआर खंड केन्द्रीय कार्यालय ने अवार्ड कर्मचारी के लिए अधिकृत संगठन के साथ पदोन्नति , स्थानांतरण , लाभ आदि के संबंध में समझौता किया है ताकि कर्मचारियों/अधिकारियों की शिकायतों को यूनियन / एसोशियन के साथ वार्ता कर निपटान किया जा सकें ।

बैंक में उन स्टाफ सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जिनके खिलाफ आईआर में मामलों से संबंधित शिकायतें मुद्दों को सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों और लागू करने के लिए रिपोर्ट किए जाते हैं।

स्टाफ की समय पाबंदी पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से बैंक ने बायोमेट्रिक हाजिरी व्यवस्था शुरू की है । छुट्टियों की प्रस्तुति/ अनुसंरक्षण को पहले ही स्वचालित कर लिया गया है जिससे वास्तविकता को बनाए रखने और रिकार्डों के अद्यतन में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलती है।

बैंक ने शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए रोटेशनल आधार पर भोजन अवकाश की अनुमति प्रदान की है जिससे निर्बाध ग्राहक सेवा प्रदान की जा सके।

मानव संसाधन विकास विभाग और मानव संसाधन प्रबंधन विभाग को ऑनलाईन अनुशासनिक कार्यवाही पंजी व्यवस्था से जोड दिया गया है, ताकि पदोन्नति, प्रथम पंक्ति की नियुक्ति, ऋण लेने, सेवा निवृति लाभों की मंजूरी आदि जैसे विभिन्न उदेश्यों के लिए हमारे स्टाफ के वास्ते वे आईआर क्लियरेंस प्रजनित कर सकें। इससे समय में कटौती हुई है और साथ ही साथ मैन पॉवर और लेखन सामग्री की जरूरत भी कम हुई है।

स्टाफ द्वारा ''चल, अचल व मूल्यवान संपत्तियों'' पर विवरणी की प्रस्तुति को पहले ही ऑनलाइन किया जा चुका है। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए करीब 99% पात्र स्टाफ सदस्यों ने अपनी विवरणियां प्रस्तुत कर दी है। ऑनलाइन पर ही समुपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा 99% तक इन विवरणियों की जाँच कर ली गई है।

दफ़्तर में महिलाओं के विरूद्ध लैंगिक प्रताड़ना (रोकथाम, प्रतिबंध व निवारण) अधिनियम 2013 के अनुसार मानव संसाधन प्रबंधन विभाग - आईआर अनुभाग के अनुदेशों के तहत सभी प्रशासनिक कार्यालयों (केन्द्रीय,अंचल व क्षेत्रीय कार्यालय) में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया गया । समितियों की सिफारिश के अनुसार शिकायतों के निवारण के लिए समुचित कारर्वाई की जाती है।

वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त की गई एवं निपटायी गई लैंगिक प्रताड़ना शिकायतों के विवरण निम्नवत है :-

वर्ष की शुरुआत तक (01.04.2018) लंबित शिकायतों की संख्या	2018-19 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटायी गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत तक (31.03.2019) लंबित शिकायतों की संख्या
1	10	9	2

सहायक श्रम आयुक्त सहित विभिन्न न्यायालयों के सम्मुख स्टाफ सदस्यों द्वारा दायर औद्योगिक विवाद/ न्यायिक मामलों पर बैंक द्वारा प्रभावी रूप से बचाव/प्रतिवाद किया जा रहा है ताकि बैंक के हितों की रक्षा की जा सके। जहां कहीं संभव है, वहां मामलों को बात-चित के जरिए सुलझाने / समझौता करने के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

सुरक्षा

सुरक्षा मानक, अनिवार्य और अनुरोधित, सभी शाखाओं, सख्ती के साथ और सही से कार्यान्वित किया गया था, एटीएम और प्रशासनिक कार्यालयो का आवधिक निरीक्षण किया जाता है ताकि स्थानीय कानून और आदेश का सही से अनुपालन किया जा सके और सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जा सके ताकि हम अपने ग्राहको और कर्मचारीयो के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करें। बैंक हमेशा अग्नि सुरक्षा और सुरक्षा के लिए निवारक मानकों पर जोर देता है और अग्नि सुरक्षा के लिए प्रबंध करता है स्टाफ के बीच अग्नि सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाता है ताकि जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित कि जा सके। बैंक ने सदस्यों की सुरक्षा को लेकर जागरूक किया है और सुरक्षा उपकरणो के रोपण जैसे कि सीसीटीवी और चोर अलार्म का 24* 7 * 365 काम करना और पेसिव इंफ्रारेड (पीआईआर) और सभी शखाओं में वाईब्रेशन सेंसर और सुभेद्य एटीएम और शाखाओं पर बाहरी ठेके पर चौकीदार / आर्म गार्ड की मामलों के आधार पर क्रमानुसार तैनाती सुनिश्चित किया है । केन्द्रीय कार्यालय सुरक्षा विभाग क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी के साथ मिलकर पूरे भारत मे नकद प्रवाह को प्रचालित और निगरानी करता है।

राजभाषा नीति

बैंक ने वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के लिए सभी प्रयास किए हैं। वर्ष के दौरान 152 स्टाफ सदस्यों को आइओबी प्रवीण पाठ्यक्रम के माध्यम से हिन्दी प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष के दौरान आयोजित सामान्य हिंदी कार्यशालाओं में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले 2548 स्टाफ सदस्यों को गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सरकार के निर्देशों के अनुसार बैंक ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी यूनिकोड फ़ॉन्ट को सक्षम किया है और आइओबी ऑनलाइन पर इसे डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की है। स्टाफ सदस्यों के प्रयोग हेतु आइओबी ऑनलाइन पर बैंकिंग शब्दावली उपलब्ध करायी गई है। कंप्यूटरों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए 1826 कर्मचारियों को यूनीकोड प्रशिक्षण दिया गया है। त्रैमासिक हिंदी पत्रिका " वाणी " के चार अंक प्रिंट के साथ-साथ डिजिटल रूप में भी प्रकाशित किए गए हैं। आइओबी लेखमाला - 4 का प्रकाशन किया गया ।

भारत सरकार ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के तहत ग' क्षेत्र में वर्ष 2017-18 के लिए हिंदी' गृह पत्रिका "वाणी " के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया है । क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद को वर्ष 2017-18 के लिए क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार श्रेणी के तहत भारत सरकार द्वारा दक्षिणी क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया । 15 क्षेत्रीय कार्यालयों और एक शाखा को स्थानीय नराकास से पुरस्कार प्राप्त हुआ । राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट काम करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया। राजभाषा संबंधी संसदीय समिति की तीसरी उप समिति ने क्रमशः 05.05.2018, 18.06.2018 और 18.01.2019 को हमारी जोशी मठ, ऊटी और रामनाथपुरम शाखाओं का निरीक्षण किया । राजभाषा संबंधी संसदीय समिति की आलेख एव साक्ष्य समिति ने हमारी गुरुग्राम, मथुरा और पलवल शाखाओं का निरीक्षण क्रमशः 16.07.2018, 27.01.2019 और 14.02.2019 को किया। दोनों समितियों ने इन केंद्रों में राजभाषा कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया।

बैंक ने हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय में हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। बैंक द्वारा एक अखिल भारतीय हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता 10 सितंबर 2018 को आयोजित की गयी। बैंक ने अंतर-बैंक अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की । क्षेत्रीय कार्यालयों ने हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं। 10 जनवरी 2019 को केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों और दो विदेशी शाखाओं में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बैंक के स्थापना दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया ।

आई एन डी ए एस के हमारे बैंक मे कार्यान्वयन के स्थिती

बैंक ने वि.व 2016-17 से भारतीय लेखा मानकों को लागू करने की प्रक्रिया की शुरूआत की है । भारतीय लेखा मानकों को बैंकों के द्वारा लागू करने हेतु आर बी आई की सूचना भारिबैं/2018-19/146 डीबीआर.बीपी.बीसी.सं 29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च 2019 तक भारतीय लेखा मानकों को आगामी सूचना तक लागू करने हेतु स्थगित कर दिया है।

फरवरी 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, बैंक ने एक परिचालक समिति का गठन किया है जो कि कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में 4 महा प्रबंधकों के समूह के द्वारा आई एन डी एस कार्यान्वयन के विकास को निरिक्षित करेगा। बैंक ने भी 10 सदस्यों का एक समूह का गठन किया है और ई सी एल (अपेक्षित साख हानि) के लिए विभिन्न कार्यात्मक विभागों से 7 सदस्यों को लेकर एक समूह का गठन किया है

In order to monitor and maintain good Industrial Relations climate in all offices/Branches of the Bank, circulars/ guidelines are issued from time to time regarding enforcement of discipline, policies to be followed, etc.

HRMD-IR Section, Central Office enters into settlement with the recognized union for award staff, regarding promotion, transfer, benefits, etc. to redress the grievances of employees/Officers through discussions with Unions/Associations.

Action is taken against staff members against whom complaints/ matters pertaining to IR matters are reported to enforce discipline and harmonious industrial relations in the Bank.

Bank has introduced Biometric Attendance System to have control over staff punctuality. The leave submission/maintenance has already been automated which helps to maintain accuracy and reduce the time involved in updation of records.

Bank has already introduced uninterrupted customer service by permitting the employees in the branches to observe lunch recess on rotational basis.

Online Disciplinary Proceedings Register System access is given to HRDD and HRMD, to enable them to generate IR clearance of our staff for various purpose such as promotion, posting of first line, availment of loans, sanction of retirement benefits etc. which has reduced the time, manpower and stationery involved.

Submission of Returns on 'Movable, Immovable and valuable properties' by staff has already been made online. Around 99% of eligible staff have submitted the returns for the year ended 31st March 2018. The scrutiny of these returns by appropriate Authorities has also been completed upto 99% in online.

Internal complaints committees were constituted at all Administrative offices (Central, Zonal & Regional office) under the instruction of HRMD-IR Section, as per the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013. As per the recommendation of the Committees, appropriate action is taken to redress the grievance.

The details of the Sexual Harassment Complaints received and disposed during the year 2018 – 2019 are as follows:

Complaints pending as on the beginning of the year (01.04.2018)	Complaints received during 2018-19	Complaints disposed off during the year	Complaints pending as at the end of the year (31.03.2019)
1	10	9	2

Industrial Disputes/Court Cases filed by staff members before various Courts including those before Assistant Labour Commissioner are effectively defended/contested by the Bank in order to safeguard Bank's interest. Wherever possible efforts are made to conclude the cases through negotiated settlement.

Security

Security measures, mandatory and recommendatory, were correctly and strictly implemented in all the branches, ATMs and administrative offices were reviewed periodically keeping in view of the local law and order situation and necessary steps taken to fortify security thereby creating a safe business environment for customers and staff. The Bank continued to stress on preventive measures for security and fire safety arrangements and inculcation of fire prevention and security consciousness among staff to ensure safety to life and property. Bank has sensitized staff members regarding security awareness and ensured installation of security electronics viz., CCTV and Burglar Alarm functioning 24x7x365 days basis incorporating Passive Infra-Red (PIR) sensors and vibration sensors in all branches and deployment of outsourced Watchmen/ Armed Guards at vulnerable ATMs and branches on case to case basis respectively. The Security Department at Central Office is monitoring and regulating the operations of cash flow, duly aided by the team of Regional Security Officers Pan India.

Rajbhasha (Official Language Policy)

The Bank has taken all efforts to implement the Official Language Policy of Government of India during the year 2018-19. During the year 152 Staff members who do not possess working knowledge of Hindi were trained in IOB Praveen. 2,548 Staff members possessing working knowledge of Hindi were trained in General Hindi Workshops held during the year. As per the directives of Government of India, Bank has enabled Hindi Unicode font in all Regional Offices and has provided the facility of downloading of the same on IOB Online. Banking terminology has been provided on IOB Online for the benefit of staff members. Training has been given to 1,826 staff members for the use of Hindi in computers. Four issues of quarterly Hindi Magazine "VANI" in print as well as in digital form have been published. Lekhmala - 4 is also published.

Govt of India has awarded Second Prize for Hindi house magazine "VANI" for the year 2017-18 in C Region under Rajbhasha Keerti Puraskar. Regional Office Hyderabad received First Prize in southern region from Govt of India under Regional Rajbhasha award category for the year 2017-18. 15 Regional Offices and one branch received awards from respective TOLICs. Regional Offices were inspected on Official Language implementation by Official Language Department, Central Office and Rajbhasha Shields were awarded to Regional Offices and branches doing good work in official language implementation.

Third Sub Committee of Parliamentary Committee on Official Language has conducted inspection of Joshi Math, Ooty and Ramnathpuram branches on 5th May 2018, 18th June 2018 and 18th Jan 2019 respectively. Drafting and evidence committee of Parliamentary Committee on Official Language conducted inspection of Gurugram, Mathura and Palwal branches on 16th July 2018, 27th January 2019 and 14th February 2019 respectively. Both Committees expressed satisfaction over the implementation of Official Language in these centers.

Bank has conducted Hindi competitions in all Regional Offices and Central Office on the occasion of Hindi Day Celebrations. An All India Hindi Essay Writing competition was held on 10th September 2018. Bank has also conducted inter-bank All-India Essay Writing competition. Regional Offices have conducted various Hindi Competitions for school children on the occasion of Hindi Day Celebrations. On 10th January 2019 World Hindi Day was observed in Central Office and Regional Offices and two overseas branches, Various Hindi competitions, seminars and workshops were held in Regional Offices. Various Hindi competitions for school children were conducted by Regional Offices on the occasion of Bank's Foundation Day celebration.

Status of Implementation of IndAS in our Bank

Bank has commenced the process of Ind AS (Indian Accounting Standards) implementation from FY 2016-17. RBI vide their notification RBI/2018-2019/146 DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated 22nd March 2019 has deferred the implementation of Ind AS till further notice.

In line with the guidance issued by the Reserve Bank of India in February 2016, the Bank has set up a Steering Committee headed by the Executive Director along with a Working Group consisting of four (4) General Managers which monitors the progress of IndAS implementation. Bank has also formed a Core team of ten (10) members and ECL (Expected Credit Loss) team of seven (7) members drawn from various functional departments for taking forward the implementation of Ind AS. In line

जो आई एन डी एस के कार्यान्वयन को अग्रेषित करेगा । भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के क्रम में 31 दिसम्बर 2018 तक वित्तीय विवरणी प्रोफोर्मा को दर्ज किया जाना है। आगे, आईएनडी एएस के क्रियान्वयन के विकास पर स्थिति सूचना परीक्षण समिति और बैंक के बोर्ड को भी पहले ही सौंपी जा चुकी है । बैंक ने पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयो और अंचल कार्यालयो से संलग्न अधिकारीयों का प्रशिक्षण चलाया गया है । विभिन्न क्षेत्रीय और अंचल कार्यालयो से संलग्न कार्यपालको के लिए भी आईएनडी एएस जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया था ।

बैंक ने प्रचलित प्रक्रिया में आईएनडी एएस के जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतर की पहचान की है जिसमें स्टाफ अग्रिम, स्टाफ जमा, प्रभावी ब्याज दर का उचित गणना (ईआईआर) के उचित आँकलन आदि को विक्रेता (फिनेकल) को बताया गया है।बैंक ने विभिन्न विभागों जैसे कि निधि कोष, साख अनुलंब, जोखिम प्रबंधन विभाग आदि के वर्तमान अंतर को दूर कर के आईएनडी एएस के जरूरतों को पूरा करने के लिए अगला कदम उठाया है। भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन के लिए जो वांछित हार्ड्वेयर और सॉफ्टवेयर है उनके अधिग्रहण के लिए समग्र समाधान हेतु बैंक के प्रयास प्रक्रियाधीन है।

वस्तु एवं सेवा कर का कार्यान्वियन

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक व्यापक कर सुधार है जो कि पहले कि सेवा कर/ प्रवेश शुल्क/ ऑक्ट्रॉय और निश्चित अन्य अप्रत्यक्ष करों को बदला है जो कि 01.07.2017 से प्रभाव में आया है ।जीएसटी एक विस्तृत बहुस्तरिय उदेश्यमूलक कर है क्यूंकि यह उपभोग की बिन्दु से समाहरित किया जाता है जहाँ कर का निर्धारण आपूर्ति केके संस्थान के स्थान पर आधारित होता है। जीएसटी की विभिन्न दर संरचना है : 5%, 12%/ 18% और 28% । स्वर्ण के बिक्री/ निलामी पर जिएसटी 3% निर्धारित है। बैंकिंग और वित्तीय सेवा पर जीएसटी 18% पर है।

बैंक के जरूरतों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकीविभाग द्वारा सभी वांछित प्रणालीगत परिशोधनों को इन ज्ञ्ब्ञ्ब्ध ही विकसीत किया गया है। बैंक ने केन्द्रीकृत सेवाकर पंजीकरण से उन 34 राज्यों के लिए राज्यवर जीएसटी पंजीकरणों को माइग्रेट किया है जहाँ उसकी शाखाएं है। पात्र इनपुट कर जमा (आईटीसी) को प्राप्त करने के लिए प्रदत जीएसटी के विवरणों को अधिलिप्त करते हुए विक्रेताओं को भुगतान करने हेतु प्रणालीयों को पहले से तैयार रखा गया है।

मासिक जीएसटी विवरण भरना, जीएसटी का भुगतान से संबंधित कार्य को केन्द्रीयकृत कर दिया गया है और यह कर अनुपालन और भुगतान कक्ष , के.का के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है।

बैंक ने जीएसटी के तहत अब तक सभी विवरण फाइल कर दिए हैं ।

पीएसबी- सुधार मुद्दा - ईएएसई- परिवर्धित पहुँच और सेवा श्रेष्ठता

सरकार द्वारा अनुमोदित अक्टूबर- 2017 में पीएसबी के पूनर्पूजीकरण योजना के आगे- पीएसबी सुधार मुद्दा - ''परिवर्धित पहुँच और सेवा श्रेष्ठता (ईएएसई)'' को एमओएफ, भारत सरकार के द्वारा विकसित किया गया है जो कि पीएसबी मंथन में नवंबर- 2017 के पूर्णकालिक निदेशक और वरिष्ठ कार्यपालको के अनुशंसा पर आधारित है ।

पीएसबी के लिए सुधार मुद्दा

सुधार मुद्दा अनुशिर्षित संवेदनशील और जिम्मेदार पीएसबी- नये भारत के लिए बैंकिंग सुधार दिशानिर्देश'' लक्ष्य ''परिवर्धित पहुँच और सेवा श्रेष्ठता (ईएएसई)'' और आगे इसे 6 विषयों में निम्नानुसार बाँटा गया है :

(1) **ग्राहक संवेदनशीलता -** ईज़, ग्राहक सुविधा के लिए

(2) **जिम्मेदार बैंकिंग -** वित्तीय स्थिरता, संचालन परिणाम सुनिश्चित करने के लिए और ईस, स्वच्छ और वाणिज्यिक बुद्धिमतापूर्ण व्यापार के लिए।

(3) **क्रेडिट ऑफ टेक -** ईस, ग्राहकों के लिए और अग्रसक्रिय साख की वितरण के लिए।

(4) **उद्यमि मित्र, एमएसएमई के लिए -** ईस, एमएसएमई के लिए वित्तियन और छूट ।

(5) **वित्तीयन समावेशन और अंकियन को गहरा करना-** ईस के द्वारा आवास के समिप बैंकिंग, सुक्ष्म- बिमा और अंकियन ।

(6) **परिणाम सुनिश्चित करना-** संचालन / मा. सं - वैयक्तिक विकास **ब्रांड पीएसबी** के लिए ।

कार्य के छः विषय को आगे 30 बिंदुओ मे बाँटा गया है (एपीएस)। इसके अनुसार कार्रवाई बिंदुओं को लागू करने के लिए विशिष्ट समय सीमा का निर्धारण किया गया है और निरंतर समीक्षा की जाती है।

ईज़ का कार्यान्वियन - उपलब्धियाँ

28 फरवरी 2019 को दिल्ली में आइबीए द्वारा आयोजित एक कार्याक्रम के दौरान भारत सरकार ने इज़ रीफोर्म्स इंडेक्स और इज़ बैंकिंग रिफार्म अवार्डस निर्मोचित किए है।

बैंक ने 8 विजेता प्रवर्गों में से विजेता के रूप में दो अवार्ड प्राप्त किये है ।

- सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में **''सुधार उत्कृष्टता''** (रिफार्म एक्सीलेंस) के लिए विजेता
- **''वित्तीय समावेशन और डिजिटलाइजेशन को गहन करना''** विषयक थीम के लिए विजेता दिसम्बर 2018 तक सभी 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच बैंक 66.7 स्कोर के साथ 7 वें स्थान पर रहा। कार्यक्रम के प्रस्तुति के दौरान **''सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों में उत्तम समव्यवहार के उदाहरण''** के अंतर्गत बैंक के नाम का विशेष रूप से उल्लेख किया गया ।

प्रायोजना और आर्थिक विभाग

प्रायोजना लगातार क्षेत्रवार मासिक लाभ और हानि गतिविधि, संगठित स्तर को निधि, प्रतिदिन अस्थायी एमआईएस को को उच्च प्रबंधन और विभिन्न समीक्षकों को सूचना देना, की निगरानी लाभदायक परिणाम प्राप्त करने के लिए कर रही है । आर्थिक डेस्क सरकार / आरबीआई योजनाओ को नियमित अंतराल पर विश्लेषित करने के अलावे उच्च प्रबंधन को दिन - प्रतिदिन होने वाले विकास में सहायता करता है ।

संसदीय समिति

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित संसदीय समितियों की मेजबानी की।

1) 21 से 22 जनवरी 2019 तक तिरूवतपूरम में लोकसभा की ग्रामीण विकास विषयक संसदीय स्थायी समिति का अध्ययन दौरा

2) 24 से 25 अक्टूबर 2018 तक ऊटी में लोकसभा की ग्रामीण विकास विषयक संसदीय स्थायी समिति का अध्ययन दौरा

3) 5 से 6 सितम्बर 2018 तक चेन्नई में राज्यसभा की सरकारी आश्वासन विषयक संसदीय समिति का अध्ययन दौरा

4) 29 अक्टूबर 2018 को चेन्नई में राज्यसभा की अधिनस्थ विधान समिति का अध्ययन दौरा

आऊटलूक 2019-20

वर्ष 2019-20 के लिए अर्थव्यवस्था के लिए विकास प्रक्षेपण निम्नतर है। इस अवनति के लिए जो मुख्य कारण है, वे है 2019 हेतू सामान्य से कम वर्षा की संभावना, कृषि में संकट का निरंतर बने रहना और औद्योगिक आउटलुकमें गति का कम हो जाना विशेषरूप से उत्पादन और बिजली के क्षेत्र में । इसके अलावा- दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण को संदर्भित मामलों में धीरे-धीरे हो रही प्रगति भी चिंता का एक विषय बनी हुई है। फिर भी अर्थव्यवस्था के उर्धमुखी होने की संभावना है जिससे तेल के दाम कम होने तथा मुद्रास्फिति का दबाव ढीला पड़ने से वित्तीय जकड के मद्धम पड़ने की अपेक्षा है। सार्वजनिक कर्ज़ को घटाते हुए ढाँचागत एवंम वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के अन्वरत कार्यान्वियन की अभी आवश्यकता है ताकि अर्थव्यवस्था की वृद्धि संभावनाओं को पूरा किया जा सके।

with direction of Reserve Bank of India Bank has filed the Pro-forma financial statements up to 31st Dec 2018. Further, the status report on progress of implementation of Ind AS has already been placed to the Audit Committee and also to the Board of the Bank. The Bank has undertaken pan India training to officers attached to various Regional and Zonal Offices. Also Ind AS awareness program was undertaken to the Executives attached to the various Regional and Zonal Offices of the Bank.

Bank has identified the gaps in existing system for meeting Ind AS requirement which includes fair valuation of staff advances, staff deposits, computation of Effective Interest Rate (EIR) etc. Bank has initiated next steps towards streamlining the workflow of various departments viz., Treasury, Credit verticals, Risk Management Dept etc by bridging the gaps for meeting IndAS requirements. Bank is in the process of going for a holistic solution involving acquisition of software and required hardware for implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS)"

Goods and Service Tax

Goods and Service Tax (GST) is a comprehensive Indirect Tax reform that has replaced the erstwhile Service Tax/Entry tax/Octroi and certain other Indirect Taxes and has come into effect from 1st July 2017. GST is a comprehensive multistage, destination based tax as it is collected from point of consumption wherein the tax is determined based on the place of supply. GST has different rate structures broadly 5%; 12%; 18% and 28%. GST on sale/auction of Gold is fixed at 3%. GST on Banking and Financial Services is 18%.

All requisite system modifications have been developed in-house by Information Technology Department (ITD) to suit the needs of the Bank. The Bank has migrated from Centralized Service Tax Registration to State-wise GST Registrations for 34 States where Bank has its Branches. Systems are in place for making payments to vendors and capturing the details of GST paid in order to claim the eligible Input Tax Credit (ITC).

Work related to filing of monthly GST Returns, payment of GST has been centralized and is being made by Tax Compliance and Payment Cell at Central office. Bank has duly filed all the Returns under GST up to date.

PSBs- Reforms Agenda – EASE – Enhanced Access & Service Excellence

Further to the recapitalization plan of PSBs approved by the Government in October-2017, PSB Reforms Agenda- "Enhanced Access & Service Excellence (EASE)" has been framed by Ministry of Finance, Government of India based on the recommendations made by the PSB Whole Time Directors and senior executives in PSB Manthan in November-2017.

Reforms Agenda for PSBs

The Reforms Agenda titled "Responsive and Responsible PSBs-Banking Reforms Roadmap for a New India" aims at "Enhanced Access and Service Excellence (EASE)" and has been further subdivided in to 6 themes as given below:

(1) **Customer Responsiveness-** EASE for customer comfort

(2) **Responsible Banking-** Financial Stability, governance for ensuring outcomes and EASE for clean and commercially prudent business.

(3) **Credit off-take-** EASE for the borrower and proactive delivery of credit.

(4) **UdayamiMitra for MSMEs-** EASE of financing and bill discounting for MSMEs.

(5) **Deepening Financial Inclusion & Digitalization-** EASE through near-home banking, micro-insurance and digitalization.

(6) **Ensuring Outcomes – Governance / HR-** Developing personnel for Brand PSB.

The six themes of action have been divided in to 30 Action Points (APs). Accordingly, specific timelines have been fixed for implementation of Action Points and is being reviewed periodically.

Implementation of EASE – Achievements:

Govt. of India released the EASE Reforms Index and EASE Banking Reforms awards at an event organized by IBA at Delhi on 28th February 2019.

Bank has bagged **2 awards as winner out of 8 winner categories.**

- Winner for **"Reforms Excellence"** among all Public Sector Banks.
- Winner for theme **"Deepening Financial Inclusion and Digitalization"** Bank ranked at 7th place with 66.7 score as on December 2018 among all 21 PSBs. **Grievance Redressal System (SPGRS)** of the Bank got a special mention in **"Examples of Best Practice among PSBs"** at the Event's presentation.

Planning & Economic Desk

The Planning function continues to derive useful results towards monitoring region wise monthly Profit & Loss movement, Corporate level Budgeting, reporting provisional daily MIS to top Management & various study analysis. The economic desk supports top management with day-to-day developments apart from analyzing the Government/ RBI policies at regular intervals.

Parliamentary Committee

The Bank hosted the visit of following Parliamentary Committees during the FY 2018-19.

a) Study Visit of Parliament Standing Committee on Rural Development, Lok Sabha to Thiruananthpuram from 21st to 22nd January 2019

b) Study Visit of Parliament Standing Committee on Rural Development, Lok Sabha to Ooty from 24th to 25th October 2018.

c) Study Visit of Parliamentary Committee on Government Assurances, Rajya Sabha to Chennai from 5th to 6th September 2018.

d) Study Visit on Subordinate Legislation, Rajya Sabha to Chennai on 29th October 2018.

Outlook 2019-20

The growth projections for the economy are lower for the year 2019-20. The key reasons for the downward revision is due to probability of lower than normal monsoon for 2019, continued agrarian distress & loss of momentum in the industrial output growth especially under manufacturing and electricity. Besides, the slow progress on cases referred to the National Company Law Tribunal under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, is also a cause of concern. However, the economy is poised to pick up, benefitting from lower oil prices and a slower pace of monetary tightening as inflation pressures ease. Continued implementation of structural and financial sector reforms with efforts to reduce public debt remain essential to secure the economy's growth prospects.

वर्ष 2018-19 हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

ए अनिवार्य आवशयकताएं

1. गवर्नेन्स कोड पर बैंक का दर्शन

बैंक अपने दैनिक क्रियाकलापों का संचालन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों के अनुपालन में करता है। बैंक हमेशा ही पारदर्शिता के पक्ष में रहा है तथा प्राधिकारों के विविध स्तरों पर कार्यनिष्पादन हेतु उच्च मानक,निष्पक्षता व ज़वाबदेही तय की है। बैंक सदैव अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार, कर्मचारीगण, ऋणदाताओं तथा व्यापक तौर पर समाज के हितों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा।देश की वित्तीय और आर्थिक प्रणाली में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में, बैंक अपने नैतिक मूल्यों, उद्देश्यों, रणनीतियों और नियंत्रण पर्यावरण को निर्धारित करने में प्रभावी कॉर्पोरेट शासन के महत्वपूर्ण पहलुओं को महत्व देता है।

2. निदेशक मंडल :

ए. संरचना

बैंक के कारोबार का कार्यभार निदेशक मंडल पर है। प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा दो कार्यपालक निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण,निर्देशन और नियंत्रण में काम करते हैं। निदेशक मंडल में 31.03.2019 तक 09 निदेशक हैं, जिनमें तीन पूर्ण कालिक निदेशक हैं व छह गैर कार्यपालक निदेशक हैं जिसमें एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष तथा दो निदेशक शेयर धारकों द्वारा उनके हितों के विधिवत प्रतिनिधित्व द्वारा चुने गए हैं। गैर कार्यपालक अध्यक्ष बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

बी. i वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान कार्यरत निदेशकों के विवरण

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/ श्रीमती)	पदनाम	निदेशकता का स्वरूप	नियुक्ति की तारीख	वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति/ कार्यकाल की समाप्ति
01	टी सी ए रंगनाथन	अध्यक्ष	गैर कार्यपालक/ अंशकालिक गैर आधिकारिक	16.02.2017	
02	श्री आर. सुब्रमण्यकुमार	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कार्यपालक/ पूर्णकालिक	29.09.2016	
03	के स्वामिनाथन	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक/ पूर्णकालिक	17.02.2017	
04	अजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक/ पूर्णकालिक	09.10.2017	
05	ऐनी जार्ज मैथ्यू	सरकारी नामिती निदेशक	आधिकारिक- गैर कार्यपालक	22.07.2016	
06	निर्मल चंद	भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक	आधिकारिक- गैर कार्यपालक	13.03.2014	
07	के रघु	सनदी लेखाकार निदेशक	गैर कार्यपालक	26.07.2016	
08	विष्णुकुमार बंसल	अपर निदेशक	गैर कार्यपालक	08.08.2016	07.08.2018
09	संजय रुंगटा	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2017	
10	नवीन प्रकाश सिन्हा	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2017	
11	शिवरमन अनंत नारायण	निदेशक / अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	27.12.2017	15.11.2018*

* व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया ।

बैंक के निदेशकों की प्रोफाइल अनुबंध के रूप में संलग्न है।

यह घोषित किया जाता है कि कोई भी निदेशक एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं।

मंडल ने निदेशकों और सभी महाप्रबंधकों के लिए आचरण संहिता अपनाई है और प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी से इस आशय की घोषणा प्राप्त की गई है जिसमें संहिता अनुपालन की पुष्टि की गई है और यह इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

महाप्रबंधक सी.हरिदास, महा प्रबंधक 28.02.2019 तक बोर्ड के सचिव रहे। वर्तमान में श्री हरि बाबू, उप महा प्रबंधक बोर्ड के सचिव हैं।

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2018-19

A. Mandatory Requirements

1. Bank's Philosophy on Corporate Governance

The Bank is conducting its day to day affairs in accordance with the principles of Corporate Governance. The Bank has always stood for transparency, accountability and responsiveness within the framework of regulatory, market, stakeholders and internal governance. In the context of the pivotal role that banks play in the financial and economic system of the country, the Bank values the critical importance of effective corporate governance in determining its ethical values, objectives, strategies and control environment.

2. BOARD OF DIRECTORS:

a. Composition:

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The MD & CEO and two EDs function under the superintendence, direction and control of the Board. The strength as on 31.03.2019 is nine directors comprising three whole time Directors and six non-executive Directors, which includes one non-executive Chairman and two directors elected from amongst the shareholders to duly represent their interest. The Non-Executive Chairman presides over the meetings of the Board.

b. i Particulars of Directors who held office during the financial year 2018-2019:

Sl. No.	Name of the Director (Shri/Smt)	Designation	Nature of Directorship	Date of Appointments	Retirement/ demission of office during the year
1	T C A Ranganathan	Chairman	Non-Executive/ Part Time Non Official	16.02.2017	
2	R. Subramaniakumar	Managing Director & Chief Executive Officer	Executive / Whole Time	29.09.2016	
3	K Swaminathan	Executive Director	Executive / Whole Time	17.02.2017	
4	Ajay Kumar Srivastava	Executive Director	Executive / Whole Time	09.10.2017	
5	Annie George Mathew	Government Nominee Director	Official – Non Executive	22.07.2016	
6	Nirmal Chand	RBI Nominee Director	Official -Non Executive	13.03.2014	
7	K Raghu	Chartered Accountant Director	Non-Executive	26.07.2016	
8	Vishnukumar Bansal	Additional Director	Non-Executive	08.08.2016	07.08.2018
9	Sanjay Rungta	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2017	
10	Navin Prakash Sinha	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2017	
11	Sivaraman Anant Narayan	Director /Part-time Non – Official	Non Executive	27.12.2017	15.11.2018 *

*Resigned due to personal reasons.

Profile of Directors of the Bank is enclosed as an Annexure.

It is declared that none of the directors are related to each other.

The Board has adopted a Code of Conduct for Directors and all the General Managers and a declaration has been obtained from the MD & CEO confirming their compliance with the Code of Conduct and is attached to this report.

Shri Haridas C, General Manager, was the Secretary to the Board till 28.02.2019. Shri Hari Babu, Deputy General Manager, is the present Secretary of the Board.

बी ii निदेशक मंडल के कौशल / विशेषज्ञता / योग्यता का विवरण

कोर व्यवसाय / विशेषज्ञता / दक्षताओं को बैंक व्यवसाय और क्षेत्रों के संदर्भ में आवश्यक रूप से पहचाना जाता है ताकि वे प्रभावी रूप से कार्य कर सकें	बोर्ड के पास उपलब्ध मुख्य कौशल / विशेषज्ञता / योग्यताएं	निदेशकों के नाम जिनके पास कोर कौशल / विशेषज्ञता /सक्षमता है
बैंकिंग	हाँ	श्री टी सी ए रंगनाथन श्री आर. सुब्रमण्यकुमार श्री के स्वामिनाथन श्री अजय कुमार श्रीवास्तव श्री निर्मल चंद श्री के रघु श्री संजय रुंगटा
वित्त	हाँ	श्री टी सी ए रंगनाथन श्री आर. सुब्रमण्यकुमार श्री के स्वामिनाथन श्री अजय कुमार श्रीवास्तव सुश्री ऐनी जार्ज मैथ्यू श्री निर्मल चंद श्री के रघु श्री संजय रुंगटा
अर्थशास्त्र	हाँ	श्री टी सी ए रंगनाथन
मानव संसाधन प्रबंधन	हाँ	श्री टी सी ए रंगनाथन श्री आर. सुब्रमण्यकुमार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव श्री नवीन प्रकाश सिन्हा
सूचान प्रौद्योगिकी	हाँ	आर. सुब्रमण्यकुमार श्री के रघु
कोषागार प्रबंधन	हाँ	श्री टी सी ए रंगनाथन
विपणन	हाँ	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव श्री नवीन प्रकाश सिन्हा
जोखिम प्रबंधन	नहीं	

सी. बोर्ड की बैठकें

बैठक की तारीख व स्थान और कार्यसूची सभी निदेशकों को समय रहते सूचित की जाती है। निदेशकों को एजेंडा के सभी अतिरिक्त सूचनाओं की जानकारी दी जाती है। आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करने हेतु बैंक के कार्यपालकों को भी बोर्ड बैठकों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है ।समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने बोर्ड व समिति की बैठकों निदेशक मंडल की तिमाही में कम-से-कम एक बैठक के साथ, वर्ष में न्यूनतम छः बार आयोजित किए जाने की तुलना में, 13 बैठकें हुई ।

बैंक ने 2012-13 में बोर्ड पोर्टल, एक वेब आधारित ऑनलाइन वर्कस्पेस, के जरिए बोर्ड के सदस्यों को सूचनाओं का समय पर और निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड व समिति की बैठकों के आयोजन के लिए ई गवर्नेंस पहल शुरू की। इस पोर्टल के द्वारा निदेशकों को आई पैड पर ऐजेंडा पेपर की गोपनीय पहुँच प्रदान करता है।इस पहल ने बैठक के आयोजन के तरीके को परिवर्तित किया है जिसके द्वारा कीमत, समय और संसाधनों में सारभूत बचत हुये हैं।

- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निम्न तिथियों व स्थानों पर बोर्ड की 13 बैठकें आयोजित की गयीः

क्रम संख्या	बैठक की तिथि	स्थान
01	16.04.2018	चेन्नै
02	29.05.2018	चेन्नै
03	25.06.2018	चेन्नै
04	09.07.2018 से 10.07.2018	चेन्नै
05	27.07.2018	चेन्नै
06	28.08.2018	चेन्नै
07	27.09.2018	चेन्नै
08	26.10.2018	चेन्नै
09	27.11.2018	चेन्नै
10	04.01.2019	चेन्नै
11	25.01.2019	चेन्नै
12	26.02.2019	चेन्नै
13	28.03.2019	चेन्नै

b. ii Particulars of Skills/ Expertise/ Competence of Board of Directors

Core Skill/ Expertise/ Competencies identified as required in the context of the Bank business and sectors for it to function effectively	Core Skill/ Expertise /Competencies available with the Board	Name of Directors who have such Core Skill/ Expertise/ Competencies
Banking	Yes	Shri TCA Ranganathan Shri R Subramaniakumar Shri K Swaminathan Shri Ajay Kumar Srivastava Shri Nirmal Chand Shri K Raghu Shri Sanjay Rungta
Finance	Yes	Shri TCA Ranganathan Shri K Swaminathan Shri Ajay Kumar Srivastava Smt. Annie George Mathew Shri K Raghu Shri Sanjay Rungta
Economics	Yes	Shri TCA Ranganathan
Human Resource Management	Yes	Shri TCA Ranganathan Shri R Subramaniakumar Shri Ajay Kumar Srivastava Shri Navin Prakash Sinha
Information Technology	Yes	Shri R Subramaniakumar Shri K Raghu
Treasury Management	Yes	Shri TCA Ranganathan
Marketing	Yes	Shri Ajay Kumar Srivastava Shri Navin Prakash Sinha
Insolvency Professional	Yes	Shri Sanjay Rungta
Risk Management	No	

c. Meetings of the Board:

The date and place of the meeting as well as the agenda papers are advised to all Directors well in advance. The Directors have access to all additional information on the agenda. Executives of the Bank are also invited to attend the Board meetings to provide necessary clarifications. During the year under review, the meetings of the Board were held 13 times as against the requirement of holding meetings at least once a quarter with a minimum of six times a year.

During the year 2012-13, the Bank has promoted an e-governance initiative for e-conduct of Board and Committee meetings by ensuring timely and seamless flow of information to Board members through the use of a Board Portal, a web based online workspace. The portal offers Directors confidential e-access on iPads, on a real-time basis, to agenda papers. This initiative has transformed the way meetings are conducted while resulting in substantial savings in cost, time and resources.

- During the financial year 2018-19, the Board meetings were held 13 times on the following dates and places:

Sl. No.	DATE OF MEETING	PLACE HELD
01	16.04.2018	Chennai
02	29.05.2018	Chennai
03	25.06.2018	Chennai
04	09.07.2018 to 10.07.2018	Chennai
05	27.07.2018	Chennai
06	28.08.2018	Chennai
07	27.09.2018	Chennai
08	26.10.2018	Chennai
09	27.11.2018	Chennai
10	04.01.2019	Chennai
11	25.01.2019	Chennai
12	26.02.2019	Chennai
13	28.03.2019	Chennai

- सभी बैठकें समुचित कोरम व बिना किसी स्थगन के आयोजित की गयी।
- बोर्ड बैठकों और दिनांक 11.07.2018 को आयोजित पिछली ए.जी.एम. में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दी गयी है :

क्रम सं.	श्री/सुश्री निदेशक का नाम	उपस्थित/ आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	11.07.2018 को संपन्न ए.जी.एम. में उपस्थिति
01	टी सी ए रंगनाथन	13/13*	उपस्थित
02	श्री आर. सुब्रमण्यकुमार	13/13	उपस्थित
03	के स्वामिनाथन	13/13	उपस्थित
04	अजय कुमार श्रीवास्तव	13/13	उपस्थित
05	ऐनी जार्ज मैथ्यू	05/13	अनुपस्थित
06	निर्मल चंद	10/13	अनुपस्थित
07	के रघु	13/13#	उपस्थित
08	विष्णुकुमार बंसल	04/05**	अनुपस्थित
09	संजय रुंगटा	12/13@	उपस्थित
10	नवीन प्रकाश सिन्हा	6/13***	अनुपस्थित
11	शिवरमन अनंत नारायण	06/08	अनुपस्थित

* श्री टी सी ए रंगनाथन ने 28.08.2018, 27.09.2018, 26.10.2018 व 27.11.2018 को संपन्न बैठकों मे वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के ज़रिए भाग लिया।

श्री के रघु ने 25.06.2018, 28.08.2018 व 26.10.2018 को को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

** श्री विष्णुकुमार बंसल ने 16.04.2018 तथा 25.06.2018 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

@ श्री संजय रुंगटा ने 25.06.2018, 27.09.2018 व 26.10.2018 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

*** श्री नवीन प्रकाश सिन्हा ने 28.08.2018 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

31.03.2019 तक सेबी (एल.ओ.डी.आर) विनियम 2015 के विनियम 34 के संबंध में गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयरों के ब्योरे निम्नवत हैंः

1. श्री संजय रुंगटा - 600 शेयर
2. श्री नवीन प्रकाश सिन्हा -100 शेयर

किसी भी अन्य गैर ऱ्कार्यपालक निदेशक आईओबी के शेयर के धारक नहीं है।

डी. अन्य मण्डल या मण्डल समितियों की संख्या जिनमें निदेशक सदस्य / अध्यक्ष हैं

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों की संख्या (निजी कंपनियों और आइओबी को छोड़ कर) जिनमें वे सदस्य / बोर्ड के अध्यक्ष हैं (वैकल्पिक / नामित निदेशक को छोड़कर)	समितियों की संख्या जिसमें सदस्य हैं (आइओबी को छोड़कर)
श्री टी सी ए रंगनाथन	3	3

ई. समितियों में सदस्यताः

मंडल के निदेशकों में से कोई भी 10 समितियों से अधिक में सदस्य नहीं हैं या सभी सूचीबद्ध इकाइयों, जिनमें वे निदेशक हैं, की पाँच समितियों से अधिक में अध्यक्ष के रूप में पदस्थ नहीं हैं। (सेबी (सूचीबद्ध बाध्यता व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 26 के संबंध में सीमा की गणना के लिए, लेखापरीक्षा समिति व स्टेकधारक संबंध समिति की अध्यक्षता/ सदस्यता पर ही विचार किया गया है।)

3. बोर्ड की समितियाँः

निर्णय प्रक्रिया को सहज़ बनाने के लिए बोर्ड ने निम्नलिखित समितियां गठित की हैं और उन्हें विशेष अधिकार भी दिए हैं। हर बैठक के कार्यवृत्त समिति की अगली बैठक के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं तथा अनुमोदन किए गये कार्यवृत्त को निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ मंडल बैठक में प्रस्तुत किया जाता है।

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति
2. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति
3. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
4. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
5. बड़े मूल्य की धोखाधड़ी के प्रबोधन हेतु समिति
6. ग्राहक सेवा समिति
7. अनुशासनिक मामलों की समीक्षा हेतु समिति
8. पारिश्रमिक समिति
9. नामांकन समिति
10. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति
11. मानव संसाधन विषयक बोर्ड स्तरीय संचालन समिति
12. एन.पी.ए. में वसूली के प्रबोधन हेतु बोर्ड स्तरीय समिति
13. ईक्विटी शेयर पूँजी को जारी करने हेतु निदेशकों की समिति
14. इरादतन चूककर्ता से संबंधित शिकायत निवारण समिति
15. हितधारक संबंध समिति

- All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.
- Attendance of the directors at the Board meetings and last AGM held on 11.07.2018 are furnished below:

Sl. No.	Name of Director	Number of Board Meetings attended/ held	Attendance in the Last AGM 11.07.2018
01	Shri T C A Ranganathan	13/13*	Attended
02	Shri R. Subramaniakumar	13/13	Attended
03	Shri K Swaminathan	13/13	Attended
04	Shri Ajay Kumar Srivastava	13/13	Attended
05	Smt Annie George Mathew	05/13	Not attended
06	Shri Nirmal Chand	10/13	Not attended
07	Shri K Raghu	13/13#	Attended
08	Shri Vishnukumar Bansal	04/05**	Not attended
09	Shri Sanjay Rungta	12/13@	Attended
10	Shri Navin Prakash Sinha	6/13***	Not attended
11	Shri Sivaraman Anant Narayan	06/08	Not attended

*Shri T C A Ranganathan attended the meeting through videoconferencing on 28.08.2018, 27.09.2018, 26.10.2018 & 27.11.2018.

#Shri K Raghu attended the meeting through videoconferencing on 25.06.2018, 28.08.2018 & 26.10.2018.

**Shri Vishnukumar Bansal attended the meeting through videoconferencing on 16.04.2018 & 25.06.2018

@Shri Sanjay Rungta attended the meeting through videoconferencing on 25.06.2018, 27.09.2018 & 26.10.2018

***Shri Navin Prakash Sinha attended the meeting through videoconferencing on 28.08.2018.

Details of Shares held by Non-Executive Directors in terms of Regulation 34 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 as on 31.03.2019

1. Shri Sanjay Rungta – 600 shares
2. Shri Navin Prakash Sinha – 100 shares

No other Non-Executive Directors hold any IOB shares.

d. Number of other Boards or Board Committees in which the Director is a member/ Chairperson:

Name of Director	Number of other companies (excluding private companies and IOB) in which he / she is a member/ Chairperson of the Board (excluding alternate / nominee director)	Number of Committees (other than IOB) in which a member
Shri T C A Ranganathan	3	3

e. Membership in Committees:

None of the Directors on the Board is a member in more than 10 committees or acts as a Chairman of more than five committees across all listed entities in which s/he is a director. (For the purpose of reckoning the limit in terms of clause 26 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the chairmanship/ membership of the Audit Committee and the Stakeholders' Relationship Committee alone have been considered).

3. COMMITTEES OF THE BOARD:

In order to facilitate the decision-making process, Board has constituted the following committees and delegated specific powers to them. The minutes of each meeting are subsequently placed before the next meeting of the committee for confirmation. The minutes are also placed before the Board Meeting for information.

1. Management Committee of the Board
2. Credit Approval Committee of the Board
3. Audit Committee of the Board
4 Risk Management Committee of the Board
5. Committee for Monitoring Large Value Frauds
6. Customer Service Committee of the Board
7. Committee for Review of Disciplinary Cases & Departmental Enquiries
8. Remuneration Committee
9. Nomination Committee
10. Information Technology Strategy Committee
11. Steering Committee on Human Resources
12. Board Level Committee to Monitor Recovery in NPA
13. Committee of Directors for Issue of Equity Share Capital
14. Review Committee on Wilful Defaulters
15. Stakeholders Relationship Committee

3.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति

एम सी बी का गठन राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों क्रे अनुसार हुआ है । एमसीबी के कार्यकलाप व कर्तव्य निम्न रूप से वर्णित हैं :-

क. बोर्ड द्वारा निर्धारित की गयी सीमा के अनुसार ऋण प्रस्तावों (निधि और गैर निधि) की मंजूरी

ख. ऋण एवं ब्याज समझौता/अपलिखित किये जाने वाले प्रस्तावों- बोड द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार

ग. पूँजी व राजस्व खर्चों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव

घ. अधिग्रहण और परिसर के चुनाव के मानदंडों से विचलन सहितअधिग्रहण और परिसर के चुनाव से संबंधित प्रस्ताव,

ङ. वाद, अपील की फाइलिंग , उनका बचाव , इत्यादि

च. सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, अंडरराइटिंग सहित कंपनियों के शेयर और डिबेंचरों में निवेश

छ. दान

ज. बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को संदर्भित अन्य कोई मामला

मद संख्या (क) से (छ) एमडी और सीईओ / क्रेडिट अनुमोदन समिति की विवेकाधीन शक्तियों से परे प्रस्तावों के संबंध में लागू हो सकते हैं।

बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष हैं। यह समिति वर्ष में 11 बार मिली । सभी बैठकें उचित कोरम के साथ बिना किसी स्थगन के आयोजित की गयी।

दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित हैः

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
			से	तक	
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	समिति के अध्यक्ष	29.09.2016		11/11
2	श्री के स्वामिनाथन	सदस्य	17.02.2017		11/11
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	सदस्य	09.10.2017		10/11
4	श्री निर्मल चंद	सदस्य	13.03.2014		11/11
5	श्री संजय रुंगटा	सदस्य	08.12.2017	07.06.2018	11/11*
			25.06.2018	24.12.2018	
			04.01.2019	03.07.2019	
6	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	सदस्य	08.12.2017	07.06.2018	01/02
7	श्री शिवरमन अनंत नारायण	सदस्य	25.06.2018	15.11.2018	03/04

* श्री संजय रुंगटा ने 25.06.2018, 21.07.2018 व 15.10.2018 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

3.2 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति

ऋण अनुमोदन समिति का गठन 25.02.2012 को निदेशक मंडल द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन व विविध प्रावधानों) योजना 1970 में दिनांक- 05.12.2011 के अधिसूचना सं. एस.0.2736(ई) द्वारा हुए संशोधनों के अनुरूप हुआ है। समिति को क्रेडिट प्रस्तावों को मंजूरी देने और ऋण समझौता / अपलिखित करने के लिए विशिष्ट वित्तीय शक्तियों प्राप्त है।

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी। 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान समिति 15 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या

क्रम. संख्या	निदेश/सदस्य का नाम	पद	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
			से	तक	
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	समिति के अध्यक्ष	29.09.2016		15/15
2	श्री के स्वामीनाथन	सदस्य	17.02.2017		15/15
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	सदस्य	09.10.2017		13/15
4	महा प्रबंधक , लार्ज कॉर्पोरेट विभाग व मिड कॉर्पोरेट विभाग	सदस्य	25.02.2012		15/15
5	महा प्रबंधक , एमएसएमई विभाग	सदस्य	25.02.2012		07/07
6	महा प्रबंधक , तुलन पत्र प्रबंधन विभाग (सीएफओ)	सदस्य	25.02.2012		15/15
7	महा प्रबंधक जोखिम प्रबंधन विभाग	सदस्य	25.02.2012		15/15
8	महा प्रबंधक , ऋण निगरानी	सदस्य			11/11
9	महा प्रबंधक एआर आइडी	सदस्य			06/07
10	महा प्रबंधक अंतर्राष्ट्रीय	सदस्य			15/15
11	महा प्रबंधक डीबीडी	सदस्य			07/07
12	उप महा प्रबंधक खुदरा बैंकिंग	सदस्य			08/09

3.1 MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD

MCB is constituted as per the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The functions and duties of the MCB are as under:

a. Sanctioning of credit proposals (funded and non funded) as per quantum fixed by the Board

b. Loan and Interest Compromise / Write off proposals – as per quantum fixed by the Board.

c. Proposals for approval of capital and revenue expenditure

d. Proposals relating to acquisition and hiring of premises, including deviation from norms for acquisition and hiring of premises.

e. Filing of suits / appeals, defending them etc.

f. Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies, including underwriting.

g. Donations

h. Any other matter referred to the Management Committee by the Board.

Items (a) to (g) will be in respect of proposals beyond the discretionary powers of MD & CEO/ powers of Credit Approval Committee, as may be applicable.

The Chairman of the Committee is the MD & CEO of the Bank. The Committee met 11 times during the year. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The Members who held office during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019 and the details of number of meetings attended during their tenure by each Committee member are as under:

Sl. No.	Name of Director	Position	Tenure of membership		Number of Meetings Attended / Held
			From	To	
1	Shri R Subramaniakumar	Chairman of the Committee	29.09.2016		11/11
2	Shri K Swaminathan	Member	17.02.2017		11/11
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	Member	09.10.2017		10/11
4	Shri Nirmal Chand	Member	13.03.2014		11/11
5	Shri Sanjay Rungta	Member	08.12.2017	07.06.2018	11/11*
			25.06.2018	24.12.2018	
			04.01.2019	03.07.2019	
6	Shri Navin Prakash Sinha	Member	08.12.2017	07.06.2018	01/02
7	Shri Sivaraman Anant Narayan	Member	25.06.2018	15.11.2018	03/04

*Shri Sanjay Rungta attended the meeting through video conferencing on 25.06.2018, 21.07.2018 & 15.10.2018.

3.2 CREDIT APPROVAL COMMITTEE OF THE BOARD

The Credit Approval Committee of the Board has been constituted on 25.02.2012 by the Board of Directors in terms of the amendment of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 vide Notification No. S.O.2736(E) dated December 5, 2011. The Committee is empowered with specific financial powers for sanctioning of credit proposals and for settlement for Loan compromise / write off.

The Chairman of the Committee is the MD & CEO of the Bank. The Committee met 15 times during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019. Number of Meetings attended by each Committee Member during the period:

Sl. No	Name of Director/Member	Position	Tenure of membership		Number of Meetings Attended / Held
			From	To	
1	Shri R Subramaniakumar	Chairman of the Committee	29.09.2016		15/15
2	Shri K Swaminathan	Member	17.02.2017		15/15
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	Member	09.10.2017		13/15
4	General Manager Large Corporate Dept & Mid Corporate Dept	Member	25.02.2012		15/15
5	General Manager MSME Dept	Member	25.02.2012		07/07
6	General Manager Balance Sheet Management Dept (CFO)	Member	25.02.2012		15/15
7	General Manager Risk Management Department	Member	25.02.2012		15/15
8	General Manager Credit Monitoring	Member			11/11
9	General Manager ARID	Member			06/07
10	General Manager International	Member			15/15
11	General Manager Digital Banking Dept	Member			07/07
12	Deputy General Manager Retail Banking	Member			08/09

3.3 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (ए.सी.बी) भारतीय रिज़र्व बैंक /भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा गठित की गयी है और वर्तमान में समिति में पांच सदस्य हैं- आंतरिक निरीक्षण व लेखापरीक्षा के प्रभारी कार्यपालक निदेशक, सरकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशक व एक गैर आधिकारिक व एक शेयरधारक निदेशक। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 24 सितंबर 2015 के पत्र के द्वारा यह सूचित किया है कि आंतरिक निरीक्षण व लेखापरीक्षा के प्रभारी कार्यपालक निदेशक एसीबी के सदस्य होंगे जबकि अन्य कार्यपालक निदेशक बैठक में आमंत्रिती होंगें।

भारत सरकार ने अपने दिनांक 10.06.2014 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि निदेशकों की नियुक्ति बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (जी) व (एच) के अंतर्गत की गयी है , जो निदेशक प्रबंधन समिति में शामिल हैं उन्हें लेखा परीक्षा समिति में शामिल नहीं किया जाएगा। बैंक द्वारा इसका पालन किया जा रहा है।

एसीबी के प्रतिनिधि कार्य और कर्तव्य निम्न रूप से वर्णित हैं:-

- बैंक में कुल लेखापरीक्षा कार्य के संचालन के साथ साथ दिशा प्रदान करना। कुल लेखापरीक्षा कार्य बैंक के अंतर्गत् आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण के प्रबंधन, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक के वैधानिक / बाहरी लेखा परीक्षा के साथ अनुवर्तन और आरबीआई के निरीक्षण शामिल हैं।
- बैंक के आंतरिक निरीक्षण व लेखा परीक्षा की समीक्षा - अनुवर्तन के अनुसार प्रणाली, उसकी गुणवत्ता व प्रभावशीलता तथा साथ ही विशिष्ट व अति वृहद शाखा और असंतुष्ट रेटिंग प्राप्त सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्ट
- कार्यात्मक क्षेत्र के सभी अनुपालन अधिकारियों सेअर्ध वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी समीक्षा करना
- वैधानिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट और लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुं की समीक्षा और अनुवर्तन और वार्षिक / त्रैमासिक वित्तीय विवरणों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी लेखा परीक्षकों से बात करना
- भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण रिपोर्ट में उठाए गये मुद्दों/मामलों की समीक्षा व अनुवर्तन करना

यह समीति मुख्य रूप से निम्न का अनुवर्तन करती है :

- अंतर बैंक समायोजन खाता
- अंतर बैंक खातों व नोस्ट्रो खातों में असंगत प्रविष्टियाँ जो लंबें समय से बकाया हो
- विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान में बकाया राशि
- धोखाधड़ी व हॉउस कीपिंग के अन्य प्रमुख क्षेत्र

आरबीआई द्वारा जारी भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों पर सेबी कमेटी के संदर्भ में एसीबी को निम्नलिखित अतिरिक्त भूमिका कार्य / शक्तियां सौंपी गई हैं :

- संदर्भ की शर्तों के तहत किसी भी गतिविधि की जांच करना
- किसी भी कर्मचारी से सूचनाएं प्राप्त करना
- बाह्य कानूनी या अन्य प्रोफेशनल सलाह प्राप्त करना
- प्रासंगिक विशेषज्ञता के साथ बाहरी लोगों की उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए, यदि यह आवश्यक माना जाता है

लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में मौजूदा भूमिकाओं के अलावा निम्न भूमिकाएं भी शामिल हैं :

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना और वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं इसे सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण
- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं, लेखांकन मानकों का अनुपालन और वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य कानूनी आवश्यकताओं पर विशेष जोर देने के साथ प्रबंधन के साथ वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना
- प्रबंधन, बाहरी और आंतरिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के साथ समीक्षा
- उन मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना
- ऑडिट के प्रकृति और दायरे के साथ-साथ ध्यान देने योग्य किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा चर्चा के बाद लेखा परीक्षा शुरू करने से पूर्व बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना
- कंपनी की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सुझावों के मुताबिक, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित विशिष्ट एक्सपोजर स्तर पर खातों की निम्नलिखित समीक्षाओं को शामिल करने के लिए बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का दायरा विस्तारित किया गया थाः

क. संभावित एनपीए / तनाव के मामलों ,जब आवश्यक हो।

ख. उच्च मूल्य ऋण जो प्रतिभूतियों के प्रति दिए गए हैं जो भार मुक्त नहीं है

ग. एक बारगी निपटान के मामले जिसमें उच्च मूल्य ऋण शामिल हैं

घ. **उच्च मूल्य खाते -** खाते के प्रति प्रदान की गई सुरक्षा / संपार्श्विक (दोनों मूर्त और विशेष रूप से अमूर्त) के मूल्य और गुणवत्ता का मूल्यांकन / पुनर्मूल्यांकन करना।

वर्ष 2018 -19 के दौरान समिति कुल 13 बार 17.04.2018, 29.05.2018, 19.07.2018, 26.07.2018, 27.07.2018, 27.09.2018, 25.10.2018, 26.10.2018, 09.11.2018, 24.01.2019, 25.01.2019, 08.03.2019 व 27.03.2019 को मिली।

सभी बैठकें समुचित कोरम व बिना किसी स्थगन के आयोजित की गयी।

दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित हैः

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
			से	तक	
1	श्री के रघु	समिति के अध्यक्ष	28.08.2016		13/13*
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	सदस्य #	09.10.2017		12/13
3	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	सदस्य	22.07.2016		09/13**
4	श्री निर्मल चंद	सदस्य	13.03.2014		08/13***
5	श्री नवीन प्रकाश सिंहा	सदस्य	28.08.2018		01/08##

01.11.2015 से निरीक्षण व लेखापरीक्षा के प्रभारी का.नि. ए.सी.बी के सदस्य हैं और दूसरे का.नि. भा.रि.बैं द्वारा बताए गए अनुसार आमंत्रिती हैं। तदनुसार कार्यपालक निदेशक श्री के स्वामीनाथन एसीबी के स्थायी आमंत्रिती हैं ।

*श्री के रघु ने 19.07.2018, 25.10.2018, 26.10.2018, 09.11.2018 व 08.03.2019 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

**श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू ने 19.07.2018, 09.11.2018 व 08.03.2019 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

*** श्री निर्मल चंद ने 19.07.2018 व 08.03.2019 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

श्री नवीन प्रकाश सिन्हा ने 09.11.2018 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

3.3 AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per instructions of the Reserve Bank of India/GOI and presently consists of five members comprising of the Executive Director (in charge of Internal Inspection and Audit), Government Director, RBI Director, one non-official director and one share holder director. RBI vide its letter dated September 24, 2015 advised that the ED in charge of Internal Inspection and Audit should be the member of the ACB whereas other EDs can be invitees to the meeting.

Government of India has advised vide their letter dated 10.06.2014 that Directors appointed under Section 9 (3) (g) and (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, who are on the Management Committee shall not be on the Audit Committee in any capacity. The Bank is complying with the same.

The delegated functions and duties of the ACB are as under:

⇨ To provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function will imply the organization, operationalization and quality control of the internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory / external audit of the Bank and inspections of RBI.

⇨ To review the internal inspection / audit function in the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up and also the inspection reports of specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings

⇨ To obtain and review half – yearly reports from the Compliance Officers of the functional areas

⇨ To review and follow up on the report of the statutory audit and all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interact with the external auditors before the finalization of the annual / quarterly financial statements and reports.

⇨ To review and follow up all the issues / concerns raised in the Inspection reports of RBI.

This Committee specially focuses on the follow-up of:

⇨ Inter – Branch Adjustment Accounts

⇨ Unreconciled long outstanding entries in Inter – Bank Accounts and Nostro Accounts

⇨ Arrears in balancing of books at various branches

⇨ Frauds and all other major areas of house–keeping,

The following additional role functions/powers have been entrusted to ACB in terms of SEBI Committee on Corporate Governance guidelines issued by RBI to Indian Commercial Banks listed on stock exchanges:

- To investigate any activity within its terms of reference.
- To seek information from any employee.
- To obtain outside legal or other professional advice.
- To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

The role of the Audit Committee shall also include the following in addition to the existing role function:

- Overseeing of the Bank's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
- Reviewing with the Management the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning the financial statements.
- Reviewing with the Management, external and internal auditors, the adequacy of internal control systems.
- Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- Discussing with external auditors before the commencement of audit the nature and scope of audit as well as having post audit discussion to ascertain any area of concern.
- Reviewing the Bank's Financial and Risk Management Policies.

In line with the suggestions of the Ministry of Finance, Government of India, the scope of the Audit Committee of the Board was broadened to include the following reviews of accounts at specific exposure levels as approved by the Audit Committee of the Board:

A) Potential NPA / stress cases as and when required.

B) High value loans which have been granted against a security which is not free from encumbrances

C) Cases of One time settlement involving high value loans

D) High value accounts - to evaluate / re-evaluate the value and quality of security / collateral (both tangible and especially intangible) provided against the account.

The Committee met 13 times during the year 2018-19 on 17.04.2018, 29.05.2018, 19.07.2018, 26.07.2018, 27.07.2018, 27.09.2018, 25.10.2018, 26.10.2018, 09.11.2018, 24.01.2019, 25.01.2019, 08.03.2019 and 27.03.2019.

All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournment.

The members who held office during the period 01.04.2018 to 31.03.2019 and the particulars of the number of meetings attended by them during the year are as under:

Sl. No.	Name of Director	Position	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/held
			From	To	
1	Shri K Raghu	Chairman of the Committee	28.08.2016		13/13*
2	Shri Ajay Kumar Srivastava	Member #	09.10.2017		12/13
3	Smt Annie George Mathew	Member	22.07.2016		09/13**
4	Shri Nirmal Chand	Member	13.03.2014		08/13***
5	Shri Navin Prakash Sinha	Member	28.08.2018		01/08##

with effect from 01.11.2015 ED in charge of Inspection and Audit is a member of ACB and the other ED is an invitee as advised by RBI. Accordingly Executive Director Shri K Swaminathan is permanent invitee of ACB.

*Shri K Raghu attended the meeting through video conferencing on 19.07.2018, 25.10.2018, 26.10.2018, 09.11.2018 and 08.03.2019.

**Smt Annie George Mathew attended the meeting through video conferencing on 19.07.2018, 09.11.2018 and 08.03.2019.

*** Shri Nirmal Chand attended the meeting through video conferencing on 19.07.2018 and 08.03.2019.

Shri Navin Prakash Sinha attended the meeting through video conferencing on 09.11.2018.

3.4 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी। 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान समिति 5 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री टी सी ए रंगनाथन	24.02.2017		05/05*
2	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016		05/05
3	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017		05/05
4	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		05/05
5	श्री संजय रुंगटा	29.01.2018		05/05**
6	श्री विष्णुकुमार बंसल	08.08.2016	07.08.2018	01/01

* श्री टी सी ए रंगनाथन ने 28.08.2018 व 25.10.2018 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

* *श्री संजय रुंगटा ने 25.10.2018 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

3.5 बड़े मूल्य की धोखाधड़ी हेतु समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी। 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान समिति 5 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री टी सी ए रंगनाथन	16.02.2017		05/05*
2	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016		05/05
3	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017		05/05
4	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016		02/05
5	श्री के रघु	26.07.2016		05/05#

* श्री टी सी ए रंगनाथन ने 29.08.2018 व 27.11.2018 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

श्री के रघु ने 29.08.2018 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

3.6 ग्राहक सेवा समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ करते हैं। 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान समिति 4 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्याः

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016		04/04
2	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017		04/04
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		04/04
4	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016		03/04*
5	श्री शिवरमन अनंत नारायण	27.12.2017	15.11.2018**	03/03
6	श्री के रघु	28.03.2019		00/00

* श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू ने 27.03.2019 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

** श्री शिवरमन अनंत नारायण ने 15.11.2018 को बोर्ड से इस्तीफा दे दिया ।

3.4 RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Chairman presides over the meetings of the Committee. The Committee met 5 times during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019. Number of Meetings attended by each Member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership		Number of meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri T C A Ranganathan	24.02.2017		05/05*
2	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016		05/05
3	Shri K Swaminathan	17.02.2017		05/05
4	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		05/05
5	Shri Sanjay Rungta	29.01.2018		05/05**
6	Shri Vishnukumar Bansal	08.08.2016	07.08.2018	01/01

* Shri T C A Ranganathan attended the meeting through video conferencing on 28.08.2018 and 25.10.2018.

** Shri Sanjay Rungta attended the meeting through video conferencing on 25.10.2018.

3.5 COMMITTEE FOR MONITORING LARGE VALUE FRAUDS

The Chairman presides over the meetings of the Committee. The Committee met 5 times during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri T C A Ranganathan	16.02.2017		05/05*
2	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016		05/05
3	Shri K Swaminathan	17.02.2017		05/05
4	Smt Annie George Mathew	22.07.2016		02/05
5	Shri K Raghu	26.07.2016		05/05#

*Shri T C A Ranganathan attended the meeting through video conferencing on 29.08.2018 and 27.11.2018.

#Shri K Raghu attended the meeting through video conferencing on 29.08.2018.

3.6 CUSTOMER SERVICE COMMITTEE

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 4 times during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016		04/04
2	Shri K Swaminathan	17.02.2017		04/04
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		04/04
4	Smt Annie George Mathew	22.07.2016		03/04*
5	Shri Sivaraman Anant Narayan	27.12.2017	15.11.2018**	03/03
6	Shri K Raghu	28.03.2019		00/00

* Smt Annie George Mathew attended the meeting on 27.03.2019 through video conferencing.

** Shri Sivaraman Anant Narayan resigned from Board effective 15.11.2018

3.7 अनुशासनिक मामलों की समीक्षा हेतु समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी। 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान समिति 4 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार्	29.09.2016		04/04
2	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017		04/04
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		04/04
4	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016		01/04
5	श्री निर्मल चंद	13.03.2014		03/04

3.8 पारिश्रमिक समिति

पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक (कार्य-निष्पादन से जुडे प्रोत्साहन को छोड़कर) के बारे में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। अन्य निदेशकों को केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक बैठक शुल्क के अलावा बैंक द्वारा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। भारत सरकार के दिनांक 18.01.2019 के परिपत्र संख्या एफ. सं. 15/1/2011- बीओ. आइ में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक गैर कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क जो कि रू. 40,000/- है, के अतिरिक्त कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं देता है। बोर्ड बैठक की बैठक शुल्क - रू.20000/- प्रति बैठक और बोर्ड बैठक की अध्यक्षता हेतु रू.10000/- अतिरिक्त फीस प्रदान की जाती है व बोर्ड समिति बैठकों के लिए रू. 5000/- अतिरिक्य फीस प्रदान की जाती है।

बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन एवं कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन का भुगतान करने की सिफारिश करने हेतु निदेशक मंडल की उप समिति- पारिश्रमिक समिति उचित समय पर गठित की जाएगी। समिति वर्ष 2018-19 के दौरान एक बार भी नहीं मिली।

3.9 नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक- 01.11.2007 के परिपत्र संख्या डीबीओडी सं. बीसी सं. 47/29.39.001/2007-08 , जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रम के अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 में हुए संशोधन के अनुसार है और 16.10.2006 से लागू है, निदेशकों की नियुक्ति करते समय ''योग्य तथा उचित'' हैसियत आदि निर्णय लेने के तरीके/ पद्धति, प्राधिकार के निर्धारण के लिए आवश्यक दिशानिर्देश ज़ारी किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेश दिया है कि ''योग्य तथा उचित'' मानदण्ड को अब से चुने गए निदेशकों (शेयरधारक निदेशकों) - वर्तमान तथा भविष्य दोनों में भी लागू किया जाए। अध्यक्ष समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान समिति एक बार भी नहीं मिली।

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि	
		से	तक
1	श्री टी सी ए रंगनाथन	16.02.2017	
2	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016	
3	श्री के रघु	26.07.2016	

3.10 सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति

समिति की अध्यक्षता चेयरमैन द्वारा की गयी। 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान समिति 4 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्याः

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री टी सी ए रंगनाथन	16.02.2017		04/04*
2	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016		04/04
3	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017		04/04
4	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		04/04
5	श्री के रघु	26.07.2016		03/04#
6	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	29.01.2018		01/04
7	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	25.07.2018		01/03

* श्री टी सी ए रंगनाथन ने 29.08.2018 व 27.11.2018 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

श्री के रघु ने 29.08.2018 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

3.7 COMMITTEE FOR REVIEW OF DISCIPLINARY CASES & DEPARTMENTAL ENQUIRIES

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 4 times during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016		04/04
2	Shri K Swaminathan	17.02.2017		04/04
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		04/04
4	Smt Annie George Mathew	22.07.2016		01/04
5	Shri Nirmal Chand	13.03.2014		03/04

3.8 REMUNERATION COMMITTEE

Remuneration (excluding performance linked incentive) payable to the whole time directors is decided by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the Non-Executive Directors except sitting fee fixed by Government of India which is Rs.40,000/- per Board Meeting and Rs.20,000.00 per Committee Meeting and additional Fee of Rs.10,000/- for chairing Board Meeting and Rs.5,000 for chairing Board Committee meeting in terms of GOI Circular No.F.No.15/1/2011-BO.I dated 18.01.2019.

A Remuneration Committee, a Sub-Committee of the Board of Directors, would be constituted at an appropriate time for evaluating the performance in terms of government guidelines and to recommend payment of performance-linked incentives to the whole time directors of the Bank.

The Committee did not meet during the year 2018-2019.

3.9 NOMINATION COMMITTEE

RBI, vide circular ref: DBOD. No. BC. No.47 / 29.39.001 / 2007-08 dated 01.11.2007, pursuant to the amendment in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 effective 16.10.2006, has issued necessary guidelines for determining the authority, manner/ procedure and criteria for deciding the 'Fit and Proper' status etc., while appointing the Directors.

RBI has directed that the "Fit and Proper" criteria, as of now, be made applicable to the elected directors (Shareholder directors) – both present and future. The Chairman presides over the meeting of the Committee.

The Committee did not meet during the year 2018-2019.

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership	
		From	To
1	Shri T C A Ranganathan	16.02.2017	
2	Smt Annie George Mathew	22.07.2016	
3	Shri K. Raghu	26.07.2016	

3.10 INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE

The Chairman presides over the meetings of the Committee. The Committee had met 4 times during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019. The number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl.No.	Name of Director	Tenure of membership		Number of Meetings attended/held
		From	To	
1	Shri TCA Ranganathan	16.02.2017		04/04*
2	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016		04/04
3	Shri K Swaminathan	17.02.2017		04/04
4	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		04/04
5	Shri K Raghu	26.07.2016		03/04#
6	Shri Navin Prakash Sinha	29.01.2018		01/04
7	Smt Annie George Mathew	25.07.2018		01/03

* Shri TCA Ranganathan attended the meeting through video conferencing on 29.08.2018 and 27.11.2018.

Shri K Raghu attended the meeting through video conferencing on 29.08.2018.

3.11 मानव संसाधन पर बोर्ड स्तरीय समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी। 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान समिति 3 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्याः

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016		03/03
2	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017		03/03
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		03/03
4	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016		02/03*
5	डॉ टी टी राम मोहन	21.12.2011		02/03**
6	श्री शिवरमन अनंत नारायण	27.12.2017	15.11.2018***	02/02

*श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू ने 15.03.2019 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

**डॉ टी टी राम मोहन ने 27.09.2018 व 26.10.2018 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

*** श्री शिवरमन अनंत नारायण ने 15.11.2018 को बोर्ड से इस्तीफा दे दिया ।

3.12 एन पी ए वसूली की निगरानी हेतु बोर्ड स्तरीय समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी। 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान समिति 9 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्याः

क्र.सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016		09/09
2	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017		09/09
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		09/09
4	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016		04/09
5	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	08.12.2017		05/09*
6	श्री संजय रूंगटा	28.08.2018		05/06**
7	महा प्रबंधक (वसूली)	08.12.2012		
8	महा प्रबंधक (ऋण प्रबोधन)	08.12.2012		
9	बैंक के वरिष्ठतम महा प्रबंधक	08.12.2012		

* श्री नवीन प्रकाश सिंहा ने 28.08.2018 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

** श्री संजय रूंगटा ने 27.09.2018 व 25.10.2018 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

3.13 ईक्विटी शेयर पूँजी के निर्गम हेतु निदेशकों की समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी। 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान समिति 5 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्याः

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016		05/05*
2	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017		04/05
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		05/05
4	श्री संजय रुंगटा	08.12.2017		05/05**
5	श्री के रघु	26.07.2016		05/05***
6	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	08.12.2017		05/05****

* श्री आर सुब्रमण्यकुमार ने 12.11.2018 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

** श्री संजय रूंगटा ने 03.10.2018, 12.11.2018, 29.12.2018 व 04.02.2019 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

*** श्री के रघु ने 03.10.2018, 12.11.2018, 29.12.2018 व 04.02.2019 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

**** श्री नवीन प्रकाश सिन्हा ने 03.10.2018, 12.11.2018, 29.12.2018 व 04.02.2019 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

3.11 STEERING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCES

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee had met 3 times during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of Director/Member	Tenure of membership		Number of Meetings attended/held
		From	To	
1	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016		03/03
2	Shri K Swaminathan	17.02.2017		03/03
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		03/03
4	Smt Annie George Mathew	22.07.2016		02/03*
5	Dr T T Ram Mohan	21.12.2011		02/03**
6	Shri Sivaraman Anant Narayan	27.12.2017	15.11.2018***	02/02

* Smt Annie George Mathew attended the meeting on 15.03.2019 through video conferencing.

** Dr T T Ram Mohan attended the meeting on 27.09.2018 and 26.10.2018 through video conferencing.

*** Shri Sivaraman Anant Narayan resigned w.e.f. 15.11.2018.

3.12 BOARD LEVEL COMMITTEE TO MONITOR RECOVERY IN NPA

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met nine times during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of Director/Member	Tenure of membership		Number of Meetings attended /held
		From	To	
1	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016		09/09
2	Shri K Swaminathan	17.02.2017		09/09
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		09/09
4	Smt Annie George Mathew	22.07.2016		04/09
5	Shri Navin Prakash Sinha	08.12.2017		05/09*
6	Shri Sanjay Rungta	28.08.2018		05/06**
7	General Manager (Recovery)	08.12.2012		
8	General Manager (Credit Monitoring)	08.12.2012		
9	Senior-most General Manager of the Bank	08.12.2012		

* Shri Navin Prakash Sinha attended the meeting through video conferencing on 28.08.2018.

** Shri Sanjay Rungta attended the meeting through video conferencing on 27.09.2018 and 25.10.2018.

3.13 COMMITTEE OF DIRECTORS FOR ISSUE OF EQUITY SHARE CAPITAL

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 5 times during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership		Number of Meetings attended/held
		From	To	
1	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016		05/05*
2	Shri K Swaminathan	17.02.2017		04/05
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		05/05
4	Shri Sanjay Rungta	08.12.2017		05/05**
5	Shri K Raghu	26.07.2016		05/05***
6	Shri Navin Prakash Sinha	08.12.2017		05/05****

* Shri R Subramaniakumar attended the meeting through video conferencing on 12.11.2018.

** Shri Sanjay Rungta attended the meeting through video conferencing on 03.10.2018, 12.11.2018, 29.12.2018 & 04.02.2019.

*** Shri K Raghu attended the meeting through video conferencing on 03.10.2018, 12.11.2018, 29.12.2018 & 04.02.2019.

**** Shri Navin Prakash Sinha attended the meeting through video conferencing on 03.10.2018, 12.11.2018, 29.12.2018 & 04.02.2019.

3.14 इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी। 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान समिति 2 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्याः

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016		02/02
2	श्री संजय रुंगटा	08.12.2017		02/02
3	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	29.01.2018		00/02
4	श्री एस ए नारायण	27.12.2017	15.11.2018**	01/01
5	श्री के रघु	27.07.2018		02/02*

*श्री के रघु ने 27.08.2018 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

** श्री एस ए नारायण ने 15.11.2018 को बोर्ड से इस्तीफा दे दिया ।

3.15. हितधारक संबंध समिति

श्री संजय रुंगटा इस समिति के अध्यक्ष हैं। 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान समिति 4 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्याः

क्रम सं.	निदेशकों का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री संजय रुंगटा	29.01.2018		04/04*
2	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017		04/04
3	श्री शिवरमन अनंत नारायण	29.01.2018	15.11.2018**	02/02
4	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	25.01.2019		00/00

*श्री संजय रुंगटा ने 27.09.2018 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

** श्री शिवरमन अनंत नारायण ने 15.11.2018 को बोर्ड से इस्तीफा दे दिया ।

4.1. अनुपालन अधिकारी-

सेबी (एल.ओ.डी.आर) के विनियम 6 के संबंध में सेबी, स्टॉक एक्सचेंज आदि के विविध प्रावधानों के अनुपालन हेतु समीक्षाधीन अवधि के दौरान सुश्री दीपा चेल्लम कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी हैं।

4.2. शेयरधारकों की शिकायतः

वर्ष के दौरान प्राप्त, सुलझाई गई व लंबित शिकायतों की संख्याः

01.04.2018 तक लंबित	0
वर्ष के दौरान प्राप्त	56
वर्ष के दौरान सुलझाई गई	56
31.03.2019 तक लंबित	शून्य

सेबी (एल.ओ.डी.आर) के विनियम 46 के संबंध में, हमने शेयरधारकों को सूचित किया है कि निवेशकों की शिकायतों को दर्ज़ करने व उनके समाधान हेतु एक अलग ईमेल आइडी investorcomp@iobnet.co.in आबंटित की गई है और कंपनी सचिव सुश्री दीपा चेल्लम इस संबंध में अनुपालन अधिकारी हैं। हमने इस ईमेल आइडी व अन्य प्रमुख ब्योरों को अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है। निवेशक संपर्क कक्ष, जिसके प्रमुख सहायक महाप्रबंधक हैं, जो कि योग्य कंपनी सचिव भी हैं, निवेशकों की शिकायतों को भी निपटारा करते हैं।

5. सामान्य निकाय बैठकः

क) अंतिम तीन सामान्य निकाय बैठकों के स्थान व समय निम्नलिखित हैंः

क्रम संख्या	बैठक की प्रकृति	बैठक की तारीख, दिन व समय	स्थान
1	16वीं एजीएम	18.07.2016, सोमवार, पूर्वाह्न 10.00	रानी सीतै हॉल 603, अण्णा सालै, चेन्नै-600006
2	17वीं एजीएम	28.06.2017, बुधवार पूर्वाह्न 10.00	नारद गण सभा 314, टीटीके रोड , चेन्नै 600 018
3	18वीं एजीएम	11.07.2018, बुधवार पूर्वाह्न 10.00	स्टाफ कॉलेज , इण्डियन ओवरसीज़ बैंक , 230/7ए , जवाहरलाल नेहरू रोड, अन्ना नगर , चेन्नै 600 040

ख) 16वीं, 17वीं व 18वीं वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदनार्थ योग्यता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यू.आइ.पी.), राईट्स ईश्यू, अधिमानी आधार पर आबंटन और अनुवर्तन पब्लिक ऑफर या अधिमानी शेयरों (संचयी / गैर संचयी) के ज़रिए इक्विटी शेयरों को जारी कर पूँजी जुटाने के लिए विशेष संकल्प प्रस्तुत किए गए।

ग) कोई डाक मतदान नहीं था ।

3.14 REVIEW COMMITTEE ON WILFUL DEFAULTERS

The MD & CEO presides over the meeting of the Committee. The Committee met 2 times during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership		Number of Meetings attended/held
		From	To	
1	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016		02/02
2	Shri Sanjay Rungta	08.12.2017		02/02
3	Shri Navin Prakash Sinha	29.01.2018		00/02
4	Shri Sivaraman Anant Narayan	27.12.2017	15.11.2018**	01/01
5	Shri K Raghu	27.07.2018		02/02*

* Shri K Raghu attended the meeting through video conferencing on 27.08.2018

** Shri Sivaraman Anant Narayan resigned from Board effective 15.11.2018

3.15 STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE

Shri Sanjay Rungta is the Chairman of the Committee. The Committee met 4 times during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership		Number of Meetings attended/held
		From	To	
1	Shri Sanjay Rungta	29.01.2018		04/04*
2	Shri K Swaminathan	17.02.2017		04/04
3	Shri Sivaraman Anant Narayan	29.01.2018	15.11.2018**	02/02
4	Shri Navin Prakash Sinha	25.01.2019		00/00

* Shri Sanjay Rungta attended the meeting through video conferencing on 27.09.2018.

** Shri Sivaraman Anant Narayan resigned from Board effective 15.11.2018.

4.1 Compliance Officer:

In terms of Regulation 6 of SEBI (LODR), Ms. Deepa Chellam is the Company Secretary and the Compliance Officer during the period under review for the purpose of complying with the various provisions of SEBI, Stock Exchanges etc.

4.2 Shareholders Complaints

Number of complaints received, resolved and pending during the year:

Pending as on 01.04.2018	0
Received during the year	56
Redressed during the year	56
Pending as on 31.03.2019	Nil

In terms of Regulation 46 of SEBI (LODR), we have advised the shareholders that an exclusive e-mail ID - investorcomp@iobnet.co.in has been allotted and Ms. Deepa Chellam, Company Secretary is the Compliance Officer for the purpose of registering and redressal of complaints by investors. We have displayed this email ID and other relevant details prominently on our website. The Investor Relations Cell headed by the Company Secretary is handling the redressal of investor complaints.

5. GENERAL BODY MEETING:

a. Location and time where last three Annual General Meetings were held:

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1	16th AGM	18.07.2016, Monday, 10.00 AM	Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai, Chennai – 600 006
2	17th AGM	28.06.2017, Wednesday 10.00 AM	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
3	18th AGM	11.07.2018, Wednesday 10.00 AM	Staff College, Indian Overseas Bank, 230/7A Jawaharlal Nehru Road, Anna Nagar, Chennai 600 040

b. In the 16th, 17th & 18th AGMs, special resolutions were put through to obtain the shareholders approval to raise capital by way of issue of equity shares through Qualified Institutional Placement (QIP), Rights Issue, Preferential allotment or Follow-on Public Offer or preference shares (cumulative / non cumulative).

c. There was no postal ballot exercise.

घ) स्थान व समय जहाँ असाधारण सामान्य बैठकें आयोजित हुयीः

क्रम सं.	बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख, दिन व समय	स्थान
01	ईजीएम	23.09.2015, बुधवार पूर्वाह्न 10.00 बजे	नारद गण सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
02	ईजीएम	24.03.2016, गुरूवार पूर्वाह्न 10:30 बजे	नारद गण सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
03	ईजीएम	15.09.2016, गुरूवार पूर्वाह्न 10.00 बजे	रानी सीतै हॉल 603, अण्णा सालै, चेन्नै- 600006
04	ईजीएम	29.11.2017 बुधवार पूर्वाह्न 10.30 बजे *	नारद गण सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
05	ईजीएम	30.01.2018 मंगलवार पूर्वाह्न 10.30 बजे**	नारद गण सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
6.	ईजीएम	28.03.2018 बुधवार पूर्वाह्न 10.00 बजे	नारद गण सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
7.	ईजीएम	02.11.2018 शुक्रवार पूर्वाह्न 10.00 बजे	रानी सीतै हॉल 603, अण्णा सालै, चेन्नै- 600006
8.	ईजीएम	28.03.2019 गुरूवार पूर्वाह्न 10.00 बजे	नारद गण सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018

उक्त असाधारण सामान्य बैठकों का आयोजन अधिमानी आधार पर भारत सरकार और एल.आइ.सी व उसकी विभिन्न योजनाओं को इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए किया गया।

*शेयरधारक निदेशकों के चुनाव हेतु ईजीएम का आयोजन

** संचित नुकसानों का शेयरधारकों का शेयर प्रीमियम खाते में से सेटऑफ करने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने हेतु ईजीएम का आयोजन

ड.) ई-वोटिंगः

सेबी (एल.ओ.डी.आर) के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, ज़ारीकर्ता वार्षिक सामान्य बैठक / असाधारण सामान्य बैठक में पारित होने वाले सभी शेयरधारक संकल्पों के संबंध में अपने **शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने** को सहमत है। तदनुसार बैंक ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रहा है।

6. संप्रेषण का माध्यम :

क. बैंक के तिमाही अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं और इसे नियत समय के अन्दर उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दिया जाता है जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। बैंक वार्षिक परिणाम हरित पहल के तहत ईमेल के द्वारा उन शेयरधारकों को भेजता रहा है जिनका ई मेल पता बैंक के पास उपलब्ध है तथा अन्य को यह जिन्होंने अपने ईमेल आइडी इसके लिए पंजीकृत नहीं की है उन्हें परिणाम हार्ड प्रति कूरियर / डाक के के जरिए भेजा जाता है

ख. सेबी (सूचीबद्ध करार व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 (एल.ओ.डी.आर.) के विनियम 47 के मुताबिक तिमाही वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, क्षेत्रीय स्थानीय दैनिक समाचार पत्र व हिंदी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। प्रकाशन करने की तारीख व विवरण निम्नानुसार हैं :

... को समाप्त तिमाही	अंग्रेजी दैनिक	क्षेत्रीय दैनिक (तमिल)	हिंदी दैनिक	प्रकाशन की तिथि
31.03.2018	बिजनेस स्टैंडर्ड	द हिंदू	बिजनेस स्टैंडर्ड	31.05.2018
30.06.2018	बिजनेस स्टैंडर्ड	द हिंदू	बिजनेस स्टैंडर्ड	28.07.2018
30.09.2018	फाइनेंशियल एक्सप्रेस	द हिंदू	जनसत्ता	27.10.2018
31.12.2018	बिजनेस स्टैंडर्ड	द हिंदू	बिजनेस स्टैंडर्ड	26.01.2019

ग. तिमाही परिणाम /वार्षिक परिणाम व विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुति भी बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

घ. बैंक तिमाही/ वार्षिक परिणामों के दौरान आधिकारिक प्रेस रिलीज़ प्रदर्शित करता है।

7. सामान्य शेयरधारक सूचनाः

क. ए.जी.एम.: तारीख, समय और स्थानः

दिनांक	10 जुलाई, 2019
समय	10:00 बजे, सुबह
स्थान	सद्गुरु ज्ञानानंदा हॉल, नारदगण सभा, 314, टीटीके रोड, अलवरपेट, चेन्नै - 600 018

ख. वित्तीय वर्ष : 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019

ग) लाभांश भुगतान की तारीख : शून्य (वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक को नुकसान हुआ)

घ) बही बंद करने की तारीख : वार्षिक सामान्य बैठक के लिए 04.07.2019 से 10.07.2019 (दोनों दिन शामिल हैं)

ड) अदत्त लाभांश :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) तथा वित्तीय संस्थाएँ विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970 में बैंक के अदत्त लाभांश विषयक 10 (बी) नामक एक नई धारा जोड़ दी गई है तथा कॉर्पोरेट मामलात मंत्रालय ने **अदत्त लाभांश राशि के निवेशक शिक्षा व संरक्षण निधि (आइ.ई.पी.एफ.)** में अंतरण हेतु बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में सूचित किया है।

तदनुसार पिछले वर्षों के अदत्त लाभांशों को आइओबी के अदत्त लाभांश खातों को अंतरित कर दिया गया है और अतः इस प्रकार की अंतरण राशि को जो अंतरण की तारीख से सात साल की अवधि तक अदत्त या अदावी हैं, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया जाएगाः

.....वर्ष के लिए लाभांश	अदत्त लाभांश खाते को अंतरित करने की तारीख	केंद्र सरकार को अंतरण की तारीख (आइ.ई.पी.एफ.)
2011-12	16.10.2012	सितंबर 2019
2012-13	01.08.2013	सितंबर 2020
2013-14 (आई)	05.03.2014	अप्रैल 2021
2013-14 (एफ)	01.08.2014	सितंबर 2021

d. Location and time where Extra Ordinary General Meetings were held:

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1.	EGM	23.09.2015 Wednesday 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
2.	EGM	24.03.2016 Thursday 10.30 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
3.	EGM	15.09.2016 Thursday 10.00 A.M.	Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai, Chennai 600 006
4.	EGM	29.11.2017 Wednesday 10.30 A.M. *	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
5.	EGM	30.01.2018 Tuesday 10.30 A.M.**	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
6.	EGM	28.03.2018 Wednesday 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
7.	EGM	02.11.2018 Friday 10.00 A.M.	Rani Seethai Hall, 603 Anna Salai, Chennai 600 006
8.	EGM	28.03.2019 Thursday 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018

The above EGMs were held for obtaining shareholders approval for issue of equity shares to Government of India and LIC and its various schemes on preferential basis.

*EGM held for election of Shareholder Directors

** EGM held for obtaining shareholders approval for set off of Share Premium Account against accumulated losses

e) E-Voting:

In accordance with the provisions of Regulation 44 of SEBI (LODR), the Issuer agrees to provide **E-Voting facility to its shareholders** in respect of all shareholders resolutions, to be passed at AGM/EGM. Accordingly, the Bank is providing e-voting facility.

6. MEANS OF COMMUNICATION:

a. The quarterly un-audited financial results of the Bank are approved by the Board of Directors and the same are submitted within the stipulated period to all the stock exchanges where the Bank's shares are listed. The Bank has been sending Annual Reports, under Green Initiative by email to those shareholders whose e-mail addresses are available with the Bank and through courier/post to shareholders who have not registered their email id for this purpose.

b. The quarterly financial results are published in a national daily, Hindi daily and a regional vernacular daily in terms of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (LODR). The details and dates of publication are as under:

Quarter ended	English Daily	Tamil Daily	Hindi Daily	Date of publication
31.03.2018	Business Standard	The Hindu	Business Standard	31.05.2018
30.06.2018	Business Standard	The Hindu	Business Standard	28.07.2018
30.09.2018	Financial Express	The Hindu	Jansatta	27.10.2018
31.12.2018	Business Standard	The Hindu	Business Standard	26.01.2019

c. The quarterly results/annual results and Performance Analysis are also being displayed on the Bank's web-site **www.iob.in**

d. Bank displays official press release during quarterly/annual results

7. GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION:

a) AGM: Date, Time and Venue:-

Date	10th July, 2019
Time	10.00 am
Venue	Sathguru Gnanananda Hall, Narada Gana Sabha , 314 TTK Road, Alwarpet, Chennai 600 018.

b) Financial Year : 01st April 2018 to 31st March 2019.

c) Dividend Payment Date : Nil (Bank incurred Losses during FY 2018-19)

d) Date of Book Closure : 04-07-2019 to 10-07-2019 (Both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

e) Unpaid Dividend :

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, has incorporated a new section 10(B) in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 on Unpaid dividend of banks and Ministry of Corporate Affairs had advised the process to be followed by banks for transferring the **Unpaid Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF)**.

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend Account/s of IOB and hence such monies, which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years, shall be transferred to IEPF:

Dividend for the year	Date of Transfer to Unpaid Dividend A/c	Due Date for Transferring to Government (IEPF)
2011-12	16.10.2012	September 2019
2012-13	01.08.2013	September 2020
2013-14 (I)	05.03.2014	April 2021
2013-14 (F)	01.08.2014	September 2021

च. बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए गए हैंः

स्टाक एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड
बांबे स्टॉक एक्सचेंज लि.	532388
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.	आइओबी ईक्यू एई बीई बीटी

स्टाक एक्सचेंजों को वर्ष 2018-19 के लिए सूचीबद्ध करने हेतु वार्षिक शुल्क निर्धारित देय तारीखों के अंदर दिया गया है।

प्राधिकृत पूँजीः 31.03.2019 तक बैंक की प्राधिकृत पूँजी रु. 10000 करोड़ है

प्रदत्त पूँजी में बढ़ोतरी

बैंक ने अधिमानी आधार पर क्यू.आइ.पी को 12.11.2018 को रु. 15.71 प्रति इक्विटी शेयर (रु. 5.71 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम समेत) के इश्यू मूल्य पर नकद के लिए रु. 10 प्रति इक्विटी शेयर के 137,30,10,821 इक्विटी शेयर जिनका मूल्य रु. 2157 करोड़ के करीब हुआ, ज़ारी किए तथा अधिमानी आधार पर भारत सरकार को 28.03.2019 को रु. 14.12 प्रति इक्विटी शेयर (रु. 4.12 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम समेत) के इश्यू मूल्य पर नकद के लिए रु. 10 प्रति इक्विटी शेयर के 269,54,67,422 इक्विटी शेयर जिनका मूल्य रु. 3806 करोड़ के करीब हुआ, ज़ारी किए। बैंक ने दिनांक 04.02.2019 को कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना के तहत कर्मचारियों को रु. 11.90 / - प्रति इक्विटी शेयर (रु. 1.90 प्रति इक्विटी शेयर प्रीमियम समेत) के इश्यू मूल्य पर नकद के लिए रु. 10 प्रति इक्विटी शेयर के 18,24,00,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं जिससे पूंजी में रु.260.47 करोड़ राशि की वृद्धि हुई है ।

अतः बैंक की प्रदत्त पूँजी रु. 4890.77 करोड़ से बढ़कर रु. 9141.65 करोड़ हो गई। भारत सरकार की शेयरधारिता रु. 4389.08 करोड़ (89.74%) से बढ़कर रु. 8457.56 करोड़ (92.52%) तथा पब्लिक शेयरधारिता रु. 684.09 करोड़ (7.48%). रही।

छ. बाजार मूल्य के आँकड़े

अवधि -माह	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज		बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज	
	उच्च (रु)	निम्न (रु)	उच्च (रु)	निम्न (रु)
अप्रैल 2018	18.65	17.35	18.50	17.10
मई 2018	18.60	15.25	18.60	15.50
जून 2018	16.55	13.80	16.70	13.85
जुलाई 2018	15.30	12.75	15.32	13.07
अगस्त 2018	16.50	12.20	16.45	14.25
सितंबर 2018	17.30	13.30	17.25	12.85
अक्तूबर 2018	15.45	10.85	15.40	11.05
नवंबर 2018	15.45	13.75	15.55	14.25
दिसंबर 2018	15.35	13.85	15.26	13.60
जनवरी 2019	15.15	13.15	15.14	13.05
फरवरी 2019	14.40	12.00	14.80	11.95
मार्च 2019	15.75	13.30	15.69	13.24

2018-19 के दौरान संबंधित स्टॉक एक्स्चेजों में बैंक के शेयरों का उच्च / निम्न कीमतों के आँकडे स्पष्ट अक्षरों में दिए गए हैं । हमारे बैंक को ट्रेडिंग से सस्पेंड नहीं किया गया है।

ज. 01-04-2018 से 31-03-2019 के दौरान बीएसई संसेक्स निफ्टी 50 की तुलना में इक्विटी निष्पादन

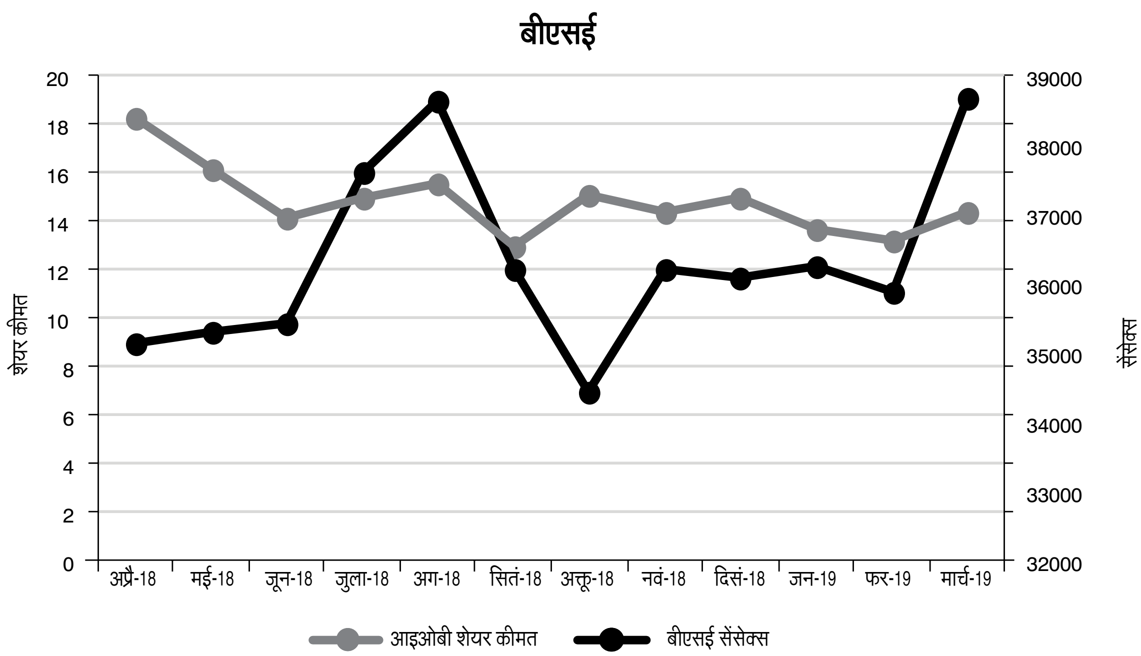

f. The Bank's shares are listed on the following stock exchanges:

Name of the Stock Exchange	Stock Code
Bombay Stock Exchange Ltd.	532388
National Stock Exchange of India Ltd.	IOB EQ AE BE BT

Annual Listing Fees for the year 2018-19 have been paid to the stock exchanges within the prescribed due dates.

Authorized Capital: As on 31.03.2019, the Authorized Capital of the Bank is Rs.10000 crore.

Increase in Paid-up Capital:

The Bank has issued & allotted 137,30,10,821 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of Rs.15.71 per equity share (including premium of Rs.5.71 per equity share) aggregating upto Rs.2157 crore to Government of India on Preferential Basis on 12.11.2018 and 269,54,67,422 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of Rs.14.12 per equity share (including premium of Rs.4.12 per equity share) aggregating to Rs.3806 crore to Government of India on Preferential Basis on 28.03.2019. The Bank has also issued & allotted 18,24,00,000 equity shares of Rs.10/- each for cash at Issue Price of Rs.11.90 per share (including premium of Rs.1.90 per equity share) to Employees under Employees Stock Purchase Scheme (IOB-ESPS 2018) on 04.02.2019 augmenting capital to the extent of Rs.260.47 crore. Hence, the paid-up capital of the Bank has increased from Rs.4890.77 crore to Rs. 9141.65 crore. Government of India's shareholding has increased from Rs.4389.08 crore (89.74%) to Rs.8457.56 crore (92.52%) and the Public shareholding stood at Rs.684.09 crore (7.48%).

g) Market Price Data:-

Period - Month	NSE		BSE	
	High (Rs.)	Low (Rs.)	High (Rs.)	Low (Rs.)
April 2018	**18.65**	17.35	18.50	17.10
May 2018	18.60	15.25	**18.60**	15.50
June 2018	16.55	13.80	16.70	13.85
July 2018	15.30	12.75	15.32	13.07
August 2018	16.50	12.20	16.45	14.25
September 2018	17.30	13.30	17.25	12.85
October 2018	15.45	**10.85**	15.40	**11.05**
November 2018	15.45	13.75	15.55	14.25
December 2018	15.35	13.85	15.26	13.60
January 2019	15.15	13.15	15.14	13.05
February 2019	14.40	12.00	14.80	11.95
March 2019	15.75	13.30	15.69	13.24

Figures in bold represent the high/low price of the Bank's shares traded during the year 2018 -19, in the respective Stock Exchanges. Our Bank was not suspended from trading.

h) Equity performance in comparison to BSE Sensex and Nifty50 during 01.04.2018 to 31.03.2019

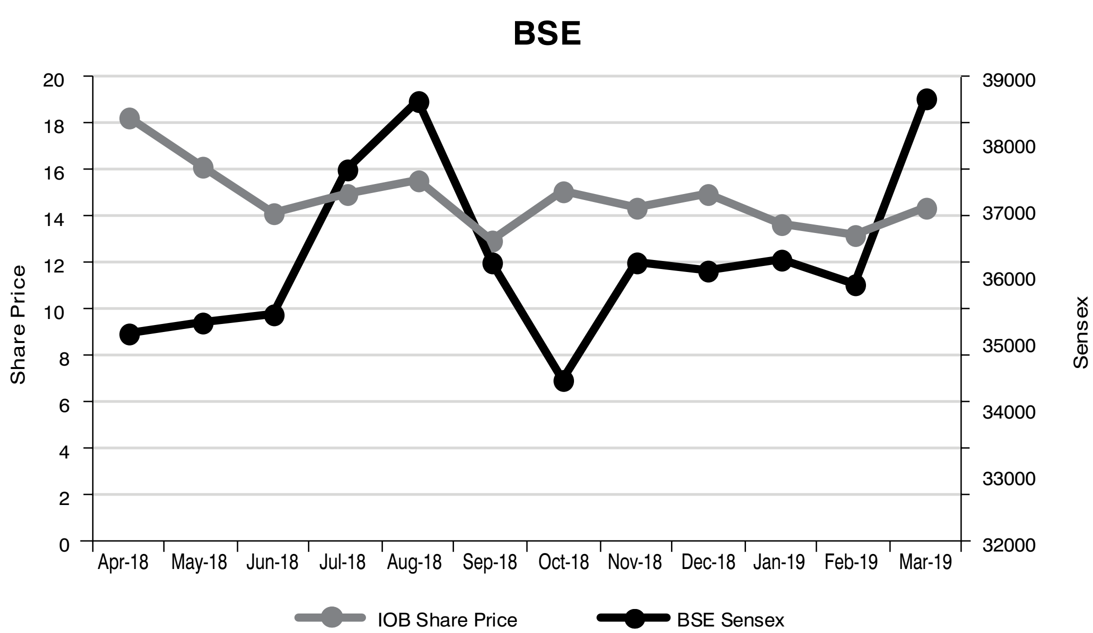

एनएसई

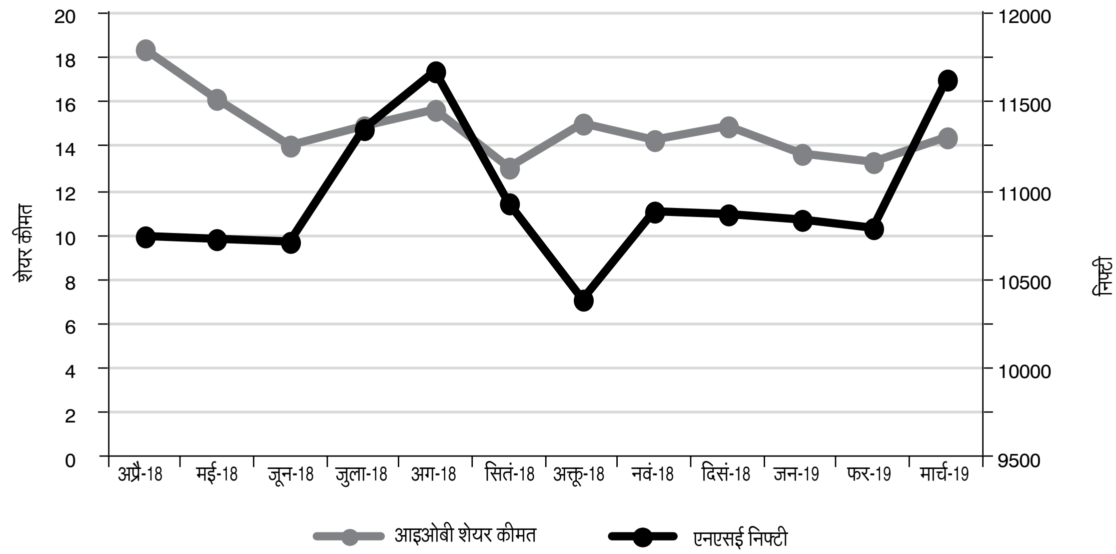

झ) रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट

मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि. (यूनिट - आइ ओ बी)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, पाँचवी मंज़िल न.1, क्लब हाउस रोड चेन्नै - 600 002
टेलिफोन - 044- 28460395, फैक्स- 28460129 ई.मेल : cameo@cameoindia.com

ञ) शेयर अंतरण प्रणाली

हमारे बैंक के निदेशक मंडल ने इक्विटी शेयरों के लेनदेन का अधिकार कार्यपालक स्तरीय शेयर अंतरण समिति (एल्सटैक), महाप्रबंधकों की समिति को शेयर अंतरण एवं प्रेषण आदि पर विचार करने व उसे अनुमोदित करने के लिए दिया है। एल्सटैक बैठकों के कार्यवृत्त प्रत्येक बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। विगत वर्ष में समिति की 26 बैठकें हुयी तथा बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

सेबी एलओडीआर विनियमन 2015 के विनियमन 40 के संशोधन के अवलोकन में शेयरों के संचरण या स्थिति अंतरण जो कि डीमैट रूप में, 01.04.2019 से, रखे गए हैं के अलावा भौतिक रूप से किसी भी शेयर के अंतरण का अनुरोध प्रोसेस नहीं किया जाएगा ।

ठ. 31.03.2019 तक शेयरधारिता का वितरणः

क्रम. सं.	श्रेणी	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
	प्रवर्तकों की धारिता		
1	भारत सरकार	8457562532	92.52
	उप योग	**8457562532**	**92.52**
गैर-प्रवर्तक का धारण			
2	**संस्थागत निवेशक**		
क.	म्यूचुअल फण्डस, यू.टी,आइ	390	0
ख.	बैंक व वित्तीय संस्थाएँ	277209826	3.03
ग.	बीमा कंपनियाँ	13438245	0.15
घ.	विदेशी संस्थागत निवेशक	0	0
ड	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	24486876	0.27
	उप योग	**315135337**	**3.45**
3	**अन्य**		
क.	निजी निगम निकाय	26598300	0.29
ख.	वैयक्तिक	146085687	1.60
ग.	एन.आर.आइ	7491556	0.08
	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	48000	0
	ईएसओपी/ईएसओएस/ईएसपीएस	183645519	2.01
घ.	अन्य	5081287	0.05
	उप योग	**368950349**	**4.03**
	कुल योग	**9141648218**	**100.00**

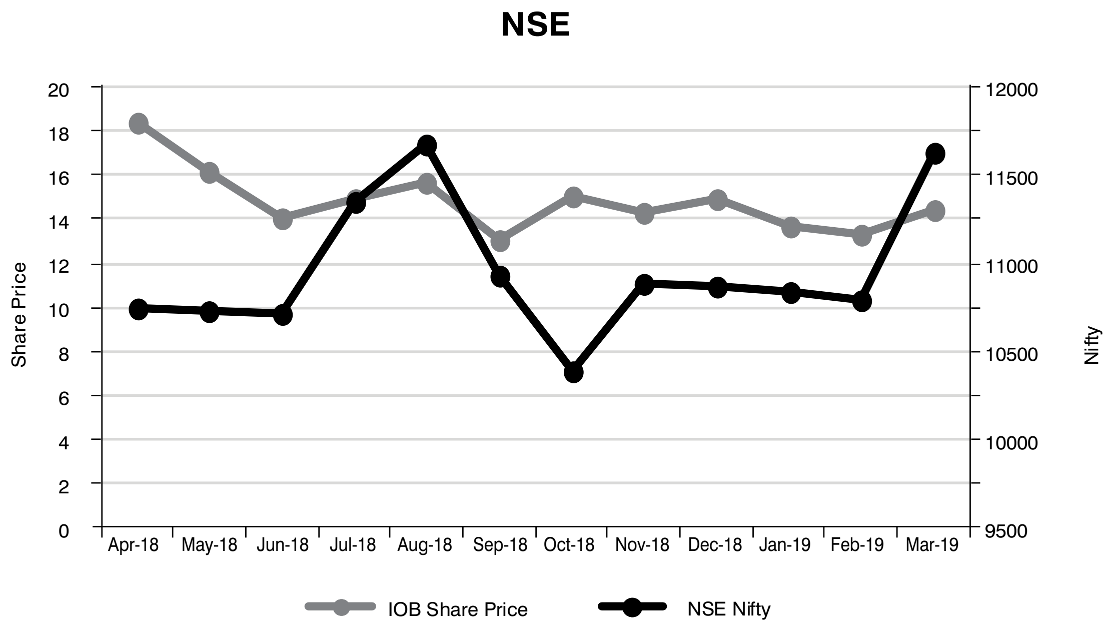

i) Registrar & Share Transfer Agent:

Cameo Corporate Services Limited (Unit-IOB)

Subramanian Building, V Floor No.1 Club House Road, Chennai-600 002

Tel: 044-28460395 Fax: 28460129 e-mail: cameo@cameoindia.com

j) Share Transfer System:

Our Bank's Board of Directors have delegated the power of transactions on equity shares to Executive Level Share Transfer Approval Committee (ELSTAC), Committee of General Managers, to consider and approve Share Transfer, Transmission etc. The minutes of the ELSTAC meetings are reported to the Board of Directors in each meeting. The Committee met 26 times during last year and reports were submitted to the Board.

Pursuant to amendment of Regulation 40 of SEBI LODR Regulations 2015, any request for effecting transfer of shares in physical form shall not be processed except in case of transmission or transposition of shares unless the shares are held in demat form w.e.f. 01.04.2019.

k) Distribution of shareholding as on 31.03.2019:

S. No.	Category	No. of Shares	% of share holding
PROMOTERS HOLDING			
1	Government of India	8457562532	92.52
	Sub-Total	**8457562532**	**92.52**
NON-PROMOTERS HOLDING			
2	**Institutional Investors**		
A	Mutual funds and UTI	390	0
B	Banks, Financial Institutions	277209826	3.03
C	Insurance Companies	13438245	0.15
D	Foreign Institutional Investors	0	0
F	Foreign Portfolio Investor	24486876	0.27
	Sub-Total	**315135337**	**3.45**
3	**OTHERS**		
A	Bodies Corporate	26598300	0.29
B	Individuals	146085687	1.60
C	NRI	7491556	0.08
	Overseas Corporate Body	48000	0
	ESOP/ESOS/ESPS	183645519	2.01
D	Others	5081287	0.05
	Sub-total	**368950349**	**4.03**
	GRAND TOTAL	**9141648218**	**100.00**

ड. 31.03.2019 तक वितरण अनुसूची :

शेयर धारकों की सं.	शेयरधारकों की कुल सं.का %	रु.10 के अंकित मूल्य के शेयरों की कुल शेयरधारिता	शेयरों की कुल रकम (अंकित मूल्य)	कुल सं का %
201785	74.20	10 - 5000	361381010	0.40
28098	10.33	5001- 10000	238125600	0.26
12735	4.68	10001 - 20000	196388870	0.21
4057	1.49	20001 - 30000	104650890	0.11
1935	0.71	30001 - 40000	70590290	0.08
2222	0.82	40001 - 50000	106849540	0.12
15350	5.64	50001 - 100000	1248091540	1.37
5765	2.12	100001 - व अधिक	89090404440	97.46
271947	**100**	**कुल**	**91416482180**	**100**

ढ. 31.03.2019 तक विदेशी शेयरधारिता

क्रम सं.	संवर्ग	31.03.2018 तक		31.03.2019 तक	
		शेयरों की सं	कुल पूँजी की तुलना में %	शेयरों की सं	कुल पूँजी की तुलना में %
1	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ.आइ.आइ)	242012	0.00	शून्य	शून्य
2	ओसीबी	48000	0.00	48000	0.00
3	एनआरआइ	6973788	0.14	7491556	0.08
4	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	26415977	0.54	24486876	0.27
	कुल	**33679777**	**0.69**	**32026432**	**0.35**

उक्त सारणी में वर्णितानुसार 31.03.2019 तक कुल विदेशी शेयरधारण (एनआरआइ, ओसीबी, विदेशी संस्थागत निवेशक) 0.35% था जोकि बैंक की कुल प्रदत्त पूँजी के 20% के निर्धारित स्तर के अंदर है।

ण. 31.03.2019 तक बैंक के पाँच सर्वोच्च शेयरधारकः

क्रम सं	शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की सं	कुल धारण का %
1	भारत के राष्ट्रपति - भारत सरकार	8457562532	92.52
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	262053524	2.87
3	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	8756567	0.10
4	वेंगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, वेंगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड की एक श्रृंखला	7504203	0.08
5	सुआशीष डायमंड लिमिटेड	6831677	0.07

त. शेयरों व प्रत्यक्ष धारिता का अमूर्तिकरण :

बैंक के शेयर अनिवार्य डीमेट ट्रेडिंग के अधीन हैं। बैंक शेयरों के अमूर्तिकरण के लिए जारीकर्ता कंपनी के रूप में बैंक राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी. लि. (एन.एस.डी.एल) और केन्द्रीय डिपॉजिटरी सेवाएं (भारत) लि. (सा. डी.एस.एल) का सदस्य है। शेयरधारक एनएसडीएल या सीडीएसएल किसी के भी साथ अपने शेयरों का अमूर्तिकरण करा सकते है। डिपॉजिटरी सेवा ने बैंक को निम्नलिखित आइ.एस.आइ.एन. कोड आबंटित किया है-आइएनई 565ए 01014

31.03.2019 तक 914.16 करोड़ इक्विटी शेयरों में से 911.42 करोड़ शेयर या 99.70% शेयर 195053 शेयरधारकों के पास डीमेट रूप में है (जिसमें से भारत सरकार 845.76 करोड़ शेयर डीमैट रूप में धारित करता है जोकि समग्रतः 92.52% है) तथा 2.74 करोड़ शेयर या 0.30% शेयर 82929 शेयरधारकों के पास प्रत्यक्ष रूप में है।

l) **Distribution schedule as on 31.03.2019**

INDIAN OVERSEAS BANK - DISTRIBUTION OF HOLDINGS AS ON 31.03.2019

No. of Shareholders	% to Total No. of Shareholders	Shareholding in terms of nominal value of Rs.10/-	Share Amount (Face Value)	% to Total
201785	74.20	10 - 5000	361381010	0.40
28098	10.33	5001- 10000	238125600	0.26
12735	4.68	10001 - 20000	196388870	0.21
4057	1.49	20001 - 30000	104650890	0.11
1935	0.71	30001 - 40000	70590290	0.08
2222	0.82	40001 - 50000	106849540	0.12
15350	5.64	50001 - 100000	1248091540	1.37
5765	2.12	100001 - and Above	89090404440	97.46
271947	**100**	**Total**	**91416482180**	**100**

m) Foreign Shareholding as on 31.03.2019

S. No.	Category	As on 31.03.2018		As on 31.03.2019	
		No. of shares	% To total capital	No. of shares	% To total capital
1	Foreign Institutional Investors	242012	0.00	NIL	NIL
2	OCBs	48000	0.00	48000	0.00
3	NRIs	6973788	0.14	7491556	0.08
4	Foreign Portfolio Investor	26415977	0.54	24486876	0.27
	Total	**33679777**	**0.69**	**32026432**	**0.35**

As detailed in the above table, the total foreign shareholding (FIIs, OCBs, NRIs and Foreign Portfolio Investors) as at 31.03.2019 was 0.35% which is within the stipulated level of 20% of the total paid up capital of the Bank.

n) Top five shareholders of the Bank as on 31.03.2019:

S. No	Name of the Shareholders	No. of Shares held	% of Total Holding
1	The President of India, Government of India	8457562532	92.52
2	LIC of India	262053524	2.87
3	United India Insurance Company Limited	8756567	0.10
4	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, A Series of Vanguard International Equity Index Fund	7504203	0.08
5	Suashish Diamonds Limited	6831677	0.07

o) Dematerialization of shares & Physical Holding:

The shares of the Bank are under compulsory demat trading. The Bank is a member of the depository services with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an issuer company for dematerialization of the Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL. The depository services have allotted the following ISIN code to the Bank: INE565A01014.

Out of 914.16 crore equity shares as on 31.3.2019, 911.42 crore equity shares or 99.70% are held by 195053 shareholders in Demat form (of which Government of India holds 845.76 crore equity shares in Demat form aggregating to 92.52%) and 2.74 crore equity shares or 0.30% are held by 82929 shareholders in physical form.

डीमैट खाते में धारित अदावी शेयरः

अदावी सस्पेंस खाते धारित शेयरों की स्थिति निम्नवत है :

ब्यौरा	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.
01.04.2018 के प्रारंभ में शेयरधारकों की समग्र संख्या और प्रारंभ में अदावी संस्पेंस खाते में पड़े बकाया शेयर	220	54800
ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने अदावी संस्पेंस खाते से वर्ष के दौरान शेयरों के स्थानांतरण के लिए संपर्क किया	शून्य	शून्य
ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्हें अदावी संस्पेंस खाते से शेयरों का स्थानांतरण किया गया	शून्य	शून्य
शेयरधारकों की समग्र सं. और 31.03.2019 के अंत में अदावी संस्पेंस खाते में पड़े बकाया शेयर	220	54800

इन शेयरों से संबंधित वोटिंग अधिकार ऐसे शेयरों के उपयुक्त स्वामी के शेयरों पर दावे तक सुरक्षित रखा जाएगा।

थ. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या अन्य कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख व इक्विटी पर इसका संभाव्य प्रभावः

बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या कोई परिवर्तनीय लिखतें जारी नहीं की है।

द. बैंक ने समय-समय पर वचन-पत्रों के रूप में अप्रत्यावर्तनीय बॉण्ड एकत्र किए गए हैः 31-03-2019 तक बकाया बॉण्डों के विवरण निम्नानुसार हैंः

क्रम	आबंटन की तारीख	आकार (रु.करोड़ों में)	अवधि (महीनों में)	कूपन %	मोचन की तारीख
निम्न टियर ।।					
XIII	24.08.2009	290.00	120	08.48	24.08.2019
XIV	31.12.2010	1000.00	120	08.95	31.12.2020
उच्च टियरII					माँग विकल्प तारीख
III	01.09.2009	510.00	@180	08.80	@01.09.2019
IV	10.01.2011	967.00	@180	09.00	@10.01.2021
टियर I बेसल II (बेमियादी)					
IV	29.9.2009	300.00	@बेमियादी	09.30	@29.09.2019
बेसल III टियर II					
I	03.11.2016	800.00	*120	9.24	#03.11.2021
II	10.12.2018	300.00^	120	11.70	#08.12.2023

@ 10 वर्ष के अंत में माँग विकल्प उपलब्ध है (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ)। यदि माँग विकल्प का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो कूपन दर को 50 बीपीएस तक बढ़ाया जाएगा ।

5 वर्ष के अंत में माँग विकल्प उपलब्ध है (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ)

^ बेसल III टियर II बॉन्ड श्रृंखला II के माध्यम से जुटाई गई 300 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग उस उेश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे लिया गया था जैसा कि सूचना ज्ञापन दिनांक 10.12.2018 में उल्लेख किया गया था, जो कि बेसल III आवश्यकताओं के अनुसार और दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए पूंजी पर्याप्तता को मजबूत करने हेतु टियर II पूँजी और बैंक की समग्र पूँजी को बढ़ाने के लिए है।

ध. इश्यू का बॉण्ड ट्रस्टी

बैंक ने उक्त सभी बाँड इश्यू के लिए बॉण्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स आइडीबीआइ ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि., मुंबई को नियुक्त किया है जो बॉण्ड्स के निवेशको के हितों की रक्षा करे। ट्रस्टी का पता निम्नवत हैः

मेसर्स आइडीबीआइ ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि.,
एशियन बिल्डिंग 17 आर कमानी रोड, बालार्ड एस्टेट, फोर्ट मुंबई- 400001

संपर्क विवरण : सुश्री शीतल
वरिष्ठ प्रबंधक
022-40807000

न . लेखापरीक्षकों की फीस :

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक द्वारा सभी सेवाओं के लिए वैधानिक लेखा-परीक्षकों को रु.216, 385, 627.00 की फीस प्रदान की गई ।

Unclaimed shares held in Demat Account:

The position of shares held in the unclaimed suspense account is mentioned below:

Details	No. of shareholders	No. of Shares
Aggregate number of shareholders and outstanding shares lying in unclaimed suspense account at the beginning 01.04.2018	220	54800
Number of Shareholders who approached for transfer of shares from unclaimed suspense account during the year	NIL	NIL
Number of Shareholders to whom shares were transferred from the unclaimed suspense account	NIL	NIL
Aggregate Number of Shareholders and the outstanding shares lying in the unclaimed suspense account at the end of 31.03.2019	220	54800

The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

q) Outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity:

The Bank has not issued any GDRs /ADRs / Warrants or any convertible instruments.

r) The Bank has raised non-convertible bonds in the nature of promissory notes from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2019 are as follows:

Series	Date of Allotment	Size (Rs. in cr)	Tenor (in months)	Coupon %	Redemption Date
Lower Tier II					
XIII	24.08.2009	290.00	120	08.48	24.08.2019
XIV	31.12.2010	1000.00	120	08.95	31.12.2020
Upper Tier II					**Call Option Date**
III	01.09.2009	510.00	@180	08.80	@01.09.2019
IV	10.01.2011	967.00	@180	09.00	@10.01.2021
Tier I Basel II (Perpetual)					
IV	29.09.2009	300.00	@perpetual	09.30	@29.09.2019
Basel III Tier II					
I	03.11.2016	800.00	*120	9.24	#03.11.2021
II	10.12.2018	300.00^	120	11.70	#08.12.2023

@Call option available at the end of 10 years (with the prior approval of RBI). If the call Option is not exercised, the coupon rate will be stepped up by 50 bps.

#Call option available at the end of 5 years (with prior approval of RBI)

^The funds of Rs.300 crores raised through Basel III Tier II Bonds Series II have been utilised for the purpose for which it was raised as mentioned in the information memorandum dated 10.12.2018 namely to augment Tier II Capital and overall Capital of the Bank for strengthening the capital adequacy as per Basel III requirements and for enhancing the long term resources.

s) BOND TRUSTEE TO THE ISSUE:

The Bank has appointed M/s. IDBI Trusteeship Services Ltd., Mumbai, as Bond Trustees to all the above Bond Issues, to safeguard and to protect the interests of the investors of the Bonds. Address of the Trustees is given below:

IDBI Trusteeship Services Ltd.,
Asian Building, 17 R Kamani Road, Ballard Estate, Fort, MUMBAI-400 001

Contact Details: Ms. Sheetal
Senior Manager
022-40807000/ 40807006

t) Auditors Fee:

Total Fee paid by the Bank for all services to the Statutory Auditors during FY 2018-19 is Rs. 216,385,627.00

क्रेडिट रेटिंग

ए देशीय

रेटिंग एजेंसियों के नाम	निम्न टियर II			उच्च टियर II			टियर I बेसलII (बेमियादी) श्रृंखला IV	अतिरिक्त टियर I बेसल I III श्रृंखला I*	बेसल III टियर II		जमा कार्यक्रम का प्रमाण पत्र	मियादी जमा कार्यक्रम
	श्रृंखला XII #	श्रृंखला XIII	श्रृंखला XIV	श्रृंखला II #	श्रृंखला III	श्रृंखला IV			श्रृंखला I	श्रृंखला II		
ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्रा. लि.	--	--	--	--	--	--	--	बीबीबी+	--	--	--	--
केयर रेटिंग्स लिमिटेड	--	--	--	--	--	--	--	बीबीबी	--	--	--	--
क्रिसिल लिमिटेड	स्थिर ए +	स्थिर ए +	स्थिर ए +	स्थिर ए -	स्थिर ए -	स्थिर ए -	स्थिर ए -	--	स्थिर ए +	स्थिर ए +	ए 1+	एफएए स्थिर
आइसीआरए लिमिटेड	ए + नकारात्मक	ए + नकारात्मक	ए + नकारात्मक	ए - नकारात्मक	ए - नकारात्मक	ए - नकारात्मक	ए - नकारात्मक	--	ए +(एचवाइबी) नकारात्मक	ए +(एचवाइबी) नकारात्मक	ए 1+	--

* ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्रा. लि. और केयर रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा एटी-1 बॉण्ड की रेटिंग को बैंक द्वारा अतिरिक्त टियर 1 बेसल III बॉण्ड श्रृंखला पर विनियामक मांग विकल्प 13.06.2018 को लागू होने पर वापस ले लिया गया
#वर्ष के दौरान भुनाया गया और रेटिंग को वापस लिया गया

बी. अंतर्राष्ट्रीय

रेटिंग एजेंसियों का नाम	दीर्घावधि स्थानीय और विदेशी मुद्रा जमा	आधारभूत क्रेडिट मूल्यांकन (बीसीए) व समायोजित बीसीए	विदेशी मुद्रा काउंटरपार्टी जोखिम	ऑउटलुक
मूडी इंवेस्टर सर्विस, सिंगापुर	बीए 2	बी 2	बीए1/एनपी	स्थिर
	(बीए 3 से अपग्रेड किया गया जो कि 11.03.2019 से प्रभावी है)	(बी3 से अपग्रेड किया गया जो कि 11.03.2019 से प्रभावी है)		(ऑउटलुक 11.03.2019 से सकारात्मक से परिवर्तित)

रेंटिंग एजिंसियों का नाम	जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग
एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स	बीबी/ स्थिर / बी

Credit Ratings

A. Domestic

Name of the Rating Agencies	LOWER TIER II			Upper Tier II			Tier I Basel II (Perpetual) Series IV	Additional Tier I Basel III Series I*	Basel III Tier II		Certificate of Deposit Programme	Fixed Deposit Programme
	Series XII #	Series XIII	Series XIV	Series II #	Series III	Series IV			Series I	Series II		
Brickwork Ratings India Pvt. Ltd.	--	--	--	--	--	--	--	BBB+	--	--	--	--
CARE Ratings Limited	--	--	--	--	--	--	--	BBB	--	--	--	--
CRISIL Limited	A+ Stable	A+ Stable	A+ Stable	A- Stable	A- Stable	A- Stable	A- Stable	--	A+ Stable	A+ Stable	A1+	FAA Stable
ICRA Limited	A+ Negative	A+ Negative	A+ Negative	A- Negative	A- Negative	A- Negative	A- Negative	--	A+(hyb) Negative	A+(hyb) Negative	A1+	--

*Credit Rating by Brickwork Ratings India Pvt. Ltd. and CARE Ratings Limited on AT-1 Bonds stands withdrawn consequent to exercise of regulatory call option on Additional Tier 1 Basel III Bonds Series I by the Bank on 13.06.2018.

#Redeemed during the year and rating stands withdrawn.

B. International

Name of the Rating Agencies	Long-term local and foreign currency deposit	Baseline Credit Assessment (BCA) and Adjusted BCA	Foreign currency counterparty risk	Outlook
Moody's Investors Service, Singapore	Ba2 (Upgraded from Ba3 w.e.f. 11.03.2019)	b2 (Upgraded from b3 w.e.f. 11.03.2019)	Ba1/NP	Stable (Outlook changed from Positive w.e.f. 11.03.2019)

Name of the Rating Agencies	Issuer Credit Rating
S&P Global Ratings	BB/ Stable/ B

न) पत्राचार करने का पताः

शेयरों के अन्तरण, लाभांश भुगतान और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी क्रियाकलाप रजिस्ट्रार व शेयर अन्तरण एजेन्ट मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सेवाएं लि. के कार्यालय में किए जाते हैं। शेयरधारक अपने अन्तरण विलेख और अन्य कोई भी दस्तावेज, शिकायतें निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं।

मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि.

(यूनिट - आइ.ओ.बी.) सुब्रमणियन बिल्डिंग, पाँचवीं मंज़िल

नं.1, क्लब हाउस रोड चेन्नै 600 002

टेलिफोन -044- 28460395, फैक्स- 28460129 ई.मेल : : cameo@cameoindia.com

बैंक के निम्नलिखित पते पर शेयरधारकों की शिकायतों के निपटान के लिए और उनकी सेवा के लिए बैंक के केंद्रीय कार्यालय में निवेशक संबंध कक्ष है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
निवेशक संपर्क कक्ष, केन्द्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै
चेन्नै-600 002

टेलिफोन : 044-71729791, 28415702, 28519654

ई.मेलः investor@iobnet.co.in/investorcomp@iobnet.co.in

प्रकटीकरण

क. प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों यानी पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी से संबंधित पार्टी लेनदेन के प्रकटन की तिमाही आधार पर समीक्षा मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है ।

ख. बैंक के निदेशकों, प्रबंधन उनके संबंधियों आदि के साथ बैंक के ऐसे कोई महत्वपूर्ण पार्टी लेनदेन नहीं हैं जिनसे बैंक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ।

ग. वर्ष के दौरान बीएसई और एनएसई ने बोर्ड बैठक की तिथि को सूचित करने में देरी के लिए 10,000 रुपये (केवल दस हजार रुपये मात्र) का जुर्माना लगाया है। बैंक ने दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को भुगतान कर दिया है। उपरोक्त को छोड़कर, स्टाक एक्सचेंजों /सेबी / किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा 31.03.2019 को समाप्त पिछले तीन वर्षो के दौरान पूंजी बाजार संबंधी किसी भी विषय पर बैंक पर न तो दण्ड लगाया गया और न ही आलोचना की गई है और कुछ गैर अनुपालन के कारण रु. 2 लाख का दंड लगाया गया जिसे वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट में रिपोर्ट किया गया था।

घ. सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान में बैंक मे एक विसल ब्लोअर नीति है और यह पुष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति को लेखा-परीक्षा समिति की पहुँच नकारी नहीं गई है और यह हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ङ. बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी सांविधिक / दिशानिर्देशों / निदेशों में दी गई सभी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का पालन किया है ।

च. सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 34 के संदर्भ में, वर्ष 2018-19 के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट जो इस रिपोर्ट का भाग है, हमारे बैंक की वेबसाइट www.iob.in में उपलब्ध कराई गई है

छ. प्रासंगिक वस्तुओं के प्रति इस रिपोर्ट में बताए गए अनुसार गैर अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाया गया है।

ज. बैंक कमोडिटी बाजार गतिविधियों का संचालन नहीं करता है।

झ. 01.04.2018 तक लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या - 1

वित्तीय वर्ष के दौरान लैंगिक उत्पीड़न की दर्ज शिकायतों की संख्या - 10,

वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाये गये शिकायतों की संख्या - 9,

31.03.2019 तक लंबित शिकायतों की संख्या - 2.

ञ. एमडी व सीईओ तथा ईडी का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है ।

इन्हें दिए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्न रूप से दिया गया हैः

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि	पारिश्रमिक का ब्योरा*			राशि (रू. में)
				वेतन	बकाया	पी एफ	
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	प्र.नि व मु.का. अ.	01.04.2018 - 31.03.2019	2821896	22848	230160	30,74,904.00
2	श्री के स्वामिनाथन	का.नि					
			01.04.2018 - 31.03.2019	2345141	21322	216990	25,83,453.00
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	का.नि	01.04.2018 - 31.03.2019	2343003	21534	216930	25,81,467.00

*भारतीय रूपये में राशि

भारत सरकार के दिनांक 18.01.2019 के परिपत्र सं. 15/1/2011- बी.ओ.1 के अनुसार बैंक गैर कार्यपालक निदेशक को बोर्ड बैठक की अध्यक्षता हेतु रू.10000/- एवं समिति की बैठक के लिए रू. 5,000/- की अतिरिक्त फीस सहित प्रति बोर्ड बैठक रू.40000/- बैठक शुल्क व रू. 20000/- प्रति समिति बैठक के अलावा किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं प्रदान करता।

ट. सेबी(एलओडीआर) के विनियमन 17 (8) के अनुसार सीईओ और सीएफओ का प्रमाणपत्र बैंक के निदेशक मंडल को सौंप दिया गया है और एक प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है

ठ. सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 34 के संदर्भ में, वर्ष 2018-19 के लिए बैंक में कॉर्पोरेट शासन पर वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है और यह इस रिपोर्ट के साथ अनुबंधित है।

t) Address for Correspondence:

Share transfers, dividend payment and all other investor related activities are attended to and processed at the office of Cameo Corporate Services Ltd., Registrars & Share Transfer Agents. Shareholders may lodge documents, grievances and complaints at their address:

Cameo Corporate Services Ltd.

(Unit-IOB) Subramanian Building, V Floor

No.1 Club House Road, Chennai-600 002

Tel: 044-28460395 Fax: 28460129 email:cameo@cameoindia.com

The Bank has an Investor Relations Cell at its Central Office to handle the complaints and service requirements of the shareholders at the following address:

Indian Overseas Bank

Investor Relations Cell, Central Office, 763, Anna Salai

Chennai-600 002

Tel: 044-28519654, 71729791, 28415702,

email: investor@iobnet.co.in / investorcomp@iobnet.co.in

Disclosures

a. Disclosures as to Related Party Transactions of Key Managerial Personnel i.e. Whole Time Directors are being reviewed on a quarterly basis by the Audit Committee of the Board.

b. There are no significant related party transactions of the Bank with its directors, management or their relatives etc that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.

c. During the year BSE & NSE have imposed penalty of Rs.10,000.00 (Rupees Ten Thousand only) each plus GST for delay in intimating date of Board Meeting. The Bank has made payment to both the stock exchanges. Except for the above and penalty of Rs. 2.00 lakhs imposed due to certain non compliance, which was reported in Annual Report 2017-18, no other penalties were imposed or strictures passed on us by Stock Exchanges/SEBI/ any Statutory authority on any matter related to capital market during the last three years ended 31.03.2019

d. Bank has a Whistle Blower Policy and affirmed that no personnel has been denied access to the Audit Committee as per CVC guidelines and the same is disclosed in our website.

e. The Bank has complied with all the mandatory requirements to the extent provided for in the statutes/guidelines/directives issued from time to time by RBI/Government of India to the nationalized banks.

f. In terms of Regulation 34 of SEBI (LODR), Business Responsibility Report for the year 2018-19 forms part of this report and is made available in our Bank's web site: www.iob.in

g. The Non Mandatory requirements have been adopted as stated in this report against the relevant items.

h. The Bank does not undertake commodity market activities.

i. Number of sexual harassment complaints as on 01-04-2018 - 1

Number of complaints filed during the financial year – 10

Number of complaints disposed off during the financial year – 9

Number of complaints pending as on 31-03-2019 – 2.

j. The remuneration of MD & CEO and EDs is fixed by the Government of India. The details of remuneration paid to the MD & CEO and EDs are detailed below:

S. No	Name	Designation	Period	Details of Remuneration*			Amount (Rs)
				Salary	Arrears	PF	
1	Mr R Subramaniakumar	MD & CEO	01.04.2018 - 31.03.2019	2821896	22848	230160	30,74,904.00
2	Mr K Swaminathan	ED	01.04.2018 - 31.03.2019	2345141	21322	216990	25,83,453.00
3	Mr Ajay Kumar Srivastava	ED	01.04.2018 - 31.03.2019	2343003	21534	216930	25,81,467.00

*Amount in INR

The Bank does not pay any remuneration to the Non-Executive Directors except sitting fee fixed by Government of India which is Rs.40,000/- per Board Meeting and Rs.20,000.00 per Committee Meeting and additional Fee of Rs.10,000/- for chairing Board Meeting and Rs.5,000 for chairing Board Committee meeting in terms of GOI Circular No.F.No.15/1/2011-BO.I dated 18.01.2019.

k. The Certificate of CEO and CFO in accordance with Regulation 17(8) of SEBI (LODR) has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this report.

l. In terms of Regulation 34 of SEBI (LODR), a certificate has been obtained from the Statutory Central Auditors on corporate governance in the Bank for the year 2018-19 and the same is annexed to this report.

ड. बैंक की लाभांश वितरण नीति रिपोर्ट का भाग है और बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर उपलब्ध है

ढ. निदेशकों के लिए परिचित कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर दिया गया है

ण. बैंक को वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार से रु. 5963 करोड़ की पूंजी प्राप्त हुई। बैंक ने अधिमानी आधार पर 406,84,78, 243 ईक्विटी शेयर जारी किए।

हम इस बात की पुष्टि करते है कि बैंक की पूँजी पर्याप्तता को बढ़ाने के लिए और बैंक की सामान्य व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस धन का उपयोग किया गया है।

बी. गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ

गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ	बैंक द्वारा अपनाई गई
बोर्ड-गैर कार्यपालक द्वारा कंपनी के खर्चे पर कार्यालय का रखरखाव	भारत सरकार द्वारा अबतक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है ।
शेयरधारकों के अधिकार	वित्तीय परिणाम वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं।
ऑडिट अर्हता	2018-19 की लेखापरीक्षा टिप्पणी में योग्य अभ्युक्ति मौज़ूद नहीं है।
अध्यक्ष व सीईओ के अलग पद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को भारत सरकार द्वारा एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष में बांटा गया है ताकि बैंक को पूर्ण नीति निर्देश दिया जा सके और एक पूर्णकालिक कार्यकारी प्रबंध निदेशक और सीईओ बैंक के दिन-प्रतिदिन कार्य की निगरानी कर सकें।
आंतरिक लेखापरीक्षक	बैंक की अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा निरीक्षण है और उनकी रिपोर्ट आवधिक रूप से समीक्षा हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

चेन्नै
09.05.2019

(आर. सुब्रमण्यकुमार)
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

m. The Dividend Distribution Policy of the Bank forms part of this Report and is available on the Bank's website at www.iob.in

n. Details of familiarization programmes for Directors have been given on the Bank's website at www.iob.in

o. The Bank has received Capital Infusion from Government of India (GOI) aggregating to Rs. 5,963 Crore during FY 2018-19. The Bank has issued 406,84,78,243 equity Shares on preferential basis to GOI for such Capital Infusion.

We confirm that the funds have been utilized for the purpose for which it was raised namely to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

B. NON MANDATORY REQUIREMENTS:

Non Mandatory Requirements	Our Adoption
The Board – Maintenance of an office by a non-executive Chairman at the company's expense	Bank has not provided office for the non-executive Chairman
Shareholders Rights	The financial results are displayed in our website.
Audit Qualification	The Audit Reports for the year 2018-19 do not contain qualified remarks.
Separate post of Chairman and CEO	The post of Chairman and Managing Director of Public Sector Banks has been bifurcated by the Government of India into a non-executive Chairman to give an overall policy direction to the Bank and a full time executive Managing Director & CEO to oversee the day to day functioning of the Bank.
Internal Auditor	The Bank has its own Internal Audit/ Inspection and their reports are periodically placed to the Audit Committee for review.

For and on behalf of the Board of Directors

Chennai
09.05.2019

(R. Subramaniakumar)
Managing Director & CEO

वर्ष 2018-19 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस विषयक निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध

ANNEXURE TO REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2018-19

निदेशकों का जीवन परिचय DIRECTORS PROFILE

1. श्री टी सी ए रंगनाथन
अध्यक्ष

आयु व जन्म तिथि : 65 वर्ष - 19.11.1953

योग्यता : स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र

नियुक्ति की तिथि : 16.02.2017

वर्तमान टर्म की समाप्ति तिथि : 15.02.2020

अनुभव :

संत स्टीफेन कॉलेज , दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक/ स्नातकोत्तर करने के उपरांत श्री टी सी ए रंगनाथन का 40 वर्षों का बैंकिंग अनुभव है।

श्री टी सी ए रंगनाथन ने फरवरी 2010 से नवंबर 2013 के दौरान एक्सिम बैंक में सीएमडी के रूप में कार्य किया। एक्सिम बैंक के अध्यक्ष के रूप में , वे भारत सरकार के कुछ विदेशी पहलों जैसे कि इंडो - साऊथ अफ्रिका सीईओ फोरम, इंडो अफ्रिका बिजनेस काउंसिल,इंडो- म्यांमार संयुक्त व्यापार व निवेश फोरम , इत्यादि ।

श्री टी सी ए रंगनाथन ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय स्टेट बैंक से की जहाँ उन्होंनेशाखा प्रमुख/ शाखा नियंत्रक के रूप में घरेलू बैंक़िंग़ कार्य करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग , कॉर्पोरेट वित्त, निवेश बैंकिंग क्षेत्रों में भी कार्य किया और निम्न पदों पर कार्य किया:

- 2009-2010 के दौरान स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर व जयपुर में प्रबंध निदेशक के रहे
- 2007-2009 के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महा प्रबंधक के रूप में कार्य किया
- 2005-2007 के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया
- 2004-05 के दौरान उत्तर भारत में महा प्रबंधक और मिड कॉर्पोरेट हेड ,क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में कार्य किया
- 2001-2004 के दौरान एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड के वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट एवं नार्थ इंडिया हेड के रूप में कार्य किया
- वर्ष 2000-2001 के दौरान नई तकनीक के शुभारंभ और प्रबंधन पहल में परिवर्तन हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्थापित तकनीकी योजना ग्रुप के सदस्य के रूप में कार्य
- वर्ष 1997-1999 के दौरान नव गठित ऋण मूल्यांकन कक्ष, भारतीय स्टेट बैंक के हेड
- वर्ष 1995-1997 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक (पश्चिमी राजस्थान) के रूप में कार्यरत

उनके पूर्व के अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों में चीन (एसबीआइ , शंघाई) में पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग परिचालन का शुभारंभ , नार्थ अमरीका, अफ्रिका व एशिया में विभिन्न एसबीआई सहायकों में बोर्ड में पदासीन रहना, इत्यादि शामिल रहे।

वर्तमान में वे आइटीसी जेनेवा (एक यूनडीपी संगठन) से संबद्ध होने के साथ-साथ एनएसई/ बीएसई/ एनसीडीईएक्स/ इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन के पैनलों के ज़रिए निर्णायक के रूप में कार्य करने के अलावा दो यू.एस. आधारित अंतरराष्ट्रीय परामर्शन संगठनों- मेसर्स गेर्सन लेहमान ग्रुप और मेसर्स बोवर एशिया ग्रुप के साथ भी संबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंतराष्ट्रीय व्यापार/ घरेलू अर्थव्यवस्था संबंधी मुद्दों विभिन्न आर्थिक समाचार- पत्रों एवं मैगजीनों में कॉलम लिखे हैं।

आईओबी में शेयरधारण : उनके पास बैंक की इक्विटी शेयरधारिता नहीं है।

अन्य निदेशकता : श्री टी सी ए रंगनाथन निम्न मंडलों के गैर कार्यकारी निदेशक हैः

1. आइसीएमए का आइपीए
2. एसआइएस लिमिटेड
3. आरएएल ग्राहक उत्पाद लिमिटेड
4. ओरियंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड

1. Shri. T C A Ranganathan
Chairman

Age and Date of Birth : 65 years - 19.11.1953

Qualification: MA Economics

Date of Appointment :16.02.2017

Date of expiry of the Current term :15.02.2020

Experience :

Shri T. C. A. Ranganathan has over 40 years of banking experience after completing his graduation/ post-graduation in Economics from St. Stephen's College, Delhi School of Economics.

Shri T. C. A. Ranganathan served as the Chairman and Managing Director of Export-Import Bank of India from February 2010 to November 2013. As Chairman of Exim Bank, he had been a member of several Government of India overseas initiatives such as Indo-South Africa CEO Forum, Indo-Africa Business Council, Indo-Myanmar Joint Trade and Investment Forum etc.

Shri T C A Ranganathan started his career with State Bank of India wherein he had diverse assignments in International Banking, Investment Banking, Corporate Finance and Consultancy in addition to Domestic Banking as Branch Head/ Branch Controller and also held the following positions :

- Managing Director of State Bank of Bikaner & Jaipur from 2009-2010.
- Chief General Manager of State Bank of India from 2007-2009
- Chief Executive Officer of State Bank of India from 2005-2007
- General Manager and Head of the Mid Corporate Regional Office for North India (2004-05)
- Senior Vice President and North India Head of SBI Capital Markets Ltd. (2001-2004)
- Member of Technology Planning Group set up by SBI for introducing new technology and change management initiatives (2000-2001)
- Head of Credit Appraisal Cell of the newly formed Commercial Network, State Bank of India, New Delhi (1997-99)
- Regional Manager of SBI (Western Rajasthan) (1995-1997).

His earlier International experiences include starting the first Indian Commercial Banking operations in China (SBI Shanghai) and Board positions in various SBI subsidiaries in North America, Africa and Asia.

Currently, he is associated with ITC Geneva (a UNDP organization) as also 2 US based international consultancy organizations – M/s. Gerson Lehman Group and M/s. Bower Asia Group apart from working as an arbitrator through the panels of NSE/BSE/NCDEX/Indian Council of Arbitration in addition to contributing columns in various economic newspapers and magazines on issues relating to international trade/ domestic economy.

Shareholding in IOB : He does not hold any shares of the Bank

Other Directorships : Shri T C A Ranganathan is an independent non executive Director on the boards of :

a) IPA of ICMA
b) SIS Ltd.
c) RAL Consumer Products Ltd.
d) Orient Electric Limited

2. श्री आर सुब्रमण्यकुमार
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

29.09.2016 को कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला।

उन्हें 11.11.2016 से 10.02. 2017 तक तीन माह की अवधि हेतु प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया और 28.02.2017 से अगले 03 माह की अवधि के लिए प्रभार सौंपा गया

05.05.2017 से एमडी व सीईओ के पद पर नियुक्त

आयु व जन्म तिथि : 59 वर्ष - 15.06.1959

योग्यता : बीएससी, सीएआइआइबी, कंप्यूटर विज्ञान में पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा, सीआइएसए, सीआइएसएम

नियुक्ति की तिथि : 29.09.2016 (ईडी के रूप में)
05.05.2017 (एमडी व सीईओ के रूप में)

वर्तमान टर्म की समाप्ति तिथि : 30.06.2019

अनुभव :

आईओबी में आने के पूर्व 22 जनवरी 2016 तक वे इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक थे। इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में, वह खुदरा, एमएसएमई और अन्य व्यावसायिक वर्टिकल के शुभारंभ के साथ व्यापार परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।उन्होंने नए उत्पादों और सेवाओं के साथ डिज़िटल बैंकिंग परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुरुआत में श्री आर. एस.कुमार पंजाब नेशनल बैंक में शामिल हुए और तीन दशकों से अधिक समय तक वहाँ कार्य किया। पंजाब नेशनल बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान, वह बीपीआर अभ्यास के साथ बैंक के कोर बैंकिंग कार्यान्वयन और प्रौद्योगिकी पहलों का नेतृत्व किया, और एचआर, वैकल्पिक चैनल, प्रौद्योगिकी, खुदरा, एमएसएमई, नई व्यावसायिक पहलों में परिवर्तन अभ्यास , आदि क्षेत्रों में परिवर्तन अभ्यास- "प्रगति" का नेतृत्व किया । वह भूटान के "ड्रुक पीएनबी" के बोर्ड में थे। उन्होंने पीएनबी में अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न व्यावसायिक वर्टिकलों में कार्य किया है और साथ ही उन्होंने पीएनबी में अपने कार्यकाल के दौरान अंचल प्रमुख के रूप में भी कार्य और वर्टिकल में कई अभिनव बैंकिंग समाधान पेश किए हैं। उनके अभिनव आरआरबी सीबीएस मॉडल को कई अन्य बैंकों द्वारा अपनाया गया। इसके साथ ही उन्होंने एफआइ मॉडल में भी अपना योगदान दिया।

ग्राहक सेवा विकास का हिस्सा रहते हुए उन्होंने कई ग्राहक सेवा वृद्धि पहल जिसमें ''ग्राहक पहले'' की धारणा का शुभारंभ करने के अलावा पीएनबी में संपर्क केंद्र की स्थापना की ।

टेक्नो बैंकर होते हुए , उन्होंने प्रौद्योगिकी व वित्तीय समावेशन विषयक विभिन्न आइबीए तथा आइडीआरबीटी समितियों में योगदान दिया और वे स्मार्ट कार्ड तथा माइक्रो एटीएम स्टैंडड्र्स समिति के कोर सदस्य थे। वे आइडीआरबीटी, हैदराबाद तथा भारिबैं प्रशिक्षण केन्द्र, चेन्नै में अतिथि संकाय थे। अपने 36 वर्ष के बैंकिंग करियर में उन्होंने विभिन्न पदों पर और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया ।

आईओबी में शेयरधारण : 17,285 शेयर
अन्य निदेशकता : शून्य

2. Shri R Subramaniakumar
Managing Director & CEO

Appointed as Executive Director w.e.f. 29.09.2016

Entrusted with the Additional charge of MD & CEO for a period of 3 months from 11.11.2016 to 10.02.2017 and for a period of another 3 months from 28.02.2017.

Appointed as MD & CEO w.e.f. 05.05.2017

Age and Date of Birth : 59 Years – 15.06.1959

Qualification: B.Sc., CAIIB, Post Graduate Diploma in Computer Science, CISA, CISM

Date of Appointment : 29.09.2016 (as ED)
05.05.2017 (as MD & CEO)

Date of expiry of the Current term : 30.06.2019

Experience :

Prior to joining IOB, Shri. R. Subramaniakumar was Executive Director of Indian Bank since 22nd January 2016. As Executive Director of Indian Bank, he was instrumental in bringing the business transformation with introduction of Retail, MSME & other business verticals. He spearheaded Digital Banking transformation with new products & services. Earlier, Shri. R. S. Kumar joined Punjab National Bank and served for more than three decades. During his stint in Punjab National Bank, he lead the core banking implementation and technology initiatives of the Bank, along with BPR exercise, and lead the "Pragati" – transformation exercise across HR, Alternate Channel, Technology, Retail, MSME, New Business Initiatives, etc. He was on the Board of "Druk PNB", Bhutan. He has experience across various business verticals and also served as Zonal Head during his tenure at PNB and introduced many innovative banking solutions across the verticals. His innovative RRB CBS model was adopted by many other banks. He also championed the FI model.

As part of customer service enhancement exercise, he established the contact centre practice in PNB apart from introducing many Customer Service enhancing initiatives including "Customer First" concept.

Being a techno Banker, he contributed in various IBA & IDRBT committees on technology & FI and was core member of the Smart Card and Micro ATM Standards Committee. He was a guest faculty at IDRBT, Hyderabad and RBI Staff Training College, Chennai. He has worked in various positions and geographies during his career spanning 36 years in the industry.

Shareholding in IOB : 17,285 Shares
Other Directorships : Nil

3. श्री के स्वामीनाथन
कार्यपालक निदेशक

आयु व जन्म तिथि : 56 वर्ष - 30.07.1962

योग्यता : बीकॉम, सीएआइआइबी, सीएफए,एआइसीडब्ल्यूए

नियुक्ति की तिथि : 17.02.2017

वर्तमान टर्म की समाप्ति तिथि : 16.02.2020

अनुभव :

श्री के स्वामीनाथन ने 10.06.1985 को चेन्नै परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में बैंक में शामिल हुए तथा बैंकिंग के सभी आयामों का ज्ञान व अनुभव प्राप्त करते हुए भारत के विभिन्न ग्रामीण/ अर्ध- शहरी / शहरी /प्रशासनिक कार्यालयों में कार्य किया। उनका हांग-कांग में भी चार वर्षों का कार्यकाल रहा।

3. Shri K Swaminathan
Executive Director

Age and Date of Birth : 56 Years – 30.07.1962

Qualification : B.Com., CAIIB, C.F.A., AICWA

Date of Appointment : 17.02.2017

Date of expiry of the Current term : 16.02.2020

Experience :

Shri K Swaminathan joined the Bank on 10.6.1985 as Probationary Officer at Chennai and worked at various Branches under different capacities in Rural/Semi urban and Urban Branches/administrative offices PAN India gaining rich experience and knowledge in all domain of Banking. He also had a four year stint in Hongkong.

वे मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में मदुरै व हैदराबाद क्षेत्र के प्रमुख रह चुके हैं। महा प्रबंधक के रूप में उनकी पदोन्नति 01.09.2014 को हुई और उन्हें कॉर्पोरेट ऋण पुनर्संरचना विभाग तथा मिड कॉर्पोरेट विभाग के महाप्रबंधक के रूप में केंद्रीय कार्यालय में तैनात किया गया।

कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत होने के पूर्व उन्होंने महा प्रबंधक के तौर पर मुंबई अंचल जिसमें 07 क्षेत्र शामिल हैं, के अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया। गुणवत्ता आस्तियों में सुधार, टीएटी को कम करना , अनर्जक आस्तियों की वसूली, ग्राहक डिलाइट पर जोर देना, इत्यादि आने वाले दिनों में उनके प्रमुख एजेंडा हैं।

आईओबी में शेयरधारण : 18085 शेयर
अन्य निदेशकता : शून्य

4. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

आयु व जन्म तिथि : 51 वर्ष -15.10.1967

योग्यता : बी.एससी (ऑनर्स), सीएआइआइबी भाग 1

नियुक्ति की तिथि : 09.10.2017

वर्तमान टर्म की समाप्ति तिथि : 08.10.2020

अनुभव :

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने 09.10.2017 को कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इसके पूर्व वे इलाहाबाद बैंक में फील्ड महा प्रबंधक - दिल्ली के रूप में कार्यरत थे।

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1991 में इलाहाबाद बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की और अपने 27 वर्ष के बैंकिंग करियर में उन्होंने देश के विभिन्न भागों ,जिसमें फील्ड और प्रशासनिक कार्यालय शामिल हैं , में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया। वे एक विद्वान/ कार्यकुशल और हार्डकोर बैंकर हैं जिन्हें फील्ड का विशाल अनुभव है तथा उन्हें उत्तर प्रदेश, गुजरात एवं दिल्ली के बड़े व महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नेतृत्व करने का अनुभव प्राप्त है। उन्होंने सकारात्मक संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी हैं और क्षेत्र में विभिन्न वर्टिकल का नेतृत्व करते समय कई नए पहलों का शुभारंभ किया है। श्री श्रीवास्तव ने भारत व विदेशों में कुछ प्रतिष्ठित प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

आईओबी में शेयरधारण : 18,746 शेयर

अन्य निदेशकता :शून्य

5. सुश्री ऐनी जॉर्ज मैथ्यू
सरकार नामिती

आयु व जन्म तिथि : 55 वर्ष - 21.10.1963

योग्यता : एमएससी

नियुक्ति की तिथि : 22.07.2016

वर्तमान टर्म की समाप्ति तिथि : भारत सरकार के अगले आदेश तक

अनुभव :

अभी वर्तमान में व्यय विभाग, भारत सरकार में संयुक्त सचिव हैं।

आईओबी में शेयरधारण : उनके पास बैंक की इक्विटी शेयरधारिता नहीं है।

अन्य निदेशकता : शून्य

Shri K Swaminathan headed Madurai and Hyderabad Regions as Chief Regional Manager and contributed significantly for the development of the Bank. He was elevated as General Manager on 1.9.2014 and posted to Central Office as GM of Corporate Debt Restructuring Department and Mid Corporate Department.

Before his elevation as Executive Director, he was heading Mumbai Zone, comprising of 7 western Regions. Improving quality assets, minimizing TAT, recovering non performing assets and targeting customer delight are his main agenda.

Shareholding in IOB : 18085 Shares
Other Directorships : Nil

4. Shri Ajay Kumar Srivastava
Executive Director

Age and Date of Birth : 51 Years – 15.10.1967

Qualification : B.Sc. (Hons), CAIIB Part I

Date of Appointment : 09.10.2017

Date of expiry of the Current term : 08.10.2020

Experience :

Shri Ajay Kumar Srivastava has assumed Office as Executive Director of Indian Overseas Bank on 9th October 2017. Prior to this he was working as Field General Manager- Delhi with Allahabad Bank.

He started his banking career as Probationary Officer in 1991 with Allahabad Bank and during his banking career spanning over 27 years, he has worked in various capacities in different parts of the country which include Field as well as Administrative Offices. He is an astute and hardcore banker with vast field level experience and has the distinction of having successfully led the largest and most critical areas of Uttar Pradesh, Gujarat and Delhi. He has been instrumental in bringing positive structural and cultural changes and took many new initiatives while heading different verticals in the field. Mr Srivastava has undergone some very prestigious training programmes both in India and abroad.

Shareholding in IOB : 18,746 Shares

Other Directorships : Nil

5. Ms Annie George Mathew
GoI Nominee

Age and Date of Birth : 55 years - 21.10.1963

Qualification : M.Sc.

Date of Appointment : 22.07.2016

Date of expiry of the Current term : Until further orders from Government of India

Experience :

Ms. Annie George Mathew is presently the Joint Secretary, Department of Expenditure, Government of India.
Shareholding in : IOB She does not hold any equity shares of the Bank
Other Directorships : NIL

6. श्री निर्मल चंद
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती

आयु व जन्म तिथि : 58 वर्ष - 31.01.1961

योग्यता : पंजाब विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर, एमबीए व सीएआइआइबी

नियुक्ति की तिथि : 13.03.2014

वर्तमान टर्म की समाप्ति तिथि : भारत सरकार के अगले आदेश तक

अनुभव :

श्री निर्मल चंद 1986 में भारतीय रिज़र्व बैंक में शामिल हुए।

उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों में कई पद पर कार्य किया। पूर्व में उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के साथ- साथ कोलकाता, जयपुर, नई दिल्ली और रायपुर में अवस्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, गैर- बैंकिंग पर्यवेक्षण, करेंसी प्रबंधन और भुगतान प्रणाली विभाग में कार्य किया। श्री निर्मल चंद भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्य किया था जिसका अधिकार क्षेत्र केरल राज्य और संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक फैला हुआ है। उसके बाद उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक , चंडीगड़ के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्य किया। वर्तमान में वे मुख्य महा प्रबंधक के रूप में सरकारी व बैंक खाता विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में कार्यरत हैं।

आईओबी में शेयरधारण : शून्य

अन्य निदेशकता : शून्य

7. श्री संजय रुंगटा
शेयरधारक निदेशक

आयु व जन्म तिथि : 53 वर्ष - 26.01.1966

योग्यता : बी.कॉम , एफ. सी.ए , एफ.ए.एफ.पी

नियुक्ति की तिथि : 08.12.2017

वर्तमान टर्म की समाप्ति तिथि : 07.12.2020

अनुभव :

श्री संजय रुंगटा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया और चार्टेड अकाउंटेंट के रूप में कार्य कर रहे है , उन्हें बैंकिंग, वित्त व कर- निर्धारण तथा सार्वजनिक/ प्राइवेट बैंक के लिए कार्य करने का 28 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे मेसर्स एस. पी.रुंगटा एवं एसोसियेटस के वरिष्ठ प्रबंध पार्टनर हैं साथ ही वे डीएमकेएच इनसोल्वेंसी रेसूल्यूसन सर्विस एलएलपी में भी पार्टनर हैं।

श्री रुंगटा 'दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ऑफ इंडिया' (आईबीबीआई) के साथ 'पंजीकृत दिवालियापन पेशेवर' (आईपी) है। श्री संजय रुंगटा आसीएआइ द्वारा नामित ''पियर रीव्युअर्स'' के पैनल में शामिल हैं और उन्होंने विभिन्न सीए फर्मों की पियर समीक्षा की है। बैंकिग जगत में लेखापरीक्षा के अपने वृहत अनुभव के अलावा उन्होंने कई प्राइवेट व पब्लिक सेक्टर कारपोरेशन, बीमा कंपनियों, केंद्रीय सहकारी समितियों, सरकारी कंपनियों का विभिन्न प्रकार से लेखापरीक्षण किया है।

विगत 28 वर्षों में उनके द्वारा बैंक की शाखाओं में विभिन्न प्रकार की लेखा परीक्षा जैसे नियमित आंतरिक निरीक्षण , संपार्श्विक लेखा परीक्षा , सांविधिक लेखा परीक्षा एवं स्टॉक लेखा परीक्षा , प्राथमिक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन , सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से बड़े कॉर्पोरेट घरेलू उधारकर्ताओं का प्रबोधन और समुचित सावधानी बरतना, इत्यादि किया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक के सीडीआर कक्ष के अंतर्गत निगरानी संस्थान के सीडीआर क्रियाविधि के तहत बड़े उधारकर्ताओं हेतु संपार्श्विक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए गये हैं।

उन्होंने भारत और विदेशों में व्यापक रूप से यात्रा की है। उनके विशेष दिलचस्पी बैंकिंग, वित्त, सहकारी क्षेत्र और सामाजिक कार्य आदि में हैं।

आईओबी में शेयरधारण : उनके पास बैंक के 600 इक्विटी शेयर हैं।

अन्य निदेशकता : शून्य

6. Shri. Nirmal Chand
RBI Nominee

Age and Date of Birth : 58 years - 31.01.1961

Qualification : Post Graduate from Punjab University, M.B.A., CAIIB

Date of Appointment : 13.03.2014

Date of expiry of the Current term : Until further orders from Government of India

Experience :

Shri Nirmal Chand joined the Reserve Bank of India in 1986.

He has held several positions in RBI's various Offices. He has earlier worked in RBI's Central Office at Mumbai as well as other Regional Offices at Kolkata, Jaipur, New Delhi and Raipur in the departments of Banking Supervision, Non-Banking Supervision, Currency Management and Payment Systems. Shri Nirmal Chand was the Regional Director of Reserve Bank of India (RBI), Thiruvananthapuram having jurisdiction over State of Kerala and Union Territory of Lakshadweep. Later he was the Regional Director of RBI, Chandigarh. Presently he is working as CGM in the Department of Government & Bank Accounts at RBI Central Office, Mumbai.

Shareholding in IOB : He does not hold any equity shares of the Bank
Other Directorships : Nil

7. Shri Sanjay Rungta
Shareholder Director

Age and Date of Birth : 53 Years – 26.01.1966

Qualification : B.Com, F.C. A., F.A.F.P

Date of Appointment : 08.12.2017

Date of expiry of the Current term : 07.12.2020

Experience :

Shri Sanjay Rungta from Mumbai has done B.Com from Rajasthan University and is a practicing Chartered Accountant with more than 28 years of experience in Banking, Finance & Taxation and has been working for the Public/Private Sector Banks. He is a Senior Managing Partner of M/s. S. P. Rungta & Associates, Chartered Accountants. He is also a partner in DMKH Insolvency Resolution Services LLP.

Shri Rungta is a 'Registered Insolvency Professional' (IP) with 'Insolvency & Bankruptcy Board of India'(IBBI). He is also on the panel of "Peer Reviewers" nominated by the ICAI and has also conducted peer reviews of various CA firms in accordance with the ICAI regulations in the last few years. Apart from vast experience of audits of banking industry, he has also handled various types of assignments of many private and public sector corporations, insurance companies, central cooperative societies, government companies.

In the last 28 years he has conducted various kinds of audits of the Bank's Branches like regular Internal inspection, Concurrent Audit, Statutory Audit and has conducted stock audit, valuation of primary securities, due diligence and monitoring of large corporate domestic borrowers on behalf of Public Sector Banks. He was also appointed as concurrent auditor of large borrowers under the CDR mechanism by the Monitoring Institution under CDR cell of RBI.

He has widely travelled in India and abroad. His special interests are Banking, Finance, Cooperative Sector and Social Work etc.

Shareholding in IOB : He holds 600 shares of our Bank
Other Directorships : Nil

8. श्री के रघु
सनदी लेखाकार निदेशक

आयु व जन्म तिथि : 53 वर्ष - 09.10.1965
योग्यता : बीकॉम व एफसीए
नियुक्ति की तिथि : 26.07.2016
वर्तमान टर्म की समाप्ति तिथि : 25.07.2019

अनुभव :

सीए के. रघु इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट के फेलो सदस्य हैं जिन्हें 26 वर्ष से अधिक का व्यवसायिक अनुभव है और के. रघु व को. चार्टेड अकाउंटेंट , बंगलोर के वरिष्ठ पार्टनर हैं।

सीए के. रघु ने वर्ष 2014-15 में इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तथा 2007 से 2016 तक की 9 वर्षों की अवधि के लिए केंद्रीय काउंसिल के सदस्य के रूप में कार्य किया।

वर्तमान में वे निम्न में सदस्य के रूप में कार्यरत हैं:-

- द बोर्ड ऑफ इंटरनैशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स- न्यूयॉर्क.
- सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया तथा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के सम्मानित सदस्य

  सीए के. रघु ने विभिन्न अन्य संस्थानों और सरकारी समितियों में कार्य किया जो कि निम्नवत है :-

- बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) के बोर्ड के सदस्य
- लेखा मानकों के राष्ट्रीय सलाहकार समिति , एशिया एवं पैशिफिक अकाउंटेंट के कंफिडरेशन के सदस्य
- बैंकों द्वारा एक्सबीआरएल आधारित डेटा प्रस्तुति के कार्यान्वयन के लिए उच्च स्तरीय संचालन समिति सदस्य
- कॉर्पोरेट प्रशासन, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और कॉर्पोरेट मामलों के अन्य पहलुओं के क्षेत्र में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित कार्यकारी समूह के सदस्य
- प्रतिभूतियों के म्यूचुअल फंड ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पर सलाहकार समिति के सदस्य
- कर्नाटक में एनबीएफसी के क्षेत्रीय निगरानी समिति के सदस्य
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा गठित लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य - केंद्र व राज्य हेतु सी व एजी द्वारा गठित सरकारी लेखा मानकों की सलाहकार समिति के सदस्य
- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित कॉर्पोरेट मामलों पर भारत - यूके (इंडो- यूके) टास्क फोर्स के सदस्य
- सार्वजनिक वित्त व नीति के राष्ट्रीय नीति की प्रशासनिक निकाय के सदस्य
- प्रत्यक्ष कर का केंद्रीय बोर्ड की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति (सीडीटीएसी) और क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकारी समिति (आरडीटीएसी)के सदस्य
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेतु नेशनल फाउंडेशन की सरकारी समिति के सदस्य

आईओबी में शेयरधारण : उनके पास बैंक की इक्विटी शेयरधारिता नहीं है।

अन्य निदेशकता : शून्य

8. Shri K Raghu
Chartered Accountant Director

Age and Date of Birth : 53 Years – 09.10.1965
Qualification : B.Com., FCA
Date of Appointment : 26.07.2016
Date of expiry of the Current term : 25.07.2019

Experience :

CA K. Raghu is a Fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India with more than 26 years of professional standing and is the senior partner of K. Raghu & Co., Chartered Accountants, Bangalore.

CA K. Raghu served as the President of the Institute of Chartered Accountants of India during 2014-15 and as a member of the Central Council for a period of 9 years from 2007 to 2016.

He is currently a Member of the following:

- The Board of International Federation of Accountants – New York.
- Honorary Member of the Certified Public Accountants of Australia and The Institute of Chartered Accountants of Australia and New Zealand.

CA K. Raghu has served in various other Institutions and Government Committees as under:

- Member of the Board of Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA)
- Member of the Confederation of Asia and Pacific Accountants, National Advisory Committee on Accounting Standards
- Member of the High level Steering Committee for Implementation of XBRL based data submission by Banks.
- Member of the Working Group constituted by the Ministry of Corporate Affairs in the areas of Corporate Governance, Corporate Social Responsibility and other aspects of Corporate Affairs
- Member of the Advisory Committee on Mutual Funds of Security and Exchange Board of India.
- Member of the Regional Monitoring Committee of NBFCs in Karnataka.
- Member of the Audit Advisory Board constituted by the Office of the Comptroller & Auditor General of India, Member of the Government Accounting Standards Advisory Board (GASAB) for Union and the States constituted by C&AG.
- Member of the India-UK (Indo-UK) Task Force on Corporate Affairs constituted by the Ministry of Corporate Affairs.
- Member of the Governing Body of the National Institute of Public Finance and Policy.
- Member of the Central Direct Taxes Advisory Committee (CDTAC) of Central Board of Direct Taxes and on Regional Direct Taxes Advisory Committee (RDTAC).
- Member of the Governing Council of National Foundation for Corporate Governance (NFCG).

Shareholding in IOB : He does not hold any shares of our Bank.

Other Directorships: NIL

9. श्री नवीन प्रकाश सिन्हा
शेयरधारक निदेशक

आयु व जन्म तिथि : 56 वर्ष 15.10.1962

योग्यता : बी ए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र
भारत के बीमा संस्थान से लाइसेंस प्राप्त

नियुक्ति की तिथि : 08.12.2017

वर्तमान टर्म की समाप्ति तिथि : 07.12.2020

अनुभव :

श्री नवीन प्रकाश सिन्हा को वित्त उत्पाद विपणन , मानव संसाधन प्रबंधन और श्रम कानून विशेषरूप से जो पेंशन, ग्रैच्युटी व अन्य कर्मचारी लाभ से संबद्ध है, का विशाल अनुभव है।

वित्तीय उत्पाद विपणन :

- हजारीबाग, पटना और हैदराबाद डिवीजन के सीनियर डिवीजनल मैनेजर (इन-चार्ज) के रूप में, वह लक्षित प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए इन डिवीजनों के तहत सभी शाखाओं की मार्केटिंग और सर्विसिंग गतिविधियों दोनों की निगरानी और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार थे।
- क्षेत्रीय प्रबंधक(विपणन) के रूप में, वे अंचल के विपणन रणनितियों के विकास व कार्यांवयन तथा विपणन गतिविधियों के पर्यवेक्षण हेतु जिम्मेदार थे।
- प्रमुख (पी व जी एस) के रूप में वे समूह पोर्टफोलियो के निवेश में शामिल थे जिसमें वित्तीय बाजारों की दैनिक निगरानी समाहित थी।

मानव संसाधन प्रबंधन :

- क्षेत्रीय प्रबंधक (पी व आइ आर) के रूप में वे अंचल के मानव संसाधन प्रबंधन,जिसमें पदोन्नती व अधिकारियों का पदस्थापन शामिल है, जिम्मेदार रहे।
- जेडटीसी, गुड़गांव के अतिरिक्त निदेशक और निदेशक के रूप में, वह उत्तरी क्षेत्र के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार थे और उन्होंने इसे उत्कृष्टता के सीखने के केंद्र के रूप में विकसित किया।

  विशेष रूप से पेंशन, ग्रैच्युइटी और अन्य कर्मचारियों के लाभ से संबंधित श्रम कानून।

- प्रमुख (पी व जी एस) के रूप में वे कॉर्पोरेट कार्यालय के पेंशन व ग्रुप इंश्योरेंस वर्टिकल के विपणन एवं प्रशासन हेतु जिम्मेदार थे।

वर्तमान / भूत में एल आईसी में धारित पद :

- 09.08.2018 से अभी तक अंचल प्रबंधक (उ.प्र. व उत्तराखण्ड के प्रभारी के रूप में)
- अप्रैल 2017 से सितंबर 2017 तक अतिरिक्त निदेशक (अंचल प्रशिक्षण केंद्र), गुड़गांव
- अप्रैल 2015 से अप्रैल 2017 तक प्रमुख (पेंशन व समूह सेवानिवृत्ति योजनाएँ), केंद्रीय कार्यालय, मुंबई
- अप्रैल 2012 से अप्रैल 2015 तक क्षेत्रीय प्रबंधक (विपणन) , दक्षिण केंद्रीय अंचल, हैदराबाद
- अप्रैल 2011 से अप्रैल 2012 तक क्षेत्रीय प्रबंधक (कार्मिक व औद्योगिक संबंध) दक्षिण अंचल, चेन्नै

9. Shri Navin Prakash Sinha
Shareholder Director

Age and Date of Birth : 56 years 15.10.1962

Qualification : BA (Hons) Economics
Licenciate of Insurance Institute of India

Date of Appointment : 08.12.2017

Date of expiry of the Current term : 07.12.2020

Experience :

Shri Navin Prakash Sinha has vast experience in the field of Financial Product Marketing, Human Resource Management and Labour laws especially related to Pension, Gratuity, and other Employees' benefits.

Financial Product Marketing:

- As a Sr. Divisional Manager (In-Charge) of Hazaribagh, Patna and Hyderabad Division, he was responsible for monitoring and controlling both marketing and servicing activities of all branches under these Divisions for achieving targeted performance.
- As a Regional Manager (Marketing), he was responsible for developing and implementing Marketing strategies of the Zone, Supervising marketing activities under Zone.
- As a Chief (P&GS), he was involved in investment of Group portfolio which included daily monitoring of Financial Markets.

Human Resource Management:

- As a Regional Manager (P&IR), he was responsible for human resource management of the zone involving promotion and placement of officers.
- As an additional Director and Director ZTC, Gurgaon, he was responsible for training of all officers & employees of Northern zone and developed it as a learning centre of excellence.

  Labour laws especially related to Pension ,Gratuity, and other employees' benefits:

- As a Chief (P&GS), he was responsible for marketing and administration of Pension & Group Insurance vertical from Corporate Office.

Post held in LIC at Present/Past

- Zonal Manager (In Charge of UP and Uttarakhand) from 09.08.2018 till date
- Director (Zonal Training Centre), Gurgaon from October, 2017 till 08.08.2018
- Additional Director (Zonal Training Centre), Gurgaon from April, 2017 to September, 2017
- Chief (Pension & Group Superannuation Schemes), Central Office, Mumbai from April, 2015 to April, 2017
- Regional Manager (Marketing), South Central Zone, Hyderabad from April, 2012 to April, 2015
- Regional Manager (Personnel & Industrial Relations), Southern Zone, Chennai from April, 2011 to April , 2012
- National Relationship Manager, Chennai from July, 2010 to April, 2011

- जुलाई 2010 से अप्रैल 2011 तक राष्ट्रीय संबंध प्रबंधक , चेन्नै
- अगस्त 2007 से जुलाई 2010 तक मुख्य प्रबंधक , मॉरिशस
- मई 2006 से अगस्त 2007 तक सीनियर डिविज़नल मैनेजर (इन - चार्ज), हैदराबाद
- मई 2004 से मई 2006 तक सीनियर डिविज़नल मैनेजर (इन - चार्ज),पटना
- मई 2002 से मई 2004 तक सीनियर डिविज़नल मैनेजर (इन - चार्ज), हजारीबाग

आईओबी में शेयरधारण : उनके पास हमारे बैंक के 100 शेयर हैं।

अन्य निदेशकता : शून्य

- Chief Manager, Mauritius from August, 2007 to July, 2010
- Sr. Divisional Manager (In-charge) of Hyderabad from May, 2006 to August, 2007
- Sr. Divisional Manager (In-charge) of Patna Division from May, 2004 to May, 2006
- Sr. Divisional Manager (In-charge) of Hazaribagh Division from May, 2002 to May, 2004.

Shareholding in IOB : He holds 100 Shares of our Bank.

Other Directorships : Nil

घोषणा

इस बात की पुष्टि की जाती है कि बैंक ने मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन (यानी महा प्रबंधकों) के लिए आचार संहिता निर्धारित की है और इसे बैंक की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

चेन्नै
दिनांक : 09.05.2019

(आर सुब्रमण्यकुमार)
प्रबंध निदेशक व सीइओ

सेवा में,
निदेशक मंडल
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

31.03.2019 को समाप्त 12 महीनों के लिए बैंक का वित्तीय विवरण

सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (एलओडीआर) के विनियम 17(8) के अनुसार सीईओ / सीएफओ का प्रमाणीकरण

सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (एलओडीआर) के विनियम 17(8) के अनुसार,हम प्रमाणित करते हैं किः

क. हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमने उक्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है :

- i. इन विवरणों में कोई भी विवरण विषय की दृष्टि से गलत नहीं है या इनमें कोई भी तथ्य छोड़ा नहीं गया है या भ्रम पैदा करनेवाले ब्योरे शामिल नहीं हैं ;
- ii. ये सभी विवरण बैंक के क्रियाकलापों की सत्य और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं और ये वर्तमान लेखाकरण मानकों, प्रभावी कानूनों और विनियमों के अनुसार हैं ।

ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो धोखाधड़ीपूर्ण, गैरकानूनी हों या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हों ।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी लेते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और इन आंतरिक नियंत्रणों की रचना या परिचालन में यदि कोई कमियां हों, जिसकी जानकारी हमें है और उन्हें सुधारने के संबंध में हमारे द्वारा किए गए उपायों या प्रस्तावित उपायों की जानकारी हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को दी है ।

घ. हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित जानकारी दी हैः

- i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में,
- ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में और उन्हें वित्तीय विवरण के नोट्स में प्रकट किया गया है; और
- iii. महत्वपूर्ण धोखाधड़ियों की घटनाएं जिनकी हमें जानकारी है और जिनमें प्रबंधन या कर्मचारी शामिल है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग विषयक बैंक की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राधा वेंकटकृष्णन
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

आर सुब्रमण्यकुमार
प्रबंध निदेशक व सीईओ

चेन्नै
दिनांक : 09.05.2019

DECLARATION

This is to confirm that the Bank has laid down a code of conduct for all the Board Members and Senior Management (i.e., General Managers) of the Bank and the said code is posted on the website of the Bank. The Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct.

For Indian Overseas Bank

Chennai
Date: 09.05.2019

(R Subramaniakumar)
Managing Director & CEO

To
The Board of Directors
Indian Overseas Bank

Financial Statements of the Bank for the 12 months ended 31.03.2019

CEO/CFO Certification as per Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR)

In terms of Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), we certify that:

A. We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the year and to the best of our knowledge and belief:

- i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
- ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's Code of Conduct.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We have indicated to the auditors and the Audit Committee

- i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
- ii. Significant changes in accounting policies during the year and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
- iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Radha Venkatakrishnan
General Manager & CFO

R Subramaniakumar)
Managing Director & CEO

Chennai
Date: 09.05.2019

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन संबंधी लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, चेन्नै
के सदस्यों को

हमने 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, चेन्नै द्वारा कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया जैसा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं)विनियम, 2015 के सेबी लिस्टिंग विनियमन की अनुसूची V के पैराग्राफ सी, डी एवं ई तथा विनिपयमन 46(2) के खंड (बी) से (आइ) तथा विनियमन 17 से 27 में निर्धारित किया गया है।

कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कार्पोरेट गवर्नैन्स विषयक प्रमाणीकरण संबंधी मार्गदर्शक नोट के अनुसार हुआ और यह प्रबंधन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो लेखा परीक्षा है न ही यह इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करता है।

हमारे अभिमत एवं जानकारी के अनुसार तथा बैंक द्वारा रखें गए रिकार्डों और दस्तावेजों एवं हमें दी गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सेबी लिस्टिंग विनियमन की अनुसूची V के पैराग्राफ सी, डी एवं ई तथा विनिपयमन 46(2) के खंड (सी) से (एफ) एवं (आइ) तथा विनियमन 17 से 27 में निर्धारित कार्पोरेट गवर्नेन्स संबंधी बैंक पर लागू शर्तों का अनुपालन बैंक द्वारा किया गया है।

साथ ही, हम यह भी सूचित करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है व न ही प्रबंधन की दक्षता या प्रभावात्मकता का, जिससे कि प्रबंधन ने बैंक के कार्यकलाप संपन्न किए हैं।

AUDITORS' CERTIFICATE REGARDING COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

To
The Members of
Indian Overseas Bank
Chennai

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Indian Overseas Bank ("the bank") Chennai, for the year ended on 31.03.2019, as stipulated in the Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of regulation 46 (2) and paragraphs C, D and E of Schedule V of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations").

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was carried out in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance issued by the Institute of Chartered Accountants of India and was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the Regulation 17 to 27 and clauses (c) to (f) and (i) of regulation 46(2) and paragraphs C, D and E of Schedule V of the SEBI Listing Regulations, to the extent applicable to the Bank, for the year ended on March 31, 2019.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

कृते आर सुब्रमणियन एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 004137एस/एस 200041

(आर सुब्रमणियन)
साझेदार
एम.नं. 08460

कृते एस ए आर सी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 006085एन

(चेतन ठक्कर)
साझेदार
एम. नं. 114196

कृते पात्रो एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 310100ई

(एन आनन्द राव)
साझेदार
एम संख्या 051656

कृते एम श्रीनिवासन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 004050एस

(एम श्रीनिवासन)
साझेदार
एम संख्या 022959

For R SUBRAMANIAN AND COMPANY LLP
Chartered Accountants
FRN 004137S/S200041

(R SUBRAMANIAN)
Partner
M.No.08460

For S A R C & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 006085N

(CHETAN THAKKAR)
Partner
M.No. 114196

For PATRO & CO
Chartered Accountants
FRN 310100E

(N ANANDA RAO)
Partner
M.No.051656

For M. SRINIVASAN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 004050S

(M. SRINIVASAN)
Partner
M.No.022959

प्रारूप संख्या - एमआर - 3
साचिविक लेखा रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए

सेवा में,
सदस्यगण, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक,

मेसर्स इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आगे इसे बैंक के रूप में व्यक्त किया जाएगा) द्वारा अपनाई गई अच्छी नैगमिक प्रक्रियाओं और प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की मैंने साचिविक लेखा परीक्षा की। साचिविक लेखा परीक्षा इस रूप में की गई कि उससे मुझे कारपोरेट व्यवहारों/ सांविधिक अनुपालनों को मूल्यांकित करने के लिए एक तर्कसंगत आधार मिला जिस कारण मैं अपने अभिमत उद्घाटित कर पाया।

मेसर्स इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, फार्मों और दायर की गई विवरणियों एवं बैंक द्वारा अभिरक्षित अन्य रिकार्डों की मेरे द्वारा जांच के आधार पर और बैंक, उसके अधिकारियों, एजेंटों व प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रदत्त सूचना के आधार पर बैंक ने निम्नवत सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि बैंक के पास समुचित बोर्ड - प्रक्रिया एवं अनुपालन प्रणाली काफी हद तक मौजूद है जो कि यहां पर आगे रिपोर्ट की जाने वाली विषय-वस्तु के तथ्य एवं पद्धति के अनुसार होगी :

मैंने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **मेसर्स इण्डियन ओवरसीज़ बैंक** (बैंक) की बहियों काग़जातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्मों और दायर अन्य विवरणियों एवं अभिरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की और यह जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की गई :

1. कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और उसके तहत निर्धारित नियमों के अनुसार - आइईपीएफ से संबंधित प्रावधान लागू होते हैं।
2. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 (एससीआरए) और उसके अंतर्गत नियमों के अनुसार
3. डिपोजिटरीज़ अधिनियम 1996 और उसके तहत सृजित विनियमों और उपनियमों के अनुसार
4. विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पारगमन प्रत्यक्ष निवेश एवं बाहरी वाणिज्यक उधारों के संदर्भ में निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार
5. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार :
   - क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहितों के पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम 2011
   - ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिबंध) विनियम 2015
   - ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2009 और सेबी (आइसीडीआर) 2018.
   - घ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश 1999 और सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन 2014
   - ङ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन एवं लिस्टिंग) विनियम 2008
   - च. कंपनी अधिनियम और क्लाइंट के साथ लेन-देन से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गमन के पंजीकार एवं शेयर अंतरण एजेंट) विनियम 1993 (लागू नहीं)
   - छ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम 2009 (लागू नहीं)

Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT
For the Financial Year 2018-19

To,
The Members,
Indian Overseas Bank

I have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **M/s. Indian Overseas Bank (hereinafter called the Bank).** Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my verification of the **M/s. Indian Overseas Bank** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in my opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended 31st March 2019, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by **M/s. Indian Overseas Bank** ("the Bank") for the financial year ended on 31st March 2019 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder; - The IEPF related provisions are applicable.

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

- (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 and SEBI (ICDR) 2018.
- (d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 and SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014.
- (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
- (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; (NOT APPLICABLE)
- (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; (NOT APPLICABLE)

ज. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुर्नखरीद) विनियम 1998 (लागू नहीं)

अन्य नियम/ कानून जो इस बैंक पर विशेष रूप से लागू होते हैं, वे हैं:

6. बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970

7. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949

मैंने निम्नलिखित के प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जांच की है

I. भारतीय कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी साचिविक मानकताएं (लागू नहीं)

II. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015

वर्ष के दौरान बैंक ने बीएसई और एनएसई दोनों को ही रूपए 11,800 (जीएसटी सहित) दंड शुल्क अदा किया जो कि निदेशक मंडल की बैठक के बारे में पूर्व सूचना प्रस्तुत करने में विलम्ब के प्रति रहा।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूँ कि बैंक का निदेशक मंडल बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970 के अनुसार विधिवत गठित है।

बोर्ड की बैठकों के शेड्यूल के प्रति सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट पहले ही भेज दिए गए और बैठक के पहले कार्यसूची की मदों पर और अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने व मांगने के लिए तथा बैठक में सार्थक प्रतिभागिता के लिए पहले से ही एक व्यवस्था मौजूद है।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूँ कि बैंक के आकार और परिचालनों के समतुल्य ही बैंक में पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं मौजूद हैं ताकि प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का प्रबोधन किया जा सके व अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूँ कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने -

I. रू 2,157 करोड़ के कैपिटल इन्फ्यूज़न के लिए 12.11.2018 के दिन भारत सरकार को अधिमान्यता आधार पर रू 15.71 प्रति शेयर की दर (रू 5.71 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) पर नगद के लिए रू 10 (रूपए 10 मात्र) प्रति शेयर के हिसाब से 137,30,10,821 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए।

II. रू 3,806 करोड़ के कैपिटल इन्फ्यूज़न के लिए 28.03.2019 के दिन भारत सरकार को अधिमान्यता आधार पर रू 14.12 प्रति शेयर की दर (रू 4.12 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) पर नगद के लिए रू 10 (रूपए 10 मात्र) प्रति शेयर के हिसाब से 269,54,67,422 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए।

III. रू 260.47 करोड़ की हद तक पूँजी की वृद्धि हेतु 4.02.2019 के दिन कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (आइओबी-ईएसपीएस - 2018) के तहत कर्मचारियों के लिए रू 11.90 प्रति शेयर की दर (रू 1.90 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) पर नगद के लिए रू 10 (रूपए 10 मात्र) प्रति शेयर के हिसाब से 18,24,00,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए।

वी. सुरेश

प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव

स्थान : चेन्नै
तिथि : 06.05.2019

एफसीएस न. 2969
सी. पी. नं. 6032

(h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998; (NOT APPLICABLE)

Other Laws specifically applicable to this Bank is as follows:

(vi) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970

(vii) The Banking Regulations Act, 1949

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. (NOT APPLICABLE)

(ii) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

During the year the Bank paid a penalty of Rs. 11,800/- (including GST) each to BSE & NSE towards the delay in furnishing prior intimation about the meeting of the Board of Directors.

I further report that the Board of Directors of the Bank is duly constituted in accordance with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

I further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

I further report that during the audit report the Bank has

1. Allotted 137,30,10,821 equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at Issue Price of Rs.15.71 per share (including premium of Rs.5.71 per equity share) on preferential basis to Government of India (GOI) on 12.11.2018 for Capital infusion of Rs.2157 crore.
2. Allotted 269,54,67,422 equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at Issue Price of Rs. 14.12 per equity share (including premium of Rs.4.12 per equity share) on 28.03.2019 to Government of India (GOI) for Capital infusion of Rs.3806 crore.
3. Allotted 18,24,00,000 equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at Issue Price of Rs.11.90 per share (including premium of Rs.1.90 per equity share) to Employees under Employees Stock Purchase Scheme (IOB-ESPS 2018) on 04.02.2019 augmenting capital to the extent of Rs.260.47 crore.

V Suresh

Practising Company Secretary

Place: Chennai
Date : 06.05.2019

FCS No. 2969
C. P. No. 6032

31.03.2019 की स्थिति के संक्षिप्त अनुसार तुलन-पत्र
ABRIDGED BALANCE SHEET AS AT 31.03.2019

(रु. लाख में Rs. in Lakh)

		AS AT 31.03.2019 तक	AS AT 31.03.2018 तक
आस्ति एवं देयताएं	**CAPITAL & LIABILITIES**		
पूँजी	Capital	9141 65	4890 77
		9141 65	**4890 77**
आरक्षिति और अधिशेष	**Reserves & Surplus**		
सांविधिक आरिक्षिति	Statutory Reserves	2926 78	2962 12
पूँजी आरिक्षिती	Capital Reserve	4060 04	3514 10
शेयर प्रीमियम	Share Premium	6001 67	4029 08
राजस्व एवं अन्य आरिक्षिती	Revenue and Other Reserves	4505 47	4251 61
लाभ एवं हानि खाते में शेष	Balance in Profit & Loss A/c	-10275 72	-6373 70
		7218 23	**8383 21**
जमाएँ	**Deposits**		
मांग जमाएं	Demand Deposits	14575 12	12935 53
बचत बैंक जमाएँ	Savings Bank Deposits	70652 22	66742 32
मियादी जमाएँ	Term Deposits	137306 73	137153 96
		222534 08	**216831 81**
उधार	**Borrowings**		
उधार भारत में	Borrowings in India		
(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से	(a) from Reserve Bank of India	0	0
(बी) अन्य बैंकों से	(b) from other Banks	0	0
(सी) अन्य संस्थाओं और एजेंसियों की तरफ से	(c) from other institutions and agencies	6145 53	7939 92
भारत से बाहर उधार	Borrowings outside India	51	1288 16
		6146 04	**9228 08**
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	**Other Liabilities & Provisions**		
देय बिल	Bills Payable	547 94	602 87
अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	Inter-Office adjustments (net)	0	0
प्रोद्भूत ब्याज	Interest accrued	73 15	39 28
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provisions towards Standard Assets	554 47	629 49
आस्थगित कर देयता (निवल)	Deferred Tax Liability (net)	0	0
अन्य	Others	3791 96	7362 58
		4967 52	**8634 23**
कुल पूँजी एवं देयताएँ	**Total Capital and Liabilities**	**250007 52**	**247968 11**
आकस्मिक देयताएँ	**Contingent Liabilities**		
बैंक के खिलाफ दावा जो ऋण के तौर पर स्वीकार नहीं किए गए	Claims against the bank not acknowledged as debts	45 01	47 07
बकाया अग्रेषण खाते पर देयता विदेशी मुद्रा करार	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	31474 84	28543 17
ग्राहक की ओर से दी गई गारंटी	Guarantees given on behalf of constitutents	12177 14	14435 96
स्वीकृति, समर्थन एवं अन्य आभार	Acceptances, endorsements and other obligations	5810 53	8933 13
अन्य मद जिसके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है	Other items for which the bank is contingently liable	7141 21	6407 12
		56648 72	**58366 45**
वसूली के लिए बिल	**Bills for Collection**	**15203 63**	**15239 38**

(रु. लाख में Rs. in Lakh)

		AS AT 31.03.2019 तक	AS AT 31.03.2018 तक
आस्तियां	**ASSETS**		
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकद एवं बकाया	**Cash and balance with Reserve Bank of India**	10292 53	11579 45
		10292 53	**11579 45**
बैंक के साथ बकाया, मांग पर प्रतिदेय और अल्प सूचना	**Balances with banks and money at call and short notice**		
भारतीय बैंकों के साथ बकाया	Balances with banks in India	214 25	228 04
मांग पर प्रतिदेय राशि और भारत में अल्प सूचना	Money at call and short notice in India	18225 00	12800 00
भारत से बाहर बकाया	Balances outside India	2159 72	1937 50
		20598 97	**14965 54**
निवेश	**INVESTMENTS**		
भारत में	**In India**		
(a) सरकारी प्रतिभूतियां	(a) Government Securities	57625 02	56788 74
(b) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	(b) Other approved securities	1 34	1 34
(c) शेयर	(c) Shares	896 95	1201 32
(d) डिबेंचर एवं बॉण्ड	(d) Debentures and Bonds	1902 84	2962 92
(e) गौण और/ या संयुक्त उद्यम	(e) Subsidiaries and/ or Joint Ventures		
(f) अन्य	(f) Others	2686 15	4057 06
		63112 30	**65011 38**
भारत से बाहर	**Outside India**	3819 97	3634 56
		3819 97	**3634 56**
		66932 27	**68645 94**
अग्रिम	**ADVANCES**		
भारत में	**In India**		
(a) खरीदे गए बिल और छूट	(a) Bills Purchased and discounted	949 58	796 38
(b) नकद क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय	(b) Cash Credits, Overdrafts and loans repayable on demand	89065 87	48748 28
(c) आवधिक ऋण	(c) Term Loans	37278 05	71477 63
		127293 50	**121022 29**
भारत से बाहर	**Outside India**	5304 13	11466 53
		132597 63	**132488 82**
अचल आस्ति	**FIXED ASSETS**	3336 90	2893 43
		3336 90	**2893 43**
अन्य आस्ति	**Other Assets**		
अंतर कार्यालय समायोजन	Inter-Office adjustments (net)	61 20	3525 80
ब्याज प्रोद्भूत	Interest accrued	2512 97	2417 34
पहले से देय कर / स्रोत पर कटौती	Tax paid in advance/ deducted at source	2856 86	1954 84
आस्थगित कर आस्ति (निवल)	Deferred Tax Asset (net)	6454 86	4218 04
दावे के संतोष के लिए गैर-बैंकिंग आस्तियों का उपर्जन	Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	210 02	210 02
अन्य	Others	4153 32	5068 89
		16249 22	**17394 93**
कुल आस्ति	**Total Assets**	**250007 52**	**247968 11**

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से **FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD**

टीसीए रंगनाथन गैर कार्यपालक अध्यक्ष	**T C A Ranganathan** Non Executive Chairman	**आर सुब्रमण्यकुमार** एमडी एवं सीईओ	**R. Subramaniakumar** MD & CEO	**कर्नम शेखर** विशेष कार्य पर अधिकारी	**Karnam Sekar** Officer On Special Duty
के स्वामीनाथन कार्यपालक निदेशक	**K. Swaminathan** Executive Director	**अजय कुमार श्रीवास्तव** कार्यपालक निदेशक	**Ajay Kumar Srivastava** Executive Director	**एनी जार्ज मैथ्यू** निदेशक	**Annie George Mathew** Director
निर्मल चंद निदेशक	**Nirmal Chand** Director	**संजय रुंगटा** निदेशक	**Sanjay Rungta** Director	**के. रघु** निदेशक	**K. Raghu** Director

स्थान : चेन्नै Chennai
दिनांक :09.05.2019.

संक्षिप्त 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता
ABRIDGED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

(रु. लाख में **Rs. in Lakh**)

		YEAR ENDED 31.03.2019 तक	YEAR ENDED 31.03.2018 तक
आय	**INCOME**		
अर्जित ब्याज	**Interest Earned**		
अग्रिम/ बिलों पर	On advances/ bills	11727 01	11960 83
निवेश पर	On Investments	4922 28	4797 04
भारिबैं के साथ बकाया और अंतर बैंक निधि	On balances with RBI and inter bank funds	614 15	483 69
अन्य	Others	367 83	67365.03
		17631 26	**17915 20**
अन्य आय	**Other Income**		
कमीशन विनिमय और ब्रोकरेज	Commission exchange and brokerage	976 87	1022 12
निवेश की बिक्री पर निवल लाभ	Net profit on sale of Investments	732 09	454 63
ज़मीन, इमारत और अन्य आस्तियों पर निवल लाभ	Net Profit on sale of land, buildings and other assets	100 58	1 79
विनिमय लेन-देन पर निवल लाभ	Net Profit on exchange transactions	524 93	590 27
विदेश/ भारत में डिविडेंड के जरिए आय आदि गौण / कम्पनी और संयुक्त उद्यम	Income by way of dividends, etc from Subsidiaries / Companies and/ or joint ventures abroad/ in India	0	0
विविध आय	Miscellaneous Income	1871 86	1677 62
		4206 32	**3746 44**
कुल आय	**Total Income**	**21837 58**	**21661 65**
व्यय	**EXPENDITURE**		
विस्तारित ब्याज	**Interest Expended**		
जमाओं पर	On deposits	11548 26	11493 83
भारिबैं/ अंतर बैंक बकाया	On RBI/ inter-bank borrowings	803 82	953 75
अन्य	Others	5	5
		12352 13	**12447 64**
परिचालन खर्च	**Operating expenses**		
कर्मचारियों को प्रोविज़न और भुगतान	Payments to and provisions for employees	2646 85	2994 15
किराया, कर और लाइटिंग	Rent, taxes and lighting	448 39	452 34
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	Printing and Stationery	24 67	25 70
विज्ञापन और प्रचार	Advertisement and publicity	91	60
बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यह्रास	Depreciation on Bank's property	304 24	272 47
निदेशक शुल्क, भत्ता और खर्च	Director's fees, allowances and expenses	1 00	78
शुल्क एवं खर्च	Auditor's fee and expenses including branch auditors	31 89	28 38
विधिक प्रभार	Law Charges	26 10	23 48
पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि	Postage, telegrams, telephones etc.,	60 67	57 59
मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs and maintenance	17 67	12 08
इंश्योरेंस	Insurance	234 37	221 46
अन्य	Others	654 80	1495 90
		4451 58	**5584 93**

(रु. लाख में Rs. in Lakh)

		YEAR ENDED 31.03.2019 तक	YEAR ENDED 31.03.2018 तक
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions and Contingencies		
निवेश पर ह्रास के लिए प्रावधान	Provisions for depreciation on investment	670 14	829 21
अनर्जक आस्तियों के प्रति प्रावधान	Provision towards non performing assets	9881 25	11934 98
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	Provision towards standard assets	-70 16	-455 07
अन्य (आयकर को छोड़कर)	Others (excluding income taxes)	513 19	-48 34
		10994 42	**12260 78**
कुल खर्च और प्रावधान	**Total Expenses and Provisions**	**27798 13**	**30293 35**
कर से पहले लाभ/ (हानि)	Profit/ (loss) before tax	**-5960 54**	**-8631 70**
चालू कर	Current Tax	14 14	59 81
आस्थगित कर	Deferred Tax	-2236 80	-2392 02
कर के बाद लाभ / (हानि)	**Profit/ (loss) after tax**	**-3737 88**	**-6299 49**
आगे लाया गया लाभ / (हानि)	**Profit/ (loss) brought forward**	**-6373 70**	**0**
कुल	**Total**	**-10111 58**	**-6299 49**
विनियोग	**Appropriations**		
सांविधिक आरक्षिति पर अंतरण	Transfer to Statutory Reserve	0	0
अन्य आरक्षिति पर अंतरण	Transfer to Other Reserves	16414.5	74 21
सरकारी प्रस्तावित डिविडेंड का अंतरण	Transfer to Government proposed dividend	0	0
		16414.5	**74 21**

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के जरिए

VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE

कृते आर सुब्रमणियन एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 004137एस/एस 200041

For R SUBRAMANIAN AND COMPANY LLP
Chartered Accountants
FRN 004137S/S200041

(आर सुब्रमणियन)
साझेदार
एम.नं.08460

(R SUBRAMANIAN)
Partner
M.No. 08460

कृते एस ए आर सी एंड एशोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 006085एन

For S A R C & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 006085N

(चेतन ठक्कर)
साझेदार
एम. नं. 114196

(CHETAN THAKKAR)
Partner
M.No.114196

कृते पात्रो एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 310100ई

For PATRO & CO
Chartered Accountants
FRN 310100E

(एन आनंद राव)
साझेदार
एम.संख्या 051656

(N ANANDA RAO)
Partner
M.No. 051656

कृते एम श्रीनिवासन एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 004050एस

For M SRINIVASAN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 004050S

एम श्रीनिवासन
साझेदार
एम.संख्या 022959

(M SRINIVASAN)
Partner
M.No.022959

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 09.05.2019.

Place : Chennai
Date : 09.05.2019

लेखों पर टिप्पणियाँ

1. समायोजन

अंतर बैंक और अंतर-शाखा लेनदेनों का समायोजन 31.03.2019 तक पूरा कर लिया गया है और बकाया प्रविष्टियों के विलोपन का कार्य जारी है। बकाया प्रविष्टियों के विलोपन / समाधान पर प्रबंधन किसी सामग्री परिणामात्मक की अपेक्षा नहीं करता।

2 निवेश

2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं.) के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के निवेश पोर्टफोलियो (देशी) को तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार हैः

प्रवर्ग	सकल बही मूल्य (रु करोड़ों में)		कुल निवेशों का प्रतिशत	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
परिपक्वता के लिए धारित	48 740.38	49 241.08	70.42	70.09
बिक्री के लिए उपलब्ध	20 409.89	21 009.86	29.49	29.91
ट्रेडिंग के लिए धारित	59.57	0.00	0.09	0.00

2.2 ''परिपक्वता के लिए धारित '' के तहत एसएलआर प्रतिभूतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 19.50 प्रतिशत (पिछले वर्ष 19.50 प्रतिशत) की सीमा के अंदर है जो 31.03.2019 की समाप्ति तक बैंक की माँग व सावधि देयताओं का 15.70 प्रतिशत (पिछले वर्ष 18.83 प्रतिशत) रहीं।

2.3 ''परिपक्वता के लिए धारित'' प्रवर्ग के निवेशों के संबंध में रु.66.20 करोड़ के प्रीमियम (पिछले वर्ष रु.68.62 करोड़) का इस वर्ष के दौरान परिशोधन कर दिया गया है।

2.4 समझौता गारंटी निधि के प्रति रु.1005.50 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1005.50 करोड़) के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों और संपार्श्विकीकृत उधार ऋण बाध्यताओं के तहत उधार के लिए संपार्श्विक के प्रति र.4714.50 करोड़ (पिछले वर्ष रु.9168.57 करोड़) की प्रतिभूतियों क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया के पास रखी गई हैं। रु.1500 करोड़(पिछले वर्ष रु.1500 करोड़) की अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को इंट्रा डे उधार हेतु आरबीआई के पास रखा गया है। हमने एलएएफ विंडो के अंतर्गत हमारे उधार हेतु भा.रि.बैंक के साथ रु.5415 करोड़(पिछले वर्ष रु.6150 करोड़) प्रतिभूति रखा है। इसके अलावा, फॉरेक्स परिचालन हेतु डिफॉल्ट निधि के प्रति रु.12.50 करोड़ (पिछले वर्ष रु.12.50 करोड़) की राशि को सीसीआइएल के यहाँ रखा गया है।

2.5 भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेशों के तहत शेयरों में रु 250.88 करोड़ (पिछले वर्ष रु.222.04 करोड़) के शेयर पूँजी जमाएँ शामिल हैं ।

2.6. बैंक ने आउटराइट और भारतीय रिज़र्व बैंक के खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) दोनों के अंतर्गत वर्ष के दौरान एचटीएम प्रवर्ग से सरकारी प्रतिभूतियाँ बेची। ओएमओ के अंतर्गत बैंक द्वारा रु.6365.32 करोड़ (बीवी) का विक्रय हुआ,और अर्जित लाभ रु.100.22 करोड़ है। बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियाँ (ओएमओ के अतिरिक्त) भी बेची और रु.2039.92 करोड़ (पिछले वर्ष रु.573.86 करोड़) (बीवी) (भा.रि.बै की 5 % दी गई सीमा के अंदर) का विक्रय हुआ,और अर्जित लाभ रु.45.67(पिछले वर्ष रु.19.01 करोड़) करोड़ है।

3. अग्रिम

3.1 अग्रिमों का वर्गीकरण एवं संभावित हानि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार किया गया।

3.2 गारंटी संस्थाओं के यहाँ निपटारे के लिए लंबित व दायर किए जाने वाले ऐसे दावों, जिनकी शाखाओं ने पहचान की है, पर प्रावधानिक अपेक्षाओं के लिए इस आधार पर विचार किया गया है कि ऐसे दावे वैध व वसूली योग्य हैं।

3.3 आस्ति वर्गीकरण और आय की पहचान के उद्देश्य से कुछ अग्रिमों की उगाही की स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रतिभूति के अनुमानित मूल्य, केन्द्र सरकार की गारंटियों आदि को ध्यान में रखा गया है।

3.4 अलेखा-परीक्षित शाखाओं के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण शाखा प्रबंधकों द्वारा किए गए प्रमाणन के अनुसार किया गया है।

3.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर सं.बीपी.बीसी. 79/21.04.048/2014-15 दिनांकित 30.03.2015 के अनुसार बैंक को 31.12.2014 की समाप्ति तक उनके द्वारा धारित प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफ़र/फ्लोटिंग प्रावधान का 50% प्रयोग करने के लिए अनुमत किया गया है । वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने (31.03.2018 तक) अनर्जक आस्तियों के निर्दिष्ट प्रावधानों को पूरा करने के लिए प्रतिचक्रीय प्रावधानिकरण बफर रु.338.22 करोड़ के प्रतिचक्रीय प्रावधानिकरण बफर किसी भी भाग का प्रयोग नहीं किया (पिछले वर्ष शून्य) ।

4. अचल आस्तियाँ (चल सम्पत्ति, प्लांट व संयंत्र)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक की भूमि और मकान (जिसमे लीज़ होल्ड सम्पत्ति शामिल है) का अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता के द्वारा जमा किए गए मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मूल्यांकित की गई आस्ति के मूल्य में रु.605.34 करोड़ की निवल मूल्य वृद्धि हुई है और इसे पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में क्रेडिट किया गया है ।

वर्ष 2018-19 के दौरान आस्तियों की बिक्री पर रु.82.34 करोड़ का लाभ हुआ है जिसमे से रु.67.65 करोड़ की राशि को पूँजी आरक्षिती में विनियोजित किया गया है।

5. रुपया ब्याज दर स्वैप

प्रतिरक्षा हेतु लिए गए रुपया ब्याज स्वैप के निरसन पर 31.03.2019 तक कोई रकम नहीं (शून्य) ली गई । इस रकम को स्वैप की संविदागत शेष अवधि या आस्तियों / देयताओं की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए मान्यता दी जाएगी।

6. पूँजी एवं आरक्षितियाँ

1. वर्ष के दौरान बेसल-3 के टीयर-2 बॉड श्रृंखला-2 को रु.300 करोड तक बढाया गया है ।

2. 31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान

   - बैंक में भारत सरकार को रु. 2157 करोड़ का पूंजी अंतर्वेशन किया गया जिसे बैंक ने प्राथमिक आधार पर 12.11.2018 को रु.10/- प्रत्येक मूल्य के 137,30,10,821 (रु.5.71 प्रति सामान्य शेयर किशत सहित) सामान्य शेयर के रूप में जारी किया ।

NOTES TO ACCOUNTS

1. Reconciliation

Reconciliation of Inter Branch transactions has been completed up to 31.03.2019 and steps for elimination of outstanding entries are in progress. The Management does not anticipate any material consequential effect on reconciliation / elimination of outstanding entries.

2. Investments

2.1 In accordance with RBI guidelines, the investments portfolio of the bank has been classified into three categories, as given below:

Category	Gross Book Value (Rs. in crore)		Percentage to Total Investments (%)	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
Held to Maturity	48 740.38	49 241.08	70.42	70.09
Available for Sale	20 409.89	21 009.86	29.49	29.91
Held for Trading	59.57	0.00	0.09	0.00

2.2 SLR Securities (domestic) under "Held to Maturity" accounted for 15.70 % (previous Year 18.83%) of bank's Demand and Time liabilities as at 31st March 2019 as against ceiling of 19.50% (previous year 19.50%) stipulated by RBI.

2.3 In respect of Held to Maturity category of Investments, premium of Rs.66.20 Crore was amortized during the year (previous year Rs.68.62 Crore).

2.4 Securities of Face Value for Rs.1005.50 Crore (previous year Rs.1005.50 Crore) towards CCIL Settlement Guarantee Fund/ Default Fund and securities for Rs.4714.50 Crore (previous year Rs.9168.57 Crore) towards collateral for borrowing under TREPS/Default Fund have been kept with Clearing Corporation of India Limited. The Bank has placed securities of face value Rs.1500 Crore (previous year Rs.1500 Crore) with RBI for intraday borrowing. The Bank has also placed Securities to the extent of Rs.5415 Crore (previous year Rs.6150 Crore) with Reserve Bank of India for our borrowing under the LAF window. Besides, securities to the extent of Rs.85.34 Crore (previous year Rs.57.38 Crore) has been lodged with CCIL towards default fund for Forex operations and Rs.12.50 Crore (previous year Rs.12.50 Crore) held with currency derivative segment.

2.5 Shares under Investments in India in Regional Rural Banks is Rs.250.88 Crore (previous year Rs.222.04 Crore) including amount towards share capital Deposits.

2.6 The Bank sold Government Securities from HTM category during the year, both outright and RBI's Open Market Operations (OMO). The extent of sale by the Bank under OMO was Rs.6365.32 crore (BV) [previous year NIL] and earned a profit of Rs.100.22 crore [previous year NIL]. The Bank has also sold Government Securities (other than OMO), to the extent of Rs.2039.92 Crore (BV) [previous year Rs.573.86 Crore] (within 5%, prescribed limit of RBI) and booked a profit of Rs.45.67 Crore (previous year Rs.19.01 Crore).

3. Advances

3.1 The Classification for advances and provisions for possible loss has been made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India.

3.2 Claims pending settlement and claims yet to be lodged with Guarantee Institutions identified by the branches have been considered for provisioning requirements on the basis that such claims are valid and recoverable.

3.3 In assessing the realisability of certain advances, the estimated value of security, Central Government Guarantees etc. have been considered for the purpose of asset classification and income recognition.

3.4 The classification of advances, as certified by the Branch Managers have been incorporated, in respect of unaudited branches.

3.5 The Reserve Bank of India, vide Circular No. DBR.No.BP. BC.79/21.04.048 / 2014-15 dated 30.03.2015, allowed banks to utilize up to 50% of Counter-cyclical Provisioning Buffer / Floating Provisions held by them as at the end of 31.12.2014. During the year 2018-19, Bank has not utilized any portion of Counter-cyclical Provisioning Buffer [previous year NIL] out of balance in Counter-cyclical Provisioning Buffer of Rs.338.22 Crore held (as on March 31, 2018) for meeting specific provisions for Non-Performing Assets.

4. Fixed Assets (Property, Plant and Equipment)

During the financial year 2018-19 the entire Land & Building of the Bank (including Lease hold property) were revalued based on the valuation report of the approved valuers. The net appreciation of Rs.605.34 Crores was added to the carrying value of the asset and credited to the revaluation reserve. The revalued amount on leasehold premises is amortised over the remaining period of the lease.

Profits on sale of assets during the year 2018-19 was Rs.82.34 crores, of which an amount of Rs. 67.65 Crores has been transferred to Capital Reserve.

5. Rupee Interest Rate Swap

Deferred income on account of gains on termination of Rupee Interest Rate Swaps taken for hedging as on 31st March 2019 is NIL (previous year NIL). This amount, if any, is to be recognized over the remaining contractual life of Swap or life of the Assets/Liabilities, whichever is earlier.

6. Capital and Reserves

1. During the year, the Bank has successfully raised Basel III Compliant Tier II Bonds Series II to the tune of Rs.300 crores.
2. During the Financial Year ended 31.03.2019,
   - Bank has allotted 137,30,10,821 equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at Issue Price of Rs.15.71 per share (including premium of Rs.5.71 per equity shares) on preferential basis to GOI on 12.11.2018 for Capital infusion of Rs.2157 crore.

- बैंक में भारत सरकार को रु. 3806 करोड़ का पूंजी अंतर्वेशन किया गया जिसे बैंक ने प्राथमिक आधार पर 28.03.2019 को रु.10/- प्रत्येक मूल्य के 269,54,67,422 (रु.4.12 प्रति सामान्य शेयर किश्त सहित) सामान्य शेयर के रूप में जारी किया ।
- बैंक ने दिनांक 04.02.2019 को कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना के तहत कर्मचारियों को रु. 11.90 / - के 18,24,00,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं जिससे पूंजी में रु. 260.47 करोड़ राशि की वृद्धि हुई है ।

7. कर

7.1 अपीलकर्ता प्राधिकारियों के निर्णयों,न्यायिक संघोषणाओं और कर-विशेषज्ञों की राय पर काफी विचार करने के बाद,आय कर से संबंधित रु. 4446.63 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 3916.26 करोड़) और सेवा कर से संबंधित रु.192.28 करोड़ (पिछले वर्ष 263.22 करोड़) की विवादित रकम और अन्य माँगों के संबंध में किसी प्रकार का प्रावधानीकरण करना आवश्यक नहीं समझा गया।

7.2 वर्ष के लिए कर व्यय रु.(-)2222.66 करोड़ है जो कि आस्थगित कर का रु.2236.80 करोड़ है । - नोट संख्या 19.6 का संदर्भ लें ।

7.3 लेखा मानक 22 के अनुसार - इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकांउटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी ''आय पर कर हेतु लेखा'' और मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने 31.03.2019 को समाप्त तिमाही के लिए निवल आस्थगित कर आस्तियां (समयांतराल और मूल्यह्रास हानि पर) रु.2236.80 करोड़ घोषित की है ।

8. लम्बित द्विपक्षीय समझौता, बैंक द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए वेतन संशोधन, जो कि नवम्बर 2017 से प्रभावी है, हेतु रु. 69.96 करोड़ का तदर्थ प्रावधान किया गया है ।

9. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीकृत वेंडरों के संबंध में जानकारी और जिनसे बैंक माल व सेवाएँ खरीद रहा है, को प्रकट किया गया है ।

आरबीआई की आवश्यकता के अनुसार प्रकटीकरण :

10. पूँजीः

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2017-18
		% में	
i)	सामान्य ईक्विटी टायर 1 पूँजी अनुपात	7.82	6.39
ii)	टायर 1 पूँजी	7.85	7.17
iii)	टायर 2 पूँजी	2.36	2.09
iv)	कुल पूँजी अनुपात (सीआरएआर)	10.21	9.25
v)	भारत सरकार के शेयरधारण का प्रतिशत	92.52	89.74
		रु. करोड़ में	
vi)	जुटाई गई ईक्विटी पूँजी रकम	4 250.88	2 436.04
vii)	जुटाई गई अतिरिक्त टायर 1 पूँजी	शून्य	शून्य
viii)	जुटाई गई टायर 2 पूँजी	300	शून्य

11. निवेश

11.1 निवेशों का मूल्य

(रु. करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	2018-19	2017-18
(i)	निवेशो का सकल मूल्य*		
	(क) भारत में	65 380.62	66 619.26
	(ख) भारत के बाहर	3 829.22	3 643.87
(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
	(क) भारत में	2 268.31	1 607.89
	(ख) भारत के बाहर	9.25	9.31
(iii)	निवेशों का निवल मूल्य		
	(क) भारत में	63 112.30	65 011.37
	(ख) भारत के बाहर	3 819.97	3 634.56

*एनपीआइ के लिए प्रावधान का निर्वहन धारित

- Bank has allotted 269,54,67,422 equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at Issue Price of Rs. 14.12 per equity share (including premium of Rs.4.12 per equity share) on 28.03.2019 for Capital infusion of Rs.3806 crores.
- Bank has allotted 18,24,00,000 equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at Issue Price of Rs.11.90 per share (including premium of Rs.1.90 per equity shares) to Employees under Employees Stock Purchase Scheme (IOB-ESPS 2018) on 04.02.2019 augmenting capital to the extent of Rs.260.47 crore.

7. Taxes

7.1 Taking into consideration the decisions of Appellate Authorities, judicial pronouncements and the opinion of tax experts, no provision is considered necessary in respect of disputed and other demands of income tax aggregating Rs.4446.63 Crore (previous year Rs.3916.26 Crore) and Service Tax aggregating to Rs.192.28 crore (previous year 263.22 crore).

7.2 Tax expense for the year is Rs.(-)2222.66 Crore net of deferred tax of Rs.2236.80 crore – refer note No.19.6.

7.3 In accordance with Accounting Standard: 22 – "Accounting for Taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the extant guidelines, Bank has recognized net Deferred Tax Assets of Rs.2236.80 Crore during the year ended 31st March, 2019 on timing differences and unabsorbed depreciation losses.

8. Pending Bipartite settlement, the Bank has during the year 2018-19 made an adhoc provision of Rs.69.96 crore towards revision of wages due with effect from November 2017.

9. Information relating to vendors registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and from whom goods and services have been procured by the Bank has been disclosed to the extent information was made available to the Bank by the vendors.

DISCLOSURES AS PER RBI REQUIREMENTS:

10. Capital

S. No.	Particulars	2018-19	2017-18
		In %	
i)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio	7.82	6.39
ii)	Tier I Capital	7.85	7.17
iii)	Tier 2 Capital	2.36	2.09
iv)	Total Capital Ratio (CRAR)	10.21	9.25
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India	92.52	89.74
		Rs. In Crore	
vi)	Amount of Equity Capital raised (excluding security premium received)	4 250.88	2 436.04
vii)	Amount of Additional Tier 1 raised	Nil	Nil
viii)	Amount of Tier 2 capital raised	300	Nil

11. Investments

11.1 Value of Investments

(Rs. in Crore)

S. No.	Particulars	2018-19	2017-18
(i)	Gross Value of Investments*		
	(a) In India	65 380.62	66 619.26
	(b) Outside India	3 829.22	3 643.87
(ii)	Provisions for Depreciation		
	(a) In India	2 268.31	1 607.89
	(b) Outside India	9.25	9.31
(iii)	Net value of Investments		
	(a) In India	63 112.30	65 011.37
	(b) Outside India	3 819.97	3 634.56

*net of provision held for NPI

11.2 निवेशों पर मूल्यह्रास के प्रति धारित प्रावधानों का प्रचलन

(रु. करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	2018-19	2017-18
(1)	आरंभिक शेष	1 607.89	762.18
(2)	**जोड़ेंः** वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	668.94	892.70
(3)	**घटाएँः** वर्ष के दौरान लिखे गए बट्टे खाते डालना / समायोजन	8.52	46.99
(4)	समापन शेष	2 268.31	1 607.89

11.3 रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के अनुसार)

(रु. करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		मार्च 31 को बकाया	
	18-19	17-18	18-19	17-18	18-19	17-18	18-19	17-18
रिपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ								
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	--	--	--	--	--	--	--	--
ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	--	--	--	--	--	--	--	--
रिवर्स रिपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ								
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	--	--	--	--	--	--	--	--
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	--	--	--	--	--	--	--	--

11.4 गैर- एसएलआर निवेश पोर्टफ़ोलियो

11.4.1 गैर- एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता-वार संरचना

(रु. करोड़ में)

सं	जारीकर्ता	31.03.19 तक की राशि	निजी प्लेसमेंट का विस्तार	'कम निवेश श्रेणी' प्रतिभूतियों का विस्तार	'गैर रेटेड' प्रतिभूतियों का विस्तार	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	11 318.52	11 230.01	21.80	--	--
(2)	वित्तीय संस्थाएँ	277.72	261.61	--	--	--
3)	बैंक	779.40	539.31	126.72	8.75	8.75
4)	निजी कार्पोरेट	5 481.41	5 154.91	105.83	149.39	50.00
5)	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	199.58	--	--	--	--
6)	अन्य (विदेशी गैर-सरकारी निवेश के साथ)	3 360.08	--	--	--	--
7)	मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधान	(1 950.98)	(1 678.98)	--	--	--
	कुल	**19 465.73**	**15 506.86**	**254.35**	**158.14**	**58.75**

11.4.2. अनर्जक गैर एसएलआर निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
अथ शेष	**1 647.57**	**295.61**
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड़	317.49	1 420.89
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौतियाँ	47.03	68.93
इति शेष	**1 918.03**	**1 647.57**
कुल धारित प्रावधान*	**1 509.73**	**1 245.99**

*जिसमें 31 मार्च 2019 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत इक्विटी शेयरों के एमटीएम की ओर रु. 1100.20 करोड रुपये 31.03.2018 को रु.1034.66 करोड़ रुपये ।

11.2 Movement of Provisions held towards depreciation on Investments

(Rs. in Crore)

S. No.	Particulars	2018-19	2017-18
(i)	Opening Balance	1 607.89	762.18
(II)	**ADD:** Provisions made during the year	668.94	892.70
(iii)	**LESS:** Write-off/Write-Back of excess provisions during the year	8.52	46.99
(iv)	Closing Balance	2 268.31	1 607.89

11.3 Inter Bank Repo transactions (in face value terms)

(Rs. in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily average outstanding during the year		Outstanding as on March 31st	
	18-19	17-18	18-19	17-18	18-19	17-18	18-19	17-18
Securities sold under Repo								
i. Government securities	--	--	--	--	--	--	--	--
ii Corporate debt securities	--	--	--	--	--	--	--	--
Securities Purchased under reverse repo								
i. Government securities	--	--	--	--	--	--	--	--
ii. Corporate debt securities	--	--	--	--	--	--	--	--

11.4 Non-SLR Investment Portfolio

11.4.1 Issuer Composition of Non-SLR Investments

(Rs. in Crore)

S. No	Issuer	Amount As on 31.03.19	Extent of Private Placement	Extent of 'Below investment grade' securities	Extent of 'Unrated' securities	Extent of 'Unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	11 318.52	11 230.01	21.80	--	--
(ii)	FIs	277.72	261.61	--	--	--
(iii)	Banks	779.40	539.31	126.72	8.75	8.75
(iv)	Private Corporates	5 481.41	5 154.91	105.83	149.39	50.00
(v)	Subsidiaries / Joint Ventures	199.58	--	--	--	--
(vi)	Others (Including Overseas Non Government Investments)	3 360.08	--	--	--	--
(vii)	Provision held towards depreciation	(1 950.98)	(1 678.98)	--	--	--
	Total	**19 465.73**	**15 506.86**	**254.35**	**158.14**	**58.75**

11.4.2 Non Performing Non SLR Investments

(Rs. in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Opening Balance	**1 647.57**	**295.61**
Additions during the year since 1st April,	317.49	1 420.89
Reductions during the above period	47.03	68.93
Closing Balance	**1 918.03**	**1 647.57**
Total Provisions held*	**1 509.73**	**1 245.99**

*of which Rs.1100.20 crore held towards MTM of Equity Shares classified as NPI as on 31st March 2019 against Rs.1034.66 crore as on 31st March 2018

11.5. एचटीएम श्रेणी को / से अन्तरण एवं बिक्री

वर्तमान वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी से / को विक्री एवं अंतरण (निर्धारित सीमा से 5 % अधिक) : शून्य (गतवर्ष शून्य)

12. डेरिवेटिव्स

12.1 वायदा दर करार / ब्याज दर अदला-बदली

(रु. करोड़ में)

विवरण	2018-19			2017-18		
	रुपया ऋण	एफएक्स ऋण	कुल	रुपया ऋण	एफएक्स ऋण	कुल
1) अदला-बदली करारों के काल्पनिक मूल	--	65.35	65.35	--	119.27	119.27
2) करारों के तहत यदि काउंटर पार्टी अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में असफल होती हैं तो उससे होने वाली हानि	--	0.43	0.43	--	1.35	1.35
3) अदला-बदली करने के बाद बैंक को अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	--	--	--	--	--	--
4) अदला-बदली से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम पर केंद्रीकरण	--	--	--	--	--	--
5) अदला-बदली बही का उचित मूल्य	--	0.43	0.43	--	1.35	1.35

12.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2018-19	2017-18
1)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम	--	--
2)	31 मार्च तक विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम	--	--
3)	विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम और जो ''ज्यादा प्रभावी '' नहीं	-	-
4)	प्रतिभूतियों के दैनिक मूल्य प्रभार के विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम जो ''ज्यादा प्रभावी '' नहीं	--	--

12.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम ऋण पर प्रकटीकरण

12.3.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

ट्रेज़री-(विदेशी)

बैंक, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम को कम करने के उद्देश्यसे प्रतिरक्षा के लिए ब्याज दर स्वैप (आइ आर एस) मुद्रा स्वैप व सुरक्षा उद्देश्य उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग करता है। बैंक कार्पोरेट ग्राहकों को ये उत्पाद भी उपलब्ध कराता है ताकि वे अपनी ही मुद्रा और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन कर सके। इस तरह के लेनदेन ग्राहकों व बैंक के साथ ही किए जाते हैं जिनके करार विद्यमान हैं।

अ) विदेशी उधार / एफ़ सी एन आर (बी) पोर्टफ़ोलियो / आस्ति देयता के असंतुलन के कारण ब्याज / विनिमय दरों में उत्पन्न होने वाली जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करने के लिए विदेशी खाताओं आदि के निधियन हेतु बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियाँ अनुमति देती हैं और साथ ही ये उत्पाद बैंक टू बैंक दुतरफा आधार पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने की अनुमति देती है।

आ) डेरिवेटिव्स एक्सपोज़र का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के पास एक अलग प्रणाली है और व्यक्तिगत ग्राहकों की निवल साख एवं प्रतिभूति समर्थन को पूर्ण रूप से गणना में लेते हुए डेरिवेटिव लेनदेनों के निष्पादन के लिए समुचित उधार श्रेणियाँ प्रस्तुत करने की भी प्रणाली है।

इ) बैंक ने प्रतिरक्षा लिखतों के रूप में डेरिवेटिव्स के उपयोग से जुड़े जोखिम को निर्धारित करने के लिए उचित नियंत्रण प्रणालियों का गठन किया है और डेरिवेटिव लेनदेन से संबंधित सभी पक्षों के प्रबोधन के लिए उचित रिपोर्टिंग प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। प्रत्येक प्रतिपक्षी पार्टी के लिए उपयुक्त उधार मंजूरीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित ऋण सीमा के अंदर डेरिवेटिव्स लेन-देन सिर्फ प्रतिपक्षी पार्टी के साथ किए गए।

ई) बैंक ने डेरिवेटिव्स के प्रयोग के लिए आवश्यक सीमाएँ गठित की हैं और इसकी स्थिति का निरंतर प्रबोधन किया जाता है।

उ) बैंक के पास आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम के परिणामी एक्सपोज़र के मूल्यांकन व निरंतर प्रबोधन करने की अलग प्रणाली है।

ऊ) बैंक द्वारा तुलन पत्र की प्रतिरक्षा और कार्पोरेट ग्राहकों का पारस्परिक आधार पर चयन करने के लिए व्युत्पन्न का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरक्षा लेनदेनों के संबंध मे प्रतिरक्षा के मूल्य व परिपाक ने मूलाधार को पार नहीं किया है। बैंक टू बैंक लेनदेनों के संबंध में ग्राहकों के साथ के लेनदेन, बैंक के काउंटर पार्टी लेनदेनों से पूर्णतः मेल किए गए हैं और आरक्षित ऋण नहीं हैं।

ऋ) इस प्रकार के डेरिवेटिव्स से होने वाली आय को परिशोधित किया गया है और संविदा की आयु के लिए उपचयन के आधार पर लाभ व हानि लेखे में लिया गया है। तुलन पत्र हेतु किए गए अदला-बदली के शीघ्र निरसन के मामले में ऐसे लाभों से प्राप्त आय अदला बदली की शेष संविदात्मक अवधि आयु या आस्तियों / देयताओं की अवधि , जो भी कम हो , के आधार पर की जाएगी । ग्राहकों के लिए बैक टू बैक आधार पर लिए गए डेरिवेटिव्स के शीघ्र समापन के संबंध में प्राप्त होने वाली आय की पहचान समापन के आधार पर की जाएगी।

11.5 Sale and Transfers to/from HTM Category

Sale and transfer to/from HTM category (above the prescribed limit of 5%) during the current year: NIL (previous year NIL)

12. DERIVATIVES

12.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(Rs. in Crore)

Particulars	2018-19			2017-18		
	Rupee Exposure	FX Exposure	Total	Rupee Exposure	FX Exposure	Total
i) The notional principal of swap agreements	--	65.35	65.35	--	119.27	119.27
ii) Losses which would be incurred if counter-parties failed to fulfill their obligations under the agreements	--	0.43	0.43	--	1.35	1.35
iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	--	--	--	--	--	--
iv) of credit risk arising from the swaps	--	--	--	--	--	--
v) The fair value of the swap book	--	0.43	0.43	--	1.35	1.35

12.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(Rs. in Crore)

S. No.	Particulars	2018-19	2017-18
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year	--	--
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March	--	--
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	--	--
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	--	--

12.3 DISCLOSURES ON RISK EXPOSURE IN DERIVATIVES

12.3.1 Qualitative Disclosure

Treasury (Foreign)

The Bank uses Interest Rate Swaps (IRS), Currency Swaps and Options for hedging purpose to mitigate interest rate risk and currency risk in banking book. Such transactions are entered only with Clients and Banks having agreements in place.

a) The Risk Management Policy of the Bank allows using of derivative products to hedge the risk in Interest/Exchange rates that arise on account of overseas borrowing/FCNR(B) portfolio/the asset liability mis-match, for funding overseas branches etc.

b) The Bank has a system of evaluating the derivatives exposure separately and placing appropriate credit lines for execution of derivative transactions duly reckoning the Net Worth and security backing of individual clients.

c) The Bank has set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives as hedge instruments and proper risk reporting systems are in place to monitor all aspects relating to derivative transactions. The Derivative transactions were undertaken only with the Banks and counterparties well within their respective exposure limit approved by appropriate credit sanctioning authorities for each counter party.

d) The Bank has set necessary limits in place for using derivatives and its position is continuously monitored.

e) The Bank has a system of continuous monitoring appraisal of resultant exposures across the administrative hierarchy for initiation of necessary follow up actions.

f) Derivatives are used by the Bank to hedge the Bank's Balance sheet.

g) The income from such derivatives are amortized and taken to profit and loss account on accrual basis over the life of the contract. In case of early termination of swaps undertaken for Balance Sheet Management, income on account of such gains would be recognized over the remaining contractual life of the swap or life of the assets/liabilities whichever is lower.

ए) सभी प्रतिरक्षा लेन देन उपचयन के आधार पर परिकलित किए गए हैं । बकाए संविदाओं का मूल्यांकन बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के आधार पर किया गया । बैंक के पास डेरिवेटिव्स में लेन देन के लिए विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन और लेखांकन नीति उपलब्ध है ।

ऐ) डेरिवेटिव्स लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं ।

डेरिवेटिव से संबंधित जोखिम प्रबंधन नीतियां भी शामिल करने के लिए डेरिवेटिव्स का उपयोग किया जाता है, उस सीमा तक विशेष संदर्भ के साथ संबंधित जोखिम और व्यावसायिक उद्देश्यों की सेवा की जाती है।

अ. डेरिवेटिव व्यापार में जोखिम के प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन;

आ. जोखिम माप, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम निगरानी प्रणाली का दायरा और प्रकृति;

इ. हेजेज / कमजोरियों की निरंतर तथा प्रभावशीलता की निगरानी के लिए रणनीतियों और प्रक्रियाओं से जोखिम को कम करना और / या कम करने के लिए नीतियां बनना; तथा

ई. बचाव और गैर बचाव के लेनदेन की रिकॉर्डिंग के लिए लेखांकन नीति; आय, प्रीमियम और छूट की मान्यता; उत्कृष्ट अनुबंध का मूल्यांकन; प्रावधान, संपार्श्विक और क्रेडिट जोखिम न्यूनिकरण ।

ट्रेजरी (देशीय)

बैंक, सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याज दर जोखिम को कम करने के उद्देश्यसे प्रतिरक्षा हेतु और अधीनस्थ ऋणों और सावधि जमाओं की लागत कम करने के लिए रुपया ब्याज दर स्वैप (आइ आर एस) का प्रयोग करता है । इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ट्रेडिंग के लिए बैंक रुपया ब्याज दर स्वैप को अपनाता है । स्वैप लेन देन केवल उन्हीं बैंकों के साथ किए जाते हैं जिनके पास आइ एस डी ए करार मौजूद है ।

क) बैंक में जोखिम प्रबंधन के लिए उपयुक्त ढांचा और संगठन उपलब्ध है जिसमें ट्रेजरी विभाग , बोर्ड की आस्ति देयता प्रबंधन समिति और जोखिम प्रबंधन समिति शामिल है ।

ख) व्युत्पन्न लेन देन में बाजार जोखिम (ब्याज दरों में प्रतिकूल संचलन के कारण उत्पन्न), उधार जोखिम (संभावित काउंटर पार्टी चूकने से उत्पन्न) तरलता जोखिम (सामान्य मूल्य पर लेन देन निष्पादित करने हेतु या निधियों की जरूरत की पूर्ति करने से चूकने पर उत्पन्न), परिचालनगत जोखिम, विनियामक जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम शामिल रहता है। बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने में निहित जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण प्रणालियां स्थापित कर रखी हैं और व्युत्पन्न लेन देनों से संबंधित सभी पक्षों का प्रबोधन करने हेतु उचित जोखिम सूचना प्रणाली और उसे कम करने की प्रणाली उपलब्ध करवाई है । आइ आर एस लेन देन केवल बैंकों के साथ प्रतिपार्टी के रूप में किए जाते हैं और हर पार्टी के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित उधार सीमा के अंदर होते हैं ।

ग) बैंक व्युत्पन्न का प्रयोग प्रतिरक्षा एवं ट्रेडिंग के लिए करता है । बैंक में व्युत्पन्न के लिए अनुमोदित नीति उपलब्ध है और बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सीमाएं नियत की हैं और इसकी स्थिति का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है। केवल दुतरफा आधार पर प्रयुक्त प्रतिरक्षाओं अथवा बैंक के तुलन पत्र की प्रतिरक्षा का मूल्य व परिपाक ने ऋण के मूलाधार का अधिगमन नहीं किया है ।

घ) व्युत्पन्न के लिए लेखाकरण नीति भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूची 17 -महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ (नीति संख्या 6) में प्रकट किए अनुसार तैयार की गयी है ।

12.3.2 मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018-19		2017-18	
		मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स	मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
(i)	डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूल रकम)				
	क) प्रतिरक्षा के लिए	1 670.41	0	1 614.89	0
	ख) व्यापार के लिए	0	65.35	0	119.28
(ii)	बाजार मूल्य को बही में अंकित करने की स्थिति				
	क) आस्तियाँ (+)	27.97	(+)0.43	4.96	(+)1.35
	ख) देयताएँ (-)	90.33	(-)0.415	26.45	(-)1.31
(iii)	ऋण जोखिम*	195.01	0.65	166.45	1.19
(iv)	ब्याज दर में संभावित एक प्रतिशत के परिवर्तन (100*पीवी01)				
	क) प्रतिरक्षा डेरिवेटिव्स पर				
	ख) व्यापार डेरिवेटिव्स पर	27.85	0	40.01	0
		0	0.34	0	1.08
v)	**वर्ष के दौरान देखे गए 100* पीवी01 का न्यूनतम और अधिकतम**				
	क) प्रतिरक्षा पर				
	अधिकतम	42.97	0	42.97	32.62
	न्यूनतम	27.85	0	0	0
	ख) व्यापार पर				
	अधिकतम	0	1.17	0.07	2.38
	न्यूनतम	0	0.34	0	1.08

*बैंक मौजूदा भारिबै के निर्देशों के अनुसार व्युत्पन्न उत्पादों के क्रेडिट एक्सपोज़र के मापन पर वर्तमान एक्सपोज़र विधि को अपना सकते हैं।

h) All the hedge transactions are accounted on accrual basis. Valuations of the outstanding contracts are done on Mark to Market basis. The Bank has duly approved Risk Management and Accounting procedures for dealing in Derivatives.

i) The derivative transactions are conducted in accordance with the extant guidelines of Reserve Bank of India.

Risk Management policies pertaining to derivatives with particular reference to the extent to which derivatives are used, the associated risks and business purposes served. Also to include

a) The structure and organization for management of risk in derivatives trading;

b) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems;

c) Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants; and

d) Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation.

Treasury (Domestic)

The Bank uses Rupee Interest Rate Swaps (IRS) for hedging purpose to mitigate interest rate risk in Govt. Securities and to reduce the cost of Subordinated Debt. In addition, the bank also enters into rupee interest rate swaps for trading purposes as per the policy duly approved by the Board. Swap transactions are entered only with Banks having ISDA agreements in place.

a) The bank has put in place an appropriate structure and organization for management of risk, which includes Treasury Department, Asset Liability Management Committee and Risk Management Committee of the Board.

b) Derivative transactions carry Market Risk (arising from adverse movement in interest rates), Credit risk (arising from probable counter party failure), Liquidity risk (arising from failure to meet funding requirements or execute the transaction at a reasonable price), Operational risk, Regulatory risk and Reputation risk. The Bank has laid down policies, set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives and proper risk reporting and mitigation systems are in place to monitor all risks relating to derivative transactions. The IRS transactions were undertaken with only Banks as counter party and well within the exposure limit approved by the Board of Bank for each counter party.

c) Derivatives are used by the bank for trading and hedging. The bank has an approved policy in force for derivatives and has set necessary limits for the use of derivatives and the position is continuously monitored. The value and maturity of the hedges which are used only as back to back or to hedge bank's Balance Sheet has not exceeded that of the underlying exposure.

d) The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, as disclosed in Schedule 17 – Significant Accounting Policies (Policy No.6)

12.3.2 Quantitative Disclosures

(Rs. in Crore)

Sr. No.	Particulars	2018-19		2017-18	
		CURRENCY DERIVATIVES	INTEREST RATE DERIVATIVES	CURRENCY DERIVATIVES	INTEREST RATE DERIVATIVES
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	a) For Hedging	1 670.41	0	1 614.89	0
	b) For Trading	0	65.35	0	119.28
(ii)	Mark to Market Positions				
	a) Asset (+)	27.97	(+)0.43	4.96	(+)1.35
	b) Liability (-)	90.33	(-)0.415	26.45	(-)1.31
(iii)	Credit Exposure*	195.01	0.65	166.45	1.19
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) On hedging derivatives	27.85	0	40.01	0
	b) on trading derivatives	0	0.34	0	1.08
v)	**Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year**				
	a) on hedging				
	Maximum	42.97	0	42.97	32.62
	Minimum	27.85	0	0	0
	b) on trading				
	Maximum	0	1.17	0.07	2.38
	Minimum	0	0.34	0	1.08

*Banks may adopt the Current Exposure Method on Measurement of Credit Exposure of Derivative Products as per extant RBI instructions.

13. आस्ति गुणवत्ता

13.1.1 अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए) (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)

(रु.करोड़ में)

विवरण			2018-19	2017-18
i)	निवल एनपीए की तुलना में निवल अग्रिम (%)		10.81	15.33
ii)	एनपीए की गतिशीलता (सकल)			
	क)	अथ शेष	38 180.15	35 098.26
	ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	8 844.54	16 824.79
	ग)	वर्ष के दोरान कटौतियाँ	13 626.57	13 742.90
	घ)	इति शेष	33 398.12	38 180.15
iii)	निवल एनपीए की गतिशीलता			
	क)	अथ शेष	20 399.66	19 749.32
	ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	7 048.31	4 889.81
	ग)	वर्ष के दौरान कटौतियाँ (तकनीकी रूप से अपलिखित करना एवं अन्य कटौतियां शामिल हैं	13 079.67	4 239.46
	घ)	इति शेष	14 368.30	20 399.66
iv)	एनपीए की गतिशीलता के लिए प्रावधान (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)			
	क)	अथ शेष	17 333.78	14 149.97
	ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	9 881.25	11 934.98
	ग)	बट्टे खाते में डाले गए / पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान	8 567.80	8 751.17
	घ)	इति शेष	18 647.23	17 333.78

13.1.2. एनपीए के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन के ब्यौरे (आरबीआई परिपत्र सं. डीबीआर.डीपीबीसी.सं.63/21.04.018/2016-17 दिनांकित 18.04.2017) निम्नवत है :

(रु.करोड़ मे)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1	बैंक द्वारा 31.03.2018 तक दर्ज किए गए सकल एनपीए	38 180.15	35 098.25
2	भारिबैं द्वारा 31.03.2018 तक आंकलित किया गया सकल एनपीए	38 517.75	37 577.65
3	सकल एनपीए में विचलन(2-1)	337.60	2 479.40
4	भारिबैं द्वारा 31 मार्च 2018 तक दर्ज किया गया निवल एनपीए	20 399.66	19 749.33
5	भारिबैं द्वारा 31 मार्च 2018 तक आंकलित किया गया निवल एनपीए	20 737.26	22 228.73
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	337.60	2 479.40
7	भारिबैं द्वारा 31 मार्च 2018 तक दर्ज किया गए एनपीए के लिए प्रावधान	17 333.78	14 149.97
8	भारिबैं द्वारा 31 मार्च 2018 तक आंकलित किए गए एनपीए के लिए प्रावधान	19 112.68	14 558.87
9	प्रावधानिकरण में विचलन (8-7)	1 778.90	408.90
10	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद दर्ज निवल लाभ (पीएटी)	(6 299.49)	(3 416.74)
11	प्रावधानिकरण में विचलन होने के बाद 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद समायोजित (काल्पनिक) निवल लाभ (पीएटी)	(8 406.60)	(3 858.84)

13.1.3 प्रावधान कवरेज अनुपात

आर्बीआइ दिशा-निर्देशों के अनुसार गणना की गई प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 31.03.2019 (31.03.2018 को 59.45%) के मुकाबले 71.39% रही ।

13. ASSET QUALITY

13.1.1 Non-Performing Assets (NPAs) (As certified by Management)

(Rs. in Crore)

	Particulars	2018-19	2017-18
i)	Net NPAs to Net Advances (%)	10.81	15.33
ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	a) Opening Balance	38 180.15	35 098.26
	b) Additions during the year	8 844.54	16 824.79
	c) Reductions during the year	13 626.57	13 742.90
	d) Closing Balance	33 398.12	38 180.15
iii)	Movement of Net NPAs		
	a) Opening Balance	20 399.66	19 749.32
	b) Additions during the year	7 048.31	4 889.81
	c) Reductions during the year (including Technical Write-off and Other Reductions)	13 079.67	4 239.46
	d) Closing Balance	14 368.30	20 399.66
iv)	Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
	a) Opening balance	17 333.78	14 149.97
	b) Provisions made during the year	9 881.25	11 934.98
	c) Write-off/Write-back of excess provisions	8 567.80	8 751.17
	d) Closing balance	18 647.23	17 333.78

13.1.2 Divergence in the Asset Classification and Provisioning for NPAs (vide RBI Circular No.DBR.DP.BC.No.63/21.04.018/2016-17 dated 18.04.2017)

(Rs. In Crore)

S. No	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
1	Gross NPAs as on March, 31,2018 as reported by the Bank	38 180.15	35 098.25
2	Gross NPAs as on March, 31,2018, as assessed by RBI	38 517.75	37 577.65
3	Divergence in Gross NPA (2-1)	337.60	2 479.40
4	Net NPAs as on March, 31,2018 as reported by the Bank	20 399.66	19 749.33
5	Net NPAs as on March, 31,2018 as assessed by RBI	20 737.26	22 228.73
6	Divergence in Net NPAs (5-4)	337.60	2 479.40
7	Provision for NPAs as on March, 31,2018 as reported by the Bank	17 333.78	14 149.97
8	Provision for NPAs as on March, 31,2018 as assessed by RBI	19 112.68	14 558.87
9	Divergence in provisioning (8-7)	1 778.90	408.90
10	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March,31,2018	(6 299.49)	(3 416.74)
11	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March,31,2018 after taking into account the divergence in provisioning	(8 406.60)	(3 858.84)

13.1.3 Provision Coverage Ratio

The Provision Coverage Ratio (PCR) computed as per the RBI guidelines stood at 71.39% as on 31.03.2019 (59.45% as on 31.03.2018).

13.2. पुनर्संरचित खातों का विवरण

(रु.करोड़ मे)

क्रम सं.	पुनः संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार पुनर्संरचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण / विवरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल, 2017 तक पुनर्संरचि खाते (प्रारंभिक आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	3	4	25	0	32	1	2	58	0	61	29	15	107	1	152	33	21	190	1	245
		बकाया राशि	72.16	364.50	4217.71	0.00	4654.37	11.69	41.28	336.37	0.00	389.34	1824.74	4073.92	4659.46	0.46	10558.58	1908.59	4479.70	9213.54	0.46	15602.29
		उनपर प्रावधान	1.68	7.66	27.42	0.00	36.76	0.00	0.03	0.31	0.00	0.34	22.51	5.96	16.21	0.00	44.68	24.19	13.65	43.94	0.00	81.78
2	1.4.17 से 31.03.2018 के दौरान नई पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	8403	53	0	0	0	0	0	0	0	0	8403	53	0	0	0
		बकाया राशि	0.00	0.00	206.67	0.00	206.67	373.88	30.72	0.25	0.00	0.00	6.72	99.22	5.63	0.00	0.00	380.60	129.94	212.55	0.00	723.09
		उनपर प्रावधान	0.00	0.00	-12.17	0.00	-12.17	19.63	4.61	-0.16	0.00	0.00	-0.44	0.00	-1.54	0.00	0.00	19.19	4.61	-13.87	0.00	9.93
3	01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग के स्तर में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	1	0	-1	0	0	1	1	-2	0	0
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	-0.27	0.00	0	64.15	0.00	-64.15	0	0.00	64.15	0.27	-64.42	0.00	0.00
		उनपर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2.35	0.00	-2.34	0	0.00	2.35	0.00	-2.34	0.00	0.01

13.2 Particulars of Accounts Restructured (As certified by Management)

(Rs. in Crore)

Sl No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
1	Restructured Accounts as on April 1, 2017	No. of Borrowers	3	4	25	0	32	1	2	58	0	61	29	15	107	1	152	33	21	190	1	245
		Amount Outstanding	72.16	364.50	4217.71	0.00	4654.37	11.69	41.28	336.37	0.00	389.34	1824.74	4073.92	4659.46	0.46	10558.58	1908.59	4479.70	9213.54	0.46	15602.29
		Provision Thereon	1.68	7.66	27.42	0.00	36.76	0.00	0.03	0.31	0.00	0.34	22.51	5.96	16.21	0.00	44.68	24.19	13.65	43.94	0.00	81.78
2	Fresh Restructuring during 1.4.17 to 31.03.2018 including increase in exposure for existing accounts	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	8403	53	0	0	0	0	0	0	0	0	8403	53	0	0	0
		Amount Outstanding	0.00	0.00	206.67	0.00	206.67	373.88	30.72	0.25	0.00	0.00	6.72	99.22	5.63	0.00	0.00	380.60	129.94	212.55	0.00	723.09
		Provision Thereon	0.00	0.00	-12.17	0.00	-12.17	19.63	4.61	-0.16	0.00	0.00	-0.44	0.00	-1.54	0.00	0.00	19.19	4.61	-13.87	0.00	9.93
3	Upgradation of restructured standard category during 01.04.2017 to 31.03.2018	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	1	0	-1	0	0	1	1	-2	0	0
		Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	-0.27	0.00	0	64.15	0.00	-64.15	0	0.00	64.15	0.27	-64.42	0.00	0.00
		Provision Thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2.35	0.00	-2.34	0	0.00	2.35	0.00	-2.34	0.00	0.01

क्रम सं.		4			5			6			7		
पुनः संरचना का प्रकार	आस्ति वर्गीकरण / विवरण	उच्च प्रावधान आकर्षित करनेवाले पुनः संरचित मानक अग्रिम और/या वित्तीय वर्ष के अंत में अतिरिक्त जोखिम भार और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जिन्हें पुनः संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है			01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान पुनः संरचित खातों का अवनयन			01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान पुनः संरचित खातों को बट्टे खाते में डालना / बिक्री			मार्च 31, 2018 (अंतिम आंकड़े) तक पुनः संरचित किए गए खाते		
		उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया राशि	उनपर प्रावधान	उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया राशि	उनपर प्रावधान	उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया राशि	उनपर प्रावधान	उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया राशि	उनपर प्रावधान
सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत	मानक	-1	-26.16	-1.65	-1	-13.49	-0.02	-1	-32.51	-0.01	0	0.00	0.00
	अवमानक				-3	-333.23	-5.50	0	-17.78	-2.14	1	13.49	0.02
	संदिग्ध				4	346.72	5.52	-3	-649.12	-7.02	26	4121.98	13.75
	हानि				0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	कुल	-1	-26.16	-1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27	4135.47	13.77
एसएमई उधार पुनर्संरचना के अंतर्गत	मानक	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	-1.57	0.00	8404	384.00	19.63
	अवमानक				-2	-41.22	-0.03	0	-0.05	0.00	54	31.00	4.61
	संदिग्ध				2	41.22	0.03	-10	-27.95	-0.01	49	349.62	0.17
	हानि				0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	कुल	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8507	764.62	24.41
अन्य	मानक	-14	-657.15	-12.91	-8	-422.70	0.00	-2	-368.65	-0.49	6	447.11	11.02
	अवमानक				-4	-2901.78	-4.83	-1	-240.74	-0.94	10	1030.62	0.19
	संदिग्ध				12	3324.48	4.83	-15	-588.89	-0.62	103	7336.53	16.54
	हानि				0	0.00	0.00	0	-0.08	0.00	1	0.38	0.00
	कुल	-14	-657.15	-12.91	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120	8814.64	27.75
कुल	मानक	-15.00	-683.31	-14.56	-9	-436.19	-0.02	0	0	0.00	8410	831.11	3.65
	अवमानक	0.00	0.00	0.00	-9	-3276.23	-10.36	-1	-259	-3.00	65	1075.11	4.82
	संदिग्ध	0.00	0.00	0.00	18	3712.42	10.38	-28	-1266	-8.00	178	11808.13	30.46
	हानि	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	1	0.38	0.00
	कुल	-15.00	-683.31	-14.56	0	0.00	0.00	-29	-1524.61	-10.73	8654	13714.73	65.93

Sl No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of FY and hence need not be shows as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of Borrowers	-1				-1	0				0	-14				-14	-15.00	0.00	0.00	0.00	-15.00
		Amount Outstanding	-26.16				-26.16	0.00				0.00	-657.15				-657.15	-683.31	0.00	0.00	0.00	-683.31
		Provision Thereon	-1.65				-1.65	0.00				0.00	-12.91				-12.91	-14.56	0.00	0.00	0.00	-14.56
5	Downgradation of the restructured accounts during 01.04.17 to 31.03.2018	No. of Borrowers	-1	-3	4	0	0.00	0	-2	2	0	0	-8	-4	12	0	0	-9	-9	18	0	0
		Amount Outstanding	-13.49	-333.23	346.72	0.00	0.00	0.00	-41.22	41.22	0.00	0.00	-422.70	-2901.78	3324.48	0.00	0.00	-436.19	-3276.23	3712.42	0.00	0.00
		Provision Thereon	-0.02	-5.50	5.52	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	-4.83	4.83	0.00	0.00	-0.02	-10.36	10.38	0.00	0.00
6	Write off/ sale/ closure/ exit from CDR/ recovery action initiated in restructured accounts during 1.04.2017 to 31.03.2018	No. of Borrowers	-1	0	-3	0	0.00	0	0	-10	0	0.00	-2	-1	-15	0	0.00	0	-1	-28	0	-29
		Amount Outstanding	-32.51	-17.78	-649.12	0.00	0.00	-1.57	-0.05	-27.95	0.00	0.00	-368.65	-240.74	-588.89	-0.08	0.00	0	-259	-1266	0	-1524.61
		Provision Thereon	-0.01	-2.14	-7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.49	-0.94	-0.62	0.00	0.00	0.00	-3.00	-8.00	0.00	-10.73
7	Restructured Accounts as on March 31 of the 2018 (closing Figures)	No. of Borrowers	0	1	26	0	27	8404	54	49	0	8507	6	10	103	1	120	8410	65	178	1	8654
		Amount Outstanding	0.00	13.49	4121.98	0.00	4135.47	384.00	31.00	349.62	0.00	764.62	447.11	1030.62	7336.53	0.38	8814.64	831.11	1075.11	11808.13	0.38	13714.73
		Provision Thereon	0.00	0.02	13.75	0.00	13.77	19.63	4.61	0.17	0.00	24.41	11.02	0.19	16.54	0.00	27.75	3.65	4.82	30.46	0.00	65.93

13.3 आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/ पुनःसंरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

अ. बिक्री का ब्योरा

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2018-19	2017-18
(i)	खातों की संख्या	11	13
(ii)	एस सी / आर सी को विक्रय किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	495.48	2 113.05
(iii)	कुल प्रतिफल	851.23	2 364.98
(iv)	गत वर्षों में अंतरित खातों से प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	12.99	5.92
(v)	निवल बही-मूल्य पर कुल लाभ / (हानि)	**355.75**	**251.91**

आ. सुरक्षा रसीद में निवेश का मूल्य का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
1. अंतर्निहित बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	840.27	1 355.01
2.अंतर्निहित अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	--	--
कुल	**840.27**	**1 355.01**

उ. सुरक्षा रसीद में निवेश के मूल्य पर अतिरिक्त प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	पिइछले 5 वर्षों में जारी की गई एसआर	पिछले 5 वर्षों के बाद लेकिन 8 वर्षों से पहले जारी की गई एसआर	8 वर्ष पहले जारी की गई एसआर
(1)	अंतर्निहित बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसाआरएस का बुक वैल्यू	2 908.88	107.97	1.58
	(1)के प्रति प्रावधान	481.08	44.35	1.58
(2)	अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थीत एसआरएस का बुक वैल्यू	0.00	0.00	0.00
	(2)के प्रति प्रावधान	0.00	0.00	0.00
	कुल (1)+(2)	**2 908.88**	**107.97**	**1.58**

13.4 अन्य बैंकों से क्रय / विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

13.4.1 क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ों में)

		विवरण	2018-19	2017-18
1	(क)	वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	--	--
	(ख)	कुल बकाया	--	--
2	(क)	वर्ष के दौरान इनमें से पुनःसंरचित खातों की संख्या	--	--
	(ख)	कुल बकाया	--	--

13.4.2. विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ों में)

विवरण	2018-19	2017-18
1. विक्रय किए गए खाते	--	--
2. कुल बकाया	--	--
3. प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	--	--

13.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(रु. करोड़ों में)

विवरण	2018-19	2017-18
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	554.47	629.49

13.3 Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset reconstruction

A. Details of Sales

(Rs. in Crore)

S. NO.	Particulars	2018-19	2017-18
(i)	No. of accounts	11	13
(ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	495.48	2 113.05
(iii)	Aggregate consideration	851.23	2 364.98
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	12.99	5.92
(v)	Aggregate gain/(loss) over net book value	**355.75**	**251.91**

B. Details of book Value of Investment in Security Receipt

(Rs. in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
i) Backed by NPAs sold by the Bank as underlying	840.27	1 355.01
ii) Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions /non-banking financial companies as underlying	--	--
Total	**840.27**	**1 355.01**

C. Additional Disclosure on book Value of Investment in Security Receipt

(Rs. In Crore)

S. NO.	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(i)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying	2 908.88	107.97	1.58
	Provision held against (i)	481.08	44.35	1.58
(ii)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
	Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00
	Total (i) + (ii)	**2 908.88**	**107.97**	**1.58**

13.4 Details of non-performing financial assets purchased/sold from other banks

13.4.1 Details of non-performing financial assets purchased:

(Rs. in Crore)

		Particulars	2018-19	2017-18
1	(a)	No. of accounts purchased during the year	--	--
	(b)	Aggregate outstanding	--	--
2	(a)	Of these, number of accounts restructured during the year	--	--
	(b)	Aggregate outstanding	--	--

13.4.2 Details of non-performing financial assets sold:

(Rs. in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
1. No. of accounts sold	--	--
2. Aggregate Outstanding	--	--
3. Aggregate consideration received	--	--

13.5 Provisions on Standard Assets

(Rs. in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Provisions towards Standard Assets	554.47	629.49

14. कारोबार अनुपात

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2017-18
(i)	औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजगत आय	7.04%	7.26%
(ii)	औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	1.68%	1.52%
(iii)	औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ	2.00%	1.47%
(iv)	आस्तियों से लाभ	-1.35%	-2.33%
(v)	कारोबार (जमाएँ व अग्रिम) प्रति कर्मचारी (रु. करोडों में)	14.21	13.10
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (रु. करोड़ों में)	-0.1418	-0.2243

15. आस्ति देयता प्रबंधन :

31 मार्च 2019 तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान*

(रु. करोड़ों में)

विवरण	जमाएँ	अग्रिम (सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	2 201.91	2 516.38	4 859.36	0.51	3 386.23	1 022.49
2 से 7 दिन	5 773.99	3 362.01	2 300.80	6.27	1 146.81	660.25
8 से 14 दिन	5 533.43	5 219.13	1 273.15	0	405.25	396.96
15 से 30 दिन	5 214.26	4 310.35	1 264.56	0	1 998.57	2 183.21
31 दिन से 2 महीने तक	9 851.40	12 221.29	2 554.86	0	2 494.55	2 271.24
2 महीने से 3 महीने तक	8 115.85	14 416.58	3 037.08	0	1 317.83	999.07
3 महीने से 6 महीने	22 215.09	16 165.08	5 816.05	1 178.64	3 043.45	3 783.57
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	44 884.48	23 000.91	10 767.65	441.99	1 144.18	2 858.36
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	32 558.94	63 424.73	9 997.98	1 473.30	2 421.43	1 979.64
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	7 025.77	12 662.19	3 148.80	0	649.18	866.59
5 वर्ष से अधिक	79 158.96	22 011.79	21 911.99	3 045.32	1 350.30	2 336.40
कुल	**222 534.08**	**179 310.44**	**66 932.28**	**6 146.03**	**19 357.78**	**19357.78**

31 मार्च 2018 तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान*

(रु. करोड़ों में)

विवरण	जमाएँ	अग्रिम (सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	2 227.87	2 072.80	9 560.69	3.75	3 506.88	1 450.52
2 से 7 दिन	5 117.39	3 430.45	2 201.77	0	1 334.75	981.22
8 से 14 दिन	6 189.96	3 167.48	1 416.91	0	702.38	1 146.92
15 से 30 दिन	4 998.45	5 298.72	961.39	313.17	3 692.44	3 448.49
31 दिन से 2 महीने तक	8 294.17	13 181.02	1 877.43	130.74	4 784.67	2 804.05
2 महीने से 3 महीने तक	8 050.60	15 934.30	1 773.32	309.41	2 167.38	2 713.51
3 महीने से 6 महीने	22 613.86	17 788.94	5 906.86	3 604.01	4 677.36	6 072.60
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	51 397.89	32 701.56	11 866.91	0	1 668.31	3 120.04
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	24 835.14	32 072.77	9 712.92	3 100.00	1 990.63	1 616.65
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	7 064.66	9 961.80	3 045.21	0	2 563.19	3 059.53
5 वर्ष से अधिक	76 036.68	14 372.87	21 939.72	1 767.00	1 972.99	2 647.45
कुल	**216 826.67**	**149 982.71**	**70 263.13**	**9 228.08**	**29 060.98**	**29 060.98**

*प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणित के अनुसार

14 BUSINESS RATIOS

S. No.	Particulars	2018-19	2017-18
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	7.04%	7.26%
(ii)	Non-Interest Income as a percentage to Working Funds	1.68%	1.52%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.00%	1.47%
(iv)	Return on Assets	-1.35%	-2.33%
(v)	Business (Deposits plus advances) per Employee (Rs. in Crore)	14.21	13.10
(vi)	Profit per employee (Rs. in Crore)	-0.1418	-0.2243

15 ASSET LIABILITY MANAGEMENT:

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as at March 31, 2019*

(Rs. in Crore)

Particulars	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Gross)	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	2 201.91	2 516.38	4 859.36	0.51	3 386.23	1 022.49
2 to 7 days	5 773.99	3 362.01	2 300.80	6.27	1 146.81	660.25
8 to 14 days	5 533.43	5 219.13	1 273.15	0	405.25	396.96
15 Days – 30 Days	5 214.26	4 310.35	1 264.56	0	1 998.57	2 183.21
31 Days – 2 Months	9 851.40	12 221.29	2 554.86	0	2 494.55	2 271.24
2 Months – 3 Months	8 115.85	14 416.58	3 037.08	0	1 317.83	999.07
3 Months – 6 Months	22 215.09	16 165.08	5 816.05	1 178.64	3 043.45	3 783.57
Over 6 Months & Upto 1 year Months	44 884.48	23 000.91	10 767.65	441.99	1 144.18	2 858.36
Over 1 year & up to 3 years	32 558.94	63 424.73	9 997.98	1 473.30	2 421.43	1 979.64
Over 3 years & up to 5 years	7 025.77	12 662.19	3 148.80	0	649.18	866.59
Over 5 years	79 158.96	22 011.79	21 911.99	3 045.32	1 350.30	2 336.40
Total	**222 534.08**	**179 310.44**	**66 932.28**	**6 146.03**	**19 357.78**	**19357.78**

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as at March 31, 2018*

(Rs. in Crore)

Particulars	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Gross)	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	2 227.87	2 072.80	9 560.69	3.75	3 506.88	1 450.52
2 to 7 days	5 117.39	3 430.45	2 201.77	0	1 334.75	981.22
8 to 14 days	6 189.96	3 167.48	1 416.91	0	702.38	1 146.92
15 Days – 30 Days	4 998.45	5 298.72	961.39	313.17	3 692.44	3 448.49
31 Days – 2 Months	8 294.17	13 181.02	1 877.43	130.74	4 784.67	2 804.05
2 Months – 3 Months	8 050.60	15 934.30	1 773.32	309.41	2 167.38	2 713.51
3 Months – 6 Months	22 613.86	17 788.94	5 906.86	3 604.01	4 677.36	6 072.60
Over 6 Months & Upto 1 year Months	51 397.89	32 701.56	11 866.91	0	1 668.31	3 120.04
Over 1 year & up to 3 years	24 835.14	32 072.77	9 712.92	3 100.00	1 990.63	1 616.65
Over 3 years & up to 5 years	7 064.66	9 961.80	3 045.21	0	2 563.19	3 059.53
Over 5 years	76 036.68	14 372.87	21 939.72	1 767.00	1 972.99	2 647.45
Total	**216 826.67**	**149 982.71**	**70 263.13**	**9 228.08**	**29 060.98**	**29 060.98**

*As compiled and certified by the management

16. उधार

16.1 स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण

(रु. करोड़ों में)

श्रेणी	2018-19	2017-18
अ) प्रत्यक्ष ऋण		
i) रिहाइशी बंधक - उधारकर्ता की उस रिहाइशी संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूति उधार जिसमें उधारकर्ता खुद रहता है या रहने वाला है या जिसे किराए पर दिया जायेगा।	17 729.62	16 298.78
जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र वैयक्तिक आवास ऋण	10 165.23	7 369.56
ii) वाणिज्यिक स्थावर-संपदा -		
वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, छोटी-मोटी ज़मीन, बहु-उ ेशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार निवासीय भवन, बहुविध किराए पर दिया हुआ वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयरहाउस ज़मीन, होटल, भूमि अभिग्रहण, विस्तारण व निर्माण आदि) उधार में गैर-निधि आधारित सीमाएँ (एनएफबी) सम्मिलित गंइ।	4 524.49	5 983.04
iii) स्थावर संपदा अन्य :: होटल, अस्पताल और लिक्विरेंट ऋण जो सीआरई के तहत नहीं हैं	2 148.37	1 838.20
iv) बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश और अन्य प्रत्याभूत उधार ए. रिहाइशी बी. वाणिज्यिक स्थावर संपदा सी. अन्य निवेश सीआइजी रियेलिटी	0	0
आ) अप्रत्यक्ष ऋण : राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और		
आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित उधार	3 588.20	1 697.00
स्थावर संपदा प्रवर्ग को कुल ऋण अ +आ	**27 990.68**	**25 817.02**

16.2 पूँजी बाज़ार को ऋण जोखिम

(रु. करोड़ों में)

विवरण	2018-19	2017-18
i) उन ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बाँडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों में किया गया प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी निधि का निवेश विशिष्टतः कार्पोरेट ऋण में नहीं किया गया है;	427.61	472.30
ii) शेयरों (आइपीओ / ईएसओपी सहित), परिवर्तनशील बाँडों और परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों / बाँडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम	0.27	0.68
iii) किसी अन्य प्रयोजन हेतु दिए गए वे अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडो की यूनिटों को मूल प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है।	1.78	1.98
iv)) जहाँ शेयरों / परिवर्तनशील बाँडों / परिवर्तनशील डिबेंचरों / ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों से इतर प्रधान प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती, वहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रत्याभूत कर किन्हीं अन्य उदेश्यों के लिए प्रदत्त अग्रिम;	732.79	653.41
v) स्टॉक ब्रोकर को दिए गए सुरक्षित व असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियाँ;	0.85	0.60
vi) संसाधनों को जुटाने की अपेक्षा से नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बाँडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के प्रति या निर्बन्ध आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण;	0.00	0.00
vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह / निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण;	0.00	0.00
viii) शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंड की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गयी हामीदारी प्रतिबद्धताएँ;	0.00	0.00
ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना	0.00	0.00
x) उद्यम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों ही) के प्रति सभी ऋण *	131.83	142.10
पूँजी बाजार को कुल उधार	**1 295.13**	**1 271.07**

16 Exposures

16.1 Exposure to Real Estate Sector

(Rs. in Crore)

Category	2018-19	2017-18
(a) Direct Exposure		
i) Residential Mortgages- Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	17 729.62	16 298.78
Out of which individual housing loans eligible to be classified under Priority Sector	10 165.23	7 369.56
ii) Commercial Real Estate- Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenated commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure would also include non-fund based(NBF) limits;	4 524.49	5 983.04
iii) Real estate other (Hotel, Hospital & liquirent not under CRE) iv) Investments in mortgage backed securities (MBS) and other securitized exposures- a. Residential b. Commercial Real Estate c. other investment CIG Reality	2 148.37 0	1 838.20 0
(b) Indirect Exposure Fund based and non-fund based exposures on National housing Bank(NHB) and Housing Finance companies(HFCs)	3 588.20	1 697.00
TOTAL EXPOSURE TO REAL ESTATE SECTOR	**27 990.68**	**25 817.02**

16.2 Exposure to Capital Market

(Rs. in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity- oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	427.61	472.30
ii) advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds;	0.27	0.68
iii) advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	1.78	1.98
iv) advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds ie. Where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	732.79	653.41
v) Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	0.85	0.60
vi) loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoters contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
vii) bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
viii) underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix) financing to stock brokers for margin trading;	0.00	0.00
x) all exposures to venture Capital Funds (both registered and unregistered and commitment charges)*	131.83	142.10
TOTAL EXPOSURE TO CAPITAL MARKET	**1 295.13**	**1 271.07**

16.3 जोखिम वर्ग वार देश ऋण

(रु. करोड़ों में)

जोखिम वर्ग*	31.3.2019 तक (निवल) अग्रिम	31.3.2019 तक धारित प्रावधान	31.3.2018 तक (निवल) अग्रिम	31.3.2018 तक धारित प्रावधान
अमहत्वपूर्ण	9 966.76	--	12 454.40	8.18
कम	4 982.52	--	5 447.40	--
सामान्य रूप से कम	64.99	--	77.65	--
सामान्य	293.16	--	824.41	--
सामान्य रूप से उच्च	10.03	--	10.56	--
उच्च	--	--	--	--
उच्चतर	--	--	--	--
कुल	**15 317.46**	**--**	**18 814.42**	**8.18**

*निर्यात श्रेणी गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) के बाद 7 श्रेणी वर्गीकरण के आधार पर

16.4 एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के विवरण जहाँ बैंक ने अतिक्रमण किया है :

बैंक ने नीचे दिए गए मामलों में आरबीआइ द्वारा निर्धारित विवेकाधीन सीमा से अधिक एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र लिया था :

2018-19

(रु. करोड़ों में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	ऋण जोखिम सीमा	मंजूर की गई सीमा	वह अवधि जिस दौरान सीमा का अधिगमन हुआ	बोर्ड की संपुष्टि के विवरण	31.03.2019 तक के लिए बकाये की स्थिति
1	ट्विन स्टार होल्डिंग्स लि.	276.62	414.93	01.04.2018 से 18.03.2019 तक	05.12.2014 बोर्ड द्वारा संपुष्ट	207.47
2	टीसीआइ संनमार कैमिकल एस.ए.ए.	276.62	764.16	01.04.2018 से 04.02.2019 तक	29.05.2018 बोर्ड द्वारा संपुष्ट	257.05
3	स्वेतारण्य होल्डिंग प्रा. लि.	276.62	318.11	01.04.2018 से 28.09.2018 तक	29.01.2018 बोर्ड द्वारा संपुष्ट	253.63
4	जेवीएफ पैट्रो-कैमिक्लस लि.	276.62	385.68	01.04.2018 से 15.11.2018 तक	16.04.2013 बोर्ड द्वारा संपुष्ट	--

2017-18

(रुपए करोड़ों में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	ऋण जोखिम सीमा	मंजूर की गई सीमा	वह अवधि जिस दौरान सीमा का अधिगमन हुआ	बोर्ड की संपुष्टि के विवरण	31.03.2018 तक के लिए बकाये की स्थिति
1	ट्विन स्टार होल्डिंग्स लि., मॉरिशस - हाँगकाँग शाखा	260.70	391.05	12 माह	29.04.2017	312.85

16.5 अप्रतिभूत अग्रिम

(रु. करोड़ों में)

विवरण	2018-19	2017-18
अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल रकम जैसे अधिकार, लाइसेंस प्राधिकार पर किए गए प्रभार आदि	4 592.21	7 623.85
ऐसी अमूर्त संपार्श्विकों का आकलित मूल्य	4 592.21	7 623.85

17. भा.रि.बैंक द्वारा लगाए गए दंडः

(रु. करोड़ों में)

विवरण	2018-19	2017-18
भा.रि.बैंक द्वारा लगाए गए दंडः	4.50	2.00
सेबी/ स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लगाए गए दंड	0.0020	0.02

लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

18.1 लेखांकन मानक 5 - अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

सम्पत्ति पर लेखांकन मानक 10 (संशोधित 2016) के अनुसार फिक्स्ड एसेट्स के संशोधित हिस्से पर मूल्यह्रास के अलावा 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए उसी लेखा नीतियों अग्र प्रथाओं के बाद वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं, नीचे के रूप में संयंत्र व उपकरण :

- फिक्स्ड एसेट्स के संशोधित हिस्से पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से लाभ व हानि खाते में जमा करने की बजाए राजस्व रिटर्न में स्थानांतरित कर दिया गया है।

16.3 Risk Category-wise Country Exposure:

(Rs. in Crore)

Risk Category*	Exposure (net) as at 31.03.2019	Provision held as at 31.03.2019	Exposure (net) as at 31.03.2018	Provision held as at 31.03.2018
Insignificant	9 966.76	--	12 454.40	8.18
Low	4 982.52	--	5 447.40	--
Moderately Low	64.99	--	77.65	--
Moderate	293.16	--	824.41	--
Moderately High	10.03	--	10.56	--
High	--	--	--	--
Very High	--	--	--	--
Total	**15 317.46**	**--**	**18 814.42**	**8.18**

*Based on seven category classification followed by Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (ECGC)

16.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

The bank had taken single/group borrower exposure in excess of prudential limit prescribed by RBI in the cases given below:

2018-19

(Rs. In Crore)

SL No	Name of the borrower	Exposure Ceiling	Limit sanctioned	Period during which limit exceeded	Board ratification details	Position as on 31.03.2019 outstanding
1	Twin Star Holdings Ltd.	276.62	414.93	01.04.2018 to 18.03.2019	Ratified by Board on 05.12.2014	207.47
2	TCI Sanmar Chemicals S.A.E.	276.62	764.16	01.04.2018 to 04.02.2019	Ratified by Board on 29.05.2018	257.05
3	Swetharanya Holdings Pvt. Ltd.	276.62	318.11	01.04.2018 to 28.09.2018	Ratified by Board on 29.01.2018	253.63
4	JBF Petrochemicals Limited	276.62	385.68	01.04.2018 to 15.11.2018	Ratified by Board on 16.04.2013	--

2017-18

(Rs. In Crore)

SL No	Name of the borrower	Exposure Ceiling	Limit sanctioned	Period during which limit exceeded	Board ratification details	Position as on 31.03.2018 outstanding
1	Twin Star Holdings Ltd.	260.70	391.05	12 months	29.04.2017	312.85

16.5 Unsecured Advances

(Rs. In Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Total amount for which intangible securities such as charge over the rights, licenses authority, etc., has been taken	4 592.21	7 623.85
Estimated value of such intangible collateral	4 592.21	7 623.85

17 Disclosure of Penalties imposed

(Rs. In Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Penalties imposed by RBI	4.50	2.00
Penalties imposed by SEBI / stock exchanges	0.0020	0.02

DISCLOSURES IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS

18.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

The financial statements have been prepared following the same accounting policies and practices as those followed for the year ended March 31, 2018, except for the treatment of depreciation on revalued portion of Fixed Assets in accordance with Accounting Standard 10 (revised 2016) on Property, Plant and Equipment as below:

- Depreciation on revalued portion of Fixed Assets has been transferred from the revaluation reserve to the revenue reserve instead of crediting to the Profit and Loss account.

18.2 लेखांकन मानक 9 - राजस्व मान्यता

महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसी - अनुसूची 17 में मद सं.2 में वर्णितानुसार राजस्व को मान्यता दी गई हैं ।

18.3 लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ

i. बैंक ने 01 अप्रैल 2007 से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''कर्मचारियों के लाभ'' संबंधी लेखांकन मानक 15 (परिशोधित) को अपनाया है ।

ii. लेखांकन मानक-15 (परिशोधित) के अनुसार अपेक्षित लाभ व हानि खाते और तुलन पत्र में पहचाने गए नियोजन-उत्तर लाभों और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की स्थिति का सारांश निम्नवत है;

(क) परिभाषित लाभ योजनाएँ

बाध्यताओं के वर्तमान मूल्यों में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	8 258.94	7 562.52	1 472.41	1 313.48	464.20	469.79
ब्याज लागत	609.74	566.60	105.40	90.01	32.63	32.69
वर्तमान सेवा लागत	163.02	168.65	65.59	60.24	34.35	31.51
प्रदत्त लाभ	(742.00)	(634.04)	(217.89)	(164.17)	(87.41)	(93.68)
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान / (लाभ)	336.01	595.21	(52.77)	172.84	29.71	23.89
वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	8 625.72	8 258.95	1 372.74	1 472.41	473.49	464.20

(ख) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोडों में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	8 253.78	7 589.84	1 472.41	1 308.94	--	--
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	689.94	610.23	120.80	109.56	--	--
नियोक्ता का अंशदान	467.65	684.66	115.06	204.58	87.41	93.68
प्रदत्त लाभ	(742.00)	(634.04)	(217.89)	(164.17)	87.41	93.68
बाध्यताओं पर वास्तविक (नुकसान) / लाभ	(44.11)	3.09	(2.59)	13.50	--	--
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	8 625.26	8 253.78	1 487.79	1 472.41	--	--
गैर निधीय संक्रमणकालीन देयता	--	--	--	--	--	--

(ग) तुलन पत्र में पहचानी गयी रकम

(रु. करोडों में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का अनुमानित वर्तमान मूल्य	8 625.72	8 258.95	1 372.74	1 472.41	473.49	464.20
वर्ष के अंत में तक योजना आस्ति का उचित मूल्य	8 625.26	8 253.78	1 487.79	1 472.41	--	--
तुलन पत्र में पहचानी गई अनिधिक निवल देयता	0.46	5.17	--	--	473.49	464.20
तुलन पत्र में पहचानी गई निधिक निवल देयता	--	--	115.05	--	--	--

18.2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Revenue has been recognized as described in item No. 2 of Significant Accounting Policies – Schedule 17.

18.3 Accounting Standard 15 – Employee Benefits

i. The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April, 2007.

ii. The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under: -

(a) Defined Benefit Schemes:

Changes in the present value of the obligations

(Rs. In Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Present Value of obligation as at the beginning of the year	8 258.94	7 562.52	1 472.41	1 313.48	464.20	469.79
Interest Cost	609.74	566.60	105.40	90.01	32.63	32.69
Current Service Cost	163.02	168.65	65.59	60.24	34.35	31.51
Benefits Paid	(742.00)	(634.04)	(217.89)	(164.17)	(87.41)	(93.68)
Actuarial loss/(gain) on Obligations	336.01	595.21	(52.77)	172.84	29.71	23.89
Present Value of Obligation at year end	8 625.72	8 258.95	1 372.74	1 472.41	473.49	464.20

(b) Change in Fair Value of Plan Asset

(Rs. In Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	8 253.78	7 589.84	1 472.41	1 308.94	--	--
Expected return on Plan Assets	689.94	610.23	120.80	109.56	--	--
Employer's contribution	467.65	684.66	115.06	204.58	87.41	93.68
Benefit Paid	(742.00)	(634.04)	(217.89)	(164.17)	87.41	93.68
Actuarial gain/(loss) on Obligations	(44.11)	3.09	(2.59)	13.50	--	--
Fair Value of Plan Asset at the end of the year	8 625.26	8 253.78	1 487.79	1 472.41	--	--
Unfunded Transitional Liability	--	--	--	--	--	--

(c) Amount recognized in Balance Sheet

(Rs. In Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Estimated Present value of obligations as at the end of the year	8 625.72	8 258.95	1 372.74	1 472.41	473.49	464.20
Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	8 625.26	8 253.78	1 487.79	1 472.41	--	--
Unfunded Net Liability recognized in Balance Sheet	0.46	5.17	--	--	473.49	464.20
Funded Net Assets to be recognized in Balance Sheet	--	--	115.05	--	--	--

घ) लाभ व हानि में पहचाने गए व्यय

(रु. करोडों में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
वर्तमान सेवा लागत	163.02	168.65	65.59	60.24	34.35	31.51
ब्याज लागत	609.74	566.60	105.40	90.01	32.63	32.69
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	(689.94)	(610.23)	(120.80)	(109.56)	--	--
वर्ष में पहचाना गया निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	380.13	592.12	50.18	(159.34)	29.71	23.89
लाभ व हानि खाते में प्रभारित करने योग्य कुल व्यय	462.95	717.15	--	200.04	96.69	88.10
।। पेंशन विकल्पियों / पीएफ में नियोक्ता के अंशदान से प्राप्त रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ङ) पेंशन व ग्रैच्युटी न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशतता :

(% में आंकड़े)

विवरण	पेंशन न्यास ( )		ग्रैच्युटी न्यास ( )	
	2019	2018	2019	2018
क) ऋण लिखतें				
केंद्र सरकार प्रतिभूतियाँ	9.65	12.93	3.74	2.73
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	23.62	13.43	70.74	69.03
पीएसयु / पीएफआइ/कार्पोरेट बाँडों में निवेश	65.69	73.12	24.10	26.90
अन्य निवेश	0.02	0.07	--	--
ख) ईक्विटी लिखतें	0.84	0.45	1.42	1.34

(च) तुलन-पत्र की तारीख तक मूल वास्तविक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त)

(% में आंकड़े)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
बट्टा दर	7.54	7.73	7.76	7.73	7.76	7.73
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ दर	8.00	8.00	8.50	8.00	--	--
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
अपनायी गयी प्रक्रिया	अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट	

(छ) अनुभवगत समंजन

(रु. करोडों में)

विवरण	पेंशन (निधिक)					ग्रैच्युटी (निधिक)					अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
योजना आस्तियों पर अनुभवगत समंजन (हानि) / लाभ	44.11	(3.09)	(139.69)	85.42	3.73	2.59	(13.50)	(65.79)	10.14	23.13	--	--	--	--	--
योजना देयताओं पर अनुभवगत समंजन (हानि) / लाभ	(336.01)	(595.21)	(657.80)	(907.77)	(567.28)	52.77	(172.84)	(202.74)	(130.80)	30.57	29.71	23.89	67.62	53.44	35.78

बीमांकक मूल्यांकन के तहत भावी वेतन वृद्धि के अनुमानों में, योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ, मुद्रास्फीति, वरीयता, पदोन्नति और अन्य संबंधित कारकों यथा कर्मचारी बाज़ार में माँग व आपूर्ति को हिसाब में लिया गया है।

विदेशी शाखाओं के संबंध में, कर्मचारी लाभ योजना के लिए यदि कोई प्रकटीकरण अपेक्षित है तो सूचना के अभाव में यह नहीं है।

(ज) परिकलनों के लिए किए गए वित्तीय अनुमान निम्नवत है

बट्टा दर : बट्टा दर को मूल्यांकन की तारीख (तुलन - पत्र दिनांकित 31.03.2019) सरकारी बाँडों पर बाजार लाभ के संदर्भ में तय किया गया है ।

प्रत्याशित लाभ दरः आस्तियों पर कुल मिलाकर प्रत्याशित लाभ दर उस तिथि पर प्रचलित बाजार मूल्य पर तय की जाती है, जि अवधि में लागू तिथि पर दायित्वों का निपटारा किया जाना है। सुधरे हुए स्टॉक बाजार परिदृश्य के कारण आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन है।

अगले वित्तीय वर्ष में अपेक्षित अदायगी वाले ग्रैच्युटी के लिए बैंक का सर्वोत्तम आकलन रु.225 करोड़ है ।

(d) **Expenses Recognized in Profit & Loss**

(Rs. In Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Current Service Cost	163.02	168.65	65.59	60.24	34.35	31.51
Interest Cost	609.74	566.60	105.40	90.01	32.63	32.69
Expected return on Plan Asset	(689.94)	(610.23)	(120.80)	(109.56)	--	--
Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	380.13	592.12	50.18	(159.34)	29.71	23.89
Total expenses chargeable in Profit & Loss Account	462.95	717.15	--	200.04	96.69	88.10
Amount received from II Pension optees/ employer's contribution of PF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

(e) **Investment percentage maintained by Pension & Gratuity Trust:**

(Figures in %)

Particulars		Pension Trust		Gratuity Trust	
		2019	2018	2019	2018
a)	Debt Instruments				
	Central Government Securities	9.65	12.93	3.74	2.73
	State Government Securities	23.62	13.43	70.74	69.03
	Investment in PSU /PFI / Corporate Bonds	65.69	73.12	24.10	26.90
	Other Investments	0.02	0.07	--	--
b)	Equity Instruments	0.84	0.45	1.42	1.34

(f) **Principal actuarial assumptions at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average)**

(Figures in %)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Discount Rate	7.54	7.73	7.76	7.73	7.76	7.73
Expected rate of return on Plan Assets	8.00	8.00	8.50	8.00	--	--
Expected Rate of Salary increase	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Method used	Projected unit credit		Projected unit credit		Projected unit credit	

(g) **Experience Adjustments**

(Rs. In Crore)

Particulars	PENSION (Funded)					GRATUITY (Funded)					LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
Experience adjustment on Plan assets (Loss)/Gain	44.11	(3.09)	(139.69)	85.42	3.73	2.59	(13.50)	(65.79)	10.14	23.13	--	--	--	--	--
Experience adjustment on Plan Liabilities (Loss)/Gain	(336.01)	(595.21)	(657.80)	(907.77)	(567.28)	52.77	(172.84)	(202.74)	(130.80)	30.57	29.71	23.89	67.62	53.44	35.78

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account actual return on plan assets, inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.

In respect of overseas branches, disclosures if any required for Employee Benefit Schemes are not made in the absence of information.

(h) **The financial assumptions considered for the calculations are as under:-**

Discount Rate: The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of valuation (Balance sheet dated 31.03.2019).

Expected Rate of Return: The Overall expected rate of return on assets is determined based on the market prices prevailing on that date applicable to the period over which the obligation is to be settled. There has been significant change in expected rate of return on assets due to the improved stock market scenario.

Bank's best estimate expected to be paid in next Financial Year for Gratuity is Rs. 225 Crore.

18.4 लेखांकन मानक 17 - खण्ड रिपोर्टिंग

खण्ड रिपोर्टिंग के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल 2007 में जारी संशोधन दिशानिर्देशों को अपनाया है, जिसके अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले खण्डों को ट्रेज़री , कार्पोरेट / थोक बैंकिंग, रीटेल बैंकिंग व अन्य बैंकिंग परिचालनों मे वर्गीकृत किया है।

भाग ए : कारोबार खण्ड

(रु. करोड़ों में)

कारोबार खण्ड	राजकोष		कार्पोरेट / थोक बैंकिंग		रीटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
विवरण	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
राजस्व	6 527.71	6 093.26	7 019.45	8 159.26	7 417.75	6 367.63	404.27	366.03	21 369.18	20 986.18
परिणाम	1 455.35	1 314.11	135.11	52.14	2 650.51	1 284.11	335.78	303.52	4 576.75	2 953.88
अनाबंटित आय									468.42	675.47
अनाबंटित व्यय									11.33	0.27
परिचालनगत लाभ/हानि									5 033.87	3 629.08
आय कर									(2 222.67)	(2 332.21)
प्रावधान व आकस्मिकताएँ									10 994.42	12 260.78
असाधारण लाभ / हानि									0.00	0.00
निवल लाभ									(3 737.88)	(62 99.49)
अन्य सूचना										
खण्डवार आस्तियाँ	77 513.07	79 628.80	87 936.05	90 761.16	74 799.78	71 016.76	159.78	149.53	240 408.68	241 556.25
अनाबंटित आस्तियाँ									9 599.69	6 411.78
कुल आस्तियाँ									250 008.37	247 968.03
खण्डवार देयताएँ	75 300.39	77 197.58	85 308.73	88 301.20	72 628.01	69 099.33	355.19	75.57	233 592.32	234 673.68
अनाबंटित देयताएं									56.16	20.38
कुल देयताएं									**233 648.48**	**234 694.06**

भाग ख - भौगोलिक खण्ड

(रु. करोडों में)

विवरण	देशी		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
राजस्व	21 266.56	20 960.23	571.02	701.42	21 837.58	21 661.65
आस्तियाँ	238 395.18	230 414.98	11 613.18	17 553.05	250 008.36	247 968.03

18.4 Accounting Standard 17 – Segment Reporting

The Bank has adopted Reserve Bank of India's revised guidelines issued in April 2007 on Segment Reporting in terms of which the reportable segments have been divided into Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Operations.

Part A: Business Segments

(Rs. In Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate / Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		TOTAL	
Particulars	**2018-19**	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**
Revenue	6 527.71	6 093.26	7 019.45	8 159.26	7 417.75	6 367.63	404.27	366.03	21 369.18	20 986.18
Result	1 455.35	1 314.11	135.11	52.14	2 650.51	1 284.11	335.78	303.52	4 576.75	2 953.88
Unallocated Income									468.42	675.47
Unallocated Expenses									11.33	0.27
Operating Profit/Loss									5 033.87	3 629.08
Income Taxes									(2 222.67)	(2 332.21)
Provisions & Contingencies									10 994.42	12 260.78
Extraordinary profit / loss									0.00	0.00
Net Profit									(3 737.88)	(62 99.49)
OTHER INFORMATION										
Segment Assets	77 513.07	79 628.80	87 936.05	90 761.16	74 799.78	71 016.76	159.78	149.53	240 408.68	241 556.25
Unallocated Assets									9 599.69	6 411.78
Total assets									250 008.37	247 968.03
Segment Liabilities	75 300.39	77 197.58	85 308.73	88 301.20	72 628.01	69 099.33	355.19	75.57	233 592.32	234 673.68
Unallocated Liabilities									56.16	20.38
Total Liabilities									**233 648.48**	**234 694.06**

Part B – Geographic segments

(Rs. In Crore)

Particulars	Domestic		International		Total	
	2018-19	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**
Revenue	21 266.56	20 960.23	571.02	701.42	21 837.58	21 661.65
Assets	238 395.18	230 414.98	11 613.18	17 553.05	250 008.36	247 968.03

18.5 लेखांकन मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (प्रबंधन द्वारा समेकित व प्रमाणित अनुसार)

(रु. करोड़ों में)

मदें/ संबंधित पार्टी	एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम**				मुख्य प्रबंधन कार्मिक				मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार				कुल			
	2018-19		2017-18		2018-19		2017-18		2018-19		2017-18		2018-19		2017-18	
	31.03.2019 को बकाया	अवधि 1.04.2018 - 31.03.2019 के दौरान अधिकतम शेष राशि	31.03.2018 को शेष राशि	अवधि 1.04.2017 - 31.03.2018 के दौरान अधिकतम शेष राशि	31.03.2019 को शेष राशि	अवधि 1.04.2018 - 31.03.2019 के दौरान अधिकतम शेष राशि	31.03.2018 को शेष राशि	अवधि 1.04.2017 - 31.03.2018 के दौरान अधिकतम शेष राशि	31.03.2019 को शेष राशि	अवधि 1.04.2018 - 31.03.2019 के दौरान अधिकतम शेष राशि	31.03.2018 को शेष राशि	अवधि 1.04.2017 - 31.03.2018 के दौरान अधिकतम शेष राशि	31.03.2019 को शेष राशि	अवधि 1.04.2018 - 31.03.2019 के दौरान अधिकतम शेष राशि	31.03.2018 को शेष राशि	अवधि 1.04.2017 - 31.03.2018 के दौरान अधिकतम शेष राशि
उधार	1935.0000	2698.6200	2210.9900	2621.9965	--	--	--	--	--	--	--	--	1935.0000	2698.6200	2210.9900	2621.9965
जमाएं	78.17	145.2500	149.0260	937.0340	0.2239	0.3811	0.3673	0.5475	0.2241	0.2249	0.2149	0.2149	78.6180	145.8550	149.6100	937.7964
निवेश	--	--	--	--	0.1029	--	0.1274	--	--	--	--	--	0.1029	--	0.1274	--
अग्रिम	--	--	1150.0000	1250.0000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1150.0000	1205.0000
वर्ष के दौरान लेन-देन	2018-19		2017-18		2018-19		2017-18		2018-19		2017-18		2018-19		2017-18	
निश्चित संपत्तियों की खरीद	--		--		--		--		--		--		--		--	
अदा किया गया ब्याज	106.4100		115.1131		0.0240		--		--		--		106.4340		115.1131	
प्राप्त ब्याज	54.7700		30.9500		0.0182		0.0022		0.0116		0.0043		54.7999		30.9565	

आइआइबीएम के निदेशकों का विवरण :

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री. पी एस जयकुमार	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक निदेशक (15 जून 2018 को इस्तीफा दे दिया)
2.	श्री. दातुक भूपतराय ए/आइ श्री. मकसुखलाल प्रेमजी	गैर स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक
3.	श्री. गोह चिंग ची	स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक
4.	श्री. संथानम वंगल जगन्नाथन	स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक

18.5 Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures (as compiled & certified by Management)

(Rs. In Crore)

Items / Related Party	Associates */Joint Ventures**				Key Management Personnel				Relatives of Key Management Personnel				Total			
	2018-19		2017-18		2018-19		2017-18		2018-19		2017-18		2018-19		2017-18	
	Balance as on 31.03.2019	Maximum Balance during the period 1.04.2018 – 31.03.2019	Balance as on 31.03.2018	Maximum Balance during the period 1.04.2017 – 31.03.2018	Balance as on 31.03.2019	Maximum Balance during the period 1.04.2018 – 31.03.2019	Balance as on 31.03.2018	Maximum Balance during the period 1.4.2017 – 31.03.2018	Balance as on 31.03.2019	Maximum Balance during the period 1.04.2018 – 31.03.2019	Balance as on 31.03.2018	Maximum Balance during the period 1.04.2017 – 31.03.2018	Balance as on 31.03.2019	Maximum Balance during the period 1.04.2018 – 31.03.2019	Balance as on 31.03.2018	Maximum Balance during the period 1.04.2017 – 31.03.2018
Borrowings	1935.0000	2698.6200	2210.9900	2621.9965	--	--	--	--	--	--	--	--	1935.0000	2698.6200	2210.9900	2621.9965
Deposits	78.17	145.2500	149.0260	937.0340	0.2239	0.3811	0.3673	0.5475	0.2241	0.2249	0.2149	0.2149	78.6180	145.8550	149.6100	937.7964
Investment	--	--	--	--	0.1029	--	0.1274	--	--	--	--	--	0.1029	--	0.1274	--
Advances	--	--	1150.0000	1250.0000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1150.0000	1205.0000
Transactions during the year	2018-19		2017-18		2018-19		2017-18		2018-19		2017-18		2018-19		2017-18	
Purchase of fixed assets	--		--		--		--		--		--		--		--	
Interest paid	106.4100		115.1131		0.0240		--		--		--		106.4340		115.1131	
Interest received	54.7700		30.9500		0.0182		0.0022		0.0116		0.0043		54.7999		30.9565	

The details of the Directors of IIBM

S. No.	Name	Designation
1.	Mr. Palamadai Sundarajan Jayakumar	Non Independent Non-Executive Director (resigned on 15th June 2018)
2.	Datuk Bhupatrai a/l MaksukhlalPremji	Independent Non-Executive Director
3.	Mr. Goh Ching Chee	Independent Non-Executive Director
4.	Mr. Santhanam VangalJagannathan	Independent Non-Executive Director

2017-18 व 2018-19 के दौरान पूर्वकालिक निदेशकों को वेतन और प्रदर्शन प्रोत्साहन का विवरण

क्र.सं.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक* राशि (रु.) (2018-19)	पारिश्रमिक* राशि (रु.) (2017-18)
1.	श्री कोटीश्वरन	पूर्व प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	--	2,59,153.50
2.	श्री. अतुल अग्रवाल	पूर्व कार्यपालक निदेशक	--	3,40,618.50
3.	श्री. आर सुब्रमण्यकुमार	एमडी व सीईओ	30,74,904.00	28,73,464.63
4.	श्री. के स्वामिनाथन	कार्यपालक निदेशक	25,83,453.00	24,94,442.43
5.	श्री. अजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	25,81,467.00	11,67,450.32**

*पारिश्रमिक में वेतन व भत्ते, वेतन बकाया, निष्पादन लागत प्रोत्साहन राशि, छुट्टी भुनाई बकाया और ग्रैच्युटी बकाया शामिल हैं ।

**वर्ष का भार

18.6 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

विवरण	2018-19	2017-18
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद उपलब्ध लाभ (रु. करोड़ों में)	(3 737.88)	(6 299.49)
भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	5,474,928,289	270,92,23,826
मूल तथा कम किए हुए प्रति शेयर आय	रु. (6.83)	रु.(23.25)
प्रति शेयर सामान्य मूल्य	रु.10.00	रु.10.00

18.7 लेखांकन मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) और लेखांकन मानक 23 समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन

चूँकि कोई अनुषंगी संस्था नहीं है, किसी समेकित वित्तीय विवरण की प्रस्तुति आवश्यक नहीं समझी गई है ।

18.8 लेखांकन मानक 22 : आय पर करों के लिए लेखांकन

(रु.करोड़ में)

विवरण	31.03.2019		31.03.2018	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
निवेशों पर मूल्यह्रास		0.00		52.54
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	85.03			14.11
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	165.44		160.65	
धोखाधड़ियों के लिए प्रावधान	44.73		38.21	
अन्य सम्पत्तियों के लिए प्रावधान	27.94		27.97	
पुनः संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान	51.93		80.10	
प्रथकिकरण के लिए प्रावधान	1.23		2.66	
विशेष आरक्षितियाँ				
एनपीए के लिए प्रावधान	5 439.10		3 501.16	
विदेशी मुद्रा अंतरण के लिए प्रावधान	375.12		337.68	
अन्य	264.24		136.25	
कुल	**6 454.76**	**0.00**	**4 284.68**	**66.65**
निवल डीटीएल/डीटीए	**6 454.76**		**4 218.03**	

18.9 लेखांकन मानक 26 - अमूर्त आस्तियाँ

कोर बैंकिंग सिस्टम के लिए अधिग्रहित सॉफ्टवेयर को अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और 3 साल की अवधि तक बढाया जाता है ।

18.10 लेखांकन मानक 27 - संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग

मलेशिया में हमारे बैंक ने (35% हिस्से के साथ) बैंक ऑफ बडौदा (40%) और आंध्र बैंक (25%) के साथ एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किये हैं । इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद (आइआइबीएम) नाम से मलेशिया में स्थापित किया गया जिसकी प्राधिकृत पूँजी है एमवाइआर 500 मियो। (ज्वॉइंट वेंचर का पेडअप कैपिटल एमवाईआर 330 मियो है) इस समनुदेशित पूँजी में हमारे बैंक का हिस्सा 35% - 115.500 मियो एमवाइआर है ।

31.03.2019 को संयुक्त उद्यम ने बैंक का निवेश मूल्य बुक के अनुसार रु.193.44 करोड़ (मूल निवेश मूल्य रु.199.58 करोड़ है जो कि रु.6.14 करोड़ राशि के निवेश के मूल्यों तक कम किया गया है) है ।

18.11 लेखांकन मानक 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक द्वारा धारित अचल आस्तियों को खकार्पोरेट आस्तियाँग माना गया है और ये आइसीएआइ द्वारा जारी एएस28 आईसीएआय के जरिए परिभाषित अनुसार खनकदी सृजन इकाइयाँग नहीं हैं। प्रबंधन के मतानुसार बैंक की किसी भी अचल आस्ति को क्षति नहीं हुई है ।

18.12 लेखांकन मानक 29 - आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान

इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी दिशानिर्देशों को उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया है।

19 अतिरिक्त प्रकटीकरण

19.1 जमाओं, अग्रिमों, उधारों व अनर्जक आर्स्तियों का केन्द्रीकरण

Details of Salary and Performance Incentive paid to Whole Time Directors during the year 2017-18 and 2018-19:

Sl. No.	Name	Designation	Remuneration* Amount (Rs.) (2018-19)	Remuneration* Amount (Rs.) (2017-18)
1.	Shri R. Koteeswaran	Ex-Managing Director & Chief Executive Officer	--	2,59,153.50
2.	Shri Atul Agarwal	Ex-Executive Director	--	3,40,618.50
3.	Shri R SubramaniaKumar	Managing Director & Chief Executive Officer	30,74,904.00	28,73,464.63
4.	Shri K Swaminathan	Executive Director	25,83,453.00	24,94,442.43
5.	Shri Ajay Kumar Srivastava	Executive Director	25,81,467.00	11,67,450.32**

*Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, performance incentives, leave encashment arrears and gratuity arrears.

**Part of the year

18.6 Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Particulars	2018-19	2017-18
Net Profit after Tax available for Equity Shareholders (Rs. in Crore)	(3 737.88)	(6 299.49)
Weighted Average Number of Equity Shares	5,474,928,289	270,92,23,826
Basic & Diluted Earnings Per Share	Rs.(6.83)	Rs.(23.25)
Nominal value per Equity Share	Rs.10.00	Rs.10.00

18.7 Accounting Standard 21 - Consolidated Financial Statements and Accounting Standard 23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements

As there is no subsidiary, no consolidated financial statement is considered necessary.

18.8 Accounting Standard 22: Accounting for Taxes on Income

(Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2019		31.03.2018	
	DTA	DTL	DTA	DTL
Depreciation on Investments		0.00		52.54
Depreciation on Fixed Assets	85.03			14.11
Provision for Employee Benefits	165.44		160.65	
Provision for Frauds	44.73		38.21	
Provision for Other Assets	27.94		27.97	
Provision for Restructured Advances	51.93		80.10	
Reserve for Severance Pay	1.23		2.66	
Special Reserve				
Provision for NPA	5 439.10		3 501.16	
Foreign Currency Translation Reserve	375.12		337.68	
Others	264.24		136.25	
Total	**6 454.76**	**0.00**	**4 284.68**	**66.65**
Net DTL /DTA	**6 454.76**		**4 218.03**	

18.9 Accounting Standard 26 – Intangible Assets

The software acquired for core banking system is treated as intangible asset and amortized over a period of 3 years.

18.10 Accounting Standard 27 – Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

Our Bank (with 35% share) has floated a Joint Venture at Malaysia along with Bank of Baroda (40%) and Andhra Bank (25%) by name INDIA INTERNATIONAL BANK (MALAYSIA) BHD (IIBM). IIBM has an Authorized Capital of MYR 500 Mio. The Joint Venture's Paid up Capital is MYR 330 Mio. (previous year MYR 330 Mio.) Our Bank's share in the Assigned up Capital is 35% - MYR 115.500 Mio.

As on 31.03.2019, Bank's investment value in the Joint Venture as per the books stands at Rs.193.44 Crore (Original Investment value Rs.199.58 Crores as reduced by Diminution in Value of Investments amounting to Rs.6.14 crore).

18.11 Accounting Standard 28 – Impairment of Assets

Fixed Assets owned by the Bank are treated as 'Corporate Assets' and are not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28 issued by ICAI. In the opinion of the Management, there is no impairment of any of the Fixed Assets of the Bank.

18.12 Accounting Standard 29 – Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The guidelines issued by the Institute of Chartered Accountant of India in this respect have been incorporated at the appropriate places.

19 Additional Disclosures

19.1 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

19.1.1 जमाओं का केन्द्रीकरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ	22 665.71	20 152.15
बैंक की कुल जमाओं की तुलना में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	10.19%	9.31%

19.1.2 अग्रिमों का केन्द्रीकरण (उधार एक्सपोज़र व्युत्पन्नों सहित)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त कुल अग्रिम	23 057.11	19 991.92
बैंक के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त अग्रिमों का प्रतिशत	15.17%	11.80%

19.1.3 एक्सपोज़र का केन्द्रीकरण (उधार और निवेश एक्सपोज़र)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	24 821.13	29 225.24
बैंक द्वारा उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र का प्रतिशत	10.12%	12.17%

19.1.4 अनर्जक आस्तियों का केन्द्रीकरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
उच्च चार अनर्जक खातों से सम्बन्धित कुल एक्सपोज़र	4 569.12	4 202.67

19.1.5 प्रवर्ग-वार अग्रिम / अनर्जक आस्तियाँ

(रु. करोड़ में)

		2018-19			2017-18		
क्र.सं.	क्षेत्र	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to total advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to total advances in that sector
अ.	**प्राथमिक क्षेत्र**						
1.	कृषि व सम्बन्धित गति-विधियाँ	33 352.67	3 649.18	10.94	29 520.00	3 594.76	12.18
2.	प्राथमिक क्षेत्र उधार के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	18 352.47	2 991.13	16.30	17 854.85	3 307.42	18.52
3.	सेवाएं	14 811.43	2 029.24	13.70	14 760.07	1 843.81	12.49
4.	वैयक्तिक ऋण	12 740.20	493.12	3.87	11 419.04	329.43	2.88
	कुल (अ)	**79 256.77**	**9 162.67**	**11.56**	**73 553.96**	**9 075.42**	**12.34**
ब.	**गैर प्राथमिक क्षेत्र**						
1.	कृषि व सम्बन्धित गति-विधियाँ	1 135.13	137.92	12.15	1 230.00	0.00	0.00
2.	उद्योग	39 532.09	20 745.65	52.48	41 657.97	24 516.58	58.85
3.	सेवाएं	11 723.56	3 011.65	25.69	9 204.62	4 284.88	46.55
4.	वैयक्तिक ऋण	20 348.80	340.20	1.67	25 352.74	303.27	1.20
	कुल (ब)	**72 739.58**	**24 235.45**	**33.32**	**77 445.33**	**29 104.73**	**37.58**
	कुल (अ+ब)	**151 996.35**	**33 398.12**	**21.97**	**150 999.29**	**38 180.15**	**25.28**

19.2 अनर्जक आस्तियों का संचलन (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)

(रु.करोड़ों में)

विवरण	2018-19	2017-18
1 अप्रैल को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	38 180.15	35 098.26
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	6 070.56	16 378.81
अन्य शेष/ मौजूदा खातों में क्रेडिट	2 773.98	445.98
उप-योग (अ)	47 024.69	51 923.05

19.1.1 Concentration of Deposits

(Rs. in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Total Deposits of twenty largest depositors	22 665.71	20 152.15
Percentage of Deposits of twenty largest deposits to Total Deposits of the Bank	10.19%	9.31%

19.1.2 Concentration of Advances (Credit Exposure including derivatives)

(Rs. in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Total Advances to twenty largest borrowers	23 057.11	19 991.92
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	15.17%	11.80%

19.1.3 Concentration of Exposures (Credit and Investment exposure)

(Rs. in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	24 821.13	29 225.24
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/ customers	10.12%	12.17%

19.1.4 Concentration of NPAs

(Rs. in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Total Exposure to top four NPA accounts	4 569.12	4 202.67

19.1.5 Sector-wise Advances / NPAs

(Rs. in Crore)

		2018-19			2017-18		
S. No	SECTOR	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to total advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to total advances in that sector
A.	**Priority Sector**						
1.	Agriculture and allied activities	33 352.67	3 649.18	10.94	29 520.00	3 594.76	12.18
2.	Advances to Industries sector eligible as priority sector lending	18 352.47	2 991.13	16.30	17 854.85	3 307.42	18.52
3.	Services	14 811.43	2 029.24	13.70	14 760.07	1 843.81	12.49
4.	Personal Loans	12 740.20	493.12	3.87	11 419.04	329.43	2.88
	Sub Total (A)	**79 256.77**	**9 162.67**	**11.56**	**73 553.96**	**9 075.42**	**12.34**
B	**Non Priority Sector**						
1.	Agriculture and allied activities	1 135.13	137.92	12.15	1 230.00	0.00	0.00
2.	Industry	39 532.09	20 745.65	52.48	41 657.97	24 516.58	58.85
3.	Services	11 723.56	3 011.65	25.69	9 204.62	4 284.88	46.55
4.	Personal loans	20 348.80	340.20	1.67	25 352.74	303.27	1.20
	Sub Total (B)	**72 739.58**	**24 235.45**	**33.32**	**77 445.33**	**29 104.73**	**37.58**
	TOTAL (A+B)	**151 996.35**	**33 398.12**	**21.97**	**150 999.29**	**38 180.15**	**25.28**

19.2 MOVEMENT OF NPAs (As certified by Management)

(Rs. in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)	38 180.15	35 098.26
Additions (Fresh NPAs) during the year	6 070.56	16 378.81
Other Debits / Credits in Existing Accounts	2 773.98	445.98
Sub-total (A)	47 024.69	51 923.05

विवरण	2018-19	2017-18
घटाएँ :		
i. उन्नयन	1 452.10	2 329.86
ii. वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों में से की गई वसूलियों को छोडकर और एआरसीआइएल को बिक्री सहित)	3 672.95	1 105.13
iii) तकनीकी रूप/ प्रूडेंशियल रूप से बट्टे खाते डाले गए	7 682.82	7 018.32
iv) एआरसी को बिक्री आदि	707.98	3 253.95
v) विनिमय उतार चढ़ाव आदि	110.71	35.64
उप-कुल	13 626.57	13 742.90
31 मार्च के लिए सकल अनर्जक आस्तियाँ (समापन शेष) (अ-आ)	**33 398.12**	**38 180.15**

19.3 तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालने की गतिविधि

(रु.करोड़ों में)

विवरण	2018-19	2017-18
1 अप्रैल को तकनीकी / प्रूडेंशियल का प्रारम्भिक शेष	12 133.10	7 490.21
योग : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए तकनीकी / प्रूडेंशियल बट्टे	5 986.95	5 777.36
उप-योग (A)	18 120.05	13 267.57
घटानाः पूर्व के वर्षों में बट्टे में डाले गए खातों में तकनीकी/ वसूली तथा प्रूडेंशियल वसूली (बी)	1 296.51	1 134.47
31 मार्च (A-B) को अंतिम बकाया	16 823.54	12 133.10

19.4 विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व

(रु.करोड़ों में)

विवरण	2018-19	2017-18
कुल आस्तियाँ	11 635.68	19 002.11
कुल अनर्जक आस्तियाँ	982.62	1 993.37
कुल राजस्व	754.27	701.41

19.5 तुलन पत्र इतर प्रायोजित एसपीवी (जिनका लेखांकन-मानदण्डों के अनुसार समेकन किया जाना अपेक्षित है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशीय	विदेशी
--	--

19.6 वर्ष के दौरान आय-कर के लिए किए गए प्रावधानों की मात्रा

(रु.करोड़ों में)

विवरण	2018-19	2017-18
आय कर के लिए प्रावधान	14.14	59.81
ताले गए कर के लिए प्रावधान	-2 236.80	-2 392.02
निवल प्रावधान	-2 222.66	-2 332.21

19.7 प्रावधान और आकस्मिकताएँ - अलग-अलग विवरण

लाभ व हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत दर्शाए गए 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' का अलग-अलग विवरण

(रु.करोड़ों में)

विवरण	2018-19	2017-18
निवेश पर मूल्यहृास के लिए प्रावधान	670.14	829.21
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान	9 881.25	11 934.98
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	-70.16	-455.07
पुनर्गठित खातों के लिए प्रावधान	-78.44	-118.61
आय कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर व संपत्ति कर सहित)	-2 222.66	-2 332.21
अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएँ	591.62	70.28
कुल	**8 771.75**	**9 928.58**

19.8 अस्थिर प्रावधान

(रु.करोड़ों में)

विवरण	2018-19	2017-18
(क) अस्थिर प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	--	--
(ख) लेखा-वर्ष में किए गए अस्थिर प्रावधानों की मात्रा	--	--
(ग) लेखा-वर्ष के दौरान निकाली गई रकम (प्रतिचक्रीय बफ़र को अंतरित)	--	--
(घ) अस्थिर प्रावधान खाते में इतिशेष	--	--

Particulars	2018-19	2017-18
Less:-		
(i) Up-gradations	1 452.10	2 329.86
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	3 672.95	1 105.13
(iii) Technical Write-offs / Prudential Write-offs	7 682.82	7 018.32
(iv) Sale to ARC etc	707.98	3 253.95
(v) Exchange Fluctations / Others	110.71	35.64
Sub-total (B)	13 626.57	13 742.90
Gross NPAs as on 31st March (Closing Balance) (A-B)	**33 398.12**	**38 180.15**

19.3 Movement of Technical Write off

(Rs. in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Opening Balance of Technical / Prudential Write off as on 1st April	12 133.10	7 490.21
Add: Technical / Prudential Write offs during the year	5 986.95	5 777.36
Sub-total **(A)**	18 120.05	13 267.57
Less: Recoveries and other adjustments in Technical / Prudential written off accounts of earlier years **(B)**	1 296.51	1 134.47
Closing Balance as on 31st March **(A-B)**	16 823.54	12 133.10

19.4 OVERSEAS ASSETS, NPAs AND REVENUE

(Rs. in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Total Assets	11 635.68	19 002.11
Total NPAs	982.62	1 993.37
Total Revenue	754.27	701.41

19.5 Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
--	--

19.6 Amount of provisions made for Income Tax during the year:

(Rs. in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Provision for Income Tax	14.14	59.81
Provision for Deferred Tax	-2 236.80	-2 392.02
Net Provision	-2 222.66	-2 332.21

19.7 Provisions and Contingencies – Break-up

Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(Rs. in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Provisions for depreciation on Investment / Written back	670.14	829.21
Provision towards NPA	9 881.25	11 934.98
Provision towards Standard Assets	-70.16	-455.07
Provision for Restructured accounts	-78.44	-118.61
Provision made towards Income Tax(including Deferred Tax & Wealth Tax)	-2 222.66	-2 332.21
Other Provision and Contingencies	591.62	70.28
Total	**8 771.75**	**9 928.58**

19.8 Floating Provisions

(Rs. in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
(a) Opening balance in the floating provisions account	--	--
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	--	--
(c) Amount of draw down made during the accounting year (Transferred to Counter Cyclical Buffer)	--	--
(d) Closing balance in the floating provisions account	--	--

19.9 शिकायतों का प्रकटीकरण

19.9.1 ग्राहकों की शिकायतें (गैर-डिजिटल लेन-देन व एटीएम संबंधित लेन-देनों के अलावा)

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2017-18
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित रही शिकायतों की संख्या	1 180	4 515
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	37 870	19 294
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	37 342	22 629
(घ)	वर्ष की समाप्ति पर लंबित रही शिकायतों की संख्या	1 708	1 180

*जहाँ कहीं अगले कार्य-दिवस के अंदर ही शिकायतों का निवारण कर दिया गया तो उनको विवरण में शामिल नहीं किया गया है।

19.9.2 एटीएम की शिकायतें

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2017-18
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित रही शिकायतों की संख्या	1 907	720
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	110 005	76 918
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	108 255	75 731
(घ)	वर्ष की समाप्ति पर लंबित रही शिकायतों की संख्या	3 657	1 907

पिछले वर्ष हेतु निम्न रूप से पुनर्वर्गीकरण किया गया :

एटीएम से इतर शिकायतों के लिए इसे घटाया गया (1206 से 1080 = 26) और एटीएम शिकायत हेतु इसे 1181 से 1907 = 26 बढाया गया।

19.9.3 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णय

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2017-18
(क)	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	2	--
(ख)	वर्ष के दौरान पारित किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	**1	*2
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित की गई अधिनिर्णयों की संख्या	1	--
(घ)	अपीलिय प्राधिकरण द्वारा खारिज किये गये निर्णयों की संख्या (हमारे पक्ष में खारिज)	1	--
(ङ)	ग्राहक द्वारा अस्वीकृत किये जाने के कारण रद्द निर्णयों की संख्या	--	--
(च)	ग्राहक द्वारा अस्वीकृति के कारण कालातीत हुए अधिनिर्णयों की संख्या	**1	*2
(छ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	--	--

* बैंकिंग लोकपाल बैंगलोर से वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त दि अधिनिर्णयों में से दोनों ही अधिनिर्णयों के विरुद्ध अपील वर्ष 2017-18 में की गई है और वर्ष 2018-19 में अपीलीय प्राधिकारी भा.रि.बैं मुम्बई में एक अपील में हमारे पक्ष में निर्णय दिया तथा दूसरे में बैंक द्वारा भुगतान किया गया।

**बैंकिंग लोकपाल चंडीगढ़ द्वारा 2018-19 में दिए गए अधिनियम के लिए बैंक ने अपीलीय प्राधिकारी से अपील की है जो कि अभी तक लम्बित है।

19.9.4 चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

विवरण	2018-19	2017-18
वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	--	--
31.03.2014 को बकाया रहे चुकौती आश्वासन पत्र	2	2
निर्धारित वित्तीय प्रभाव	--	--
संचयी रूप में निर्धारित वित्तीय दायित्व	--	--

वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक ने एक चुकौती आश्वासन सहमति पत्र जारी किया कि बैंकॉक शाखा के संबंध में 12% का न्यूनतम सीआरएआर का अनुरक्षण किया जाएगा तथा कि रखे गए अर्जनों को पूँजी निधियों के रूप में परिवर्तित किया जाएगा तथा कि सीआरएआर को 12 % के न्यूनतम स्तर पर अनुरक्षित करने के लिए और पूँजी लाई जाएगी बशर्ते भा.रि.बैंक से अनुमोदन प्राप्त हो। 31.03.2019 को बैंकॉक शाखा के पूंजी टीएचबी 1798.891 मियो है।

शाखा के संपूर्ण वस्त्र उद्योग को दिए गए सभी उधारों के बुरी तरह अनर्जक आस्ति बनने के कारण, हमें टीएचबी 315.051 मियो की अतिरिक्त प्रावधान की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि वह वस्त्र उद्योग के मानक अग्रिमों का अप्रतिभूत हिस्सा है। यदि ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न हो, अप्रतिभूत रकम को सुरक्षित करने के लिए वर्तमान आरक्षितियाँ पर्याप्त होने के कारण अतिरिक्त पूँजी का प्रेषण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने बैंक नेगारा मलेशिया के पक्ष में चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया था। बैंक संयुक्त उद्यम के अन्य भागीदारों के सहयोग सहित इण्डिया इंटर्नेशनल बैंक (मलेशिया) बर्हाद को निधि प्रदान करने के लिए, व्यापार और अन्य मामलों में जब कभी अपेक्षित हो, समर्थन प्रदान करेगा और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कार्यों में, औपचारिक परिचालनों और प्रबंधन संबंधी मलेशिया के कानून, विनियमों और पॉलिसियों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है।

बैंक नेगारा मलेशिया को जारी किए गए गए चुकौती आश्वासन पत्र का वित्तीय प्रभाव यह है कि प्रदत्त पूँजी एमवाइआर 330 मियो के 35 प्रतिशत यानी, एमवाइआर 115.500 मियो का प्रेषण करना होगा। हमारे बैंक ने विभिन्न तिथियों में एमवाइआर 115.500 मियो की पूँजी के लिए 199.58 करोड़ रुपयों का प्रेषण किया है।

19.10. बैंक बीमा कारोबार

(रु.करोड़ों में)

क्रम सं.	आय का स्वरूप*	2018-19	2017-18
1	जीवन बीमा पालिसियों को बेचने के लिए	2.99	2.70
2	गैर जीवन बीमा पालिसियों को बेचने के लिए	20.14	17.50
3	म्युचुअल फंड उत्पादों को बेचने के लिए	0.74	1.05
4	अन्य (स्पष्ट करें)	--	--
	कुल	**23.87**	**21.25**

*बैंक द्वारा लिये गये बैंकएश्यूरन्स कारोबार के संबंध में प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक।

19.11 प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण शून्य (गत वर्ष शून्य)

19.12 उधार डीफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) शून्य (गत वर्ष शून्य)

19.9 Disclosure of complaints

19.9.1 Customer Complaints other than ATM related and Non-digital transactions

S. No.	Particulars	2018-19	2017-18
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	1 180	4 515
(b)	No. of complaints received during the year	37 870	19 294
(c)	No. of complaints redressed during the year	37 342	22 629
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	1 708	1 180

Wherever the complaints are redressed within next working day is not included in the statement

19.9.2 ATM – Customer Complaints

S. No.	Particulars	2018-19	2017-18
(a)	No. of ATM complaints pending at the beginning of the year	1 907	720
(b)	No. of ATM complaints received during the year	110 005	76 918
(c)	No. of ATM complaints redressed during the year	108 255	75 731
(d)	No. of ATM complaints pending at the end of the year	3 657	1 907

For the previous year, reclassification has been done as follows:

For the complaints other than ATM, it was decreased by 26 (from 1206 to 1180) and for ATM complaints, it was increased by 26 (from 1181 to 1907)

19.9.3 Awards passed by the Banking Ombudsman

S. No.	Particulars	2018-19	2017-18
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year / appeal pending with Appellate Authority	2	--
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	**1	*2
(c)	No. of Awards implemented during the year	1	--
(d)	No. of Awards set-aside by Apellate Authority (set-aside in our favour)	1	--
(e)	No. of Awards lapsed due to non-acceptance by customer	--	--
(f)	Appeal against the Awards	**1	*2
(g)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	--	--

*Of the two awards received from Banking Ombudsman, Bangalore during 2017-18, both the awards were appealed during 2017-18 and during 2018-19, one appeal was set aside by the Appellate Authority, RBI, Mumbai in our favour and for another one , Bank has paid.

**For the award given by Banking Ombudsman, Chandigarh in 2018-19, Bank preferred appeal with Appellate Authority and the same is pending.

19.9.4 Letters of Comfort (LoC)

Particulars	2018-19	2017-18
Letters of Comfort issued during the year	--	--
Letters of Comfort outstanding as on 31st March	2	2
Assessed financial impact	--	--
Cumulative Assessed Financial Obligation	--	--

During the year 2009-10, the Bank has issued a Letter of Comfort (LOC) undertaking to maintain a minimum CRAR of 12% in respect of Bangkok branch and to arrange to convert retained earnings to capital funds and / or infuse further capital in order to restore the CRAR to a minimum of 12% subject to approval from RBI. The capital of Bangkok Branch stands at THB1798.891 mio as on 31.03.2019.

In the worst case scenario of the entire textile exposure of the branch becoming NPA, we may have to make additional provision to the extent of THB 315.051 mio being unsecured portion of standard textile advances. If this contingency arises, there would be no additional capital to be remitted as existing reserves are adequate to cover the unsecured amount.

During the year 2010-11, the Bank has issued a letter of comfort favoring Bank Negara Malaysia. The Bank in association with other Joint Venture partners will provide support to India International Bank (Malaysia) Bhd in funding, business and other matters as and when required and ensure that it complies with the requirements of the Malaysian Laws, Regulations and Policies in the conduct of its business operations and management.

The financial impact for the letter of comfort issued to Bank Negara Malaysia is to the tune of our share of 35% of the paid up capital of MYR 330 mio ie. MYR 115.500 mio. Our Bank has invested INR 199.58 crore towards the capital of MYR 115.500 mio on various dates.

19.10 Bancassurance Business

(Rs. in Crore)

S. No.	Nature of income*	2018-19	2017-18
(a)	For selling Life Insurance Policies	2.99	2.70
(b)	For selling Non Life Insurance Policies	20.14	17.50
(c)	For Selling Mutual Fund products	0.74	1.05
(d)	Others (specify)	--	--
	Total	**23.87**	**21.25**

*Fees/Remuneration received in respect of the Bancassurance Business undertaken by the Bank.

19.11 Disclosures relating to Securitisation NIL (previous year – NIL)

19.12 Credit Default Swaps (CDS) NIL (previous year – NIL)

19.13 आरक्षितियों से आहरण

भारिबै और जीओआइ मार्गदर्शन के अनुसार , निदेशक मंडल ने PCA ढांचे की नियामक घटना के मेनजर विनियामक कॉल के विकल्प के अनुमोदन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत बैंक को 10% बेसल III शिकायत अतिरिक्त टीयर-1 स्थायी बांड - श्रृंखला I ने 1000 करोड़ रुपये जो कि फरवरी 2015 में बैंक द्वारा जारी किए गए को रखा गया है ।

एटी-1 बॉड पर विनियामक कॉल विकल्प का उपयोग करने के कारण 13.06.2018 को 1000 करोड़ रुपये के मोचन पर कूपन भुगतान किया गया था। बैंक ने आरबीआई परिपत्र दिनांक 02.02.2017 के अनुसार वैधानिक आरक्षितियों में से रु.35.34 करोड़ का भुगतान कूपन द्वारा किया।

19.14 इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	2018-19	2017-18
इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	16.83	1641.47
शीर्ष 20 इंट्रा ग्रूप एक्सपोज़र की कुल राशि	16.83	1641.47
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र के इंट्रा ग्रूप एक्सपोज़र का	0.39%	16.82%
इंट्रा ग्रूप एक्सपोज़र पर सीमा विच्छेद के विवरण और उन पर की गई नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो	--	--

20 जमाकर्ता शैक्षिक एवं जागरूकता निधि को अंतरण (डीईएएफ)

(रु.करोड़ों में)

विवरण	2018-19	2017-18
डीईएएफ को अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष	695.58	639.07
जोड़े : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	115.27	83.80
घटाएं : दावे की ओर डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति राशि	8.33	27.29
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अंतिम शेष	802.52	695.58

21 अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण (यू एफ सी ई)

भा.रि.बै. के परिपत्र भा.रि.बै./2013-14/620 एवं भा.रि.बै./2013-14/448 के अनुसार, शाखाओं से उधारकर्ता के यू एफ सी ई से संबंधित आंकड़े ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं और जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण वाली इकाइयों के ऋण के लिए पूँजी व अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान की गणना का समेकन किया जाता है।

बैंक ने भारिबै सर्कुलर डीबीओडी.सं.बीसी.85 / 21.06.200 / 2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 बीपी.के शर्तों के अनुसार अपने घटकों को रु.6.09 करोड़ का अनहैक्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोज़र देने का प्रावधान किया है। हालाँकि, बैंक के पास 31.03.2019 को 11.08 करोड़ रुपये का प्रावधान है ।

19.13 Draw Down from Reserves

Pursuant to RBI and GOI guidance, the Board of Directors has accorded approval for the exercise of Regulatory Call option in view of the regulatory event of PCA framework under which the Bank is placed in respect of 10% Basel III Compliant Additional Tier I Perpetual Bonds – Series I aggregating Rs.1000 crore issued by the Bank in February 2015.

Coupon payment on redemption of Rs.1000 crore was made on 13.06.2018 on account of exercising regulatory call option on AT-I Bonds. The Bank had made coupon payment amounting to Rs.35.34 crore out of Statutory Reserves as per RBI Circular dated 02.02.2017.

19.14 Intra-Group Exposures

(Rs. in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Total amount of intra-group exposures	16.83	1641.47
Total amount of top 20 intra-group exposures	16.83	1641.47
% of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/ customers	0.39%	16.82%
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	--	--

20 Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(Rs. in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Opening Balance of Amounts transferred to DEAF	695.58	639.07
Add: Amounts transferred to DEAF during the year	115.27	83.80
Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	8.33	27.29
Closing Balance of Amounts transferred to DEAF	802.52	695.58

21 Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE)

As per RBI circular ref to RBI/2013-14/620 & RBI/2013-14/448, data relating to UFCE of borrowers from individual branches is obtained through online and consolidated working of the required additional provision and capital for Exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure is done at Risk Management Department.

The Bank has estimated the provision towards Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI Circular DBOD.NO.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 at Rs.6.09 crore. However, the Bank holds provision of Rs.11.08 crores as on 31.03.2019 against the same.

22 लिक्विडिटी कवरेज़ अनुपात का प्रकटीकरण

(रुपए करोड़ों में)

		जून-18		जून-17		सितंबर-18		सितंबर-17		दिसंबर-18		दिसंबर-17		मार्च-19		मार्च-18	
		कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)
उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति																	
1	कुल उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति (एच क्यू एल ए)		39488.15		29003.26		46031.19		32170.54		46810.11		38597.66		42252.54		37641.35
नकदी प्रवाह																	
2	लघु कारोबार ग्राहकों से रिटेल जमाएं व जमाएं, जिसमें	**55095.94**	**4816.44**	**59046.78**	**5118.90**	**56254.97**	**4930.04**	**53127.05**	**4628.37**	**56134.39**	**4908.51**	**53438.04**	**4658.80**	**57357.07**	**5024.94**	**55043.70**	**4818.88**
(i)	स्थिर जमाएं	13863.00	693.15	15715.60	785.78	13909.15	695.46	13686.61	684.33	14098.45	704.92	13700.01	685.0005	14215.51	710.78	13709.72	685.486
(ii)	कम स्थिर जमाएं	41232.94	4123.29	43331.18	4333.118	42345.82	4234.58	39440.44	3944.044	42035.94	4203.59	39738.03	3973.80	43141.56	4314.16	41333.98	4133.398
(iii)	अप्रतिभूत ऋण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	अप्रतिभूत थोक वित्तीयन जिसमें	**38322.94**	**9608.90**	**34785.80**	**8050.31**	**38651.82**	**11208.79**	**37838.10**	**10117.43**	**41718.37**	**12396.21**	**40798.16**	**10579.92**	**40662.24**	**11141.18**	**41558.64**	**11926.96**
(i)	परिचालनात्मक जमाएं (सभी काउंटर पार्टियां)	21198.45	1101.38	23368.55	1223.47	19418.02	1522.86	22813.35	1176.83	19901.48	1052.06	24999.33	1306.80	20023.07	1060.85	21336.48	1109.82
(ii)	गैर - परिचालनात्मक जमाएं (सभी काउंटर पार्टियां)	17124.49	8507.52	11417.25	6826.84	19233.80	9685.93	15024.75	8940.60	21816.89	11344.15	15798.83	9273.12	20639.17	10080.33	20222.16	10817.14
(iii)	अप्रतिभूति ऋण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	अप्रतिभूत थोक वित्तीयन	**0**	**0**	**485.47**	**0**	**452.19**	**452.19**	**0**	**0**	**460.96**	**460.96**	**152.44**	**152.44**	**1001.34**	**1.87**	**1307.34**	**1307.34**
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं जिसमें से	**156.75**	**115.56**	**8467.97**	**892.12**	**65.38**	**15.66**	**150.51**	**103.59**	**194.99**	**167.78**	**192.66**	**154.78**	**144.70**	**88.10**	**192.05**	**167.82**
(i)	व्युत्पन्न एक्सपोज़र एवं अन्य संपार्श्वी अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्वाह	111.09	111.09	51.09	51.09	10.23	10.23	98.49	98.49	164.82	164.82	150.63	150.63	81.92	81.92	165.22	165.22
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीकरण की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधा	45.66	4.47	8416.88	841.03	55.15	5.43	52.02	5.10	30.17	2.96	42.03	4.15	62.78	6.18	26.83	2.60
6	अन्य संविदागत निधीकरण बाध्यताएं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	अन्य संभाव्यता वित्तीयन बाध्यताएं	**22765.44**	**682.96**	**68999.33**	**2833.82**	**46854.17**	**1857.07**	**55384.68**	**2185.36**	**47897.95**	**1888.39**	**58765.55**	**2337.15**	**52383.27**	**2286.39**	**49972.96**	**2021.99**
8	**कुल नकद बहिर्वाह**		**15223.86**		**16895.15**		**18463.75**		**17034.75**		**19821.85**		**17883.09**		**18542.48**		**20242.99**

22 Disclosure on Liquidity Coverage Ratio

(Rs. in Crore)

		Jun-18		Jun-17		Sep-18		Sep-17		Dec-18		Dec-17		Mar-19		Mar-18	
		Total Un-weighted Value* [average]	**Total Weighted Value # (average)**	**Total Un-weighted Value* [average]**	**Total Weighted Value # (average)**	**Total Un-weighted Value* [average]**	**Total Weighted Value # (average)**	**Total Un-weighted Value* [average]**	**Total Weighted Value # (average)**	**Total Un-weighted Value* [average]**	**Total Weighted Value # (average)**	**Total Un-weighted Value* [average]**	**Total Weighted Value # (average)**	**Total Un-weighted Value* [average]**	**Total Weighted Value # (average)**	**Total Un-weighted Value* [average]**	**Total Weighted Value # (average)**
High Quality Liquid Assets																	
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		39488.15		29003.26		46031.19		32170.54		46810.11		38597.66		42252.54		37641.35
Cash Outflows																	
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	**55095.94**	**4816.44**	**59046.78**	**5118.90**	**56254.97**	**4930.04**	**53127.05**	**4628.37**	**56134.39**	**4908.51**	**53438.04**	**4658.80**	**57357.07**	**5024.94**	**55043.70**	**4818.88**
(i)	Stable deposits	13863.00	693.15	15715.60	785.78	13909.15	695.46	13686.61	684.33	14098.45	704.92	13700.01	685.0005	14215.51	710.78	13709.72	685.486
(ii)	Less stable deposits	41232.94	4123.29	43331.18	4333.118	42345.82	4234.58	39440.44	3944.044	42035.94	4203.59	39738.03	3973.80	43141.56	4314.16	41333.98	4133.398
(iii)	Unsecured Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Unsecured wholesale funding, of which:	**38322.94**	**9608.90**	**34785.80**	**8050.31**	**38651.82**	**11208.79**	**37838.10**	**10117.43**	**41718.37**	**12396.21**	**40798.16**	**10579.92**	**40662.24**	**11141.18**	**41558.64**	**11926.96**
(i)	Operational deposits (all counterparties)	21198.45	1101.38	23368.55	1223.47	19418.02	1522.86	22813.35	1176.83	19901.48	1052.06	24999.33	1306.80	20023.07	1060.85	21336.48	1109.82
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	17124.49	8507.52	11417.25	6826.84	19233.80	9685.93	15024.75	8940.60	21816.89	11344.15	15798.83	9273.12	20639.17	10080.33	20222.16	10817.14
(iii)	Unsecured debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Secured wholesale funding	**0**	**0**	**485.47**	**0**	**452.19**	**452.19**	**0**	**0**	**460.96**	**460.96**	**152.44**	**152.44**	**1001.34**	**1.87**	**1307.34**	**1307.34**
5	Additional requirements, of which	**156.75**	**115.56**	**8467.97**	**892.12**	**65.38**	**15.66**	**150.51**	**103.59**	**194.99**	**167.78**	**192.66**	**154.78**	**144.70**	**88.10**	**192.05**	**167.82**
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	111.09	111.09	51.09	51.09	10.23	10.23	98.49	98.49	164.82	164.82	150.63	150.63	81.92	81.92	165.22	165.22
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii)	Credit and liquidity facilities	45.66	4.47	8416.88	841.03	55.15	5.43	52.02	5.10	30.17	2.96	42.03	4.15	62.78	6.18	26.83	2.60
6	Other contractual funding obligations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Other contingent funding obligations	**22765.44**	**682.96**	**68999.33**	**2833.82**	**46854.17**	**1857.07**	**55384.68**	**2185.36**	**47897.95**	**1888.39**	**58765.55**	**2337.15**	**52383.27**	**2286.39**	**49972.96**	**2021.99**
8	**TOTAL CASH OUTFLOWS**		**15223.86**		**16895.15**		**18463.75**		**17034.75**		**19821.85**		**17883.09**		**18542.48**		**20242.99**
Cash Inflows																	

		जून-18		जून-17		सितंबर-18		सितंबर-17		दिसंबर-18		दिसंबर-17		मार्च-19		मार्च-18	
		कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)
नकदी प्रवाह																	
9	प्रतिभूत उधार [उदा. रिवर्स रेपो]	0	0	27141.99	0	12284.44	2034.43	20567.00	0	12077.84	1877.84	15938.00	0	20634.98	2139.98	12800.00	0
10	पूर्णता निष्पादित एक्सपोज़र से अंतर्वाह	112.56	112.56	142.47	142.47	10.51	10.51	2189.19	2189.19	174.70	174.70	2150.17	2150.17	9719.25	5144.50	3005.90	3005.90
11	अन्य नकद अंतर्वाह	10563.31	5457.29	8858.70	5213.44	14198.34	7340.24	8148.80	4261.98	10760.06	5537.36	12951.98	6695.48	343.61	343.61	10718.70	5553.88
12	**कुल नकद अंतर्वाह**	**10675.87**	**5569.85**	**36143.16**	**5355.91**	**26493.29**	**9385.18**	**30904.99**	**6451.17**	**23012.60**	**7589.90**	**31040.15**	**8845.65**	**30697.84**	**7628.09**	**26524.60**	**8559.78**
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
21	**कुल एच क्यू एल ए**		39488.15		29003.26		46031.19		32170.54		46810.11		38597.66		42252.54		37641.35
22	**कुल निवल नकद प्रवाह**		9654.01		11539.24		9078.57		10583.58		12231.95		9037.44		10914.39		11683.21
23	**तरलता कवरेज अनुपात [ ]**		**409.0337**		**251.3447**		**507.0313**		**303.9664**		**382.6872**		**427.0860**		**387.1269**		**322.1832**

* बिना भारित मूल्य (औसत) प्रबंधन द्वारा प्रदान किए जाते हैं और लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा करते हैं।

एलसीआर के बारे में गुणवत्ता प्रकटीकरण

बेसल III पूंजी विनिमय चरणबद्ध तरीके से 1 अप्रैल 2013 को लागू हुआ है एवं दिनांक 31 मार्च 2019 तक पूरी तरह से लागू जाएंगे। आगे भारतीय रिजर्व बैंक ने बेसल III चल निधि कवरेज अनुपात (एससीआर) को लागू किया है जिसे कि भारतीय बैंकों द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2015 से लागू किया जाएगा एवं इसका सम्पूर्ण कार्यान्वयन 1 जनवरी 2019 तक से प्राभावी होगा। बैंको के लिए ट्रांजिशन समय प्रदान करने के लिए, वर्ष 2015 के लिए न्यूनतम अपेक्षा 60% थी जो कि 1 जनवरी 2015 से प्रभावी थी एवं 1 जनवरी 2019 तक न्यूनतम 100 % प्राप्त करने के लिए इसे समान चरणों में बढाया जाएगा।

एलसीआर 30 दिनों तक चलने वाले तीव्र तनाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (मुख्यालय) सुनिश्चित करने के लिए बैंकों की संभावित तरलता व्यवधान के लिए बैंकों की अल्पकालिक लचीलापन को बढ़ावा देता है।

एलसीआर की परिभाषा : उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों (HQLAs) का स्टॉक / अगले 30 कलेंडर दिनों तक कुल निवल नकदी प्रवाह (बहिर्गमन)

उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों (HQLA) के स्टॉक में, परिसंपत्तियों की दो श्रेणियां हैं, अर्थात स्तर 1 और स्तर 2 संपत्ति। स्तर 2 एसेट्स को उनके मूल्य-अस्थिरता के आधार पर स्तर 2 ए और स्तर 2 बी परिसंपत्तियों में उप-विभाजित किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी में शामिल किए जाने वाले परिसंपत्तियां वे हैं जो बैंक के पास तनाव अवधि के पहले दिन मौजूद है। स्तर 1 की संपत्ति 0% कटौती के साथ है जबकि स्तर 2 में, 2 ए की संपत्ति न्यूनतम 15% कटौती और स्तर 2 बी एसेट्स की संपत्ति , न्यूनतम 50% कटौती के साथ है।

कुल निवल नकदी बहिर्गमन को अगले 30 कैलेंडर दिनों के लिए कुल अपेक्षित नकदी बहिर्गमन से कटौती के रूप में पारिभाषित किया गया है। कुल अपेक्षित कैश आउटफ्लो की गणना विभिन्न श्रेणियों या देनदारियों और बकाया-बैलेंस शीट प्रतिबद्धताओं के बकाया शेष राशि को उस दर से गुणा करके की जाती है, जिस पर वे बंद होने या कम होने की उम्मीद करते हैं। कुल अपेक्षित नकदी प्रवाह की गणना दरों की संविदात्मक प्राप्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए बकाया शेष राशि को गुणा करके की जाती है जिस पर वे कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाह के 75% के कुल कैप तक प्रवाह की उम्मीद करते हैं।

		Jun-18		Jun-17		Sep-18		Sep-17		Dec-18		Dec-17		Mar-19		Mar-18	
		Total Un-weighted Value* [average]	**Total Weighted Value # (average)**	**Total Un-weighted Value* [average]**	**Total Weighted Value # (average)**	**Total Un-weighted Value* [average]**	**Total Weighted Value # (average)**	**Total Un-weighted Value* [average]**	**Total Weighted Value # (average)**	**Total Un-weighted Value* [average]**	**Total Weighted Value # (average)**	**Total Un-weighted Value* [average]**	**Total Weighted Value # (average)**	**Total Un-weighted Value* [average]**	**Total Weighted Value # (average)**	**Total Un-weighted Value* [average]**	**Total Weighted Value # (average)**
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	0	0	27141.99	0	12284.44	2034.43	20567.00	0	12077.84	1877.84	15938.00	0	20634.98	2139.98	12800.00	0
10	Inflows from fully performing exposures	112.56	112.56	142.47	142.47	10.51	10.51	2189.19	2189.19	174.70	174.70	2150.17	2150.17	9719.25	5144.50	3005.90	3005.90
11	Other cash inflows	10563.31	5457.29	8858.70	5213.44	14198.34	7340.24	8148.80	4261.98	10760.06	5537.36	12951.98	6695.48	343.61	343.61	10718.70	5553.88
12	**TOTAL CASH INFLOWS**	**10675.87**	**5569.85**	**36143.16**	**5355.91**	**26493.29**	**9385.18**	**30904.99**	**6451.17**	**23012.60**	**7589.90**	**31040.15**	**8845.65**	**30697.84**	**7628.09**	**26524.60**	**8559.78**
			Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
21	**TOTAL HQLA**		39488.15		29003.26		46031.19		32170.54		46810.11		38597.66		42252.54		37641.35
22	**TOTAL NET CASH OUTFLOWS**		9654.01		11539.24		9078.57		10583.58		12231.95		9037.44		10914.39		11683.21
23	**LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)**		**409.0337**		**251.3447**		**507.0313**		**303.9664**		**382.6872**		**427.0860**		**387.1269**		**322.1832**

*Unweighted values (Average) are provided by the management and relied upon by the Auditors.

Qualitative Disclosure about LCR

Basel III capital regulation has been implemented from April 1, 2013 in phases and it was to be fully implemented-as on March 31, 2019. Further RBI also introduced Basel III Liquidity Coverage Ratio (LCR) to be implemented by banks in India from January 1, 2015 with full implementation being effective from January 1, 2019. With a view to provide transition time for banks, the requirement was minimum of 60% for the calendar year 2015 i.e with effect from January 1, 2015 and rise in equal steps to reach the minimum required level of 100% on January 1, 2019

The LCR promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that bank have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days.

Definition of LCR: Stock of high quality liquid assets (HQLAs)
Total net cash outflows over the next 30 calendar days

In the stock of high quality liquid assets (HQLA), there are two categories of assets, viz. Level 1 and Level 2 assets. Level 2 assets are sub-divided into Level 2A and Level 2B assets on the basis of their price-volatility. Assets to be included in each category are those that the bank is holding on the first day of the stress period. Level 1 assets are with 0% haircut while in Level 2, 2A assets are with a minimum 15% haircut and Level 2B Assets, with a minimum 50% haircut.

The total net cash outflows is defined as the total expected cash outflows minus total expected cash inflows for the subsequent 30 calendar days. Total expected cash outflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories or types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down. Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in up to an aggregate cap of 75% of total expected cash outflows.

वित्तीय वर्ष 2018-19 के चार तिमाहियों के लिए एलसीआर का विवरण

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	30.06.18	30.09.18	31.12.18	31.03.19
एचक्यूएलए	39488.15	46031.20	46810.11	42252.54
कुल निवल नकदी बहिर्गमन	9654.03	9078.57	12231.95	10914.40
% में एलसीआर	409.03	507.03	382.69	387.13

31.03.2019 को बैंक के लिए एलसीआर 387.13% था जो वर्तमान कैलेंडर वर्ष के लिए आरबीआई निर्धारित 100% के स्तर से काफी ऊपर है। बैंक 31.03.2019 को उच्च गुणवत्ता वाले तरल संपत्तियों का मजबूत निर्माण 42252.54 करोड़ रूपए कर रहा है। कम से कम एसएलआर आवश्यकताओं के मुकाबले बैंक के पास 5951.53 करोड़ रुपये के सरकारी प्रतिभूतियां हैं। अचानक नकद बहिर्वाह को पूरा करने के लिए बैंक में पर्याप्त तरलता है।

बैंक अनिवार्य आवश्यकताओं के ऊपर और ऊपर एसएलआर निवेश के रूप में मुख्य रूप से मुख्यालय बनाए रख रहा है। खुदरा जमा कुल वित्त पोषण स्रोतों का प्रमुख हिस्सा है, और ऐसे फंडिंग स्रोत अच्छी तरह से विविध हैं। प्रबंधन का मानना है कि बैंक की भविष्य की अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता कवर है।

23 सामरिक ऋण पुनर्गठन योजना (जिन खातों में वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के तहत हैं) पर प्रकटीकरण

विवरण	2018-19	2017-18
खातों की संख्या जह्न एसडीआर को लागू किया गया है।	--	--
(रूपये करोड़ में)		
को बकाया राशि	**2018-19**	**2017-18**
मानक के अंतर्गत वर्गीकृत	--	--
एनपीए के अंतर्गत वर्गीकृत	--	--
खातों के संबंध में बकाया राशि जहां ऋण से इक्विटी का रूपांतरण लंबित है	**2018-19**	**2017-18**
मानक के अंतर्गत वर्गीकृत	--	--
एनपीए के अंतर्गत वर्गीकृत	--	--
उन खातों के संबंध में बकाया राशि जहां ऋण का इक्विटी रूपांतरण हुआ है	**2018-19**	**2017-18**
मानक के अंतर्गत वर्गीकृत	--	--
एनपीए के अंतर्गत वर्गीकृत	--	--

24. तनावग्रस्त संपत्तियों के सतत संरचना के लिए योजना पर प्रकटीकरण (एस 4 ए)

विवरण	2018-19	2017-18
खातों की संख्या जहाँ एस4ए लागू किया गया है		
मानक के रूप में वर्गीकृत	--	4
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	--	1

(रूपये करोड़ में)

सकल बकाया राशि	2018-19	2017-18
मानक के रूप में वर्गीकृत	--	250.13
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	--	54.75

(रूपये करोड़ में)

बकाया राशि	2018-19	2017-18
मानक के रूप में वर्गीकृत		
भाग ए में	--	127.96
भाग बी में	--	122.17
एनपीए के रूप में वर्गीकृत		
भाग ए में	--	27.47**
भाग बी में	--	27.28
धारित किए गए प्रावधान	--	72.19

** संदर्भ दिनांक पर खाता एनपीए कार्यान्वयन के बाद, भाग ए मानक में अपग्रेड किया गया

नोट : वित्तीय वर्ष 2017-18 में रिपोर्ट किए गए एस-4 ए खाते संतुष्ट कार्यनिष्पादन अवधि को पूर्ण किया है। अतः यह वर्ष 2018-19 हेतु शून्य है।

Details of LCR for the four quarters of FY 2018-19:

(Rs. In Crore)

Details	30.06.18	30.09.18	31.12.18	31.03.19
HQLA	39488.15	46031.20	46810.11	42252.54
Total Net cash Outflows	9654.03	9078.57	12231.95	10914.40
LCR in %	409.03	507.03	382.69	387.13

LCR for the bank as on 31.03.2019 stood at 387.13% which is well above the RBI stipulated level of 100% for the current calendar year. Bank is having a strong built up of High Quality Liquid Assets at Rs.42252.54 Crore as on 31.03.2019. Bank has government securities to the tune of Rs.5951.53 Crore in excess to the minimum SLR requirements, and has liquidity to meet sudden cash outflows.

The Bank has been maintaining HQLA mainly in the form of SLR investments over and above the mandatory requirements. Retail deposits constitute major portion of total funding sources, and such funding sources are well diversified. Management is of the view that the Bank has sufficient liquidity cover to meet its likely future short term requirements.

23 Disclosure on the Strategic Debt Restructuring Scheme (Accounts which are currently under the Stand-Still Period)

Particulars	2018-19	2017-18
Number of Accounts where SDR has been applied	--	--
(Rs. in Crore)		
Amount Outstanding as on	**2018-19**	**2017-18**
Classified as Standard	--	--
Classified as NPA	--	--
Amount Outstanding with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending	**2018-19**	**2017-18**
Classified as Standard	--	--
Classified as NPA	--	--
Amount Outstanding with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	**2018-19**	**2017-18**
Classified as Standard	--	--
Classified as NPA	--	--

24 Disclosure on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A)

Particulars	2018-19	2017-18
Number of Accounts where S4A has been applied		
Classified as Standard	--	4
Classified as NPA	--	1

(Rs. in Crore)

Aggregate Amount Outstanding	2018-19	2017-18
Classified as Standard	--	250.13
Classified as NPA	--	54.75

(Rs. in Crore)

Amount Outstanding	2018-19	2017-18
Classified as Standard		
In Part A	--	127.96
In Part B	--	122.17
Classified as NPA		
In Part A	--	27.47**
In Part B	--	27.28
Provision Held	--	72.19

**Account NPA as on reference date. After implementation, Part A upgraded to Standard

Note: The S4A accounts reported in FY 2017-18 have completed satisfactory performance period. Hence, it is NIL for FY 2018-19.

25 **अग्रिम संबन्धित धोखाधड़ियाँ**

विवरण	2018-19	2017-18
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या	115#	45@

(Rs. in Crore)

विवरण	2018-19	2017-18
इस प्रकार के धोखों में शामिल राशि - 31 मार्च को बकाया (निवल कटौती)	3 957.08	1 372.90
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्र	3 957.08	1 372.90
'अन्य भंडार' से वंचित अनधिकृत प्रावधान का क्वांटम	--	--

इन 115 एफएमआर (फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न) में 475 खाते शामिल हैं।

वर्ष 2018-19 में एक खाता रिपोर्ट किया जाना लम्बित है।

@ इन 45 एफएमआर (फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न) में 987 खाते शामिल हैं।

अग्रिम संबंधी धोखाधड़ियों के अलावा

विवरण	2018-19	2017-18
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या	46	29

(रु.करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
इन धोखाधड़ियों में शामिल राशि - 31 मार्च को बकाया	446.61	110.42
31 मार्च को बकाया राशि पर किया गया प्रावधान	446.61	110.42

26 **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र (पीएसएलसी)**

(रु.करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2018-19		2017-18	
		खरीद	बिक्री	खरीद	बिक्री
1	पीएसएलसी कृषि	--	--	--	--
2	पीएसएलसी - एसएफ़/ एमएफ़	--	1500	--	1300
3	पीएसएलसी - अतिलघु उद्यम	--	--	--	--
4	पीएसएलसी सामान्य	--	2236	--	105

नोट :

1) प्रकटीकरण आरबीआई परिपत्र एफ़आईडीडी.केका.प्लान.बीसी.23 / 04.09.01 / 2015-16 दिनांकित 7 अप्रैल 2016 प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र (पीएसएलसी) के आधार पर।

27 **31.03.2019 को पुनःसंरचित किए गए एमएसएमई अग्रिम**

(रु.करोड़ में)

अवधि	खातों की संख्या	राशि
तिमाही-मार्च 2019	8403	373.88

28 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत कवर किए गए कुछ उधार खातों के संबंध में 23 जून, 2017 को जारी पत्र संख्या डीबीआर.एन.बीपीः 1519 9 / 21.04.048 / 2016-17 के अनुसार दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत कुछ उधार खातों के संबंध में 28 अगस्त, 2017 दिनांकित डीबीआर.एन.बी.बी.बी.सी. 1949 / 21.04.048 / 2017-18 के अनुसार बैंक को अतिरिक्त प्रावधान करना था। तदनुसार, बैंक ने 02.04.2018 के आरबीआई पत्र सं. डीबीआरएन.बी.पी. / 8756 / 21.04.048 / 2017-18 के अनुसार किसी रियायत का लाभ उठाए बिना उन खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान किया है।

29 **तुलनात्मक आंकड़े**

पिछले वर्ष के आंकड़े जहां भी जरूरी हो, पुनः समूहित / पुनः वर्गीकृत किए गए हैं।

25 Advances Related Frauds

Particulars	2018-19	2017-18
Number of Frauds reported	115#	45@

(Rs. in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Amount involved in such Frauds - Outstanding as on 31st March (Net off Deductions)	3 957.08	1 372.90
Quantum of Provision made during the year	3 957.08	1 372.90
Quantum of unamortized provision debited from 'other reserves'	--	--

#These 115 FMRs (Fraud Monitoring Return) consists of 475 accounts.

One account pending to be reported for the year 2018-19

@These 45 FMRs (Fraud Monitoring Return) consists of 987 accounts.

OTHER THAN ADVANCES RELATED FRAUDS

Particulars	2018-19	2017-18
Number of Frauds reported	46	29

(Rs. in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Amount involved in such Frauds - Outstanding as on 31st March	446.61	110.42
Quantum of Provision made for the outstanding amount as on 31st March	446.61	110.42

26 Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

(Rs. In Crore)

S.No.	Particulars	2018-19		2017-18	
		Purchase	Sales	Purchase	Sales
1	PSLC - Agriculture	--	--	--	--
2	PSLC - SF/MF	--	1500	--	1300
3	PSLC - Micro Enterprises	--	--	--	--
4	PSLC - General	--	2236	--	105

Note:

1) The disclosure is in line with RBI Circular FIDD.CO.Plan.BC.23/04.09.01/2015-16 dated : April 7, 2016 on Priority Sector Lending Certificates(PSLC).

27 MSME Advances Restructured as on 31.03.2019

(Amount Rs. In Crore)

Period	No. of Accounts	Amount
Quarter – March, 2019	8403	373.88

28 As per RBI directions vide letter No.DBR.NO.BP:15199/21.04.048/2016-17 dated June 23, 2017 in respect of certain Borrowal accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) and vide letter no. DBR.NO.BP.BC.1949/21.04.048/2017-18 dated August 28, 2017 in respect of certain Borrowal accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank was required to make additional provision as stated therein. Accordingly, the Bank has made adequate provision in respect of those accounts without availing any concession as per the latest RBI letter No.DBR.No.BP/8756/21.04.048/2017-18 dated 02.04.2018.

29 Comparative Figures

Previous year's figures have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक **INDIAN OVERSEAS BANK**

31-03-2019 को समाप्त वर्ष केलिए नकद प्रवाह विवरण

STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

(रु.हजारों में **Rs. in 000's**)

		Year ended	
		31.03.2019	**31.03.2018**
परिचालनगत गतिविधियों से नकद प्रवाह	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
आयकर के बाद निवल हानि	**Net Loss after Income Tax**	**-37 37 88 11**	**-62 99 49 03**
जोड़ें : आयकर हेतु प्रवाधान	Add: Provision for Income Tax	14 13 75	59 81 14
आयकर से पहले निवल हानि	**Net Loss before Income Tax**	**-37 23 74 36**	**-62 39 67 88**
निम्नवत के लिए समायोजन	Adjustments for :		
एचटीएम निवेशों केलिए ऋण परिशोधन	Amortisation of HTM Investments	- 66 20 17	68 61 89
निवेशों के पूनर्मूल्यांकन से हुई हानि	Loss on Revaluation of Investments	34 43	1 86 03 09
नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on Fixed Assets	3 04 24 45	2 72 47 03
आस्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि	(Profit) / Loss on Sale of Assets	-1 00 57 83	- 1 79 39
आरक्षितियों से अंतरण	Transfer from Reserves	6 00 31 16	- 65 07 45
अनर्जक आस्तियों केलिए प्रावधान	Provision for NPAs	98 02 80 38	118 16 37 34
मानक आस्तियों केलिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	- 70 15 74	-4 55 07 04
निवेशों पर मूल्य ह्रास	Depreciation on Investments	8 84 28 48	9 12 38 27
अन्य मदों केलिए प्रावधान	Provision for Other Items	-18 31 42 31	-24 04 92 19
टियर II पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	Interest on Tier II Bonds	3 89 52 95	4 52 78 26
उप योग	Sub total	99 13 15 80	107 81 79 81
निम्नवत के लिए समायोजन	**Adjustments for :**		
निक्षेपों में वृद्धि / (ह्रास)	Increase / (Decrease) in Deposits	57 02 26 61	54 89 18 45
उधारियों में वृद्धि / (ह्रास)	Increase / (Decrease) in Borrowings	-30 82 04 32	-68 69 59 07
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि / (ह्रास)	Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	-17 09 77 55	55 22 42 95
निवेशों में (वृद्धि) / ह्रास	(Increase) / Decrease in Investments	8 95 23 58	18 41 15 25
अग्रिमों में (वृद्धि) / ह्रास	(Increase) / Decrease in Advances	-99 11 61 85	-38 46 56 99
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / ह्रास	(Increase) / Decrease in Other Assets	20 46 81 48	-72 99 64 49
उप योग	**Sub total**	**-60 59 12 05**	**-51 63 03 90**
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल)	Direct Taxes (Net)	-9 16 15 26	-13 77 63 81
परिचालनगत गतिविधियों से (उपयोग में) निवल नकद प्रवाह (क)	**NET CASH FLOW GENERATED FROM / (USED IN) OPERATING ACTIVITIES(A)**	**-7 85 85 87**	**-19 98 55 79**
निवेशसंबंधी गतिविधियों से (उपयोग में) नकद प्रवाह	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
नियत आस्तियों कीबिक्री / निपटान	Sale / disposal of Fixed Assets	2 00 74 54	6 68 16
नियत आस्तियों की खरीद	Purchase of Fixed Assets	-8 47 88 24	-1 16 45 97
निवेशसंबंधी गतिविधियों सेनिवल नकद (ख)	**NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) INVESTING ACTIVITIES (B)**	**-6 47 13 70**	**-1 09 77 81**
वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
ईक्विटी शेयर निर्गम से धनागम (शेयर प्रीमियम को मिलाकर)	Proceeds of Equity Share Issue (including Share premium)	62 23 46 72	57 94 00 00

(रु.हजारों में Rs. in 000's)			
		Year ended	
		31.03.2019	31.03.2018
टियर II पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	Interest Paid on Tier II Capital	-4 43 96 46	-4 63 70 58
बेमियादी (एटी 1) बॉन्ड पर प्रदत्त ब्याज	Interest paid on perpetual (AT1) bonds	0	1 00 00 00
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकद (ग)	**NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES (C)**	**57 79 50 26**	**54 30 29 42**
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि /कमीं (क+ख +ग)	**NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A) +(B) + (C)**	**43 46 50 70**	**33 21 95 82**
वर्ष के प्रारंभ में नकद व नकद समतुल्य	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
भा.रि.बैं केसाथ नकद वशेष	Cash & Balances with RBI	115 79 45 04	114 99 96 54
बैंकों के साथ शेष और माँग-द्रव्य	Balances with Banks & Money at Call	149 65 54 04	117 23 06 72
वर्ष के अंत में नकद व नकद समतुल्य	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
नकद व भा.रि.बैं केसाथशेष	Cash & Balances with RBI	102 92 53 22	115 79 45 04
बैंकों के साथ शेष और माँग-द्रव्य	Balances with Banks & Money at Call	205 98 96 56	149 65 54 04
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि / कमीं	**NET INCREASE / DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**	**43 46 50 70**	**33 21 95 82**

ये विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं।

This Statement has been prepared in accordance with Indirect Method.
The previous year figures have been regrouped wherever necessary to conform with the current year figures.

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से **FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD**

टीसीए रंगनाथन गैर कार्यपालक अध्यक्ष	**T C A Ranganathan** Non Executive Chairman	**आर सुब्रमण्यकुमार** एमडी एवं सीईओ	**R. Subramaniakumar** MD & CEO	**कर्नम शेखर** विशेष ड्युटी पर अधिकारी	**Karnam Sekar** Officer On Special Duty
के स्वामीनाथन कार्यपालक निदेशक	**K. Swaminathan** Executive Director	**अजय कुमार श्रीवास्तव** कार्यपालक निदेशक	**Ajay Kumar Srivastava** Executive Director	**एनी जार्ज मॅथ्यू** निदेशक	**Annie George Mathew** Directors
निर्मल चंद निदेशक	**Nirmal Chand** Directors	**संजय रुंगटा** निदेशक	**Sanjay Rungta** Directors	**के. रघु** निदेशक	**K. Raghu** Directors

निदेशक गण **DIRECTORS**

कृते आर सुब्रमणियन एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 004137एस/एस 200041

For R SUBRAMANIAN AND COMPANY LLP
FRN 004137S/S200041

(आर सुब्रमणियन)
साझेदार
एम.नं.08460

(R SUBRAMANIAN)
Partner
M.No. 08460

कृते एस ए आर सी एंड एशोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 006085N

For S A R C & ASSOCIATES
FRN 006085N

(चेतन ठक्कर)
साझेदार
एम. नं. 114196

(CHETAN THAKKAR)
Partner
M.No.114196

कृते पात्रो एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 310100ई

For PATRO & CO
FRN 310100E

(एन आनंद राव)
साझेदार
एम.संख्या 051656

(N ANANDA RAO)
Partner
M.No. 051656

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 09.05.2019.

कृते एम श्रीनिवासन एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 004050एश्स

For M SRINIVASAN & ASSOCIATES
FRN 004050S

एम श्रीनिवासन
साझेदार
एम.संख्या 022959

(M SRINIVASAN)
Partner
M.No.022959

Place : Chennai
Date : 09.05.2019

स्वायत्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के सदस्यगण
वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (बैंक) के पृथक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2019 तक के तुलन पत्र के अलावा तत्संबंधी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरन व नकद प्रवाहों का विवरण शामिल है। इसके अलावा इसमें विनिर्दिष्ट लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकरणमूलक सूचनाओं के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के प्रति नोटस भी शामिल है जिसमें संबंधित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं तथा सांविधिक शाखा लेखा परिक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1614 शाखाओं (4 विदेशी शाखाओं और 15 क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) एवं स्वायत्त लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षित 1 विदेशी शाखा की विवरणियाँ समाहित है। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ज़ारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया है। इस तुलन-पत्र में, लाभ और हानि के विवरण और 1709 शाखाओं से लौटायी गई नकद प्रवाह के विवरणियाँ (33 क्षेत्रीय कार्यालयों और 7 अंचल कार्यालयों की विवरणियाँ भी शामिल की गई हैं जिनकी लेखा परीक्षा नहीं हुई है। अ-लेखा परीक्षित इन शाखाओं का अग्रिम के क्षेत्र में अंशदान 11.64%, जबकि जमाओं में 26.06%, ब्याज आय में 8.23% और ब्याज संबंधी खर्चों में 24.65% का अंशदान है।

2. हमारे अभिमत और हमारे संज्ञान के अनुसार तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुक्रम में उक्त पृथक वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) द्वारा वांछित सूचना प्रदान करते है। इस रूप में जैसे कि बैंक के लिए आवश्यक है और वे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है।

   (i) तुलन पत्र को उसमें दी गई पूरी टिप्पणियों में पूर्ण और उचित तुलनपत्र के सभी आवश्यक ब्योरे निहित हैं, भारत में स्वीकृत सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2019 को बैंक की वर्तमान स्थिति का उचित रूप से सही और उचित आकलन किया गया है;

   (ii) लाभ हानि के साथ टिप्पणियों में लेखा द्वारा वर्ष के लिए कवर की गई भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के साथ पुष्टि करते हुए लाभ के सही शेष दर्शाते हैं; और

   (iii) नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति दर्शाता है।

अभिमत का आधार

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-परीक्षा विषयक मानकताओं के अनुसार की। इन मानकताओं के अधिन हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के अंतर्गत वित्तीय विवरणो के भाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के तहत विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नीतिगत संहिता के अनुसार बैंक संबंध रखे बिना तथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से जुडी नीतिगत अपेक्षाओं सहित लेखा परीक्षा की है और हमने इन अपेक्षाओं वे नीतिगत संहिता के अनुसार अपनी अन्य नीतिगत बाध्यताओं को पूरा किया है। हम विश्वास करते है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह प्रयाप्त है और अपने विचार के लिए आधार प्रदान करते हुए सम्पयुक्त है।

मामलों पर बल

4. **हम ध्यान आकृष्ट करते है :-**

   क) हम नोट सं. 7.3 अनुसूची 18 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो वर्ष के लिए रु.2236.80 करोड़ के योग का आस्थगित कर आस्ति से सम्बन्धित था।

   ख) अनुसूची 18 की नोट सं 27 MSME की पुनर्संरचनासे संबंधित है। बैंक ने आरबीआइ के परिपत्र 2018-19 डीबीआर सं बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांकित 1 जनवरी 2019 के अनुसार 8403 MSME खातों की पुनर्संरचना की है और उन्हें रू. 373.88 करोड की राशि युक्त मानक आस्तियों के रूप में माना है। साथ ही आरबीआई के परिपत्र डीबीआर सं.बीपी.बीसी.108/21.04.048/2017-18 दिना6कित 6 जून 2018 के अनुसार बैंक ने 31 मार्च 2019 तक रू. 424.28 करोड के अग्रिमों को मानक आस्ति के रूप में बनाए रखा है, उक्त मामलों में हमारे अभिमत को परिशोधित नहीं किया गया है।

   उपर्युक्त विषयों के संदर्भ में हमारे अभिमत संशोधित नहीं हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें :-

5. हमारे व्यवसायिक अभिमत में प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले है जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे है। इन मामलों पर हमारे अभिमत वित्तीय विवरणों के समावेश रूप में हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में है और उन पर हमारे अभिप्रायों को प्रदान नहीं करना चाहते। निम्नांकित मामलों को हमने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है जो हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए गए है।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of Indian Overseas Bank

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the standalone financial statements of Indian Overseas Bank ("the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2019, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 20 branches audited by us and 1614 branches (including 4 overseas branches and 15 Regional Offices) audited by statutory branch auditors and one Overseas branch reviewed by Independent Auditor. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flows are the returns from 1709 branches (Including 33 Regional Offices and 7 Zonal Offices) which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 11.64% of advances, 26.06% of deposits, 8.23% of interest income and 24.65% of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act,1949 ("the act") in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

   (i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March, 2019;

   (ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of loss for the year ended on that date; and

   (iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the Cash Flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the act, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

4. We draw attention to:

   a) Note No. 7.3 of Schedule 18 relating to recognition of Deferred Tax Asset for the year aggregating to Rs.2236.80 Crore.

   b) Note No 27 of Schedule 18 relating to MSME restructuring. Bank has restructured 8403 MSME accounts and treated them as standard assets amounting to Rs.373.88 crore as per RBI Circular 2018-19 DBR No BP.BC. 18/21.04.048/2018-19 dated January 1 2019. Further in accordance with the RBI Circular DBR.No.BP.BC.108/21.04.048/2017-18 dated 6th June 2018, bank has retained advances of Rs.424.28 crore as Standard asset as on 31st March 2019.

   Our Opinion is not modified in respect of the above matters.

Key Audit Matters:

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our Report.

क्रम सं	प्रमुख लेखा परीक्षा मामलें	लेखा परीक्षक के अभिमत
1	**आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण एवं अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण** अग्रिमों का प्रतिशत बैंक की कुल आस्तियों का 53.04% है। बैंक द्वारा प्रदत्त अग्रिमों के संबंध में संचयन आधार पर आय की पहचान, निष्पादित एवं गैर-निष्पादित के रूप में अग्रिमों का वर्गीकरण और तत्संबंधि प्रावधानिकरण आय की पहचान विशयक विविकपूर्ण मानदण्डों एवं आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानिकरण (आइआर एसी) मानदण्डों तथा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य परिपत्रों व निर्देशों के अनुसार है (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 3 के साथ पढते हुए अनुसूची 17 का संदर्भ लें)। लेनदेन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल मु आदि, प्रदर्शन और गैर - प्रदर्शन , प्रदर्शन में अग्रिमों के बारे में हमारी राय में, इस तरह के संबंध में आय की मान्यता तथा प्रदर्शन/ गैर प्रदर्शन से संबंधित अग्रिमों के प्रावधानीकरण को भी ऑडिट में में सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक माना जाता है इसलिए यह एक प्रमुख आडिट मामला है।	**मुख्य लेकापरीक्षा प्रक्रियाएँ** हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाँ में डिजाइन का परीक्षण करना और आंतरिक नियंत्रणों की परिचालनात्मक प्रभाविता की जाँच करना और वस्तुगत परीक्षण करना भी निम्नानुसार शामिल रहा। ● आइआरएसी विषयक के विवेकपूर्ण मानदण्डों के कार्यान्वयन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन और आरबीआई द्वारा जारी अन्य संबंधित परिपत्रों /निर्देशों के साथ बैंक की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का भी मूल्यांकन किया गया। ● अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावात्मकता एवं बैंक तथा आरबीआई निरीक्षण की प्रबोधन प्रणाली के अनुसार पूरी की गई विभिन्न लेखा परीक्षाओं में की गई टिप्पणियों के अनुपालन का परीक्षण किया गया। ● नमूना आधार पर सभी बड़े अग्रिमों / तनावग्रस्त अग्रिमों और अन्य अग्रिमों की जांच करना, जिसमें बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा भी शामिल है। ● अन्य वैधानिक शाखा लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर निर्भर रहना। ● शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा सुझाएअ गए परिवर्तनों के ज्ञापन की समीक्षा करना और उचित कार्रवाई करना। ● विभिन्न क्षेत्रों में हमारे लिए उपलब्ध विभिन्न लेखा परीक्षा और निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा। ● कानूनी मामलों, विलेखों, मूल्यांकन और बैंक को प्रभारित प्रतोभूतियों के अन्य पहलूओं पर मुख्य विशेषज्ञों की राय पर निर्भरता रखना। ● ऐसे खातों के नमूना और संचालन के आधार पर चयनित उधार्कर्ताओं की फाईलों की समीक्षा। ● प्रासंगिक विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन । ● ब्याज आअवेदन की जाँच, अन्य शुल्क, कनीशन आदि की जाँच ।
2	**आकस्मिक देयता** आकस्मिक देयता जैसा कि एएस 29 में परिभाषित किया गया है - प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक संपत्ति के लिए संभावित परिणामों और नकदी प्रवाह के आकलन की आवश्यकता होती है। आकस्मिक देनदारियों की पहचान और मात्रा का ठहराव प्रबंधन द्वारा अनुमान और निर्णय की आवश्यकता है। (अनुसूची का 17 देखें, वित्तीय विवरणों के लिए 18 के नोट 18.12 के साथ पढ़ें) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से जुड़े मुकदमों से संबंधित मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता के मेनजर, अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, हमने उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है	**प्रमुख लेखा परीक्षा की प्रक्रिया** हमने प्रबंधन द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचनाओं का सत्यापन निम्नलिखित प्रक्रियाओं को पूरा करके किया है, ● अंतर्निहित मान्यताओं के कारण का मूल्यांकन । ● मुकदमों/ कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना । ● विभिन्न कर प्राधिकरियों/ न्यायिक मंचों से हाल के आदेशों और/ या संचारों की जांच और उसके बाद की कार्रवाई । ● रिकॉर्ड पर संबंधित दस्तावेजों की जांच । ● उपलब्ध संबंधित बाहरी साक्ष्यों सहित विधिक अभिमत, संबंधित न्यायिक प्रक्रिया एवं उद्योग प्रक्रियाओं पर भरोसा करना। ● जहाँ-जहाँ आवश्यक हो प्रबंधन से पुष्टि लेना।
3	**आईटी सिस्टम और नियंत्रण** वित्तीय विवरणों की पूरी तैयारी सीबीएस और अन्य सहायक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर अत्यधिक निर्भर है। यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और उचित आईटी नियंत्रण की आवश्यकता है कि ये आईटी अनुप्रयोग प्रक्रिया डेटा अपेक्षित रूप से और बदलाव उचित तरीके से किए गए हैं। इस तरह के नियंत्रण गलत आउटपुट डेटा के अपेक्षित जोखिम को कम करने को सुनिश्चित करते हैं। ऑडिट का परिणाम मौजूदा आईटी नियंत्रण और प्रणालियों पर निर्भर है, और तदनुसार उपरोक्त क्षेत्रों को एक प्रमुख ऑडिट मामला होने के लिए निर्धारित किया जाता है।	**प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया** हमने ऐसी नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आईटी नीतियों और नियंत्रणों का प्रभावी ढंग से निरीक्षण, नियंत्रण और मूल्यांकन करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली आईटी नीतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की दिशा में मानकों के साथ अपनी ऑडिट प्रक्रियाओं को अंजाम दिया है। हमने आईएस ऑडिटर द्वारा जारी रिपोर्ट पर भी भरोसा किया है और जहां भी आवश्यक हो आईएस विशेषज्ञों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की है।

Sr. No	Key Audit Matter	Auditor's Response
1	**Income Recognition, Asset Classification & Provisioning relating to Advances** Advances constitute 53.04% of the Bank's total assets. The recognition of income on accrual basis in respect of advances extended by the Bank, Classification of advances into Performing and Non performing and provisioning thereof are in accordance with the extant prudential norms on Income Recognition and Asset Classification and provisioning (IRAC) norms and other circulars and directives issued by Reserve bank of India from time to time (Refer Schedule 17, read with Note 3 of Schedule 18 to the financial statements). Taking into consideration the nature of transactions, compliance with the Reserve Bank of India guidelines, issues involved in the valuation of securities etc., in our opinion classification of Advances into performing and non performing, recognition of income in respect of such advances and also provisioning relating to Performing/Non-Performing advances are considered to be one of the most significant matter in the audit and therefore determined to be a Key audit matter.	**Principal Audit Procedures** Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing as under :- ● Evaluating the design of internal controls relating to implementation of prudential norms on IRAC and other related circulars/directives issued by RBI and also the internal policies and procedures of the Bank. ● Examining the efficacy of various internal controls over advances to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and compliance with the observations of the various audits conducted as per the monitoring mechanism of the Bank and RBI inspection. ● Examining all large advances/stressed advances and other advances on a sample basis including review of valuation reports of independent valuers as provided by the Bank's management. ● Relying on the audit reports of other Statutory Branch Auditors ● Reviewing Memorandum of Changes suggested by the Branch Auditors and take appropriate action. ● Review of various audit and inspection reports made available to us in the relevant areas. ● Placing reliance on the opinions of domain experts on legal matters, titles, valuation and other aspects of securities charged to the bank. ● Review of files of the borrowers selected on sample basis and operations of such accounts. ● Performing relevant analytical procedures. ● Test checking of interest application, levying of other charges, commission etc.,
2	**Contingent Liability** The contingent liability as defined in AS 29 – provisions, contingent liability and contingent assets requires assessment of probable outcomes and cash flows. The identification and quantification of contingent liabilities require estimation and judgment by management. (Refer Schedule 17, read with Note 18.12 of Schedule 18 to the financial statements) In view of associated uncertainty relating to the outcome of the matters relating to litigations involving Direct and Indirect taxes, various claims filed by other parties not acknowledged as debts, we have determined the above area as a Key audit matter	**Principal Audit Procedures** We have carried out the validation of information provided by the management by performing the following procedures ● Evaluating reasonableness of the underlying assumptions. ● Understanding the current status of the litigations/tax assessments. ● Examination of recent orders and /or communication received from various tax authorities/judicial forums and follow up action thereon. ● Examining the relevant documents on record. ● Relying on relevant external evidence available including legal opinion , relevant judicial precedents and industry practices. ● Getting management confirmation where-ever necessary.
3	**IT Systems & Control** The entire Preparation of financial statements is highly dependent on CBS and other supporting software and hardware controls. Adequate and appropriate IT controls are required to ensure that these IT application process data as expected and changes are made in an appropriate manner. Such controls ensure mitigating the expected risk of erroneous output data. Audit outcome is dependent on the extant IT controls and systems, and accordingly the above areas are determined to be a Key audit matter.	**Principal Audit Procedures** We have carried out our audit procedures with standards on auditing guidelines towards implementation of IT policies and procedures followed by the bank in order to effectively monitor, control, and evaluate the IT applications and controls to ensure effective implementation of such policies and procedures. We have also relied on the report issued by the IS Auditor and obtained necessary inputs from IS experts wherever necessary.

4	**गैर-निष्पादित निवेश के लिए निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन, पहचान और प्रावधान** (अनुसूची का 17 देखें, वित्तीय विवरणों के लिए 18 के नोट 2 के साथ पढ़ें) **निवेश बैंक की कुल संपत्ति का 26.77% हैं।** निवेश का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार किया जाता है, जिसमें बीएसई / एनएसई और अन्य एजेंसियों पर उद्धृत दरों को लागू करना शामिल होता है, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर निर्भर रहना आदि लेनदेन की मात्रा को ध्यान में रखते हैं। बैंक की पुस्तकों में किए जा रहे निवेश का मूल्य, निवेश के मूल्यांकन में शामिल जटिलताएं हमने उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में माना है।	प्रमुख लेखा परीक्षा की प्रक्रिया हमने मूल्यांकन, गैर-प्रदर्शनकारी निवेशों की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान और मूल्यह्रास के संबंध में भारिबैं के प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन किया और समझा। निवेश के मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से डेटा संग्रह के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन। नॉन परफॉर्मिंग इनवेस्टमेंट की पहचान की व्यवस्था का आकलन और मूल्यांकन, ऐसे निवेशों में आय की मान्यता और नॉन परफॉर्मिंग इनवेस्टमेंट के संबंध में आवश्यक प्रावधान का निर्माण सुनिश्चित करना।

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा वे सभी जिन पर शासन का प्रभार है तथा प्रबंधन की जिम्मदारी

6. बैंक का निदेशक मंडल वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने वाले इन स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों जोकि आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक के वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक('RBI') द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देशानुसार तैयार किए वित्तीय विवरणों के संबंध में जिम्मेदार है । इस जिम्मेदारी में बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण ; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण , जो कि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो शामिल है ।

जबतक कि प्रबंधन या तो बैंक को बंद करने या परिचालन को बंद करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन बैंक की क्षमता का मूल्यांकन करने, चिंता प्रकट करने, चिंता करने से संबंधित मामलों के लागू होने और लेखांकन के चलते चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है ।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारी

7. हमारा उद्देश्य चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त हैं । उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव ही किसी सामग्री के गलती के मौजूद होने का पता लगाएगी । यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल में वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उनसे यथोचित अपेक्षा की जा सकती है, तथा गलतफहमी या धोखाधड़ी से त्रुटि उत्पन्न हो सकती है जिसे सामग्री माना जाता है ।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम एक पेशेवर निर्णय करते हैं तथा पूरी लेखा परीक्षा के द्वारा एक पेशेवर संशयवाद बनाए रखते हैं । साथ ही हम :

- चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, उन जोखिमों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री से गलत विवरण का पता नहीं लगने के कारण जोखिम त्रुटि एक से अधिक रूप में परिणामित हो सकती है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण को निरस्त करना शामिल हो सकती है ।

- प्रबंधन के द्वारा इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तत तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन किया गया है ।

- लेखा परीक्षा के प्रबंधन की चिंता के आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और, लेखापरीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर कि क्या कोई घटना या परिस्थितियों से संबंधित सामग्री में अनिश्चितता मौजूद है जोकि एक चिंता का विषय है एवं बैंक की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कायम कर सकती है । यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी सामग्री में अनिश्चितता मौजूद है या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा । हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं । हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां बैंक के लिए चालू रहने के रूप में जारी रहने से वंचित कर सकती हैं।

- संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें कि क्या खुलासे सहित वित्तीय विवरणों की ये समग्र प्रस्तुति वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति हो रही हो ।

हम अन्य मामलों के बीच योजनाबद्ध गुंजाइश लेखा परीक्षा का समय तथा लेखा परीक्षा के निष्कर्ष जिसकी हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचान की थी के साथ किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करके जिनपर शासन का प्रभार है को करते हैं ।

हम उन लोगों जिन पर शासन का प्रभार है तथा उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है को वक्तव्य प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन और जहां कहीं भी लागू हो संबंधित सुरक्षा उपाय किया है ।

4	**Classification and valuation of Investments, identification of and provisioning for non performing investments.** (Refer Schedule 17, read with Note 2 of Schedule 18 to the financial statements) **Investments constitute 26.77% of the total assets of the bank.** Valuation of Investments are done as per the guidelines, circulars and directives issued by RBI from time to time involving applying the rates quoted on BSE/NSE and other agencies, relying on the financial statements of unlisted companies etc. Taking into consideration the volume of transactions, value of investments being carried in the books of the bank, complexities involved in the valuation of investments we have considered the above area as a Key audit matter.	**Principal Audit Procedures** We evaluated and understood the Bank's internal control systems to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non Performing Investments, provisioning and depreciation related to investments. Evaluating the process adopted for collection of data from various sources for determining the value of investments. Assessing and evaluating the system of identification of Non performing investments, income recognition on such investments and also ensuring creation of necessary provision in respect of Non performing investments.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

   As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

   - Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
   - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
   - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
   - Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

जिन पर शासन का प्रभार को संप्रेषित मामलों में से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले हैं । जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है, हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं या जबतक कि अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को नहीं दर्शाया जाए, क्योंकि ऐसा करने से दुष्परिणाम स्वरूप संचार जनहित लाभ कम हो जाएंगे ।

अन्य मामले

8. हमने बैंक के स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 1614 (संख्या) शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणी / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2019 तक 1,05,678 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति को दर्शाती है और उस वर्ष के लिए कुल राजस्व 8,485 करोड़ रुपये है, जैसा कि स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों में माना गया है । इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का लेखा-जोखा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और अब तक हमारी राय में यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और खुलासों से संबंधित है जो पूरी तरह से इस तरह के शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं ।

इस संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है ।

अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है ।

10. उपरोक्त पैराग्राफ 6 से 8 में इंगित ऑडिट की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अनुसार इसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि :

    I. हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे एवं हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

    II. बैंक के वे सभी लेनदेन जोकि हमारे संज्ञान में थे बैंक की क्षमता के अधीन हैं; तथा

    III. बैंक की शाखाओं तथा कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त पाई गईं थीं ।

11. हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

    I. हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त विवरणियों से प्राप्त की गईं हैं एवं विधि द्वारा आवश्यक खाते की उचित पुस्तकें बैंक द्वारा समुचित रूप से रखी गई हैं ।

    II. इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी के फ्लो का विवरण, खाते की पुस्तक के साथ एवं हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरण के साथ हैं ।

    III. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा समुचित सावधानी बरती गई है । तथा

    IV. हमारी राय में, तुलन पत्र लाभ हानि खाता तथा नकदी प्रवाह के स्टेटमेंट इस हद तक वे भारिबैं द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हुए बनाए गए हैं ।

कृते आर सुब्रमण्यमकुमार तथा कंपनी एलएलपी के लिए
एफ़आरएन 04137S/S200041

आर सुबरमानियन
साझेदार
एम. संख्या 08460

कृते एस ए आर सी एवं सहयोगियों के लिए लेखा परीक्षकों
एफ़आरएन 006085N

चेतन ठक्कर
साझेदार
एम. संख्या 114196

कृते पात्रो एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 310100ई

(एन आनंद राव)
साझेदार
एम. संख्या 051656

कृते एम श्रीनिवासन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 004050S

(एम श्रीनिवासन)
साझेदार
एम. संख्या 022959

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 09.05.2019

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter, or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

8. We did not audit the financial statements / information of 1614 (number) branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs.1,05,678 crore as at 31st March 2019 and total revenue of Rs. 8,485 crore for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, are based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 6 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

    (a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

    (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

    (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. We further report that:

    a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us

    b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us

    c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

    d) in our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For **R SUBRAMANIAN AND COMPANY LLP**
Chartered Accountants
FRN 004137S/S200041

R SUBRAMANIAN
Partner
M.No.08460

For **S A R C & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN 006085N

CHETAN THAKKAR
Partner
M.No. 114196

For **PATRO & CO**
Chartered Accountants
FRN 310100E

N ANANDA RAO
Partner
M.No.051656

For **M. SRINIVASAN & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN 004050S

M. SRINIVASAN
Partner
M.No.022959

Place: Chennai
Date: 09.05.2019

व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट - 2018-19

सेक्शन ए : कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1.	कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईनहीं)	लागू नहीं
2.	कंपनी का नाम	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
3.	रजिस्टर्ड पता	763 अण्णा सालै, चेन्नई 600 002
4.	वेबसाइट	www.iob.in
5.	ईमेल	investor@iobnet.co.in
6.	वित्तीय वर्ष रिपोर्ट	2018-19
7.	कंपनी जिस क्षेत्र से संबन्धित है (औद्योगिक गतिविधि कोडवार के अनुसार)	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ
8.	तीन उत्पादों/ सेवाओं की सूची जो की उत्पादकों द्वारा प्रदान की गई हो (तुलन पत्र में)	a) खुदरा बैंकिंग b) कॉर्पोरेट बैंकिंग c) अंतराष्ट्रीय बैंकिंग
9.कंपनी द्वारा व्यावसायिक कार्यकलाप करने के कुल स्थानों की संख्या		
I.	राष्ट्रीय	31.03.2019 को 3280 शाखाए
II.	अंतरराष्ट्रीय	09 (सिंगापुर, सियोल, श्रीलंका, हाँगकाँग, बैंकॉक, दुबई)
10.	कंपनी द्वारा सर्विस दिए जाने वाले बाजार स्थानीय /राज्य /राष्ट्रीय /अंतराष्ट्रीय	बैंक की 27 राज्यों में और 6 संघ राज्य क्षेत्र में शाखाएँ हैं और सिंगापुर, सिऔल, श्रीलंका, हाँगकाँग, बैंकॉक, दुबई में अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति है ।

सेक्शन बी : कंपनी के वित्तीय विवरण

1)	प्रदत्त पूंजी (रु.)	रु. 9141.65 करोड़
2)	कुल व्यवसाय (रुपये) / राजस्व	लागू नहीं
3)	कर के बाद कुल लाभ (रुपये)	हानि रु. 3738 करोड़
4)	कर के बाद लाभ के प्रतिशत के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय	नुकसान के कारण सीएसआर के तहत कोई खर्च नहीं
5)	उन गतिविधियों की सूची जिसमें उपरोक्त 4 पर व्यय किया गया है ।	लागू नहीं

(रु. लाखों में)

क्रमांक	सीएसआर कार्यकलाप	विवरण	राशि
	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य

सेक्शन सी : अन्य विवरण

1.	क्या कंपनी की सहायक कंपनी/ कंपनियां है	नहीं
2.	क्या सहायक कंपनियां कार्यान्वियन है: मूल कंपनी के बीआर पहलों को कार्यान्वित करती है यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या इंगित करें।	लागू नहीं
3.	कोई अन्य इकाई / संस्थाएं (उदा. आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों आदि) की कंपनी कंपनी के बीआर पहल में भाग लेने के साथ व्यापार करती है? यदि हां, तो ऐसी इकाई / संस्थाओं का प्रतिशत इंगित करें? (30% से कम, 30% -60%, 60% से अधिक)	नहीं

Business Responsibility Report – 2018-19

Section A : General Information about the Company

1. Corporate Identity Number: (CIN) of the Company	Not Applicable
2. Name of the Company	INDIAN OVERSEAS BANK
3. Registered Address	763 ANNA SALAI, CHENNAI 600 002
4. Website	www.iob.in
5. Email	investor@iobnet.co.in
6. Financial Year Reported	2018-19
7. Sectors that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Financial Services
8. List of 3 key products/services that the manufacturers provides (as in Balance Sheet)	a) Retail Banking b) Corporate Banking c) International Banking
9. Total number of locations where: business activity is undertaken by the Company	
No. of Locations	
I. National	3280 branches as on 31.03.2019
II. International	9 (Singapore, Seoul, Sri Lanka, Hongkong, Bangkok, Dubai)
10. Markets served by the Company-Local/State/National/ International	Bank has branches in 27 States and 6 Union Territories and International presence in Singapore, Seoul, Hongkong, Sri Lanka, Bangkok and Dubai.

Section B: Financial Details of the Company

1) Paid up Capital (INR)	Rs. 9141.65 crore
2) Total Turn Over (INR) / Revenue	Not applicable
3) Total profit After Tax(INR)	Loss: Rs. 3738 crores
4) Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of Profit after Tax (%)	No spending under CSR due to loss (Rs. In Lakhs)
5) List of the activities in which expenditure on 4 above has been incurred	Not Applicable

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	CSR activity	Particulars	Amount
	NA	NA	NIL

Section C: Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies	No
2. Do the subsidiaries implement : BR initiatives of the parent company If YES, then indicate the number of such subsidiaries.	Not applicable
3. Do any other entity/ entities (e.g., suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/ entities? (Less than 30%, 30%-60%, more than 60%)	No

सेक्शन डीः बीआर सूचना

1. बी आर के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण

ए. बी आर नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण

डीआईएन संख्या	लागू नहीं
नाम	के स्वामीनाथन
पदनाम	कार्यपालक निदेशक

बी. बी आर हेड का विवरण - नीचे दिया गया है :

क्रमांक	विवरण	विवरण
1	डीआई एन संख्या (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2	नाम	राधा वेंकटकृष्णन
3	पदनाम	महाप्रबंधक एवं सीएफ़ओ
4	टेलीफोन संख्या	044-2851 9487
5	ईमेल आई डी	investor@iobnet.co.in / radhavk@iobnet.co.in

2. सिद्धांतवार (एन वीजी के अनुसार) बीआर नीति / नीतियां (हां / नहीं में जवाब) (जांचने के लिए)

क्रमांक	प्रश्न	व्यावसायिक नैतिकता	उत्पाद ज़िम्मेदारी	कर्मचारी का कल्याण	स्टेकहोल्डर अनुबंध	मानवाधिकार	पर्यावरण	सार्वजनिक नीति	समावेशी विकास	ग्राहक संबंध
1	क्या आपके पास सिद्धातों के लिए नीति/ नीतियां हैं?	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां
2	क्या संबंधित हितधारकों के परामर्श से नीति तैयार की जा रही है?	हां	हां	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	हां
3	क्या नीति किसी भी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करती है? यदि हां, निर्दिष्ट करें?* (50शब्द)	हां	हां	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	हां
4	क्या बोर्ड द्वारा नीति को मंजूरी दे दी गई है? यदि हां, तो क्या यह एमडी / मालिक / सीईओ / उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है?	हां	हां	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	हां
5	क्या कंपनी के पास नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए बोर्ड / निदेशक / आधिकारिक की एक निर्दिष्ट समिति है?	हां	हां	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	हां
6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक को इंगित करें?	हां	नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	हां
7	क्या नीति को औपचारिक रूप से सभी संबन्धित आंतरिक और बाहरी हितधारकों को सूचित किया गया है?	हां	हां	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	हां
8	क्या कंपनी के पास नीति / नीतियों को लागू करने के लिए आंतरिक संरचना है?	हां	हां	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	हां
9	क्या कंपनी के पास हितधारकों की नीति / नीतियों से संबंधित शिकायतों के निपटान हेतु शिकायत निवारण तंत्र है ?	हां	हां	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	हां
10	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाहरी एजेंसियों द्वारा इस नीति के संचालन के लिए अलग से लेखा परीक्षा / मूल्यांकन किए हैं ?	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	हां

* सोसाइटी के लिए फायदेमंद सरकारी नियमों और दिशानिर्देशों की नीति का पालन करना.
@www.iob.in

Section D: BR Information

1. Details of Director/ Directors responsible for BR

a. Details of the Director/ Directors responsible for implementation of the BR policy/ policies

DIN Number	NA
Name	K Swaminathan
Designation	Executive Director

b. Details of the BR head – as below

S. No	Particulars	Details
1	DIN No (if applicable)	NA
2	Name	Radha Venkatakrishnan
3	Designation	General Manager & CFO
4	Telephone no.	044-28519487
5	e-mail id	investor@iobnet.co.in / radhavk@iobnet.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy / Policies (Reply in Y / N)(to check)

Sl No	Questions	Business Ethics	Product Responsibility	Well being of Employees	Stakeholder Engagement	Human Rights	Environment	Public Policy	Inclusive growth	Customer relations
1	Do you have a policy/ policies for principles	Y	Y	N	Y	N	N	N	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	Y	Y
3	Does the policy confirm to any national/ international standards? If yes, specify? *(50 words)	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	Y	Y
4	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/ Owner/ CEO/ appropriate Board Director	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	Y	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online? @	Y	N	NA	N	NA	NA	NA	N	Y
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	Y	Y
8	Does the company have in-house structure to implement the policy/ policies?	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	Y	Y
9	Does the company have grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	N	Y
10	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by internal or external agencies?	N	N	NA	N	NA	NA	NA	N	Y

*Contemplating the Policy of Government rules and guidelines beneficial to the Society.

@www.iob.in

2ए. यदि किसी भी सिद्धांत पर क्रमांक 1 का उत्तर 'नहीं' है, तो कृपया स्पष्ट करें क्योंः (2 विकल्प तक टिक करें)

क्रमांक	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है।									
2	कंपनी उस अवस्था में नहीं है जहां यह खुद को निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों को बनाने और लागू करने की स्थिति में पाती है।									
3	कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय या जनशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं .									
4	यह अगले 6 महीनों के भीतर किए जाने की योजना है।									
5	यह अगले एक वर्ष के भीतर किया जाने की योजना है।									
6	कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)			#		&	%	$		

बैंक के पास अलग से कर्मचारी कल्याण नीति नहीं है। हालाँकि बोर्ड की मंजूरी के साथ कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी उपाय किए गए हैं।

&बैंक की अलग से मानवाधिकार नीति नहीं है। हालांकि, इन पहलुओं को मानव संसाधन नीतियों और बैंक के व्यवहार के तहत शामिल किया गया है।

% बैंक के पास लिखित नीति नहीं है लेकिन भारत सरकार द्वारा नई पहलों पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

$ बैंक की लिखित नीति नहीं है लेकिन बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित सार्वजनिक नीति को आकार देने के लिए नियामकों और नीति निर्माताओं से जुड़ा हुआ है।

3. बी आर से संबंधित अधिकार

क. निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ द्वारा बी आर के कार्य निष्पादन का आकलन कितनी बार किया जाता है इंगित करें , 3 महीने, 3-6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक	वार्षिक आधार पर
ख. क्या कंपनी बी आर या धारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसे कितनी बार प्रकाशित किया जाता है	हां, यह वार्षिक आधार पर प्रकाशित है। वेबसाइट पर बीआरआर देखा जा सकता हैः www.iob.in

सेक्शन ई : सिद्धांत वार निष्पादन

सिद्धांत 1: व्यवसाय को नीति, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ आचरित व शासित करना होगा

1) क्या नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? क्या यह समूह/ संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार/ गैर सरकारी संगठनों/ अन्य लोगों तक पहुंचता है?	यह बैंक के साथ - साथ इसके वेण्डर/ सप्लायर/ ठेकेदार को कवर करता है। बैंक ने एक आचार नीति को कार्यान्वित किया है जो अच्छे आचरण और नैतिक प्रथाओं के उच्चतम मानकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का वर्णन है। बैंक के आधारभूत मूल्यों को ग्राहक केंद्रितता, नैतिकता, पारदर्शिता, टीमवर्क और स्वामित्व के रूप में व्यक्त किया गया है। बैंक के सभी कर्मचारियों को निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता है ● जीवन के सभी क्षेत्रों में कानून की सत्यता और शासन का पालन करना; ● न तो रिश्वत लेना और न ही देना; ● सभी कार्यों को एक ईमानदार और पारदर्शी तरीके से करना; ● सार्वजनिक हित में कार्य करना; ● उदाहरण प्रस्तुत करते हुए व्यक्तिगत व्यवहार में अखंडता प्रदर्शित करना; ● उपयुक्त एजेंसी को भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट करना।

2a. If the answer to S. No. 1 against any principle is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

S. No	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The company has not understood the Principles									
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within next 1 year									
6	Any other reason (Please specify)			#		&	%	$		

 # Bank does not have a separate Employees Welfare Policy. However several welfare measures for employees have been taken with Board approval.

& Bank does not have a separate Human Rights Policy. However, these aspects are covered under Human Resources Policies and Practices of the Bank

%Bank does not have a written policy but the guidelines issued by Government of India on Green Initiatives are being followed.

$ The Bank does not have a written policy but is associated with regulators and policy makers to shape public policy relating to banking sector

3. Governance related to BR

a. Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the company, within 3 months, 3-6 months, annually, more than 1 year	Annually
b.Does the company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	Yes, it is published on an annual basis. BRR could be viewed at website: www.iob.in

Section E: Principle-wise-performance

Principle 1: Business should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1) Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Does it extend to the group/ Joint Venture/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?	It covers the Bank as well as its vendors / suppliers / contractors etc. The Bank has operationalised an Ethics Policy which is a statement of the Bank's commitment to good conduct and highest standards of ethical practices. The Bank's core values have been articulated as Customer Centricity, Ethics, Transparency, Teamwork and Ownership. All employees of the Bank are required to take the Integrity Pledge committing ● To follow probity and rule of law in all walks of life; ● To neither take nor offer bribe; ● To perform all tasks in an honest and transparent manner; ● To act in public interest; ● To lead by example exhibiting integrity in personal behaviour; ● To report any incident of corruption to the appropriate agency.

	अनुबंध को सुरक्षित करने या आगे बढ़ाने के लिए सभी आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / बोलीदाताओं को अपनी बोली के किसी भी चरण के दौरान या किसी भी पूर्व-अनुबंध या अनुबंध पश्चात चरण के दौरान भ्रष्ट प्रथाओं, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपायों को अपनाने की प्रतिबद्धता हेतु एक पूर्व अनुबंध अखंडता संधि निष्पादित करने की आवश्यकता होती है। बैंक बैंकिंग कोड और स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया (बीसीएसबीआई) का सदस्य है और इसलिए स्वेच्छा से ग्राहकों के लिए बैंकों की वचनबद्धता-जनवरी 2014 को मंजूरी दे दी गई लघु उद्यमों के प्रति वचनबद्धता संहिता - अगस्त 2015 को सौदे में अपनी उचित अभ्यास संहिता के रूप में अपने ग्राहकों के साथ। कोड की पूरी प्रति बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर उपलब्ध है। ''सिटीज़न चार्टर बैंक की शाखाओं में ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली'' विभिन्न सुविधाओं / सेवाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। सिटिज़न चार्टर के साथ कोड ग्राहकों के साथ बैंक के लेनदेन में उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करेगा। बैंक में एक व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी है। **आईओबी विजिलः** जून 2013 के दौरान जागरूकता के लिए एक चैथाई आंतरिक समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। **अन्य पक्ष इकाइयों के खिलाफ :** बैंक अपनी इंट्रानेट वेबसाइट पर प्रतिबंधित तृतीय पक्ष इकाइयों जैसे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, वैल्यूअर्स और वकीलों की सूची प्रकाशित करता है। जागरूकता के लिए, बैंक ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी आयोजित की है और सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018 के दौरान विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया है। **सतर्कता मामलों को संभालने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता अधिकारी के साथ तैनात किया गया है।** सतर्कता जागरूकता सप्ताह (सजास) 2018 थीम के साथ "एक मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करने के लिए" बैंक द्वारा 29 अक्टूबर 2018 से 03 नवंबर 2018 तक मनाया गया। बैंक ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018 के संदेश को फैलाने के लिए व्यापक रूप से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग किया है। **जागृति** एक नई पहल है जिसके माध्यम से सभी कर्मचारियों के बीच निवारक सतर्कता की जागरुकता फैलाई जा रही है। **आचरण संहिता** उन मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित करती है जिन पर बैंक अपने बहुमूल्य हितधारकों, सरकार और नियामक एजेंसियों, मीडिया और किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना दैनिक व्यवसाय संचालित करेगा। यह दर्शाता है कि बैंक सार्वजनिक धन का एक ट्रस्टी और संरक्षक है और अपने विश्वसनीय कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए, इसे बड़े पैमाने पर जनता के विश्वास और आनंद को जारी रखना है। निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के सभी सदस्यों को वार्षिक आधार पर आचरण संहिता के अनुपालन की पुष्टि करने की आवश्यकता होती है।	
2) पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से कितने प्रतिशत को हल किया गया था?	ग्राहक शिकायतें (एटीएम संबंधी एवं अन्य डिजिटल लेनदेनों से इतर)	शेयरधारक शिकायतें
यदि ऐसा है, तो इसके बारे में 50 शब्द या उससे भी अधिक विवरण प्रदान करें।		शेयरधारक शिकायतें
वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	1180	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	37870	56
वर्ष के दौरान निवारण शिकायतों की संख्या	37342	56
वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	1708	0
निवारण की गई शिकायत का प्रतिशत	95.63%	100%

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">All suppliers / contractors / bidders are required to execute a Pre Contract Integrity Pact to commit to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it.

Bank is a member of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI)and has therefore voluntarily adopted the Code of Banks' Commitments to Customers- January 2014 and Code of Commitment to Micro and Small enterprises – August 2015 as its Fair Practice Code in dealings with its customers. Complete copy of the Code is available at www.iob.in

"Citizens' Charter" provides key information of various facilities/ services provided to customers in the branches of the Bank.

The Code together with the Citizens' Charter will ensure high standards of accountability, responsibility and transparency in the Bank's dealings with customers.

The Bank has a Whistle Blower Policy in place.

IOB Vigil: A quarterly in-house news letter to spread vigilance awareness was launched during June 2013.

Action against Third Party Entities: Bank publishes on its intranet website the list of banned third party entities viz., Chartered Accountants, Valuers and Lawyers.

To create vigilance awareness, Bank has conducted essay competition and Quiz competition for all the officers and award staff members and awarded prizes to winners during Vigilance Awareness Week 2018.

All the Regional Offices have been posted with Vigilance Officers, to handle Vigilance matters. Vigilance Awareness week (VAW) 2018 with theme "To build a Strong and Corruption Free India" was observed by the Bank from 29th October 2018 to 03rd November 2018. The Bank has widely used social media platforms for spreading the message of VAW 2018.

JAGRITHI is a new initiative through which preventive vigilance is being created among all staff members.

Code of Conduct sets forth the guiding principles on which the Bank shall operate and conduct its daily business with its multitudinous stakeholders, Government and regulatory agencies, media, and anyone else with whom it is connected. It recognises that the Bank is a trustee and custodian of public money and in order to fulfill its fiduciary obligations and responsibilities, it has to maintain and continue to enjoy the trust and confidence of public at large. All members of the Board of Directors and senior management personnel are required to affirm compliance with the code of conduct on an annual basis.</td></tr>
<tr><td>2) How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management?

If so, provide details thereof, in about 50 words or so.</td><td>Customer Complaints (other than ATM related and Non-digital transactions)</td><td>Shareholder Complaints</td></tr>
<tr><td>No. of complaints pending at the beginning of the year</td><td>1180</td><td>0</td></tr>
<tr><td>No. of complaints received during the year</td><td>37870</td><td>56</td></tr>
<tr><td>No. of complaints redressed during the year</td><td>37342</td><td>56</td></tr>
<tr><td>No. of complaints pending during the year</td><td>1708</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% age of complaints resolved</td><td>95.63%</td><td>100%</td></tr>
</table>

सिद्धांत 2ः व्यापार को ऐसे सामान और सेवाएं प्रदान करना चाहिए जो सुरक्षित हैं और जो अपने संपूर्ण जीवन चक्र में स्थिरता के प्रति योगदान दे

1.अपने उन 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची बनाएं जिनके डिज़ाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों और / या अवसरों को शामिल किया गया है।	बैंक निम्नलिखित वित्तीय सेवाएं ऑफर करता है जिनमें सामाजिक एवं औपचारिकताओं को शामिल किया गया हैं। **वित्तीय साक्षरता** बैंक 23 स्थानों पर वित्तीय साक्षरता केन्द्र (स्नेहा) के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रदान कर रहा है। प्रारंभ से एफएलसी काउंसलर्स ने 71,200 क्रेडिट परामर्श अयोजित किए हैं। चालू वर्ष के दौरान एफएलसी काउंसलर्स ने 9,336 क्रेडिट वित्तीय साक्षरता कैम्प आयोजित किए और 1,075 विशेष कैम्प आयोजित किए जिसमें वित्तीय व्यवस्था में नए जुड़े 1,29,194 लाभार्थियों को कवर किया गया एवं टार्गेट समूह जिसमें एसएचजी, विद्यार्थी, वरिष्ठ नागरिक, किसान एवं सूक्ष्म तथा लघु उद्यम के डिजिटल वित्तीय साक्षरता पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार 2,06,280 लाभार्थियों को कवर करते हुए 1,567 कैम्प आयोजित किए गए। **हमारे बैंक को वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय साक्षरता के लिए '' बेस्ट परफार्मिंग बैंक'' का अवार्ड मिला है।** **स्वयं सहायता समूह** वर्ष के दौरान, बैंक ने 1315 करोड़ रु. ऋण वितरित करते हुए 41117 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण से जोड़ा। मार्च 2019 तक बैंक द्वारा कुल 11234 करोड़ रु. वितरित कर ऋण से जुड़ने वाले स्वयं सहायता समूहों की संचयी संख्या 7,41,182 बढ़ी। **ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)** ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरुप बैंक द्वारा स्थापित कुल 13 ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों में से सभी अग्रणी जिलों में 12 ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान किसानों, एसजीएसवाई के सद्स्यों, एसएचजी के तहत लाभार्थियों, शिक्षित बेरोजगार युवकों, कारीगरों और कमजोर वर्गों के लाभार्थियों के प्रशिक्षण हेतु और जनजातियों के लाभ के लिए नीलगिरिस जिले में 1 आरएसईटीआई स्थापित किया गया है। बैंक द्वारा स्थापित न्यास स्नेहा द्वारा आरएसईटीआई का प्रबंधन किया जाता है। वर्ष के दौरान समीक्षा के तहत, बैंक ने 370 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर 9,635 बेरोजगार युवकों लाभ पहुँचाया है। स्थापना के बाद से हमारे बैंक ने 64704 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है, जिसमें से 46624 उम्मीदवारों नियोजित हैं एवं जो दिनांक 31.03.2019 तक 66% की राष्ट्रीय उपलब्धि के मुकाबले 72% की संचयी निपटान प्रतिशत का बनाता है। दिनांक 31.03.2019 तक 51% उम्मीदवारों को क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से सेटल किया गया है जो कि राष्ट्रीय औसत 43% से अधिक है।
2. प्रत्येक उत्पाद के लिए, संसाधन प्रयोग(ऊर्जा, जल, कच्ची साम्रगी इत्यादि) के संबंध में उत्पाद का प्रति इकाई (ऐच्छिक) प्रदान किया जाता हैः i) सोर्सिंग /उत्पादन / वितरण पिछले वर्ष के दौरान मूल्य श्रृंखला में कटौती की गई? ii) उपभोक्ताओं (ऊर्जा, पानी) द्वारा उपयोग के दौरान कटौती पिछले वर्ष से हासिल की गई है?	लागू नही
3. क्या टिकाऊ सोर्सिंग(परिवहन सहित) के लिए कंपनी की कार्यवाही हो रही है। i) यदि हां, तो आपके इनपुट का प्रतिशत किसने स्थिरता को सोर्स किया था? इसके बारे में 50 शब्दों में भी विवरण प्रदान करें।	लागू नही लागू नही सभी वित्तीय उत्पाद है जिनका उद्देश्य संपूर्ण परिचालानात्मक क्षेत्र प्राप्त करना है।
4. क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए कोई कदम उठाए हैं, जिनमें उनके काम के आसपास के समुदायों समेत शामिल हैं? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और सामर्थ्य में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?	हाँ अधिमानतः, परिवहन लागत और समय अंतराल को कम करने के लिए आस-पास के विक्रेताओं से सामग्री को सोर्स किया जाता है।
5. क्या कंपनी के उत्पादों और अपशिष्ट रीसायकल करने के लिए एक तंत्र है? यदि हां उत्पादों और अपशिष्ट के रीसाइक्लिंग का प्रतिशत क्या है (अलग से <5%, 5% -10%)। इसके अलावा, इसके बारे में 50 शब्द या उससे भी अधिक विवरण प्रदान करें।	लागू नही

Principle 2: Business should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/ or opportunities.	Bank offers the following financial services which have incorporated social concerns and opportunities: **Financial Literacy** The Bank is imparting Financial Literacy through Financial Literacy Centers (SNEHA) established at 23 locations. 71,200 credit counselling have been conducted by FLC Counselors since inception. During the current year, FLC Counselors have held 9,336 Financial Literacy camps, conducted 1,075 special camps by covering 1,29,194 beneficiaries for newly inducted people in the financial system and 1,567 camps for the target group viz. SHGs, Students, Senior Citizens, Farmers and Micro & Small Entrepreneurs by covering 2,06,280 beneficiaries on Digital Financial Literacy as per RBI guidelines. **Our Bank is awarded by the State Government of Tamilnadu as Best Performing Bank in Financial Literacy for the FY 2018-19.** **Self Help Group** During the year, the Bank credit-linked 41117 Self Help Groups (SHGs) with a credit outlay of Rs. 1,315 crores. The cumulative number of SHGS credit linked by the Bank is 7,41,182 with a total disbursement of Rs. 11234 crores as of March 2019. **Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)** In line with the guidelines issued by Ministry of Rural Development, Government of India, the Bank had set up total 13 RSETIs of which 12 RSETIs are at all Lead Districts, to provide training to farmers, members of SHGs, beneficiaries under SGSY, educated unemployed youth, artisans and beneficiaries belonging to weaker sections and 1 RSETI in the Nilgiris District for the benefit of the tribals. The RSETIs are managed by SNEHA trust established by the Bank. During the year under review, the Bank has conducted 370 skill training programs benefiting 9,635 unemployed youths. Since inception our Bank has trained 64704 candidates, out of which 46624 candidates were employed (Settled), which constitutes Cumulative Settlement percentage of 72% as on 31.03.2019 against the National Achievement of 66%. 51% of candidates have been settled through credit linkage out of total candidates settled as on 31.03.2019 which is more than the National Average of 43%.
2. For each such product, provide in respect of resource use (energy, water, raw material etc.)per unit of product (optional): i) Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? ii) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since previous year?	NA
3. Does the company have proceedings in place for sustainable sourcing (including transportation) i) If yes, What percentage of your inputs was sourced sustainably? Also provide details thereof in about 50 words or so	NA NA All are financial products aiming to reach the entire operational area.
4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	Yes Preferably, the materials are sourced from nearby vendors to reduce transportation cost and time lag.
5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5%-10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	Not applicable.

सिद्धांत 3ः व्यापार को सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या इंगित करें	26,354				
2. कृपया अस्थायी/ संविदात्मक/आकस्मिक आधार पर कर्मचारियों की पूर्ण संख्या इंगित करें	08				
3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की कुल संख्या इंगित करें	8983				
4. स्थायी विकलांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या इंगित करें	499				
5. क्या आपके पास एक कर्मचारी संघ है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है?	हाँ कर्मचारियों के लिए - ऑल इण्डिया ओवरसीज़ बैंक एम्प्लॉयीस यूनियन अधिकारियों के लिए - इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी संघ				
6. आपके कितने प्रतिशत कर्मचारी इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य है?	कर्मचारी - ऑल इण्डिया ओवरसीज़ बैंक एम्प्लॉयी यूनियन - 88.24% अधिकारी - इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी संघ - 96.37%				
7. कृपया वित्तीय वर्ष के अंत में बाल मज़दूरी, जबरन मज़दूरी, अनैच्छिक मज़दूरी, पिछले वित्तीय वर्ष में यौन उत्पीड़न और लंबित शिकायतों की संख्या इंगित करें।	क्र. सं.	प्रवर्ग	वित्तीय वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज़ शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
	1	बाल मजदूरी/जबरन श्रम/ अनैच्छिक मज़दूरी।	शून्य	शून्य	शून्य
	2	यौन उत्पीड़न	1	10	2
	3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य	शून्य
8. आपके तहत उल्लिखित कर्मचारियों का कितना प्रतिशत पिछले वर्ष में सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया था?	स्थायी कर्मचारी	75.34%			
	स्थायी महिला कर्मचारी	69.14%			
	आकस्मिक/अस्थायी/संविदात्मक कर्मचारी	75%			
	विकलांग कर्मचारी	69.34%			
• वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए , नेत्र जांच, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वच्छ भारत अभियान, सजावटी वृक्ष की आपूर्ति जैसी विभिन्न गतिविधियां की गईं।					
• बैंक खुदरा और एसएमई क्षेत्र की प्रगति में अनुवर्ती और पुनर्प्राप्ति के लिए दृष्टिहीन विकलांग कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग जारी रख रहा है। एसएमए -1 और 2 खातों की पूरी सूची उन सदस्यों को प्रदान की जाती है जो सॉफ़्टवेयर (जेएडब्ल्यूएस) का उपयोग संपर्क हेतु करते हैं और वसूली के लिए अनुवर्ती करते हैं। यह पहल यह सुनिश्चित करती है कि दृष्टिहीन विकलांग कर्मचारियों का संगठन द्वारा प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, जो मनोबल बनाने में भी मदद करता है।					

सिद्धांत 4 ः व्यापार को सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, खासतौर पर वे जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों को मैप किया है? हाँ/नही	शेयरधारकों को विभिन्न श्रेणियों, जैसे सरकारी, विदेशी संस्थागत निवेशक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड, बैंक, व्यक्तियों आदि में वर्गीकृत किया जाता है। ग्राहकों को बड़े कॉर्पोरेट, मध्य-कॉर्पोरेट, छोटे और मध्यम उद्यमों और खुदरा ग्राहकों में विभाजित किया जाता है। मानव संसाधन विभाग बैंक के कर्मचारियों के हितों की देखभाल करता है।
2. उपरोक्त में से, कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिए वाले हितधारकों की पहचान की है?	हाँ बैंक ने वंचित, कमजोर और हाशिए वाले हिस्सेदारों की पहचान की है जिनमें छोटे और सीमांत किसान, किरायेदार और पट्टे पर लिए गए किसान, भूमिहीन मजदूर और ग्रामीण महिला शामिल हैं। उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि ज्वेल लोन, स्वयं सहायता समूह, प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) इत्यादि जैसी विशेष क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। पदोन्नति हेतु पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्टाफ सदस्यों के लिए प्री प्रमोशन ट्रेनिंग बैंक के विभिन्न स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित की गई थी। आंतरिक प्रशिक्षण 19,874 कर्मचारियों को दिया गया था। प्रशिक्षित कुल कर्मचारियों में से 3,769 अनुसूचित जाति (अ.जा.) और 1,885 अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) से संबंधित थे।

Principle 3: Business should promote the well-being of all employees.

1.Please indicate the total number of employees	26,354				
2.Please indicate the Total number of employees hired on temporary/ contractual/ casual basis	08				
3. Please indicate the number of permanent women employees	8983				
4. Please indicate the permanent number of employees with permanent disabilities	499				
5. Do you have an employee association that is recognized by the management	Yes Workmen – All India Overseas Bank Employees Union Officers – Indian Overseas Bank Officers Association				
6. What percentage of your employees are members of this recognized employees association	Workmen – All India Overseas Bank Employees Union – 88.24% Officers – Indian Overseas Bank Officers Association – 96.37%				
7. Please indicate the Number of complaints relating to child labor, forced labor, involuntary labor, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year	Sr. No.	Category	No. of complaints pending as on the start of the financial year	No. of complaints filed during the financial year	No. of complaints pending as on end of the financial year
	1	Child labour/ forced labour/ involuntary labour	Nil	Nil	Nil
	2	Sexual Harassment	1	10	2
	3	Discriminatory Employment	Nil	Nil	Nil
8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?	Permanent employees		75.34%		
	Permanent women employees		69.14%		
	Casual/ Temporary/ Contractual employees		75%		
	Employees with disabilities		69.34%		
• Various activities like Eye Check Up, Blood Donation Camp, Health Check up camps, Swachh Bharat Abhiyan, Supply of ornamental tree sapling were carried out for the financial year 2018-19.					
• Bank is continuing to utilize the services of visually impaired staff for follow up and recovery in Retail and SME sector advances. The entire list of SMA-1 & 2 accounts is provided to these members who use the software (JAWS) to contact and follow up for recovery. This initiative ensures that visually impaired staff are utilized effectively by the organization and also helps to build up morale.					

Principle 4 : Business should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/ no	Shareholders are classified into different categories viz., Government, Foreign Institutional Investors, Financial Institutions, Insurance Companies, Mutual Funds, Banks, individuals, etc. Customers are segmented into large corporate, mid-corporate, Small and Medium Enterprises and Retail customers. Human Resource Department looks after the interest of the Bank's employees.
2.Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders	Yes Bank has identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stake holders which include Small and Marginal Farmers, Tenant and Leased Farmers, Landless Labourers and Rural Women. They are provided with special credit facilities like Kissan Credit Card, Agri Jewel Loan, Self Help Groups, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), etc. Pre Promotion Training for SC/ST/OBC and Persons with Permanent Disability (PWD) staff members who are eligible for promotion was conducted at various Staff Training Centers of the Bank. Internal training was imparted to 19,874 Staff. Of the total staff trained 3,769 belonged to Scheduled Caste (SC) and 1,885 belonged to Scheduled Tribe (ST).

3. क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिए वाले हितधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है? यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।	हाँ। बैंक ने कमजोर वर्गों अर्थात छोटे और सीमांत किसानों, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिला लाभार्थियों, अल्पसंख्यकों आदि को अपने उधार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित विभिन्न पहलें की हैंः **प्राथमिकता उधार क्षेत्र** वित्त वर्ष 2018-19 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि रु. 58,751 रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 75,393 करोड़ प्राप्त की और बैंक ने कुल प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के तहत 51.33% प्राप्त करके एएनबीसी के 40% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है। **कृषि** वित्त वर्ष 2018-19 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि रु. 31,048 करोड़ लक्ष्य के मुकाबले रु. 26,438 करोड़ प्राप्त किया और बैंक ने कृषि प्रगति के तहत 21.14% प्राप्त करके एएनबीसी के 18% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है। बैंक ने वर्ष के दौरान 29,328 करोड़ रुपये लक्ष्य के मुकाबले रु. 31,605 करोड़ विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) के तहत वितरित किया। **लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण** वित्त वर्ष 2018-19 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि 11,750 करोड़ रुपये लक्ष्य के मुकाबले 15,530 करोड़ रुपये रही और छोटे / सीमांत किसानों को ऋण के तहत 10.57% प्राप्त करके बैंक ने एएनबीसी के 8% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है। **गैर-कॉर्पोरेट किसानों को ऋण** वित्त वर्ष 2018-19 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि 17,611 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 22,532 करोड़ रुपये रही और गैर-कॉर्पोरेट किसानों को ऋण के तहत 15.34% प्राप्त करके बैंक ने एएनबीसी के 11.99% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है। **कमजोर वर्ग के लिए ऋण** वित्त वर्ष 2018-19 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि रुपये 14,688 करोड़ लक्ष्य के मुकाबले 20,054 करोड़ रुपये रही और कमजोर वर्ग को ऋण के तहत 13.65% ऋण प्राप्त करके बैंक ने एएनबीसी के 10% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है। **सूक्ष्म वित्तपोषण** वर्ष के दौरान बैंक ने रू 1,315 करोड़ क्रेडिट प्रदान कर 41,117 स्व सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण से जोड़ा। मार्च 2019 तक बैंक द्वारा कुल रू 11,234 वितरित कर ऋण से जुड़ने वाले स्वयं सहायता समूहों की संचयी संख्या 7,41,182 बढ़ी। **महिलाओं को ऋण प्रवाह** महिलाओं के लिए बैंक का उधार 31 मार्च 2019 तक 17, 290.08 करोड़ रुपये रहा, जो बैंक के समायोजित निवल बैंक उधार का 11.68% है। **प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाइ)** बैंक ने 48,49,392 बेसिक बचत बैंक जमा खातों को खोला है और इस योजना के तहत 31 मार्च 2019 तक 44,46,716 रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं। **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाइ)** वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंक ने रुपये 2288.18 करोड़ (97.37%) के लिए 1,76,475 ऋण की मंजूरी दे दी है और 31 मार्च 2019 तक 2350 करोड़ रुपये के मुकाबले 2227.70 करोड़ रुपये (94.80%) वितरित किया गया। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 261.34 करोड़ रुपये के 1209 ऋण मंजूर किए हैं। **अग्रणी बैंक योजना** बैंक को तमिलनाडु के 13 जिलों और केरल के एक जिले में लीड बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक** बैंक ने दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जैसे तमिलनाडु में पांडयन ग्राम बैंक और ओडिशा में ओडिशा ग्राम्य बैंक प्रायोजित किया है। पांडयन ग्राम बैंक तमिलनाडु के 16 जिलों में 339 शाखा का नेटवर्क और 1,394 कर्मचारियों की संख्या के साथ काम करता है। 31 मार्च 2019 तक आरआरबी के पास 97.71% की सीडी अनुपात के साथ 12,169 करोड़ रुपये का व्यापार मिश्रण था। ओडिशा ग्राम्य बैंक की ओडिशा के 13 जिलों में 549 शाखाओं और 2,365 कर्मचारियों की संख्या के नेटवर्क के साथ उपस्थिति है। 31 मार्च, 2019 तक, आरआरबी का कारोबार 43.22% सीडी अनुपात के साथ रुपये 16,179.12 करोड़ का कारोबार मिश्रण था।

3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof.	Yes. Bank has taken various initiatives for increasing its lending to weaker sections ie., Small and Marginal farmers, SCs, STs, OBCs, Women Beneficiaries, Minorities etc. including the following: **Priority Sector Credit** The average achievement of four quarters for the FY 2018-19 stood at Rs. 75,393 crores against the target of Rs. 58,751 crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 40% of ANBC by achieving 51.33% under Total Priority Sector advances. **Agriculture** The average achievement of four quarters for the FY 2018-19 stood at Rs. 31,048 crores against the target of Rs. 26,438 crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 18% of ANBC by achieving 21.14% under Agriculture advances. The Bank disbursed Rs. 31,605 crores under Special Agriculture Credit Plan (SACP) as against the target of Rs. 29,328 crores during the year. **Loans to Small and Marginal farmers** The average achievement of four quarters for the FY 2018-19 stood at Rs. 15,530 crores against the target of Rs.11,750 crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 8% of ANBC by achieving 10.57% under loans to Small/ Marginal farmers. **Loans to Non-Corporate farmers** The average achievement of four quarters for the FY 2018-19 stood at Rs. 22,532 crores against the target of Rs. 17,611 crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 11.99% of ANBC by achieving 15.34% under loans to Non-Corporate farmers. **Loans to Weaker Section** The average achievement of four quarters for the FY 2018-19 stood at Rs. 20,054 crores against the target of Rs. 14,688 crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 10% of ANBC by achieving 13.65% under loans to Weaker Section. **Micro Finance** During the year, the Bank credit-linked 41117 Self Help Groups (SHGs) with a credit outlay of Rs. 1,315 crores. The cumulative number of SHGs credit linked by the Bank is 7,41,182 with a total disbursement of Rs. 11234 crores as of March 2019. **Credit Flow to Women** Bank's credit to women stood at Rs. 17290.08 crores as of 31st March 2019 which constitutes 11.68% of the Bank's Adjusted Net Bank Credit. **Pradhan Mantri Jan dhan Yojana (PMJDY)** The Bank has opened 48,49,392 Basic Savings Bank Deposit Accounts and issued 44,46,716 RuPay Debit Cards till 31st March 2019 under this scheme. **Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)** Bank has sanctioned 1,76,475 loans amounting to Rs. 2288.18 crores (97.37%) and disbursed Rs. 2227.70 crores (94.80%) as on 31st March 2019 vis-à-vis target of Rs. 2,350 crore under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) during the Financial Year 2018-19. Further, Bank has sanctioned 1209 loans amounting to Rs.261.34 crores under Stand Up India Scheme during the FY 2018-19. **Lead Bank Scheme** The Bank has been assigned Lead Bank responsibility in 13 districts of Tamil Nadu and one district of Kerala. **Regional Rural Banks** Bank has sponsored two Regional Rural Banks viz., Pandyan Grama Bank in Tamil Nadu and Odisha Gramya Bank in Odisha. Pandyan Grama Bank operates in 16 districts of Tamil Nadu with a branch network of 339 and staff strength of 1,394. As on 31st March 2019 the RRB had a business mix of Rs.12,169 crores with a CD ratio of 97.71%. Odisha Gramya Bank has presence in 13 districts of Odisha with a network of 549 branches and staff strength of 2,365. As on March 31, 2019, the RRB had a business mix of Rs. 16,179.12 crores with a CD ratio of 43.22%.

	वित्तीय समावेशन बैंक ने गैर-बैंकिंग गांवों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 2,669 बैंक मित्र के माध्यम से स्मार्ट कार्ड बैंकिंग शुरू की है। **बैंक जनसुरक्षा योजनाओं के तहत** जैसे पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और पेंशन योजना के तहत अटल पेंशन योजनाओं में ग्राहकों को नामांकित कर रहा है। **आधार नामांकन केन्द्र** यूआइडीएआइ दिशानिर्देशों के अधीन बैंक ने अपने प्रशिक्षित एवं प्रमाणित स्टॉफ सदस्यों को शामिल करके एवं अपनी खुद की किट लगाकर आधार नामांकन केन्द्रों की स्थापना की है। **शक्ति - इंडियन ओवरसीज बैंक चिदंबरम चेट्टियार मेमोरियल ट्रस्ट** ने महिलाओं को चुनौतियों का सामना करने के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उद्यमशील विकास प्रशिक्षण प्रदान करना जारी रखा। वर्ष के दौरान, बैंक ने 116 लाभार्थियों को कवर करने वाले 5 कार्यक्रम आयोजित किए। बैंक ने अभी तक 100 कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिसमें 4,314 लाभार्थियों को शामिल किया गया है, जिनमें से 1,288 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं और 155 अल्पसंख्यक हैं। बैंक महिला एसएचजी, युवा एसएचजी, एक्स सर्विस मैन एसएचजी, शारीरिक रूप से विकलांग / दृष्टिहीन विकलांग आदि सहित एसएचजी को जोड़ने के लिए विशेष बल देता है।

सिद्धान्त 5 : व्यवसायों द्वारा मानव अधिकारों का सम्मान तथा प्रवर्तन होना चाहिए।

क्या मानव अधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह/ संयुक्त उद्यम/ आपूर्ति कर्ताओं/ ठेकेदारों/ गैर सरकारी संगठनों/ अन्य लोगों तक पहुंचती है ?	बैंक की नीतियां और प्रथाएं किसी भी दौड़, धर्म, वैवाहिक स्थिति लिंग, सामाजिक स्थितियां किसी अन्य आधार पर कानून के निषिद्ध आधार पर भेदभाव नहीं करती हैं। बैंक के सभी कार्यालयों / शाखाओं में अच्छे औद्योगिक संबंधों की निगरानी और रखरखाव हो सके तथा समय-समय पर अनुशासन को लागू करने, नीतियों का पालन आदि करने के संबंध में परिपत्र / दिशानिर्देशों को जारी किया जाता है। जब भी नियोक्ता और कर्मचारी और कर्मचारियों के बीच जहां भी विवाद उत्पन्न होता है, विभाग उचित रूप से सदस्यों के बीच समझौता/परामर्श द्वारा सुलझाता है या निपटारे की शर्तों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा नियम प्रभावित करता है जो औद्योगिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए हो। कर्मचारी सदस्यों के आईआर मामलों से संबंधित शिकायतों / मामलों के संबंध में जहां भी आवश्यक हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाने हेतु व बैंक के अनुशासन और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाए रखने के लिए गड़बड़ करने वाले सदस्यों के खिलाफ शुरू की गई थी। एचआरएमडी-आईआर अनुभाग में अनुशासन और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाए रखने, केंद्रीय कार्यालय ने यूनियनों / संघों के साथ सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से कर्मचारियों के शिकायतों का निवारण करने के लिए जो कि पंचाटाधीन स्टाफ के लिए पदोन्नति, स्थानांतरण, लाभ इत्यादि के संबंध में है मान्यता प्राप्त संघ के साथ समझौते में प्रवेश किया था। औद्योगिक संबंध पर्यावरण संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक के लिए सौहार्दपूर्ण और अनुकूल बने रहे। कर्मचारियों के मामलों के संबंध में वित्त मंत्रालय और भारत बैंक एसोसिएशन द्वारा जारी दिशानिर्देश हमारे कर्मचारियों के लाभ के लिए परिपत्र जारी करके त्वरित रूप से लागू किए गए हैं। औद्योगिक संबंध पर्यावरण संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक के लिए सौहार्दपूर्ण और अनुकूल बने रहे। कर्मचारियों के मामलों के संबंध में वित्त मंत्रालय और भारत बैंक एसोसिएशन द्वारा जारी दिशानिर्देश हमारे कर्मचारियों के लाभ के लिए परिपत्र जारी करके त्वरित रूप से लागू किए गए हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार तथा एचआरएमडी - आइआर के अंतर्गत व प्रशासनिक अनुभाग कार्यालयों (केन्द्रीय, अंचल तथा क्षेत्रीय कार्यालयों) में आंतरिक शिकायत समितियां गठित की गई हैं। समितियों की संस्तुति के अनुसार शिकायत के निवारण हेतु उचित कार्रवाई की जाती है।
2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें मिली हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत को संतोषजनक ढंग से हल किया गया था?	वर्ष 2018-19 के दौरान कर्मचारियों की शिकायतों का विवरण निम्नवत है : 31.03.2018 तक लंबित शिकायतें - 01 वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त शिकायतें - 10 वर्ष 2018-19 तक निपटाई गई शिकायतें - 09 31.03.2019 तक लंबित शिकायतें - 02

	Financial Inclusion Bank has engaged 2,669 Business Correspondents as per the guidelines of Reserve Bank of India for providing banking facilities in un-banked villages. The Bank is enrolling customers under **Jansuraksha schemes** like PMJJBY, PMSBY and Pension schemes like Atal Pension Yojana. **Aadhaar Enrollment Centres** Subject to the UIDAI guidelines, the Bank has established Aadhaar Enrollment Centres by engaging our trained and certified staff members and by deploying our own kits. **Sakthi - Indian Overseas Bank Chidambaram Chettyar Memorial Trust** The Trust continued to provide Entrepreneurial Development Training to women to empower them socially and financially to meet the challenges. During the year, the Bank conducted 5 EDP programmes covering 116 beneficiaries. The Bank has so far conducted 100 EDP programmes covering 4,314 beneficiaries of which 1,288 belong to SC/ST and 155 belong to minority. Bank lays special emphasis for credit linking Women SHGs, youth SHGs, SHGs of Ex-Service men, SHGs comprising of physically handicapped/ visually impaired etc.

Principle 5 : Businesses should respect and promote human rights

1 .Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/ suppliers/Contractors/ NGOs/Others?	The Bank's policies and practices do not discriminate on the basis of race, religion, marital status, gender, social status or any other basis prohibited by law. In order to monitor and maintain good industrial relations climate in all offices/ Branches of the Bank, circulars/ guidelines are issued from time to time regarding enforcement of discipline, policies to be followed, etc. Wherever dispute arises between the Employer & Employee and among Employees, the department amicably settles by conciliation/counseling members or initiates disciplinary proceedings, if required, according to the terms of the settlement and regulations in force to maintain industrial harmony. With regard to complaints/matters pertaining to IR matters committed by staff members, disciplinary action, wherever necessary, had been initiated against erring members to maintain discipline and harmonious industrial relations in the Bank. HRMD-IR Section, Central Office had entered into settlement with the recognized union for award staff regarding promotion, transfer, benefits, etc. to redress the grievances of employees/Officers through collective bargaining with Unions/ Associations. The industrial relations environment for the Bank remained cordial and conducive for achieving organization's objectives. The guidelines issued by the Ministry of Finance and Indian Banks Association with regard to staff matters are implemented expeditiously by issuing circulars for the benefit of our employees. Internal complaints committees were constituted at all Administrative offices (Central, Zonal & Regional Office) under the instruction of HRMD-IR Section, as per the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. As per the recommendation of the Committees, appropriate action has been taken to redress the grievances.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	The following are the details of employee complaints during the year 2018 – 2019: Complaints pending as on 31.03.2018 - 01 Complaints received during 2018-19 - 10 Complaints disposed during 2018-19 - 09 Complaints pending as on 31.03.2019 - 02

सिद्धान्त 6 : व्यवसाय को चहिए की वह पर्यावरण का ख्याल रखें वह उसका संरक्षण करे एवं उसकी बहाली के लिए कोशिश करे

सिद्धांत 6 केवल कंपनी को कवर करता है या समूह/ संयुक्त उद्यम प्रदायक/ ठेकेदार/ गैर सरकार संगठनों/ अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपायों तक विस्तारित करता है	लागू नहीं
क्या कंपनी ने पर्यावरण को संबोधित करने के लिए रणनीतियों की पहल शुरू की है जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि हां/ नहीं यदि हां, तो कृपया वेबपृष्ठ इत्यादि पर हाईपरलिंक दें।	बैंक ने पर्यावरण की रक्षा और प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं : राष्ट्रीय लक्ष्यों और सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के संदर्भ में, बैंक सामाजिक आधारभूत संरचना (स्कूल, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, पेयजल सुविधाओं, घर सहित स्वच्छता सुविधाओं जैसे क्षेत्रों के संपर्क में वृद्धि, जल स्तर में सुधार करने का प्रयास करता है।) और नवीकरणीय ऊर्जा, यानी.. सौर आधारित बिजली जेनरेटर, पवन मिलों, सूक्ष्म जल संयंत्रों और गैर-पारंपरिक ऊर्जा आधारित सार्वजनिक उपयोगिताओं, जैसे सड़क प्रकाश प्रणालियों और दूरस्थ गांव विद्युतीकरण के प्रयोजनों के लिए। बैंक अपने परिसर में हरियाली बढ़ाने हेतु भी कदम उठा रहा है। <u>पेपर की खपत को कम करने के उपाय:</u> हरित पहल के रूप में बैंक पेपरलेस बैंकिंग की ओर बढ़ रहा है जो कि लागत के साथ - साथ समय को भी कम करेगा। हाल ही में एक अनूठा उत्पाद जो चेक / कैश के माध्यम से संग्रह के बजाय आइओबी पे के माध्यम से शिक्षण संस्थानों और अन्य संगठनों से संग्रहण कर सकता है लागू किया गया है। एटीएम डेबिट कार्ड के लिए ग्रीन पिन भी समर्थ किया गया है। बैंक के पास बिजनेस इंटेलीजेंस सूट है जो इंटरैक्टिव डैश बोर्ड, अलर्ट, एनालिटिक्स इत्यादि देता है। 12 वर्षों से संबंधित डाटा और बड़ी मात्रा में पुराने डेटा को सुरक्षित स्टोर करने के लिए स्थापित प्रणाली को बनाया गया है। इसके लिए निम्नलिखित पहल भी की गई है : • नकद के जमा और निकासी के लिए नकद पुनर्चक्रण का उपयोग किया गया है। • पीओएस मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। •एम-पासबुक के उपयोग को बढ़ावा देना। •ई-लेनदेन के हिस्सेदारी को बढ़ावा देना। •बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एवं अन्य ई-चैनल के उपयोग को बढ़ावा देना। •भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस), ऑनलाइन ग्राहकों के लिए एक भुगतान प्रणाली लॉन्च की गई है। •डिजिटल पहल जैसे कि ''आइओबी पे'' एंड्राइड फोन के लिए व्यापक मोबाइल एप ''आइओबी पे'' एक एकीकृत ऑनलाइन भुगतान गेटवे प्लेटफार्म, भारत इंटर फेस फॉर मनी (भीम) आदि को केवल मोबाइल नंबर तथा भुगतान के पते द्वारा बैंक से बैंक को सीधे भुगतान करने हेतु लांच किया गया है। भीम आईओबीयूपीआई हमारे बैंक द्वारा लॉन्च किया गया एप्लिकेशन है जिससे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके भुगतान किया जाता है। 31.03.2019 तक 30 लाख ग्राहकों को इस मंच पर और भीम एप पर 4.81 लाख उपयोगकर्ताओं पर लाया गया है। •डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के उपयोग को बढ़ावा देना। बैंक ने सफलतापूर्वक 44.56 लाख मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड को ईएमवी चिप कार्ड में परवर्तित कर दिया है। 31.03.2019 तक बैंक का वर्तमान डेबिट कार्ड आधार 164.69 लाख है। •**आरटीजीएस / एनईएफटी:** शाखाओं और इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को अधिक कॉर्पोरेट ग्राहकों को आकर्षित करने और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनलों के प्रभावी ढंग से उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत एनईएफटी और आरटीजीएस सुविधाएं दी गईं। •प्रतियां प्रिंट करने की बजाय बैंक की इंट्रानेट वेबसाइट पर परिपत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। •हार्ड कॉपी भेजने के बजाय ज़ोन / क्षेत्र आदि को ई-मेल भेजना। •कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे ईमेल से प्रिंट न करें जब तक कि यह बहुत जरूरी नहीं हो। •विक्रेताओं को भुगतान ई-भुगतान मोड के माध्यम से किया जाता है।
3.क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करती है ?	हाँ
4. क्या कंपनी के पास स्पष्ट विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि ऐसा है तो इसके बारे में 50 शब्द या उससे भी अधिक विवरण प्रदान करें। इसके अलावा, यदि हां, किसी भी पर्यावरण अनुपालन दायर किया?	लागू नहीं

Principle 6 : Business should respect, protect and make efforts to restore the environment.

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ others.	NA
2. Does the Company have strategies/initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. if yes, please give hyperlink for webpage etc	Bank has initiated certain important measures to protect the environment and prevent pollution : In terms of national goals and socio-economic objectives, Bank endeavors to increase exposure to sectors such as social infrastructure (schools, health care facilities, drinking water facilities, sanitation facilities including house hold water level improvement) and renewable energy, ie., for purposes such as solar based power generators, wind mills, micro hydel plants and for non-conventional energy based public utilities, viz., street lighting systems and remote village electrification. The Bank is also taking steps to increase green cover in Bank's premises. Measures to reduce consumption of paper: As a part of Green Initiative, the Bank is moving towards paperless banking, which will reduce the cost as well as save time. Recently a unique product which can offer customised collections from educational institutions and other organisations through IOB PAY instead of collections through Cheque/Cash has been implemented. Green PIN for ATM debit cards has also been enabled. The Bank has a Business Intelligence Suite which gives interactive Dash Boards, alerts, analytics etc. System is established to store huge amount of historical data and data relating to 12 years has been warehoused. The following initiatives have also been taken : • Use of cash recyclers for deposit and withdrawal of cash • Promoting use of POS machines • Promoting use of M-Passbooks • Increasing share of e-transactions • Promoting use of Internet Banking, Mobile Banking, UPI and other e-channels • Bharat Bill Payment System (BBPS), an integrated bill payment system for customers online has been launched • Digital initiatives such as "IOB Pay" – an integrated online payment gateway platform, Bharat Interface for Money (BHIM) has been launched to make direct bank to bank payments instantly and collect money using just mobile number or payment address. BHIM IOBUPI is the application launched by our Bank using Unified Payment Interface. As on 31.03.2019, 30 lakh customers have been on boarded on this platform and 4.81 lakh users on BHIM. • Promoting use of Debit Cards and Credit Cards. Bank has successfully migrated 44.56 lakh magnetic stripe cards to EMV chip cards. Present Debit Card base of the Bank as on 31.03.2019 is 164.69 lakhs. • **RTGS/NEFT:** BULK NEFT and RTGS facilities were given to branches and Internet banking customers to attract more corporate customers and promote usage of electronic payment channels effectively. • Circulars are made available on the Bank's intranet website instead of printing copies. • Sending e-mails to Zones/Regions etc instead of sending hard copies. • Employees are encouraged not to take print out of emails unless it is absolutely essential • Payment to vendors is made through e-payment mode
3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N	Yes
4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance is filed?	Not applicable.

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी ऊर्जा दक्षता, नवीनीकरण ऊर्जा इत्यादि पर अन्य पहल की है।हा/नहीं यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए जी हाइपरलिंक दें।	जी हां, कुछ पहल की गई हैं जो कि निम्न हैंः अ- ऊर्जा कुशल एलईडी लाइट जो स्थिर हो को बैंक में लाया गया है। आ-हमारे परिसर में ऊर्जा बचाने के लिए 5 स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इ - पतले मॉनिटर लगाए गए हैं। ई- स्टाफ सदस्यों को जब भी प्रयोग में न हो तब विद्युतीय उपकरणों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। जहां तर संभव हो बैंक उच्च स्तरीय ईको फ्रेंडली तकनीकी का प्रयोग कर रहा है।
6. वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के भीतर कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन / अपशिष्ट क्या हैं ?	लागू नहीं
7. वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त शो के कारण / कानूनी नोटिस की संख्या जो लंबित है (यानी संतोष का समाधान नहीं)	शून्य

सिद्धान्त 7- व्यवसाय जब लोगों व विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगा रहता है तो उसे यह काम जिम्मेदारीपूर्वक करना चाहिए

1. क्या आपकी कंपनी किसी जिम्मेदार तरीके से व्यापार और कक्ष या एसोसिएशन में किसी भी बैंकी का सदस्य है? कि आपका व्यवसाय इस बात से संबंधित हैः यदि हां, केवल उन प्रमुख लोगों को नाम दें क्या आपने वकालत के लिए उपरोक्त संगठनों के माध्यम से या लॉकबॉइड की वकालत की	बैंक निम्नलिखित का सदस्य/ संबंधित है ः 1. इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) 2. भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआरबीएफ) 3. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) 4. राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम) 5. भारतीय वाणिज्य मंडल और उद्योग संघ (एफआईसीसी) 6. सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग (सीएएफआरएएल) 7. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) 8. भारतीय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीसीआई) 9. भारत के वाणिज्य और उद्योग के एसोसिएटेड चैंबर (एसोचैम) 10. स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग परिचालन सेमिनार (एसआईबीओएस)
2. क्या आपने सार्वजनिक अच्छे सुधार के लिए उपरोक्त संगठनों के माध्यम से लॉबबिड की वकालत की है? हां / नहीं यदि हां व्यापक क्षेत्रों को निर्दिष्ट करता है (ड्रॉप बॉक्सः शासन और प्रशासन। सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार प्रिंसिपल अन्य प्रगति अथवा आर्थिक सुधार)	समय समय पर बैंक ने बैंकिंग उद्योग से संबंधित मामलों पर नीति निर्माताओं और नीति बनाने वाले संगठनों को सुझाव और योगदान दिया है।

सिद्धांत 8 व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास का समर्थन करना चाहिए।

1. क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण परियोजनाओं को / पहलों में कार्यक्रम निर्दिष्ट किया है यदि हां इसका विवरण है	**वित्तीय समावेशन** बैंक ने गैर-बैंक वाले गांवों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार 2,669 बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स को शामिल किया है। यह बताना उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु सरकार के साथ समन्वय में, आइओबी ने लगभग 2.99 लाख वृद्धावस्था पेंशनधारियों को उनकी मासिक पेंशन लेने में सक्षम किया है और लगभग 0.25 लाख श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को 61 शिविरों में मासिक निर्वाह दान प्राप्त करने हेतु सक्षम किया है। वित्त मंत्रालय , भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने सक्षम संवाददाता भुगतान प्रणाली (एईपीएस) ऑन - यूएस और ऑफ - यूएस लेनदेन को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैंड हेल्ड डिवाइसेस में सक्षम किया। 31 मार्च 2019 तक, व्यवसाय संवाददाताओं द्वारा 5,50,06,602 एईपीएस ऑन यूएस और ऑफ - यूएस लेनदेन किए गए। **प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)ः** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों अनुसार बैंक ने पीएमजेडीवाई का कार्यान्वयन किया है। इस योजना को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। 31 मार्च 2019 तक बैंक ने कुल 48,49,392 बेसिक बचत खाते खोल जिसमें 44,46,716 रूपे डेबिट कार्ड जारी किए गए। **जनसुरक्षा योजनाएँ** बैंक जनसुरक्षा योजना के तहत जैसे पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई तथा पेंशन योजना जैसे अटल पेंशन योजना आदि में ग्राहकों का नामांकन कर रही है। जनसुरक्षा योजना को प्रधानमंत्री द्वारा 1 जून 2015 को शुरू किया गया था।

5. Has the company undertaken any other initiative on clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc	Yes. Some of the initiatives taken are as follows: a. Energy efficient LED light fixtures have been introduced in the Bank b. 5 Star rated electrical equipments are used to save energy at all our premises. c. Thin Monitors are introduced. d. Staff are sensitized to switch off electrical gadgets / appliances when not in use As far as possible, the bank is using high-end eco-friendly technology.
6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	Not applicable.
7.Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending(i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year	NIL

Principle 7 : Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:	Bank is a member/ associated with the following: 1. Indian Banks Association (IBA) 2. Indian Institute of Banking & Finance (IIFB) 3. Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) 4. National Institute of Bank Management (NIBM) 5. Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) 6. Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL) 7. National Payments Corporation of India (NPCI) 8. The Clearing Corporation of India Ltd (CCI) 9. The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) 10. Swift International Banking Operations Seminar (SIBOS)
2. Have you advocated /lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration. Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others).	The Bank from time to time has given suggestions / contribution to policymakers and policy-making associations on matters relating to banking industry.

Principle 8 : Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof	**Financial Inclusion** Bank has engaged 2,669 Business Correspondents as per the guidelines of Reserve Bank of India for providing Banking facilities in un-banked villages. It is noteworthy to state that in co-ordination with Government of Tamil Nadu, IOB has been enabling about 2.99 lakh old age pensioners to get their monthly pension and about 0.25 lakh Sri Lankan Tamil Refugees in 61 camps to obtain their monthly dole. As per the guidelines from MoF, GOI, the Bank enabled Aadhar Enabled Payment System (AEPS) ON-US and OFF-US Transactions in Business Correspondent Hand Held Devices. As on 31st March 2019, 5,50,06,602 AEPS ON-US and OFF-US transactions were carried out by Business Correspondents. **Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY):** The Bank is implementing PMJDY as per the directives of Ministry of Finance, Govt. of India. The Scheme was announced by the Prime Minister of India on 15th August 2014. The Bank has opened 48,49,392 Basic Savings Bank Deposit Accounts and issued 44,46,716 RuPay Debit Cards till 31st March 2019 under this scheme. **Jansuraksha Schemes** The Bank is enrolling customers under Jansuraksha schemes like PMJJBY, PMSBY and Pension schemes like Atal Pension Yojana. The Jansuraksha Schemes were launched by the Prime Minister of India on 1st June 2015.

2. क्या कार्यक्रम/प्रोजेक्ट को इन हाउस टीम /स्वयं की संस्थान / बाहरी एनजीओ / शासकीय संरचना /अन्य कोई संगठन के माध्यम से की जाती है ?	वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को इन - हाउस टीम के माध्यम से तथा बैंक द्वारा लगाए गए व्यापार संवाददाताओं के माध्यम से साथ किया जाता है।			
3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है ?	**योजनाएँ**	**01.04.2018 तक नामांकन की स्थिति**	**2018-19 के दौरान नामांकन की स्थिति**	**31.03.2019 के दौरान नामांकन की स्थिति**
	पी एम जे जे बी वाई	8,89,777	1,29,722	10,19,499
	पी एम एस बी वाई	27,73,384	2,74,760	30,48,144
	कुल	36,63,161	4,04,482	40,67,643
4.आपकी कंपनी की प्रत्यक्ष एनआईटी योगदान विकास परियोजनाएं क्या हैं - आईएनआर में राशि और समुदाय की परियोजनाओं के विवरण।	शून्य			
5.क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस समुदाय विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया नहीं गया है? कृपया 50 शब्दों में बताएं, या तो।	लागू नहीं			

सिद्धान्त 9ः अपने ग्राहक और उपभोक्ता को व्यवसाय जिम्मेदार तथा मूल्यवान तरीके से मूल्य प्रदान करना चाहिए।

I. वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित ग्राहक शिकायतों का प्रतिशत क्या है?	4.37%
2. क्या कंपनी कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य है, उत्पाद प्रयोगशाला पर उत्पाद की जानकारी नहीं दिखाती है? हा/नहीं (अतिरिक्त जानकारी)	लागू नहीं
3. क्या कंपनी के खिलाफ अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर जिम्मेदार विज्ञापन और विरोधी के संबंध में कंपनी के द्वारा दायर कोई मामला है ?	शून्य
4. क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वे / उपभोक्ता संतुष्टि रुझान को अंजाम दिया है?	ग्राहक संतुष्टि सर्वे को ग्राहक सेवा शाखाओं में आयोजित की जानेवाली बैठकों के माध्यम से आयोजित किया जाता है।

<table>
<tr><td>2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/ external NGO/government structures/any other organization?</td><td colspan="4">The Financial Inclusion programme has been undertaken through in-house team as well as Business Correspondents engaged by the Bank.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3. Have you done any impact assessment of your initiative?</td><td>Schemes</td><td>Status of enrolment as on 1.04.2018</td><td>Status of Enrolment during the year 2018-19</td><td>Status of enrolment as on 31.03.2019 (Cumulative)</td></tr>
<tr><td>PMJJBY</td><td>8,89,777</td><td>1,29,722</td><td>10,19,499</td></tr>
<tr><td>PMSBY</td><td>27,73,384</td><td>2,74,760</td><td>30,48,144</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>36,63,161</td><td>4,04,482</td><td>40,67,643</td></tr>
<tr><td>4. What is your company’s direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken</td><td colspan="4">Nil</td></tr>
<tr><td>5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.</td><td colspan="4">Not applicable</td></tr>
</table>

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

1. What percentage of customer complaints are pending as on the end of financial year	4.37%
2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/ No./N.A/Remarks(additional information)	Not applicable
3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so	Nil
4. Did your company carry out any consumer survey/consumer satisfaction trends?	Customer satisfaction survey is conducted through the customer service meetings organized at branches periodically.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक लाभांश वितरण नीति

I. नीति की आवश्यकता और उद्देश्य :

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 08 जुलाई 2016 को सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनिमय, 2015 (एलओडीआर) में विविमय 43ए अंतर्निविष्ट किया है, जिसे लाभांश वितरण नीति तैयार करने के लिए बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष पांच सौ सूचीबद्ध संस्थाओं की आवश्यकता होती है, (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को संगणित), जो उनकी वार्षिक रिपोर्टों और उनकी वेबसाइटों पर प्रकट की जाएगी। लाभांश वितरण नीति में निम्नलिखित पैरामीटर शामिल होंगे :

(ए) परिस्थितियां जिनके अंतर्गत सूचीबद्ध संस्थाओं के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नही कर सकते।

(बी) वित्तीय पैरामीटर जिन पर लाभांश घोषित करते समय विचार किया जा सकता है ;

(सी) आंतरिक और बाह्य कारक जिन्हें लाभांश की घोषणा करने के लिए विचार जा सकता है;

(डी) नीति जिसके तहत धारित आय को कैसे उपयोग में लाया जाए; और

(इ) पैरामीटर जो शेयरों के विभिन्न वर्गों के संबंध में अपनाए जाएंगेः

बशर्तें कि सूचीबद्ध इकाई क्लॉज (ए) से (ई) के अतिरिक्त पैरामीटर के आधार पर लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव रखती है या ऐसे पैरामीटर में शामिल ऐसे अतिरिक्त पैरामीटर या लाभांश वितरण नीति को बदलने का प्रस्ताव करती है, तो तर्क के साथ ऐसे प्रकटों को अपने वार्षिक रिपोर्ट और वेबसाइट पर खुलासा करेगी।

सेबी (एलओडीआर) विनिमय के विनिमय 43ए के संबंध में, लाभांश वितरण नीति बनाना हमारे बैंक के लिए अनिवार्य है, जैसा कि बाज़ार पूँजीकरण के संबंध में दिनांक 31 मार्च 2016 को हमारा बैंक शीर्ष 500 सौ सूचीबद्ध संस्थाओं के अंतर्गत आता है और तदनुसार हमारा शेयर बीएसइ और एनएसइ लिमिटेड में सूचीबद्ध है, निम्नलिखित ''लाभांश वितरण नीति'' बनाई गई है जिसे बैंक निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और अंगीकृत किया है।

हमारा बैंक, एक नवीन बैंक के रुप में हैं, जिसे बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1970 के उपक्रमों का अंतरण अधिग्रहण व प्रावधानों के तह्त गठित किया गया है, जो लाभांश भुगतान के संबंध में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है।

II. परिभाषाः

ए) लाभांश	लाभांश में अंतरिम लाभांश शामिल है। सामान्य प्रावृत्ति में, 'लाभांश' का मतलब बैंक का लाभ है, जिसे कारोबार में नही रखा जाता है और शेयरधारकों के बीच उनके द्वारा धारित शेयर के लिए भुगतान किए गए राशि के अनुपात में वितरित किया जाता है।
बी) सीआरएआर	यह बैंक पूँजी का अपने परिसंपत्ति भारित जोखिम का अनुपात है।
सी) लाभांश देय अनुपात	'लाभांश देय अनुपात' 'वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ' के लिए एक वर्ष (लाभांश कर को छोड़कर) में देय लाभांश के प्रतिशत के रूप में गणना की जाती है।
डी) बोर्ड	'बोर्ड' का मतलब निदेशक मंडल जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित है।

(III) नीतिः

1. नीति को **''आइओबीलाभांश नीति''** के नाम से जाना जाएगा।

2. लाभांश वितरण के संबंध में सामान्य नियम :

बैंक का इरादा शेयरधारकों को बैंक का लाभ देकर परितोषिक देना है, तथापि यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि बरकरार रखी जाती है। आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा घोषणा के लिए और बैंक के वित्तीय प्रदर्शन, भविष्य की योजनाओं, आंतरिक व बाह्य कारक, वैधानिक प्रतिबंध इत्यादि को ध्यान में रखकर प्रत्येक वर्ष के लिए लाभांश बोर्ड द्वारा भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत अपने विवेकाधिकार पर सिफारिश की जाएगी। बोर्ड अपने विवेकाधिकार पर अंतरिम लाभांश घोषित कर सकता है।

3. लाभांश की घोषणा के लिए पात्रता मानदंड;

दिनांक 04 मई 2005 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक लाभांश घोषित करने के लिए तभी पात्र होगा, जब यह निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है;

i. बैंक के पास होना चाहिए :

- कम से कम सीआरएआर 9% पिछले दो पूर्ण वर्ष के लिए और लेखांकन वर्ष जिसके लिए यह लाभांश घोषणा करने के लिए प्रस्ताव करता है।
- निवल एनपीए 7% से कम होना चाहिए।

यदि बैंक उपरोक्त सीआरएआर मानदंड को पूरा नहीं करता है, लेकिन लेखांकन वर्ष के लिए कम से कम 9% का सीआरएआर है जिसके लिए यह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करता है, तो यह लाभांश घोषित करने के योग्य होगा, बशर्ते इसका नेट एनपीए 5% से कम हो।

ii. बैंक धारा 15 के प्रावधानों (जो लाभांश के भुगतान को तब तक प्रतिबंधित करता है जब तक सभी पूंजीकृत व्यय निसरित नही किए गए हैं) और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 (जो सांविधिक आरक्षित निधि के लाभ को निर्दिष्ट हिस्से के हस्तांतरण को निर्धारित करता है) का पालन करेगा।

iii. बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मौजूदा नियमों / दिशानिर्देशों का पालन करेगा जिसमें परिसंपत्तियों और कर्मचारियों सेवानिवृत्ति लाभों की कमी के लिए पर्याप्त प्रावधान, सांविधिक रिज़र्व को लाभ अंतरण शामिल है।

iv. प्रस्तावित लाभांश चालू वर्ष के लाभ से देय होना चाहिए।

v. लाभांश की घोषणा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगा होना चाहिए।

यदि कोई बैंक उपर्युक्त पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो रिजर्व बैंक से कोई विशेष छूट उपलब्ध नहीं होगी।

4. देय लाभांश की मात्रा :

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशः बैंक, यदि यह उपरोक्त अनुच्छेद संख्या 3 में निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करता है, तो निम्नलिखित के अधीन लाभांश की घोषणा और भुगतान कर सकता हैः

i. लाभांश भुगतान अनुपात 40% से अधिक नहीं होना चाहिए और अनुलग्नक 1 में दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार होना चाहिए।

ii. यदि प्रासंगिक अवधि के लाभ में कोई अतिरिक्त सामान्य लाभ / आय शामिल है, तो विवेकपूर्ण भुगतान अनुपात के अनुपालन के लिए ऐसे अतिरिक्त सामानों को छोड़कर भुगतान अनुपात की गणना की जाएगी।

iii. वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरण जिनके लिए बैंक लाभांश घोषित कर रहा है, वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी योग्यता से मुक्त होना चाहिए, जिसके दौरान उस वर्ष लाभ पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उस प्रभाव के लिए किसी भी योग्यता के मामले में, लाभांश भुगतान अनुपात की गणना करते समय शुद्ध लाभ उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।

iv. बेसल- III अनुरूप बांड पर ब्याज की अदायगी न करने या सीसीबी सहित बेसल- III सीआरएआर अनुपात की गैर-उपलब्धि के मामले में, आरबीआई ने इस उद्देश्य के लिए जारी किए गए बेसल III कैपिटल रेगुलेशन पर मास्टर सर्कुलर में लाभांश पर प्रतिबंध लगाता है।

IOB DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

I. NEED AND OBJECTIVE OF THE POLICY:

Securities and Exchange Board of India (SEBI) has on July 08, 2016, inserted Regulation 43A in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), which requires the top five hundred listed entities based on Market Capitalization, (calculated as on March 31 of every financial year), to formulate a Dividend Distribution Policy which shall be disclosed in their annual reports and on their websites. The Dividend Distribution Policy shall include the following parameters:

(a) the circumstances under which the shareholders of the listed entities may or may not expect dividend;

(b) the financial parameters that shall be considered while declaring dividend;

(c) internal and external factors that shall be considered for declaration of dividend;

(d) policy as to how the retained earnings shall be utilized; and

(e) parameters that shall be adopted with regard to various classes of shares:

Provided that if the listed entity proposes to declare dividend on the basis of parameters in addition to clauses (a) to (e) or proposes to change such additional parameters or the dividend distribution policy contained in any of the parameters, it shall disclose such changes along with the rationale for the same in its annual report and on its website.

In terms of Regulation 43A of SEBI (LODR) Regulations, it is mandatory for our Bank to frame the Dividend Distribution Policy, as our Bank falls within the top 500 listed entities as on March 31, 2016 in terms of Market Capitalization and our shares are listed in BSE & NSE Limited. Accordingly, the following 'Dividend Distribution Policy' has been framed and been approved and adopted by the Board of Directors of the Bank.

Our Bank, being a corresponding new bank, formed under the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, is following the guidelines of Reserve Bank of India (RBI) and Government of India in respect of dividend payments.

II. DEFINITIONS:

a) Dividend	Dividend includes interim dividend. In common parlance, 'Dividend' means the profit of the Bank, which is not retained in the business and is distributed among the shareholders in proportion to the amount paid up on the shares held by them.
b) CRAR	It is the ratio of the Bank's capital to its risk weighted assets.
c) Dividend Payout Ratio	'Dividend Payout Ratio' is calculated as a percentage of 'dividend payable in a year (excluding dividend tax) to 'net profit during the year'.
d) Board	'Board' means Board of Directors of the Bank constituted in terms of Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

III. POLICY:

1. The Policy will be called as **"IOB Dividend Distribution Policy."**

2. General Principles of the Bank regarding distribution of dividend:

The intent of the Bank is to reward the shareholders of the Bank by sharing a portion of the profits, whilst also ensuring that sufficient funds are retained for growth of the Bank. The dividend for each year would be recommended by the Board at its discretion within the set guidelines of Government and Reserve Bank of India and after taking into account the financial performance of the Bank, its future plans, internal and external factors, statutory restrictions etc. for declaration by the shareholders in general meeting. The Board may also declare interim dividend at its discretion.

3. Eligibility Criteria for declaration of dividend:

As per the guidelines dated May 04, 2005 issued by Reserve Bank of India, Bank will be eligible to declare dividends only when it complies with the following minimum prudential requirements;

i. The Bank should have:

- CRAR of at least 9% for preceding two completed years and the accounting year for which it proposes to declare dividend.
- Net NPA less than 7%.

In case the Bank does not meet the above CRAR norm, but is having a CRAR of at least 9% for the accounting year for which it proposes to declare dividend, it would be eligible to declare dividend provided its Net NPA is less than 5%.

ii. The Bank shall comply with the provisions of Sections 15 (which prohibits payment of dividend until all capitalized expenses have been written off) and Section 17 (which stipulates transfer of specified portion of profit to statutory reserve fund) of the Banking Regulation Act, 1949.

iii. The Bank shall comply with the prevailing regulations / guidelines issued by RBI, including creating adequate provisions for impairment of assets and staff retirement benefits, transfer of profits to Statutory Reserves etc.

iv. The proposed dividend should be payable out of the current year's profit.

v. The Reserve Bank of India should not have placed any explicit restrictions on the Bank for declaration of dividends.

In case any bank does not meet the above eligibility criteria no special dispensation shall be available from the Reserve Bank.

4. Quantum of dividend payable:

A. RBI guidelines: The Bank, if it fulfills the eligibility criteria set out at paragraph No.3 above, may declare and pay dividends subject to the following:

i. The dividend payout ratio shall not exceed 40% and shall be as per the matrix furnished in Annexure 1.

ii. In case the profit for the relevant period includes any extra-ordinary profits / income, the payout ratio shall be computed after excluding such extra-ordinary items for reckoning compliance with the prudential payout ratio.

iii. The financial statements pertaining to the financial year for which the Bank is declaring a dividend should be free of any qualifications by the statutory auditors, which have an adverse bearing on the profit during that year. In case of any qualification to that effect, the net profit should be suitably adjusted while computing the dividend payout ratio.

iv. In case of nonpayment of interest on Basel-III compliant bonds or non-achievement of the Basel-III CRAR ratio including CCB, RBI puts restrictions on the dividend in the Master Circular on Basel III Capital Regulations issued for this purpose.

बी. भारत सरकार का दिशानिर्देश :

भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को अपनी इक्विटी (यानी प्रदत्त पूंजी) का 20% न्यूनतम या कर पश्चात लाभ का 20% जो भी अधिक हो, लाभांश देना होगा। यदि, कोई भी बैंक अंतरिम लाभांश का भुगतान करने का फैसला करता है, तो वार्षिक परिणामों के आधार पर बैंक द्वारा भुगतान किए जाने वाले कुल लाभांश उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिए।

5. आंतरिक और बाहरी कारक :

बैंक का लाभांश भुगतान निर्णय कुछ बाहरी करकों पर भी निर्भर करता है जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, वैधानिक और विनियामक प्रावधान, कर नियम इत्यादि, जैसा कि लाभांश की घोषणा के समय लागू हो सकता है । उपरोक्त बाह्य कारकों के अलावा, बोर्ड अन्य आंतरिक कारको को ध्यान में रखता है जैसे कि व्यापार विकास योजनाएं, भविष्य की पूंजी आवश्यकताएं, पूंजीगत संपत्तियों के प्रतिस्थापन इत्यादि। लाभांश के संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

6. अर्जित आय का उपयोग :

अर्जित आय का उपयोग मुख्य रूप से बैंक की विकास योजनाओं के उद्देश्य के लिए और अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए जो भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा समय-सम्य पर जारी किए जाते हैं, के लिए उपयोग की जाएगी।

7. शेयरों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधानः

वर्तमान में बैंक के पास केवल एक शेयर वर्ग अर्थात् इक्विटी शेयर है। भविष्य में किसी भी अन्य वर्ग के शेयर जारी करने के मामले में, पैरामीटर उचित समय पर बैंक द्वारा उचित रूप से तय किए जाएंगे।

8. लाभांश वितरण प्रणालीः

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार, बैंक लाभांश के भुगतान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित भुगतान सुविधा के किसी भी ओलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करेगा। जहाँ भी इलेक्ट्रोनिक भुगतान मोड का उपयोग संभव नही होने पर, जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधि का उपयोग करना संभव नहीं है, तब 'सममूल्य पर देय' वारंट या डिमांड ड्राफ्ट पात्र शेयरधारकों को जारी किए जाएंगे।

9. प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग :

क) पॉलिसी को बैंक के वेबसाइट पर प्रकट किया जाएगा और वार्षिक रिपोर्ट में वेब लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

ख) बैंक आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार आरबीआई को लेखांकन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के विवरण की रिपोर्ट करेगा।

ग) बैंक प्रति शेयर आधार पर लाभांश घोषित और खुलासा करेगा जैसा कि सेबी(एलओडीआर) विनियमों के तहत निर्दिष्ट है।

10. नीति की वैधता एवं समीक्षा

विनियामक प्राधिकरणों द्वारा संशोधन तक पॉलिसी लागू नही होगी। पॉलिसी और नियामक दिशानिर्देशों के बीच किसी भी विसंगति या असंगतता की स्थिति में, नियामक दिशानिर्देश प्रभावी होंगे।

बोर्ड वार्षिक आधार पर नीति की समीक्षा / नवीनीकरण करेगा और यदि आवश्यक हो तो समय-समय पर नीति में संशोधन कर सकता है।

****

अनुलग्नक- 1

लाभांश देय अनुपात की अधिकतम अनुमत सीमा के लिए मानदंड का मैट्रिक्स

प्रवर्ग	सीआरएआर	निवल एनपीए अनुपात			
		शून्य	शून्य से अधिक लेकिन 3% से कम	3% से अधिक और 5% से कम	5%से अधिक और 7% से कम
		लाभांश देय अनुपात की सीमा			
A	पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के लिए 11% या अधिक	40 तक	35 तक	25 तक	15 तक
B	पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के लिए 10% या अधिक	35 तक	30 तक	20 तक	10 तक
C	पिछले प्रत्येक तीन वर्ष केलिए 09% या अधिक	30 तक	25 तक	15 तक	5 तक
D	वर्तमान वर्ष में 9% या अधिक	10 तक		5 तक	शून्य

B. Government of India guidelines:

As per extant guidelines of Government of India, the Bank is required to pay a minimum dividend of 20% of its equity (i.e. paid up capital) or 20% of its post–tax profits, whichever is higher. In case, any Bank decides to pay interim dividend, the total dividend to be paid by the Bank based on the annual results should be as per the above guidelines.

5. Internal and External Factors:

The dividend payout decision of the Bank will also depend on certain external factors such as the state of the economy of the country, statutory and regulatory provisions, tax regulations, etc, as may be applicable at the time of declaration of the dividend. Apart from the aforesaid external factors, Board will also take into account various internal factors, such as business growth plans, future capital requirements, replacement of capital assets, etc. The decision of the Board regarding dividend shall be final.

6. Utilisation of Retained Earnings:

The retained earnings will mainly be utilized for the purpose of the Bank's growth plans and such other purposes as per the guidelines issued by RBI and Government of India from time to time.

7. Provisions with regard to various classes of shares:

The Bank currently has only one class of shares, namely Equity Shares. In case of issuance of any other class of shares in future, the parameters shall be decided suitably by the Bank at the appropriate time.

8. Manner of Payment of dividend:

As per Regulation 12 of SEBI (LODR) Regulations, the Bank shall use any of the electronic modes of payment facility approved by the Reserve Bank of India for the payment of the dividends. Where it is not possible to use electronic mode of payment, 'payable-at-par' warrants or Demand Drafts will be issued to the eligible shareholders.

9. Disclosure and Reporting:

a) The Policy will be disclosed on the website of the Bank and a web link shall be provided in the Annual Report.

b) The Bank shall report the details of dividend declared during the accounting year to RBI as per timeline specified by RBI.

c) The Bank shall declare and disclose the dividend on per share basis only as specified under SEBI (LODR) Regulations.

10. Validity and Review of Policy

The Policy will be in force, until further amendments made by Regulatory Authorities. In the event of any discrepancy or inconsistency between the Policy and Regulatory guidelines, the regulatory guidelines will prevail.

The Board will review / renew the Policy on an annual basis and if found essential may amend the Policy from time to time.

****

Annexure - 1

Matrix of Criteria for maximum permissible range of Dividend Payout Ratio

Category	CRAR	Net NPA Ratio			
		Zero	More than zero but less than 3%	From 3% to less than 5%	From 5% to less than 7%
		Range of Dividend Payout Ratio			
A	11% or more for each of the last 3 years	Up to 40	Up to 35	Up to 25	Up to 15
B	10% or more for each of the last 3 years	Up to 35	Up to 30	Up to 20	Up to 10
C	9% or more for each of the last 3 years	Up to 30	Up to 25	Up to 15	Up to 5
D	9% or more in the current year	Up to 10		Up to 5	Nil

इण्डियन ओवरसीज बैंक

केंद्रीय कार्यालय, 763,अण्णा सालै, चेन्नै 600002

उपस्थिति पर्ची

(बैठक के स्थान पर प्रवेश के समय प्रस्तुत की जानी है)

दिनांक	10 जुलाई 2019	
समय	सुबह 10:00 बजे	
स्थान	सद्गुरु ज्ञानानंदा हॉल, नारद गान सभा, 314, टीटीके रोड, अलवरपेट, चेन्नै - 600 018	
पंजीकृत पृष्ठ संख्या		डीपीआइडी व ग्राहक आइ डी
(यदि बेकागजीकृत नहीं है)		(यदि बेकागजीकृत है)
शेयरधारक का नाम		
शेयरों की संख्या		
शेयरधारक/प्राक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		
मैं, 10 जुलाई 2019, को चेन्नै में आयोजित बैंक की असाधारण सामान्य बैठक में एतद्द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ।		
शेयरधारक/प्राक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai – 600 002

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date	10th July 2019	
Time	10.00.a.m.	
Place	Sathguru Gnanananda Hall, Narada Gana Sabha, 314 TTK Road, Alwarpet, Chennai 600 018	
Regd. Folio No.		DP ID & Client ID
(if shares are not dematerialized)		(If share are dematerialized)
Name of the Shareholder		
Number of Shares		
Signature of the Shareholder / Proxy/ Representative present		
I hereby record my presence at the Annual General Meeting of the Bank held on 10th July 2019 at Chennai.		
Signature of the Shareholder/ Proxy/Authorised Representative		

इण्डियन ओवरसीज बैंक

केंद्रीय कार्यालय, 763,अण्णा सालै,चेन्नै 600002

प्रॉक्सी फॉर्म (फ़ॉर्म 'बी')

(शेयरधारक द्वारा भरे व हस्ताक्षरित किए जाने के लिए)

पंजीकृत पृष्ठ सं. .... (यदि बेकागजीकृत नहीं है)
डीपीआइडी/ग्राहक आइडी.................... (यदि बेकागजीकृत है)

मैं/हम,________________________ निवासी ____________ जिला ________________राज्य ____________ इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री/श्रीमती ____________ निवासी ____________ जिला ____________ राज्य ____________ को, अथवा इनके न होने पर, श्री/श्रीमती ____________ निवासा ____________ जिला ____________ राज्य ____________ को, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयर धारकों की बुधवार ,10 जुलाई 2019 को सुबह 10.00 बजे सद्गुरु ज्ञानानंदा हॉल, नारद गान सभा, 314, टीटीके रोड, अलवरपेट, चेन्नै - 600 018 में होने वाली असाधारण सामान्य बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे/हमारे लिए और मेरी /हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी (एवज़ी) के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ /करते हैं ।

आज वर्ष 2019 के __________ माह के __________दिन हस्ताक्षरित

कृपया ₹1/- का राजस्व स्टाम्प

________________ परोक्षी के हस्ताक्षर

नाम : ________________

पताः ________________

____

____

प्रथमनामित / एकल शेयर धारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

1 कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक बैध नहीं होगा जब तक की

क. एक शेयरधारक के मामले में उनके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।

ख. संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित पहले शेयरधारक या उनके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।

ग. कॉरपोरेट निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा या एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो।

2 किसी प्राक्सी का लिखत किसी ऐसे शेयर धारक द्वारा यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित हो, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता हो यदि उस पर उसका निशान लगा दिया जाए जो वह निशान किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आश्वासनों के पंजीयक या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इण्डियन ओवरसीज बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित हो।

3. एक साथ प्रॉक्सी -

क. मुख्तारनामा या अन्य कोई प्रधिकार (यदि हो) जिसके तहत इसे हस्ताक्षरित किया गया है या

ख. मुख्तारनामा या अन्य कोई प्राधिकार की प्रति जो नोटरी पब्लिक या दण्डाधिकारी द्वारा सुयोग्य प्रति के रूप में सत्यापित हो, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, इण्डियन ओवरसीज बैंक केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नई - 600 002 में असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात **शुक्रवार, 5 जुलाई 2019** को बैंक के कार्यसमय की समाप्ति अर्थात 05.00 बजे को या उससे पहले जमा करा दिया जाना है।

4 प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक विधि स्टाम्प नहीं लगाया गया हो और फॉर्म बी में न हो ।

5 बैंक में जमा किया गया प्राक्सी का लिखत अंतिम अप्रतिसंहरणीय होगा।

6 दो व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर किए गए प्राक्सी के लिखत के मामले में एक ही फार्म निष्पादित किया जाना है।

7 जिस शेयर धारक ने प्रॉक्एसी का लिखत निष्पादित किया है वह संबंधित आसाधारण सामान्य बैठक में स्वयं मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।

8 इण्डियन ओवरसीज बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्राक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai – 600 002

PROXY FORM (Form 'B')

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio......................... (If not dematerialised)
DP ID & Client ID................. (If dematerialised)

I/We ________________________ resident(s) of ________________________ in the district of ________________________ in the State of ________________ being a shareholder / shareholder(s) of Indian Overseas Bank, Chennai, hereby appoint Shri /Smt. ________________ resident of ________________ in the district of ________________ in the State of ________________ or failing him/her, Shri/Smt. ________________ resident of ________________ in the district of ________________ in the state of________________ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank to be held on 10th July 2019 at 10.00 a.m. at Sathguru Gnanananda Hall, Narada Gana Sabha, 314 TTK Road, Alwarpet, Chennai 600 018 and at any adjournment thereof.

Signed this _________ day of __________ 2019

Please Affix ₹1/- Revenue Stamp

____________________ Signature of Proxy

Name : ____________________________

Address: ____________________________

____

____

Signature of First named/Sole Shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently stamped and signed by the shareholder. If for any reason he/she is unable to sign, then his / her mark shall be affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Indian Overseas Bank.
3. The proxy together with
   a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Central Office of Indian Overseas Bank with the Company Secretary, Indian Overseas Bank, Investor Relations Cell, Balance Sheet Management Department, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai 600 002, not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before 05.00 p.m., the closing hours of the Bank on **Friday, 05th July 2019.**
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped and it is in Form "B".
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Indian Overseas Bank.

वितरण न होने की स्थिति में निम्न पते पर वापस करें:

मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लि.

(युनिट - इण्डियन ओवरसीज़ बैंक)

सुब्रमणियन बिल्डिंग, पांचवां तल, नं. 1 - क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600002

दूरभाषा : 044-28460390, (छः लाईनें) / 044-28460395

फैक्स : 044-28460129 ई मेल : cameo@cameoindia.com

If Undelivered, please return to:

M/s Cameo Corporate Services Ltd.

(Unit INDIAN OVERSEAS BANK)

Subramanian Building, 5th Floor, No. 1,

Club House Road, Chennai 600 002

Tel : o44 - 28460390 (Six Lines) 044-28460395

Fax : 044-28460129 email : cameo@cameoindia.com

IOB

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

Indian Overseas Bank

आपकी प्रगति का सच्चा साथी

Good people to grow with

http://www.iob.in

www.sapprints.com